व्यावसायिक यौन-कर्मियों का सुधार एवं पुनर्वास

नीना लांबा

व्यावसायिक यौन-कर्मियों का सुधार एवं पुनर्वास
नीना लांबा

व्यावसायिक यौनकर्मियों
का सुधार एवं पुनर्वास

व्यावसायिक यौनकर्मियों का सुधार एवं पुनर्वास

पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत

नीना लाम्बा

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, नई दिल्ली

(भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने हिन्दी में पुलिस संबंधी पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए गृह मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति ने 23 मई, 1979 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया था कि न्याय वैद्यक, अपराध शास्त्र, पुलिस अनुसंधान और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर लिखित हिन्दी की मौलिक पुस्तकों पर पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना प्रतिस्थापित की जाए। तदनुसार 22 मार्च, 1980 को अपर सचिव की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में हुई बैठक में निर्धारित मापदंडों के आधार पर इस संबंध में जो निर्णय लिए गए उसके अनुसार इस योजना को अंतिम रूप दिया गया। इस योजना के अंतर्गत ही भाग 1 में मौलिक प्रकाशित पुस्तकों को पुरस्कृत किया जाता है तथा वर्ष 1982 से भाग 2 के अंतर्गत दिए गए विषयों पर पुस्तक लेखन कार्य कराया जाता है। इसी के तहत यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है।)

इन पुस्तक में दिए गए विचार लेखक के निजी है
इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,
गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की
सहमति आवश्यक नहीं है।

प्रकाशक के सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रकाशक – पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय),
3/4 मंजिल, ब्लाक–II, सी.जी.ओ. कंप्लैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

एकमात्र वितरक – नियंत्रक प्रकाशन विभाग,
सिविल लाइंस, दिल्ली–110054

प्रथम संस्करण – 2012

मुद्रक – प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय

आमुख

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा पुलिस व न्यायायिक विज्ञान से संबंधित हिंदी में साहित्य उपलब्ध कराने के लिए पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना को वर्ष 1982 में प्रारंभ किया गया था। पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं।

गत वर्ष समिति के सदस्यों ने समाज में महिलाओं की स्थिति पर विचार-विमर्श किया तथा महिलाओं में भी एक ऐसा वर्ग जो समाज की हिंसा, दुराचार और न जाने किन-किन भीषण परिस्थितियों में जीवनयापन कर रही हैं तथा ऐसे व्यवसाय को मजबूरी में अपना रही हैं जो अमानवीय है। यौन-व्यवसाय की यह समस्या न केवल भारत में बल्कि विश्व के प्रमुख देशों में भी विकराल रूप धारण करती जा रही है, इससे न केवल उस देश की सरकार बल्कि आम व्यक्ति भी प्रभावित होता है। अतः इस समस्या के विभिन्न दृष्टिकोणों पर ध्यान देते हुए इसमें जन साधारण एवं समाज की भूमिका किस प्रकार हो तथा इस समस्या का निदान करते समय किस पक्ष की क्या भूमिका होगी और कौन इस समस्या के निदान में कैसे सहायक हो सकता है। समस्या की गंभीरता एवं विभिन्न पहलुओं को देखते हुए ब्यूरो द्वारा संचालित पं. गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना की मूल्यांकन समिति ने पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद देश के विभिन्न प्रांतों से इस विषय पर विचार आमंत्रित किए। विभिन्न राज्यों से प्राप्त रूपरेखाओं में से श्रीमती नीना लांबा द्वारा प्रस्तुत रूपरेखा को चुना गया। लेखिका ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के साथ-साथ ठोस सुझाव प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास भी किया है।

मैं समझता हूं कि व्यावसायिक यौनकर्मियों का सुधार और पुनर्वास विषय पर लेखिका श्रीमती नीना लांबा ने जो विचार और उनके बारे में जो अध्ययन किया है तथा जो उद्धरण उनके द्वारा दिए गए हैं। इसके लिए वह

बधाई की पात्र हैं। लेखिका द्वारा किए गए इस सराहनीय प्रयास के लिए मैं अपना आभार प्रकट करता हूं, साथ ही इस पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए ब्यूरो के संपादक हिंदी को भी धन्यवाद हूं।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई व्यावसायिक यौनकर्मियों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं और समाधानों के बारे में दी गई जानकारी निश्चित ही सभी आम जन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

कुलदीप शर्मा

(के.एन.शर्मा)
कार्यवाहक महानिदेशक
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

विषयों की अनुक्रमणिका

	प्रस्तावना	9
अध्याय-1	पृष्ठभूमि	17
अध्याय-2	कौन है वेश्या?	60
अध्याय-3	यौन-कर्म में लिप्त होने के विभिन्न कारण	96
अध्याय-4	यौन-कर्म करनेवाली स्त्रियां—वर्गीकरण	116
अध्याय-5	ग्राहक कौन	123
अध्याय-6	यौनकर्म की समस्याएं व परेशानियां	134
अध्याय-7	क्या यौनकर्म को व्यवसाय माना जाए	149
अध्याय-8	अध्ययन रिपोर्ट	181
अध्याय-9	यौनकर्म को रोकने में कानून-व्यवस्था	204
अध्याय-10	निदान और पुनर्वास	220
अध्याय-11	अंतर्राष्ट्रीय दिवस	349
अध्याय-12	गैर सरकारी संगठन	352
अध्याय-13	बदलती तस्वीरें	372
अध्याय-14	साहित्य और फिल्में	374
अध्याय-15	उपसंहार	376

प्रस्तावना

भारतीय संविधान सभी भारतीय महिलाओं को यह विश्वास दिलाता है कि अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के सामने समानता है, अनुच्छेद 15 (1) धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव न होगा। अनुच्छेद 16 के द्वारा उसे आश्वासन दिया गया है कि रोजगार तथा सरकार के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसरों में समानता बरती जाएगी। अनुच्छेद 39 (ए) महिलाओं और पुरुषों के लिए समान रूप से रोजगार के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए सरकार के नीति निर्देशों के अलावा अनुच्छेद 39 (डी) दोनों के लिए समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 48 है। मानव संसाधन के रूप में महिलाओं का महत्व संविधान में स्वीकार किया गया है। वहां न केवल समानता का दर्जा है बल्कि राज्य को उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में प्राथमिकता देने के अधिकार भी प्रदान किए हैं। भारत सरकार संवैधानिक प्रतिबद्धताओं के बल पर महिलाओं का चहुंमुखी कल्याण, विकास एवं सशक्तिकरण सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर एवं प्रतिबद्ध प्रयास कर रही है। समय-समय पर महिला संबंधी अधिनियमों में संशोधन एवं राष्ट्रीय नीतियां इस दिशा के कारगर प्रयास हैं।

तथापि, महिलाओं के प्रति हिंसा का दौर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद चिंतनीय है। मोटे तौर पर उनके प्रति हिंसा को चार वर्गों में बांटा जाता है जिसमें प्रथम वर्ग में शारीरिक दुराचार, जिससे मृत्यु भी हो जाती है जैसे भ्रूण हत्या अगम्यागमन, पिटाई, बलात्कार, सती, डायन बताकर मार डालना, जननांगों को विकृत करना, कार्यस्थलों पर हमला, जबरन गर्भधारण/बंध्याकरण आदि को रखा जा सकता है। दूसरे वर्ग में उनका मानसिक उत्पीड़न, जबरन विवाह, नजरबंदी जैसे मनोवैज्ञानिक दुराचार आते हैं। तीसरे उन्हें मूलभूत मानवीय सुविधाओं जैसे स्वास्थ्य, आहार, शिक्षा, जीविकोपार्जन के साधनों से वंचित रखना और चौथे वर्ग में महिलाओं

की देह का सौदा। इन्हें व्यापार की वस्तु बनाना, जैसे महिलाओं की खरीद फरोख्त, वेश्यावृत्ति आदि हैं।

इन चारों वर्गों में आने वाली हिंसा का शिकार यौन-कर्म में लगी महिलाएं होती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अनुसार महिलाओं के प्रति हिंसा की परिभाषा इस प्रकार है 'किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई कृत्य, व्यवहार का नियंत्रणकारी बर्ताव जिसका परिणाम महिलाओं के विरुद्ध शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक क्षति के रूप में आता है या आ सकता है।' महिलाओं के विरुद्ध हिंसा मानवाधिकारों के आनंद व मूलभूत स्वतंत्रता को निरर्थक बना देती है। हिंसा के जरिए उन्हें न केवल दास और आज्ञाकारी बनाया जाता है अपितु उन्हें निराशा, अमानवीयता, अप्रतिष्ठा और भय, आतंक और अपमान की स्थितियों में रहना पड़ता है।

महिलाओं के प्रति हिंसा के इस रूप ने अनैतिक देह व्यापार को सर्वाधिक लाभकारी और सबसे तेजी से बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय अपराध बना दिया है जिससे प्रतिवर्ष करीब दस अरब डालर की कमाई होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय अपराध हथियारों व नशीले पदार्थों की तस्करी से अधिक लाभकारी होता जा रहा है क्योंकि इसमें कम जोखिम व लाभ भरपूर है। अंतर्राष्ट्रीय कानून में संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकोल में अनैतिक देह व्यापार को पहले-पहल वर्ष 2000 में ही परिभाषित किया। इसको परिभाषित करते हुए इसके अनुच्छेद 3 क में उल्लेख किया गया कि व्यक्तियों की ट्रैफिकिंग का अर्थ धमकी देकर या जबरन या अन्य प्रकार के दबाव से, अपहरण से, जालसाजी से, धोखे से, सत्ता या कमजोर हैसियत के दुरुपयोग से या किसी दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की अनुमति पाने के लिए पैसे अथवा लाभ के लेन-देन से शोषण के लिए व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, शरण या प्राप्ति है। शोषण के दायरे में कम से कम वेश्यावृत्तिके लिए शोषण या अन्य प्रकार का यौन शोषण जबरन मजदूरी या सेवा के लिए शोषण, गुलामी या उससे मिलती-जुलती प्रथाएं, दासता या अंग निकालने के लिए शोषण शामिल होगा। इसकी धारा 3 (ख) के अनुसार इस अनुच्छेद के उप पैरा (क) में वर्णित शोषण के लिए व्यक्तियों का अनैतिक व्यापार के शिकार व्यक्ति की सहमति ऐसी परिस्थिति में अप्रासंगिक हो जाएगी जब उपपैरा (क) में वर्णित किसी तरीके का उपयोग किया गया हो।

निःसंदेह परिवार में महिलाओं की स्थिति और पुरुष रिश्तेदारों से उनका संबंध उन्हें पहले घरेलू हिंसा, दहेज मृत्यु, परित्याग, बहु विवाह, सती अन्यागमन, डायन बताकर मार डालने इत्यादि का शिकार बनाते हैं। उसके बाद पुरुष की संपत्ति के रूप में महिलाएं युद्ध, दंगों, वर्ग और जाति के संघर्ष में हिंसा का शिकार बन जाती हैं। समाज के निम्न वर्गों की महिलाओं की अशिक्षा, निरक्षरता, परिसंपति हीनता,

निर्धनता, निर्णय लेने की भूमिका में शक्ति हीनता उन्हें व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए शोषण का शिकार बना डालती है। वेश्यावृत्ति, भीख, दासता, अश्लील चित्रण, पोर्नोग्राफी के लिए विश्व के इस कमजोर वर्ग की महिलाओं का व्यापार, अपहरण और उन्हें फिरौती पर उठाया जाना आम बात है। इसी वर्ग की महिलाओं का धर्म के नाम पर शोषण भी हर समाज में हुआ। देश-विदेश सभी जगह धार्मिक अंधविश्वासों को प्रश्रय दिलाने के लिए इनका मोहरे के रूप में प्रयोग हुआ। भारतीय समाज में जाति, वर्ग और लिंग के आधार पर विविध प्रकार के भेदभाव करने की सुदृढ़ सांस्कृतिक विरासत रही है। परंपरागत रूप से मजबूत पितृसत्तात्मक मानदंड महिलाओं को दासता और आज्ञाकारिता में रहने का निर्देश देता है। 'न स्त्री स्वातंत्रमर्हति' (स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए) भारतीय मूल्यों में दोहरापन रहा है। एक ओर यहां पर स्त्री की देवी रूप में पूजा होती है दूसरी ओर परंपरागत वेश्यावृत्ति, देवदासी, सती, बाल विवाह इत्यादि के रूप में उनके प्रति हिंसा की एक लम्बी परंपरा है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों का अनैतिक व्यापार विशेष रूप से स्त्रियों और बच्चों का चिंता का विषय है। इस अरबों डालर के व्यवसाय को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरों पर किए जा रहे प्रयासों से आज भले ही समस्या खत्म नहीं हो रही है तथापि इसे एक गंभीर समस्या माना जा रहा है और सभी यह प्रयास करना चाहते हैं कि उन कारणों की जड़ पर वार किया जाए जिस कारण ऐसी स्थितियां बनती हैं जिनमें घर की लक्ष्मी नगर वधू बनने को, एक व्यावसायिक यौन कर्मी बन जाती है।

प्रेमचंद ने गोदान में लिखा था कि स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है। जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा, त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ है। जीवन में सबसे अधिक त्याग जिससे करवाया जा रहा है वे व्यावसायिक यौन कर्मी ही हैं ।

व्यावसायिक यौन शोषण के लिए किसी महिला को धकेलना उसे जिन्दगी भर के लिए एक सदमें भरी जिंदगी जीने को विवश कर देता है। उसके शरीर व आत्मा को पहुंचा नुकसान कभी भी ठीक नहीं हो सकता। यह राज्य और सभ्य समाज की जिम्मेदारी है कि पीड़ित को सम्मानजनक जीवन जीने में सहयोग करे आखिर उसका भी मुख्य धारा के समाज में एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जीने की इच्छा ही नहीं हक भी है। यह माना कि कोई भी सरकार उसके स्वास्थ्य व आर्थिक आवश्यकताओं की देखभाल हमेशा के लिए नहीं कर सकती, पर सरकार ऐसा समाज तो बना सकती है

जहां किसी महिला को, किसी मासूम बचपन को किसी पुरुष की यौनेच्छाओं की पूर्ति के लिए, किसी की तिजोरी में सोने के सिक्कों की खनक बढ़ाने के लिए उन्हें कच्ची कली की तरह मसल डालने, रौंद डालने की कोशिशों को नाकामयाब किया जाए। पीड़िता को उस वातावरण से अलग कर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सभ्य समाज को उसे आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाना होगा। आर्थिक प्रयास इस प्रकार किए जाएं कि लांछन का चौथ का चांद हमेशा के लिए जीवन से विदा हो जाए। उसकी पूर्व पहचान को हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में टायटैनिक सा डुबो देना होगा।

समाज को शिक्षित, जागरूक व संवेदी करना आज बेहद जरूरी है। समाज को ही महिलाओं को सशक्त करने के हर संभव प्रयास करने होंगे ताकि कोई कबूतरबाज उन्हें निरीह परिन्दा समझने की भूल न करे। उसे अपनी भूलों की ऐसी सख्त सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी इस गलती को दोहराने की भूल न करे।

यह माना कि लाखों महिलाओं के पुनर्वास में समस्याएं उठेंगी। इतना सहज नहीं है। कहीं कोई जादू की छड़ी नहीं है। न समाज के लिए उन्हें सहज स्वीकारना संभव है और न ही आराम (?), ऐशो आराम (?) की जिन्दगी को छोड़कर किसी घर में आया या मेहतरानी बनना सहज है। कोई व्यवसाय शुरू करने से जुड़े जोखिम भी है पर क्या इन संकटों, इन जोखिमों उन स्थितियों के डर से आधे आकाश की हकदार स्त्रियों के एक वर्ग को पुरुषों की दासता से मुक्त कराने के प्रयास ही न किए जाएं बल्कि उन्हें यह घुट्टी पिला दी जाए कि यह उनकी स्वतंत्रता व सशक्तिकरण का पर्याय है। उन्हें इस सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाने वालों से एक सवाल यह भी है कि यह जागृति की लहर निरक्षर, अनपढ़, सूखाग्रस्त, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की निम्न जाति, निम्न वर्ग की गरीब लड़कियों में कैसे आई है। 17 मार्च 1865 को अब्राहम लिंकन ने अपने भाषण में कहा था कि जब कभी मैं किसी को दासता का पक्ष समर्थन करते देखता हूं तो मेरे मन में स्वयं उसी व्यक्ति पर उसकी परीक्षा किए जाने की प्रबल प्रेरणा होती है। यही इच्छा इसे व्यवसाय का रूप समझने की दलीलें देने वाले समर्थकों से पूछने की होती है। क्यों इन लाचार, भोली-भाली युवतियों को इसे स्वतंत्रता मानने के लिए तैयार किया जा रहा है।

यह माना कि डगर कठिन है मगर क्या तकलीफों के डर से उनके आगे घुटने टेक दिए जाएंगे, सदियों तक पुरुष की दासता में रही स्त्रियों ने उस बरगद की छाया से इतर सोचने की शुरुआत कर दी है। उन्हें देह के मानकों से ऊपर उठाने के लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत है।

समाज में वेश्या का बना रहना इस तथ्य को रेखांकित करता है कि आज भी

पुरुष स्त्री को भोग की वस्तु समझता है उसे अपने बराबर का दर्जा नहीं देता। पुरुष उसे खरीद सकता है और अपनी सेक्स संतुष्टि के लिए उसे उपयोग कर सकता है।

जब समाज वेश्या को स्वीकार करता है तो वह यह संदेश देता है कि यौन संबंधों के दौरान स्त्री की भावनाओं का जिक्र बेमानी है अथवा इस संसर्ग के परिणाम केवल उसे भुगतने होंगे और पुरुष को यह स्थिति स्वीकार्य है कि जिस स्त्री से वह रिश्ता बना रहा है वह वहां मात्र शरीर है। उसकी भावनाएं वहां नहीं है। यह इकतरफा संबंध पुरुष की उस मानसिकता को व्यक्त करते हैं कि वह आम जीवन में स्त्री की भावनाओं को कितनी अहमियत देते हैं। उसकी यह नकारात्मक भावनाएं आम जीवन में स्त्रियों के प्रति हिंसा की जिम्मेदारी है।

वेश्याएं जो इस व्यवसाय को छोड़ चुकी हैं या इसमें अभी भी हैं उनका मानना है कि वेश्यावृत्ति स्त्री के शरीर पर हिंसा है। किसी भी मानव शरीर का ऐसा प्रयोग असंभव है जैसा कि वेश्यावृत्ति में स्त्री शरीर का किया जाता है। स्त्री इन सारे संबंधों में अधूरी ही रह जाती है कभी पूरी हो ही नहीं सकती।

यौन कर्मियों के माध्यम से देश में करोड़ों रुपयों का कारोबार चलता है। देश की विभिन्न न्यायिक अदालतों के द्वारा इन महिलाओं से सालाना जुर्माने के रूप में तीन करोड़ रुपए, कानूनी पेशे से जुड़े लोग 9 करोड़ रुपए, गैर सरकारी तौर पर हफ्ते के रूप में वसूली रकम सालाना 15 करोड़ रुपए, चिकित्सा से जुड़े व्यवसायी 20 करोड़ रुपए और औषधि निर्माणकारी उद्योग 80 करोड़ रुपए, विभिन्न प्रकार के इनके कर्जों पर 15 करोड़ रुपये के ब्याज के रूप में यानी लगभग 200 करोड़ रुपए कमा लिए जाते हैं। इनमें अभी कोठा मालकिन, दलाल व देह व्यापारियों की कमाई शामिल कर ली जाए तो यह आंकड़ा तीन सौ करोड़ तक पहुंच जाए, ऐसा उद्योग जिसे समाज में अवैध माना जाता है यदि इतनी बड़ी कमाई का साधन हो तो इसे किसी देश, किसी भी समाज पर लांछना का पर्याय माना जा सकता है न कि किसी एक विशेष वर्ग, वह भी स्त्रियों को लांछना, दी जा सकती है।

इतिहास इस बात की गवाही देता है कि ईसा मसीहा ने मैरी मैण्डलीन पर पत्थर मारने वाली भीड़ को कहा था कि 'पहला पत्थर वह व्यक्ति मारे जिसने कभी पाप न किया हो' और रामकृष्ण परमहंस को उनमें भी मां का ही स्वरूप दिखा था, महात्मा बुद्ध ने वैशाली की नगर वधू आम्रपाली को अपनी शिष्या बना कर महिलाओं के लिए बौद्ध धर्म के द्वार खोल दिए थे। चाणक्य ने उनके अधिकार सुनिश्चित कर अपने अर्थशास्त्र में उन्हें स्थान दिया था।

किसी साक्षात्कार में एक महिला यौन कर्मी ने कहा कि भले ही आप जितने भी प्रयास कर लें, पर कभी भी उस दर्द के नजदीक भी न पहुंच पाएंगे जो वो दिन रात

झेलती है इस दुनिया की यह अंधेरी गुफा अपने आप में बहुत बड़ी है और दुनिया से छिपी हुई है। यूं तो दुनिया की आदत है दूसरों के गिरेबानों में झांकने की और वही आदत अक्सर इनकी दुनिया में भी झांकने का काम करती है। कभी कोई कहानियां लेकर यहां से बाहर जाता है तो कोई तस्वीरें खींच कर ले जाता है। कुछ रोज अखबारों की सुर्खियां छपती हैं। लोगों में सहानुभूति की लहर भर उठती है कि पानी का बुलबुला भर बन फूट जाता है। भावनाओं का ऐसा तूफान नहीं उठता। कहीं कोई ज्वालामुखी नहीं उठता, कोई ज्वार भाटा नहीं उठता कि इनके जीवन का कायाकल्प करने का मानस बना सके। समाज धीरे-धीरे बदलता है यह बात वेश्यावृत्ति उन्मूलन के संबंध में बेमानी हो चुकी है। इस दासत्व में जीती स्त्रियां अधिक इंतजार नहीं कर सकती। हम सभी को एक ही जीवन मिला है जीने के लिए और इसका उद्देश्य यह है कि सभ्यता की सेवा में पहले से लाद दी गई असमर्थताओं से उस जीवन को बचाने के उपाय किए जाएं किसी व्यक्ति को दूसरे की दासता से व्यैक्तिक स्तर पर, सरकारी व गैर सरकारी सभी ओर से मुक्त कराना है। स्त्रियां सबसे दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है और इसे गुलामी ही कहा जा सकता है। इस गुलाम वर्ग में भी सबसे निरीह स्थिति यौन कर्मियों की होती है।

एक अनुमान के अनुसार वेश्यावृत्ति पर लगभग 2,70,000 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। लाखों मिलियन डॉलर का व्यवसाय स्त्री देह के माध्यम से करने की समाज की नापाक कोशिशों को रोकने के लिए प्रबुद्ध समाज को जागरूक होने की बेहद जरूरत है। इस पुस्तक लेखन के दौरान यौन कर्मियों से की गई बातचीत, विभिन्न एन जी ओ के प्रयास, इनके पुनर्वास व सुधार के लिए सरकार की योजनाएं ही नहीं बल्कि समाज के कमजोर तबकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में भी जानकारी को इसमें शामिल करते हुए यह महसूस किया कि कन्या जन्म से लेकर, परिवार के मुखिया की मृत्यु, कन्या की पढ़ाई, उसकी शादी उसके लिए रोजगार के लिए व्यावसायिक, प्रशिक्षण मार्केटिंग, आदि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, क्रेश सुविधाएं हर उम्र के हर मोड़ पर उसे राह दिखाने के लिए, सहायता उपलब्ध है। क्या समाज जागरूक नहीं है कि उनके लिए सरकार कितनी योजनाएं चला रही है। यदि समाज के गरीब तबके तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच पाए तो वे समीकरण समाप्त हो जाएंगे जिनके कारण लड़कियों को यह व्यवसाय चुनना पड़ता है।

यौन कर्मियों की समस्या समाज में यूं तो सदियों से विद्यमान रही है। समाज ने कई बार इनके उन्मूलन के प्रयास किए पर जैसा कि अक्सर होता है सुधारवादी प्रयास जिस तेजी से शुरू होते हैं उसी गति से लुप्त भी हो जाते हैं।

पर एच आई वी/एड्स महामारी की दस्तक ने यह अहसास कराया है कि यौन कर्मी अति जोखिम वाला समूह है। यदि एड्स का नियंत्रण न किया गया तो समाज में क्या विभीषिका फैल सकती है कोई नहीं जानता। एड्स के परिप्रेक्ष्य में समाज को यौन कर्मियों की समस्या पर पुनरावलोकन करने को मजबूर किया है। सरकार 'उज्ज्वला' के माध्यम से इनके लिए उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रयासरत है।

तीन हजार वर्षों से चली आ रही इस व्यवस्था को सिर्फ नैतिक दृष्टिकोण से सुलझाना संभव नहीं है। अपनी सोच का दायरा विकसित करते हुए इसके कारणों व उससे पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करना होगा। उस आकलन से यही स्पष्ट होगा कि समन्वित प्रयासों से, प्रगतिशील विचारधारा से ही समाज में परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

इस पुस्तक में सदियों से व्याप्त इस समस्या पर नये सिरे से सुधार व पुनर्वास के प्रयासों को प्रकाश में लाने की एक छोटी-सी कोशिश की गई है।

एक छोटा सा प्रयास इनकी जिंदगी में झांकने का, इनके जीवन में सुधार व पुनर्वास के उपायों को इसके कलेवर में समेटने का किया गया है। निसंदेह सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं पर प्रयासों में तीव्रता तभी आ पाएगी जब हर हाथ मददगार होगा। 'पाश' के शब्दों में 'सबसे खतरनाक होता है- मुर्दा शांति से मर जाना' 'न होना तड़प का... सब सहन कर जाना 'घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आ जाना' 'सबसे खतरनाक होता है.... हमारे सपनों का मर जाना' क्या सपनों को मरने दिया जाए? क्या दर्द को हद से गुजर जाने तक, क्या घाव के नासूर बन जाने की राह समाज देखते रहना चाहता है। आधे आकाश आधी धरती की स्वामिनी स्त्री का एक वर्ग जिन्दगी को सम्मान पूर्वक जीवन जीने की दुहाई कर रहा है? क्या हमारी योजनाएं/क्या हमारे प्रयास इतने कमतर और अपर्याप्त है किं हम सिर्फ उनकी दर्द व छटपटाहट तो महसूस कर सकते हैं पर उन्हें दूर नहीं कर पा रहे हैं या फिर प्रयासों में आधी अधूरी ईमानदारी है विभिन्न सरकारी योजनाएं जो विशेष रूप से इनके लिए चलाई जा रही हैं, के अलावा उन सभी योजनाओं की जानकारी भी इसमें समेटने के प्रयास किए गए हैं जो देश से गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा व आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किए जा रहे हैं ताकि उन कारणों को ही दूर कर दिया जाए जो समाज के एक वर्ग को बिकने के लिए मजबूर करते हैं और दूसरा वर्ग उनकी बेबसी की कीमत लगाता है।

यह सरकार का ही एक सकारात्मक प्रयास है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो इनकी समस्याओं व इनके पुनर्वास के उपायों के प्रति समाज को जागरूक करवाने के लिए इस पुस्तक को लिखवा रहा है। पुलिस अनुसंधान एवं

विकास विभाग के अधिकारियों विशेष रूप से श्री दिवाकर शर्मा जी, जिनके समय-समय पर समुचित मार्ग दर्शन से इनमें यथास्थान सुधार व संशोधन किए गए, के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूं।

यह पुस्तक सुधी पाठकों के हाथों में सौंपते हुए मुझे यह विश्वास है कि इसे पढ़ने के बाद समाज को कुछ लौटा पाने की प्रेरणा व चाह उनमें जागृत हो पाए तो मेरे प्रयास सफल हो पाएंगे। हमारे ऊपर सिर्फ मातृ व पितृ ऋण नहीं होता बल्कि जीवन भर हम समाज से, राष्ट्र से भी लेते रहते हैं। समाज के कर्ज से उऋण होने के लिए समाज से किसी भी प्रकार की किसी कुरीति को कम करने व उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में भले ही छोटे-छोटे प्रयास ही हम शुरू कर पाएं तो समाज की तस्वीर बदल सकती है और समाज में महिलाएं सशक्त हो सकती हैं!

—नीना लाम्बा

अध्याय-1

पृष्ठभूमि

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः (मनुस्मृति 3/56)

जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं, अर्थात सभी प्रकार के वैभव सुलभ होते हैं। इसके विपरीत जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती, वहां सभी प्रकार के यज्ञ-यज्ञादि कर्म निष्फल होते हैं।

जिस परिवार में स्त्रियां दुख और अभाव ग्रस्त होने के कारण कलपती रहती हैं उस परिवार का शीघ्र ही विनाश हो जाता है। इनके विपरीत जहां स्त्रियां संतुष्ट और प्रसन्न होती हैं उस कुल की निरंतर और उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। (3/5) जिन परिवारों में स्त्रियां दुख और अभाव से अथवा दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर अपने को, परिवार के पुरुषों को और भाग्य को कोसती रहती हैं, वे परिवार कृत्या-अग्नि दाह, जल प्रलय, विष प्रयोग तथा दुर्घटना जैसे दैवीय प्रकोपों से पीड़ित होकर सभी ओर से (धन, प्रतिष्ठा, तेज गौरव आदि) नष्ट हो जाते हैं। (3/58) स्त्रियों की प्रसन्नता! अप्रसन्नता पर ही परिवार का उत्कर्ष, अपकर्ष निर्भर रहता है कि वे विवाह जैसे उत्सवों में तथा स्वागत सत्कार जैसे आयोजनों के अवसर पर स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण और उत्तम भोजन आदि जुटाने के रूप में उनकी पूजा करें (3/59) जिन परिवारों में पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से संतुष्ट होते हैं, उन परिवारों में निश्चित रूप से सदैव सुख, शांति, आनंद और सम्पन्नता का साम्राज्य रहता है। (3/60)

मनुस्मृति की यह पंक्तियां हमारे धर्म ग्रंथों में नारी के सम्मान का पर्याय हैं।

ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को समाज में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उन्हें पुरुषों के बराबर सामाजिक और धार्मिक अधिकार प्राप्त थे। उनके बिना यज्ञ नहीं हो सकता था, वे पुरुषों के समान उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं। घोषा, लोपामुद्रा और

अपाला आदि विदुषियों ने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया था। उस युग में सती प्रथा और बाल विवाह प्रचलन नहीं था। स्त्रियों को पति चुनने की स्वतंत्रता थी। स्वयंवर का प्रचलन था। बहु पति व बहुपत्नी का प्रचलन भी था पर उसे अच्छा नहीं समझा जाता था। नारी लक्ष्मी व अर्द्धांगिनी थी। विधवा विवाह का चलन भी था। विधवा नियोग के माध्यम से संतान पैदा कर सकती थी। विशेष परिस्थितियों में पति के जीवित रहते हुए भी पति की सहमति से नियोग प्रथा से संतान पैदा कर सकती थी। उसकी स्थिति समाज में काफी सम्मानित थी। द्रोपदी के अपमान के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था।

उत्तर वैदिककाल में स्त्रियों के सम्मान में थोड़ी कमी आ गई। अब कन्या का जन्म अच्छा नहीं समझा जाता था। कन्या के विवाह की आयु कम कर दी गई। रजस्वला होने से पहले उसका विवाह कर दिया जाता था। उसके बाद बाल विवाह शुरू हुआ और उसके कारण वह शिक्षा प्राप्ति के अधिकार से वंचित होने लगी। उन्हें वेदाध्ययन व वैदिक मंत्रों के साथ संस्कार करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया।

बाल विवाह के कारण अल्पायु में कन्या पर गृहस्थी का भार आन पड़ा। बाल विवाह के कारण बचपन में ही उस पर वैधव्य की मार पड़ने लगी और वह सामाजिक शोषण का शिकार होने लगी।

इसी युग में नारी के इतने सम्मान के बावजूद वेश्याएं भी समाज का हिस्सा थीं। गर्भवती गांधारी की सेवा में वेश्याएं नियुक्त थीं। शांतिवार्ता के लिए आए हुए श्री कृष्ण का स्वागत वेश्याओं ने किया था। युद्ध में जाने वाली पांडवों की सेनाओं में भी वेश्याएं थीं। बहुसंख्यक वेश्याएं सेवा-सुश्रुषा परिचर्या, संगीत, नृत्य आदि कलाओं में निपुण होती थीं और इन कार्यों के लिए उसे विशेष अवसरों पर नियोजित की जाती थीं।

महाभारत में वेश्याओं का वर्गीकरण राज वेश्या, नगर वेश्या, गुप्त वेश्या, देव वेश्या व ब्रह्म वेश्या के रूप में किया गया। महाभारत के युद्ध में पांडव, कौरव दोनों दलों में गणिकाएं उनके साथ रहती थीं। कोई भी अनुष्ठान उनके बिना पूरा नहीं होता था।

वैदिक काल में अप्सराओं के अतिरिक्त आम वेश्याओं को समाज में सम्मान प्राप्त नहीं था। उन्हें पतिता ही माना जाता था। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब अप्सरा उर्वशी को अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया गया था व अर्जुन के इंकार करने पर उसे शाप दिया गया था। उर्वशी-अर्जुन प्रसंग से दो बातें लक्षित होती हैं कि अप्सरा कुरुकुल की जननी थी और श्राप देने की हैसियत रखती

थी। असुरों को जीतकर अर्जुन जब अमरावती लौटे तब देवताओं ने बड़े उल्लास से उनका स्वागत किया। स्वर्ग की श्रेष्ठतम अप्सराएं उनके स्वागत में नृत्य के लिए प्रस्तुत हुई थीं। उर्वशी को देवराज इंद्र ने संदेश भेजा था कि 'उसे जाकर मेरी आज्ञा सूचित कर दो कि आज रात्रि में वे अर्जुन की सेवा में पधारे। उन्हें आज वे अवश्य प्रसन्न करें।' उर्वशी ने जब उनके कक्ष में प्रवेश किया था तो उसका माता कहकर स्वागत किया था क्योंकि वे कुरुकुल की जननी थी पर उर्वशी ने उनसे कहा था कि 'पार्थ यह धरा नहीं है। स्वर्ग है। हम अप्सराएं न किसी की माता हैं, न बहन, न पत्नी ही। स्वर्ग में आया हुआ प्रत्येक प्राणी अपने पुण्य के अनुसार हमारा उपभोग कर सकता है।' अर्जुन के इंकार करने पर उसे एक वर्ष नपुंसक के समान जीवन यापित करने का शाप दिया था। इतिहास गवाह है कि वह शाप उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ है और अज्ञात वास वाले एक वर्ष वे बृहन्नलला बन कर रहे।

अप्सरा, किन्नरी, हूर परी, स्वर्ग की गणिकाएं थीं। स्वर्ग के निवासियों का मनोरंजन एवं यौन सुख प्रदान करना इनका कर्तव्य था। स्वर्ग के राजा इंद्र को जब-जब धरती पर से किसी ऋषि, मुनि और तपस्वी के स्वर्ग में आने का डर हुआ उसने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को धरती पर भेजा। मेनका, उर्वशी, रंभा इसी श्रेणी की गणिकाएं थीं।

पुरातत्व वेत्ताओं एवं इतिहासकारों ने उत्तर पाषाणकालीन सिंधु घाटी की सभ्यता में भी वेश्यावृत्ति के विकसित चिन्ह खोज लिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, एवं बेबीलोन, असीरिया, स्लाम आदि की सभ्यताओं की समकालीन थी। इन देशों में भी उस समय वेश्यावृत्ति का चलन था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ों से नर्तकी की कुछ सुंदर मूर्तियां मिली हैं। संभवतः उस समय भी मंदिरों में देवदासियां होती थीं। मंदिरों में ही नहीं राजाओं ने भी वेश्यावृत्ति को प्रश्रय दिया। विजेता राजा को हारे हुए राजा की ओर से अपनी बेटी और विभिन्न दास-दासियां देने की परंपरा थी। युद्ध में जीते गांव, कस्बों व नगरों की नारियों का यौन शोषण होना स्वाभाविक था। युद्ध की विभीषका का खामियाजा स्त्री व बच्चों को ही ज्यादा भुगतना पड़ा है। संसार के हर कोने में आज भी युद्धों के बाद सैनिकों द्वारा अत्याचार की यही कहानी दोहराई जाती है।

बाइबल में केडेशोथ वेश्याओं का वर्णन आता है। अर्मीनिया देश में पुराने समय में यह आम प्रथा थी कि लोग अपनी बेटियों को देवदासी बना देते थे। प्राचीन बेबिलोनिया में इन देवदासियों का बड़ा रुतबा था। प्राचीन एथेन्स में भी वेश्याओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था।

वैदिक काल में सुसंस्कृत आर्यों ने अनार्य द्रविड़ों की स्त्रियों के यौन शोषण में

किसी प्रकार की कमी नहीं की भारतीय समाज में धर्म का माहत्म्य है और धर्म की स्थापना के लिए स्त्री और पुरुष को कैसा आचरण करना चाहिए इसके लिए मनुस्मृतिकार ने विशेष रूप से वर्णन करते हुए समाज में स्त्रियों की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है पुरूषों (पतियों) को विषयों में आसक्त अपनी स्त्रियों को सदैव दिन रात अपने वश में रखना चाहिए (9/2) स्त्री की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में क्रमशः पिता, पति, और पुत्र रक्षा करते हैं अर्थात वह उनके अधीन रहती है और उसे अधीन ही बने रहना चाहिए, क्योंकि वह कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। (9/5) समय पर (लड़की के सोलह वर्ष हो जाने पर) लड़की का विवाह न करने वाला पिता, ऋतुकाल में अपनी पत्नी से सम्भोग न करने वाला पति और स्त्री के पति के मर जाने पर मां की देखभाल (उसका भरण पोषण) न करने वाला पुत्र निंदनीय है (9/4) सभी वर्णों के लोगों के लिए स्त्री पर नियंत्रण रखना उत्तम धर्म के रूप में वांछनीय है, यह देखकर दुर्बल पतियों को भी अपनी स्त्रियों की रक्षा करने (वश में रखने) का प्रयत्न करना चाहिए। (9/6) यत्नपूर्वक स्त्री की रक्षा करने (वश में रखने) वाला पुरूष ही अपनी संतान, चरित्र, कुल स्वयं अपनी तथा अपने धर्म की रक्षा करने में समर्थ होता है। (9/7) स्त्रियों के लिए 6 कार्य दोष के रूप में माने गए हैं। (1) मदिरापान, (2) पर पुरूष की संगति (3) पति से अलग रहना, (4) निरर्थक इधर-उधर घूमना (5) असमय और अधिक समय तक सोना (6) दूसरों के घर में रहना। ये स्त्रियां न तो पुरूषों के रूप का और न ही उसकी आयु का विचार करती हैं, इन्हें तो केवल पुरूष के पुरूष होने से प्रयोजन है। यही कारण है कि पुरूषों को पाते ही ये उससे भोग को प्रस्तुत हो जाती हैं। (9-13-14) स्वभाव से ही पर पुरूषों पर मन लाने (रीझाने) वाली, चंचल चित्तवाली और स्नेह रहित (अस्थिर अनुराग वाली) होने से स्त्रियां यत्नपूर्वक रक्षित होने पर भी पतियों को धोखा देती हैं। (9/95)

छोटा भाई-भाभी को गुरूपत्नी और बड़ा भाई छोटे, भाई की पत्नी को बहू समझकर उसके साथ व्यवहार करे। यह निदेश पुरूषों के लिए थे।

कार्यवश विदेश जाने वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी के भरण-पोषण की समुचित व्यवस्था करके ही जाना चाहिए क्योंकि शील आचार वाली स्त्री भी भोजन के लिए पीड़ित होने पर चरित्र भ्रष्ट हो सकती है। 'बुभुक्षितः किं करोति पापम्' (9/75) पति द्वारा पत्नी की आजीविका की समुचित व्यवस्था के उपरांत विदेश जाने पर पत्नी को संयम नियम (सादगी-सजने, धजने का परित्याग) का पालन करना चाहिए। (9/74) पति के धर्मकार्य, विद्या यश प्राप्ति तथा व्यापार के लिए विदेश जाने पर पत्नी को क्रमशः 8,6 और 3 वर्षों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए (9/75)

गुरू पत्नी से व्यभिचार करने वाले, सुरा पीने वाले और चोरी करने वाले के माथे पर तप्त लौह से क्रमशः भग, सुरापात्र और कुत्ते के पैर के चिन्ह अंकित करना चाहिए (9/236) राह चलती स्त्री को छेड़ने वालों को पकड़ने के लिए आस-पास रहने वाले जो लोग सहयोग नहीं करते, राजा को उन्हें सपरिवार अपने राज्य से निकाल देना चाहिए (9/273)

परस्त्री गमन पर मनुस्मृतिकार ने लिखा कि परस्त्री गमन में प्रवृत पुरुषों को दिल दहला देने वाले दंड देकर और उनके अंग (लिंग) काटकर उन्हें देश से निर्वासित कर देना चाहिए। (8/351) चारों वर्णों की स्त्रियां सदैव रक्षणीय होती हैं अर्थात् उनकी पवित्रता बनाई रखनी चाहिए। ब्राह्मण को छोड़कर अन्य तीनों वर्णों के लोग परस्त्री संग्रहण के अपराध के लिए मृत्युदंड पाने योग्य हैं। (8/358)

परस्त्री से बातचीत के निषिद्ध न मानने पर सुवर्ण का एक सिक्का दंड रूप में वसूलना चाहिए। नट (गायक आदि), चारण (भाट) आदि की स्त्रियों से बोलने का तथा आजीविका की दृष्टि से अपने अधीन, पुत्रादि की स्त्रियों से बोलने का निषेध नहीं क्योंकि सत्य तो यही है कि भाट चारण स्वयं ही अपनी स्त्रियों को सजा-धजा कर दूसरे पुरूष के पास भेजते हैं (8/361) से ज्ञात होता है कि वेश्यागमन उस युग में विद्यमान था।

अप्रस्तुत कन्या से संभोग करने वाले व्यक्ति को तत्काल मृत्युदंड देना चाहिए (8/363) यदि उत्तम वर्ण की कन्या से नीच वर्ण का व्यक्ति व्यभिचार करता है, तो उसे मृत्युदंड देना चाहिए यदि समान वर्ण का व्यक्ति समान वर्ण की कन्या से संबंध जोड़ता है और कन्या का पिता सहमत है, तो पुरूष को कन्या के पिता को शुल्क का भुगतान करना चाहिए, अर्थात मूल्य चुकाकर विवाह कर लेना चाहिए। (8/365) भले ही यह व्यवस्था विवाह कर लेने की है पर लड़की की खरीदारी होती थी, प्रकट करता है।

अपने माता-पिता की ऊंची जाति के, अपनी उच्च शिक्षा आदि गुणों के अथवा धन आदि के अभिमान से अपने पति को छोड़ कर परपुरूष से संबंध रखने वाली स्त्री को राजा सार्वजनिक स्थान पर विशल जनसमूह के सामने कुत्तों से नुचवाए (8/371) ऐसी सजा की व्यवस्था थी।

शूद्र द्वारा द्विजाती वर्ण की अरक्षित स्त्री के साथ संग करने पर उसे अंगच्छेदन का और रक्षित स्त्री से संभोग करने पर सर्वस्व हरण (शारीरिक दंड तथा सम्पति निग्रह) का दंड मिलना चाहिए (8/373)

यदि कोई लड़की ही लड़की से संभोग करे और इससे उसकी योनि फट जाए तो ऐसा करने वाली स्त्री का तत्काल सिर मुडवा देना चाहिए। उसकी अंगुलियां

कटवा देनी चाहिए और उसे गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमाना चाहिए। समलिंगी स्त्रियों के लिए सजा की यह व्यवस्था थी।

राजा को गुप्तचरों के द्वारा जिन चोरों की जानकारी रखनी चाहिए उनमें वेश्याओं का नाम भी शामिल है (9/259)

सगी बहन, कुंवारी, चांडालिन, मित्र की स्त्री और पुत्रवधू से व्यभिचार करना गुरूपत्नी गमन जैसा पाप है और उपपातक की गिनती में अपनी ही कन्या को दूषित करने, अपनी स्त्री और संतान का विक्रय, परिवार की स्त्रियों से धंधा कराके आजीविका चलाना, नाचने-गाने और बजाने का व्यवसाय करना, पुरूष से मैथुन यह सब पाप है। (11/66-67)

ब्राह्मण किसी वेश्या अथवा शूद्रा के गमन से एक रात में ही जो पाप अर्जित करता है उसकी निवृति के लिए उसे तीन वर्षों तक भिक्षा के अन्न पर जीने और निरंतर गायत्री का जाप करते रहना चाहिए।

स्मृतिकार ने दूसरे की पत्नी जिससे व्यक्ति का किसी प्रकार का योनि संबंध नहीं अर्थात जो मामी, चाची, मौसी आदि की पुत्री रूप में बहिन नहीं है, के संपर्क में आने पर व्यक्ति को उसे भवति। सुभगे। भगिनी आदि कहकर अभिवादन करना चाहिए। (2/33)

माता की बहिन अर्थात मौसी, मामी, पत्नी की माता, फूफी, गुरूपत्नी मां के समान पूजनीय हैं भाभियों को प्रणाम करना चाहिए। फूफी, मौसी बड़ी बहन मां के समान ही आदरणीय है वेश्याओं की गिनती निंदित, चोर, गवैए, तरखान, सूदखोर, कृपण, आदि कैदियों के साथ की गई है (गाय द्वारा सूंघे, अर्थात झूठा किए अथवा अभक्ष्य मानकर छोड़े, विशेष रूप से घोषणा करके खिलाए जानेवाले, समाज अथवा समुदाय का अन्न वेश्या के, विद्वानों द्वारा निंदित चोर, गवैए, तरखान, सूदखोर, कृपण कैदी तथा बंधनग्रस्त व्यक्ति के अन्न का भी सेवन नहीं करना चाहिए। (4/209-10)

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वेश्याओं की स्थिति—कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वेश्याओं की व्यवस्था पर अलग से अध्याय है उस समय वेश्याओं की व्यवस्था राजकीय संरक्षण में होती थी। वेश्याओं के अध्यक्ष को किस प्रकार उनकी नियुक्ति करनी है और वे किस प्रकार कार्य करेंगी इसकी विस्तृत विवेचना की गई।

वेश्यालयों का अध्यक्ष—वेश्यालयों की व्यवस्था करने वाले राजकीय अधिकारी को चाहिए कि रूप, यौवन से संपन्न एवं गायन-वादन में निपुण स्त्री की, चाहे वह वेश्या कुल से संबद्ध हो या न हो, एक हजार पण देकर गणिका (वेश्या) के पद पर नियुक्त करे। इसी प्रकार दूसरी गणिकाओं को नियुक्त किया जाए और एक सहस्त्र पण में से आधा उन्हें तथा उनके परिवार को दे दिया जाए।

यदि कोई गणिका दूसरी जगह चली जाए या मर जाए तो उसकी जगह किसी दूसरी लड़की या बहिन नियुक्त होकर परिवार का पोषण करे अथवा उसकी माता उसकी जगह किसी दूसरी गणिका को नियुक्त करे। यदि यह भी संभव न हो सके तो उसकी संपत्ति को राजा ले ले।

वेश्याओं की तीन श्रेणियां है। (1) कनिष्ठ, (2) मध्यम और (3) उत्तम। रूप तथा सजावट में कमसुंदर कनिष्ठ वेश्या का वेतन एक हजार पण, दो हजार पण मध्यम का वेतन और हर एक बात में चतुर उत्तम वेश्या का वेतन तीन हजार पण होता है। कनिष्ठ वेश्या छत्र तथा इत्रदान लेकर राजा की सेवा करे; मध्यम वेश्या पालकी के साथ रहकर राजा को व्यंजन करे और उत्तम वेश्या राजसिंहासन तथा रथ आदि के निकट रह कर राजा की परिचर्या करे।

1. जब गणिकाओं का सौंदर्य जाता रहे और उनकी जवानी ढल जाए, तब उन्हें खाला (मातृका) के स्थान पर नियुक्त कर देना चाहिए।
2. जो गणिकाएं राजवृति से अपने को मुक्त करना चाहें, वे राजा को चौबीस हजार पण देकर स्वतंत्र हो सकती हैं। यदि वेश्यापुत्र राजसेवा से निवृत्त होना चाहे तो वह बारह हजार पण अदा करे। यदि वह मुक्त होने का मूल्य (निष्क्रय) अदा करने में असमर्थ हो तो आठ वर्ष तक राजा के यहां चारण का कार्य कर अपने आप को मुक्त करा सकता है।
3. वेश्या की दासी जब बूढ़ी हो जाए तो उसे कोष्ठागार या रसोई के कार्य में नियुक्त कर देना चाहिए। यदि वह काम न करना चाहे और किसी की स्त्री बन कर रहना चाहे, तो वह प्रतिमास उस गणिका को सात पण वेतन दे।
4. गणिकाध्यक्ष को चाहिए कि वह वेश्याओं के भोगधन (सम्भोग से प्राप्त हुई आमदनी) माता से मिला धन (दायभाग), संभोग के अतिरिक्त आमदनी (आय) और भावी-प्रभाव (आयति) आदि को रजिस्टर में दर्ज करता रहे और उन्हें अधिक खर्च करने से रोकता रहे।
5. यदि गणिका अपने आभूषणों को अपनी माता के सिवा किसी दूसरे के हाथ सौंपे तो उसे सवा चार पण दण्ड दिया जाए। यदि वह अपने गहने, कपड़े बर्तन आदि को बेचे या गिरवी रखे तो उस पर सवा पचास पण का दण्ड किया जाए।
6. यदि वह किसी के साथ कठोरता का बर्ताव करे तो उसे चौबीस पण का दण्ड दिया जाए। यदि वह हाथ, पैर, लाठी आदि से प्रहार करे तो दुगुना (अड़तालीस पण) दण्ड दिया जाए। यदि वह किसी का कान, हाथ

काट ले तो उसे पौने बावन पण का दण्ड दिया जाए।

7. यदि कोई पुरूष कामनारहित कुमारी पर बलात्कार करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड देना चाहिए। जो इच्छा करने वाली कुमारी के साथ संभोग करे उसे भी प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए।
8. जो पुरूष किसी कामनारहित वेश्या को जबर्दस्ती अपने घर में रोक कर रखे या कोई चोट तथा घाव कर उसके रूप को क्षति पहुंचाए उस पुरूष को एक हजार पण से दण्डित करना चाहिए। शरीर के भिन्न-भिन्न स्थानों को चोट पहुंचाने पर, उन-उन स्थानों की विशेषताओं के अनुसार अधिक दण्ड दिया जा सकता है; यह दण्ड राशि अड़तालीस हजार पण तक ली जा सकती है।

1. राजा की सेवा में नियुक्त वेश्याओं को मारने वाले व्यक्ति पर बहत्तर हजार पण दण्ड किया जाए। खाला, वेश्यापुत्री और वेश्या को मारने-पीटने वालने को उत्तम साहस दण्ड दिया जाए।
2. पूर्वोक्त सारी दण्ड-व्यवस्था एक बार अपराध करने वालों के लिए निर्दिष्ट है, यदि कोई अपराधी उसी अपराध को दुहराए तो दुगुना दण्ड, तिहराए तो तिगुना दण्ड और चौथी बार भी अपराध को करे तो चौगुना दंड अथवा सर्वस्वहरण, देश निकाला आदि जो भी उचित हो, उसे दिया जाए।
3. राजा की आज्ञा होने पर यदि कोई वेश्या किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जाने से इंकार कर दे तो उस पर एक हजार कोढ़े लगवाए जाएं; उस पर पांच हजार पण जुर्माना किया जाए।
4. यदि कोई वेश्या संभोग शुल्क (भोग) लेकर धोखा कर दे तो उसे संभोग शुल्क से दुगना जुर्माना करना चाहिए। यदि पूरी रात का शुल्क लेकर गणिका किस्सा कहानियों या दूसरे बहानों में ही सारी रात बिता दे तो उस पर शुल्क का आठ गुना दण्ड किया जाना चाहिए, किन्तु संक्रामक रोग या किसी दोष के कारण गणिका यदि संभोग कराने में तैयार न हो तो उसे अपराधिनी न समझा जाए।
5. यदि कोई गणिका संभोग-शुल्क लेकर किसी पुरूष को मरवा दे गणिका को उस पुरूष के साथ जीवित ही चिता में जला देना चाहिए। उसके गले में पत्थर बांधकर उसको पानी में डुबो देना चाहिए।
6. यदि कोई पुरूष किसी गणिका के वस्त्र, आभूषण या संभोग से प्राप्त धन को चुरा ले तो उसे धन का आठ गुना दण्ड दिया जाए। गणिका को

चाहिए कि वह अपने संभोग, अपनी आमदनी और अपने साथ रहने वाले व्यक्ति की सूचना गणिकाध्यक्ष को बराबर देती रहे।

7. यही दण्ड विधान और यही व्यवस्था उन लोगों के लिए भी है जो नट, गायक, वादक, कथावाचक, कुशीलव, प्लवक, जादूगर, चारण है; तथा जो कोई भी स्त्रियों द्वारा जीविका-निर्वाह करते हैं, और वे स्त्रियां जो व्यभिचार करती हैं।
8. बाहर से आई हुई नट-मण्डली प्रत्येक खेल पर पांच पण राजकर के रूप में भरे।
9. रूप से जीविका कमाने वाली वेश्या अपनी मासिक आमदनी के हिसाब से दो दिन की कमाई, कर रूप में राजा को दे।
10. गाना, बजाना, नाचना, नाटक करना, लिखना, चित्रकारी करना, वीणा बजाना, मृदंग बजाना, दूसरे के मन को पहचानना, सुगंधित द्रव्यों को बनाना, माला गूंथना, पैर दबाना, शरीर सजाना आदि कार्यों में निपुण लोगों की, गणिका, दासी तथा नर्तकियों को कलाओं का ज्ञान देने वाले की, आजीविका का प्रबंध नगरों तथा गांवों से आने वाली आय के द्वारा किया जाना चाहिए।

1. वेश्यापुत्रों, नाचने-गाने वालों और इसी प्रकार के अन्य लोगों को वेश्याओं का शिक्षक नियुक्त करना चाहिए।
2. नट-नर्तक आदि पुरूषों को धन का लालच देकर राजा अपने वश में कर ले और तब अनेक भाषाएं बोलने वाली तथा अनेक प्रकार के वेश बनाने वाली उनकी स्त्रियों को गुप्तचरों का वध करने अथवा उनको वासनाओं में फंसाने के लिए नियुक्त कर दें।

उपर्युक्त अध्यक्ष प्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में सत्ताइसवें अध्याय के साथ-साथ अन्य अध्यायों में भी उनके व्यवहार की व्यवस्था करते हुए उल्लेख किए गए हैं, तीसरे अधिकरण में वेश्या को उसके अधिकारों के प्रति सचेत करते हुए कहा गया है कि उसे चाहिए कि वह संभोग शुल्क को पहले ही ले ले। यदि वह बुरी नीयत से या डरा धमका कर अनुचित तरीके से अधिक धन लेना चाहे तो उसे वह कदापि न दिया जाए।

वेश्या की लड़की के साथ बलात्कार करने वाले पुरूष पर चौवन पण दंड किया जाए और दंड से सोलह गुनी फीस यानि 834 पण वह लड़की की माता को अदा करे।

वेश्या के साथ बलात्कार व्यभिचार करने पर बारह पण दंड दिया जाए। इसके

अलावा नट नर्तक, गायक या वेश्याएं अपनी कमाई का आधा हिस्सा राजकर दें। वेश्याओं के जमादारों को चाहिए कि वे राजा अनुमत वेश्याओं द्वारा राजकोष के लिए धन जमा करें।

वेश्याओं से यह भी अपेक्षा रखी जाती थी कि वे पूरी सावधानी के साथ सैनिकों के अच्छे बुरे कार्यों का खुद निरीक्षण करती रहें।

बारहवें अधिकरण में उन पर इस जिम्मेदारी की भी चर्चा है कि कुलटा स्त्रियों का पालन-पोषण करने वाले गुप्तचरों को चाहिए कि वे सुंदर रूपवती युवती के द्वारा सेना के प्रमुख व्यक्तियों को प्रमादी बनवा दें।

अपने दुश्मनों को मारने के लिए किस प्रकार वेश्याओं का प्रयोग किया जाए इस बारे में उल्लेख करते हुए लिखा गया कि कोई धनी विधवा, गूढ़जीवा (गरीबी के कारण व्यभिचार करने वाली सधवा) या स्त्री का कपट वेश धारण करने वाले पुरूष दाय भाग या अमानत आदि का विषय लेकर निर्णय के बहाने संघमुख्यों के पास जाकर उन्हें अपने वश में कर ले। अतिथि (तरह तरह के देवताओं के चित्र दिखा कर जीविका कमाने वाली स्त्रियां या कौशिका स्त्रियां (सपेरों की स्त्रियां) या नाचने-गाने वाली स्त्रियां ही संघ प्रमुखों को अपने वश में करे। जब संघ मुख्य उन स्त्रियों के जाल में फंस जाएं और उनसे संभोग करने के लिये किसी निश्चित स्थान का संकेत कर दे तब एकांत में उन स्थानों पर रात में संभोग करते हुए संघ मुख्यों को तीक्ष्य गुप्तचर मार डाले या बांध कर अपहरण कर ले।

इस तरह उस काम में वेश्याएं राजतंत्र का एक हिस्सा होती थीं। उसका यह कर्तव्य भी होता था कि जब राजा सिंहासन या रथ पर बैठे तो उसकी छतरी, व पंखे झूलाने का काम वह करे और उसके दरबार में नृत्य व संगीत करे।

काम सूत्र- वात्स्यायन के कामसूत्र में वेश्याओं के ऊपर पूरा अध्याय है, उन्हें किस प्रकार आचरण करना चाहिए और क्या-क्या गुण उसमें होने जरूरी हैं सभी पर विस्तार से चर्चा की गई है। तीसरी शताब्दी में रचा गया यह ग्रंथ भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें सैक्स व आनंद के विषय में विस्तार से विश्लेषण किया गया है। इस ग्रंथ में उस युग की सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों की झलक मिलती है। वात्स्यायन के मत में स्त्री और पुरूष एक दूसरे पर यौन सुख के लिए निर्भर होते हैं और उसके लिए समुचित विधि विधान को सीखना जरूरी है जिसे कामसूत्र से सीखा जा सकता है। ऊदलकी भाखा चारयण, दत्तक, घोटकमुख, गोनारदिया, गोनिकपुत्र और सुवर्णहा जिनके ग्रंथ कहीं उपलब्ध नहीं है परंतु वात्स्यायन ने उनका उल्लेख किया है और कभी उनके विचारों से सहमति दर्शाई है तो कभी असहमति व्यक्त की है।

कामसूत्र में यौन-कर्मियों/दरबार गणिका पर विस्तार से अलग अध्याय दिए गए हैं। वात्स्यायन का मत था कि राजा और यौन-कर्मी दोनों के जीवन के बड़े स्पष्ट लक्ष्य थे। वह लिखता है कि मानव जीवन के तीन लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ और काम। राजा के जीवन का महत्वपूर्ण लक्ष्य अर्थ है क्योंकि यह सामाजिक जीवन का आधार है और दरबार-गणिका के जीवन का आधार भी 'अर्थ' है अर्थ से ही जीवन के तीनों लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं जिस तरह राजा का कर्तव्य न्याय पूर्वक राज करना है, ब्राह्मण का कर्तव्य धर्म कर्म करना है उसी तरह वेश्या का कर्म 'काम' के माध्यम से अपना जीवन-यापन करना है।

कामसूत्र में वेश्याओं के कर्त्तव्यों, उसके रूप शृंगार, उसके धन अर्जन, किसी प्रेमी को छोड़ने उसको रीझाने, उसके व्यवहार आदि सभी का विस्तृत वर्णन किया गया है।

वेश्या की वेशभूषा- कामसूत्रकार लिखता है कि वेश्या को सुंदर वेशभूषा और गहने जवाहरात पहन कर रहना चाहिए। उसे अपने घर के दरवाजे पर बैठना या खड़े होना चाहिए ताकि राहगीर उसे देख पाए। जब कोई पुरूष उसके यहां आए तो फूलों से वह उसका स्वागत करे और उसे तोहफे भी दे ताकि वे किसी दूसरी स्त्री के पास न जाए, उसका स्वभाव वैसा होना चाहिए कि पुरूष हमेशा उसी के पास आए। कामसूत्रकार उसे यह भी हिदायत देता है कि किसी पुरूष से अधिक से अधिक धन बटोरने के उसे कैसे प्रयास करने चाहिए। वह उन प्रयासों की जानकारी देते हुए लिखता है कि वेश्या को विभिन्न दिन त्योहारों के अवसरों पर जेवर, खान-पान का सामान, आदि खरीदने के लिए उससे रूपए मांगने चाहिए। व्यय की गयी राशि से अधिक राशि मांगनी है। वह किसी के घर नहीं आ-जा सकती क्योंकि उसके पास उन्हें देने के लिए या पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। ऐसे बहाने कर वह उससे ज्यादा से ज्यादा धन लेने की कोशिश करे।

किसी पुराने ग्राहक से कैसे छुटकारा पाए इसकी जानकारी भी उसे दी गई। वह लिखता है कि वेश्या को पुरूष के हाव भाव, उसकी बातचीत से उसकी भावनाओं की पकड़ होनी चाहिए। जब उसे लगे कि उसके प्रेमी का व्यवहार बदल रहा है तो इससे पहले कि उसे छोड कर वह चला जाए उसे ही छोड़ देना चाहिए। पर छोड़ने से पहले उससे जितना वैभव निकलवा सके, निकलवा ले।

उसे यह भी सुझाव देता है कि अमीर प्रेमी के लौट आने की संभावना होती है इसलिए उसे छोड़ते समय आदर भाव रखे और गरीब को एक झटके से छोड़ दे जैसे कभी जानती ही न थी।

उससे छुटकारा पाने के लिए कैसे उसका मखौल उड़ाए, दूसरों की तारीफ

उसके सामने करे, उसे अपने को छूने न दे, कामसूत्रकार उसे यह भी सलाह देता है कि बहुत सोच-समझकर वह किसी पुरूष को अपना प्रेमी बनाए और उससे अधिक से अधिक धन निकलवाए। जब वह प्रतिदिन अधिक रूपया कमाने के समर्थ हो जाए तो उसे किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहना चाहिए इसके लिए उसे एक रात में अपनी कीमत निश्चित कर लेनी चाहिए। अपनी यह कीमत अपने रूप, गुण व व्यवहार के अनुसार तय करनी चाहिए और इसकी जानकारी अपने परिचितों को दे देनी चाहिए ताकि नए प्रेमी आ सकें। यदि उसे अकेले एक प्रेमी से इतना मिल रहा हो तो वे केवल उसके साथ पत्नी की तरह रहे और उसी से वह काफी धन वैभव जोड़ सकती है। वात्स्यायन का मत है जब दो प्रेमी एक समान लाभ दे रहे हों तो जो स्वर्ण मुद्रा दे उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। उसे अपने भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पुरूष का चुनाव करना चाहिए। वात्स्यायन वेश्याओं को अपने धन का व्यय किस प्रकार करना चाहिए इसके बारे में भी कहते हैं कि उसे मंदिर, टैंक व उद्यान बनवाने चाहिए। उसे ब्राह्मणों को हजारों गाय दान करनी चाहिए।

अपने काम-काज को बढ़ाने के लिए उसे कुछ पुरूषों से दोस्ती भी करनी चाहिए जो उसके रूप गुण की तारीफ कर उसके लिए नए प्रेमी ला सकें। उसे नगर के गार्डों, मुंशियों, ज्योतिषों, अधिकार प्राप्त व्यक्तियों, शराब विक्रेता, धोबी, नाई, भिखारी सभी से परिचय रखना चाहिए ताकि वे जैसे पुरूष की इच्छुक हैं इसमें ये मददगार हो सके, उसे ऐसे प्रेमी का चुनाव करना चाहिए जिसके पास बहुत सारा धन व पैतृक संपत्ति हो जो वह उस पर लुटा सके। उसे कलाकार, पेंटर, लेखक कवियों के अलावा दयालु अच्छे तौर तरीके वाले व दयावान लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। उन्हें उसके पास आकर घर जैसा लगे।

कामसूत्रकार जहां कैसे लोगों से उसे दोस्ती करनी चाहिए का ज्ञान देता है वहीं उसे किन व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए के बारे में भी राय देते हुए कहता है कि जिन्हें संक्रामक रोग हो, जिसके मुंह से बदबू आती हो, व्यवहार बुरा हो, श्वास बदबूदार हो, कंजूस हो, जासूस हो या जिन्हें अपनी पत्नी से प्यार हो उनसे दूर ही रहो।

एक अच्छी वेश्या को सुन्दर और वाणी कोकिला जैसी होनी चाहिए। उसका व्यवहार विनम्र हो, प्यार करने का सलीका हो, व्यक्ति के गुणों की कद्र हो, अच्छे कपड़े पहनती हो, कभी खीझती न हो, बहस न करती हो और 'कामसूत्र' की काम कलाओं का ज्ञान हो, वही सफल हो सकती है जिसमें ये गुण नहीं वह असफल है।

कामसूत्र के समय से ही कोई स्त्री वेश्या क्यों हो और क्या कारण हो सकते हैं पर भी विचार-विमर्श होता रहा है। कामसूत्र में ही यह वर्णन मिलता है कि कोई स्त्री वेश्या क्यों बनती है? क्या यह प्रेम की तलाश है या यह उसका स्वभाव है? या

प्रतिशोध की इच्छा है? या उसके स्वभाव में कई पुरूषों से मिलने की चाहना है। कामसूत्र में तीन कारणों का उल्लेख किया गया है। लालच, गरीबी से भागना या उसे प्यार की जरूरत। वहां यह भी सुझाव दिया गया कि कोई भी स्त्री बहुत सोच-विचार कर तय करे कि उसे वेश्या बनना है क्योंकि एक बार वेश्या बनने के बाद वह समाज में नहीं लौट पाएगी। क्या वह वाकई धन के लिए इतनी बेताब है कि वेश्या बनना चाहती है। यदि एक बार उसने मन बना लिया है तो उसे पैसे को ही सर्वोपरि मानना होगा फिर घर-परिवार में लौटने की चाहना नहीं करनी होगी।

भले ही वेश्या के जीवन को अपनाने के बाद समाज में नहीं लौटा जा सकता पर फिर भी उसे किसी एक पुरूष के साथ पत्नी बनकर रहने के प्रयासों का भी वहां जिक्र है। कामसूत्रकार लिखता है कि एक बार अच्छा प्रेमी मिल जाने के बाद उसके साथ वफादारी के साथ रहो और उसकी खुशी के लिए सब प्रयास करे। भले ही उससे प्यार न हो पर प्यार का अभिनय करो।

कामसूत्रकार उन्हें तरह-तरह के अभिनय करने की भी प्रेरणा देता है। प्रेमी को कहे कि उसकी मां बुरी है जिसे सिर्फ पैसे से प्यार है। कोई बुढ़िया इस काम के लिए ढूंढ भी ले जो प्रेमी से दूर हटाने का ढोंग करे। कभी अपने को बीमार बना दे। अपनी नौकरानी को उसके घर भेजे और पुराने फूल मंगवाए ताकि उसे लगे कि उसे वापिस बुलाया है। अपने सेक्स ज्ञान का उस पर प्रदर्शन न करे। उसकी इच्छा को ही महत्व दे। उसकी पत्नी से जलने का अभिनय करे। उसे जलाने के लिए अपने नाखूनों से निशान बना कर कहे कि दूसरे ने बनाए हैं। वह उसी के साथ मरने को तैयार है। दूसरे जन्म में उसकी पत्नी बनना चाहती है। अपना स्वभाव उसके अनुसार बदले। पुरूष दूसरे शहर काम से जाए तो उसके लौटने की खुशी में पूजा पाठ कराए। उसे सिखाने की एक लम्बी फेहरिस्त कामसूत्र में प्रस्तुत है और यह भी कहा है कि यदि वह ऐसा करती है तो कभी परेशान नहीं होती।

कामसूत्र में जहां वेश्याओं को किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, वहीं महलों में चोरी छिपे पुरूषों के प्रवेश पर भी बड़े स्पष्ट अनुदेश दिए हैं जिन्हें आज पुरूष यौन कर्मी (एम एस डब्ल्यू) कहा जाता है कि वे उस जमाने में भी मौजूद थे। यूं तो राजमहलों के हरम में पर-पुरूषों का प्रवेश असंभव होता था पर दुनिया में असंभव कभी कुछ होता नहीं। राजा के लिए सभी रानियों को संतुष्ट करना संभव नहीं होता था। स्त्रियां पुरूषों का रूप बनाकर एक दूसरे को रीझाती थीं। नकली लिंग का प्रयोग करती थीं। उनकी विश्वस्त नौकरानियां बाहर से पुरूषों को ढूंढ कर लाती थीं। बिना दाढ़ी-मूंछ के युवा पुरूष स्त्री वेश धर कर प्रवेश करते थे। वहां पहुंचना खतरे से खाली न होता था जो जोखिम लेकर पहुंच सके वही कामयाब होता था।

यही प्राचीन ग्रंथ किसी स्त्री के गुमराह होने के कारणों की लम्बी सूची भी देता है जिसमें बहुत अधिक घूमना-फिरना, पति का घर में न रहना, अन्य पुरूषों से बातचीत में मन लगना, पति को लम्बे समय तक परदेस में रहना, दुष्ट व कुटिल स्त्रियों की संगति, पति से प्रेम का न मिलना, पति का दूसरी स्त्रियों के प्रति आकर्षण होना कुछ ऐसे कारण हैं जो उस युग में भी विद्यमान थे और आज भी हैं।

स्त्री के इस स्वभाव से अवैध संबंधों की शुरूआत होती है जिसका लाभ पुरूष उठाने में नहीं चूकते। राजा के हरम में किसी तरह स्त्री वेष में जाया जा सकता है, किस तरह पानी की भिश्तियों के बीच बन्द करके उन्हें वहां लाया जाता था, दिन-त्योहार के अवसर पर मेलों के दौरान कैसे भीड़ में शामिल हो पुरूष- हरम में दाखिल हो सकते थे, कैसे मेलों के दौरान स्त्रियों को उठाकर महलों में पहुंचाया जाता था की जानकारी इसमें उपलब्ध है।

यूं तो किसी दूसरे की स्त्री के प्रति आकर्षित न होने की इसमें हिदायतें हैं पर साथ ही उनको कैसे लुभाया जा सकता है, उसके नुस्खे भी हैं।

निःसंदेह कामसूत्रकार ने यौन-कर्मी (सेक्स वर्कर) को एक सामान्य मनुष्य होने के नाते उसकी प्यार की चाहना को कहीं गलत नहीं ठहराया है और इस समय के साहित्य में भी इनकी मान-प्रतिष्ठा की गई है मृच्छिकटिकम, कथा सरित्- सागर और कालविलास जैसी कालजयी रचनाएं इसके उदाहरण हैं। वैशाली के नगरवधू आम्रपाली जिसने गौतम बुद्ध की शरण ली, श्लाबती, वासवदत्ता, माधवसेना, विलासवती कुमौदिका, वसन्तसेना से शुरू होकर ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लखनऊ की उमराव जान अदा का नाम आज भी लिया जाता है। कई शास्त्रीय नृत्य व संगीत इन्हीं की बदौलत आज तक शाश्वत बने हुए हैं। आम्रपाली ने अपनी शर्तों पर नगरवधू बनने का निर्णय लिया था जिसे समाज के ठेकेदारों को स्वीकार करना पड़ा। उस युग में खूबसूरत स्त्रियों को किसी एक की पत्नी बन कर रहने का अधिकार न था। यौन कर्मी (सेक्स वर्कर) की स्थिति अपने ग्राहकों की स्थिति से जुड़ी होती थी। वे उन्हें अपने साथ घूमने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर ले जाते थे। देवदासियां और वेश्याओं को राजाओं व अन्य धनिकों के साथ राजकाज में विचार-विमर्श करने का गौरव भी हासिल होता था वहीं गरीब मजदूर वर्ग के साथ जुड़ी वेश्याएं शोषण का शिकार-भर होती थीं।

संस्कृत व पाली साहित्य में विद्वानों ने यौन-कर्मियों के लिए लगभग पचास पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है। कहीं ये शब्द सम्मान सूचक हैं तो कुछ अपमान बोधक भी। ऋग्वेद में नदी की भांति स्वच्छंद विचरण करने वाली अकेली स्त्री के लिए अगरू, खुशी देने वाली ब्रजयित्री, नगर की शोभा बढ़ाने वाली नगरशोभिनी,

समाज के जनकल्याण की देखभाल करने वाली जनपद कल्याणी कहलाती थी। रामायण और महाभारत के साथ-साथ पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है जो युद्ध के समय सेनाओं के साथ जाती थीं। अपने घर में निर्भय होकर खुले आम ग्राहकों का मनोरंजन करने वाली स्त्री को स्वैरिणी और अपनी युवावस्था की स्वयं देखभाल करने वाली 'स्वाधीन यौवना' कहलाती थी।

गणिकाओं की नियुक्ति के विवरण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलते हैं। राजा के संरक्षण में इन्हें वेतन और सेवानिवृत्ति दी जाती थी। गणिका के बाद 'रूपजीवा' होती थी। गूढ़जीवा गरीबी के कारण रूप यौवन का व्यापार करती थी। गणिका और रूपजीवा आयकर भुगतान करती थी। वे कभी-कभार जासूसी और विषकन्या का दायित्व भी निभाती थीं।

आम्रपाली जब बुद्ध धर्म स्वीकार कर बौद्ध भिक्षुणी हो गई तभी महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि स्त्रियां तथागत् प्रवेदित धर्म-विजय में प्रव्रज्या न पातीं, तो यह ब्रह्मचर्य चिर स्थायी न होगा। सद्धर्म पांच सौ वर्ष टिकेगा जैसे बहुत स्त्री वाले और थोड़े पुरुषों वाले कुछ चोरों द्वारा, सेतट्ठिका द्वारा अनायास ही में प्रहवंस होते हैं, इसी प्रकार आनंद जिस धर्म विनय में स्त्रियां प्रव्रज्या पाती हैं वह ब्रह्मचर्य चिर स्थायी नहीं होता।

वैशाली की नगरवधू, आ. चतुरसेन

कामसूत्र के बाद में इस विषय पर अनेक रचनाकारों का उल्लेख संस्कृत साहित्य में मिलता है। दामोदर गुप्त (आठवीं शताब्दी) का कुटुनीमत, क्षेमेन्द्र का कालविलास (ग्यारहवीं शताब्दी) भिक्षु पदमश्री का नागरसर्वस्व, ज्योतरर्षिवरा का पंच साथक (ग्यारहवीं-तेरहवीं शताब्दी) कोक का रति रहस्य (13वीं शताब्दी से पूर्व) अनंत का कामसमूह (1457), देवराज की इति रत्न प्रदीपिका (15वीं शताब्दी) बुरिहरन की श्रृंगार दीपिका (15वीं शताब्दी) कल्याण मल्ल का अनंगरंग और अली अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी (17वीं शताब्दी) के उल्लेख मिलते हैं। कामसूत्र की आख्याओं व टिप्पणियों पर वीरभद्र की कंडरपचदामिनी और भास्कर नृसिंह की प्रौढ़प्रिया जैसी रचनाएं भी संस्कृत साहित्य में उपलब्ध हैं।

कामसूत्रकार वेश्याओं का 64 कलाओं में निपुण होने के लिए संगीत, नृत्य तथा गायन ही नहीं अभिनय, काव्य रचना, अप्रयत्न व सप्रयत्न रचना, फूलों के चयन, उनके गूंथने की कला,

श्रृंगार, पाकविद्या, वस्त्र सज्जा तथा शिल्प कला, अचार मुरब्बे, ऐन्द्रजालिक, हाथ की सफाई, पहेली रचना, वाकपटुता, तलवार चलाना, धनुर्विधा, शरीर व्यायाम, तर्क विद्या आदि सभी का ज्ञान होना जरूरी समझते थे। इन कलाओं के बल पर ही

वे अपने व्यवसाय में अधिक से अधिक धन संग्रह कर पाएंगी ऐसा उनका मानना था। यदि वह अपने को इन कलाओं में पारंगत कर लेती थीं तो राजा उसका सम्मान करते थे।

जिस समाज में स्त्री को अपने दोनों कुलों की मर्यादा के लिए अपने आचरण में शुद्धता पवित्रता रखने की अपेक्षा की जाती थी। पति सेवा ही जिसका धर्म हो, जिसे हर अवस्था में पुरूष संरक्षण में रखा जाता था उसी समाज में वेश्या का जीवन कैसा हो, उसे भी राजकीय संरक्षण मिलता हो यह नारी जीवन की विड़म्बना ही हो सकती है उस समाज में वेश्याओं को गुप्तचर सेवा की सूची में रखा जाता था। वेश्याओं की सहायता से गुप्तचर अपने कार्यों में सफल हो पाएंगे ऐसी धारणा थी।

शूद्रक के मृच्छकटिकम् नाटक से ज्ञात होता है कि वसंत सेना वेश्या से चारूदत्त की उपपत्नी बन गई थी। सिर्फ वसन्तसेना ही क्यों उस समाज में राजा और मंत्री परिषद् के विभिन्न अधिकारी अपने महलों में अनेक वेश्याएं रखते थे। राजा की सेवा के अलावा राज काज में इनकी रूचि व दखल उस युग के साहित्य में झलकता है। राजा के साथ युद्ध स्थल में भी वे जाती थीं।

मौर्यकाल में गणिकाओं या वेश्याओं के होने की जानकारी मिलती है। पारिवारिक जीवन न बिताकर वे राजा के मनोरंजन को अपनी जीविका का साधन बनाती थी। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां 'रूपजीवी' कहलाती थीं। वे अपनी आय में से कर भुगतान भी करती थीं।

उस युग में वे सामान्य जीवन का अंग थीं। उनको न तो भावुकता पूर्ण और न ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। कालिदास ने बिदिशा की गणिकाओं के साथ साहसी नवयुवकों की क्रीड़ाओं का उल्लेख किया है। उनकी प्रसिद्ध रचना मेघदूत में भी उज्जयिनी के महाकाल मंदिर में अनेक देवदासियों के नृत्यगान का उल्लेख मिलता है।

विशाखदत्त के 'मुद्रा राक्षस' में उत्सवों पर भारी संख्या में वेश्याओं के सड़कों पर आने का उल्लेख मिलता है।

वेश्यावृति के संदर्भ महाभारत-काल में भी मिलते हैं। गर्भवती गांधारी की सेवा करने के लिए एक वेश्या नियुक्त की गई थी। शांति वार्ता के लिए आए श्री कृष्ण का स्वागत वेश्याओं ने किया था। युद्ध में पांड़वों की सेना में वेश्याएं भी थीं ऐसे उल्लेख मिलते हैं।

उस युग के समाज में स्त्रियां स्वच्छेद विचरण नहीं करती थीं। उच्च श्रेणी की स्त्री को यदि जीविकोपार्जन के लिए बाध्य होना पड़े तो भी उसके साथ अलग ढंग से व्यवहार किया जाता था। वस्त्र बुनने जैसे कार्य वह अपने घर से कर सकती थी यदि उसे विवश होकर सामग्री लौटाने जाना पड़े तो उसे विशेष सावधानी रखनी पड़ती

थी। प्रातःकाल के धूमिल प्रकाश में बुनाई के कारखाने में जाना पड़ता था। सामग्री प्राप्त करने वाले अधिकारी केवल दीपक के प्रकाश में सामान का निरीक्षण कर सकता था यदि वह उसके मुख को देखता या कार्य के अतिरिक्त बात करता तो उसके लिए 48 से 90 पण के दंड की व्यवस्था थी। ऋग्वेद में स्त्री पुरूष के सात्विक प्रेम का उल्लेख मिलता है।

महाभारत-काल में वह पत्नी के रूप में पुरूष की अनन्यरूपा थी। वह उसका अर्धभाग और श्रेष्ठतम सखा थी। माता के रूप में वह भूमि से भी अधिक गुरू थी उसकी परम गुरू थी। माता को कष्ट देने वाले व्यक्ति का कहीं भी त्राण न था। उसे अवध्य बताया गया था।

भारत में वेश्यावृत्ति की समीक्षा देवदासियों के जिक्र के बिना अधूरी ही होगी। सदियों से मंदिरों में नाच-गाने व दूसरी व्यवस्थाओं के लिए उन्हें लगाया जाता था। इन देवदासियों को वैवाहिक जीवन की तो अनुमति नहीं दी पर पुजारियों व शासकों के षडयंत्र का शिकार गरीब जनता हुई और उन्होंने वेश्यावृत्ति को धार्मिक मंजूरी दिला कर अपने स्वार्थों की सिद्धि कर ली।

ईश्वर को प्रसन्न करने, भुखमरी, अकाल, बाढ़ से राहत के लिए बेटियों को मंदिरों को समर्पित करने, बेटे की चाहत के लिए बेटी को देवदासी बनाने की परंपरा चल निकली। बेटी को देवदासी बनाने से परिवार को कुछ सुख-सुविधाएं मिलने के कारण वे सहर्ष उन्हें देवदासी बनाने लगे। बचपन में उन्हें मंदिरों में रखा जाता और वय संधि की उम्र में भव्य समारोह में उनके नृत्य गायन की परीक्षा लेकर उसे प्रमुख देवदासी बनाकर कुलीन पुरूष के द्वारा बोली लगा कर उन्हें खरीद लिया जाता।

कर्नाटक के बीजापुर जिले में वे 'बासवी' है गोवा में 'भाविनी' कर्नाटक के शिमोगा जिले में देवी रेणुका देवी को समर्पित की जाती है और होसपेट में हुलगंगा देवी को समर्पित की जाती है जो आगे चलकर मुंबई व पुणे में वेश्याएं बन जाती हैं।

मंदिरों में देवी देवताओं को युवा कन्याओं को समर्पित करने की एक लम्बी परंपरा रही है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में इसे धार्मिक व सामाजिक मान्यता प्राप्त है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की कुछ जातियों में समर्पण की यह प्रथा विद्यमान रही है। उड़ीसा के मंदिरों में भी देवदासियों की परंपरा रही है। प्रारंभ में, मंदिरों में समर्पित इन स्त्रियों को लैंपों की सफाई, उनमें तेल डालने और दीया जलाने व नैवेद्य समर्पण और भगवान की पूजा-अर्चना के समय पुजारी को सहयोग करने व मंदिर परिसर की साफ-सफाई करने का दायित्व सौंपा जाता था। कालांतर में देवदासियों को राजा की सेवा में लगा दिया गया, क्योंकि पृथ्वी का देवता राजा होता है। मंदिरों में नृत्य करने जैसे पारंपरिक कार्य करने के अलावा वे राजघरानों में

राजनीति में हिस्सा लेने लगीं और उन्हें दुश्मन राजा के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाने लगा। राजाओं ने मंदिर बनवाने शुरू किए और उनमें देवदासियों को नियुक्त किया गया। छोटे-बड़े सभी राजाओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर जाति की स्त्रियों को देवदासी बनाया गया।

देवदासी का शाब्दिक अर्थ ही देवता की दासी है। ईश्वर का गुलाम, सेवक, मंदिर बाला, मंदिर नर्तकी जैसे कई नाम इसे दिए गए। इसे धार्मिक वेश्यावृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। पारंपरिक देवदासी युवा, खुबसूरत और नृत्य संगीत में प्रवीण होने के साथ-साथ जन संपर्क में भी माहिर होती थी। देवता को युवा लड़कियों को समर्पित करने के लिए उसका बाकायदा देवता से विवाह रचाया जाता था और पहली बार नृत्य अथवा गायन का सार्वजनिक प्रदर्शन वह करती थी। बाद के वर्षों में उसके दाएं उरोज पर शंख, चक्र अथवा चील आदि का टैटू बनाकर मंदिर और महल की देवदासी की पहचान को अलग-अलग रखा जाता था।

देवदासियों की परंपरा लगभग 1700 वर्ष पुरानी है—मंदिरों में सेवा के एवज में उसे नियमित आय, वार्षिक आधार पर नगद या भूमि उपहार के रूप में दी जाती थी। प्रौढ़ होने पर वह मंदिर से सेवानिवृत्त हो सकती थीं।

न केवल भारत में, विश्व के हर कोने में वेश्यावृत्ति का एक धार्मिक स्वरूप किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। भारत में यह देवदासी परंपरा है इसके अलावा राजस्थान के राजनट, मध्यप्रदेश के बड़िया और राजस्थान, मध्य प्रदेश के बॉर्डर के बछड़ा समुदायों में सामाजिक स्वीकृति से स्त्रियों का शोषण पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलता आ रहा है, जिसके लिए कहीं कोई अपराध बोध नहीं है।

गोवा में देवदासी 'भाविन' है। आंध्र प्रदेश में कुडिकर, बोगम या जोगिन, तमिलनाडु में थेवरडियर, महाराष्ट्र में जोगलीन मुराली और अर्धनी, कर्नाटक में जोगनी या बासवी, उड़ीसा में गणिका और असम में नटी है। हर क्षेत्र व प्रांत की भाषा के अनुसार देवता को समर्पित ये देवदासियां हैं।

प्राचीन भारत में वेदों के समय में इस परंपरा का कोई उल्लेख नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा व मोहनजोदड़ों के अवशेषों में नृत्य करती लड़कियों के चित्र मिलते हैं पर वात्स्यायन के कामसूत्र में देवदासियों का कोई संदर्भ नहीं मिलता है जबकि वेश्याओं के बारे में विस्तार से अध्याय दिए गए हैं।

6-13 शताब्दी के बीच पल्लव व चोल साम्राज्य के दौरान देवदासी परंपरा का उद्‌भव हुआ। उन्हें मंदिर के सभी रीति-रिवाजों व समारोहों का दायित्व सौंपा जाता था। मंदिर की शान-शौकत उस मंदिर की देवदासियों की संख्या से होती था। हर परिवार की शादी में उसे आमंत्रित किया जाता था। कोई शुभ अवसर पर उसकी

अनुपस्थिति व अधूरी होती थी। वहीं दुल्हन के गले में 'ताली' (मंगलसूत्र) डालती थी।

इतना सब होते हुए भी उनका दैहिक शोषण मंदिरों में होने लगा था। उनकी आय को मंदिर के पुजारी इकट्ठा करने लगे थे। दक्षिण के लगभग सभी बड़े मंदिरों में देवदासियों की संख्या हमेशा ही अधिक रही है। आज भी जब इस पर सरकारी प्रतिबंध लगा हुआ है पर मंदिरों में इनकी बड़ी तादाद देखी जा सकती है। चिंगलपेट, उत्तर आरकट, दक्षिण आरकट, तंजौर, तिसनलवेली, त्रिचुरापल्ली, कृष्णा, गुंटूर और नेलौर, द्यारवाड, कोलर में इनकी बड़ी तादाद देखी जा सकती है।

महाराष्ट्र और गोवा में भी देवदासी की परंपरा यहां के मंदिरों में देखी जाती है। अधिकांश गरीब परिवारों की लड़कियां ही देवदासी बनाई जाती हैं। चूंकि एक बार देवता से ब्याह दी जाने के बाद किसी साधारण पुरूष से ब्याह नहीं हो सकता इसलिए ये दूसरे शहरों या नगरों में जाकर यौन-कर्मी बन जाती हैं। बहुत कम लड़कियां बिना ब्याह के भी किसी एक पुरूष के साथ रहती हैं।

महाराष्ट्र में प्रभु खंडोबा को समर्पित होने के कारण उसकी आय को लेने में परिवार वाले झिझकते नहीं हैं और न ही उन्हें यह अपराध बोध होता है कि उनकी बेटी की कमाई देह के प्रयोग से हो रही है।

इसके अलावा कुम्बी, महार, मंगस और अन्य निम्न जाति के लोग भी अपनी बेटियों को मुरली बनवा देते हैं।

जगन्नाथ पुरी के मंदिर के अलावा वहां के छोटे-बड़े सभी मंदिरों में देवदासियां विद्यमान हैं। जिनका शोषण मंदिर के पुजारी, तीर्थयात्रियों व साधुओं के द्वारा होता ही है। ग्राहक किन स्थानों पर अधिक होते हैं उनमें से एक स्थान ये धार्मिक स्थल हैं और इन धार्मिक स्थलों में भी जब वर्ष में मेले व बड़े कार्यक्रम होते हैं तब उनकी आमदनी बढ़ जाती है।

उड़ीसा और बंगाल में 'कसबी' जाति भी है जो अपनी किशोरी लड़कियों को किसी अमीर पुरुष के पास भेजते हैं एक अच्छी खासी मोटी रकम लेकर पांच दिन पहले से विभिन्न रीति-रिवाज रस्में निभाई जाती हैं।

राजस्थान और मध्यप्रदेश की खानाबदोश जातियां बेड़िया और नट जाति हैं। यह माना जाता है कि एक स्थान पर न टिकने के कारण इनके पास आजीविका के सीमित साधन होते हैं। जब तक जमींदारी व्यवस्था थी इन्हें उनके समारोहों में नाच गाकर आजीविका मिलती रहती थी पर उसके खत्म होने के बाद इन्हें वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ी, हालात बद से बदतर होने के कारण विवाह के रास्ते इनके लिए बंद कर वेश्यावृत्ति अपनाने को मजबूर किया जाने लगा और आज भी वही स्थिति है।

पूरे रस्मों-रिवाज के साथ 'नथ उतरवाने' की रीति अपनाई जाती है जिसमें सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को 'कुंवारी' लड़की सौंपी जाती है। परिवार में पूरे समाज को बुलाकर प्रीति भोज दिया जाता है। उसके बाद धंधे पर उसे बिठा दिया जाता है।

इसी तरह की व्यवस्था मुस्लिम तवायफों के लिए भी की जाती है। उसे 'मिस्सी' की रस्म कहा जाता है। सात-आठ वर्ष की उम्र से उन्हें नाच-गाना सिखाया जाता है। नाच-गाना सीखना शुरू करने से पूर्व मस्जिद में मिठाई भेंट की जाती है 'मास्टर जी' को वेतन के साथ मिठाई भी दी जाती है। जब लड़की बड़ी हो जाती है तो पहले 'ग्राहक' को तय किया जाता है परिवार में प्रीतिभोज की व्यवस्था होती है। इस रस्म को 'सिर ढकाई' भी कहते हैं। वहां से लौटने के बाद फिर से मिठाइयां बांटी जाती हैं उसके बाद मिस्सी या दांत को काला करने की रस्म की जाती है। उसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है। गलियों में घुमाने के बाद, नाच-गाने के बाद, भोजन के बाद ही दांत को काला करने की रस्म की जाती है। इस रस्म के बाद वह नथ नहीं पहन सकती। इसे 'नथ उतारने' की रस्म भी कहते हैं।

दक्षिण भारत में जहां देवदासियां हैं वहीं उत्तर भारत में तवायफें, गन्धर्व पसर, पतुरियां आदि हैं जो नौटंकी आदि में नाचने-गाने का काम करती हैं। इन्हें भी खरीद कर वेश्यावृत्ति में ही लगा दिया जाता है। सनिस, बेड़िया, हरिया, कंजर और राज कंजर ऐसी ही कुछ जातियां है जिनकी लड़कियां पारंपरिक तौर पर वेश्यावृत्ति को आजीविका का साधन बनाती हैं।

देवदासी परंपरा प्रतिबंधों के बावजूद भी आज इसलिए चल रही है क्योंकि गरीबी से उबरने का कमजोर निम्न आय वाले परिवारों के पास कोई दूसरा उपाय उन्हें नजर नहीं आता। खेती पर निर्भर करने वाले दिहाड़ी मजदूर, किसानों को साल में कम से कम तीन महीने ही काम मिलता है। भीख से बेहतर लड़कियों को देवदासी बनाना उन्हें अधिक लाभप्रद लगता है। फिर देवदासी बनाने से उनके ऊपर सामाजिक दबाव या अपराध बोध भी नहीं होता। एक बार देवदासी बनने के बाद वे अपने गांव या शहर ही नहीं बड़े शहरों में जाकर वेश्यावृत्ति करने लगती हैं। देवदासी व यौन-कर्मी का रिश्ता घनिष्ठ हो चुका है। वेश्यावृत्ति का यह धार्मिक स्वरूप या परंपरागत रूप अब सर्वविदित है।

यौन-कर्म का यह रूप कानून की गिरफ्त में अपेक्षाकृत कम इसलिए आ पाता है कि इसे धार्मिक संरक्षण मिला हुआ है। वेश्यागृह के मालिक देवदासियों को अपने यहां रखना पसंद करते हैं। यही नहीं दूसरी यौन-कर्मियों को भी देवदासी बनवा देते हैं ताकि कानूनी उलझनें कम हों और इस तरह देवदासियों की संख्या बढ़ जाती है। हर

साल हजारों लड़कियां इसी कारण देवदासियां बना दी जाती हैं।

उम्रदराज देवदासियां हर वर्ष अपने गांवों में जाती हैं, जहां उन्होंने अपने आलीशान घर बनाए होते हैं। सोने-चांदी के गहनों और हरे नोटों की चमक गांव के गरीबों को लुभाने के लिए काफी होती है। वहां से हर वर्ष अपने साथ कई लड़कियों को लाकर उन्हें धंधे में लगा देना उनका वार्षिक कार्यक्रम होता है। पुलिस, ट्रेवल एजेंसी और दूसरे खर्चों की सभी वसूली वे इन नई देवदासियों से कर लेती हैं। जब तक उनका पैसा वसूल न हो जाए तब तक वे उनके कब्जे में बनी रहती हैं।

विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों में इस परंपरा के आज तक कायम रहने के कारणों में वेश्यावृत्ति के लिए नए चेहरे व कुंवारी लड़कियों की मांग भी शमिल है। देवदासी बनाकर उससे वेश्यावृत्ति करवाना एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं।

चिलकलुरीपेट के डोम्मारस जाति में कुलचरम (सामाजिक स्वीकृति) प्रचलित है कि कोई भी विवाह नहीं करेगा। ये लोग स्टेज कलाकार व नर्तक होते हैं जो त्योहारों और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में घूम-घूमकर नाचते-गाते हैं। उनके परिवारों की औरतें भी यौन कर्म में लगी होती हैं। परिवार की लड़कियों के खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था इसलिए की जाती है कि वे सुडौल व सुंदर दिखें। जबकि सामान्य परिवारों की लड़कियां कुपोषण का शिकार इसलिए होती हैं कि परिवार के लड़कों की तुलना में उन्हें कम ही खाने को दिया जाता है ताकि वे जल्दी बड़ी न दिखने लगे और बड़ी होने पर उसकी जल्दी शादी करनी पड़ेगी। उसके लिए वे ऐसे 'ग्राहक' की तलाश करते हैं जो अच्छी रकम दे सके। ऐसा व्यक्ति परिवार को एकमुश्त रकम देता है और जब तक चाहे अपने पास रख कर फिर छोड़ देता है। इस रस्म को 'कन्यारीकम' कहते हैं। इस दौरान वे किसी अन्य पुरुष के पास नहीं जा सकती हैं और इसके बाद वह पारिवारिक व्यवसाय, नाच गान व यौन कर्म में लग सकती हैं।

'बोगम' जाति में भी लड़कियों को धंधे में प्रवेश कराने पर सामाजिक स्वीकृति है पहले वे भी नृत्य नाटिकाओं में भाग लेती थीं पर अब उनकी कोई मांग न होने पर वे यौन कर्म ही मुख्यतः करती हैं।

मुजफ्फरपुर जिले के चतुर्भुज स्थान में वेश्याओं का इतिहास सवा सौ साल पुराना है। मुजफ्फरपुर की तवायफों की बड़ी मांग होती थी। उन्हें नवाबों व जमींदारों का संरक्षण प्राप्त था। वे अव्वल दर्जे की गायिकाएं होती थीं। लोग उनके पास अपने बच्चों को संगीत व नृत्य सीखने के लिए भेजा करते थे।

मुजफ्फरपुर देश के कई बड़े शहरों से रेल व सड़क मार्गों से जुड़ा है और यहां कृषि उद्योगों की व्यापक गतिविधियों के कारण आर्थिक दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। यहां के रेड लाइट एरिया भी उतने ही प्रसिद्ध हैं। दार्जिलिंग, सिलीगुडी और

जलपाईगुड़ी से लड़कियां यहां लाना आसान है और दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर भेजना उतना ही सरल और चतुर्भुज स्थान उनका ट्रांसिट कैंप है। चतुभुर्जस्थान के रेड लाइट एरिया में अगवा कर लाई गई लड़कियों को रखा जाता है और दूसरे एरिया में भी तवायफें हैं। यहां उनके आज भी 100-150 परिवार रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुराने जमाने में लोग अपने साहबजादों को उनके पास 'तहजीब' सिखाने के लिए भेजते थे।

सातवीं शताब्दी के दौरान दक्षिण में राज-घरानों की रुचि के कारण मंदिरों का निर्माण द्रुतगति से हुआ और उसी के साथ देवदासियों की प्रथा भी फलने-फूलने लगी। बाद के वर्षों में मंदिरों में नृत्य व गाने वाली लड़कियों की तादाद बहुत बढ़ गयी। दसवीं शताब्दी में मंदिर के धन-वैभव का सीधा संबंध वहां की देवदासियों की बढ़ी संख्या से लगाया जा सकता था। उदाहरण के तौर पर मोहम्मद गजनी ने सौराष्ट्र में जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय उसमें 350 देवदासियां थी। दसवीं व ग्यारहवीं शताब्दी में तंजौर के मंदिर में 400 देवदासियां थीं।

आर्थिक रूप से पिछड़े और अशिक्षित परिवारों की लड़कियां इस अंधविश्वास के साथ देवदासी बना दी जाती हैं कि देवी उनकी सभी इच्छाएं पूरी करेगी। परिवार के कल्याण के लिए और पुत्र की कामना तथा ईश्वर के क्रोध से बचने के लिए यह परंपरा चली आ रही है।

इन स्त्रियों की विडम्बना यह होती है कि इन्हें परिवार में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है और न ही संपति का अधिकार होता है जबकि उनकी आय में परिवार का अधिकार होता है क्योंकि वे उनके रहने खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं। विवाह का अधिकार तो नहीं होता पर किसी धनी ग्राहक की रखैल बन कर रह सकती हैं। इसी कारण वे बड़े शहरों में जाकर देह व्यापार में लग जाती हैं। बड़ी उम्र की होने पर वापिस गांव लौट आती हैं।

दक्षिण के प्राचीन ग्रंथों में सात प्रकार की देवदासियों का उल्लेख मिलता है।

जो स्त्री अपने आपको मंदिर की सेवा के लिए किसी प्रकार के मूल्य की चाहना के बिना अर्पित करती थी 'दत्ता' कहलाती थी। इसके विपरीत जो अपने आपको बेचती थी 'विक्रीता' कहलाती, जिसे पारिवारिक मंगल के लिए मंदिर की सेविका बनाया जाता वह 'भृत्या' और जो भक्ति भावना के कारण मंदिरों में भर्ती होती 'भक्त', दूसरी ओर जिसे कहीं से भगा लाकर मंदिरों में अर्पित किया जाता 'हता', नृत्य संगीत आदि ललित कलाओं में प्रवीण स्त्री जिसे राजा या रईस मंदिरों को भेंट करते 'अंलकृता' और जिन्हें अपने नृत्य संगीत की सेवा के लिए मंदिरों में

वेतन दिया जाता वे 'रुद्र गणिका' या 'गोपिका' कहलाती। स्वभावतः एक वर्ग की देवदासी दूसरे वर्ग से ईर्ष्या-द्वेष रखती थी। वर्ष में एक बार राजा की ओर से नृत्य संगीत की प्रतियोगिता के आयोजन में इनमें से प्रमुख गणिका का चुनाव होता जिसे राजसी संरक्षण मिलता था।

फिर भी, भले ही 'भृत्या' अपने को 'हृत्या' दासी से श्रेष्ठ मानती हो परंतु गरीबी की वजह से ही वे देवदासी बनती है। देवदासियों के द्वारा एकत्र धन वैभव का सामाजिक कार्यों में व्यय करने के उदाहरण भी प्राचीन साहित्य व अभिलेखों में मिलते हैं।

चोल, पल्लव, विजय नगर नरेशों के साम्राज्य-कालों और दक्षिण के मुस्लिम राजाओं, तंजौर के मराठा-नरेशों और मैसूर शासकों के शासन काल में देवदासियां मौजूद थीं। तेरहवीं शताब्दी में उनके दायित्व स्पष्ट रूप से वर्णित थे कि उन्हें दिन में देव प्रतिमा को पंखा झुलाना है, आरती के समय उन पर फूल व विभूति डालनी और मूर्ति के समक्ष नाच व गान प्रस्तुत करना है।

कांजीवरम, मदुरई, श्रीरंगम, तंजौर और अन्य स्थानों में 'देवरेडियार' की भरमार उन मंदिरों की भव्यता से जुड़ी हुई थी और उन्हें राजा और मंदिर दोनों का संरक्षण प्राप्त था।

1004 ए.डी. में चोल नरेश के द्वारा तंजौर में भव्य मंदिर बनवाए गए थे। प्राप्त अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि वहां के अन्य मंदिरों से 400 दासियां लाई गई थीं। मंदिर के चारों ओर बनी गलियों में उन्हें रहने के लिए निशुल्क घर दिए गए थे। मंदिर परिसर में ही निःशुल्क भूमि दी गई थी और उनके नृत्य-गान के पर्यवेक्षण के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। भले ही उन्हें नृत्य-संगीत के लिए रखा गया था पर वे वेश्यावृत्ति करने लगी थीं।

येलम्मा देवी के मंदिर में वर्ष में चार बार पूर्णिमा के दिन देवदासियों के लिए अति शुभ माने जाते हैं। ये हैंः रांडे हुन्नीम (वेश्याओं की पूर्णिमा), भर्ता हुन्नीम, मुश्यड हुन्नीम और गारथी हुन्नीम (गृहिणियों की पूर्णिमा) और इन चार अवसरों पर अधिकांशतः ये समारोह आयोजित किए जाते हैं।

एक बार देवदासी बनने के बाद उसका विवाह नहीं होता है।

धार्मिक ग्रंथों में देवदासी बनाए जाने का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता, परंतु परिवारों की खुशहाली के लिए देवी को समर्पण की यह प्रथा कानून द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी, हर वर्ष हजारों लड़कियां देवदासी बन रही हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 5,000 देवदासियां हर वर्ष बन जाती हैं।

सुधारवादी आंदोलनों का भी काफी प्रभाव पड़ा। 12वीं शताब्दी के मध्य में

उनके उद्धार का मुद्दा उठने लगा था और 19वीं शताब्दी के आते-आते मैसूर के शासकों ने मंदिरों में नर्तकियों की नियुक्ति पर पाबंदी लगा दी और 'गेडजा पूजी' समर्पण की प्रथा को आपराधिक घोषित कर दिया फिर भी, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अभी तक यह प्रथा चली आ रही है।

ज्वाइंट वूमेन प्रोग्राम के प्रयासों से 1982 में कर्नाटक सरकार ने कानून पारित किया और 1987 में आंध्र प्रदेश में भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

राजस्थान की नट परंपरा- राजस्थान की बेड़िया जाति कई जिलों में बसी हुई है। अधिकांशतः यह भरतपुर व धौलपुर में रहने वाली है। इनका पारंपरिक व्यवसाय मुजरा है। राजाओं के शासन-काल में जनानी ड्योढ़ी बनाना एक आम परंपरा थी। राजा-महाराजा और धन्ना सेठों को, स्थानीय शासकों को जो लड़कियां पसंद आती थीं उन्हें छल-बल से उठवा लिया जाता था। उनकी किस्मत अच्छी हुई तो राजा के निकट पहुंच कर जमीन जायदाद बना लेती थीं, पर अधिकांशतः वहां काम करने वाले नौकर-चाकरों व सिपाहियों की हवस का शिकार होकर नरकमय जीवन काटती थीं। राजसी तंत्र के खत्म होने पर वे सेक्स गुलाम बन कर रह गई।

इन कबीलों में कमाने की जिम्मेदारी लड़कियों पर होती है। उन्हें धंधे के गुर सिखाने के लिए बारह-तेरह की उम्र में ही उसे बहन या बुआ के पास भेज दिया जाता है जो पहले से इस धंधे में किसी शहर में काम कर रही होती हैं। वहां के माहौल को सीखने के अलावा गाने-बजाने का प्रशिक्षण भी पाती हैं। अनजाने में उसे सिखाया जाता है कि रुपये-पैसे से सुख सम्पन्नता का सभी सामान खरीदा जा सकता है।

राजस्थान के इन कबीलों की लड़कियां पूरे भारत में ही नहीं, गल्फ देशों तक भेजी जाती हैं। राजस्थान में जहां एक ओर लड़कियों को पैदा होते ही मारने की परंपरा है, वहीं बेड़िया व कंजर जातियों में लड़कियों को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि पुरूषों के लिए भी यही कमा कर लाती हैं। इन जातियों की बहुत कम लड़कियों का विवाह होता है पर विवाह या यौनकर्म चुनने की स्वतंत्रता उन्हें दी जाती है पर यह छूट नाममात्र इसलिए होती है कि उनके ऊपर परिवारों की जिम्मेदारी होती है और उन जिम्मेदारियों के चलते शादी का विकल्प चुनना कठिन ही होता है क्योंकि दूल्हा ऊंची कीमतों पर बिकता है। उसका मूल्य तभी चुकाया जा सकता है, यदि परिवार में कमाई होती हो फिर यदि लड़कियां यह कहें कि वे अपने इच्छा से इस धंधे में आई हैं तो कानूनी कार्रवाई नहीं होती पर क्या बारह-तेरह साल की कोई लड़की बिना इस धंधे की मजबूरियां जाने क्यों खुशी-खुशी आना चाहेगी।

समाज की स्वीकृति धंधे को मिलने के कारण यहां अपराध बोध नहीं होता है।

इनकी पंचायत के कायदे-कानून इस समाज में चलते हैं। ये पंचायत ही तय

करती है कि विवाहित यौन-कर्म नहीं कर सकती और यौन-कर्म करने वाली का विवाह नहीं हो सकता। यौन-कर्मी अपने कबीले के पुरूषों से विवाह नहीं कर सकती। वे दूसरी जाति के पुरूषों की रखैल बन सकती है। शादी से पहले हुए बच्चे उसके मां-बाप की जिम्मेदारी के होते हैं और विवाह के बाद के उस दूसरी जाति के पुरूष के जरी पंचायत के कायदे-कानून बहुत सख्त व कठोर होते हैं।

लड़कियों को बाकायदा धंधे में उतारने के लिए 'नथ उतरवाना' की रस्म अदा की जाती है। एक बार लड़की के हामी भरने के बाद ऐसा ग्राहक ढूंढा जाता है जो अच्छी रकम दे। पूरी बिरादरी के लिए प्रीति भोज का आयोजन उसी तरह किया जाता है जैसे विवाह के अवसर पर किया जाता है।

बेडिया, कंजर, नट ढोली और गोला कबीलों के लोग राजा-महाराजाओं और ब्रिटिश काल से अपनी बिरादरी की लड़कियों को उनके मनोरंजन व यौन सुख के लिए भेजते आ रहे हैं और अब उन्हें व्यावसायिक यौन कर्म में कोई बुराई नहीं दिखती है।

गुज्जर जाति में एक भाई विवाह करता है दूसरे भाई उसी स्त्री के साथ यौन संसर्ग करते हैं।

मध्यकालीन भारत- सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में दिल्ली में वेश्याओं की बढ़ती संख्या से चिंतित होकर उनके विवाह कराए जाने के आदेश दिए गए थे। मुगल काल (1526-1707) में वेश्यावृत्ति को राज्य की मान्यता थी। राजकुमारों, नवाबों व धनी लोगों के मनोरंजन का साधन ये नाच-गाने वाली लड़कियां होती थीं। औरंगजेब (1658-1707) से पूर्व किसी ने उन्हें हटाने के प्रयास नहीं किए बल्कि राज्य के संरक्षण में वे रहती थीं और उनसे कर वसूले जाते थे। एक रिकॉर्ड के मुताबिक लाहौर के कोतवाल छः हजार घरों से धन वसूलते थे। अकबर के शासन काल में वेश्याएं शैतानपुरा में रहती थीं। शैतानपुरा में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाता था और वे उनकी अनुमति से उनके घरों में ले जाया जाता था। हर युग में वेश्याओं के विभिन्न रूप विद्यमान रहे हैं। मुगल-काल में उच्च वर्ग की वेश्याएं 'कांचन' कहलाती थीं जो राज्य के समारोहों, धनी लोगों के विवाहों में नाच-गाने के लिए जाती थीं। औरंगजेब के शासनकाल में उन्हें शादी करके बसने या फिर साम्राज्य से बाहर निकल जाने के आदेश दे दिए गए थे।

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल में नाच वाली के पास ब्रिटिश अधिकारियों को मनोरंजन के लिए लेकर जाना, घरों में दिन-त्योहारों के अवसर पर उन्हें बुलाना कार्यक्रम की शोभा समझा जाता था।

मशहूर तवायफें

जद्दन बाई (1892-1949) - *जद्दन बाई फिल्म अभिनेत्री नरगिस की मां थी। वह एक बेहतरीन संगीतकार, गायिका, अभिनेत्री व फिल्म मेकर थी।*

गौहर जान (1873-1930) - *वह गायिका व कत्थक नृत्यांगना थी। 15 वर्ष की उम्र में उसने अपना पहला स्टेज कार्यक्रम दिया। 20वीं शती के शुरू में वह कलकत्ता में बेहद मशहूर थी। आज भी उसकी काफी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है।*

बेगम अख्तर (1914-1974) - *तवायफों की कड़ी में उनका आखिरी नाम है। 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला कार्यक्रम दिया। गजल, दादरा व ठुमरी में उनकी रिकॉर्डिंग संगीत जगत की धरोहर है। संगीत जगत में उनका काफी प्रभाव रहा।*

बेगम समरु (1753-1836) - *वह सरदाना की शासिका बनी। वह एक यूरोपिन वाल्टर रेनहर्डट साम्ब्रे के साथ रहती थी, जो सैनिकों का नेता था। उसकी मृत्यु के बाद उसने आर्मी का नेतृत्व संभाल लिया। अपनी राजनीतिक व मिल्ट्री योग्यता के बूते पर वह अपनी मृत्यु तक सरदाना की शासिका बनी रही।*

मोरन सरकार - *मोरन सरकार एक तवायफ से रानी बनी। वह 1802 में महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी बनी (1780-1839)। वह कला और अपने परोपकारी स्वभाव के लिए सम्मानित की जाती थी। महाराज रणजीत सिंह ने अपने नहीं, बल्कि उसकी तस्वीर के कई सिक्के बनवाए।*

उमराव जान - *1905 में मिर्जा मोहम्मद हादी रुसवा ने उमराव जान अदा उपन्यास लिखा जिसमें उसके जीवन की दास्तान लिखी गई, जिस पर कई फिल्में बन चुकी हैं।*

मनोरंजन करने वाली एक जमात के रूप में तवायफें प्रसिद्ध हैं। वे संगीत शायरी, गायिकी में प्रवीण होने के साथ-साथ शिष्टाचार की मिसाल होती थीं। 19वीं शताब्दी में नाचने वाली उसकी पर्याय बनीं, पर यह जरूरी नहीं था कि हर नाचने वाली तवायफ हो या हर तवायफ को नाचना आता हो। तवायफ जिस जगह रहती थी उसे 'कोठा' कहा जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत व 19वीं शताब्दी के शुरू में जब मुगल सल्तनत के खत्म होने के साथ कई राजा-महाराजा स्वतंत्र हो गए थे और उनके साम्राज्यों में तवायफ परंपरा उसका अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी, वे उनके संरक्षक होते थे। उन्हें मिलने वाली आर्थिक सहायता से वे कला व संस्कृति की रक्षा करती थीं। वे नृत्य, गीत, शायरी में प्रवीण तो होती ही थीं। राजा-महाराजा अपने बच्चों को शिष्टाचार की शिक्षा लेने उनके पास भेजते थे।

दादरा, गजल और ठुमरी में उन्हें महारत हासिल थी। कत्थक नृत्य को भी उन्होंने प्रसिद्धि दिलाई।

तवायफों को शादी करने का विकल्प भी रहता था। अक्सर वे रईसजादों से शादी कर बस भी गईं। उस जमाने में वही संपत्ति की मालिक और कर भुगतान करती थीं। वे अक्सर कवयित्री व लेखिका होती थीं, जब कि अधिकांश स्त्रियों के पास न तो संपत्ति होती थी और न ही शिक्षा। तवायफें शिक्षित, स्वतंत्र, पैसा, शक्ति व स्व-सम्मान में जीती थीं।

राजपूत राजाओं व जमींदारों के यहां 'जनानी ड्योढ़ी' में सैकड़ों लड़कियां रखने के किस्से-कहानियां इतिहास के पन्नों पर दफन हैं।

उन्नीसवीं शताब्दी में देश में अंग्रेजों के शासन के साथ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास व सूरत जैसे शहरों में औद्योगीकरण बढ़ने के साथ सैनिकों, नाविकों व अकेले पुरुषों की यौन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेश्याओं की संख्या बढ़ने लगी। इससे पहले कोठों पर वेश्याओं के पास केवल उच्च श्रेणी के लोग ही जाते थे पर अब जन साधारण भी बड़े पैमाने पर उनके पास जाने लगे। इसी काल में वेश्याओं की स्थिति दीन-हीन हुई। इससे पूर्व वेश्याओं को राजसी संरक्षण प्राप्त था। वे कई कलाओं में निपुण होती थीं, पर अब उनके हिस्से में शोषण, प्रताड़ना व अत्याचार आने शुरू हुए जो पहले कभी नहीं थे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सेना प्राधिकारियों के द्वारा कैंट क्षेत्रों के पास सैनिकों की यौन जरूरतों के लिए 'चकलों' की स्थापना की गई। चकलों का संचालन महलदारानी करती थी जिसे वेश्याओं की आय का एक चौथाई अंश मिलता था। इस 'महलदारानी' को चकलों में अनुशासन, सफाई, उनके स्वास्थ्य की जांच व अन्य देखरेख की जिम्मेदारी निभानी होती थी। उस जमाने में जब एक मजदूर के पूरे दिन की कमाई तीन आने होती थी, तब इन्हें एक ग्राहक से चार आने मिलते थे। एक रिकॉर्ड के अनुसार अम्बाला, मेरठ और लखनऊ में 280 वेश्याएं थीं, जिन्हें 11,000 सैनिकों के लिए रखा गया था। वेश्याएं विधवा, अंसतुष्ट पत्नियां, घरों से निकाली गई महिलाएं बनती थीं।

1866 में संक्रमण बीमारी अधिनियम के बनने के बाद चकलों में रहने वाली वेश्याओं के लिए चिकित्सा जांच अनिवार्य हो गई थी, जिसके विरोध में तीखी प्रतिक्रियाएं हुईं। उसके बाद से सरकारी संरक्षण जैसी स्थितियां खत्म हो गईं पर वेश्यावृत्ति जारी रही और आज तक जारी है।

'घरेलू नौकरानी' एक प्रकार की वेश्या है, जो दासों की यौन आवश्यकता पूरी करती है: 'कुंभदासी' नवाबों की दासी 'रुपजीवा' व 'परिचायिका', विवाहिता

जो चोरी छिपे घर से बाहर जाकर धन के लिए नहीं, कामोत्तेजना के कारण पर-पुरुषों के पास जाती है- 'कुलटा'- जो पति व रिश्तेदारों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से पर-पुरुषों का मनोरंजन करती है, 'स्वैरिणी', नृत्य संगीत के सहारे जीवन यापन करने वाली, नटी, धोबी, बुनकर, बढ़ई या कुंभकार की स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले यौन व्यवसाय- 'शिल्पकारिका', पति के रहते अथवा उसके मृत्यु के बाद धन लेकर किसी भी जाति की स्त्री द्वारा यौन सेवाएं देने वाली- 'प्रकाशबिनिष्टा' कहलाती थी।

साहित्य समाज का दर्पण होता है। मध्यकालीन साहित्य से उस युग में वेश्याओं की स्थिति का पता चलता है। ईसा पूर्व की चौथी एवं बाद की शताब्दियों में भारत में वेश्याओं की लोकप्रियता थी। वेश्याओं से संबंध असामाजिक नहीं थे। नंद, मौर्य, शुंग सातवाहन, गुप्त एवं वर्धन सम्राटों ने पराजित शत्रु की नारियों को वेश्या बनाने की प्रथा समाप्त की। अर्थशास्त्र में जहां इनके लिए विस्तृत विधि विधान है। संस्कृत नाटकों में इनकी उपस्थिति अनिवार्य बन गई थी। महाकवि एवं नाटककार भास के नाटक की गणिका वसंत सेना के चरित्र की उज्जवलता ने उसे 'उपपत्नी' के स्थान पर पहुंचाया। मुद्राराक्षस व शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम की गणिका अत्यंत प्रभावशाली चरित्र है। उस काल के सामाजिक व साहित्यिक जीवन में गणिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती थीं।

बंगाल की वेश्याएं

'छोकरी' - जिससे मौसी रोटी, कपड़े व घर के बदले में यौन सेवाएं लेती थीं।

'अधिया' - जिसे अपनी कमाई का आधा हिस्सा मिलता था, शेष वेश्यालय का मालिक और मौसी लेती थी।

'स्वत' - नियुक्त या स्वतंत्र - जो स्वतंत्र होकर व्यवसाय करती थीं।

हर्षवर्धन के साम्राज्य पतन के बाद देश में अनेक छोटे-बड़े राजा, नरेश, सामंत उठ खड़े हुए, जिन्होंने हर स्तर पर वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया। कल्हण की राजतंरगिणी के अनुसार शौर्य-शृंगार तथा वीरता विलास के उस युग में तलवार व पायल दोनों की टंकार व झंकार से समाज में, राज दरबारों में नृत्य-संगीत का माहौल था। कथा साहित्यकार, पृथ्वीराज रासो, वीसल देव रासो सभी में वेश्याओं के आख्यान मिलते हैं।

इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर कई वेश्याओं और तवायफों के उदात्त चरित्रों व राज-काज में दखल देने आदि के वर्णन मिलते हैं। वैशाली की नगरवधू 'आम्रपाली', मुगलकालीन इतिहास की मालवा की 'रानी रूपमती' के किस्से अकबरनामा और

आईने-अकबरी में उसके पतुरिया, नर्तकी आदि नाम मिलते हैं। उसने और बाज बहादुर ने मिलकर माडू को नृत्य संगीत, गीत, कविता, ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्धि दिलाई। अत्यंत ही त्रासद परिस्थितियों में उसने आत्महत्या की।

शाहजहां के कारण बुरहानपुर की बोरवाड़ी की तवायफ 'गुलारा' ने भी अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाया। बादशाह जहांगीर के शासन काल में शाहजहां अहमदनगर के बुरहानपुर पहुंचा, जहां उसका प्रेम गुलारा से हुआ, जिससे न केवल उसने विवाह किया वरन दो बारादरियां बनवाईं और गुलारा के नाम पर महल गुलारा गांव के नाम कर दिया। उसकी मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई। औरंगजेब के साथ तवायफ हीराबाई जैनाबादी के प्रेम का दुखद अंत हीराबाई की हत्या करवा कर हो गया।

जोधपुर के महाराज गजसिंह, तवायफ अनारबाई के दीवाने थे। अनार बेगम के कहने पर उन्होंने छोटे कुंवर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। महान पेशवा बाजीराव और उनकी प्रिया मस्तानी जो मध्य प्रदेश के छत्रसाल की तवायफ थी, की बेटी थी उसके प्रेम-पाश में उलझ कर उसके विरह में नर्मदा नदी के किनारे अपने प्राण त्याग दिए।

मुगल सम्राट फर्रुख सियर और मुहम्मद शाह रंगीला के समय दिल्ली की मशहूर तवायफ लाल बाई का सिक्का पूरी दिल्ली में चलता था। बड़े अमीर, रईस जादे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को मनोरंजन तवायफों की महफिलें सजा कर ही होता था व उनकी गजलों में डूब कर उनकी सत्ता का सूरज डुबा बैठे।

रेड लाइट एरिया

जिस क्षेत्र में सेक्स उद्योग चलता हो उसे प्रायः 'रेडलाइट एरिया' कहा जाता है। कुछ रेड लाइट एरियाओं में वैध रूप से यह व्यापार चलता है और कहीं अवैध। 1894 में पहली बार रेडलाइट एरिया शब्द का इस्तेमाल किया गया। यह माना जाता है रेड लाइट शब्द का जन्म उस समय हुआ होगा, जब कोई रेलवे वर्कर जब वेश्यागृह में जाता था तो अपनी रेड लालटेन बाहर रख जाता था ताकि किसी ट्रेन के आने के समय उनकी आवश्यकता होने पर उन्हें ढूंढ़ा जा सके। पुराने चीन के वेश्यागृहों की पहचान के लिए 'रेड-पेपर' लालटेन लटकाई जाती थी। प्रथम विश्व युद्ध के समय बेल्जियम व फ्रांस के चकला घरों में अधिकारियों के लिए 'ब्लू लालटेन' व दूसरे रैंकों के लिए 'लाल लाइट' लगाई जाती थी।

जापान में पुलिस मानचित्रों पर रेडलाइन लगा कर वैध क्षेत्रों को रेखांकित करती थी और अवैध के लिए नीली लाइन खींचती थी।

मुगल सम्राट मुहम्मद शाह रंगीले और उनके प्रसिद्ध कवि धनानंद भी सुजाक नामक वेश्या के दीवाने थे। उसकी खातिर उन्हें देश निकाला भी मंजूर था। सुजान व धनानंद का प्यार इतिहास व साहित्य की धरोहर बना। सुजान को कविता सुनाने के लिए राजा की ओर पीठ कर बैठने में भी परहेज न था।

दिल्ली की मुन्नी जान के मुरीदों में सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब शुजाउदौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर का नाम लिया जा सकता है। मीर जाफर ने उसे बेगम बनाया। मुन्नीबाई की दोस्ती लार्ड क्लाइव वाटसन और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के किस्से भी इतिहास की किताबों में दर्ज हैं। उसके मरने पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन ने उसे श्रद्धांजलि दी थी।

महाराजा यशवंत राव होलकर व वेश्या केसर बाई के प्यार ने उसे कोठे से उठाकर महल की मलिका बनाया। पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह और तवायफ महाकौर, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की दालमंडी की प्रसिद्धि तवायफ माधवी के किस्से भी इस बात की गवाही देते हैं कि बाजार की रौनक समझी जाने वाली वेश्याओं के हुस्न के आगे राजा महाराजाओं ने अपने सिर नवाये ही नहीं बल्कि सल्तनत तक उनके हाथों सौंपी थी।

गणिकाओं व वेश्याओं ने प्रसिद्धि, शान-ओ-शौकत के दौर देखे। एक समय तक नृत्य संगीत पर उनका ही कब्जा बना रहा। भले घर की लड़कियां नृत्य संगीत नहीं करतीं, न ही नाटकों व थियेटर में काम करती थी। फिल्मों में पहले-पहल तवायफों ने ही महिला किरदार निभाने शुरू किए थे और उनके नाम की शोहरत फैली थी। अपने भावपूर्ण अभिनयों के दम पर उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की।

आर्य नरेशों के द्वारा दूसरे राजाओं को मैत्री के प्रतीक के रूप में वेश्याओं को उपहार स्वरूप दिया जाता था। यही नहीं कुछ लड़कियों को बचपन से ही बड़े यत्नपूर्वक चुन कर उन्हें जहरीली जड़ी-बूटियों और विषाक्त भोजन पर रखा जाता था। उन्हें विषकन्या कहा जाता था जिनका प्रयोग शुत्र राजाओं को मारने के लिए किया जाता था।

विश्व में सबसे प्राचीनतम व्यवसायों में से एक व्यवसाय वेश्यावृत्ति रही है। समाज ने भले ही इसे हाशिये पर रखा हो पर कभी भी इसके उन्मूलन की व्यवस्था नहीं की। अपितु यह कहकर इसका औचित्य ठहराया कि जब तक परिवार व्यवस्था है तब तक उसके समानांतर यह बनी रहेगी। भारत में जब से लिखित साहित्य के प्रमाण मिले हैं उनमें वेश्यावृत्ति के संदर्भ मिले हैं। ऋग्वेद में जहां इसके एक व्यवस्थित व स्थापित संस्था का रूप वर्णित है वहीं मिथकीय साहित्य में मेनका, रंभा, उर्वशी और तिलोत्तमा का उल्लेख मिलता है जो ब्रह्मांड सुंदरियां थीं और इन्द्र

के दरबार में नृत्य व संगीत के द्वारा सभासदों का मनोरंजन करती थीं। उन्हें धरती पर ऋषि-मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए भेजा जाता था। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए मेनका धरती पर आई थी और उसकी पुत्री शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में पली-बढ़ी जहां राजा दुष्यंत से उसका गंधर्व विवाह हुआ। उसी के बेटे भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा। कवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम इसी विषय पर विश्व का प्रसिद्धतम नाटक है।

तीसरी शताब्दी में वेश्यावृत्ति को धार्मिक स्वरूप भी दे दिया गया। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिरों में देवदासियों का जिक्र आता है देवताओं को परिवारों की ओर से सर्मपित इन लड़कियों को दक्षिण भारत में 'देवदासी' और उत्तर भारत में 'मुखी' कहते थे। मंदिरों में पूजा-अर्चना के समय इनकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। पुजारियों में नैतिकता के अभाव में इनका अनैतिक प्रयोग होना शुरू हो गया। मंदिरों में लड़कियों का यह धार्मिक समर्पण छदम रूप से वेश्यावृत्ति में विकसित हो गया।

मौर्य-कालीन समाज में स्त्रियों की दशा अधिक संतोषजनक नहीं थी। उन्हें घर की चारदीवारी में ही रहना पड़ता था। वे भोग की वस्तु तथा संतान उत्पत्ति का साधन मात्र समझी जाती थी। उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दी जाती थी।

मेगस्थनीज के अनुसार स्त्रियों को आध्यात्मिक तथा दार्शनिक ज्ञान की शिक्षा भी नहीं दी जाती थी। समाज में पर्दा प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। वेश्याओं पर कर लगाया जाता था और सरकार उनकी रक्षा का उचित प्रबंध करती थी। कई बार वेश्याओं को गुप्तचरों के पदों पर भी नियुक्त किया जाता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस पर विशेष प्रकाश डाला है।

गुप्तकाल में स्त्रियों की स्थिति में और गिरावट आई। बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन भी था। उनके लिए शिक्षा का द्वार बंद था। कन्या का विवाह, यौवन पूर्व करना अनिवार्य था। यह अंधविश्वास प्रचलित था कि जो माता-पिता आदि कन्या का विवाह उसके रजस्वला होने से पूर्व नहीं करते थे वे अपने मृत्यु पश्चात नरक जाते हैं।

राजपूत काल में स्त्रियों की स्थिति बद से बदतर होती गई। सती प्रथा व जौहर करने की प्रथा इसी समय शुरू हुई। समाज की कुछ स्त्रियां वेश्यावृत्ति भी करती थीं। देवदासी प्रथा का उदय भी इसी काल में हुआ था। दक्षिण में भी बहुत सी कन्याएं मंदिरों को समर्पित की जाती थीं। वे संगीत व नृत्य में प्रवीण होती थी। उन्हें विवाह करने का अधिकार न था। उनमें से अनेक गुप्त रूप से वेश्यावृत्ति में लिप्त होती थीं।

मध्यकाल में औरत व मंदिरों का महत्व बढ़ गया। औरंगजेब को छोड़कर

शेष सभी मुस्लिम शासकों के शासन काल में राजसी संरक्षण में वेश्यावृत्ति का व्यापार बढ़ा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजमहलों से ये नाचने-गाने वाली लड़कियां निकाल दी गई। वे किसी प्रकार के काम में प्रशिक्षित न थीं और समाज के पास भी उनको कोई काम देने के लिए न था। आर्थिक परेशानियों से घिर कर सिवाय जिस्मफरोशी के उनके पास कोई और उपाय न था।

ब्रिटिश राज के दौरान भी स्त्रियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ बल्कि बड़े पैमाने पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के लिए इन्हें भर्ती किया जाने लगा।

औरंगजेब को छोड़कर सभी मुस्लिम शासकों ने वेश्यावृत्ति को प्रश्रय ही दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजसी महलों के बाहर इन नाचने-गाने वाली तवायफों को बाहर निकाल दिया गया था। वे किसी प्रकार के व्यवसाय शुरू करने में न तो समर्थ थीं, न ही उनमें कोई हुनर था। समाज के पास भी उनके लिए कोई धंधा नहीं था जिसे वे अपना सकें सिवाय उस धंधे के जो समाज में सबसे निष्कृट माना जाता है यानि यौनकर्म 'वेश्यावृति' अपनाने का। जिसके पास कोई शिक्षा नहीं, कोई कौशल नहीं है और घरेलू नौकरानी या मजदूरी जैसे काम करने की इच्छा नहीं है उन्हें यह सरल व्यवसाय लगता है।

ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भी महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। 1806 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार कलकत्ता की 82 गलियों में 2540 महिलाएं थीं। वे कोलकाता के रेवेन्यू का 6 प्रतिशत कर भरती थीं।

19वीं शताब्दी में विधि सम्मत वेश्यावृत्ति सामाजिक विवाद का कारण बनी क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन ने (कान्टीजियस डिसीज एक्ट) संक्रामक रोग अधिनियम पारित किया जिसमें जिस वेश्या के रोगग्रस्त होने की शंका होती थी उसकी पेल्विक जांच अनिवार्य की गई। कई नारीवादी संगठनों ने यह संघर्ष किया कि वेश्यावृत्ति को अवैध घोषित करे और यह सरकार द्वारा विनियमित विवाद नहीं होनी चाहिए या महिलाओं पर इस प्रकार की चिकित्सा जांच नहीं थोपी जानी चाहिए। यह कानून उनके उपनिवेश देशों पर भी लागू किया गया।

मूलतः युनाइटेड किंग्डम में वेश्यावृत्ति वैधता को 1900 से 1915 के बीच वूमेन क्रिसिटन टेम्परेंस यूनियन के प्रभाव के कारण इसे अवैध करार कर दिया गया। यह यूनियन ड्रग प्रयोग और शराब के प्रतिबंध लागू करवाने में प्रभावशाली संस्था थी। 1917 में स्थानीय लोगों के प्रभाव से न्यू आरतिन में वेश्यावृत्ति जिले बंद कर दिए गए। 1953 तक अलास्का में वेश्यावृत्ति वैध रही और नेवेदा के कुछ देशों में अभी तक वैध है। 1980 की शुरूआत में जहां वेश्याएं एच.आई.वी. पोजीटिव पाए गए वहां कुछ देशों ने उन पर जुर्माने लगाए। ये कानून अक्सर 'फेलोनी प्रास्टीच्यूशन

लॉ' के रूप में जाने जाते हैं जिसमें वेश्यावृत्ति के जुर्म में गिरफ्तार व्यक्ति का एचआईवी परीक्षण होता है और वह पोजीटिव हुआ तो उसे यह सूचित किया जाता है कि वेश्यावृत्ति के लिए भविष्य में की जाने वाली गिरफ्तारी 'फेलोनी होगी न कि' मिनडेमन्योर फेलोनी वेश्यावृत्ति के लिए अलग-अलग देशों में अलग-अलग दंड है और यह 10 से 15 वर्षों का कारावास है।

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, शरत चन्द्र चट्टोपाध्याय, शरेन्द्र बन्द्योपाध्याय, माणिक बन्द्योपाध्याय, महाश्वेता देवी, सुनील गंगोपाध्याय, सुब्रतो मुखोपाध्याय और अन्य लेखकों ने अपनी रचनाओं में इनकी पीड़ा, खुशी, आंसू भक्ति आदि की बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति की है जिस कारण इनके प्रति समाज में समानानुभूति व सहानुभूति के दर्शन होते हैं।

बंगाल के यौन कर्मियों ने बंगाली थियेटर व फिल्मों के विकास में काफी योगदान किया। उन दिनों फिल्मों, थियेटर व नाच-गाने को अच्छा नहीं समझा जाता था।

बंगला थियेटर में एलोकेशी, गोलय, बाला श्यामा, जगतारिवी, बिनोदिनी, टिंकरी, मनदासु और इंदुबाला कुछ मशहूर नाम थे और ये सभी यौन-कर्मी थीं। इन्दुबाला ने 55 नाटकों, 50 फिल्मों में काम किया। वह यूनाइटेड वूमेन काउंसिल जो कोलकाता के यौन कर्मियों का पहला संगठन था, संस्थापक अध्यक्ष भी थी। 28 जुलाई, 1958 को कोलकत्ता में यौन-कर्मियों की पहली कान्फ्रेंस उसने आयोजित की थी, जिसमें सरकार की उन योजनाओं के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, जिसमें उन्हें अपने कार्य स्थल से हटाने के लिए बनाया जा रहा था। कान्फ्रेंस में यौन-कर्मियों को मानवाधिकार देने का मुद्दा उठाया गया था, पर कहीं कोई सुनवाई न होने के कारण इनके संगठन ने अपने सहकर्मियों को खुला पत्र लिखकर आह्वान किया।

'हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां हर कोई अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। हम भी ऐसा क्यों न करें? हमारे देश के समाज में हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। हमें अपना समाज बनाना चाहिए। धीरे-धीरे हमें हमारे अपने स्कूल, चैरिटेबल अस्पताल, लाइब्रेरी, दुकानें और गरीबों की मदद के लिए कोष बनाने चाहिए। इसके लिए हमें मानव शक्ति, धन व मन की शक्ति चाहिए ताकि हम अपनी इस भावना को कार्य रूप दे सकें।'

इन्दुबाला के उसके सहयोगियों के प्रयासों की इसके बाद की जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है पर 1948 में उनकी मृत्यु के एक दशक के बाद सोनागाछी प्रोजेक्ट के रूप में यौन-कर्मियों के हितों की दिशा में सार्थक प्रयास शुरू हुए। यौन-कर्मियों में अपने हितों की पहली आवाज 1958 में शुरू की, यानि पचास बरस से वे अपने

अधिकारों का मुद्दा उठा रही हैं, पर चूंकि वे एक कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं इसलिए उनकी आवाज नक्कारखाने की तूती साबित होती है।

विश्व के कई भागों में जब शहरों के भीतर वेश्यागृह बनने लगे तो कुछ क्षेत्रों में दूसरी औरतों से भिन्न दिखने के लिए वे कभी बहुत छोटे बाल या बिल्कुल ही गंजी रहने अथवा बुर्का पहनती, जहां दूसरे महिलाएं नहीं पहनती थी कुछ सोसायटी में वेश्याओं को सार्वजनिक स्थानों पर नाचना-गाना पड़ता था।

18वीं शताब्दी में वेनिस में वेश्याओं ने कंडोम पहनने शुरू किए थे।

विश्व के हर भाग में देवदासी प्रकार की वेश्यावृत्ति सदियों से विद्यमान है। पहले समय में वेश्याएं स्वतंत्र व प्रभावशाली होती थी वे कर भुगतान करती थीं। छठी शताब्दी में ग्रीस में एथेन्स का पहला वेश्यागृह 'सोलोन' था।

मध्य युग में शहरी इलाकों में वेश्यावृत्ति मौजूद थी। कैथोलिक चर्च द्वारा विवाह संस्था से बाहर सभी यौन गतिविधियां पाप थीं पर वेश्यावृत्ति सहनीय इसलिए थी कि यह बलात्कार व कामुकता की बुराई को कम करती थी। आगिस्टन आफ हिप्पो ने इसे आवश्यक बुराई माना जैसे कि एक महल में अच्छी सीवरेज व्यवस्था होनी चाहिए उसी तरह एक नगर में वेश्यालय चाहिए।

वेश्यालय नगर की परिधि के बाहर बनाए जाते थे।

कलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की 1867 की रिपोर्ट से यह दृष्टिगत होता है कि लगभग तीन हजार महिलाएं अनैतिक आय पर निर्भर थीं। 1880 में रजिस्टरों में 2,458 वेश्यागृह मालिकों व 7,000 वेश्याओं का रिकॉर्ड है। उनमें से 8-10 वेश्यागृह के मालिक ही विदेशी थे और 1894 में 36 खरीददार व 50 वेश्याएं थीं।

1911 की जनगणना के अनुसार (कलकत्ता रिपोर्ट) के अनुसार कलकत्ता में कामकाजी महिलाओं में 25 प्रतिशत वेश्यााएं थी। आंकड़ों के अनुसार 14,271 वेश्याएं 22,401 घरेलू सेवाएं, 11929, औद्योगिक क्षेत्र व 8,449 व्यापार क्षेत्रों में काम करती थीं।

1921 व 1931 की जनगणना में भी इनकी संख्या क्रमशः 10,814 और 7970 थी। कलकत्ता में उस समय भी वेश्याओं के कई रूप थे। सड़कों के किनारे खड़े होकर धंधा करने वाली महिलाओं के पास आने वाले ग्राहक गरीब छोटे लोग आते थे। ये एक कमरे के कच्चे घरों में रहती थीं।

इससे ऊंचे वर्ग की वेश्याएं पक्के घरों में रहती थीं। इनके पास आने वाले ग्राहक अपेक्षाकृत अमीर लोग होते थे। इनके बाद अपेक्षाकृत खूबसूरत, व्यवहार-कुशल वेश्याएं एक मंजिला पक्के घरों में रहती थी। सरकारी बाबू उनके ग्राहक होते थे। इसके बाद उन वेश्याओं का वर्ग था जो किसी एक के साथ 'बंधे' व 'छोटू' रूप

में जुड़ती थी। जिन वेश्याओं के पास नियमित ग्राहक आते थे वे 'बंधा बाबू' कहलाते थे। इन वेश्याओं को नियमित रूप से मासिक आधार पर एक सौ रुपये से लेकर एक हजार रुपये तक मिलते थे। 'छोटू' शृंखला के दाम कम थे। जिन्हें गाने-बजाने का शौक होता था उनकी कमाई अधिक होती है।

कोलकता में 'लालटेन वाला' जो उस समय नगर की लेम्प पोस्ट जलाया करते थे, दलालों का काम करते थे और नाविकों को वेश्याओं के कोठों का रास्ता बताते थे।

'बंधा बाबू' का समय सप्ताह में किसी खास समय नियत होता था। दूसरे समय में कोई भी 'छोटू ग्राहक' आ सकता था। खास समय में आने वाले 'टाइमर बाबू' भी कहलाते थे। सोनागाछी व रूपागाछी में इनकी संख्या अधिक थी। नाच-गाने के अलावा साहित्य में भी विशेषकर इनकी रुचि होती थी, जिनके बारे में वे अपने 'बाबू' से चर्चा भी करती एक वर्ग रखैलों' का भी था जो किसी एक जमींदार, अमीर-पुरुष के साथ कुछ समय तक रहती थी। स्ट्रीट वॉकर रात के समय सड़कों पर निकलती थीं।

इनकी वृद्धावस्था भिखारी रूप में ही निकलती थी। कुछ ही वेश्याएं वेश्यागृहों की मालकिन बन पाती थीं। जिनकी लड़कियां होती थी वे उन्हें धंधे पर लगा कर बुढ़ापे में आजीविका के लिए मोहताज न होती थीं। जिनकी लड़की न भी होती थी वे कहीं से गोद ले लेती थीं, ताकि बुढ़ापा सुख से बीत सके। कई बार उन्हीं वेश्यागृहों में नौकरानी बन कर रहना भी उनकी नियति होती थी।

ग्राहकों के इंतजार में कभी-कभी पूरी रात खड़े रहना, मौसम, दिन-त्योहार के अनुसार उनकी संख्या में कमी या वृद्धि होती थी।

उस जमाने की वेश्याओं की स्थिति का वर्णन करते हुए लेखकों ने कुलीन स्त्री से उनसे भेद कर पाना कठिन माना। उनकी वेशभूषा, पहनावा, जेवरात आदि बेशकीमती होते थे। 'बाई जी' उनके पहनावे पर इतना खर्च करवा के उन्हें अपना कर्जदार बनाए रखती थी।

ग्राहकों की सूची में व्यापारी, मारवाड़ी, हाट बाबू ही नहीं—जज, मजिस्ट्रेट, बेरिस्टर, वकील, डॉक्टर, स्कॉलर, लेखक, संपादक सभी शामिल थे। शहर के संभ्रांत, भद्रलोक इन कोठों पर रात के अंधेरे में पहुंचते व दिन के उजाले में उनकी बुराई करते थे। उच्च श्रेणी की वेश्याएं वात्स्यायन के कामसूत्र में उल्लिखित गणिकाओं की तरह अपनी पसंद, रुचि के अनुसार ग्राहकों को इंकार भी करती थीं। भद्र लोक व छोटे लोक में वे भेद करती थीं। 'छोटे लोक' को अधिक रुपए देने की हैसियत रखने पर भी वे हामी नहीं भरती थीं।

उच्च श्रेणी की वेश्याएं अपनी इच्छा से एक या दो ग्राहक लेती थीं, तो निम्न तबके की वेश्या को दर्जन भर ग्राहकों को 'बाई जी' के आदेश से संतुष्ट करना पड़ता था। ग्राहक उम्र के हिसाब से जवान-बूढ़े सभी होते थे। अमीरी-गरीबी यहां मायने नहीं रखती थी। बाइस्कोप देखने का बहाना बना कर यहां पहुंचे लड़के समय पर घर भी पहुंच जाते थे। 'बंधा बाबू' अपने नियत समय पर हर रोज आते व मासिक भुगतान करते थे।

भगवान जगन्नाथ की 'स्नान यात्रा' में शामिल होने के लिए जाने वाले बाबू लोग अपने साथ वेश्याओं को भी नावों में बिठा कर साथ ले जाते थे, जो पूरे रास्ते उनका मनोरंजन करती थी। उन दिनों 'बंधा खनकी' व रांड को रखना उनके वैभव के प्रदर्शन का प्रतीक होती थी। कई-कई दिन उसी के घर रह जाना व अक्सर घर न लौटना प्रतिष्ठा का प्रतीक होता था। ऐसे पुरुषों की पत्नियां अपने पति के इस व्यवहार को बड़े गर्व से बताती थीं।

उन दिनों भी दलाल, मौसी और देह व्यापारी इस धंधे के आधार स्तंभ होते थे। भोली-भाली लड़कियों को चुरा कर लाना, मेलों से उठा कर लाना आम बात थी। धार्मिक मेलों के दौरान गांव की लड़कियों का गुम हो जाना और उन्हें कोठों पर पहुंचाने वाले गिरोह काफी सक्रिय रहते। उनसे शादी करना या शादी के लिए लड़का ढूंढना फिर उन्हें कोठे पर पहुंचाने का एक कारगर तरीका आज भी है और उस समय भी था।

केशव चन्द्र सेन, सिवानाथ शास्त्री, देश बंधु चितरंजन और गौरी शंकर तारकबगीश जैसे प्रतिष्ठित नेताओं ने इस समस्या पर गंभीरता से चिंतन किया। 1857 में केशव चंद्रसेन लिवरपुल में श्री जोसफिन बटलर से मिले और उन्हें भारत में अवस्थित ब्रिटिश सैनिकों को भारतीय व जापानी लड़कियां भेजने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए कहा। उनके आश्वासन पर इंग्लैंड की आल इंडियन सोशल एंड मॉरल हाइजिन एसोसिएशन ने भारत में भी काम करना शुरू किया था।

1868 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने वेश्याओं के विरुद्ध कुछ विनियम जारी किए। 1869 और 1877 में गवर्नर अंगूरी ने ब्रिटिश सैनिकों को वेश्याओं के पास जाने से रोकने व उनकी संगति से बचने के लिए आदेश दिए गए और वेश्यालयों का नियंत्रण करने के आदेश दिए। पहली बार ब्रिटिश काल में वे कानून के घेरे में लाई गईं।

1843 में स्ट्रीट बॉकर वेश्याओं के व्यवहार पर समाचार पत्रों में आलोचना होती रही पर इतिहास गवाह है कि पुलिस व बाबूओं के संरक्षण से स्थितियों में बदलाव नहीं आया।

1841 में संवाद भास्कर के संपादक ने वेश्याओं के प्रति समाज के रवैये पर

विचारोत्तेजक संपादकीय लिखा। इस समस्या पर इम्पीरियकल रिपोर्ट प्रकाशित की जिसे बंगाल में वेश्याओं पर जारी पहली रिपोर्ट माना जाता है। कोठों पर हिन्दू-मुस्लिम लड़कियों का कोई भेद न था। हर कोठे पर कई भगवानों की मूर्तियां लगाना व पूजा करना, दुर्गा पूजा व कार्तिक माह में विशाल पूजा स्थलों, पांडालों के आयोजन में ग्राहकों का दिल खोलकर रुपया लुटाना आम था।

यूं तो राजाओं व नवाबों के दरबारों में नाच-गाने की महफिलें जमती थीं पर ब्रिटिश शासन काल के दौरान ये अलग तरीके से लोकप्रिय हुआ। अपने परिवारों से हजारों मील दूर आए साहब व मेमसाहब के लिए नाच-गाने की महफिल शामों को रंगीन करने के लिए सजाई जाती। दुर्गा पूजा के दौरान कलकता के रईसों के यहां नाच के कार्यक्रम रखे जाते। भारतीय बाबू यूरोपियन अधिकारी को खुश करने के लिए उसे नाच दिखाने ले जाया करते थे। नए आए अधिकारियों को भी नाच दिखाने के लिए लेकर जाना उनके मित्रों की जिम्मेदारी होती थी।

1880 से शुरू होकर लगभग 1890 तक हर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नाच का आयोजन करवाया जाता जिसमें वाइसराय, गवर्नर, कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट आदि भाग लेते थे पर धीरे-धीरे पश्चिम में इसके विरुद्ध आवाज उठी। कलकता में वेश्यावृत्ति की समस्या के बढ़ने व ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय लड़कियों की सप्लाई करने व महिलाओं व लड़कियों को कानून से सुरक्षा न मिल पाने के कारण नैतिकता के मुद्दे पर तीव्र प्रतिक्रियाएं होने लगीं। भारत में मिशनरियों ने नाच के मुद्दे को ईसाइयत के विरुद्ध महसूस कर इस पर ध्यान देना शुरू किया। नाच के विरुद्ध 1200 लोगों के हस्ताक्षर वाली याचिका वाइसराय व मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल की गयी कि नाचने वाली लड़कियों को सरकारी संरक्षण देना बंद किया जाए। नाच के विरुद्ध यह आवाज इसलिए अधिक उठी क्योंकि अधिकांश नाचने वाली लड़कियां वेश्याएं होती थीं, जो नहीं भी होती थीं उन्हें भी वेश्या समझा जाता।

इस अध्ययन रिपोर्ट के तैयार होने के दौरान एक बारह वर्ष की लड़की को वेश्यालय से छुड़ाकर उसके ससुर के पास भेजा गया और उसे बहू स्वीकार करने और उसकी आय का 40 प्रतिशत बहू को देने का विलेख हस्ताक्षर करवाया गया। उन दिनों इस प्रकार का बचाव कार्य कम ही होता था पर असंभव कुछ नहीं होता है यदि कोई स्थितियां बदलना चाहे।

इस दौरान उन्हें शहरों से बाहर खदेड़ने के प्रयास कई बार किए गए पर स्थितियों में सुधार नहीं हुआ।

1868 में भारतीय संक्रामक रोग अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में यौनरोगग्रस्त वेश्याओं के उपचार के लिए अनिवार्य चिकित्सा उपचार भी शामिल

किया गया। उन्हें कुछ खास क्षेत्रों में रहने से वर्जित किया गया। इस अधिनियम का काफी विरोध किया गया। जिसके बाद एक कमेटी गठित की गई जिसमें चार चिकित्सा अधिकारी, उसके सदस्य व सिविल सर्वेन्ट एम.बी.डब्ल्यू. कोलविन इसके अध्यक्ष बनाए गए। इस कमेटी को दिए गए बयान में पुलिस उपायुक्त का मत था कि इससे केवल यूरोपियन को फायदा मिलेगा। कोलविन कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि अधिनियम के लागू होने से रतिरोग बीमारी में कमी आई है। विभिन्न विरोधों के बावजूद यह कानून लागू रहा पर इस प्रयोग के तौर पर इसे कलकत्ता में स्थगित कर दिया गया।

इसी दौरान 'सामाजिक शुचिता' अभियान कलकत्ता के मिशनरियों की ओर से चलाया गया। उनका मत था कि यह बुराई खत्म नहीं की जा सकती पर इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। उन्हें सड़कों पर नहीं अपने अंधेरे घरों में लौट जाना चाहिए। देह व्यापार में लड़कियों को लाने से रोका जाना चाहिए। उन्हें इस बात से शर्म महसूस होती थी कि जिन घरों में संभ्रान्त परिवारों को रहना चाहिए वहां वेश्याएं रहती हैं जिस कारण संपति के दामों पर बुरा असर पड़ता है। 1880 के आंकड़ों के अनुसार उस समय 2, 458 वेश्यागृह मालिक व 7,000 वेश्याएं थी जो पूरी जनसंख्या का दस प्रतिशत बनती थी। 1883-84 के जनगणना आंकड़ों में इनकी संख्या 20 हजार के लगभग थी जिनका नियंत्रण पुलिस के बस में नहीं था। पुलिस आयुक्त का मत था कि आम जनता की शिकायत पर वेश्यागृह बंद कर दिए जाने चाहिए। तदनुसार 1892 और 1894 में कई वेश्यागृह बंद किए गए। आम जनता की कई शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। 1923 में कलकत्ता सप्रेशन आफ इम्मॉरल ट्रैफिक बिल (कलकता अनैतिक व्यापार निवारण बिल) बंगाल लेजिसलेटिव विधान परिषद में प्रस्तुत किया गया। जिसे वेश्यागृहों महिलाओं के अनैतिक व्यापार और मेलजोल और ऐसे ही अन्य उद्देश्यों के लिए बेहतर प्रावधान के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया।

इस बिल में यह सुझाव दिए गए कि उत्प्रेरक के लिए वर्तमान जुर्माने में वृद्धि करना, वेश्यागृहों में अवयस्क लड़कियों का प्रभार लेने के लिए प्राधिकारियो के हाथों को मजबूत करना, पुलिस को शक्ति प्रदान करने ताकि वे किसी मकान के वेश्यागृह के रूप में प्रयोग को निरस्त करने के आदेश दे सकें। इसके लिए वर्तमान कानून को संशोधित करना और पुलिस आयुक्त को अपने अधिकार क्षेत्र से खरीददारों, दलालों व वेश्यागृह के मालिकों को निर्वासित करने के आदेश देने के लिए अधिकार दिए जा सकें।

सिलेक्ट कमेटी ने इस बिल को पास कर दिया और 1923 का अधिनियम

बनाया गया। इस अधिनियम की विशेषता यह थी कि अवयस्क लड़कियों को वेश्यालयों से मुक्त कराने और उन्हें उपयुक्त संस्थाओं में रखने के महत्व को समझा गया। सोलह वर्ष से कम उम्र की लड़की को छुड़ाने के पुलिस को अधिकार दे दिए गए; छुड़ाई गई लड़कियों को किशोर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता ताकि उनको सुरक्षित स्थान पर रखने के आदेश दिए जाएं।

उस समय वेश्याएं लाइसेंस प्राप्त वेश्यागृहों में रहती थीं और अपनी आय का कुछ प्रतिशत उन्हें भुगतान करती थीं। उनके पास अपना घर या कोई फर्नीचर नहीं होता था इसलिए अपनी आय में से ही इन खर्चों का उन्हें भुगतान करना होता था। जिस भी वेश्या का रजिस्ट्रेशन हुआ होता था उन्हें अपने पते में परिवर्तन की जानकारी 24 घंटे के भीतर पुलिस कमिश्नर को देनी होती थी। इन लाइसेंस शुदा वेश्यालयों में रहने वाली वेश्याएं वेश्यागृह के मालिक के कर्ज में ही डूबी रहती थीं। यही नहीं प्रति सप्ताह उसे चिकित्सा जांच करवानी पड़ती थी। डिस्पेंसरी का डॉक्टर नियत समय में वेश्यालयों में जाकर उनकी जांच करता था। इन चिकित्सा जांचों को डॉक्टर एक रजिस्टर में नोट करता था और संबंधित लाइसेंसशुदा वेश्यालय की पास बुकों में भी वही प्रविष्टियां की जातीं। यदि किसी को यौनरोग होता तो उसे धंधा छोड़ने की चेतावनी दी जाती। यदि वह किसी लाइसेंस शुदा वेश्यागृह में रहती तो उसकी मालकिन को भी चेतावनी दी जाती है कि उसके पास किसी ग्राहक को न आने दें।

वेश्यावृत्ति अवैध घोषित

अफ्रीका *कीनिया, नैरोबी, कोएनगे स्ट्रीट*

दक्षिण अफ्रीका *डरबन*

कम्बोडिया

बीजिंग *शंघाई*

हांगकांग

जापान क्योतो, ओसाका, टोकियो

दक्षिण कोरिया में 2004 में अधिक सख्त कानून बनाए गए।

मलेशिया-कुआलालम्पुर

पाकिस्तान में (हैदराबाद, कराची, लाहौर में), फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाइलैंड, आस्ट्रेलिया में हर क्षेत्र के अलग कानून हैं। बेल्जियम, स्पेन, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में वैध है।

नीदरलैंड में वैध है।

भारत	*चकला अवैध है अथवा सार्वजनिक स्थानों में मनाही है।*
दिल्ली	*चावड़ी बाजार, जीबी रोड*
कोलकत्ता	*सोनागाछी*
मुम्बई	*कमाठी पुरा*
पुणे	*बुधवार पेठ*
मुजफ्फरपुर	*चतुर्भुज स्थान*

यदि वह बीमार होती तो उसे अस्पताल में भर्ती होने व चिकित्सा अधिकारी को दैनिकी बही में उसका नाम दर्ज करना पड़ता। हस्पताल से छुट्टी मिलने पर रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर को भेजी जाती व चिकित्सा अधिकारी अपनी बही में फिर प्रविष्टि करता। चिकित्सा अधिकारी के दौरे के समय वेश्या को अनुमोदित पैटर्न की जांच-कुर्सी, वैजाइनल स्पेकूला, एंटीसेप्टिक लोशन व कॉटन, अपने वाशिंग एप्रेटस, सिरिंज व स्पांज उपलब्ध करवाने होते थे। यदि चिकित्सा अधिकारी के दौरे के समय कोई वेश्या उपस्थित न हो तो उसकी सूचना पुलिस कमिश्नर को भेजी जाती ताकि आपराधिक मामला दायर हो सके। वेश्यालयों में न रहने वाली वेश्याओं को भी पन्द्रह दिन में एक बार डिस्पेंसरी जाकर जांच करवानी पड़ती।

बिना सूचना दिए धंधा छोड़ने वाली वेश्या को जेल हो सकती थी।

वेश्या के रूप में रजिस्ट्रेशन पुलिस कमिश्नर के द्वारा किया जाता। परंतु 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की, कोई कुंवारी लड़की चाहे तो उसे पुलिस सुधार गृह में भेज देती थी, गर्भवती महिला, विवाहिता पर विधिक तौर पर तलाकशुदा नहीं, यौन रोग ग्रस्त को वेश्या नहीं बनाया जाता था। उनके नाम को रजिस्टर नहीं किया जाता था। यौन रोगग्रस्त महिला को अस्पताल भेजा जाता था। किसी महिला के नाम को रजिस्टर तभी किया जाता, यदि वह स्वयं अनुरोध करे या वेश्यागृह के मालिक के अनुरोध पर या फिर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर उसे रजिस्टर किया जा सकता था। रजिस्ट्रेशन से पूर्व उसे अपनी पहचान व अधिवास की जानकारी देनी पड़ती। उससे कुछ प्रश्नों के लिखित उत्तर देने के लिए कहा जाता जिसमें उसका नाम व घर का पता, उम्र, उसके पिता का नाम, पता व व्यवसाय, विवाहित, पत्नी अथवा विधवा, यदि विवाहिता है तो पति का नाम व पता तथा उसके बच्चे यदि हैं तो वे कहां पर हैं, की जानकारी ली जाती।

उसकी उम्र का सही पता लगाने के लिए कभी उसके मूल निवास पर भी पुलिस जाती थी। किसी अवयस्क लड़की को केवल तभी रजिस्टर किया जाता यदि पुलिस महसूस करती कि उसका नैतिक पतन हो चुका है और उसका सुधार संभव नहीं है। यदि सुधार की थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो उसे सुधारने के प्रयास किए

जाते। उसके परिवार को उसे सुधारने के लिए कहा जाता व यदि परिवार उसे वापिस लेने के लिए तैयार होता तो उसे वापिस भेज दिया जाता।

यदि कोई लड़की चोरी छिपे वेश्यावृत्ति कर रही होती थी तो उसके पकड़े जाने पर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता था, पर जब तीन या चार चेतावनियों के बाद भी वह यह काम नहीं छोड़ती तो उसका नाम रजिस्टर्ड वेश्याओं की सूची में शामिल कर लिया जाता। प्रत्येक रजिस्टर्ड वेश्या के पास उसके नाम व रजिस्ट्रेशन संख्या को दर्शाने वाला कार्ड होता, इसमें आवधिक चिकित्सा जांच की रिपोर्ट का भी एक कॉलम होता था।

1929 में यह रजिस्ट्रेशन पद्धति बंद कर दी गई। पर इससे पूर्व 1884 में वेश्यालयों का रजिस्ट्रेशन आंशिक रूप से बंद कर दिया गया, जिसे अंततः 1888 में सरकारी कागजों में बंद कर दिया गया।

1889 में एक नया कन्टोनमेंट एक्ट पारित किया गया जिसे 1893 में संशोधित कर अनिवार्य व आवधिक जांच पर प्रतिबंध लगाया गया। जिसके कारण सैनिकों में रतिरोग के मामले बढ़ गए। 1897 में एक नया कन्टोनमेंट एक्ट बनाया गया जिसमें मिलिट्री प्राधिकारियों को कन्टोनमेंट क्षेत्रों में वेश्याओं के रहने या घूमने पर प्रतिबंध और वेश्यालयों को हटाने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत इस बीमारी के रोगी को डिस्पेंसरी जाकर इलाज कराने के आदेश दिए गए। कलकत्ता में इसके बाद पुलिस उन्हीं मामलों में हस्तक्षेप करती जब कोई लड़की किशोरी हो और वेश्याएं सार्वजनिक स्थानों पर अभद्र या अश्लील ढंग से व्यवहार कर रही होती। पुलिस यदि वेश्या को न पहचानती हो तो उसे अपना परिचय देना पड़ता और परिचित वेश्या के विरुद्ध पुलिस केस दर्ज करती। पकड़ी गई लड़की को सरकारी सुधार-गृह में अवयस्क को अवयस्कों के लिए बनाए गए सुधार गृह में भेजा जाता।

कई बार स्थानीय निवासियों की शिकायत पर कुछ रास्तों व गलियों में वेश्यागृहों व वेश्याओं के आने-जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता।

वेश्यागृह के विनियम का दायित्व पुलिस कमिश्नर के पास था और मोरॅल नैतिक पुलिस वेश्याओं व वेश्यागृहों के सामान्य पर्यवेक्षण, जिस वेश्याओं का रजिस्ट्रेशन न हुआ हो और विभाग ने उनकी पहचान की हो, वेश्याओं का रजिस्ट्रेशन, महिलाओं के देह व्यापार का नियंत्रण, वेश्याओं के व्यवहार के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर जांच करना, पुलिस कमिश्नर के निर्णयों के विरुद्ध दायर याचिकाओं की सुनवाई व वेश्याओं से संबंधित विनियमों के लागू करने में समानता के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण देखती थी।

व्यावसायिक वेश्यावृत्ति के अभियोग में पहली बार पकड़ी गई महिला को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता। यदि कोई परिस्थितियों वश वेश्यावृत्ति कर रही हो तो कहीं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई से उसका समाज में लौटना मुश्किल न हो जाए, इसके लिए उसे उसके परिवार तक पहुंचाने के प्रयास किए जाते। अवयस्क लड़कियों के मामले में अनिवार्यतः ऐसा ही किया जाता। जो महिलाएं पहली बार की दोषी न हो उन्हें जेल भेज दिया जाता।

सुधार गृह

कलकाता सप्रेशन ऑफ द इम्मॉरल ट्रैफिक एक्ट के तहत सुधार गृह भी बनाए गए थे। इन सुधार गृहों में किसी लड़की को रखने का खर्च 23 रुपए होता था जिसमें से रुपए 10/- सरकार की ओर से शेष निजी संसाधनों से जुटाए जाते थे। इन गृहों में उन्हें नीडल वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, अचार-चटनी-जैम बनाना व अपने पैरों पर खड़े होने के अन्य उपाए बनाए जाते।

कोलकाता में उस समय साल्वेशन आर्मी वूमेन्स इंडस्ट्रियल होम फॉर गर्ल्स, कलकाता प्रोटेस्टेंट होम, नारी रक्षा समिति, मैत्री सदन, अबला आश्रम, हिन्दू नारी कल्याण आश्रम, हिन्दू अबला आश्रम वूमेन प्रोटेक्शन कमेटी ऑफ द बंगाल हिन्दू सभा में इन्हें सभी संभव व आवश्यक सहायता प्रदान की जाती थी।

ब्रिटिश शासन-काल में वेश्याओं के कारण उनके साम्राज्य में संक्रामक रोग बढ़ा जिस कारण जहां उनके उपनिवेश थे वहां उन्होंने संक्रामक रोग अधिनियम लागू करने की व्यवस्था की भारत में भी यहां के रेड लाइट क्षेत्रों के लिए यह अधिनियम लागू किया गया। भारत में संक्रामक रोग अधिनियम के लागू होने के बाद सैनिकों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुए 1868 में रोगग्रस्त सैनिकों का प्रतिशत 19.2 प्रतिशत था जो 1870 में घटकर 13.6 प्रतिशत तो हुआ परंतु अगले वर्ष दुबारा पुरानी स्थिति में आ गया। कलकत्ता में जून से दिसंबर 1869 में पुलिस में 1418 यौन-कर्मियों को गिरफ्तार किया। कोलकाता की 1527 और उपनगर की 499 यौन-कर्मियों ने कानून के खिलाफ याचिका भी दायर की। उस समय एक रिपोर्ट के अनुसार कलकत्ता में 30,000 यौन कर्मी थीं। 1870 में केवल 6000 ही अधिनियम के तहत पंजीकृत थी। बिना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के उन्हें अच्छे ग्राहक मिलने असंभव थे। वे या तो अपराधी वर्ग में थीं या पीड़िता थीं। उन्हें सामान्य जीवन का अधिकार नहीं था। 1911 में गांधी जी से मिलकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना चाहा पर बिना नन बने वे देश सेवा नहीं कर सकती थीं।

1923 में कलकत्ता सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक एक्ट पारित किया गया

जिसके बाद वेश्यागृहों पर छापे मार कर अवयस्क लड़कियों को बचाने का अभियान तीव्र हुआ। उनके पुनर्वास कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने 1935 में 50 यौन-कर्मियों जिनका पुनर्वास किया गया था, का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट में बताया कि 66 प्रतिशत की शादियां तो हुई पर 42 प्रतिशत की शादियां टूट गईं। उसमें से कुछ दुबारा वेश्यावृत्ति करने लगीं। यौन कर्मियों को नियंत्रित करने, उन्हें सुरक्षा देने, बचाने या सुधारने जैसी स्थितियों पर ही अक्सर विचार किया जाता है। 9 मई 1950 को न्यूयार्क में अनैतिक देह व्यापार रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन पर हस्ताक्षर करने के बाद अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956 पारित किया गया। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान, महिलाओं के एक वर्ग ने आउट हाउसों में वेश्याओं के साथ रंगरेलियां मनाने और रखैल रखने के व्यवहार का विरोध किया था।

नाडिया जिले की कुछ महिलाओं के ऐसे पत्र संचार दर्पण के संपादक को लिखे गए जिसमें यह उल्लेख किया गया कि कोई स्त्री यदि इस प्रकार का व्यवहार रखती है तो उसे कुलटा कहकर परिवार से अलग-थलग कर दिया जाता है। जो पुरुष यह निर्णय करते हैं वे तो आऊट हाउसों में उनकी संगत में मौज-मस्ती करते हैं और न तो उनकी शोहरत पर कोई आंच आती है और न ही परिवार की प्रतिष्ठा पर दाग पड़ता है, न ही समाज से परे धकेले जाते हैं। इन महिलाओं ने यह अनुरोध किया कि इसके लिए कोई शास्त्र सम्मत विधान बताए और ऐसे में महिलाओं के क्या कर्तव्य हों और ऐसे व्यवहार कैसे बन्द हो।

उन्होंने यह भी लिखा कि पुरुष ही महिलाओं को कुलटा या व्यभिचारिणी बनाते हैं। यदि वे रखैल रखना बंद कर दें तो महिलाएं भला कुलटा क्यों बनेगी।

यह प्रश्न आज भी जस का तस है।

अध्याय-2

कौन है वेश्या?

वेश्या सा मदन ज्वाला रूपेंधन समन्विता
कामिभिर्यत्र हूयन्ते यौवनानि धनानि च

'वेश्या' अपने रूप ईंधन से जलने वाली काम ज्वाला है जिस पर उसके प्रेमी अपने धन व यौवन की आहूति देते हैं। उसे किस नाम से पुकारे? अगरू, कसबिन, कामलेखा, कावेरी कुंभा, कोठेवाली, खागनी, ब्रजयित्री, गूढ़जीवा, गणवधू, गणिका, गवेरूक, गीषा, ग्रामेयी, जनपद कल्याणी, तवायफ, देवदासी, नगरवधू, नगरशोभिनी, पणसुंदरी, पण्यकामिनी, पतुरिया, पुश्चली, पुरनारी, बंछकी, बहुयोग्या, बाई जी, बाजारू औरत, बेसवा, मंगला मुखी, मसूरा, रंडी, रामजनी, रूपाजीवा, वारकन्या, वारमुखी, वारदोषिता, वार वनिता, वारांगना, स्वैरिणी विभावरी, विलासनी, वंश वनिता, सदा सुहागिन, सदा सेना, हट्ट विलासिनी, कलकंजिका, गौनहारी, मुक्त भोगिनी, घुंघरू बंद, नयनी, नर्तकी, रक्कासा, सोनचिरि, कांकिणी, चकले वाली, टकहाई टकाटी, पंथकामिनी, रात्रि चारिणी नामों की एक लम्बी फेहरिस्त है। उस फेहरिस्त में शहरी तहजीब ने कुछ नए नाम, कुछ अंग्रेजी नाम भी शामिल कर दिए हैं। स्ट्रीट वॉकर कालगर्ल, बार गर्ल, एस्कॉर्ट गर्ल वगैरा।

यौन-कर्मियों के विभिन्न रूपों में कई नाम शामिल हो गए हैं।

'नट' व पारम्परिक देवदासी

मथम्मा भी देवदासी प्रथा का एक रूप है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में जब कोई बच्चा विशेषकर लड़की को कोई बीमारी होती है तो उसके मां-बाप उसे गांव की देवी मथम्मा को समर्पित कर देते हैं यह मान्यता है कि मथम्मा उस बच्चे की जिन्दगी बचाएगी पर उन्हें यह वचन निभाना होता है कि वह उम्रभर देवी बन कर रहेगी। आज भी लगभग पांच हजार 'मथम्मा' रहती हैं,

जिनमें से लगभग एक हजार को पुनर्वासित किया गया है।

'मथम्मा' बनाने से पहले लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। पूजा करने के बाद उसे धातु का एक 'पोटू' बांधा जाता है जिसके बाद वह दिव्यात्मा हो जाती है और यह विश्वास भी है कि उसके बाद उसमें उपचार शक्ति (हीलिंग पावर) आ जाती है। किसी घर में उसका आना शुभ माना जाता है पर देवदासियों की तरह इनका भी यौन शोषण होता है। मथम्मा को विवाह नहीं करने दिया जाता।

पुजारी द्वारा यौन-शोषण करने का प्रतिकार करने का अर्थ है कि देवी का निरादर किया जा रहा है और पूरा गांव उसे निरादर नहीं करने देते। यह देवी का कैसा सम्मान है कि किसी औरत को सम्मान के साथ जीने का हक छीन लिया जाए।

उत्तर भारत की सानिस, बेड़िया, हरिया, कंजर जातियां यह पारंपरिक मनोरंजन करने वाली जातियां थीं उनमें आज भी पारिवारिक वेश्यावृत्ति जारी है।

'नट' जाति के लोगों में दुल्हन का मोल तय किया जाता है जिसकी रकम उसके पिता को दी जाती है बाद में यदि वह दूसरा आदमी करना चाहे तो वह आदमी तोलमोल कर उसे खरीद सकता है।

विश्व के कई देशों में भी देवदासी परंपरा रही है। बेबीलोनिया, ग्रीक, रोम, जेरुसलम सभी में लड़कियों का देवी को समर्पित करने व उसे वेश्यावृत्ति की सेवाएं देनी पड़ती थी। देवदासी प्रथा 7वीं से 13वीं शताब्दी के बीच पल्लव व चोल साम्राज्य के दौरान पनपी, मंदिरों में अधिक देवदासियों का होना उस राज्य के वैभव व धन सम्पदा का प्रतीक होता था। सार्वजनिक उत्सवों के अवसर पर उनकी उपस्थिति शुभ मानी जाती थी। शादियों में उन्हें बुलाया जाता था और दुल्हन का मंगलसूत्र 'ताली' वही तैयार करती थी।

राजस्थान में वेश्यावृति का रूप दूसरे राज्यों से भिन्न है। यहां यह जाति आधारित है जिसे पारंपरिक व सामाजिक स्वीकृति है। राजस्थान राजाओं व महाराजाओं का राज्य रहा है। सामान्य जन का जीवन रेगिस्तानी होने के कारण कठिन है। पूरे देश की महिलाओं से यहां महिलाओं का अनुपात कम है। साक्षरता दर कम है। कृषि उत्पाद कम होने के कारण बेरोजगारी अधिक है। महिलाओं की स्थिति यहां दोयम दर्जे की रही है। बाल विवाह आज भी होते हैं। बाल विवाह पर सरकारी प्रतिषेध व जागरुकता लाए जाने के बावजूद 'अक्खा तीज' पर सैकड़ों विवाह हो जाते हैं। भ्रूण हत्याएं व पैदा होते ही लड़कियों को मार डालने में कहीं कोई कमी नहीं आई है।

राजस्थान का इतिहास रहा है कि अक्सर युद्ध स्त्रियों के कारण होते थे। इस कारण यहां 'सती' और 'जौहर' की परंपरा रही है। जहां पर एक ओर जौहर व सती की परंपरा रही है वहीं प्रत्येक राजा-महाराज और अमीर जमींदारों के यहां 'जनानी

ड्योढ़ी' में ले आना उनके प्रभावशाली होने का पर्याय समझा जाता रहा है।

यहां वेश्यावृत्ति समुदाय एवं जाति विशिष्ट रही है। राजाओं के मनोरंजन के लिए नाचने-गाने वाली विशिष्ट जातियों में बंजारा, बेड़िया, कंजर, राजनट आदि प्रमुख हैं इनमें वेश्यावृत्ति को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त थी। उस समय युद्ध के दौरान सेनाओं के साथ-साथ ये स्त्रियां भी युद्ध भूमि में जाती थीं जहां उनके मनोरंजन व यौनसुख का साधन बनती थीं। इन्हें 'गोला' व 'गोली' कहा जाता था। किसी राजकुमारी के दहेज में यह गोला-गोली साथ आते थे, जिनके साथ राजाओं के यौन संसर्ग होते थे और उनके बच्चे गोला-गोली ही कहलाते थे। वे पैतृक संपत्ति के हकदार नहीं बन पाते हैं।

राजा-महाराजाओं के शासनकाल समाप्त हो जाने के बाद इन्हें राजसी संरक्षण मिलना बंद हो जाने के कारण इन्हें वेश्यावृत्ति का धंधा अपनाना पड़ा। इन परिवारों के पुरुष दलाल व खरीददार का काम करते हैं और औरतें कमाई करती हैं।

मुगल राजाओं के दरबार में नाचने-गाने वाली देहरदर जाति के लोगों में लड़की को धंधे में उतारने की रीत 'मिस्सी' व 'सिर की ढकाई' कहलाती है।

धंधे में प्रवेश के लिए इन्हें बचपन से ही एसे माहौल में रखा जाता है कि ये मानसिक रूप से अपने को इसके लिए तैयार कर लें। देहरदार, राजनट व बेडिया जाति की लड़कियां छोटी उम्र से ही नाच-गाना सीखती हैं। नथ उतारने व सिर ढकाई की रस्म में लाखों रुपयों की वसूली की जाती है।

पीडोफाइल्स

बाल वेश्यावृत्ति कराने वालों में पारिवारिक शोषण के बाद जिनका नाम आता है वे 'पीडोफाइल्स' होते हैं। जो बच्चों से दोस्ती का नाटक करते हैं। उन्हें खाने-पीने, उपहारों का लालच देते हैं। एक साथ कई बच्चों को अपने साथ रखते हैं, बच्चों का विश्वास जीतने के बाद धीरे-धीरे यौन-क्रियाएं करवाते हैं। उसके लिए पोर्नोग्राफी फिल्मों की मदद लेते हैं। उन बच्चों व उनके परिवार के लोगों को अक्सर उपहार व नगदी देते रहते हैं, जिस कारण अभिभावक बच्चों को उनके पास भेजने में संकोच नहीं करते। चूंकि ये बच्चे गरीब परिवारों के होते हैं, इसलिए छोटे-छोटे तोहफे आकर्षण पैदा करते हैं। ऐसे लोग लड़के-लड़कियां दोनों से दोस्ती करते हैं। कई बार ऐसे लोग किसी विवाहिता से दूसरा विवाह भी कर लेते हैं ताकि उसके पहले बच्चों का शोषण कर सकें।

ये लोग बच्चों को उनके घरों से होटलों व रेस्तरां में घुमाने, तो कभी अपने साथ शिक्षा के नाम पर दूसरे शहर और देश का लालच देकर विदेश ले जाते हैं, जहां से

उनका लौटना संभव नहीं होता। वहां उनका हर प्रकार का शारीरिक व मानसिक शोषण करते हैं। उनकी पोर्न फिल्में बनाना, उनकी गतिविधियों का अहम हिस्सा होता है। अत्यधिक गरीब परिवार व अशिक्षा की वजह से शोषण करना आसान हो जाता है।

एस्कार्ट सर्विस

रेडलाइट एरियाओं से बाहर निकलकर अब ये सेवाएं होटलों व ग्राहक के घरों में शुरू की जा चुकी हैं। ये सेवाएं एस्कार्ट एजेंसी के अधीन चलती हैं, जो सामाजिक अवसरों के लिए अपनी सेवाएं देती हैं। जिन देशों में वेश्यावृत्ति गैर-कानूनी नहीं भी है, वहां भी एस्कार्ट सर्विसेस में यौन सेवाओं की हामी भरी जाती।

कुछ एस्कार्ट स्वतंत्र रूप से भी काम करती हैं। इसके लिए वे समाचार-पत्रों व इंटरनेट का सहारा लेती हैं। ग्राहक से बातचीत फोन पर ही की जाती है और किसी तीसरे पक्ष को बीच में नहीं डाला जाता। सेक्स पर्यटन में अमीर देशों के पर्यटक अपेक्षाकृत गरीब देशों में जाकर एस्कार्ट सर्विस लेना पसंद करते हैं, जहां सस्ते में सौदा संभव होता है। थाइलैंड, ब्राजील और केरीबियन कुछ प्रमुख सेक्स पर्यटन स्थल हैं, इसके बावजूद कि इनमें से अधिकांश में वेश्यावृत्ति अवैध है।

एस्कार्ट एजेंसियां 'येलो पेज' में विज्ञापन देती हैं और वेबसाइट व फोगे गैलेरी भी उपलब्ध होती है। इच्छुक ग्राहक एजेंसी को फोन पर अपनी पसंद उन्हें बता सकता है। एजेंसी अपने कर्मचारियों में से कुछ के ब्यौरे उसे देते है, जिनमें से वे अपनी पसंद चुन लेते हैं। ग्राहक के बताए गए नम्बर पर एस्कार्ट को भेज दिया जाता है या स्टाफ को ग्राहक से संपर्क करने के लिए कहा जाता है। यदि एजेंसी स्टाफ को वाहन उपलब्ध नहीं करवाती है तो वह वहां पहुंचने और निकलते समय एजेंसी को सूचित करती है ताकि पुलिस चपेट में न आ जाए।

ये एजेंसियां सामान्यतः कमीशन आधार पर काम करती हैं और कुछ ने अपने स्टाफ भर्ती किए होते हैं। यूं तो इन एजेंसियों का धंधा नगद पर चलता है, पर कुछ एजेंसी क्रेडिट कार्ड व डेबिड कार्ड भी स्वीकार करने लगीं।

जो एस्कार्ट स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, उनके रेट अपेक्षाकृत अधिक होते हैं और 'सीजन' के अनुसार इनके दाम बढ़ जाते हैं। नियमित और कभी-कभी वाले ग्राहकों के दाम भी अलग-अलग तय करती हैं। कभी-कभी एकसाथ दो एस्कार्ट भी ग्राहकों की पसंद होती हैं।

एजेंसी के माध्यम से काम करने वाली एस्कार्ट जहां केवल सेक्स-सेवाएं देती हैं, वहीं स्वतंत्र रूप से काम करने वाली उनके साथ पार्टियों आदि व दूसरे शहरों के दौरे में भी साथ जाती हैं।

हर दिन कई ग्राहक तो कभी एक ही ग्राहक का साथ यह इनकी इच्छा व दामों के सौदे पर निर्भर करता है।

एस्कार्ट सर्विस के कार्यालय अक्सर एपार्टमेंट के बीच होते हैं। ऑफिस में एक या दो कर्मचारी ही काम पर होते हैं, जो पूरे धंधे का रिकार्ड रखते हैं। रिकार्ड में लड़कियों के शारीरिक ब्यौरे, पते, टेलीफोन नम्बर व फोटो रखते हैं। इन ब्यौरों में कभी-कभी वह ब्यौरे भी दर्ज रहते हैं जो सेक्सुअल गतिविधि वे नहीं करेंगे। ग्राहक को सर्विस के घंटे, प्रति घंटा रेट, आपरेटर के खर्चे आदि सब पहले से बता दिए जाते हैं।

विदेशों में एस्कार्ट सर्विस के कायदे कानून भी बनाए गए हैं जिनमें एस्कार्ट सर्विस चलाने के लिए लाइसेंस लेने जरूरी होते हैं। सर्विस का कर्मचारी निर्धारित फीस लेकर किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान, रिसार्ट या अन्य किसी प्राइवेट स्थान पर सामाजिक कार्यों, मनोरंजन आदि की सेवाएं दे सकता है।

मसाज पार्लर व एस्कार्ट सर्विस में थोड़ा ही अंतर होता है। उनकी सेवाओं में यौन-कर्म स्पष्ट हो रहा होता है जबकि इनकी सर्विस में वह स्पष्ट दिख नहीं रहा होता, इस कारण इन्हें कानूनी कार्रवाइयों का कम ही भय होता है।

डोर टू डोर-24 घंटे की ए टू जेड सर्विस—सुन्दर व आकर्षण यंग, पढ़ी-लिखी लड़कियां। होटल व घर पूरी मुम्बई में कहीं भी।

ड्रीम गर्ल एस्कार्ट—हॉट बॉडी मसाज—24 घंटे घर व होटल सर्विस

ए टू जेड एस्कार्ट सर्विस—होटल सर्विस में एक्सपर्ट, पढ़ी-लिखी भारतीय विदेशी युवतियां द्वारा पूरा रिलेक्सेशन 24x7 घंटे पूरे शहर में उपलब्ध। सभी करेंसी। क्रेडिट कार्ड। आन लाइन पेमेंट।

रायॅल गर्ल एस्कार्ट—ए टू जेड. हॉट बॉडी मसाज—कहीं भी—घर या होटल।

केवल 5/7 स्टार होटल गेस्टों के लिए बेस्ट इंडियन एस्कार्ट। कालेज गर्ल, हाऊस वाइफ, एयर होस्टेस—24 घंटे सर्विस।

रशियन एस्कार्ट, पंजाबी, टर्की रेम्प मॉडल उपलब्ध।

मेन्स एस्कार्ट क्लब में आएं इंडियन रशियन अफगान ब्यूटी के साथ एन्जॉय करें।

न्यू लुक बेस्ट मेल टू मेल बाडी मसाज।

लाग आन करें। देश-विदेश यात्रा के लिए एस्कार्ट सर्विस, कारपोरेट के लिए।

ये विज्ञापन हर समाचार पत्र में मिल जाएंगे। ग्राहकों के घरों में या होटलों में

लड़कियां सप्लाई करना ही इनका धंधा है। कई कॉलगर्ल इनके माध्यम से काम करती हैं। इन क्लब, मनोरंजन क्लब, मसाज पार्लरों के नीचे इन विज्ञापनों की जानकारी होती है।

एस्कार्ट एजेंसियां बड़े लुके-छिपे अंदाज में काम करती हैं। एजेंसी चलाने वाली मैडम की स्मरणशक्ति जबरदस्त होती है। वह अपने ग्राहकों के नाम व पते किसी ब्लैक डायरी में नहीं लिखती, जो कभी पुलिस के हाथ लग जाए और ग्राहकों को शर्मिदा होना पड़े। कभी-कभार आने वाले ग्राहक, होटलों में रुकने वाले यात्री पहली बार फोन करने वालों के नम्बर किसी भी पुस्तक के पन्नों पर दर्ज होते हैं।

मैडम की स्मरणशक्ति इतनी तेज होती है कि कौन नियमित ग्राहक है, किस लड़की को किसके पास भेजना है, किसे गाड़ी से छुड़वाना है—उसे हमेशा याद रहता है। उसे यह भी याद रहता है कि किस लड़की की ब्रा का साइज क्या है, उसके दूसरे माप क्या हैं। किस ग्राहक की पसंद क्या है। तौल-मोल व कीमत तय करने में बहुत स्पष्ट रहती है। किसी ग्राहक के पास किसी लड़की को भेजने से पहले उसकी फीस व 'टिप' दोनों की जानकारी उसे होती है। कई बार ड्राइवर की फीस भी अलग से ग्राहक से मांगी जाती है। इन सबके ऊपर मैडम की अपनी फीस भी ग्राहक से वसूली जाती है।

एस्कार्ट सर्विस घंटे के हिसाब से ग्राहक से कीमत लेती है। एक घंटे की कीमत पांच हजार से शुरू हो सकती है। ग्राहक चुनने में वे काफी सतर्कता बरतते हैं कि कहीं ग्राहक के भेष में पुलिस न आ जाए। पुलिस आ भी जाए तो बहुत कम ऐसा होता है कि लड़कियां पकड़ी जाएं। पकड़ी जाएं तो उनकी जमानत कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है।

एस्कार्ट सर्विस शुरू करना कोई कठिन नहीं। जरूरत होती है सिर्फ प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन देने की। कुछ येलोपेज में भी विज्ञापन दिए जाते हैं। बड़ी एजेंसियां उनमें विज्ञापन देती हैं। उनके पास बड़े आफिस और मार्केटिंग बजट होते हैं। विज्ञापन दो प्रकार के होते हैं। एक में ग्राहकों के लिए सूचना होती है और दूसरे प्रकार के विज्ञापनों में काम पर लगाने के लिए लड़कियों को बुलाया जाता है। वैसे दूसरे प्रकार के विज्ञापन देने की कम ही जरूरत पड़ती है। काम की इच्छुक लड़की स्वयं ही फोन कर लेती है। पहले प्रकार के विज्ञापनों में ही एक छोटी पंक्ति में आवेदन आमंत्रित की जानकारी भी अक्सर दे दी जाती है।

एक ऐसी सर्विस जिसमें भर्ती कभी-भी किसी-भी समय में होती रहती है। ग्राहकों का अक्सर पहला सवाल ही यही होता है कि कोई नई लड़की है क्या? एजेंसी के लिए काम में नई लड़की की तलाश उन्हें होती है। भले ही बहुत खुबसूरत

और सेक्सी लड़की पहले से उपलब्ध हो पर नई के लिए उसे रिजेक्ट कर देते हैं।

नित नई लड़की, नित नई वैरायटी उन्हें चाहिए, यही इस धंधे का उसूल है। सबसे सेक्सी लड़की की तलाश उन्हें होती है। पुरुष की अदम्य यौनेच्छाओं की कमजोरी ने इस धंधे को कभी पुराना नहीं पड़ने दिया। हर वक्त नए चेहरे, ताजा जिस्म की चाहत के कारण रोजगार की गारंटी अगर कहीं है तो यहीं है।

एक एजेंसी की मालकिन के अनुसार विज्ञापनों के बाद लड़कियां कई कारणों से फोन करती हैं। वे अवैध थ्रिल के लिए इसे जानना चाहती हैं, तो कुछ इस बिजनेस की प्रकृति को समझना चाहती हैं। क्या केवल किसी पुरुष के साथ डिनर पर जाना होगा, यह सवाल अक्सर करती हैं। बहुत सारी फोन कॉल में से वे उन लड़कियों को छांट लेती है, जो बहुत ही छोटी उम्र की व कुछ-कुछ नासमझ हों ताकि वे गलतियां करें तो उन्हें समझाया जा सके और अपनी इच्छानुसार उसे ढाला जा सके। उन्हें 'कॉलगर्ल' के काम पर लगाने से पहले अपने कुछ खास ग्राहकों के पास भेजते हैं, ताकि उन्हें धंधे का एक सुखद पहलू ही महसूस हो और वे और आगे काम करती रहना चाहें। धंधे में आने वाली सभी लड़कियां उनके मुताबिक काम करें ये जरूरी नहीं। कई बार वे धोखा देती हैं। चोरी भी करती हैं। एक साथ दूसरी एजेंसियों के लिए भी काम करती हैं। कई बार धंधे के गुर सीख कर अपनी अलग से एजेंसी भी शुरू कर लेती हैं।

अधिकतर एजेंसियां एक दूसरे के परिचितों के सहारे चलती हैं। कालेज की लड़कियां अपनी दूसरी सहेलियों को अपने साथ ले आती हैं। किसी परिचित के सहारे आने वाली लड़की यह नहीं जानती है कि वह कहां जा रही है और उसे क्या-क्या काम करना होगा, समझाने की जरूरत नहीं पड़ती।

कुछ एजेंसियां कॉलगर्ल को अपनी कार या अन्य चीजें तक इस्तेमाल नहीं करने देतीं। उनका ड्राइवर ही उन्हें लेकर जाएगा और छोड़ेगा। यही नहीं ग्राहक से मिलने वाली पेमेंट और यहां तक कि गिफ्ट पर भी एजेंसी का कब्जा होता है। वे मात्र वर्क करने के लिए होती हैं। जब पूरे वक्त के लिए वे उनकी अनुकंपा पर हो जाती हैं तो शोषण होना स्वाभाविक है। एजेंसियां उन्हें हेरोइन आदि जैसे माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं।

बार-गर्ल—हिन्दी सिनेमा में हर फिल्म में 'आइटम नम्बर' करने की होड़ हर फिल्म स्टार की रही है। एक 'आइटम नम्बर' अकेले फिल्म की लोकप्रियता बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। सुष्मिता सेन हो या ऐश्वर्या राय सभी ने आइटम नम्बर कर लोकप्रियता के नए कीर्तिमान गाड़े। यही कारण है कि होटलों में, क्लबों में, यहां तक कि नृत्य संगीत के कार्यक्रमों में आइटम नम्बर किए जाने लगे हैं। 'बार-गर्ल' उसी

प्रक्रिया का एक हिस्सा बन गई हैं। मुम्बई शहर हो या कोलकाता, सभी जगह ग्राहकों को रिझाने के लिए 'बार-गर्ल' डांसर के रूप में हर छोटे-बड़े शहरों की लड़कियों को बड़े शहरों में थोक के भाव लाया जाता है।

बीयर बारों व होटलों में नाच करने वाली लड़कियां बार डांसर कहलाती हैं। महाराष्ट्र विशेष रूप से मुम्बई के होटलों रेस्तरां व बार में इनकी संख्या काफी रही है। बंगलौर में भी बारगर्ल होती हैं।

पहले जहां मुजरों में शास्त्रीय संगीत पर लड़कियां नृत्य करती थीं, वहीं अब हिन्दी फिल्मों के गानों पर नृत्य किए जाते हैं। होटलों में एक विशेष स्टेज बनाई जाती है जहां वे नृत्य करती हैं, ताकि हाल में बैठे सभी लोग उनका नाच देख सकें। अधिकांश समय वे सभी ग्राहकों को रिझाने का प्रयास करती हैं।

बार के समय के बाद वे कुछ ग्राहकों के साथ यौन संबंध भी रखती हैं। अपनी मन पसंद डांसर के ऊपर दस-बीस, पचास-सौ रुपए के नोट फेंकने या देने के प्रयास भी किए जाते हैं। कोई ग्राहक अपनी पसंद की बार डांसर को नोटों के हार भी पहनाते हैं। किसी विशेष डांसर पर हजारों-लाखों रुपए एक बार देने के किस्से भी मुंबई की बारों में सुनने को मिलते थे। सभी लड़कियों के ऊपर लुटाए गए रुपयों को बाद में, उनमें पहले से निर्धारित, तरीके से बांट दिया जाता है। डांस बार में शराब व खाने-पीने के सामान के अलावा ड्रग्स की बिक्री से भी कमाई की जाती है। पहले डांस बार सिर्फ मुंबई में थे, अब देश के दूसरे हिस्सों में भी चल रहे हैं। देर रात तक चलने वाले डांस बार कितने हैं और कितनी लड़कियां इनमें काम करती हैं, इसके कोई आकंड़े मिल पाने संभव नहीं हैं। लाखों रुपयों का कारोबार इनके माध्यम से चलता है, जिसमें पुलिस व अंडरवर्ल्ड, गुंडों की हफ्ता वसूली होती है।

'बार-गर्ल' की कमाई पर उनके परिवरों की रोजी-रोटी चलती है। पर कमाई का मुख्य हिस्सा बार के मालिक ही लेते हैं। ये लड़कियां छोटी बस्तियों से ही आती हैं। एक ही बार मालिक की शहर के अलग-अलग हिस्सों में कई बारें चलती हैं। इन लड़कियों को कुछ समय के बाद दूसरी जगह भेज दिया जाता है, ताकि ग्राहकों को नए चेहरे देखने को मिल सकें। मेकअप व भड़काऊ पोशाकें इनके व्यवसाय का हिस्सा हैं।

पिछले कुछ वर्षों में मुंबई की नैतिक पुलिस कार्रवाई में इनके काम पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यह महसूस किया जा रहा है कि वेश्यावृत्ति का एक रूप बन कर यह उभर रहा है।

22 जुलाई 2005 को महाराष्ट्र राज्य विधानसभा ने राज्य में डांस बारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिस कारण वे दूसरे राज्यों व गल्फ देशों में चली गईं और

कुछ वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर हुई। राज्य सरकार द्वारा कोई पुनर्वास कार्यक्रम के न होने के कारण कुछ ने आत्महत्या तक की। यद्यपि हाई कोर्ट ने इस प्रतिबंध को असवैंधानिक ठहराया परंतु डांस बार की आड़ में यौन-कर्म होने की पुष्टि विभिन्न सूत्रों से होती रही है।

किसी भी बाहर से छोटे से दिखने वाले इन रेस्तरां के भीतरी हिस्सों में अंधेरे वातावरण में रूम की दीवारों के साथ सोफे व मध्य में डांस फ्लोर में कानफोड़ू संगीत पर मदमाती लहराती लड़कियां झीने कपड़ों में डांस कर रही होती हैं। वे नृत्य के नाम पर सिर्फ जिस्म हिला रही होती हैं। डांस फ्लोर में दस से बीस लड़कियां एक साथ नाच रही होती हैं।

डांस देखने वाले लोग हर उम्र हर, जाति वर्ग के होते हैं। यहां स्पष्ट समाजवाद दिखता है। बीस साल के नौजवान से लेकर पचपन बरस के वृद्ध यहां बैठे देखे जा सकते हैं।

डांसर को कुछ देर अपने पहलू में बिठा कर बातें करना भी आम है। अपने झूठे नाम, फोन व पते देना भी उनके काम का हिस्सा है। दूसरे पते पर मिल कर वेश्यावृत्ति करना भी इसी का एक हिस्सा है।

वेश्यागृहों की तरह यहां भी कमाई का हिस्सा डांसर से लिया जाता है या सब कुछ उनके पास रह जाता है।

यह काम करने वाली लड़कियां प्रतिदिन आसानी से पांच सौ रुपए से मासिक पन्द्रह हजार रुपए तक कमा लेती हैं।

महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने टॉपलेस डांस बार पर प्रतिबंध लगाया है। टॉपलेस नृत्य क्या यह वेश्यावृत्ति का ही एक रूप नहीं है?

मुंबई के नाइट क्लबों में नाचने के बाद उसकी अगली कड़ी दुबई या मिडिल ईस्ट तक पहुंचना है।

छोटे-छोटे शहरों की लड़कियां अपने परिवार की आय को बढ़ाने के लिए पहले वहां के स्थानीय डांसिंग सर्किट में नाच-गाना करती हैं। किसी बड़े स्टेज शो में या कला की दुनिया में उनका नाम हो, यह हसरत हर लड़की की होती है। उनकी इसी कमजोरी का फायदा इन कार्यक्रमों के आयोजकों के भेष में दुर्व्यापारी (ट्रैफिकिंग) एजेंट उठाने का प्रयास करते हैं। सौ-पचास लड़कियों की भीड़ में किसी लड़की को लालच देकर कैसे बहलाया-फुसलाया जा सकता है, यह ये बखूबी जानते हैं। ऐसे में जब उन्हें किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी रकम बताई-सुनाई जाती है, तो तथाकथित 'ब्रेक' मिलने के नाम पर वे उनके साथ बड़े शहरों के लिए चल पड़ती हैं। बड़े शहरों में आकर भी उन्हें किसी एक बार में नहीं बल्कि कई-कई बारों

में काम करना पड़ता है, ताकि ग्राहकों को बोरियत न हो।

मुंबई के कुछ बदनाम इलाके हैं जिनमें बीयरबारों में काम करने वाली लड़कियां रहती हैं, जिन्हें शाम के समय गाड़ियों में भर-कर अलग-अलग स्थानों पर ले जाया जाता है। देर रात या अल सुबह उन्हें वापिस छोड़ दिया जाता है।

जो लड़कियां जितने ज्यादा ग्राहकों से 'टिप्स' प्राप्त कर पाई, उससे वह दस से पन्द्रह हजार रुपए महीना कमा पाती हैं।

इनमें से सब तो नहीं, पर काफी कुछ यौन-कर्मी बनने को मजबूर हो जाती हैं। अंडरवर्ल्ड के माध्यम से अपराध की दुनिया में पहुंच जाना भी इनके लिए सामान्य होता है। हर शहर में छोटे-बड़े होटलों, क्लबों व शादी-ब्याह की पार्टियों में तड़कीले-भड़कीले कपड़े पहन कर दर्शकों का मनोरंजन करने वाली इन लड़कियों को प्रत्येक रात के सौ रुपए से लेकर हजार रुपए तक मिल ही पाते हैं, फिर कार्यक्रम नियमित मिलते रहें इसके लिए आयोजकों का मनोरंजन व यौन-शोषण इनके काम का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है।

बड़े शहरों व दुबई की डांस-बारों में हर रात न्यूड-डांसिंग भी इनकी परफार्मेंस का हिस्सा होती है, जिसके लिए इन्हें हजारों रुपए भी मिलते हैं।

यौन-कर्म के दूसरे रूपों की तरह यहां भी मिडिलमेन व एजेंट काम करते हैं जो इन लड़कियों से करार हस्ताक्षर करवा के रखते हैं। जब ये लोग पूरे ग्रुप बना कर विदेशों में नृत्य मंडली लेकर जाते हैं, तो आय के कई हिस्सेदार तो बनते ही हैं।

मसाज पार्लर—हर शहर के समाचार पत्रों में वर्गीकृत विज्ञापनों के तहत फोन क्लब, फ्रेंडशिप क्लब, मसाज पार्लर, एस्कार्ट सर्विस के विज्ञापनों की संख्या सौ से डेढ़ सौ तक होती ही है।

वेश्यागृहों की तरह यहां भी कम उम्र की कुंवारी लड़की के लिए ग्राहकों से प्रति घंटा पांच हजार से पन्द्रह हजार रुपए तक लिए जाते हैं। ये लोग ग्राहक के पास कार में दो से तीन लड़कियां उसके होटल या गेस्ट हाऊस में लेकर जाते हैं। उसे उनमें से किसी एक लड़की को पसंद करना होता है। यदि वह किसी को भी पसंद नहीं करता तो प्रत्येक लड़की को टैक्सी का भाड़ा व पांच सौ रुपए तो उसे देने ही पड़ते हैं।

कालगर्ल रेकेट में भी अकेली कोई लड़की नहीं बल्कि पूरा नेटवर्क काम करता है। ये लड़कियां देश के कई हिस्सों से लाई जाती हैं। किसी भी आवासीय कालोनी में पेइंग गेस्ट बन कर रहती हैं। किसी आफिस में या कॉलसेंटर में काम करने का बहाना इनके पास होता है। पुलिस व एन.जी.ओ. की बढ़ती गतिविधियों के कारण बड़े सतर्क तरीके से ये लोग काम करते हैं। इनके मोबाइल नम्बर न तो इनके

नामों और न ही सही पतों पर लिखे जाते हैं।

इन मसाज पार्लरों में मसाज तो होती नहीं, बल्कि हर उम्र हर शहर की लड़की यौन-शोषण के लिए उपलब्ध होती हैं।

आज चकले व वेश्यागृहों के ये नए पते हैं और शहर के हर इलाके में मौजूद है और रेडलाइट एरियों की तरह बदनाम भी नहीं। कम जोखिम अधिक लाभ व ग्राहक भी संभ्रांत जो मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार होता है वह भी कुछ घंटों के लिए, इस कारण धंधा दिन-रात तेजी से बढ़ रहा है।

भले ही बीयर बारों में लड़कियों के काम करने पर मुंबई में प्रतिबंध लगा दिया गया है पर 'ऐस्कार्ट गर्ल' के नाम पर होटलों पबों, क्लबों में नाच-गाना बदस्तूर जारी ही है। मुंबई से लौट कर ये लड़कियां अपने शहरों में जाकर यौन कर्मी बन चुकी हैं। ऐसा कई अध्ययनों से स्पष्ट हो चुका है।

मॉक मैरिज (फर्जी शादी)

झूठी शादी यानी मॉक मैरिज, मानव दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) का ही एक रूप है।

'मेल ऑर्डर ब्राइड' शोषण का नया रूप है। उन्हें फियान्स-वीजा पर दूसरे देशों में भेजा जाता है। न कि 'पत्नी' के वीजा पर। दूसरे देश में जाकर उन्हें कहीं काम पर लगाया जाता है। घर पर भी उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। जब शादी करने के लिए आते हैं तो खूब घूमते-फिरते हैं, होटलों में खाते हैं, पर जब शादी करके ले जाते हैं तो व्यवहार में जमीन-आसमान का अंतर आ जाता है। कोई लड़की नए देश में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। ऐसे में उन्हें यौन-कर्म में लगा देना और मजबूर होकर वही करना उनकी नियति हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय अनैतिक व्यापार का हिस्सा होते हुए भी, परंतु कानून के शिकंजे में न आने का एक उपाय 'मॉक मैरिज' यानि 'झूठे विवाह' हैं। किसी दूसरे देश में जाकर वहां की नागरिकता हासिल करने या अपने देश की नागरिकता दिलाने का सबसे आसान रास्ता उनसे विवाह कर उनसे वेश्यावृत्ति करवाना बन चुका है। गरीब देशों से लड़कियों को काम या विवाह के झांसे में लाकर वेश्यावृत्ति करवाई जाती है।

सेक्स टूरिज्म के फलने-फूलने का एक कारण भी ये बन गई है। दक्षिण भारत के टूरिस्ट इलाकों में घूमने आने वाली विदेशी पर्यटक महिलाएं यहां के नौजवानों से कुछ साल शादी करके आराम से रहती हैं और मौज-मस्ती कर लौट जाती हैं।

अरब देशों में विवाह के नाम पर पहुंचाई जाने वाली लड़कियों के जीवन की त्रासदी उनका वेश्यालयों में पहुंच जाना है। देश के उन राज्यों में जहां लड़कियों का

अनुपात काफी कम है। वहां दूसरे राज्यों से लड़कियां खरीद कर लाई जाती है व उनका तब शारीरिक शोषण चलता रहता है जब तक वे लड़के को जन्म नहीं दे देती। उसके बाद उन्हें दूसरा पुरुष खरीद लेता है।

विदेशों में ही नहीं पश्चिम बंगाल, बिहार से गरीब लड़कियों को हरियाणा में शादी के नाम पर खरीदा जाता है और जब तक वे लड़का पैदा न कर दें उनका यौन-शोषण जारी रहता है। उसके बाद वे किसी दूसरे पुरुष को बेच दी जाती हैं। दक्षिण में भी पर्यटन स्थलों पर विदेशी स्त्रियां वहां के स्थानीय युवकों से शादी करती हैं और पुरुष लड़कियों को विवाह के नाम पर साथ ले जाते हैं। जितने बरस रहते हैं तब तक शोषण जारी रहता है।

वेश्यागृह की एक मालकिन का कहना था कि न ग्राहकों की कमी है, न धन की। हमें उनके पास नहीं जाना पड़ता, वे ही आते हैं, उन्हें कम समय में, गुमनामी में मजा और संतुष्टि चाहिए। वे खुश होते हैं जब लड़की उनकी सारी मांगें पूरी करती है। यह विश्व ही शोषण का है। यदि आप समर्पण के लिए तैयार हैं तो अधिक से अधिक ग्राहक मिलते हैं। दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) को भी लड़कियों की कमी नहीं है। वे किसी भी उम्र की लड़की लाकर हाजिर कर देते हैं। वे किसी भी उम्र, किसी भी जाति, किसी भी क्षेत्र की लड़की हाजिर करने में समर्थ हैं, ये दुनिया ग्राहकों की है और दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) उन्हें चलाते हैं। सैक्स-वर्कर और वेश्यालय के मालिक-मालकिन तो उस खेल का मोहरा भर हैं।

खरीददार (प्रोक्योरर)

'खरीददार' दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) से महिला व लड़कियों को खरीदता है। खरीदार कभी-कभी ऐसी मंडियों से भी खरीदता है, जहां उन्हें बेचा जाता है। पाकिस्तान, भारत, थाइलैंड, श्रीलंका, फिलीपिन्स, ब्राजील, बांग्लादेश और नेपाल में ऐसे बाजार हैं। यहां से लड़कियां खरीदकर वेश्यागृहों, इरोज सेंटरों और होटलों में ऊंची कीमत पर बेची जाती हैं। हर शहर में लड़की के रंग-रूप व उम्र के हिसाब से उसकी कीमत लगाई जाती है। जितनी कम उम्र की लड़की, उतनी ही अधिक कीमत आंकी जाती है।

खरीददार अधिकांशतः गरीब व दूरदराज के इलाकों से लड़कियों की खरीददारी करते हैं। लड़कियों को अच्छी नौकरी व शादी के लालच में लाया जाता है। कभी-कभी परिवार को अग्रिम राशि भी दी जाती है। परंतु यह सारा कारोबार बहुत गुपचुप तरीके से होता है।

अपहरण व व्यपहरण भी एक रास्ता है, परंतु चूंकि लड़कियां व उनके मां-

बाप नौकरी व शादी के झांसे में बड़ी आसानी से आ जाते हैं, इसलिए इसकी उन्हें जरूरत कम ही पड़ती है।

खरीददार के बाद वेश्यागृह के मालिक इस श्रृंखला में जुड़ते हैं।

दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग)

गोवा चिल्ड्रन एक्ट 2003 में ट्रैफिकिंग की परिभाषा निम्नानुसार की गई है :

क) व्यक्तियों की तस्करी का अर्थ धमकी देकर या जबरन या अन्य प्रकार के दबाव से, अपहरण से, जालसाजी से, धोखे से, सत्ता या कमजोर हैसियत के दुरुपयोग से या किसी दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण रखने, व्यक्ति की अनुमति पाने के लिए पैसे अथवा लाभ के लेन-देन से शोषण के लिए व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, स्थानान्तरण, शरण या प्राप्ति है। शोषण के दायरे में कम से कम वेश्यावृत्ति के लिए शोषण या अन्य प्रकार का यौन-शोषण, जबरन मजदूरी या सेवा के लिए शोषण, गुलामी या उससे मिलती-जुलती प्रथाएं, दासता या अंग निकालने के लिए शोषण शामिल होगा।

ख) इस अनुच्छेद के उपपैरा (क) में वर्णित शोषण के लिए व्यक्तियों की तस्करी के शिकार व्यक्ति की सहमति ऐसी परिस्थिति में अप्रासंगिक हो जाएगी जब उपपैरा (क) में वर्णित किसी तरीके का उपयोग किया गया हो;

ग) शोषण के उद्देश्य के लिए बच्चे की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, शरण या प्राप्ति को व्यक्तियों की तस्करी माना जाएगा भले ही इसके लिए इस अनुच्छेद के उपपैरा (क) में वर्णित किसी साधन का उपयोग न किया गया हो।

घ) बच्चे का अर्थ 18 वर्ष की आयु से कम का व्यक्ति होगा।

ट्रैफिकिंग नेटवर्क में मांग व आपूर्ति के आधार पर लाभ हासिल होता है। मांग को पूरा करने में तेजी से आपूर्ति करने वाला ही अधिक लाभ कमा पाता है। इसलिए इनका नेटवर्क कहां से आपूर्ति संभव है, कहां अधिक मांग है का पूरा ध्यान रखता है। दुर्व्यापार की प्रथम कड़ी के रूप में प्राथमिक दुर्व्यापारी आते हैं। इसमें उनकी दुर्व्यापारी (प्राइमरी ट्रैफिकर्स) अहम भूमिका निभाते हैं, ये लोग मांग व आपूर्तिक्षेत्रों में पैनी नजर रखते है। क्षेत्र स्तर पर ये 'खरीद' करते हैं, उसे दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं फिर खरीददार के माध्यम से दलालों के द्वारा वेश्यागृह के मालिकों व मैनेजरों की कड़ी उसमें काम करती है।

क्षेत्र स्तर पर 'खरीद' करने वालों की मदद करने वाली एक समानांतर व्यवस्था होती है जो 'बिक्री' तय करती है। दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) के इस रूप में किसी लड़की या महिला के रिश्तेदार, पड़ोसी या परिचित या उस इलाके के गुंडे

होते हैं। ये लोग बाजारों, गांवों, रेलवे स्टेशनों व बस स्टैंडों में घूमते-फिरते अपने शिकार की तलाश करते हैं। ये लोग दूसरी कड़ी को सूचनाएं देते हैं ताकि 'डील' की जा सके।

इनकी कड़ी में इस धंधे में रुपया लगाने वाले फायनांसर, स्थानीय गुंडे, होटल मालिक, ट्रांसपोर्टस, चिकित्सा सुविधा देने वाले डाक्टर, दाइयां, कुछ सरकारी कर्मचारी जो बार्डरों पर सुरक्षा जांच करते हैं, शामिल होते हैं।

दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) बहुधा इस धंधे में अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाते हैं तो कुछ पहले यौन कर्मी होते हैं फिर दलाल बनते हैं। धीरे-धीरे वेश्यागृह के मालिक के पद से बढ़ोत्तरी होते हुए दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) बन जाते हैं। महिला व पुरुष दोनों ही दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) हो सकते हैं। इस कड़ी के अलावा कारपेंटर, ड्राइवर, मजदूर, दर्जी, सेल्समेन, बस कंडक्टर, मोटर मेकेनिक, कबाड़ी वाला, घरेलू नौकर, आटो रिक्शाचालक जिस किसी का भी यौन-कर्मी से एक बार नाता जुड़ा, वे पहले 'ग्राहक' और फिर 'दलाल' बन 'दुर्व्यापारी' (ट्रैफिकर्स) तक बन जाता है।

दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) न केवल महिलाओं व लड़कियों को धोखा देने में कामयाब होते हैं बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी बहला-फुसला कर वेवकूफ बना लेते हैं।

दुर्व्यापार (ट्रैफिकर्स) को कम निवेश व अधिक लाभ वाला धंधा माना जाता है। किसी लड़की की बिक्री उसके शरीर सौष्ठव, रंग, उम्र, क्षेत्र व सब तरह के काम करने को राजी होने के आधार पर तय होती है। छोटी उम्र व सुंदर नैन नक्श वाली की 'बोली' अधिक लगाई जाती है।

दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स), होटलों, गेस्ट हाऊसों, लॉज व मसाज पार्लरों में सहायक व बार टेंडरों के रूप में भी काम करते हैं और यहां भी काम के लालच में लड़कियों को लाते हैं।

इन ट्रैफिकर्स के अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से भी संपर्क होते हैं। दूसरे देशों से भारत में लड़कियां लाने या यहां से उन्हें बाहर भेजने का भी इनका धंधा होता है। उनके झूठे पासपोर्ट बनवाने या बार्डर से छिपे रास्तों से लड़कियां लाने का भी इनका पूरा नेटवर्क चलता है। विदेशों से लड़कियां यदि पासपोर्ट बनवा कर लाई जाती हैं तो उनके पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं, ताकि वे भागने न पाएं और बिना पासपोर्ट आई लड़कियों को अवैध पारागमन के कारण पुलिस का भय दिखाकर छुपा कर उनका शोषण जारी रखते हैं। विदेशों से उन्हें डांसिंग ग्रुपों व फिल्मों में काम करने के नाम पर लाया जाता है।

दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) एक संगठित धंधा है। दुर्व्यापारी (ट्रैफिक) किसी रेड

लाइट एरिया में किसी एक कोठी नम्बर पर बैठने वाली मालकिन या घरवाली नहीं होती, बल्कि एक साथ कई कोठों पर लड़कियां पहुंचाने वाला कोई नकाबपोश चेहरा होता है जिसका संपर्क कई जगह होता है। एक ओर वह हर उस इलाके में गिरोह रखता है जहां से लड़कियां उठवाई जा सकती है और उन्हें कैसे उठवाया जाए इस पहलू पर काम करता है। दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट व होटलों से भी उसका तालमेल चलता है कि कैसे लड़कियां किस रास्ते से शहरों में लाई जाएंगी व होटलों में रखी जाएंगी। इन होटलों में रुकने के बाद उन्हें वेश्यागृहों के मालिकों तक पहुंचाकर हजारों लाखों का व्यापार करने वाले ये लोग कभी भी कानून के सामने नहीं आते हैं क्योंकि पूरा काम ही बड़े लुके छिपे ढंग से चलता है।

ये लोग किसी दूसरे धंधे की आड़ में यह सब करते हैं। हाथों में हर उंगली में हीरा, पन्ना, गले में मोटी सोने की चैन, बड़ी गाड़ियां व बंगले पर जिस व्यापार का साइन बोर्ड लगा रहता है उससे इतनी कमाई संभव है? इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं होता। जिन दुकानों में भूले-भटके कोई ग्राहक न चढ़ता हो। उस दुकान के मालिक का रहन-सहन कैसे इतना बढ़िया हो सकता है देखकर यही लगता है कि इस धंधे की आड़ में कुछ और ही काम चलता है। चूंकि दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) अपराध है इसलिए यह लोग खुलकर सामने नहीं आते हैं।

इन लोगों के बड़े अधिकारियों से संपर्क होते हैं। उनके बंगलों, रेस्ट हाउसों व फार्म हाउसों पर नई लड़कियां पहुंचाना इनके शिष्टाचार का हिस्सा होता है इस कारण कोई भी पुलिस छापा इनका बाल भी बांका नहीं बिगाड़ता।

यदि कभी कोई बेनकाब हो भी जाता है तो अपने 'कनेक्शंस' से बच निकलता है। इनके कई होटल व रिसोर्ट होते हैं। हर शहर के वेश्यागृह मालिकों से इनका संपर्क होता है। किस कोठे पर लड़की पहुंचानी है, की मांग आने पर तुरंत 'सप्लाई' करने के लिए इनके पास 'माल' की कोई कमी नहीं होती।

ये टीवी सीरियल, कल्चरल प्रोग्राम, डांस ग्रुप, फिल्म प्रोड्यूसर होने का दावा भी करते हैं। नई लड़कियों को काम देने के बहाने अपने होटलों में इंटरव्यू देने के लिए बुला कर उनकी ब्लू फिल्में बना कर दूसरे देशों में भी भेजते हैं।

टीवी सीरियल में काम करने के नाम पर जब एक बार शोषण शुरू होता है तो कभी खत्म नहीं होता। फिल्मों का ग्लैमर, पैसा व रुतबा भला किसको आकर्षित नहीं करता। फिल्मों में छोटे रोल दिलाने के नाम पर ये एजेंट इनका शोषण दिन-रात स्वयं भी करते हैं और करवाते भी हैं। एक बार अपनी फीस लेने के बाद ये फिर गायब हो जाते है और इनको पोर्नोग्राफी व ब्लू फिल्मों में काम करने के लिए भी मजबूर किया जाता है।

फिल्मों में छोटे-मोटे रोल मिलने के लिए भी हर कोई यही हिदायत देता है कि यहां ऐसा ही चलता है।

फिर मेकअप, रहने का खर्चा, खाने-पीने के खर्चों के लिए कमाई की जरूरत होती है, उसके लिए धंधा करना मजबूरी हो जाती है। ऐसे में 'काल-गर्ल' बन जाना सामान्य सी स्थिति है। ये लड़कियां धंधा करते हुए जब उम्रदराज हो जाती हैं तो नई लड़कियों को लाने की दलाली करने लगती हैं। नई लड़कियों पर ये लोग चील की तरह झपटते हैं।

दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) भी लड़कियों को धंधे मे बने रहने की वही यातनाएं देते हैं जो किसी कोठे पर काम करने वाली लड़की को मिलती है। उनके दांत तोड़ना, सिगरेट से दागना, भूखा प्यासा रखना, कमरों में बंद रखना व ड्रग्स देना इस धंधे का हिस्सा बना दिया गया है।

यौन-कर्मियों की मानें तो सभी दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) एक जैसे नहीं होते। वे कभी-कभी एक अच्छे दोस्त होने के नाते लड़की के परिवार से भी संपर्क रखते हैं उनके दुख-दर्द तकलीफों में उनके साथी होने का भ्रम पालते हैं। उन्हें किसी बड़े शहर में ले जाकर अच्छी नौकरी का लालच देते हैं। परिवार को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी लड़की उनकी परवरिश में सुरक्षित रहेगी। नौकरी का लालच, अच्छी जिन्दगी के सपने उन्हें विश्वास करने को मजबूर करते हैं।

दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) गांवों में सूखे या बाढ़ की स्थितियों की राह तकते हैं। गांव में पड़ा सूखा उनकी खुशहाली का सबब होता है। वे ऐसे मौकों की तलाश में होते हैं जब वे गरीब मां-बाप को ये दिलासा दे सकें कि वे शहर ले जाकर इन बच्चों को काम पर लगाएंगे और ये अच्छा कमा सकेंगे। बच्चे के साथ ले जाते समय वे मां-बाप को कुछ रुपए भी देते हैं ताकि उनकी उस समय की जरूरतें पूरी हो सकें। अभिभावकों को यह विश्वास होता है कि उनके बच्चे कुछ सीख कर वहां अच्छा कमाने लगेंगे। चूंकि वे बच्चे को मां-बाप की मर्जी से लाए होते हैं, इस कारण वे न तो गुमशुदा कहलाते हैं और न ही मां-बाप उन्हें ढूंढ पाते हैं और बच्चे कमाई कर लौटते क्यों नहीं? क्यों कुछ रुपये भेजते नहीं इस सवालों के जवाब उन्हें नहीं मिलते हैं, क्योंकि वे कभी जान ही नहीं पाते हैं कि बच्चों को कहां ले जाया गया है?

ऐसे बच्चे बेहद गरीबी वाले माहौल से आए होते हैं। दीन-दुनिया का उन्हें कुछ पता नहीं होता। न ही उन्हें विरोध की भाषा आती है और न ही दूसरे राज्य की भाषा आती है। बच्चा कहीं भाग गया कहकर उस पर दोष लगा दिया जाता है।

दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) का मानना है कि यह भी अन्य व्यवसायों की तरह एक व्यवसाय है। कम निवेश में अधिक पैसा कमाने वाले बहुत कम व्यवसाय है और

उनमें से यह एक है। अन्य व्यवसायों की तरह इसके भी अपने जोखिम व उतार-चढ़ाव हैं। माफिया की आपस में होड़ लगी रहती है क्योंकि हर किसी को मुनाफा कमाना है इनमें भी परिचालन क्षेत्र आपस में बंटे होते हैं। कभी-कभी झगड़े भी होते हैं कई बार झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है।

दूसरे शहरों व देशों से लड़कियों को लाकर पहले कुछ घरों में या होटलों में छिपाया जाता है उन्हें खाना व कपड़े दिए जाते हैं और डरा-धमका कर समझाया जाता है कि अब वापिस नहीं जा सकती है। जरूरत पड़ने पर उनका यौन-शोषण भी किया जाता है। यदि कोई लड़की फिर भी न माने तो उन्हें मादक पदार्थ दिए जाते हैं। उनके कमरों के बाहर हट्ठे-कट्ठे गार्ड तैनात किए जाते हैं कि कहीं भाग न जाएं। ऐसे घरों में उन्हें कुछ दिन रखने के बाद रेल या बस रूट से दूसरे ठिकानों पर भेज दिया जाता है। हर एजेंट का कार्य क्षेत्र बंटा होता है। जो एजेंट उन्हें दूसरे स्टेशन पर किसी दूसरे एजेंट को सौंप देता है वह इसके बाद नहीं जानता कि उन्हें कहां और कैसे किसी वेश्यागृह या होटल में पहुंचाया जाएगा। भले ही वे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा होते हैं पर एक कड़ी दूसरी कड़ी से अनभिज्ञ रहती है।

ये लोग किसी बड़े माफिया की छोटी कड़ियां होते हैं और एजेंटों के माध्यम से सारा व्यापार आगे बढ़ता है। इन लोगों की बातों पर यदि विश्वास किया जाए तो पुलिस को इनकी सभी गतिविधियों की जानकारी होती है और इस धंधे में समाज के कई 'सम्मानित' चेहरे शामिल होते हैं जिन पर हाथ धरना पुलिस के बूते में भी नहीं होता। लड़कियों को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए कभी मां-बाप को बड़े शहर में नौकरी का लालच, कभी शादी-ब्याह तो कभी उनका अपहरण, नौकरी के कागजात जैसे हस्ताक्षर करवाने के हथकंडे अपनाए जाते हैं।

दुर्व्यापारी (ट्रैफिकिंग) का धंधा देश के बार्डर क्षेत्रों में अधिक फलता-फूलता है। अंडरवर्ल्ड के विभिन्न धंधों में लड़कियों का अनैतिक देह व्यापार एक प्रमुख धंधा है।

दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) में चांदी ही चांदी है

आसान रुपया है और जोखिम कम है

केवल कानून के रखवालों से अच्छे संबंध चाहिए जो जरूरत पड़ने पर मदद करते हैं उन्हें सिर्फ 'फ्री सर्विस' दिलाना भी पर्याप्त होती है।

मांग कभी खत्म नहीं होती

पहले 'ग्राहक', फिर दलाल, वेश्यागृह का मालिक से दुर्व्यापारी (ट्रैफिकिंग) का धंधा, पहले 'खर्च' करने फिर दलाली लेने और उसके बाद व्यापारी बन जाना धंधे के बढ़ने का ही पर्याय है।

ऐसे लोगों के परिवार की महिलाएं भी अपने गांवों से धंधे के लिए लड़कियां लाने में मददगार होती है।

इन लोगों को भूले भटके जब पुलिस कभी पकड़ पाती है तो कंगाल से धन्ना सेठ बनने की कहानी इनकी होती है ओर राजनैतिक इतने पक्के होते हैं कि कुछ ही दिनों तक समाचार पत्र की सुर्खियों में रहते हैं और फिर कब छूट कर नई लड़कियों की 'सप्लाई' पहले की तरह शुरू करते हैं कोई नहीं जान पाता है।

भले ही 'इटपा' के तहत दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) अपराध है और पुलिस को दोषी पर मुकदमा चलाने का अधिकार है पर हर वर्ष सरकारी आंकड़ों में गिरफ्तारियां 'न' के बराबर होती हैं जो ये दर्शाती हैं कि पुलिस से इनकी कितनी सांठ-गांठ होती है कि ये कभी 'पकड़े' ही नहीं जाते हैं।

दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) इसी एक अकेले धंधे में नहीं लगे होते।

इनके बारे में वेश्याओं की आम धारणा है कि वे शोषक होते हैं और लड़कियों को धोखा देने में माहिर होते हैं। ये भोलीभाली लड़कियों का वेश्यागृहों के मालिकों की मिली भगत से ही शोषण करते हैं। ये लोग लड़कियों को शादी व नौकरी के नाम पर धोखा देते हैं। इन्हें दंड मिलना चाहिए। मासूम लड़कियों की जिंदगी बेच कर इनका धंधा चलता है, पर क्यों कानून इन्हें अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाता है, यह विचारणीय प्रश्न है।

चकले-बड़े शहरों के रेडलाइट एरियों में चलने वाले चकलों के हर जगह अलग-अलग नाम हैं कहीं ये वेश्यालय हैं, कहीं कोठे हैं तो विदेशों में 'बोरहाउस, केट हाउस, नाकिंग शाप, जनरल हाऊस हैं अब नए नामों में मसाज पार्लर से जुड़ गए हैं।

वेश्यालय/चकला मालिक-अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 में वेश्यागृह की परिभाषा देते हुए धारा-2 क के अनुसार 'वेश्यागृह के अंतर्गत कोई मकान, कक्ष, वाहन या स्थान अथवा मकान, कक्ष, वाहन या साधन का कोई भाग होता है, जो लैंगिक शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजन के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए अथवा दो या अधिक वेश्याओं के पारस्परिक लाभ के लिए किया जा रहा हो।' अधिनियम में वेश्यावृत्ति से अभिप्रेत है, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का लैंगिक शोषण या दुरुपयोग और अभिव्यक्ति 'वेश्या' का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा (2 एच)।

अधिनियम की धारा (3) के अनुसार (1) कोई व्यक्ति जो वेश्यागृह को बनाए रखता है या प्रबंध करता है अथवा बनाए रखने या प्रबंध करने में सहायता देता है या कार्य करता है, प्रथम दोष सिद्धि पर एक वर्ष से कम और तीन वर्ष से अधिक न होने

वाली अवधि के लिए कठोर कारावास से और जुर्माने का उसे दंड मिलेगा।

धारा 3 (2) में कोई व्यक्ति जो :

(क) किसी परिवार या किराएदार, पट्टेदार, अधिभोगी या भार साधक व्यक्ति होते हुए ऐसे परिवार या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करता है या यह जानते हुए किसी व्यक्ति को प्रयोग करने देता है या;

(ख) किसी परिसर का स्वामी, पट्टादाता या भू स्वामी या ऐसे स्वामी, पट्टादाता या भू स्वामी का एजेंट होते हुए, उसे या उसके किसी भाग को, इस ज्ञान के साथ कि वह या उसका कोई भाग वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किए जाने को आशयित है देता है या ऐसे परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किए जाने में स्वेच्छा पक्षकार है।

धारा 2 की उपधारा के खंड (क) या (ख) में निर्दिष्टि कोई व्यक्ति परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किए जाने के बारे में जानते हुए प्रयोग करने दे रहा है या यथास्थिति उसे यह ज्ञान था कि परिसर या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, यदि

(क) उस क्षेत्र में जिसमें कि ऐसा व्यक्ति निवास करता है, प्रसारित होने वाले समाचार-पत्र में इस आशय की रिपोर्ट प्रकाशित हुई हो कि इस अधिनियम के अधीन ली गई तलाश के परिणमस्वरूप वह परिसर या उसका कोई भाग वेश्यागृह के लिए प्रयोग करता पाया गया है।

धारा (5) में वेश्यावृत्ति कराने के लिए व्यक्ति को लेना, उत्प्रेरित या प्राप्त करना के बारे में यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति जो

(क) वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को, उसकी सम्मति से या उसकी सम्मति के बिना प्राप्त करता है या प्राप्त करने या प्रयास करता है या

(ख) व्यक्ति को किसी स्थान पर जाने को उत्प्रेरित करता है।

(ग) किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसके द्वारा वेश्यावृत्ति करने या उस पर वेश्यावृत्ति कराए जाने की दृष्टि से ले जाता है या ले जाने का प्रयत्न करता है या ले जाने देता है;

(घ) किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराता है या वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करता है।

अधिनियम की उपयुक्त सभी धाराएं वेश्यागृह का मालिक अवश्य नहीं है कि उस भवन/ मकान/ फ्लैट का मालिक हो, वह सिर्फ एक व्यक्ति भी नहीं हो सकता बल्कि ऐसे कई लोगों का तंत्र हो सकता है जो इस अनैतिक व्यापार से जुड़े हुए हों।

कहीं इन्हें वेश्यागृह/चकले का मालिक पुकारा जाता है तो कहीं ये मैनेजर कहलाते हैं। यौन-कर्मियों से की गई बातचीत को आधार माने तो 'एक रोज ग्राहक बन कर आने वाला पुरुष अगले रोज दलाल बनकर आ जाता है।' जिस धंधे में बिना कुछ मेहनत किए मोटी रकम ऐंठनी आसान हो तो किसी का भी यह पार्ट टाइम व पूरे दिन का धंधा बन ही जाता है।

जिस तरह यौनकर्मियों के पास आने वाले पुरुष हर उम्र के होते हैं उसी तरह वेश्यागृह मालिक भी हर उम्र के होते हैं और धर्म, जाति, सम्प्रदाय का यहां भी कोई भेदभाव नहीं है। भले ही कोई धर्म पाप, कर्म करने के लिए कितना भी भयभीत कराता हो पर हर धर्म के पुरुषों का यह धंधा किसी राज्य में किसी विशेष जाति का तो किसी दूसरे राज्य में किसी और जाति के पुरुष औरतों को कठपुतलियों की तरह नचा रहे होते हैं।

अधिकांशतः वेश्यागृह के संचालन इस की 'मालकिन' के द्वारा किया जाता है। पहले यौन-कर्मी फिर बरसों बाद उसकी मालकिन बन जाना एक आम बात है। पुरुष मालिक भी अनपढ़ ही होते हैं। कभी-कभी इनका अपना अलग से घर-परिवार भी होता है। किसी वेश्या को रखैल बना कर रखना या किसी वेश्या का किसी एक पुरुष को पति के रूप में साथ रहने वाले ये पुरुष वेश्यागृह का रख-रखाव करने लगते हैं। वेश्यागृह के मालिक बनने से पहले उनका स्वयं का वेश्यावृत्ति करने का धंधा होने के अलावा यौन-शोषण का शिकार होना, दलाल होना, मजदूर, पुलिस या ब्रोकर होना जैसा रिकार्ड भी हो सकता है जिन्हें अधिक रुपए कमाने का लालच या कभी कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण यह सरल व आसान रास्ता दिखता है। जिन परिवारों का पारंपरिक पेशा ही यौन-कर्म है उन परिवारों के मुखिया, भाई, बेटे परंपरा से इस व्यवसाय में लग ही जाते हैं।

वेश्यागृह के मालिकों का धंधा दलालों के माध्यम से चलता है। दलाल ही उन्हें नये 'शिकारों' से मिलवाते हैं और 'शिकारों' को उनकी जानकारी देते हैं। दलालों को हर दिन ग्राहक लाने के लिए और नई लड़कियां लाने के लिए सौ रुपए से हजारों रुपए का भुगतान वे करते हैं।

वेश्यागृह के मालिकों की सांठगांठ कभी-कभी अनैतिक व्यापार करने वाले दुर्व्यापारियों (ट्रैफिक्कर) से सीधा तो कहीं-कहीं इस काम के लिए उन्होंने कर्मचारी रखे होते हैं। जो खरीद-फरोख्त, किराये या लड़कियों को एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचाने का काम करते हैं। इन मालिकों के पास काम करने वाली यौन-कर्मी भी इनके लिए नई लड़कियां लाने का काम करती हैं। जो वर्ष में एक बार अपने गांव जाती हैं और उनके साथ 'पति बनकर कोई दलाल भी जाता है। ये पति पत्नी गांव

कस्बे, आस-पड़ोस के गरीब परिवारों की लड़कियों को शहरों में काम करने व शादी-ब्याह करने के फायदे सुनाते हैं। ये ही वहीं उनके गरीब मां-बाप को पांच से दस हजार रुपए 'एडवांस' भी देकर आते हैं।

सिर्फ वेश्यागृह के मालिक ही नहीं कालगर्ल व मसाज पार्लर, फ्रेंडशिप क्लब चलाने वाले भी दूसरे शहर ही नहीं विदेशों से भी लड़कियां ऐसे ही लालच देकर लाते हैं, यहां लड़कियां 'नया माल' कहलाती हैं और उनके लिए वे 'आर्डर प्लेस' करते हैं उन्हें 'सप्लाई' होती है। कभी-कभी एक 'खोखा' (लाख रुपए) तक देना पड़ता है कई बार रास्ते में पुलिस 'माल' हाइजेक कर लेती है उसे भी छुड़ाने की कीमत देनी पड़ती है।

वेश्यागृह के मालिकों को किस क्षेत्र से लड़कियां व औरतें 'सप्लाई' होती हैं का सीधा-सा जवाब यह है कि देश के हर कोने में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी व लाचारी है और हर व्यक्ति अपने बद से बदतर होते हालातों से छुटकारा पाना चाहता है। ऐसे में कभी दो जून की रोटी के लिए, तो कभी घर में ऐशो-आराम की सुविधाएं जुटाने के लालच में मां-बाप कभी अपनी बेटियों को बेच देते हैं या भेज देते हैं या वे खुद चली आती हैं, तो कभी उन्हें बहलाना-फुसलाना काम कर जाता है। किसी भी वेश्यागृह के मालिक के पास कम-से-कम दस और अधिक से अधिक बीस-पच्चीस तक लड़कियां एक समय में एक स्थान पर होती ही हैं और उनके पास ऐसे वेश्यागृह केवल एक स्थान पर नहीं शहर के कई हिस्सों में उनके ठिकाने होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह उन्हें शिफ्ट करते रहना इनके धंधे का असूल ही है।

वेश्यागृहों के मालिकों की आय का स्रोत प्रतिदिन 'ग्राहकों' से ली गई राशि का मुख्य अंश उन्हीं के पास जाता है। जिसे वे कमरे के भाड़े, बिजली-पानी के खर्चे, पुलिस, अन्य विभागों की हफ्ता वसूली और वेश्याओं को दिए गए कर्जों की वसूली के नाम पर अपना 'कट' रख कर उन्हें पचास रुपए प्रति ग्राहक तक ही देते हैं।

वेश्यागृह के मालिकों के पास न केवल दिन-भर वहीं रहने वाली यौन-कर्मी नहीं होती बल्कि शहर के दूसरे हिस्सों में दिन भर या रात को 'काम' पर आने वाली लड़कियां भी होती हैं जो कभी-कभी उनके बताए स्थान या होटलों में भी जाती हैं। इन लड़कियों में कॉलेज/स्कूल की छात्राएं और गृहिणियां या फिर कम आय वाली नौकरियों में लगी स्त्रियां होती हैं जो आसान तरीके से अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम काम करती हैं, एजेंट, दलाल, मिडिलमेन और स्वयं यौनकर्मी भी अपनी परिचित लड़कियों को इस धंधे में ले आते हैं। घरों से आकर काम करने वाली ये स्त्रियां रेडलाइट एरियों में नहीं बल्कि होटलों, गेस्ट हाउसों, फार्म हाउसों में भेजी जाती हैं।

वेश्यागृह के मालिकों के अनुसार आजकल होटलों व फार्म हाउसों में लड़कियां भेजने की मांग बहुत बढ़ चुकी है। 'एस्कार्ट गर्ल' के नाम पर और होटलों में चलने वाले मसाज पार्लरों व 'स्पा' के लिए लड़कियों की मांग हर समय बनी रहती है। होटलों व फार्म हाउसों, गेस्ट हाउसों व कान्फ्रेंस सेंटरों में लड़कियां भेजने पर प्रति लड़की के हिसाब से उन्हें रु. दस हजार तक मिल जाते हैं।

वेश्यागृह के मालिकों को ग्राहकों की मांग पर नित नई लड़कियां इसलिए लानी पड़ती हैं कि ग्राहक कुंवारी या युवा लड़कियां पसंद करते हैं। कुंवारी के साथ यौन संसर्ग से एड्स से बचाव व यौन-रोग ठीक हो जाते हैं इस भ्रांति के चलते इनकी मांग अधिक बनी रहती है।

वेश्यागृह के मालिकों के पास बहुत बड़े, साफ-सुथरे और हवादार स्थान तो बहुत कम होते हैं। उस थोड़े से स्थान पर ढेर सारी लड़कियां जैसे गोदाम में सामान की तरह भरी पड़ी रहती हैं। धंधे के समय हर कमरा यहां तक कि छतों का इस्तेमाल भी होता है।

मालिकों को वहां अनुशासन बनाए रखने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नई लाई गई लड़कियों को कड़ी निगरानी में रखना जरूरी होता है कि कहीं भाग न जाए। उन्हें धंधे के गुर सिखाने का काम उम्र दराज यौन-कर्मियों को सौंपा जाता है। जो आसानी से न मानती हो उसकी मार-पिटाई और यौन शोषण से उसे समझाने के प्रयास किए जाते हैं। उसे भूखे रखना और दूसरी लड़कियों से डराना-धमकाना जैसे प्रयास भी किए जाते हैं।

वेश्यागृहों में मालिकों ने हेल्पर, मैनेजर, सफाईवाला जैसे स्टाफ भी रखे होते हैं जो यौन कर्मियों के प्रतिदिन के ग्राहकों का लेखा-जोखा व बिजली पानी का ख्याल रखते हैं। कुछ 'गुंडे' किस्म के लोग भी इसलिए नियुक्त किए जाते हैं जो किसी बुरे ग्राहक को धमकाने व धकेलने का काम करते हैं। ऐसे गुंडों के डर से लड़कियां भी सहमी-सी वहीं से निकलने की कोशिश नहीं कर पाती हैं।

भले ही यौन-कर्मियों के प्रतिदिन के ग्राहकों का लेखा-जोखा रखा जाता है पर उन्हें पुलिस, राजनेताओं, अपराधियों, ब्रोकर, दलालों, बड़े दुर्व्यापारियों को 'फ्री सर्विस' देनी पड़ती है। ऐसा सब धंधे को चलाते रहने के लिए उन्हें करवाना पड़ता है।

यौन-कर्मियों के स्वास्थ्य के प्रति मालिकों को यूं तो कोई विशेष चिंता नहीं होती। आज के बदलते दौर में यौन-कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए कई एन जी ओ काम कर रहे हैं और वही उन्हें एच आई वी व एड्स की जानकारी देते हैं और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) की ओर से एन.जी.ओ. के द्वारा उन्हें

कंडोम का निःशुल्क वितरण होता है और उनके स्वास्थ्य की जांच भी होती है। यौन-कर्मियों में से कुछ कर्मी इन एन.जी.ओ. की ओर से काम करते हैं इसलिए मालिकों को इस पक्ष की चिंता नहीं करनी पड़ती है।

निसंदेह वेश्यागृह के मालिक स्त्रियों के अनैतिक देह व्यापार का घिनौना चेहरा पेश करते हैं, अधिकांशतः वेश्यागृह की मालकिन पहले स्वयं यौन-कर्मी से इस स्थिति पर पहुंची होती हैं। जिन परिस्थितियों का शिकार होकर वे यहां आई होती हैं पर ऐसा नहीं चाहती कि कोई दूसरी न आए बल्कि कैसे किसी को यहां लाया जा सकता है इसका उन्हें हुनर आता है। आजीविका के दूसरे साधनों का अभाव, वैकल्पिक आय के साधन न होने, किसी प्रकार के कौशल के न होने, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता न होना ये कुछ ऐसे कारक हैं जो इन्हें इस धंधे से उम्र भर जोड़े रखते हैं। सरकारी तंत्र जानता है कि इनका देह व्यापारियों से सीधा नाता है। प्रयास ये होने चाहिए कि इस कड़ी के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए और मानवाधिकारों के विरुद्ध इस व्यवस्था को रोका जाए। शोषण यौन कर्मियों का ग्राहकों के द्वारा हो या ये भी कारक व निमित्त बने जरूरत है कि इस सिलसिले को अब बस यहीं रोका जाए।

वेश्यागृह मालिकों का एक रूप नेशनल हाईवे पर भी दिखता है। हाईवे पर रुकने वाले ट्रक ड्राइवर हों या दूसरे वाहन उनका रुकना उनके ग्राहक होने की पहचान होती है इन आपरेटरों के एजेंट भावी ग्राहकों को ढूंढ लेते हैं। यहां रुकने वाले ग्राहकों के साथ सौदा एक दिन का नहीं तीस से चालीस दिन का होता है। सौदा जिस भी राशि का हो आधा उस औरत के परिवार को और आधा एजेंट लेता है।

ऑपरेटर और औरतें एक-दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। वैसे कई ब्रोकर भी यहां मिल जाते हैं और दोनों पक्षों को मिलाने के लिए अपनी दलाली ले लेते हैं। कान्ट्रेक्ट कभी एक ऑपरेटर के साथ तो कभी दूसरे के साथ साल भर चलता ही रहता है। हाईवे के किनारे-किनारे चलने वाली ये सेक्स इंडस्ट्री पूरे देश में एच आई वी/एड्स को फैलाने की लंबी यात्रा है जिसे सरकारी प्रयासों से नहीं लोगों की जागरूकता से रोका जा सकता है।

वेश्यागृह मालिकों ने बड़े शहरों की मांग के अनुसार छोटे शहरों से अगवा की गई लड़कियों का वर्गीकरण कर रखा होता है। पहली प्राथमिकता सुंदर चेहरे वाली लड़कियां, दूसरी सुडौल देह यष्टि, तीसरी उसकी उम्र, चौथी प्राथमिकता उसका कुंवारा होना, पांचवी प्राथमिकता उसका रंग, छठी प्राथमिकता उसके शर्मसार न होना। इसी प्राथमिकता के आधार पर उनकी कीमत तय की जाती है। एक लड़की कई हाथों से बिकती हुई किसी छोटे से गांव, कस्बे से दिल्ली, मुंबई या कोलकाता

जैसे शहरों में पहुंचा दी जाती है।

बड़ी विचित्र स्थितियां होती होंगी कि गुंडे-अपराधी, निरक्षर किस्म के ये लोग छोटे शहरों से उठाई गई इन लड़कियों को कोठों पर कैद कर वहां की 'मैडम' को इनके व्यवहार पर निगरानी रखने के लिए कहते होंगे और वह उन्हें विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में बांट देती होगी और फिर जब बड़े शहरों से फोन घनघनाते होंगे तो जिस की बलि चढ़ने की आवाज उठती होगी उसे भेज दिया जाता होगा। उनका वर्गीकरण करने का सीधा-साधा अर्थ अधिक मांग अधिक रुपया ही होती है। ये लोग सुंदर व युवा, सुंदर व युवा नहीं और विशेष खूबसूरत न होना ये तीन श्रेणियां भी इनकी बनाते हैं और उसी के अनुसार उसका मोलतोल करते हैं। किसी व्यक्ति की खरीद-फरोख्त के लिए उस पर रेट-टेग लगाना यानि उसे 'वस्तु' घोषित कर उसके मानवाधिकारों का हनन बिना रुकावट जारी है।

वेश्यागृह मालिक के खर्चे- बिजली, पानी, नेपकिन, तौलिए, अगरबत्ती, पान, सिगरेट, शराब, चटकीली पोशाकें, मेडिकल उपचार, टेलीफोन-मोबाइल बिल, पुराने केसों में लगे जुर्मानों के खर्च, कोर्ट-कचहरी की फीस, पुलिस और गुंडों की हफ्ता वसूली। यह कुछ खर्चे हैं—जो इस धंधे में वेश्यागृह के मालिक को करने पड़ते हैं।

इसके अलावा कभी पुलिस छापे, कभी ग्राहक के रूप में पुलिस, तो कभी पैसा न भरने वाले ग्राहकों के कारण होने वाले अतिरिक्त खर्चे इनके मुनाफे में कमी लाते हैं। पर ये सभी खर्चे वे 'माल' को बेच कर वसूलते हैं जिसे खरीद कर लाते हैं।

वेश्यागृह के मालिक गांव के भोले-भाले परिवारों को उन्हें अपनी लड़कियों को देवदासी बना कर धंधे में लगाने का औचित्य भी समझाने से बाज नहीं आते हैं। एक बार खरीदी गई लड़की उनके जाल से तभी मुक्त हो पाती है यदि वह अपने सिर पर चढ़ा कर्ज उतार सके। उसकी खरीद पर किया गया खर्च उस पर कर्ज होता है। उसके रहने, बिजली, पानी, डॉक्टरी खर्चे भी कर्ज की सूची में आते हैं। कभी पुलिस को दी गई हफ्ता वसूली व जमानत भी उसी पर कर्ज है। कर्ज की यह लंबी सूची कभी छोटी या कम होने वाली नहीं। इस कारण एक बार की वेश्या, उम्रभर की वेश्या यूं ही नहीं कहा जाता।

लड़कियों व औरतों को नियंत्रण में रखने के लिए उन्हें डराना-धमकाना, गाली-गलौज पकड़वा दिए जाने व मौत की धमकी देना भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। लड़कियों पर दबाव बनाने के लिए पुलिस की मदद भी लेते हैं जो इन्हें डराने-धमकाने का काम करती है।

सामान्यतः एक वेश्यालय जिसे 'कोठा' भी कहा जाता है, में 10 से 20 और

कभी-कभी इससे अधिक लड़कियां भी होती हैं। अक्सर ये कोठे अवैध ही होते हैं पर बीच शहरों में सदियों से ही चले आ रहे हैं। दिल्ली का जी बी रोड हो या मुंबई का कमाठीपुरा या फिर कोलकाता का सोनागाछी या भाऊ बाजार कोठे चले आ रहे हैं। वेश्यालयों का स्थान अक्सर किराए पर ही होता है। यहां के कमरे यौन-कर्मियों को किराए पर दिए जाते हैं। बाहर से आने वाली यौन कर्मी कहीं ग्राहक के हिसाब से, कोई घंटों के हिसाब से किराए पर लेती हैं। कोलकाता के वेश्यागृहों की स्थिति से तस्वीर काफी स्पष्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वेश्यागृह किसी रेड लाइट एरिया में ही हो। कुछ बड़े शहरों को छोड़कर शेष सभी शहरों में ये स्थानीय क्षेत्रों, कभी एपार्टमेंट, होटलों व घरों में भी चलते हैं। वेश्यागृह किसी कानूनी व्यवस्था के कारण एक विशेष स्थान पर नहीं होते पर कुछ बस्तियां इस तरह बदनाम हो जाती हैं।

रेड लाइट एरिया में वेश्यागृहों की स्थितियां बहुत तंग हालातों की ही होती हैं। कमरों के नाम पर एक बेड भर की व्यवस्था ही होती है। साफ-सफाई नदारद, एक-एक कमरे में दस-दस बारह लड़कियां एक साथ रहती हैं।

वेश्यागृह के मालिक अक्सर नई लड़कियां खरीद कर यहां भरते रहते हैं। किसी भी नई लड़की के लिए यहां का माहौल दिल दहला देने वाला ही होता है। कोई भी लड़की आसानी से यहां की स्थितियों का सामना नहीं कर पाती है।

वेश्यागृह के मालिक यौन-कर्मियों व उनके बच्चों के स्वास्थ्य व रहने की समुचित व्यवस्था का ख्याल तो रखते नहीं पर उन्हें सुख सुविधाओं के नाम पर जो बिजली, पानी व छत की व्यवस्था करते हैं उसका किराया लेने के साथ-साथ उन्हें जरूरी खर्चों के लिए जो कुछ देते हैं उन्हें उनके नाम कर्ज के रूप में दर्ज करते हैं। कभी पुलिस का छापा, तो कभी उन्हें जमानत पर छुड़ा कर लाने पर हुआ खर्च उनके नाम 'कर्ज' के रूप में दर्ज करते हैं। 'कर्ज' का यह जंजाल उनके सिर से कभी उतरता नहीं और वे इससे कभी बाहर नहीं निकल पाती हैं। इनके बच्चे इसी माहौल में बड़े होकर कभी स्वयं यौन-कर्मी तो कभी जबरदस्ती बना दिए जाते हैं। लड़कियां जहां यौन-कर्मी बनने को मजबूर होती हैं तो लड़के दलाल बन जाते हैं। वेश्यागृहों में प्रसव पूर्व जन्म, मृत शिशु, अवैध संतानें, भ्रूण हत्याएं, गर्भपात जो अप्रशिक्षित दाइयों के हाथों होता है एक आम दृश्य है। वेश्यागृहों के मालिक, मालकिन और दलालों के द्वारा यहां यह सब कराना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। डॉक्टर के पास भेजने पर होने वाले खर्च से बचने का यही सस्ता हल है। यदि डॉक्टर के पास भेज भी दिया जाता है तो उसकी फीस व दवाओं के खर्च को कर्ज के खाते में लिख दिया जाता है।

वेश्यागृह गुंडों, अपराधियों की शरणस्थली है। ड्रग्स, तस्करी जैसे काम भी यहां होते हैं। पुलिस अक्सर गुंडों को यहीं से पकड़ती है।

वेश्यागृह के मालिक अक्सर वेश्यालयों की परिधि में दिखते नहीं है। उनका यह व्यापार मैडम, मालकिन व दलालों और मैनेजरों के द्वारा ही चलता है।

मैडम या मालकिन इन वेश्यागृहों के मालिकों की रक्षिता यौन-कर्मी होती हैं जो अब धंधा नहीं करती हैं।

मैडम-मालकिन- वेश्यागृहों को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई व्यक्ति है तो वे कोठे की मालकिन है। वही नई लड़कियों को धंधे के गुर सिखाती हैं। ग्राहकों की संतुष्टि और जिस मालिक के लिए काम करती हैं उसके लिए मुनाफा कमाने के लिए लड़कियों को वस्तुओं की तरह सुबह से देर रात तक काम में लगाए रखने में ये माहिर होती हैं। उसके लिए किसी यौन-कर्मी की थकावट उसकी बीमारी, उसकी असुविधा सब कुछ बेमानी होती है। ग्राहकों से रुपए लेना व प्रत्येक यौन-कर्मी का हिसाब किताब रखने के लिए बाबूओं की नियुक्ति इन्होंने कर रखी होती है। नई लड़कियों को वेश्यागृह से अकेले बाहर जाने की अनुमति ये नहीं देती हैं।

मैडम यौनकर्मियों को अपने रुखे व कठोर व्यवहार से ही अपने नियंत्रण में रखती हैं। यौनकर्मियों को नशे की लत लगाना धंधे पर बिठाने के लिए हर प्रकार की यंत्रणा देना इनके स्वभाव में शुमार हो जाता है।

दलाल- हर रात जो ग्राहकों को पकड़ कर वेश्यालय लाता है वह 'दलाल' होता है। वेश्यावृत्ति व दलाल एक-दूसरे के पूरक बन चुके हैं। वेश्यावृत्ति की तरह दलाली का धंधा भी उतना पुराना है। वह एक ओर ग्राहक को लाता है, दूसरी ओर पुलिस से उनका बचाव करता है। कमीशन एजेंट की तरह दलाल काम करते हैं। यौन कर्मियों के अनुसार कोई भी पुरुष यहां पहले ग्राहक बन कर आता है दूसरी बार दलाल बन कर यहां रोज आने लगता है।

दलाल यौनकर्मियों को सुरक्षा देने वाला पुरुष बनकर उनके धंधे पर रोजी-रोटी कमाने वाला व्यक्ति बन जाता है। औरत स्वभाव से ही किसी पुरुष से सुरक्षा चाहती है उसी का लाभ दलालों को मिलता है। उनके लिए ग्राहक लाने के लिए, उनके बच्चों की देखभाल, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने, उनके लिए खरीददारी करने और यहां तक कि उनके गांवों में उनका पति बनकर उनके साथ भी जाते हैं।

ग्राहकों को दारु और ड्रग लाकर देने का काम भी इन्हीं का रहता है। पुलिस का खबरी और पुलिस से बचाने वाला व्यक्ति यह दोनों ही काम दलाल करते हैं।

यौनकर्मी दलाल होने चाहिए अथवा नहीं इस प्रश्न पर बंट जाती है। जो यौनकर्मी अपना धंधा कर सकती हैं उन्हें दलाल को कमीशन देना अखरता है जब

उन्हें कमीशन नहीं मिलता तो ग्राहकों को ऊपर आने नहीं देते कि पुलिस आई है या आने वाली है। मुफ्त संभोग करने की छूट चाहते हैं पर दूसरी ओर अधेड़ उम्र की यौनकर्मी ग्राहको के लिए इन्हीं पर निर्भर होती हैं। दलाल ही वेश्यागृहों के लिए नई लड़कियां पकड़ कर लाते हैं। कमीशन के अधिक से अधिक मिलने के लालच में नई लड़कियों की तलाश करते-करते ये स्वयं भी खरीददार और दलाली से मालिक और कभी-कभी व्यापारी तक बन जाते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि ये रेडलाइट एरिया में ही काम करते हों, ये होटलों, गेस्ट हाउसों के संपर्क में भी रहते हैं।

ये यौनकर्मियों और वेश्यागृहों के मालिकों को जोड़ने वाली कड़ी है।

दलाल न केवल रेड लाइट एरिया की औरतों के काम में सहायक है बल्कि 'स्ट्रीट वॉकर' और 'काल गर्ल' के लिए भी धंधे का बंदोबस्त करते हैं। काल गर्ल को ग्राहक के ठिकाने पर पहुंचाने और लेकर आने के लिए टैक्सी/ गाड़ी का प्रबंध भी करते हैं।

स्ट्रीट वॉकर के साथ आटो रिक्शा चालक और कालगर्ल के साथ टैक्सी ड्राइवर और किसी नुक्कड़ पर पानवाला या रिक्शावाला अपने दूसरे कामों के साथ-साथ दलाली का यह काम भी करते हैं।

इनकी भाषा में कई प्रचलित मुहावरे भी हैं। कोठे की भाषा में बच्चे 'माल' बन जाते हैं। पावर शाट व सुंदरियां भी इनके कोड शब्द हैं। पावर शाट का अर्थ एक पुरुष की यौनेच्छा पूरी करने के लिए एक से अधिक बच्चे प्रयोग में लाए जाएं और यदि दो तीन बच्चे एक साथ एक पुरुष के साथ होते हैं तो उसे 'इवनिंग सेक्सी' कहते हैं। बाल वेश्यावृत्ति को बढ़ाने वाले दलाल होते हैं जो ग्राहकों को लुभाने के लिए 'नए माल' की जानकारी घूमते-फिरते देते रहते हैं।

दलाल की एक विशेषता यह है कि वह उसे रखैल की तरह रखता है। वह उसके रुपए पैसे का हिसाब-किताब ही नहीं रखता, बल्कि मौका-बे-मौका उसकी कमाई भी ऐंठता है। वह उसे 'यौन सुख' भी देता है जो उसे ग्राहकों से नहीं मिलता है। दलाल एक साथ कई यौनकर्मियों को अपने कब्जे में रखता है। उन्हीं की मदद से दूसरी लड़कियों को भी लेकर आता है।

अंडर वर्ल्ड- अपहरणकर्ता, तस्कर, ड्रग्स बेचने वाले, विभिन्न प्रकार के गैंगस्टरों का यदि ठिकाना कोई है तो वो यही रेडलाइट एरिया है। गलत तरीकों से कमाए धन को कोठों पर न्यौछावर करना, यहां की लड़कियों को गैंगवार में इस्तेमाल करना, लूट का धन लगा कर यहां छुपाना यह एक आम स्थिति है। मानव तस्करी करने वाले लोग अंडरवर्ल्ड का ही विस्तार होते हैं।

कालगर्ल- वेश्यावृत्ति का शहरीकरण 'कालगर्ल' के रूप में देखा जा सकता

है। सेक्स इंडस्ट्री में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली और जिसके ग्राहक सिर्फ अमीर ही होते हैं कहा जा सकता है। मजबूरी से, जबरन जैसे शब्द इनके लिए भूले-भटके ही इस्तेमाल होते हैं बशर्ते कि वे किसी अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के चंगुल में फंस कर कालगर्ल न बनी हो। कालगर्ल के बारे में किए गए विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि वे स्वतंत्र रूप से अपने एपार्टमेंट से काम करती हैं जिसे उसने किराए पर ले रखा होता है उसमें सामान्यतः वह रहती नहीं है सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करती है। कभी कभी किसी एजेंसी से भी जुड़ी होती है जो टेलीफोन पर उनके लिए ग्राहक तय कर देती है। पुलिस का छापा न पड़े तब तक इनकी गतिविधियों के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता।

पड़ोस में रहती कोई स्त्री काल गर्ल है या किसी आफिस के रिसेप्शन पर बैठी स्त्री इस धंधे में हैं कोई उनका चेहरा देख कर नहीं बता सकता। इसी कारण आजकल पुरुष जी बी रोड, कमाठी पुरा, सोनागाछी जैसे बदनाम इलाकों में जाने की बजाय किसी कालगर्ल के पास जाना या उसे बुलाना पसंद करते हैं क्योंकि बड़े होटलों और बड़े एपार्टमेंट के बंद कमरों में गोपनीयता को कोई खतरा नहीं होता है। परिणामतः कालगर्ल की संख्या दिन-प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है और कोई भी किसी भी तरह का आंकड़ा बताने की स्थिति में नहीं है कालेज गर्ल हो या स्कूल की छात्रा, कामकाजी, विवाहित, अविवाहिता या फिर हाउस-वाइफ कोई भी हफ्ते में एक या चार दिन कालगर्ल बन कर अच्छी रकम कमा कर अपने अतिरिक्त खर्चों और आराम परस्त जीवन शैली को बनाए रखती है। इनके लिए समाज के दरवाजे बंद नहीं हैं बल्कि समाज के बीच से कब दबे पांव रात या दिन के उजाले में दुनिया के सबसे बदनाम व्यवसाय का हिस्सा बन वहीं लौट जाती हैं।

आमतौर पर कालगर्ल पढ़ी-लिखी, सभ्य, स्मार्ट और सब के साथ घुलमिल जाने वाली, किसी पार्टी में छा जाने वाला व्यक्तित्व होता है। वे केवल अपने पॉश एपार्टमेंट में ग्राहकों से नहीं मिलती और न ही अपने टेलीफोन पर किसी से बातचीत करती है। किसी एजेंसी, किसी दलाल के मार्फत संपर्क कर किसी होटल, गेस्ट हाऊस, सरकारी सर्किट गेस्ट हाऊस, सिनेमा हाल में भी मिलती है। किसी टूरिस्ट, कंपनी एक्जीक्यूटिव, राजनेता, सरकारी अधिकारी को कंपनी देने, उनके साथ दूसरे शहर या शाम को किसी होटल या पार्टी में घूमने निकलती है।

अक्सर यौनकर्म में लिप्त होने के कारणों में आर्थिक कारणों को सर्व प्रमुखता दी जाती है। यह माना कि आर्थिक तंगी या गरीबी किसी लड़की को इस धंधे में आने के लिए मजबूर करती है पर यह भी उतना बड़ा सच है कि हर गरीब लड़की इस धंधे को नहीं अपनाती। गरीबी की वजह से भुखमरी का शिकार होने के बावजूद इस

धंधे में न आने वाली स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक है जो पेट भरने के लिए जिस्मफरोशी नहीं करना चाहती है। वस्तुतः कॉल-गर्ल रेकेट महानगरों में फलते-फूलते हैं जिनमें और गरीबी की वजह से नहीं अन्य कारणों से लड़कियां जुड़ जाती हैं। विश्वभर में कैबरे गर्ल, बारगर्ल और अन्य कई छद्‌म रूपों में कॉलगर्ल का व्यापार चलता है। खुले आम विज्ञापनों से लुभाती है।

गत वर्ष मई-जून के समाचार पत्रों में छपी वह सुर्खी किसी भी संभ्रांत स्त्री का सिर शर्म से झुकाने के लिए काफी थी जिसमें एक युवती ने अपने कौमार्य भंग (वर्जनेटी) की नीलामी नेट पर की थी। सबसे अधिक नीलामी देने वाले पुरुष के साथ रात बिताने की खबरें भी सविस्तार छपी थीं। इसे वेश्यावृत्ति के किस रूप में शामिल कर सकते हैं।

विदेशों में कॉलगर्ल के विजिटिंग कार्ड जिन पर यौनेच्छा आमंत्रण करने वाली भाषा, चित्र और ड्रांइग चैन से लिपटी लड़की बनी होती है धड़ल्ले से आदान-प्रदान होते हैं। टेलीफोन बूथों की भीतरी दीवारों पर उनके विजिटिंग कार्ड लगे रहते हैं।

समाजशास्त्रियों का मानना है कि कॉलगर्ल संस्कृति, औद्योगीकरण व शहरों में फलने-फूलने वाली नई संस्कृति है। इसका गरीबी या आर्थिक तंगी से कुछ लेना-देना नहीं है। शहरों में टूटते परिवारों में भावनात्मक लगाव की कमी, टीवी व इंटरनेट पर खुले आम परोसी जाने वाली अश्लीलता, नैतिक मूल्यों का अभाव और शादी की उम्र बढ़ने के कारण यौन की इच्छापूर्ति के लिए अविवाहिता, कामकाजी, छात्राओं का इस ओर झुकाव बढ़ रहा है।

वहीं विवाहिताओं को पतियों के साथ तालमेल के न बैठने, पति के अवैध संबंध, मदिरा व मादक पदार्थों का सेवन या यौन संतुष्टि न कर पाने और तलाकशुदा व विधवाओं की यौन संतुष्टि की चाहत एक साथी की तलाश जिसके साथ जिम्मेदारियां न जुड़ने पाए, उन्हें यौन व्यापार की इस दलदल में ले जाता है। इसके अलावा निम्फोमेनिया को भी इसका कारण माना जाता है।

इसके साथ ही जिन परिवारों में पिता के अवैध संबंध या मां के नाजायज रिश्ते, भाई के साथ सेक्स संबंध या शराब का सेवन, किसी नजदीकी रिश्तेदार या पड़ोसी द्वारा बलात्कार जैसे कारणों से या फिर उनके प्रति क्रोध के कारण अवैध सेक्स संबंधों को अपना लेती है और कई बार घरों से भाग कर ऐसे दलालों के चंगुल में फंस जाती है जो कोठों पर तो नहीं कालगर्ल के रेकेट में उलझा लेते हैं। फिर रूपया-पैसा, ऐशो आराम, मोबाइल फोन, बंगला, घूमना फिरना, मार्डन लाइफ स्टाइल जब मिलने लगता है तो कुछ भी उन्हें बुरा नहीं लगता।

विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्ष बताते हैं कि वेश्याओं की तुलना में कालगर्ल की

स्थितियां काफी बेहतर हैं। जहां वेश्या को दिन में कई ग्राहक झेलने के बाद प्रति ग्राहक मुश्किल से पचास रूपए उसके हिस्से आते हैं पर कालॅगर्ल हजारों रूपए एक ही ग्राहक से बटोर लेती हैं और अपनी इच्छा से ग्राहकों को चुनती हैं और उनकी हर बात को नहीं मानतीं। अपनी शर्तों पर सौदा तय करती हैं।

गोवा में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार संभ्रात परिवारों की हाउस वाइफ व कालेज गर्ल कालॅगर्ल थी और पॉश इलाकों में रह रही थी।

मुंबई में जब एक कालॅगर्ल रेकेट को पकड़ा गया था तो कॉलेज की लड़कियों के बेगों में कंडोम निकले थे। उनसे बातचीत के दौरान यह पता चला था कि वे अपने परिवारों या होस्टल में रहती हैं और कभी फ्री पीरियड में या कॉलेज की कक्षाएं छोड़ कर बीच में चली जाती हैं ताकि किसी को उनकी गतिविधियों का पता न चले। कुछ शाम को कोचिंग क्लास के नाम से घरों से निकलती हैं होस्टल में रहने वाली लड़कियां अपने अभिभावकों को मिलने, डाक्टर से दवा लेने के बहाने से निकलती हैं। अपने असली नाम नहीं बल्कि छदम नाम से संपर्क करती हैं। कॉलेज की लड़कियां संभोग के स्थान पर मुख मैथुन और फोरप्ले करती हैं ताकि अनचाहे गर्भ से बची रहे और कोई उनकी गतिविधियां जानने न पाए।

जिस किशोरावस्था में उनका शरीर परिवर्तनों के दौर में होता है और यौनेच्छा प्रबल होती है उस समय पोर्नोग्राफी सामग्री, अश्लील साहित्य, ब्लू फिल्में और इंटरनेट पर सभी कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध होने के कारण अपनी यौनच्छा को दबा कर रखने का संयम उनके पास नहीं होता है और बड़े शहरों में पढ़ाई व नौकरी के नाम पर आए ये नौजवान युवक-युवतियां अपने परिवारों से दूर होने के कारण नैतिकता के पाठ को गैरजरूरी समझ अपनी कामेच्छाओं की पूर्ति किसी भी तरीके से करने में हिचकिचाते नहीं हैं इसी वजह से कॉलगर्ल रेकेट हर बड़े शहर की संस्कृति का हिस्सा बन रहे हैं। यही नहीं अपने घर-परिवारों के बीच रहते हुए भी परिवार को बांध कर रखने वाली स्थितियां लगभग समाप्त हो रही हैं। मां-बाप नौकरियों के लम्बे घंटों की वजह से दिनभर तो कभी-कभी दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं। एकल परिवारों में बच्चे नौकरों की संगत में पलते-बढ़ते हैं और दिन भर अपने दोस्तों के साथ मौज-मस्ती करने से उन्हें कोई नहीं रोकता। फिल्मों में खुलेआम बेडरूम सीन, पोर्नोग्राफी लिटरेचर, ब्लू फिल्में और डेटिंग ये सब बहुत आम हो चुका है। बुरी संगत लड़कों को अय्याशी की राह पर ले जाती है और मां-बाप की करोड़ों रुपयों की कमाई में से कुछ हजारों कालॅगर्ल पर खर्चने में वे जरा संकोच नहीं करते हैं।

सर्वेक्षण रिपोर्ट ये कहती हैं कि कालॅगर्ल के व्यापार में लगी इन लड़कियों में कोई अपराध बोध नहीं होता है। उन्हें तकलीफ सिर्फ यह होती है कि घर-परिवार

व समाज से इसे कैसे छुपाए रखा जा सके। अनचाही प्रेगनेंसी, एड्स व अन्य संक्रामक रोगों से बचाव कैसे रखा जाए। मां-बाप भी आजकल जानकर भी चुप सिर्फ इसलिए रह जाते हैं कि घर की इज्जत को बचाए रखना चाहते हैं यदि कुछ कह दिया जाए तो ये लड़कियां अपना बेग उठाकर कहीं भी रहने के लिए निकल जाती हैं।

पश्चिमी देशों में यह बहुत ही व्यवस्थित रेकेट है और छिपे तौर पर चलने वाला यौनकर्म नहीं है। एक कालॅगर्ल की आटो बायग्राफी की शुरुआत ही इस तरह की गई थी कि हमें कुछ भी कहने से पहले हमारे बारे में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले यह जान लें कि हम आपकी मां, आपकी बहन, गर्लफ्रेंड, बेटी और यहां तक कि कालेज प्रोफेसर हो सकती है। दिन में एक कॉलेज लेक्चरार और रात को कालॅगर्ल यह कोई अचंभे वाली बात नहीं है।

जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है उसी तेजी से यौनकर्म के रूपों में बदलाव हो रहा है। जहां एक ओर यह सच्चाई है कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, बहला-फुसलाकर इस धंधे में लड़कियां धकेल दी जाती हैं तो यह भी उतना बड़ा सच है कि शहरों में अपनी मर्जी से इस धंधे में आने वाली यह लड़कियां स्कूल, कॉलेज की छात्राएं हो सकती हैं और कहीं अच्छे पदों पर दिन में नौकरियां कर रही हो सकती हैं। विदेशों में वे हाई क्लास वेश्यालयों या एस्कार्ट एंजेसियों के माध्यम से भी काम करती हैं। युवा विधवाएं, तलाकशुदा और गृहिणियां कालॅगर्ल हो सकती हैं।

कॉलेज की लड़कियों को जहां अपनी पाकेटमनी कमाने का यह आसान व सरल रास्ता दिखता है तो बड़ी उम्र की स्त्रियों को यौनेच्छा के अलावा अच्छी जीवन-शैली की तलाश के लिए कम समय में अधिक रूपया पैसा ही नहीं होटलों में खाना-पीना, घूमना, बड़े गिफ्ट जैसी वस्तुओं का लालच इस ओर ले जाता है।

काल-गर्ल व्यवसाय में आजकल एक शब्द और प्रचलित हुआ है- जी एफ ई यानि गर्ल फ्रेंड एक्सपीयरेंस (प्रेमिका अनुभव) इसमें वे ऐसा अनुभव कराती हैं कि पुरुष काल गर्ल व अपनी प्रेमिका में भेद नहीं कर पाता। वे चुम्बन व गले नहीं लगने देती हैं।

आजकल 'सुगर डैडी' जहां अमीर बूढ़ा पुरुष किसी कॉलेज गर्ल के साथ घूमना-फिरना व थोड़ा बहुत शारीरिक सुख लेने की कोशिशें करते हैं, का प्रचलन भी बढ़ गया है। रुपया व यौन-सुख दोनों गलबहियां डाले चलते हैं।

मसाज पार्लर- विभिन्न समाचार पत्रों में वर्गीकृत विज्ञापनों में छपे ये विज्ञापन अक्सर सभी की निगाह में पड़ते हैं।

ए. टू जेड. मसाज सर्विस- होटल व घर दोनों जगह-ए सी, हमारे पास बहुत

खूबसूरत, पढ़ी लिखी, हाई प्रोफाइल भारतीय व विदेशी महिला (पुरुष मसाज करने वाले हैं) बहुत छोटे शब्दों में यह भी लिखा रहता है सर्विस गोवा में भी उपलब्ध है।

मसाज का स्वर्गिक मजा (गोवा, हैदराबाद, पुणे, चैन्ने, बंग्लौर तक सर्विस उपलब्ध) मेल/फीमेल (सलेक्शन) चयन भी कर सकते हैं। (क्या यह चयन वैसा ही नहीं जैसा धंधे पर बैठी लड़कियों का होता है।)

450/450/450/- अपने तन व मन को आराम दें। एक्साटिक मसाज - कोआपरेटिव फीमेल? *कैसा सहयोग? बिना बताए समझा जा सकता है।*

(प्रश्न यह उठता है कि मसाज करने वाली मॉडल या स्टूडेंट है या देसी या विदेशी बताने का क्या अर्थ है। मसाज तो मसाज है कोई भी करे पर सीधे स्पष्ट अर्थ दूसरी ओर ही इशारा करते हैं।)

केवल होटल गेस्ट व एनआरआई की फुल बाडी मसाज, तो कभी लिखा रहता है, केवल विदेशियों के लिए रेम्प मॉडल द्वारा हॉट एंड कोल्ड बाडी मसाज, यही नहीं, पंजाबी, कश्मीरी, इंडियन, रशियन ब्युटीफुल लड़कियों द्वारा मसाज अच्छा कमाएं।

फिर कुछ विज्ञापनों में यह जानकारी भी होती है कि मसाज सर्विस में हाई प्रोफाइल फीमेल मॉडल, एयरहोस्टेस विदेशी पर्यटकों की मसाज हेतु मसाजर चाहिए। रोजाना कमाएं 800/1500 मात्र हजार पंद्रह सौ ही, नहीं रोजाना दस हजार से पंद्रह हजार रुपए कमाने के संबंध में भी लिखा होता है।

इन्हीं विज्ञापनों की भीड़ में काल सेंटर, सेल्स गर्ल, कूरियर कंपनियां स्कूल टीचरों के विज्ञापन होते हैं जिनमें तनख्वाह प्रतिमाह मात्र आठ से दस हजार से ज्यादा नहीं होती! इन विज्ञापनों की ही हम तुलना करें तो इनकी आड़ में क्या धंधा फलता-फूलता है किसी से छिपा नहीं है।

मसाज पार्लर विश्वभर में यौन-कर्मियों का एक बदलता स्वरूप है मजे कि बात यह है कि शहर के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में इनके विज्ञापन खुले आम प्रकाशित होते हैं। सामान्यतः मसाज पार्लर कई पाश्चात्य देशों में वेश्याओं के द्वारा ही चलाए जाते हैं।

इसमें संदेह नहीं है कि मसाज केंद्र सेक्स व्यापार का हिस्सा हैं। लगभग सभी पंजीकृत केंद्रों में ये गतिविधियां होती हैं। महिला, पुरुषों को और पुरुष, महिलाओं की मसाज करते हैं। यही नहीं मसाज ट्रेनिंग सेंटर भी खुल रहे हैं। जहां एक या दो सप्ताह प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रेक्टिकल ट्रेनिंग के नाम पर उन्हें मसाज सेंटरों में भेजा जाता है। यदि प्रशिक्षण ले रही लड़की व्यावसायिक यौन गतिविधियों में रूचि रखती है तो उससे कोर्स की फीस नहीं ली जाती। ये केंद्र संभावित वर्कर चुन लेते हैं। विभिन्न पर्यटन केंद्रों पर इनका मशरूम सा जाल बिछा रहता है। कभी-कभी

बलात्कार के मामले प्रकाश में आते हैं तब कुछ दिनों के लिए ये बंद हो जाते हैं फिर कुछ दिनों बाद किसी दूसरे नाम से खुल जाते हैं। एक अच्छे मसाज सेंटर में डाक्टर होना चाहिए और सेंटर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पर समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापन और कभी-कभी जब इन केंद्रों पर छापे पड़ते हैं तो दूसरी ही कहानियां सामने आती हैं। व्यावसायिक यौन-कर्म का यह आधुनिक रूप हैं।

जहां महिलाएं लगभग नग्न पुरुषों की मसाज कर रही हो वहां वे यौन शोषण का शिकार न हो यह स्थितियां असंभव नहीं हैं।

मसाज पार्लर के ये विज्ञापन कई बार ब्यूटी पार्लर की आड़ में भी चलते हैं। इन ब्यूटी पार्लरों के विज्ञापनों में हाई प्रोफाइल स्त्रियों की बॉडीमसाज कर हजारों कमाने के साथ-साथ सदस्यता शुल्क लेने और अमीर स्त्रियों, एन.आर.आई., हाऊस वाइफ लड़कियों की मसाज के लिए लड़के ही संपर्क करें की जानकारी दी जाती है। सबसे आश्चर्यजनक बात जो इन विज्ञापनों में दिखती है वह यह है कि इनका नेटवर्क पूरे भारत में होता है और एन.आर.आई., अमीर हाऊसवाइफ लड़कियों का आकर्षण व हजारों कमाए की जानकारी होती ही है।

हेलो दोस्त

दोस्त बनाएं - फोन करें - फोन नम्बरों की लम्बी लिस्ट रुपये 10/- प्रति एस.एम.एस. जस्ट टाइप - टाक, अक्सर मोबाइल फोन पर कुछ मैसेज अलग अंदाज से बीप की आवाज पर आते हैं और कई बार सब काम छोड़कर मोबाइल उठाने आते हैं तो बड़े सेक्सी अंदाज से दोस्ती बढ़ाने का पैगाम सुनने को मिलता है।

दोस्त बनाना हो गया अब और भी आसान कैसे लाइव चैट के लिए डायल करें। 6 रुपये प्रति मिनट नम्बर हैं।...

इन टेलीफोनों पर लोग फोन करते हैं तो आटोमेटिक कॉल ट्रांसफर सर्विस के द्वारा ग्राहक व यौनकर्मी की बातचीत कराते हैं। ऐसे केसों की तह तक पहुंचना कठिन होता है क्योंकि फोन कहीं प्राप्त होकर दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाते हैं

फ्रेंडशिप क्लब- समाचार-पत्रों के वर्गीकृत कॉलमों में मनोरंजन कॉलमों के अंतर्गत छपे विज्ञापनों को अपनी व्यस्त जिंदगी में मस्त लोग कम ही देखते हैं। जिन्हें कुछ नया व मनोरंजक चाहिए उन्हें ये विज्ञापन फौरन फोन घुमाने के लिए उकसाते हैं। इन कॉलमों की भाषा पर जरा नजर डालें।

... दिल से फ्रेंडशिप क्लब कॉलेज गर्ल, एयर होस्टेस, विदेशी पर्यटकों के साथ दोस्ती करें, लुत्फ उठाएं, कमाएं प्रतिदिन 10,000/-

... हर उम्र के युवक हाई प्रोफाइल हसीनाओं से दोस्ती करें। रजिस्ट्रेशन

14991/- हर शहर में एनजॉय करें। (मस्ती भी कमाई भी। निसंकोच संपर्क करें।)

इन फ्रेंडशिप क्लबों की हकीकत कभी-कभी तब समझ में आती है, जब अपराध शाखाएं उनके फर्जीवाड़े का भंडाफोड करती हैं। कालेज गर्ल्स, मॉडल्स, एयरहोस्टेस व अन्य प्रोफेशनल्स के साथ दोस्ती कराने का झांसा देकर लोगों को ये लाखों रुपयों का चूना लगाते हैं। लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए यह गिरोह विभिन्न समाचार-पत्रों में बाकायदा विज्ञापन देते हैं।

किसी भी इलाके में ये लोग आफिस खोलते हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई-कई टेलीफोन कनेक्शन लेते हैं। फोन पर लड़कियां फ्रेंडशिप के इच्छुक लोगों को झांसे में लेती हैं। लड़कियों को फोन पर ये हिदायत होती है कि उनके साथ लम्बी से लम्बी सेक्सी बातचीत करें और एक साथ एक-दो लोगों को बातों में उलझाए रखें। विज्ञापन चाहे छोटे शहरों के समाचार पत्र हों या बड़े शहरों के मित्रता बढ़ाने के शौकीन लोग, अपने नाम से भी विज्ञापन देते हैं। एक समाचार-पत्र के विज्ञापन की बानगी देखें xxx उम्र 35 साल सुंदर हैंडसम फार्मर एंड बिजनेस मैन को सुंदर सर्विस या एन.आर.आई. मैरिड फीमेल दोस्त की आवश्यकता है। लालची माफ करें। अमृतसर कपूरथला वाले संपर्क करें।

लवर्स फ्रेंडशिप क्लब मुक्त विचार, शिक्षित, उम्रभर की दोस्ती

युवा फ्रेंडशिप। हर उम्र के युवक-युवतियां मनचाही दोस्ती करें। हाऊस वाइफ, कालेज, हॉट गर्ल से दोस्ती करें।

ईरोस सेंटर- भारत में भले ही ईरोस सेंटर नहीं है परंतु विदेशों में स्ट्रीट गर्ल वेश्यावृत्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से शुरुआत में जर्मनी में ईरोस सेंटर बनाए गए थे जिन्हें जर्मनी के सामाजिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। ईरोस सेंटरों में यौनकर्मियों के लिए एपार्टमेंट हाउस बनाए गए हैं। इन ईरोज सेंटरों में अलग-अलग देश की महिलाओं जैसे थाई, फिलिपिन्स और अफ्रीकन मूल की वेश्याओं के अलग-अलग एपार्टमेंट होते हैं। इन ईरोस सेंटरों के मालिक वहीं मसाज पार्लर, डिस्को पोर्न शॉप भी चलाते हैं। इन सेंटरों को खोलने के लिए बैंक ऋण भी उन्हें मिलते हैं। प्रतिष्ठित समाचार-पत्रों में इनके विज्ञापन देखने को मिल जाते हैं/

स्ट्रीट वॉकर- कॉलगर्ल जहां बड़े लुके-छिपे ढंग से काम करती हैं वहीं बड़े शहरों के कुछ इलाकों में, समुद्री किनारों पर शाम के धुंधलके में सजी-संवरी लड़कियां खड़ी मिल जाती हैं। मुंबई के जुहूबीच पर शाम ढलते-ढलते बस स्टेंडों के पास आटो रिक्शा में बैठी ये लड़कियां अपने ग्राहक तलाशती हैं तो कुछ किन्हीं लेम्पपोस्टों के नीचे खड़ी मिल जाती हैं। ऑटोरिक्शा चालक इनके दलाल की भूमिका अदा करते हैं। स्ट्रीट वॉकर को अवैध लगभग सभी देशों में ही माना गया है।

जिन कालोनियों, बिल्डिंगों व रिहायशी इलाकों के पास ये घूमती हैं। वहां रहने वाले निवासियों की शिकायत पर कभी-कभार पुलिस इन्हें पकड़ती है और फिर डांस फटकारकर या कुछ जुर्माना कर छोड़ देती है पर दुबारा वे किसी दूसरी गली की नुक्कड़ पर अश्लील इशारे करती खड़ी मिल जाती हैं।

स्ट्रीट वॉकर सिर्फ लड़कियां होती हैं ऐसा नहीं है लड़के भी इस व्यवसाय में शामिल हैं। लड़कियां जहां शाम के धुंधलके में खड़ी मिलती हैं तो ये लड़के पॉश इलाकों में भरी दुपहरी में दिखते हैं। पति और बच्चों के स्कूल-कॉलेजों में चले जाने के बाद कभी-कभी किटी पार्टियों में तो कभी खाली बंगलों में इनका आना-जाना गुपचुप तरीके से चलता है विदेशों में पुरुष व स्त्री स्ट्रीट वॉकरों का धंधा बड़े व्यवस्थित रेकेट में चलता है।

समाजशास्त्रियों ने स्ट्रीट वॉकर व मादक पदार्थों की कीमतों में तालमेल बिठाने के प्रयासों में यह पाया है कि चूंकि ये नशे के आदी होती हैं और नशीले पदार्थ बेचने में भी इनकी भूमिका होती है।

चकलों में काम करने वाली यौनकर्मियों की अपेक्षा इनके पास अधिक स्वतंत्रता होती है जहां चकलों में उन्हें मालकिन को कमरे का भाड़ा देना पड़ता है, पर किसी स्थान पर रुकने का खर्चा ग्राहक को उठाना पड़ता है। ग्राहक को चुनने की स्वतंत्रता भी इन्हें होती है। मालकिन के द्वारा भेजे हर ग्राहक को झेलना इनकी मजबूरी नहीं होती है।

सड़कों पर काम करने से धंधे वाली के रूप में इनकी पहचान नहीं होती। अधिकांशतः गुमनामी का लाभ इन्हें मिलता है। यदि कभी पकड़ी जाए तो बात दूसरी होती है।

स्ट्रीट वॉकर भी दो प्रकार की होती है। एक जिनका धंधा ही यही होता है और दूसरी किसी अन्य धंधों जैसे होटल या रेस्तरां में वेटर, सेल्स गर्ल, किसी दुकान में दिन के समय काम कर रही होती है। यह इनका पार्ट टाइम काम होता है।

इस ग्रुप में स्कूलों व कालेजों की लड़कियां भी शामिल होती हैं जो कालेज व स्कूलों से भाग कर कभी सिनेमा हाल या पार्कों में घूम रही होती हैं।

विभिन्न अध्ययन, रिपोर्ट यह दर्शाते हैं कि इनकी औसत आयु 29 वर्ष और शिक्षा ग्यारहवीं तक ही होती है। अपने घर के इलाकों से दूर रहती हैं। इनमें से कई घरों से भाग कर बड़े शहरों में आई होती हैं। कच्ची उम्र में घर-परिवार में यौन शोषण का शिकार हुई होती हैं। कोई अपने जेब खर्च, अधिक रुपयों, तो कोई ड्रग्स खरीदने के लिए अपना जिस्म बेचती हैं। अध्ययन रिपोर्ट में जब काल गर्ल, अपने को एस्कार्ट गर्ल से और एस्कार्ट गर्ल अपने को स्ट्रीट वॉकर से बेहतर मानती है तो

महसूस होता है कि एक गलत व्यवसाय में लगे लोग उसमें भी किस प्रकार सकारात्मक तथ्य ढूंढने के प्रयास करते हैं।

नपुंसक/पुरुष सेक्स वर्कर- विभिन्न प्रकार के यौनकर्मियों का जिक्र नपुंसक व पुरुष यौनकर्मियों की चर्चा के बिना अधूरा होगा। बड़े शहरों में स्त्रियों की तरह लटक-झटक कर चलते, हाथों में कई अंगूठियां, लम्बे बाल, कानों में बूंदे पहने ये अक्सर दिख जाते है। ये महिलाओं की तरह पहनावा पहनते हैं पर सेक्स परिवर्तन नहीं करवाते हैं। इनमें से कुछ हार्मोन लेकर वक्ष के उभार ले आते हैं। सड़कों पर गहरे रंग की लिपस्टिक व पूरे मेकअप में दिख जाते हैं। ये मुख मैथुन व हस्त मैथुन आदि करते हैं।

जिस व्यवसाय में काला धन का ही कारोबार चलता हो उसे कौन बंद कराना चाहेगा। ऐसे विविध रूप व संगठित प्रयास तो उस समय भी नहीं होते थे जब इसे राज्य का संरक्षण प्राप्त होता था, कैसे स्थितियों में बदलाव लाया जाए यह विचारणीय प्रश्न है।

अध्याय-3

यौन-कर्म में लिप्त होने के विभिन्न कारण

वेश्यावृत्ति के कारणों की एक लम्बी फेहरिस्त है। भले ही तथाकथित कारण अपनी अहमियत खोने लगे हैं क्योंकि इस धंधे में अमीर-गरीब, पढ़ी लिखी, अनपढ़ बच्चे व प्रौढ़ सब शामिल होने लगी हैं। जबरन व इच्छुक सब यहां मौजूद हैं। तथापि कुछ कारणों को तो रेखांकित किया ही जा सकता है।

सन् 2000 की रिपोर्ट में यू एन स्पेशल रिपोर्टर 'महिलाओं के विरुद्ध हिंसा' के संबंध में कहा गया था कि दक्षिण एशिया के देशों में लड़कियों व महिलाओं की अनैतिक देह व्यापार (ट्रैफिकिंग) बड़े उद्योग के रूप में दिख रही है। व्यावसायिक यौन-शोषण के लिए कितनी लड़कियों का अनैतिक देह व्यापार हुआ उसके लिए कोई ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बंगलादेश की एक एन जी ओ के अनुसार प्रतिवर्ष 10,000 से 15,000 लड़कियां यहां लाई जाती हैं। इन लड़कियों को जहां वेश्यावृत्ति में ही धकेला जाता है और छोटे बच्चों को कई प्रकार के अवैध काम-धंधों, घरेलू नौकरों और बंधक मजदूर बनाया जाता है।

बंगलादेश, भारत, नेपाल व पाकिस्तान के कई लड़के अरब देशों में कैमल जॉकी बनाए जाते हैं।

वेश्यावृत्ति का प्राथमिक कारण परिवार-व्यवस्था में छिपा हुआ है। हमारे धर्मग्रंथों ने पति-पत्नी के संसर्ग के लिए कुछ विशेष दिनों की व्यवस्था की। उनके अनुसार पत्नी के ऋतुकाल (मासिक चक्र के दौरान 16 दिन) में 6 दिनों (पहले चार व ग्यारहवां व तेरहवां दिन) में संसर्ग नहीं किया जा सकता। शेष बचे दस दिनों में यदि पुत्र प्राप्ति की चाहना हो तो केवल समरातों को ही संसर्ग किया जाए। इस तरह केवल पांच दिन ही बचते हैं। यदि इन पांचों दिनों के दौरान कोई पूजा-अर्चना का दिन पड़ गया तो इन दिनों में संसर्ग वर्जित हो जाता है। पूर्णिमा अथवा चांद रहित रातों में यौन संसर्ग करने से होने वाली संतानों के भयानक होने का डर भी बिठाया जाता।

दिन के समय पति-पत्नी का मिलन असंभव होता था। 'एकान्त' पलों को कहीं महसूस नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के अत्यधिक नियंत्रण वाली व्यवस्था में ही पुरुष की यौनेच्छाओं की पूर्ति के लिए यौन-कर्मियों की एक जमात तैयार की गई होगी। पुरुष युद्धों के कारण व व्यापार के प्रयोजनों से घरों से बाहर रहकर किस प्रकार यौन सुख लें, इसके लिए जो व्यवस्था शुरू की गई उसे सदियों से बरकरार रखा जा रहा है।

मनोवैज्ञानिक कारण- विभिन्न सामाजिक व आर्थिक कारणों के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक कारणों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। भौतिक सुख-सुविधाओं की तलाश अक्सर वर्तमान परिस्थितियों के प्रति असंतोष पैदा करती है। जब किसी दूसरी स्त्री को कम मेहनत किए बहुत सी सुख-सुविधाएं, उपहार-तोहफे, विलासिता के साधनों से संपन्न देखते हैं तो कमजोर मन विचलित होता ही है कि क्या फर्क पड़ता है। नैतिकता व अनैतिकता की लकीर बेहद हल्की होती है। उसे लांघने में देर नहीं लगती है। स्कूल-कॉलेजों में लड़कों के साथ दोस्ती आज एक आम स्थिति हो चुकी है। जिस लड़के या लड़की की दोस्ती नहीं होती उसे प्रश्न भरी नजरों से देखा जाता है। जब कच्ची उम्र में दोस्ती है तो फिल्मों व इंटरनेट के प्रभाव से सेक्स संबंध बनाने में भी कहीं कोई संकोच नहीं होता है। छोटी उम्र में यौन-संबंध बनने के बाद लड़के-लड़की दोनों की रुचि इसमें बढ़नी स्वाभाविक है। विलासिता की हर वस्तु को पाने की चाहत बुरी संगत में धकेल ले जाए। ड्रग्स व माफिया का हिस्सा बना दे और घर से बाहर निकले कदम वापिस नहीं लौटते हैं। इसी उम्र में प्यार व आकर्षण का अंतर भी समझ नहीं आता है। किसी की चार-मीठी बातें गलत पुरुष का साथ उम्रभर की तकलीफ भी बन जाता है ऐसे में रोज-रोज के झगड़े परित्याग व तलाक के कगार पर ले जाते हैं। गांवों में, छोटे शहरों में या फिर बड़े शहरों कहीं भी हमदर्दी के कंधे बहुत जल्द दिखाई देने लगते हैं। हमदर्दी के नाम पर केवल यौन-शोषण ही अक्सर हाथ आता है।

जब किसी लड़की या महिला को प्यार में धोखा मिल रहा होता है, उस समय उसे हमदर्दी व सहानुभूति की आवश्यकता होती है। इस समय यदि कोई नजदीक हो सकता है। वह परिवार हो सकता है पर अक्सर यह देखा जाता है कि परिवार की उपेक्षा ही बाहर प्यार ढूंढती है। मां-बाप किन कारणों से अपने बच्चों की उपेक्षा करते हैं। उनमें भी पति-पत्नी के तनाव भरे रिश्ते अपनी भूमिका रखते हैं। अत्यधिक कामोत्तेजना के कारण भी कई महिलाएं बुरी संगत में पड़कर अपने तथाकथित प्रेमियों से धोखा खाकर वेश्या बन जाती हैं।

परिवारों में यौन शोषण- यौन हिंसा वेश्यावृत्ति का कारण है। जिन परिवारों

में मां-बाप के अवैध संबंध होते हैं, वहां पिता द्वारा यौनशोषण होता है। कभी सगे तो, कभी सौतेले भाई व पिता की हवस का शिकार लड़कियां बनती हैं। परिवार में शक्ति प्रदर्शन, आर्थिक तंगी जिसके कारण महिला परिवार में कुछ कहने की हैसियत नहीं रखती और पुरुष अपने झूठे अहं व शक्ति प्रदर्शन के कारण परिवार की महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। परिवार में महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति न होने के कारण परिवार के पुरुष व बेटे उन्हें बेचने में संकोच नहीं करते। सौतेला पिता या भाई का अनाचार केवल इस डर से सहा जाता है कि वे कहीं घर से न निकाल दें। गरीब परिवारों में मां के घर से भाग जाने की स्थितियां भी परिवारों में एक आम घटना बनती जा रही हैं। घर से मां-बाप का संरक्षण न होने के कारण लड़कियों को प्यार के नाम पर बहला-फुसला कर शादी करने वाले कई मिल जाते हैं।

पिछले कुछ अर्से से एक प्रवृत्ति यह भी चल रही है कि शादी का लालच देकर शहरों में लाने वाले पुरुष लड़कियों से शादी व तलाक दोनों कागज पर हस्ताक्षर करवा कर रखते हैं। कुछ देर अपने पास रखने के बाद दूसरे पुरुष को बेच डालते हैं और सरकारी कागजों में तलाक दर्ज दिखाते हैं।

कहते हैं कि बाल शोषण पहले घरों में होता है कि और फिर वही बच्चे बाहर यौन हिंसा का शिकार हो जाते हैं। घर परिवारों से पिता, चाचा, भाई यहां तक कि दादा, मामा के द्वारा किए जाने वाले देह शोषण की जानकारी समाज के सामने बहुत देर बाद अक्सर तब आती है जब लड़कियां शोषण से टूट जाती हैं या गर्भवती हो जाती हैं। अक्सर शराबी पिता का एक नहीं दो-दो, तीन-तीन बेटियों का निरंतर यौन शोषण कई बरसों तक करना, उन्हें गर्भवती बना देना, मां की चुप्पी कभी मजबूरी से तो कभी डर से नहीं टूटती। विद्रोह न कर पाने की मजबूरी से मौका पाकर घरों से भाग जाती हैं तो वहां भी यौन-शोषण का शिकार हो वेश्यावृत्ति में लग जाने के लिए मजबूर हो जाती हैं।

पिता या भाई द्वारा पहले स्वयं यौन शोषण करना और फिर ग्राहक भी लाना ऐसी स्थितियां भी गरीब घर-परिवारों में आम दिखने लगी हैं। परिवार के पुरुषों का दारू पीकर पड़े रहना और स्त्रियों से पेशा करवाना उन्हें कहीं नहीं अखरता है।

पारिवारिक शोषण के अलावा नजदीकी रिश्तेदारों व पड़ोसियों की कुत्सित भावनाओं का शिकार अक्सर बच्चे हो जाते हैं। बच्चों को खेल-खिलौने देने, उपहार में चॉकलेट-टॉफी देकर उन्हें अपने पास बिठाने की कोशिश करते हैं। शुरुआती दौर में यह देखने या छूने भर की कोशिशें होती हैं जिन्हें बच्चे बुरा नहीं मानते पर धीरे-धीरे वे यौनक्रियाएं करने लगते हैं। कभी उन्हें बहला-फुसला कर, तो कभी डरा धमका कर चुप रहने की हिदायत देते हैं। जब एक बार ऐसी शुरुआत हो जाती है तो बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने से भी नहीं चूकते। विभिन्न अध्ययन रिपोर्ट यह

दर्शाती हैं कि बचपन में यौन-शोषण का शिकार बच्चे पहले यौनकर्मी और फिर दलाल तो अंततः दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) बन जाते हैं।

मादक पदार्थों का सेवनः- एक बार मालकिन व दलालों के चक्रव्यूह में फंस जाने से पहले ही बुरी संगत के कारण लड़कियां मादक पदार्थों के सेवन की आदी हो जाती हैं। ड्रग्स खरीदने के लिए पहले चोरी तो फिर घर की छोटी वस्तुएं बेचने के बाद आखिर में जिस्म बचता है जिसे बेचने को वो मजबूर कर दी जाती हैं। मादक पदार्थों की लत उन्हें मैडम का कर्जदार बनाए रखती हैं या फिर उन्हें इसे बेचने से गुरेज नहीं होता। कहीं अपराध बोध भी नहीं होता। कोई दिमाग बेचता है तो क्यों न किसी दूसरे अंग का व्यावसायिक प्रयोग किया जाए। यह औचित्य ठहराने लगती हैं।

धन की चाह- किसी रेडलाइट एरिया में प्रति दिन 120 रुपए प्रति ग्राहक प्राप्त करने वाली वेश्या और प्रति ग्राहक दस हजार रुपए प्राप्त करने वाली काल गर्ल दोनों ही एक ही धंधे के सिक्के के दो पहलू हैं। एक का यौन शोषण गरीबी की मार है तो दूसरे के लिए यह कहा जा सकता ही कि मात्र गरीबी ही इसका कारण नहीं होती। बहुत जल्द व बहुत आसानी से रुपया-पैसा कमाने की लालसा तथाकथित बड़े घरों की लड़कियों व पढ़ी-लिखी कॉलेज की लड़कियों को इस ओर आकर्षित करती है। उनके लिए कहीं कोई अपराध बोध नहीं होता है।

कृषि का व्यावसायिकरण- आर्थिक सुधारों के परिणमस्वरूप कृषि का व्यावसायिकरण हुआ है जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक बहुल फसल पद्धति के स्थान पर पूंजी बहुल प्रणाली ने लिया है।

धान की फसल के स्थान पर नगद फसलों का उत्पादन होने से महिलाओं को दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर होना पड़ता है और वहां स्त्री-पुरुषों की मजदूरी में अंतर होता है।

अकुशल मजदूरों के लिए बहुत कम काम के अवसर बचे हैं। गांवों में पूरे वर्ष भर के रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं रहे हैं।

कृषि क्षेत्र के इस प्रकार के अंतर के कारण दिहाड़ी मजदूरों की संख्या बढ़ गई है और मजदूरों के शहरों की तरफ रुख करने से महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाया जाता है।

आजीविका का न बने रहना- मत्स्य पालन, बुनाई, तम्बाकू और कपास क्षेत्रों में आजीविका के अवसर कम होने से इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को दिहाड़ी मजदूर और महिलाओं को मजबूरन जो भी काम मिले करना पड़ रहा है।

यही नहीं, रबर, नारियल, रेशा उद्योग में मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर रोजी-रोटी पर पड़ रहा है। जिन लोगों की स्थानीय क्षेत्रों में नौकरी नहीं मिल पाती,

उन्हें दूसरे राज्यों में बहला-फुसला कर ले जाने में कोई कठिनाई नहीं होती।

उसके साथ ही भू जोतों के बंटवारे व महंगे दामों पर बड़ी कंपनियों को जमीनें बेच देने के कारण किसानों के पास खेती के लिए जमीनें नहीं बची हैं और इस कारण दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों की कमाई खत्म हो रही है। जमीन के न रहने से अगली समस्या खाने-पीने की उठती है और उसकी तलाश दूसरे क्षेत्रों में पलायन के लिए मजबूर करती है। अपने ही घरों में आजीविका के साधन उपलब्ध न हो पाने की स्थिति ने गरीब महिलाओं की स्थिति को और अधिक दुश्वार बना दिया है। उन्हें अस्थाई काम के लिए दूसरे बड़े स्थानों का लालच दिखाया जाता है।

पिछले एक अर्से से किसानों द्वारा आत्महत्या करने की स्थितियों ने उन परिवारों की महिलाओं को और बच्चों को बाल श्रमिक बनने को मजबूर कर दिया है। किसानों की आत्महत्या का कारण फसलों का नष्ट हो जाना और कर्ज के बोझ तले दबा होना होता है। किसान तो स्थितियों से घबराकर आत्महत्या कर जाते हैं परंतु उनके पीछे छूट जाता है कर्ज का बोझ और भूख से बिलखते बूढ़े मां-बाप, पत्नी व बच्चे, ऐसे में घर का बोझ महिला पर पड़ता है जो निरक्षर हैं व मजबूर हैं। जिसे अपने परिवार का पालन करने के लिए पहले गांवों में महाजनों व सूदखोरों के यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है और शहर में अच्छी नौकरी का लालच दिखाकर गांव के ही चालाक, चतुर दलाल उसे कोठों पर बेच आते हैं।

आजीविका का साधन न रहने और वैकल्पिक साधन उपलब्ध न होने पर भोजन और आय की तलाश के लिए कभी पत्नी और कभी लड़कियों को बेचना उन्हें एक आसान रास्ता दिखता है।

हर वर्ष देश के किसी न किसी हिस्से में सूखा, अकाल या बाढ़ की स्थितियां पैदा होती हैं और उस दौरान हजारों की तादाद में परिवार रोजी-रोटी की तलाश में बड़े शहरों की ओर चल देते हैं। फिर उसके बाद गरीबी, बेरोजगारी व यौन शोषण का दौर शुरू हो जाता है।

सामाजिक-सांस्कृतिक- *पारंपरिक स्वीकृति जिसमें अभिभावकों का दबाव*

परिवार में पहले से किसी का वेश्या होना/सामाजिक रीति-रिवाज, बाल विवाह।

पति व ससुराल में बुरा व्यवहार/टूटते परिवार—परिवार के कटु अनुभव।

निरक्षरता-उपेक्षा/महिलाओं की न्यूनतम स्थिति।

आर्थिक कारण- *बेरोजगारी*

वर्तमान आजीविका न रहना/ गरीबी व परिवार की साधन हीनता/ आर्थिक तंगी

मनोवैज्ञानिक- *मौज मस्ती*

यौन-सुख से मिलने वाले अतिरिक्त उपहार, तोहफे/उपभोक्ता वस्तुओं को पाने की लालसा में कुछ भी करने को तैयार।

पैसे की बढ़ती लिप्सा/प्रभावशाली लोगों के पास रहने का कारण/मीडिया का प्रभाव।

अन्य-*अपहरण व व्यपहरण।*

पर्यटन का प्रभाव/निजीकरण/जबरन वेश्यावृत्ति रोकने में पुलिस व समाज का जागरूक न होना।

विवाह और कर्ज का कुचक्र- भारतीय समाज में विवाह सबसे महत्वपूर्ण व सबसे बड़ी जिम्मेदारी होते हैं। विवाह के साथ दहेज का चोली दामन का साथ है। दहेज के बढ़ते दावानल के कारण कहीं लड़कियां पैदा होते ही मार दी जाती हैं तो कहीं भ्रूण नष्ट कर दिए जाते हैं। दहेज जुटाने के नाम पर कहीं मां-बाप कर्ज के बोझ में दब जाते हैं। कभी छोटी-सी उम्र की लड़की का ब्याह अपने से तिगुनी उम्र के पुरुष जिसकी पहली बीवी मर गई हो या तीन-चार बच्चों का बाप हो, से कर दी जाती है क्योंकि विवाह का सारा खर्च वही उठाता है और दस, बीस, पचास, हजार मां-बाप को दे जाता है। एक तरह से लड़की खरीद ले जाता है। इस खरीदी हुई लड़की को बड़े मान-सम्मान से वे रखे ऐसा कहीं जरूरी नहीं। कभी वह उसे किसी दूसरे को बेच डालता है तो कभी घर में ही धंधा करवाने लगता है। दक्षिण में कोयम्बतूर की कपड़ा मिलों में तीन साल के करार पर सैकड़ों लड़कियां इस वायदे के साथ लाई जाती हैं कि वे अपने दहेज की रकम कमा लेंगी जिसके बिना उनका विवाह नहीं हो सकता। मिल मालिक से तीन साल के करार के बाद तीस हजार रुपए मिलने का प्रलोभन भला गरीब व्यक्ति कहां छोड़ पाते हैं पर मिलों में काम करने की स्थितियां इतनी शोषक व उत्पीड़क होती हैं कि सिवाय खाने व रहने के साथ उन्हें अन्य सभी खर्चे स्वयं करने पड़ते हैं जिनके लिए कर्ज मिल से मिलता है। सारे खर्चों की कटौती के बाद मुश्किल से आधी रकम ही उन्हें मिलती है। यदि बीच में ही नौकरी छोड़ जाए तो कुछ भी नहीं मिलता।

रुपए-पैसे की तंगहाली के अलावा वहां यौन शोषण भी काम का हिस्सा बन जाता है। जहां मजदूरी करने आया फैक्टरी का मजदूर कहीं किसी वेश्या के पास जाने की अपनी इच्छा को मजबूरी बताते हैं तो वहीं इन औरतों को बिना रुपए-पैसा हासिल किए इस मजबूरी का शिकार छोटे-बड़े अफसर बनाते हैं। घरों से बाहर काम करने निकले स्त्री व पुरुष की स्थितियों में यही अंतर होता है। पुरुष किसी वेश्या को अपना शिकार बना अपनी यौन संतुष्टि करते हैं और बेचारी औरत किसी पुरुष की

हवस का शिकार हो जाती है। अपने कार्यस्थल पर मिलने वाली यौन हिंसा की जानकारी या समस्या उजागर करने का अर्थ है अपने चरित्र पर उंगलियां उठवाना। जब नित हो रहे यौन शोषण से वह बगावत करती है तो किसी कोठे का हिस्सा बन जाती है। अपने से तिगुनी उम्र के पुरुष को ब्याही गई लड़कियां दो प्रकार की समस्याओं से जूझती हैं। एक तो कम उम्र में विधवा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि विधवा हो गई तो पहले परिवार में यौन शोषण का शिकार हो सकती हैं या घरों से निकाल दी जाती हैं। भटकाव कोठे पर पहुंचा देता है। यदि यौन संतुष्टि के अभाव में किसी अनजान पुरुष के या किसी परिचित पुरुष के झूठे प्रेम जाल में उलझ जाए तो भी रास्ते कोठों की ओर मुड़ जाते हैं।

जब मां दूसरी शादी कर ले या बाप दूसरी स्त्री घर ले आए तब परिवार के बच्चों की हालत टेनिस गेंद की तरह हो जाती है। बच्चों को मां-बाप ही दूसरों के घरों में काम कराने के नाम पर अपने घरों से निकाल देते हैं। समाचार-पत्र ऐसी खबरों से भरे रहते हैं कि कभी मां ने तो कभी पिता ने बेच डाला।

शादी व नौकरी का लालच दिलाकर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में लाकर हजारों रुपये में बेच डालते हैं। गरीबी की मार एक ऐसी मार है कि गरीब व्यक्ति दो जून खाने व चंद रियायतों की खातिर अपनी बेटियों और पत्नियों को बेचने में जरा हिचकिचाते नहीं हैं। यह जिन्दगी का एक ऐसा आर्थिक संघर्ष है जिसकी बलि मासूम बच्चियां ही चढ़ती हैं।

प्यार में धोखा सब कारणों में एक बड़ा कारण होकर उबरता है। मैं प्रेम की दीवानी अपने हाथों पर प्रेमी का नाम गुदवा लिया पर वह छोड़कर किसी दूसरी औरत के पास जा बैठा। हाथ से उसका नाम तो मिटा दिया पर गोदने का निशान तो उम्र भर रहता है वह चोट कैसे कम होगी। प्यार के नाम पर घर से बाहर भगा लाए। घर से लाए गहने जेवर बेच बेचकर जितने दिन होटल में अय्याशी कर सकते थे करने के बाद किसी दूसरे पुरुष को बेचकर अपने गांव लौट जाने वाले कितने ही प्रेमियों की प्रेम दीवानियां हर शहर के रेडलाइट एरियों की रौनक बन जाती हैं।

कोठे पर बैठने के बाद पता चलता है कि यही प्रेमी इस साल बारहवीं शादी करके उसे लाया था। प्रेम के नाम का यह धोखा जो शादी करने के नाम पर किया जाता है हर दूसरी लड़की की कहानी होती है।

गरीबी- गरीबी संसाधनों के अभाव का पर्याय है रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की बुनियादी जरूरतें हैं। अर्थशास्त्री आय, परिसंपति और सेवाओं की उपलब्धता का आकलन करते हैं। जब कोई व्यक्ति जिंदगी की बुनियादी चीजों को हासिल नहीं कर पाता तो गरीबी के चक्रव्यूह में उलझता है जहां भुखमरी है, कुपोषण

है और बीमारियां है और बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। समाजशास्त्री मानते हैं कि गरीबी एक चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलना काफी कठिन होता है, गरीब होने का अर्थ है कि जब बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं है तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे यानि स्वयं ही नहीं बच्चे भी कम आय वाली नौकरियों में रहेंगे या उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाएंगी तो इससे उभर नहीं पाएंगे। गरीब को जब भर पेट खाना नहीं मिलेगा तो स्वास्थ्य भी कमजोर होगा और कमजोर स्वास्थ्य यानि कम आय वाले कार्यों को करने की मजबूरी यानि इस चक्र से बाहर जाने की गुंजाइश ही नहीं दिखती।

मोटे तौर पर अधिक जनसंख्या व पूंजी के अभाव और अशिक्षा, महत्वाकांक्षाओं और आर्थिक प्रोत्साहनों की कमी, कमजोर स्वास्थ्य, सरकारी रोजगार परक योजनाओं के कार्यान्वयन की जानकारी के अभाव में महाजनों के चंगुल में फंसे ग्रामीण और महंगी ब्याज दरों पर मिलने वाले ऋण के बोझ में गरीबी से चाहकर भी छुटकारा नहीं पाते हैं।

लड़कियों के द्वारा इस कोशिश के मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं कि उन्हें अभावों की जिंदगी लड़कों की अपेक्षा अधिक नसीब इस लिए भी होती है क्योंकि भले ही परिवार में खाने-पीने की सुविधाएं कम हों पर लड़कों को पहले खिलाया जाता है और उसे बचा-खुचा खाने को दिया जाता है। लड़के को स्कूल पढ़ने-लिखने फिर भी भेज दिया जाता है पर लड़की को घर बिठाकर घर का कामकाज करवाया जाता है। बचपन से ही मिलने वाले भेदभाव के कारण ऐसे माहौल को बदलने का मानस वह बनाती रहती है। ऐसे में अच्छी नौकरी, शादी या प्रेम का प्रस्ताव उसे कमजोर करने के लिए पर्याप्त होता है।

सूखे, अकाल व बाढ़ के बाद बनने वाली भुखमरी की स्थितियों में मां-बाप के द्वारा बेटियों को बेच डालने वाली स्थितियां भी आम हैं। गांवों व छोटे शहरों से थोक के भाव लड़कियां रूप के बाजार में बेचने के लिए लाई जाती हैं।

उन्हें शहरों में घरेलू काम दिलाने के बहाने भी गांवों से लाया जाता है। अक्सर पकड़ी गई लड़कियां किसी पड़ोसी किसी परिचित के उस झांसे में शहरों में पहुंचती हैं कि वहां उन्हें काम दिलाया जाएगा।

गरीब घर-परिवार के लोग आर्थिक अभावों, शादी रोजगार व वर्तमान स्थितियों से छुटकारा पाने के लिए घरों से निकलकर वेश्यावृत्ति करने को मजबूर हो जाते हैं। ये काम उनके नाते-रिश्तेदार, पड़ोसी और उस इलाके के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा कराया जाता है।

भारत में परिवारों में लड़कियां परिवार पर बोझ समझी जाती हैं। इस कारण

भ्रूण हत्या उन्हें अधिक लाभप्रद दिखती है बजाय इसके कि लाखों रुपए दहेज पर खर्च किए जाएं।

यदि गरीब परिवार में लड़की बच भी जाती है तो अपना कर्ज का बोझ उतारने के लिए उसे अधेड़, विधुर, बीमार किसी भी व्यक्ति को जो उन्हें कुछ हजार रुपये दे सकता हो, के साथ लड़की का ब्याह कर दिया जाता है। भले ही वह आगे उसे बेच डाले।

भारत में गरीबी अपने चरम पर है और एक अनुमान के मुताबिक भारत की 40 प्रतिशत आबादी गरीब है। इसका अर्थ है कि लगभग 400 मिलियन लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी जरूरतें उपलब्ध नहीं हैं। गरीबी का दुश्चक्र गरीब को बद से बदतर स्थितियों में ले जाता है।

दो जून की रोटी की जुगाड़ करने के लिए पुरुष कभी अपनी स्त्री, तो कभी अपनी बच्चियों को बेच डालते हैं और खरीदने वाला उसे धंधे में लगाकर लाखों कमाने की कोशिश करता है। गरीबी जहां एक ओर स्त्रियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने को मजबूर करती है। कई बार घर-परिवार की खस्ता हाल स्थितियों को सुधारने, तो कभी उससे पलायन का एक आसान रास्ते के रूप में लड़कियां इस धंधे में प्रवेश कर जाती हैं। स्थितियां यदि बच्चों को बेचने तक ही सीमित होती तो कह सकते थे कि परिवार का घुटन भरा माहौल व गरीबी ने मजबूर कर दिया पर ऐसे पिता को किस नाम से पुकारा जा सकता जो कभी तांत्रिकों के कहने पर अपने घर व व्यापार की बेहतरी के लिए अपनी ही बेटियों से यौन-कर्म एक आध बार नहीं बल्कि सालों तक करते हैं और स्वयं ही नहीं दूसरों से भी करवाते हैं। जिन कबीलों में परिवार की बेटियों से धंधा करवाने की परंपरा है उन्हें तो समाज की तथाकथित अनुमति हासिल है पर ये बिन अनुमति वाले लोगों के कारण ही ऐसे परिवारों से लड़कियां भागने को मजबूर हो जाती हैं।

एक सर्वेक्षण के अनुसार दक्षिण महाराष्ट्र के सांगली जिले में हर वर्ष जून के महीने में लगभग पांच हजार लड़कियां व औरतें अरब से आने वाले अमीरों की बाट जोहती हैं। नेपाल से छोटी लड़कियों को लाकर दिल्ली मुंबई के रेड लाइट एरिया में बेच दिया जाता है। चूंकि नेपाल में स्त्रियों की जनसंख्या अधिक है और वे अधिकांशतः निरक्षर होती हैं व काफी धार्मिक भी।

नेपाल में लड़कियों का पान व बीड़ी पीना आम बात है। पान में कोकीन मिलाकर-खिलाकर या बीड़ी में गांजा या चरस मिलाकर उन्हें बेहोश कर उठा लेना भी दलालों का एक आसान रास्ता है। शादी करके उन्हें खरीद कर मुंबई के चकलों में भी बेचा जाता है।

बाल वेश्याओं को अधिक हिफाजत से रखा जाता है क्योंकि पहली बार उससे 'संभोग' करने की मुंहमांगी कीमत ग्राहक से वसूली जाती है। अधिकांशतः अरब व कोरिया के अमीर मुंहमांगी कीमत देते हैं। इन लड़कियों को एक ही स्थान पर कभी नहीं रखा जाता है। थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद दूसरे चकलों पर शिफ्ट कर दिया जाता है ताकि पुलिस व ग्राहकों से पहचान न होने पाए।

वेश्यागृहों में न रहने वाली यौन-कर्मी- काल गर्ल व मसाज पार्लरों में काम करने वाली व्यावसायिक यौन-कर्मी पढ़ी-लिखी होती हैं और इनके ग्राहक भी पढ़े-लिखे व संभ्रांत परिवारों के होते हैं और उनके पास एक घंटे के हिसाब से खर्च करने के लिए काफी पैसा होता है।

कई मामलों में परिवार की आर्थिक तंगी के कारण गृहिणियां इस व्यवसाय में आ जाती हैं और पतियों ने उन्हें छोड़ा होता है। अपने व अपने बच्चों को अच्छा जीवनस्तर देने क लिए उन्हें कमाई का यह आसान रास्ता दिखता है। अक्सर ये लड़कियां भी दलालों के माध्यम से ही काम करती हैं। उन्हें किसी भी कीमत पर भले ही जेल जाना पड़े, ग्राहक का नाम गुमनाम रखने की हिदायत होती है।

परिवारों द्वारा परित्याग- गांवों में अक्सर पारिवारिक हिंसा का शिकार होकर लड़कियों को 'दौरे' पड़ने लगते हैं। उन्हें 'चुड़ैल' कहकर गांव से निकाल दिया जाता है। डायन प्रथा आज भी किसी न किसी रूप में हमारे समाज में व्याप्त है। इस अंधविश्वास के कारण कई गरीब लड़कियां सामाजिक उत्पीड़न का शिकार होती हैं। परिवार के लोग भी उन्हें स्वीकार नहीं करते। दर-दर की ठोकरें खाने को वे मजबूर हो जाती हैं और इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कई लोग उसके इर्द-गिर्द मंडराने लगते हैं।

देवदासी परंपरा और कर्ज का कुचक्र- झुग्गी, झोंपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों पर वहां रहने वाले अनैतिक देह व्यापारी काफी मेहरबान होते हैं। यदि अभिभावक मना करते हैं तो दक्षिण भारत में उन्हें उसे 'देवदासी' बनाकर सामाजिक स्वीकृति लेने के लिए उकसाते हैं और कहना न होगा कि कामयाब भी हो जाते हैं। इस समय भी वेश्यागृह की मालकिन या मालिक उस समारोह का खर्च भी उठाते हैं ताकि अभिभावक अपराध बोध से मुक्त होकर लड़की को यौन-कर्म कराने से हिचकिचाए नहीं व अपने कर्ज से भी मुक्त हो जाए। उन्हें भावनात्मक रूप से भी अपनी लड़की को धंधे में लगाने के लिए प्रेरित कुछ इस तरह से करते हैं कि अभिभावकों को भी लगता है कि परिवार व दूसरे भाई-बहनों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए यदि एक को देवदासी बना भी दिया जाए तो अंतर नहीं पड़ता है। दूसरे इन परिवारों में बच्चे इतने अधिक होते हैं कि उनको भरपेट खिलाना

मुश्किल होता है, ऐसे में यह प्रस्ताव उन्हें बुरा भी नहीं लगता।

बड़े ख्वाबों की जमीनी हकीकत- एक सुख-सुविधाओं से संपन्न घर का सपना हर कोई देखना चाहता है। हिन्दी फिल्मों की चकाचौंध भी सबको प्रभावित करती है, छोटे शहरों में भी लड़कियां ऐसे ख्वाब देखने लगें तो कोई गलती नहीं है पर गलती यह होती है कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए वे इसकी जानकारी ऐसे लोगों को दे डालती हैं जो स्थितियों का फायदा उठाना जानते हैं। फिल्मों में काम दिलाने के बहाने उन्हें मुंबई या किसी बड़े शहर के होटलों में ले जाकर ग्राहकों को बेच डालना यह आम कहानी है।

फिल्मों में काम करना और प्रसिद्धि पाना चाहना भी आज वेश्यावृत्ति का एक कारण बन चुका है। दलाल किस्म के लोग ऐसी लड़कियों की तलाश कर ही लेते हैं, इसके लिए वे उनकी सहेलियों व इस धंधे में लगी महिलाओं को पहले उनके करीबी दोस्त बनवाते हैं जो उनके सपनों को पूरा करवाने में मददगार हो सकते हैं यह विश्वास हो जाने पर उन्हें शहरों में ले आते हैं। किसी फिल्म में या मॉडलिंग का छोटा-मोटा काम भी उन्हें मिल जाता है। ग्लैमर की इस चकाचौंध में बने रहने के लिए वे नई पोशाकें, पार्टियों व गाड़ियों में घूमने के लिए, दोस्तों का साथ देने के लिए ड्रग्स का सेवन भी शुरू करती हैं ताकि आधुनिक दिख सकें। इन सभी खर्चों की पूर्ति के लिए ढेर सारा धन चाहिए और मॉडलिंग में काम दिलाने वाली ये एजेंसियां मॉडलिंग में तो नहीं, कालगर्ल की दुनिया का हिस्सा जरूर बना देती हैं। अपने घरों के हालात बदलने, अपने लिए बड़े ख्वाब देखने की कई बार बहुत बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ती हैं। विदेश की यात्रा व वहां शादी करके बस जाने का ख्वाब भी परदेस में इसी चक्रव्यूह में उन्हें डाल देता है।

इसलिए गरीबी एकमात्र कारण नहीं है। पढ़ी-लिखी अमीर घरों की लड़कियां भी मॉडल या हीरोइन बनने के लालच में ऐसे लोगों के बहकावे में आ जाती हैं, जिन्हें फिल्मों में छोटे-मोटे रोल मिलने के लिए प्रोड्यूसर को खुश करने की बातें समझाई जाती हैं। अक्सर कालगर्ल के रैकेट जब पकड़े जाते हैं तो फिल्मों व मॉडलिंग की दुनिया में काम करने के सपने लेकर आई ये लड़कियां, जब अपने खर्चों का प्रबंध नहीं कर पाती हैं तो एक रात के हजारों कमा लेना चाहती हैं।

सामाजिक कारण- हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति 'वस्तु' रूप में सदियों से तबदील की गई है। विवाह पूर्व यदि उसके किसी से शारीरिक संबंध हो जाते हैं तो वह कुलटा, पतिता जैसे नामों से पुकारे जाने लगती हैं और वैवाहिक रिश्तों में बंध पाना उसके लिए असंभव हो जाता है। बिना पति के स्त्री के पास आय का कोई साधन नहीं है। उसे अच्छे वस्त्र और माथे पर 'बिन्दी' तक लगाने की अनुमति नहीं

है। समाज में उसे धिक्कार के सिवाय कुछ नहीं मिलता। विधवा व तलाकशुदा व परित्यक्ता को समाज में औरतों के साथ होने वाले भेदभाव के कारण भी वे घर छोड़ती हैं।

समाज में यदि हम स्थितियों का बदलाव चाहते हैं तो यह जरूरी है कि एक तो शादियां अवश्य रजिस्टर हों। दूसरे घर से भाग गए लड़के/लड़कियों की एफ आई आर दर्ज हो ताकि उनको कोई अवैध तरीके से उनका देह शोषण न करने पाए।

कई अध्ययनों से यह भी पता चला है कि वेश्यागृहों में पली-बढ़ी लड़कियां अपने मां के नक्शे कदमों पर चलती हैं क्योंकि उनके पास वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं होते। न ही उनके बच्चों को समाज में स्वीकारा जाता है। उन्हें स्कूलों में कठिनाई से प्रवेश मिलता है और वे भी आत्मविश्वास नहीं, आत्मग्लानि का शिकार होते हैं। इस कारण दूसरी पीढ़ी का चक्र तोड़ना भी कठिन होता है। जीवन कौशल, आर्थिक सुरक्षा के अभाव में उनका यौन शोषण भी होता है।

आज भी जन्म रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं करवाया जा सका है। जिन बच्चों का कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनकी कोई आधिकारिक उम्र व जन्म स्थान नहीं है। दुर्व्यापारियों के लिए उन्हें बेचना कितना आसान होता है

धार्मिक कारण- ईश्वर को प्रसन्न करने, भुखमरी, अकाल, बाढ़ से राहत के लिए बेटियों को मंदिरों में समर्पित करने, बेटे की चाहना के लिए बेटी को देवदासी बनाने की परंपरा का इतिहास भी प्राचीन है। बेटी को देवदासी बनाने से परिवार को कुछ सुख-सुविधाएं मिलने के कारण गरीब परिवारों ने अपनी लड़कियों को देवदासी बनाया जो आज भी जारी है। मन्नत पूरी होने पर गरीब लड़की को खरीद कर देवदासी बनाना वस्तुतः गरीबी ही इसके मूल में विद्यमान है।

वैश्वीकरण- वैश्वीकरण के कारण दूसरे देशों में व्यापार के लिए बार्डर खुलने के कारण पूंजी व मजदूर, शहरीकरण व समाज में तेजी से आ रहे बदलाव से आर्थिक स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। वैश्वीकरण से पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय अपराध व अवैध देह-व्यापार में मुनाफा बढ़ा है और बच्चे व औरतें वस्तु रूप हो रहे हैं। वेश्यावृत्ति माफिया व कानून लागू करवाने वाली एजेंसियों की सांठ-गांठ, कई बार परिवार के सदस्य पैसा कमाने के लिए अपने बच्चों का अवैध देह व्यापार (ट्रैफिकिंग) करते हैं। बार्डर के किनारे रहने वाले समुदाय भी लाभ कमाने के लिए अवैध देह व्यापार करते हैं। बार्डर के अधिकारी कई बार इसमें सहयोगी हो जाते हैं।

बड़े शहरों की रेड लाइट व चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चों के चेहरों पर कभी गौर से देखें तो उनके नैन-नक्श भारतीय नहीं होते हैं। ये अवैध तरीक से यहां पहुंचे होते हैं उनके बच्चे सड़कों पर भीख मांगते हैं, पुरुष मजदूरी करते हैं और

औरतें वेश्यावृत्ति। यही स्थितियां उन भारतीयों की भी होती हैं जो इन दुर्व्यापारियों के द्वारा विदेश पहुंचा दिए जाते हैं।

बिहार और पश्चिम बंगाल के बार्डर जिलों से नेपाली लड़कियां लाई जाती हैं। भूटान में स्थानीय पुलिस ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है ताकि वे फुटशेलिंग के बार्डर टाउन में बढ़ रही व्यावसायिक यौन-कर्मियों की आबादी को कम करें। इस बार्डर के रास्ते भारत व भूटान में सेक्स इंडस्ट्री की ग्राहकी चलती है।

नेपाल में बाडी और देवकी समुदायों में सांस्कृतिक वेश्यावृत्ति है। इस समुदाय के पुरुष अपनी औरतों से धंधा करवाते हैं। 35 से 40 प्रतिशत औरतें 15 वर्ष की उम्र से इस धंधे में आ जाती हैं।

वैश्वीकरण के कारण सस्ते श्रम की मांग बढ़ी है और ऐसे में महिलाओं व बच्चों का शोषण होना स्वाभाविक है। पर्यटन, औद्योगीकरण और गांवों से शहरों की ओर बढ़ते पलायन ने भी पुरुषों को घरों से बाहर यौन-संतुष्टि के लिए रेडलाइट एरिया का सहारा दिलाया है और साथ ही फ्लाइंग सेक्स वर्कर घरों से कोठे पर पहुंच कर शाम को घरों में पहुंचने वाली औरतों की तादाद बढ़ा कर, होटलों, बार, गेस्ट हाउसों सभी में इस धंधे को फलने-फूलने का मौका दे दिया है।

यौन रोग- यू.एन.ए.आई.डी.एस. की रिपोर्ट के अनुसार एच आई वी के खतरे ने पुरुषों को युवा लड़कियों को पार्टनर इसलिए चाहते हैं कि उनसे यौन रोगों का कम खतरा होगा जिस कारण उनकी मांग बढ़ती है। वे भले ही उनसे संक्रमित न हों पर उन्हें संक्रमित कर सकते हैं। एड्स से बचाव होता है यदि कुंवारी लड़की से संभोग किया जाए यह अंध विश्वास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है।

बाल विवाह- बाल विवाह व दहेज दो ऐसी समस्याएं हैं जिसने महिलाओं के यौन शोषण में अपनी महत्ती भूमिका निभायी है। यूं तो दहेज देना अपने आप में एक बुराई है और उससे बड़ा कुचक्र यह है कि 'बिन दहेज' के शादी कर लड़कियां ले जाने वाले पुरुष जो न केवल खुद लड़कियों का यौन शोषण करते हैं बल्कि कुछ ही महीनों में उन्हें बेच डालते हैं। ऐसे तथाकथित फरिश्ते तो दहेज नहीं लेते, लेकिन साल में अपने गांवों में बार-बार जाकर विवाह कर बड़े शहरों के चकलों में उन्हें पहुंचाते हैं। देश के कई हिस्सों में आज भी बाल विवाह होते हैं। बचपन में शादी हो जाने के कारण उन्हें स्कूलों में पढ़ने नहीं भेजा जाता है। ऐसी निरक्षर लड़कियां कई बार दुर्भाग्य के कारण विधवा हो जाती हैं जिन्हें मायके व ससुराल दोनों ही जगह ठोकरें मिलती हैं। कई बार परिवारों के भीतर उनका यौन शोषण शुरू होता है। जिन बाल विधवाओं को तीर्थ स्थलों पर छोड़ दिया जाता है वे भी पेट की भूख और कई बार जिस्म की भूख के कारण वेश्यावृत्ति करने के लिए विवश हो जाती हैं।

मानव रचित आपदाएं, दंगे व प्राकृतिक आपदाएं- दोनों ही स्थितियों में औरतें आर्थिक व भावनात्मक शोषण का शिकार होती हैं। दंगों के दौरान लूटपाट में औरतों की अस्मत लूटना और घरवालों का उन्हें त्याग देना और कभी उन्हें कोठों पर जाकर बिठा देना या किस्मत की मारी किसी के सहानुभूति पूर्वक बोले, मीठे जहरीले शब्द उन्हें वहां पहुंचा देते हैं। असुरक्षित मौकों का फायदा देह व्यापारी व दलाल उठाते हैं।

सामाजिक लांछन- अकेली, तलाकशुदा, अविवाहिता, विधवा, बलात्कार का शिकार हुई युवा लड़कियों को समाज में लांछना व कलंक ही हिस्से में आते हैं। कभी-कभी तनाव, कभी अकेलापन, कभी हालात की मजबूरी, अनुचित सलाह मशविरा गलत राहों पर ले जाता है।

बेरोजगारी- बेरोजगारी की मार औरतों पर ज्यादा पड़ती है। जब घर के पुरुषों को नौकरी नहीं मिलती तो दलाल बड़े शहरों में नौकरी दिलाने के नाम पर परिवार की बहू-बेटियों को बहला-फुसला कर ले आते हैं कि किसी अमीर घर में घरेलू नौकरानी बना देंगे। यही नहीं मां-बाप जो खुद अपनी नौकरी का जुगाड़ नहीं कर पाते वे बच्चों को काम पर भेजने, विवाह के नाम पर रुपया वसूल लेते हैं या कहें कि बेटियों को बेच डालते हैं। बेरोजगारी का घिनौना चेहरा महिलाओं के यौन शोषण का सबब बनता है।

घरेलू हिंसा- गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा कुछ ऐसे कारण हैं जिनका पारिवारिक संबंधों पर सीधा असर पड़ता है। अधिकांश भारतीय परिवारों में औरतें नौकरी नहीं करतीं। आर्थिक दृष्टि से पुरुषों पर निर्भर करती हैं। किसी प्रकार की तंगहाली में पुरुष के रोष, आक्रोश व क्रोध का नजराना औरतों को भुगतना पड़ता है। घरेलू हिंसा औरतों की जिंदगी का पर्याय बन चुकी है। घरेलू हिंसा से छुटकारा पाने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए वह घर की चारदीवारी के बाहर कदम रख तो लेती है पर पग-पग पर भेड़िए अपने शिकार की तलाश में होते हैं। कभी मीठी-चुपड़ी बातें, तो कभी अधिक लुभावनी नौकरी के लिए बड़े शहर ले जाने का निमंत्रण, तो कभी प्रेम का माया जाल डालना कठिन नहीं होता।

आज का पुरुष यह नहीं जानता है कि वह अपनी बहन, बेटी, पत्नी या मां को हर समय की जो प्रताड़ना दे रहा है वह कब उस मासूम औरत को गलत लोगों के निकट ले जा सकती है। यह न भूलना होगा कि व्यावसायिक यौन-कर्म आज केवल वेश्यागृहों तक सीमित नहीं रह गया है। कहीं कोई मसाज पार्लर, बार, होटल में नौकरियों के नाम पर यौन-कर्म के विविध रूप की गिरफ्त में ले जा सकता है।

वैधव्य- स्त्री के जीवन की बदतर एवं सबसे भयानक अवधि पूरे भारत में

वैधव्य है जिसे उसके द्वारा किए गए भयानक अपराध या पूर्व जन्म में किए गए अपराधों के दंड के रूप में देखा जाता है। अपराध की प्रकृति के अनुसार दंड की अवधि कम या ज्यादा हो सकती है। यह माना जाता है कि पति के प्रति अवज्ञा एवं अनिष्ठा रखना या पूर्व जन्म में उसकी हत्या करना, इनके प्रमुख अपराधों में गिना जाता है जिसका दंड वर्तमान में वैधव्य के रूप में मिलता है। विधवा पुत्रों की माता हो तो प्रायः घृणा की पात्र नहीं पर फिर भी पापिन है। लड़कियों की विधवा मां के साथ अलग व्यवहार होता है। बाल विधवा, संतान हीन विधवा सबसे अधिक घृणा एवं दुर्व्यवहार का शिकार होती है। उसके शोषण का अंतहीन सिलसिला चलता है। अलग कोठरी में सादा वस्त्रों, शुभ अवसरों से वंचित होकर जीना उसकी नियति बना दी जाती है।

विधवा को मनहूस कहा जाता है। रांड वह नाम है जिससे उसको संबोधित किया जाता है। इसी शब्द को चरित्रहीन लड़की या वेश्या के बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है। पति के परिवार व आस-पड़ोस उसे बुरे नामों से पुकारते हैं इस पर यदि विधवा सुंदर हो तो संदेह के घेरों में घिरी रहती है। उस पर कठोर निगरानी रखी जाती है कि कहीं परिवार के लिए बुरा नाम न कमाए उसके सिर मुंडा कर उसके रूप को बिगाड़ने, आभूषण या चमकदार रंगीन वस्त्र पहनने से रोकने का उद्देश्य उसे पुरुषों की नजर में कम आकर्षक बनाना है। काशी, बनारस के घाटों पर विधवाओं के सन्यासिनों की तरह रहने से यह लक्षित होता है कि परिवार में उनका कोई स्थान नहीं है। दिन में एक बार खाएगी तभी अनुशासन में रहेगी व इच्छाएं मर जाएंगी। पिता, भाई, चाचा माता, बुआ के लड़के के अलावा कोई पुरुष उसे देखे नहीं। शिक्षा से वंचित रखना इसी अनुशासन का हिस्सा है। विधवा को अत्यधिक दुख देने के पीछे एक मानसिकता यह भी होती हैं कि वे संपत्ति में अपना अधिकार न मांगने पाए और मजबूर होकर घर ही छोड़ दे।

शिक्षा की रोशनी से वंचित समाज के बहुत बड़े हिस्सों में विधवाओं का जीवन इसी निराशामय दौर को ही जीता है। विधुर के विवाह की व्यवस्था तो मनु के जमाने से है पर विधवा का विवाह आज भी समाज सहज दृष्टि से नहीं लेता है। विवाह सुख से भले ही उसे वंचित रखा जाता है पर परिवार में यौन शोषण का शिकार वह बनती रहती है उसकी आवाज उठाने का अर्थ होता है कि जो दो जून रोटी के टुकड़े तरस खाकर दिए जा रहे हैं शायद उससे भी वंचित कर दी जाए।

शहरीकरण- शहरों में हर रोज सड़क, रेल व हवाई मार्गों से रोजी-रोटी की तलाश में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। इससे आवास की समस्या बढ़ी है। स्लम मशरूम की तरह बढ़ रहे हैं। ऐसे में दलाल, वेश्या व अपराध बढ़ रहे हैं। दारु-ड्रग्स

व जुआ व वेश्यावृत्ति को इससे बढ़ावा मिला है। एक ही कमरे में एक ही साथ सबके सोने से सेक्स के प्रति जिज्ञासा ने कुत्सित रूप ले लिया है। कोठे पर जाने वाले विवाहित पुरुष ही नहीं कच्ची उम्र के किशोर भी पहुंचते हैं क्योंकि जिज्ञासा उन्हें वहां खींच ले जाती है।

फैकट्रियां हों या मल्टीनेशनल कंपनी हर जगह काम के थका देने वाले घंटों ने व्यक्ति के मनोरंजन के साधनों के नाम पर गरीब वर्ग के लिए रेड लाइट एरियों में यौन-कर्मियों के पास जाना और बड़े उच्च वर्ग के लोगों का कालगर्ल व एस्कार्ट गर्ल या फिर मसाज पार्लरों में पहुंचने की स्थितियां बना दी हैं। सिनेमा हालों, एम्युजमेंट पार्कों, होटलों, बीयर बारों, माल कल्चर सभी जगह मनोरंजन के नाम पर सेक्स व्यापार अपने विभिन्न रूपों में फल-फूल रहा है।

रेड लाइट एरियों में काम करने वाले एन.जी.ओ. कार्यकर्ताओं के अनुसार उन इलाकों में पढ़ी-लिखी नौकरी पेशा व गृहिणियां अपनी आय बढ़ाने के लिए दिन के समय यहां आती हैं और शाम को लौट जाती हैं। सिर्फ रेडलाइट एरिया ही इनका कार्यक्षेत्र नहीं है, बल्कि होटल व ग्राहक के घर या गेस्ट हाउस कहीं भी यह व्यवसाय चल रहा है।

शहरीकरण ही नहीं औद्योगीकरण ने भी यौन कर्म को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा की है। बड़े शहरों को पर्यटन स्थलों के रूप में स्थापित करने की कोशिशें की जा रही हैं। नव धनाढ्य वर्गों को अपने होटलों में ठहरने के लिए निशुल्क दारू व लड़की का साथ उपलब्ध करवाया जाना उनके पैकेज का हिस्सा बन रहा है। ग्रामीण इलाकों में शहरीकरण व औद्योगीकरण से पूर्व वेश्यावृत्ति केवल लुके-छिपे रूप में ही होती थी। बाप बेटी, भाई बहन या नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा यौन-शोषण का शिकार लड़कियां होती थीं, परंतु बड़े पैमाने पर पुरुषों के शहरों की ओर रुख करने से गरीबी व भुखमरी के साथ-साथ यौन-सुख की चाहना ने उनकी स्त्रियों को व्यावसायिक यौन-कर्म की ओर धकेला है। हर दिन हजारों ट्रक ड्राइवर हाई वे के रास्तों से एक शहर से दूसरे शहरों में आवागमन करते हैं। ये ट्रक रात को हाईवे पर बने ढाबों में विश्राम के लिए रुकते हैं। इन्हीं ढाबों के पीछे हाईवे वेश्यावृत्ति का रूप देखने को मिलता है। पास के गांवों की औरतें रात के समय इन सड़कों पर घूमती दिख जाती हैं। सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही नहीं कारों के सवार भी गाड़ियां रोककर कभी गाड़ी में ही तो कभी खेतों या पुराने घरों में पहुंच जाते हैं। समुद्री किनारे हो या हाईवे सभी जगह ट्रकों व जहाजों की आवाजाही ने भले ही व्यापार को बढ़ाया है पर साथ ही महिलाओं व बच्चों का शोषण भी बढ़ाया है।

धन कमाने के साधन शहरों में बढ़ चुके हैं कि अपने सुखों के लिए वेश्या या

कॉलगर्ल पर रुपए लुटाना उन्हें अनुचित लगता ही नहीं है। शहर के अपरिचय भरे माहौल का लाभ उठाने से उन्हें कोई गुरेज नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो बड़े शहरों का नाम बदनाम किया जाता है कि वहां लोग परस्पर मिलना-जुलना पसंद नहीं करते। परंतु वस्तुस्थिति यह है कि अपने स्वार्थों के कारण व्यक्ति दूसरों से कन्नी काट अपनी मन-मर्जी पर कोई अंकुश नहीं चाहता है।

आवास-समस्या- शहरों की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है। उसी तेजी से झुग्गी-झोपड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है। गांवों का एक सामान्य दृश्य यह है कि घर अभी भी कच्चे हैं, पानी-बिजली की समस्या है। पानी अभी भी कोसों दूर पैदल चलकर लाना पड़ता है। कुछ ही घरों में बिजली है। साफ-सफाई की व्यवस्था बदलते मौसमों में महामारी का रूप लेकर कुव्यवस्था का प्रदर्शन करती है। शहरों व कस्बों से जोड़ने वाली सड़कें अभी भी कच्ची हैं, स्कूल व हस्पताल भले ही दो-तीन गांवों में एक ही हो और वहां भी स्टाफ नदारद हो पर शराब के ठेके हर नुक्कड़ पर होंगे। घर कच्चे होंगे पर रहने वालों की संख्या जरूरत से अधिक होगी।

इस आवास समस्या के कारण एक कमरे के मकानों में आठ से दस प्राणी एक ही छत के नीचे सोते हैं। उसी जगह बैठकर टीवी पर अश्लीलता परोसे जाने के कार्यक्रम भी वे देखते हैं। यौन उत्सुकता उनके चरम पर पहुंचती है। ऐसे में अवैध संबंध पनपते हैं कभी युवा तो कभी बड़े अपनी उत्सुकता व इच्छा पूर्ति के लिए कोठों पर जाने में नहीं हिचकिचाते जहां एक ओर उत्सुकता वहां ले जाती है, तो दूसरी ओर परिवारों में वंचित यौन सुख की तलाश वहां ले जाती है।

पारिवारिक तनाव- एक खुशहाल परिवार में माता-पिता दोनों की मौजूदगी परिवार में तनाव रहित वातावरण और जरूरतों को पूरा करने के पर्याप्त साधनों की जरूरत होती है।

परिवार में तनावपूर्ण स्थितियों के कारण बच्चे खुश व संतुष्ट नहीं रहते हैं। रोजमर्रा परिवार में होने वाले घरेलू कलह के कारण बच्चों की सही परवरिश से मां-बाप से वे उपेक्षा का शिकार होकर उस माहौल से दूर भागना चाहते हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि परिवार के नकारात्मक माहौल का असर बच्चों को अवंछित लोगों के नजदीक ले जाता है और बुरी संगत उन्हें अपराध की दुनिया में ले जाती है।

परिवार की आर्थिक स्थिति भी यदि कमजोर है और बच्चों व परिवार की आधारभूत जरूरतें भी यदि पूरी नहीं होती हैं तो पारिवारिक कलह बनी रहती है जिसमें बच्चे उपेक्षित होते हैं और उन्हें भावनात्मक लगाव व परिवार से जुड़ाव नहीं होता और भौतिक सुख-सुविधाओं की तलाश परिवारों से पलायन का कारण बनती

है। अंधेरे बंद कमरों का सीलन भरा व उदास माहौल से कैसे भाग लिया जाए या फिर उस उदासी भरे माहौल में खुशियों के रंग एक जादू की छड़ी से भर भी दिए जाएं यह विचार-घर से भाग जाएं या कोई भगा कर ले जाए के लिए काफी होते हैं।

अशिक्षा- कोई लड़की घर से क्यों भाग जाती है, उसके मूल में अशिक्षा ही है। कभी स्कूल में फेल हो गई, कभी छोटी उम्र में दोस्तों के बहकावे में आकर यौन संपर्क बना लेती है और विवाह के झूठे वायदों, बिना पढ़े ही बहुत अधिक धन कमाने की चाहना। उसे घरों से बाहर ले जाती है जहां निरक्षर, कमजोर महिला का शोषण हर पग पर किया जाता है।

स्त्रियों की शिक्षा का सीधा संबंध उनकी शादी के समय की उम्र से जुड़ा है। छोटी उम्र में शादी कभी बाल विधवा बना के छोड़ती है तो कभी एक के बाद एक बच्चों की लम्बी कतार जिसमें कुछ जीवित रहते हैं तो कुछ पहले ही मर जाते हैं यही नहीं लड़के का जन्म जब तक नहीं होता तब तक लड़कियों की तादाद बढ़ती जाती है या फिर उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता है। कमाने वाला एक और खाने वाले सात हों तो गरीबी क्यों उन का दामन छोड़ेगी।

यही अशिक्षा राजस्थान की उन जातियों की भी है जहां पारिवारिक रीति-रिवाज के तहत वेश्यावृत्ति चल रही है। जहां परिवार के पुरुष ही दलाल हों और गर्व से कहते हों कि हमारे पूर्वज राजा-महाराजाओं के समय से नाच-गाकर जीवन यापन करते थे और हमारी लड़कियों की बड़ी मंडियों में मांग है। यह अशिक्षा ही तो है जो उन्हें स्त्री को सामान्य जीवन जीने नहीं देती, वे उसकी खुशी उसकी ख्वाहिशों का विचार तक मन में नहीं लाते हैं।

अशिक्षा की वजह से ही उनमें सेक्स शिक्षा का ज्ञान नहीं है। परिवारों में ही यौन-शोषण का शिकार होने वाले बच्चे ये जानते नहीं हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। कभी मारने की धमकी से तो कभी चाकलेट के लालच से यौन-शोषण सहते रहते हैं। आस-पड़ोसी भी जब यौन शोषण करता है तो परिवार की मर्यादा के नाम से उसे सहने को मजबूर किया जाता है या फिर घर से भाग जाने की स्थिति झेलनी पड़ती है। प्यार व शादी के नाम पर बहलाने-फुसलाने वाले के नाजायज बढ़ते हाथों को न समझ कर राह भटक जाने वाली लड़कियों की संख्या कम नहीं है। हर साल अपराध ब्यूरो के अपहरण, गुमशुदा, बलात्कार, भाग गई लड़कियों की संख्या का बढ़ता ग्राफ यही दर्शाता है कि अपराधी वर्ग के लिए यह कितना आसान है कि मासूम लोगों को गुमराह कर सके! अशिक्षित लड़कियां ये नहीं समझ पातीं कि शहरों में अच्छी नौकरियां बिना पढ़ाई-लिखाई के नहीं मिल सकतीं! उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर की हर परिस्थिति नहीं सुनाई जाती। अनजान

लोगों की हमदर्दी सहानुभूति का नहीं बल्कि उन्हें किसी दलदल में धकेलने का सबब बनती है।

पारिवारिक हिंसा- महिलाओं के प्रति हिंसा का रिकार्ड उतना ही पुराना है जितना लेखन का रिकार्ड है। इतिहास के पन्ने हर युग में उसके शोषण, उसके प्रति हिंसा की नई दास्तान लिखते रहे हैं, कई कानून और शिक्षा के बढ़ते प्रचार-प्रसार उसकी आर्थिक स्वतंत्रता के बावजूद उसको पीटने, अपहरण, बलात्कार, जलाए जाने व हत्याओं का सिलसिला अनवरत जारी है।

हिंसा की परिभाषा इस प्रकार की गई कि किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हिंसा होती है। हिंसा किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है।

घरेलू हिंसा में-दहेज हत्या, पत्नी पिटाई, यौन शोषण, विधवा व बड़ी उम्र की महिलाओं से दुर्व्यवहार, सामाजिक हिंसा में-भ्रूण हत्या, छेड़खानी, संपत्ति में अधिकार न देना, सती कराना, दहेज के लिए तंग करना आदि शामिल होते हैं।

विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अपराध के आंकड़े तो दर्ज होते हैं परंतु अधिकांशतः बलात्कार व छेड़छाड़, घरेलू हिंसा के सभी मामलों की रिपोर्ट ही नहीं की जाती है। वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर की जा रही लड़कियों के दिन में कई-कई बार होने वाले बलात्कार आंकड़ों में कहां शामिल होता है। प्रतिदिन 10-15 पुरुषों के साथ सेक्स करना भी तो बलात्कार होते हैं वे गिनती में कहां आते हैं अपहरण व व्यपहरण में यह देखने में आता है कि (1) विवाहितों की तुलना में अविवाहितों का व्यपहरण (2) अधिकांश मामलों में आपस में परिचय अपने घरों या पास-पड़ोस में हुआ होता है। (4) अधिकांशतः एक व्यक्ति इस में संलिप्त होता है जिस कारण डराने-धमकाने या विरोध करने जैसे कारक नहीं होते (5) शादी व सेक्स मुख्य कारण (6) उसके बाद यौन शोषण (7) पारिवारिक नियंत्रण कम होने के कारण लड़कियां परिचितों के साथ भाग गई होती हैं।

पत्नी को पीटना- वैवाहिक संबंधों में हिंसा अपनी शक्ति प्रदर्शन का पर्याय बन चुकी है। पति जिसे पत्नी को प्यार व हिफाजत से रखना चाहिए था वही उसको पीटता है। हिंसा कभी एक चपेट मारने से शुरू होकर, कभी धक्का-मुक्की, सिर के बाल खींचना, शराब पीकर लातों-घूसों से मारना दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। गाली-गलौज इसके साथ शामिल ही रहते हैं।

पत्नी को पीटने के मनोवैज्ञानिक व आर्थिक व सामाजिक कारणों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ वर्षों तक पत्नी की पिटाई उसके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं कम उम्र, कम आय, वर्ग, परिवार का आकार आदि पर निर्भर करता था पर अब हर उम्र व शिक्षित-अशिक्षित, धनी-अमीर सभी में पारिवारिक हिंसा अपने चरम पर है।

फैमिली कोर्टों में प्राप्त केस ये इंगित करते हैं कि शादी के 30-40 बरसों के बाद भी साठ स्तर की उम्र की महिलाएं तलाक सिर्फ इसलिए ले रही हैं कि उम्रभर वे बच्चों की खातिर सहती रहीं अब सहना मुश्किल हो रहा है।

घरेलू हिंसा प्रतिरोध अधिनियम के आने के बावजूद स्त्रियों के प्रति हिंसा की घटनाओं में कोई कमी नहीं हुई। भले ही शारीरिक हिंसा के स्थान पर भावनात्मक हिंसा कुछ ज्यादा बढ़ गई है। शरीर पर लगे जख्मों के निशान तो साक्ष्य रूप से दिखाए जा सकते हैं पर ताने-व्यंग्यों के निशान दिखाए नहीं जा सकते।

महिलाओं के प्रति हिंसा करने वाले पुरुषों को मनोवैज्ञानिकों ने अवसाद, हीनभावना (इन्फीरियरटी काम्पलेक्स) का शिकार, मनोरोगी, जिनके पास संसाधन कौशलों का अभाव है, शक्की और दंभी, बचपन में स्वयं बाल शोषण का शिकार हुए थे, परिवार में तनाव पूर्ण स्थितियां हैं व नशेबाज होते हैं, माना है।

समाज शास्त्रियों ने महिलाओं के शोषण का जिम्मेदार उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि जिसमें उसकी उम्र, शिक्षा व प्रशिक्षण शामिल है, उसे परिवार, सुसराल व समाज से मिलने वाले सहयोग के स्तर के साथ-साथ पति, अभिभावक, सुसराल, संतान व कार्यालय सहयोग आदि की अपेक्षाएं व उसके आर्थिक आधार पर भी उसके शोषण की मात्रा बढ़ती या कम होती है आदि को शामिल किया है।

बाल यौन शोषण के कारण- परिवार का वातावरण, परिवार का ढांचा, व्यक्ति और स्थिति परक कारण यौन शोषण के चार प्रमुख कारण हो सकते हैं। परिवार के वातावरण का यदि विश्लेषण किया जाए तो परिवार में माता पिता के परस्पर संबंध जिनमें यदि कटुता है तो बच्चे उपेक्षित होंगे, मां-बाप से बच्चे को भावनात्मक सहयोग न मिलने के कारण बच्चे वहां सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, परिवार के मुखिया का नशेड़ी होना, परिवार के दायित्वों से मुंह मोड़ना, बच्चों पर नियंत्रण न होना, मां के अवैध संबंध होना, सौतेला पिता या मां का होना, परिवार शेष समाज से अलग थलग हो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण बच्चे का यौन शोषण हो सकता है। परिवार में लड़की के अकेलापन का फायदा उठाने वाले रिश्तेदार व पड़ोसी कोई भी हो सकते हैं।

अध्याय - 4

यौन-कर्म करनेवाली स्त्रियां—वर्गीकरण

यदि समग्र भाव से समस्त नारी जाति के सुख-दुख और मंगल-अमंगल की तह में देखा जाए तो पिता, भाई और पति की सारी हीनताएं और सारी धोखेबाजियां क्षणभर में ही सूर्य के प्रकाश के समान आप से आप सामने आ जाती हैं।

'नारी का मूल्य' शरदचन्द्र

वेश्यावृत्ति का इतिहास मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। विभिन्न देशों में समय-समय पर इसे समाप्त करने के प्रयास किए गए। इटली में इन्हें म्युनिसिपल सीमाओं से बाहर भेज दिया गया पर मांग में कोई कमी नहीं आई। युवा, अविवाहिता-विवाहिता और यहां तक कि पादरी संघ के सदस्यों को इसकी जरूरत थी। कुछ शहरों में इन्हें कुछ खास क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया। बोलगाना में जिन क्षेत्रों में ये रहती थीं उन गलियों के नाम में गुलाब रोज आता था। गुलाब तोड़ना उस समय वेश्यावृत्ति का मुहावरा बन गया था।

वेश्यावृत्ति के कारणों के आधार पर हम वेश्यावृत्ति में आने वाली लड़कियों व महिलाओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। प्रमुखतः उम्र शिक्षा, आर्थिक व सामाजिक स्थिति के आधार पर इन्हें वगीकृत किया जा सकता है।

उम्र, उम्र के आधार पर दो वर्ग किए जा सकते हैं।

1. अवयस्क
2. वयस्क

अवयस्क वर्ग - बच्चों को यौन-कर्म में लगाने के कारणों में आर्थिक कारण ही अधिक अहमियत रखते हैं। परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति, खाने की कमी, घर में कठोर श्रम, कौटुम्बिक हिंसा, घरेलू हिंसा, पिता द्वारा पिटाई, परिवार में उपेक्षा, सौतेले माता-पिता द्वारा अवहेलना, अच्छी नौकरी की उम्मीद, बड़ा शहर देखने की

चाहत के कारण परिवारों में बच्चों को वस्तु रूप करार दिया गया है। गरीबी के कारण दुनियाभर में बच्चों को बेच देना एक साधारण सी बात हो गई है। गरीबी कइयों को बिना सोचे समझे निर्णय लेने को मजबूर करती है। अपने बच्चों को परिवार के दूसरे लोगों या अजनबियों के झूठे प्रलोभनों से कई बार 'अकृत्य' काम करने को विवश कर देती है। इन झूठे प्रलोभनों में परिवार को रुपए भेजने का वायदा भी शामिल होता है।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के द्वारा छः महानगरों में किए गए अध्ययन के अनुसार उम्र के अनुसार उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है।

20 वर्ष से कम	29.38
21 से 30	40.02
31-35	18.27
35 से अधिक	12.25

वेश्याओं का वर्गीकरण कौटिल्य के समय से ही किया जाता रहा है। उस समय घरेलू नौकरानी प्रकार की वेश्याएं जो दासों की यौन आवश्यकताएं पूरी करती थीं, कुंभदासी कहलाती थीं। नवाबों की दासी 'रूप जीवा' व 'परिचायिका' कहलाती थीं विवाहिता जो चोरी छिपे घर से बाहर जाकर धन के लिए नहीं बल्कि कामोत्तेजना के कारण परपुरुषों के पास जाती थी 'कुलटा', जो पति व रिश्तेदारों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से पर पुरुषों का मनोरंजन करती थी 'स्वैरिणी', नृत्य संगीत के सहारे जीवन-यापन करने वाली 'नटी', धोबी, बुनकर, बढ़ई या कुंभकार की स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले यौन व्यवसाय 'शिल्पकारिका', पति के रहते अथवा उसकी मृत्यु के बाद धन लेकर किसी भी जाति की स्त्री द्वारा यौन सेवाएं देने वाली 'प्रकाश विनिष्टा' कहलाती थीं।

देवदासियों के भी विभिन्न वर्गीकरण किए गए हैं जो स्वयं को मंदिर को उपहार रूप में भेंट करती है 'दत्ता', जो स्वयं को बेचती है 'विक्रीता', जो परिवार के कारण अपने आप को मंदिर में समर्पित करती है 'भृत्या', भक्ति के कारण वहां समर्पित की जाती है 'भक्ता' तो जिसे ऐसी सेवाएं देने के लिए उकसाया जाए वह 'हृता' या जिसे राजा या नवाब मंदिर को समर्पित करे वे 'अलंकृता' और मंदिरों की सेवा से जिन्हें वेतन मिले वे 'रुद्रगणिका' कहलाती थीं।

उन्नीसवीं शताब्दी में कलकत्ता की वेश्याओं के तीन वर्ग किए गए थे, जो 'छोकरी', 'अधिया' व 'स्वतंत्र' होती थी। 'छोकरी' वर्ग की वेश्याएं निम्न वर्ग की होती थीं जिन्हें वेश्यागृह के मालिक भोजन व आवास देने के बदले उनसे यह काम करवाते थे। जिन वेश्याओं की कमाई का आधा हिस्सा वेश्यालय के मालिक ले लेते

थे, वे 'अधिया' कहलाती थीं। जिन वेश्याओं की कमाई अपने पास ही रहती थी वे 'स्वतंत्र' वर्ग कहलाती थीं। कालान्तर में छोकरी, अधिया और स्वतंत्र हो सकती थी।

पूर्व में कुछ लेखकों ने उनके दो वर्ग किए एक सामान्य व दूसरा गुप्त। सामान्य वेश्याओं में देवदासियां व परिवार-परंपरा से इस धंधे में लगी होती है और गुप्त वेश्याओं में कालगर्ल आदि शामिल की जाती थी। सामान्य वेश्याएं, वेश्यालय व देवदासियां मंदिरों में रहते हुए यौन सेवाएं देती थीं।

'द लाइफ एंड वर्ल्ड ऑफ काल गर्ल्स इन इंडिया' में प्रमिला कपूर के अनुसार काल गर्ल को सात समूहों में बांटा जा सकता है। अविवाहित कामकाजी, 2. अविवाहित गैर कामकाजी, 3. कॉलेज गर्ल, 4. विवाहित कामकाजी, 5. विवाहित गृहिणी, 6. तलाक शुदा अथवा परित्यक्ता, 7. विधवा।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि वेश्याएं समाज का हिस्सा रही हैं और उस समय की व्यवस्था का हिस्सा भी। शासन की ओर से उन्हें कुछ अधिकार व कर्त्तव्य सौंपे गए थे, परंतु आज की स्थितियां काफी भिन्न हैं। उस समय नाबालिग लड़कियां इस व्यवसाय में नहीं आतीं, पर आज उन्हीं की मांग सबसे अधिक होने के कारण विभिन्न प्रकार की वेश्याओं के वर्गीकरण में उम्र की भूमिका अधिक बढ़ गई है।

वेश्यावृत्ति में प्रवेश की उम्र का प्रतिशत इस प्रकार है।

15 वर्ष से कम	14.9%
16 से 18 वर्ष	24.5%
19-21 वर्ष	27.7%
22 से अधिक	32.9%

इस प्रकार अवयस्क लड़कियों का प्रतिशत 39.4% हो जाता है।

अवयस्क लड़कियों को वेश्यावृत्ति में लाने के लिए सबसे प्रमुख कारण के रूप में जो तथ्य उभर कर आ रहा है, वह ग्राहकों की मांग है। कुंवारी लड़की से संभोग करने पर यौन रोग ठीक हो जाते हैं यह भ्रांति विश्व स्तरपर फैल चुकी है। फिर देह व रूप के बाजार में पहली बार यौन संसर्ग की ऊंची कीमत मिलती है। यही एक ऐसा काम है जहां 'अनुभवी' का मूल्य कम व नए की कीमत अधिक होती है।

वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण- वैवाहिक स्थिति के आधार पर प्रमुख दो वर्ग अविवाहित व विवाहिता के होते हैं। अविवाहिता अधिकांशतः अवयस्क होती है। वह बाल वेश्याएं हैं जिन्हें परिवारों ने मजबूर हालातों में इस व्यवसाय में बिठा दिया है। यह मजबूरी परिवार की गरीबी भी हो सकती है और परिवार की परंपरा भी। दक्षिण के कुछ राज्यों में परिवार को दुख तकलीफों से बचाने के लिए

लड़कियों को मंदिर में समर्पण की प्रथा है। मंदिर को भेंट की गई लड़की की कमाई पर परिवार का अधिकार होता है। अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कमाई का एक साधन बनाने के लिए बेटी को मंदिर में दान देने के अलावा अमीर लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर गरीब परिवार की लड़की खरीद कर मंदिर में देते हैं वहीं राजस्थान व मध्यप्रदेश की कुछ जातियों में बेटियों को धंधे पर ही बिठाया जाता है। गरीबी के कारण बड़े शहरों में काम-धंधे की तलाश में कभी स्वयं तो कभी किसी पड़ोसी व परिचित के साथ आ जाती हैं जहां उन्हें किसी वेश्यालय या दलाल या मैडम को बेच दिया जाता है।

विवाहिता वर्ग में भी इनका विभाजन किया जाता है।

विवाहित- विवाहिता वर्ग में मुख्यतः तीन वर्ग हैं।

1. विवाहिता
2. परित्यक्ता
3. विधवा

छोटे शहरों में अक्सर विवाह के नाम पर लड़कियों को बहला -फुसला कर बड़े शहरों में ले आया जाता है। विवाह के बाद उन्हें दूसरे पुरुषों के साथ यौन संसर्ग करने के लिए मजबूर करते हैं या फिर बेचकर अपने शहरों में लौट जाते हैं।

परिवार की गरीबी के कारण जहां पुरुष दूसरे शहरों में नौकरियों के लिए चले जाते हैं, तो महिलाएं घर-परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए वेश्यावृत्ति करने लगती हैं। हाईवे के किनारे बसे गांवों व बस्तियों की महिलाएं विवाहित होती हैं और परिवार के पुरुषों की रजामंदी से ही धंधा कर रही होती हैं।

विवाहित की दूसरी श्रेणी में परित्यक्ता या तलाकशुदा आती हैं। पारिवारिक कलह के कारण कभी घरों से निकाली गई तो कभी स्वयं घरों को छोड़ देती हैं। कहीं कोई सामाजिक व आर्थिक सहारा न मिलने के कारण किसी के बहकावे में आकर या हालातों से मजबूर होकर इस धंधे में प्रवेश करती हैं।

विवाहिता की तीसरी श्रेणी में विधवाएं आती हैं जिनका जीवन भारतीय समाज ने इतना दयनीय व निरीह बनाया है कि वे छोटी-छोटी खुशियों से मोहताज कर दी जाती हैं। बाल विधवा हो या युवा विधवा नारकीय जीवन के लिए मजबूर की जाती हैं, जिन्हें अक्सर घरों से निकाल दिया जाता है। कम पढ़ी लिखी, बुरी संगत, कोई आर्थिक सहारा न होने के कारण पैसे व शरीर की भूख उन्हें इस ओर ले जाती है।

वैवाहिक स्थिति के आधार पर आंकड़े निम्नानुसार हैं

विवाहित	10.6%
अविवाहित	34.4%

तलाकशुदा या विधवा	54.2%
किसी पुरुष के साथ रह रही	8%

शिक्षा स्तर- शिक्षा व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान तो कराती है, बल्कि साथ ही अपने पैरों पर खड़ा होने का हौसला भी देती है। समाज कल्याण बोर्ड की अध्ययन रिपोर्ट को यदि आधार बनाया जाए तो वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों की स्थिति निम्नानुसार है।

निरक्षर	71.0
साक्षर	4.0
प्राथमिक	9.4
सेकेण्डरी	10.6
हायर सेकेण्डरी	3.6
अधिक	1.4

आंकड़े स्पष्ट दर्शाते हैं कि निरक्षरता महिलाओं को किस नरक की ओर ले जाती है। यद्यपि विभिन्न अध्ययनों में यौन-कर्मियों की शिक्षा की स्थिति का पता तो लगाया गया है परंतु परिवार के सदस्यों की शिक्षा की जानकारी एकत्र नहीं की गई। यह तो तय है कि परिवार में साक्षरता दर भी कम ही होगी। शिक्षित व्यक्ति ही अच्छे-बुरे व्यक्ति की पहचान एवं अपने लिए व्यवसाय के विकल्प तलाश करता है। किसी अनपढ़ के भोलेपन का फायदा उठाना आसान होता है। बड़े शहरों में अच्छी नौकरियों का लालच व सुख की चाहत तो उन्हें होती है पर वे ये भेद नहीं कर पाते कि कोई अनजान व्यक्ति उनकी क्यों इतनी मदद करना चाहता है। वैसे बदलते सामाजिक मूल्यों ने पढ़ी-लिखी लड़कियों को कालगर्ल बना दिया है जिस कारण शिक्षा का स्तर अपने अर्थ खोने लगा है।

राष्ट्रीयता, धर्म व जाति- राष्ट्रीयता का जहां तक सवाल है मुंबई, कोलकाता व दिल्ली के रेड लाइट क्षेत्रों में भारतीय लड़कियों के अलावा नेपाल, बांग्लादेश व चीन की लड़कियां भी मिलती हैं। भले ही दो या तीन प्रतिशत ही होती हैं परंतु सीमा पार के देशों में भी गरीबी के कारण यहां अच्छी नौकरी व फिल्मों में काम के लालच में इन्हें यहां लाकर चकलों में बेचा जाता है।

हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों की लड़कियां इस व्यवसाय में मिलती हैं। अधिक बड़ा वर्ग हिन्दू लड़कियों का ही है।

जाति के आधार पर यदि देखें तो निम्न व पिछड़े वर्ग की लड़कियां ही अधिक मिलती हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की लड़कियों को मिला कर यह

लगभग 61 प्रतिशत बन जाती है। गरीबी की वजह से ही इन परिवारों को न शिक्षा मिल पाती है और न ही यह कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण ले पाती हैं। जिसके अभाव में रोजगार के कोई साधन नहीं मिल पाते हैं व मजबूरन यही विकल्प बचता है।

परिवार का आकार- पूर्व में हम परिवार की शिक्षा व आर्थिक स्थिति का उल्लेख कर आए हैं। गरीबी व अशिक्षा का असर परिवार के आकार पर भी पड़ता है। परिवार में कमाने वाला एक और खाने वाले दस होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थितियां नहीं सुधरती हैं। धन के अभाव में बच्चों को न तो समुचित खाने पीने के लिए मिल पाता है और न ही शिक्षा। भारतीय समाज में पुत्र की कामना में कई बेटियों का जन्म एक साधारण-सी स्थिति है। चार-पांच बेटियों के बाद पुत्र का जन्म होने के कारण सारा ध्यान उसी की परवरिश पर होता है जिसमें बेटियां उपेक्षा का शिकार होती हैं।

अक्सर इन परिवारों में बेरोजगारी की स्थिति व कम आय अर्जक धंधे होते हैं। अधिकांशतः गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाएं इस धंधे में आती हैं। जब भर पेट खाना न मिले तो खाने के बदले जिस्म बेचने की मजबूरी होना स्वाभाविक है।

पूर्व में यौन-कर्मियों के परिवारों की आय न के बराबर होती थी पर आज के बदले हालातों में बीयर बार, स्ट्रिप क्लबों, मसाज पार्लरों व काल गर्ल के रूप में काम करने वाली लड़कियां हजारों से लाखों रुपए कमा रही हैं, परंतु उनकी वस्तु स्थितियों का आकलन संभव नहीं है क्योंकि ये वर्ग प्रत्यक्ष रूप से इस धंधे में नहीं है। पुलिस की छापा-मार कार्रवाइयों में ही कभी-कभार ये सामने आ पाती हैं।

इच्छा के आधार पर वर्गीकरण- समाज की लांछना के कारण इस व्यवसाय में एक बार आने के बाद यहां से निकल पाना असंभव माना जाता है। अध्ययन बताते हैं कि 44 प्रतिशत महिलाएं इससे बाहर निकलना चाहती हैं और 43 प्रतिशत व्यवसाय में बनी रहना चाहती हैं पर विभिन्न शहरों में इनके बने रहने या छोड़ने की इच्छा में समानता नहीं है। कोलकत्ता और चेन्नई की क्रमशः 70ऽ और 64ऽ जहां यह धंधा छोड़ना चाहती हैं, वहीं दिल्ली की 71ऽ धंधे में बने रहना चाहती हैं। सांगली की यौन-कर्मियां भी धंधे में बने रहना चाहती हैं।

दूसरी ओर, जो धंधे में बने रहना चाहती हैं, वे वैकल्पिक रोजगार के साधन उपलब्ध न होने, समाज द्वारा स्वीकृति न मिल पाने, पारिवारिक परंपरा के कारण इस धंधे में होने, गरीबी, इस जिन्दगी की आदत हो जाने के कारण छोड़ना नहीं चाहती हैं।

इच्छा के अलावा पारिवारिक व्यवस्था के कारण धंधे पर बैठने को मजबूर होती हैं। राजस्थान की नट बेड़िया, कंजर आदि जातियों में पुरुष औरतों की कमाई

पर जीते हैं। उन्हें यह मानने में कहीं संकोच नहीं होता है बल्कि वे फख़्र से बोलते हैं कि वे राजा-महाराजाओं के जमाने से नाच-गाकर समाज का जी बहलाते रहे हैं मुंबई व दुबई की बीयर बारों व नाइट क्लबों में उनकी लड़कियां नाचती हैं और खूब कमा रही हैं व घरों में रुपए भेज रही हैं। इसके विपरीत, बुरी संगत के कारण मजबूरी में यहां लाकर छोड़ दी जाने वाली लड़कियों की संख्या में कोई कमी नहीं है।

आंकड़ों की भाषा में यौन-कर्म में महिलाओं की स्थिति का आकलन एक दृष्टि में निम्नानुसार है-

अभिभावकों का दुर्व्यवहार	3.83
आर्थिक	43.70
सामाजिक रीति-रिवाज	5.35
परित्यक्ता	24.58
प्यार में धोखा	4.42
किसी दूसरे के द्वारा धोखा	11.90
अपहरण/व्यपहरण	2.25
विस्थापन	1.89
पारिवारिक परम्परा	4.95
विधवा	.53
सामाजिक कारण	3.77
बुरी संगति	0.10
स्वैच्छिक	0.37
परिवार द्वारा	0.90
अन्य	2.23

वेश्यावृत्ति में महिलाओं का वर्गीकरण हम जिस भी प्रकार से कर लें, इतना निश्चित है कि हिंसा व यौन शोषण की स्थितियां उन्हें समाज के हाशिए के पार खड़ा कर देती हैं। उनका यौन शोषण उनके व्यवसाय का पर्याय भर है।

अध्याय - 5

ग्राहक कौन?

कहते हैं कोई ग्राहक न होगा तो कोई वेश्या न होगी! यह मांग और आपूर्ति का सामान्य सिद्धान्त है। यौन-कर्मियों की सभी निंदा करते हैं पर समाज में उनकी एक समानांतर व्यवस्था वह भी कभी बीच शहर के या फिर शहर के किनारे बदनाम बस्तियों के रूप में सदियों से चली आ रही है, वेश्यागमन किसी एक जाति, एक सम्प्रदाय या फिर गरीब या अमीर सभी के लिए एक साधारण-सी ही बात है। अनपढ़ जाता है पढ़ा-लिखा नहीं, गरीब जाता है अमीर नहीं, ट्रक ड्राइवर जाता है, मर्सीडीज में बैठने वाला नहीं यहां ऐसा कुछ नहीं। रूप के इस बाजार में सभी का आना-जाना है। स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाए तो यौन-कर्म आज अपने विभिन्न रूपों में सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि पुरुष चाहते है और रेडलाइट एरियों में जाने के बाद उनके व्यवहार को कभी कोई गलत नहीं ठहराता और न ही बुरी निगाह से, हिकारत की दृष्टि से उनकी ओर देखा जाता है। 'बुरी औरत' तो वह है जिसके पास वह जाता है। एक बार यह ठप्पा लग जाने के बाद औरत के सारे मानवाधिकार छीन लिए जाते हैं। समाज के सारे रास्ते, सारे दरवाजे एक बार बंद हो जाने के बाद खुलते नहीं। सुधार के उपाय व्यर्थ और पुनर्वास अधूरा रह जाता है क्योंकि समाज उसे वापिस यहां लौट आने को मजबूर करता है जहां वह मात्र देह है।

आज यह रूप का व्यापार नहीं रह गया मात्र देह का व्यापार है। संपर्क की गई अधिकांश यौन-कर्मियों के यह कहने पर कि वे 'सेक्स वर्कर' है एक बार विश्वास नहीं होता क्योंकि बिल्कुल साधारण-सी दिखने वाली ये महिलाएं 'खूबसूरती' के तथाकथित पैमानों पर खरी नहीं उतरतीं मात्र देह का व्यापार करती हैं जिनके ऊपर से गुजर जाने की कीमत कभी एक सौ बीस रुपए तो कहीं पांच सौ रुपए में सौदा जहां भी तय हो जाए।

पुरुष वेश्याओं के पास क्यों जाते हैं इसके कारणों का औचित्य ठहराते हुए

मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि पुरुष की यौनेच्छाओं की पूर्ति के लिए विवाह से इतर अतिरिक्त सामाजिक व्यवस्था है। हमारी बहू-बेटियां पुरुष की इस अदम्य इच्छाओं की बलि चढ़े इसके लिए वेश्याएं परिवारों को बचाए रखने में मदद करती हैं। वैशाली की नगर वधू में उस समय की प्रथा थी कि गणराज्य की सबसे खूबसूरत स्त्री किसी एक की पत्नी होकर नहीं रह सकती उसे नगरवधू बनना पड़ता था। आम्रपाली को समझाते हुए वृद्ध गणपति कहता है कि महान व्यक्तित्व की सदैव सार्वजनिक स्वार्थों पर बलि होती है और वैशाली के जनपद को तुम्हारे स्त्रीत्व की बलि की आवश्यकता है। वैशाली जनपद को अपने ही लोहू में डूबने से बचा लो। समाज की व्यवस्थाएं स्त्रियों से ही क्यों कुर्बानी मांगती हैं। इस सवाल का जवाब पुरुष प्रधान समाज शायद देना नहीं चाहेगा।

परिवार व्यवस्था से दूरी

आधुनिक युग में नहीं बल्कि सदियों से धन-दौलत वैभव की तलाश में पुरुष शहरों में कभी नौकरी तो कभी व्यापार करने के लिए जाते रहते हैं। मनुस्मृतिकार ने- अपने घर-परिवार के लिए धन-दौलत जोड़ कर जाए ताकि पीछे परिवार भूखा न रहे पर धन-दौलत कमाने के लिए जिस शहर में जाएं व अपनी यौनेच्छाओं को नियंत्रण में रखे इस बारे में मौन ही धारण किया और सदियों से यही चला आ रहा है कि परिवार से दूर होते ही किसी भी होटल, गेस्ट रूम में कहीं काल गर्ल या एस्कार्ट गर्ल मौजूद होती है तो हर शहर में रेडलाइट एरिया भी है और स्ट्रीट वॉकर भी हैं। अध्ययन ये भी बताते हैं कि ये भ्रांत धारणाएं है कि परिवार से दूर रहने वाले पुरुष यौन-कर्मियों के पास आते हैं।

दिन में किसी कालगर्ल की बगल में तो कभी किसी कोठे पर आई 'नई चिड़िया' तक अनजाने में पहुंचने वाले ये पुरुष शाम को पत्नी को साथ लेकर भगवान के दर्शन करने किसी मंदिर की कतार में लग कर संभवतः अपने कर्मों की माफी मांगते होंगे।

वैवाहिक स्थिति

कोई अंतर नहीं पड़ता है किसी पुरुष की वैवाहिक स्थिति का। घर में कभी खूबसूरत पत्नी होती है जिसकी उम्र भी बहुत अधिक नहीं होती। पत्नी कलह करती है, झगड़ालू है, बीमार है, बदसूरत है, सेक्स में रुचि नहीं रखती, ऐसे कोई कारण इन पुरुषों की जीवन में नहीं होते हैं जिनके कारण वे अपने व्यवहार का औचित्य ठहरा सकें। कुछ यौन-कर्मियों का कहना था कि वैवाहिक पुरुषों के अलावा ऐसे

पुरुष भी आते हैं जो घर-परिवारों से दूर रहते हैं। अनेक ट्रक ड्राइवर, रिक्शा चालक, आटो चालक फैक्ट्रिरों में काम करने वाले मजदूर होते हैं। इनके अलावा विधुर और जो अपने घर-परिवार में बिन ब्याही बहनों, बीमार मां-बाप और गरीबी के कारण विवाह नहीं कर पाते हैं।

एक काल गर्ल की आटो बायोग्राफी में यह उल्लेख था कि एक मां अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़के को हर सप्ताह उसके पास लेकर आती थी ताकि उसकी यौनेच्छा पूरी हो सके।

उम्र

यौन-कर्मियों के पास जाने वाले किसी उम्र विशेष के नहीं होते। संपर्क की गई कई यौनकर्मियों और विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि सोलह साल का लड़का जिसने सेक्स के बारे में अश्लील उपन्यासों में पढ़ा है वह भी जिज्ञासावश यहां पहुंचता है तो जिसकी अभी शादी होने वाली है वह भी अपनी 'मर्दानगी' आजमाने के लिए आता है कि कहीं पहली रात फेल न हो जाए। साठ वर्ष के बूढ़े भी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने पहुंच ही जाते हैं।

शिक्षा

शिक्षा के मामले में भी पढ़े-लिखे, अनपढ़ या निरक्षर का यहां कोई भेदभाव नहीं है। संभवतः नैतिकता का पाठ किसी ने नहीं पढ़ा है। किसी अध्ययन रिपोर्ट में निरक्षरों का प्रतिशत बढ़ जाता है तो किसी में पढ़े लिखों का। यही स्थिति उनकी आर्थिक स्थिति की है। स्कूल-कालेज के छात्रों से लेकर, सरकारी व प्राइवेट व बिजनेसमेन सभी की उपस्थिति यहां दर्ज हो ही जाती है। बड़े बिजनेस मेन या आला अधिकारियों से 'बिजनेस-डील' पर हस्ताक्षर करवाने के लिए बड़े होटलों या आलीशान बंगलों में उनके 'मनोरंजन' की व्यवस्था इसी का आधुनिक रूप है।

राजा-महाराजाओं के जमाने से ही कभी दूसरे राजा को 'खुश' करने या नजराना भेंट करने के लिए रूपवती स्त्रियों को पेश करने की बुद्धिमत्ता किन किताबी शिक्षा से मिलती आई है, और इस समझदारी को किस दर्जे की शिक्षा कहा जा सकता है, पर बहस निरर्थक है।

कुछ अध्ययन रिपोर्टों में इन ग्राहकों की पत्नियों की शिक्षा जानने के प्रयास भी किए गए ताकि पति-पत्नी के शैक्षणिक स्तर की तरह उनकी पत्नियों का शिक्षा स्तर भी कहीं निरक्षरता तो कहीं उच्च शिक्षा प्राप्ति की स्थिति में था।

आय

कहते हैं जब बहुत अधिक धन-वैभव होता है तो व्यक्ति अय्याश हो जाता है। उसका अधिकांश धन बाजारू औरतों व जुआ-शराब में लगता है। ऐसा भी होता है इसमें कोई दो राय नहीं, यदि ऐसा होता तो केवल अमीरजादे ही यौनकर्मियों के पास जाते पर मजदूर से लेकर बिजनेसमेन, डॉक्टर, प्रोफेसर सभी के आने का अर्थ है आय भले ही प्रति माह 15,00 सौ रुपए हो या डेढ़ लाख का पैकेज हो। हर आय-वर्ग का व्यक्ति हर माह अपनी आय का कुछ हिस्सा यहां खर्च करते हैं। कुछ अपने शहरों के रेडलाइट एरियाओं में खर्च करते हैं तो कुछ जब नौकरी या व्यापार के सिलसिले में हफ्ता, दस दिन या फिर अधिक दिनों के लिए बाहर जाते हैं तो उस शहर की बदनाम बस्तियों को ढूंढ़ लेते हैं।

ग्राहक की पसंद

वेश्यालयों में किस प्रकार की लड़कियां की मांग अधिक है यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राहक क्या चाहता है। अधिकांश ग्राहक की उम्र भले ही पचपन बरस की हो, पसंद की लड़की की उम्र कम होनी चाहिए। 'कुंवारी' लड़की की मांग सबसे अधिक होती है इसी कारण बहुत छोटी उम्र की लड़कियों को कभी बहला-फुसला कर तो कभी अपहरण कर, कभी खरीद कर कोठों पर लाया जाता है ताकि ग्राहकों से मुंह मांगी कीमत वसूल की जाए। नथ उतरवाने की बड़ी कीमत राजा-महाराजाओं के जमाने से चली आ रही है। मंदिरों में देवदासियों की भी बड़ी से बड़ी बोली लगाई जाती थी।

किसी ग्राहक को खूबसूरत, तीखे, नैन-नक्शवाली लड़की चाहिए तो किसी को सुडौल व भरे पूरे यौवन वाली लड़की पसंद आती है तो किसी को किसी खास राज्य की नेपाली या पंजाबी, तो किसी को कोई भी चलेगी। ग्राहक अपनी पहचान को अंधेरे में ही रखना पसंद करते हैं इसलिए कभी कुछ घंटों तो कभी कुछ मिनटों के लिए बस 'देह' चाहिए वाली मनस्थिति भी उनकी होती है।

इसके अलावा उन्हें ऐसी लड़की भी चाहिए होती है जो उनकी हर उल्टी सीधी हरकत के लिए ना-नुकुर न करे। 'मैंने तुम्हें एक घंटे के लिए खरीदा है। बिल्कुल वैसे करती रहो जैसे मैं चाहता हूं' कहने वाले पुरुषों की भरमार होती है। बिना कंडोम के और मुख मैथुन व गुदा मैथुन के लिए मना न करने वाली लड़की की तलाश वे करते हैं।

युवा या किशोरियों को पसंद करने का एक कारण यह भी होता है कि उनसे यौन रोग लगने का खतरा कम होता है और ये भी समझते हैं कि उनकी बीमारी

उनके साथ संसर्ग करने से दूर हो जायेगी।

ग्राहकों की पसंद-नापसंद यह दर्शाती है कि यौन-कर्मियों का शोषण वे किस हद तक करते हैं। कम उम्र की लड़की और यदि वह सुंदर भी हो तो चकले के मालिक उसके पास ग्राहक भेजने में विराम नहीं लगाता। भले ही शाम होते ही उसके पास ग्राहक भेजते-भेजते सुबह के चार न बज जाएं। पुलिस द्वारा इन रेडलाइट एरियों से मुक्त कराई गई लड़कियों की दास्तानें उनके शोषण की कहानियां बयान करती हैं।

ग्राहक उनका शोषण हर लिहाज से करते हैं। भद्दी गालियों से लेकर मार-पिटाई व जिस्म पर सिगरेट से दागने में भी वे नहीं हिचकिचाते। कितने ग्राहक उन्हें यौन रोग व एड्स का शिकार बना जाते हैं कोई आंकड़ा नहीं है पर एड्स फैलाने वालियों में समाज यौन-कर्मियों को दोषी मानता है।

कोई ग्राहक कितनी बार आता है

कुछ यौन कर्मियों का कहना था कि यह हमारा व्यवहार ही होता है कि कुछ ग्राहक नाम पूछ कर हमारे पास पहुंचते हैं और यहीं आना पसंद करते हैं। अधिकांश ग्राहक अपनी पहचान छुपाना पसंद करते हैं इसलिए कभी किसी रेडलाइट एरिया में तो कभी दूसरे ठिकाने पर पहुंचते हैं।

आजकल ग्राहकों को एयरकंडीशंड रूम की भी दरकार होती है।

किसी के लिए यहां हर रोज आना, तो कोई एक हफ्ते में तो कोई महीने में दो-तीन बार आना पसंद करते हैं। कहना तो उचित न होगा बल्कि कह सकते हैं कि पॉकेट उसी की अनुमति देती है।

विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्टों में ग्राहक की उम्र और उसकी पत्नी की उम्र व वेश्यालय में आने के दिनों की संख्या में संबंध स्थापित करने के प्रयासों से यह ज्ञात हो पाया है कि परिवार से संतुष्टि मिलती है अथवा नहीं, यहां आने की मांग में कोई कमी नहीं है।

चकलों की स्थिति और ग्राहकों का आना-जाना

चकले भले ही दिल्ली के जी बी रोड के हों या फिर मुंबई के कमाठीपुरा या सोनागाछी की तंग गलियां, भीतर का नजारा कहीं कुछ खास फर्क नहीं है। एक बेड भर का स्थान ही वहां होता है पर ग्राहकों को इससे अधिक चाहिए भी क्या होता है। वहां के वातावरण से उन्हें किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती है फिर बहुत कम कीमत पर कतार में खड़ी लड़कियों में से किसी एक को चुनने का फैसला जब करना होता है तो पुरुषवादी अहं की तुष्टि तो होती ही है।

उपहारों की सौगात

हिन्दी फिल्मों व साहित्य के पन्नों में व राजा महाराजाओं के शासन काल में धन्ना सेठों ने अपनी निजी वेश्याएं रखी होती थीं जिन्हें काफी जमीन जायदाद, हवेली, बंगले तोहफों में मिले होते थे। वात्स्यायन ने 'कामसूत्र' में अपने ग्राहकों से किस प्रकार अधिक से अधिक तोहफे व उपहार बटोरे जा सकते हैं, का विस्तार से उल्लेख किया है पर उस युग की और आज के समय की तुलना करना निरर्थक इसलिए है कि वेश्याएं व ग्राहक दोनों ही कम थे। किसी एक ग्राहक से बंध कर भी वेश्या अपना जीवन सुख-सुविधाओं से संपन्न तरीके से यापन कर पाती थी पर आज जी बी रोड की वेश्या को प्रति ग्राहक 120 रुपए की पर्ची कटाने के बाद हाथ में 50/- ही मिलते हैं और कमाठीपुरा की वेश्या को 70/- ही हाथ में आते हैं और वे भी महीने के आखिर में बिजली, पानी, कमरे के भाड़े व उसके ऊपर चढ़े ऋण की किश्त वसूल कर शेष राशि मिलती है।

उन ग्राहकों का प्रतिशत हमेशा ही बहुत कम रहता है जो किसी विशेष यौनकर्मियों के साथ समय बिताने के लिए अपनी 'बारी' का इंतजार करते हैं। जब 'कोठे' पर पहुंचे और जो भी लड़की उपलब्ध हो उसके साथ कभी दारू पीकर, कभी ड्रग्स लेकर तो कभी गुटका पान चबाते हुए बिना किसी बातचीत किए अपने सुख पर फोकस रख लौट आते हैं।

आई टी पी ए की धारा 7 के अंतर्गत यदि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ संभोग करने का व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे सात वर्ष की जेल हो सकती है। कम उम्र की लड़कियों का शोषण तभी रुक सकता है यदि इस धारा का सख्ती से अनुपालन शुरू हो। तभी अनैतिक देह व्यापार में उनकी मांग कम होगी और आपूर्ति बंद होगी।

ग्राहक मौजूद है पर हर उम्र, हर वर्ग के साथ अलग से व्यवहार करना जरूरी है। एक किशोर युवक जो जिज्ञासावश या पथभ्रष्ट होकर यहां आया है उसे समझाने के लिए काउंसलिंग करने, उसे स्त्रियों के अधिकारों, बच्चों के अधिकारों व यौन शिक्षा व यौन जनित रोगों की जानकारी देनी यहां जरूरी है, वहीं दूसरे ग्राहकों को अपराधी मान सजा देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि उन्हीं के कारण अनैतिक देह व्यापार का धंधा अपने नए-नए रूपों में सामने आ रहा है।

ग्राहक के प्रकार

मजदूर, ट्रक ड्राइवर, छात्र, बिजनेसमेन आदि के अलावा लड़कियों को इस धंधे में धकेलने वाले दलाल, गिरोह के मुखिया या इस धंधे से जुड़े वे सभी लोग जो

इनकी खरीद-फरोख्त करते हैं, नई लड़कियों को धंधे के गुर सिखाने के लिए पहले-पहल शोषण यही लोग करते हैं।

यही नहीं मेलों में, तीर्थ स्थानों में, शादियों के सीजन में यौन-कर्मियों की मांग बढ़ जाती है।

ग्राहक क्यों आता है?

यह एक ऐसा प्रश्न है जो इस विवाद को भी जन्म देता है कि क्या इस व्यवसाय को बंद कर दिया जाए या फिर कानूनी मान्यता दे दी जाए। कहीं जिज्ञासा खींच लाती है, तो कहीं परिवार से दूरी, तो किसी को हर रोज 'परिवर्तन' की चाहत है तो उसे सहज चीजें क्यों परोस दी जाएं।

त्योहारों के मौसम में धंधेवालियों की मांग बढ़ जाती है। शायद खुशियां मनाने के लिए नित नई लड़की भी उन्हें चाहिए होती है। कभी जुए में हार कर गम गलत करने के लिए, तो कभी जुए की जीत की खुशी में जैसे पीने का बहाना चाहिए वैसे यहां आने का बहाना चाहिए। जिन इलाकों में साप्ताहिक हाट लगते, वहां भी हाट बाजार के दिन बाजारू औरत को उसके हिस्से का नेग देने के लिए भी लम्बी कतारें लगाते हैं। लोग यौन-कर्मियों के पास केवल सेक्स की भूख के कारण आते हैं

औरत मूल रूप से प्यार की भूखी होती है। भले ही उसका पेशा अपना शरीर बेचकर रुपया कमाना क्यों न हो। प्यार मिलने पर वे अपनी कमाई तक उन पर न्यौछावर कर देती हैं। वे भी किसी एक पुरुष के साथ एक पत्नी की तरह जीवन बिताने की लालसा पाले रहती हैं। प्यार में उस समर्पण की तलाश में पुरुष यहां चले आते हैं।

ग्राहक क्या चाहता है?

इस धंधे से जुड़े लोगों का मानना है कि ग्राहक खुद भी नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए? उसे तो बस वह चाहिए जो उसने मीडिया में देखा है, पोर्न इंडस्ट्री और विज्ञापन एजेंसियों ने प्रचारित किया है। उन्हें क्या अच्छा लगना चाहिए, वो उसे मीडिया गाइड करता है।

स्त्री जहां शारीरिक क्रिया (सेक्स) में भावना (प्यार) तलाशती है वहीं पुरुष एक साथ कई स्त्रियों को अपने आस-पास रख सकता है। उसके लिए 'प्यार' के संबंधों के इतर भी अर्थहीन सेक्स करने की जरूरत बनी रहती है उसके पारिवारिक रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ता पर स्त्री के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है। उसके लिए सेक्स का अर्थ केवल प्यार है। यदि वह ऐसे किसी 'अर्थहीन' सेक्स में लगे

जिसमें पुरुष अपना जन्मसिद्ध व एकाधिकार समझता है तो वह 'कुलटा' कहलाती है। अच्छी लड़कियां ऐसा नहीं करतीं। पुरुष वेश्या के पास जाते हैं या काल गर्ल को बुलाते हैं। वे उनकी जरूरत है और उसमें वे खुश होते हैं कि वे ऐसा बेखटके कर सकते हैं। पूरा समाज-तंत्र, पूरा मनोविज्ञान उसकी शरीर की भूख को मिटाने के इस उपाय को हमेशा उचित ठहराते आ रहे हैं।

पुरुषों के झूठे अहम की संतुष्टि वेश्याओं या कालगर्ल को बुलाकर ही होती है। जब कोई लड़की उन्हें फोन करती है तो उसे बताया जाता है कि कैसे ड्रेसअप होकर आना है। कैसे व्यवहार करना है। भले ही बोर्ड रूमों में बैठकर बड़े-बड़े गबन और उड़ती चिड़िया के पंख गिनने का दंभ भरते हों पर जब कॉल गर्ल झूठ में कहती है कि तुम्हीं उसे आर्गेज्म तक पहुंचा पाए तो उसके झूठ को पकड़ नहीं पाते। पुरुष का दंभ स्वभाव सेक्सुअल परफार्मेन्स में कोई कमी नहीं सुनना चाहता। सेक्स संबंधों में दोनों समान पार्टनर हैं। देह के इस बाजार में दोनों की खुशी मांग व जरूरतें होती हैं ये सारी कोरी बकवास हो जाती हैं। यहां स्त्री मात्र देह बनकर रह जाती है।

पुरुषों की कई फेंटेसियां ऐसी भी होती हैं जिसे वे अपनी पत्नी जो उनके बच्चों की मां है को कह नहीं पाते इसके लिए उन्हें सेक्सी कालगर्ल चाहिए। उनकी जिन मांगों के कारण पत्नी उन्हें तलाक दे सकती है, वे जरूरतें वे वेश्या से पूरा करना चाहते हैं। उसके रोने-चिल्लाने, तड़पने से उन्हें खुशी हासिल होती है। फिर पैसा दिया है उस धंधे को एक-एक मिनट की वसूली तो चाहिए ही।

वेश्याएं ये मानती हैं कि पुरुष हमारे यहां आता ही क्यों है? इसीलिए न कि बाहर के रगड़े-झगड़े, घर का रोग-शोक, दुख-चिंता बिसार कर हमसे दो घड़ी का मन बहलाव पा जाए। यही विश्वास तो हमारे और पुरुष ग्राहकों के बीच की आधारभूत संधि है। यदि ऐसा न होता तो वह अपनी सात भांवरों की ब्याहता को छोड़कर हमारे घर अपना मुंह काला कराने क्यों आए?

यू.एन. की रिपोर्ट - ट्रैफिकिंग मिलियन डॉलर बिजनैस

यू.एन. की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल व असम की लड़कियां भारी तादाद में पंजाब व हरियाणा में पहुंचाई जा रही हैं जहां उनका तब तक यौन शोषण होता है जब तक वे लड़का पैदा नहीं कर देतीं। पंजाब व हरियाणा में भ्रूण हत्या के परिणामस्वरूप लड़कियों की संख्या काफी कम है। लड़का पैदा होने के बाद उन्हें दूसरे पुरुष के हवाले कर दिया जाता है।

विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वेश्याओं के कारण ही विवाह व्यवस्था टिकी हुई है। वही घरों व परिवार की बहू-बेटियों की सुरक्षा का कवच हैं। यह

व्यवस्था संभवत: हर युग में हर समाज में रही है। वैशाली की नगरवधू में उस समय की प्रथा यह थी कि खूबसूरत स्त्री किसी एक व्यक्ति की पत्नी क्यों हो उसे गृहयुद्ध बचाने के लिए नगरवधू होना पड़ता था।

वेश्यावृत्ति की जरूरत क्यों महसूस की जाती है उन स्थितियों का विश्लेषण करते हुए कुछ समाज शास्त्रियों का मानना है कि अविवाहित व विवाहित पुरुष कामकाज के सिलसिले में अपने घरों से दूर जाते हैं पर अपने समाज के रीति-रिवाजों के कारण दूसरी जगह विवाह के लिए उपयुक्त लड़की नहीं खोज पाते हैं। ऐसे में उनकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में ऐसी औरतों की व्यवस्था कर दी गई जहां वे बेहिचक जाकर अपने परिवारों में लौट आते हैं।

पिछली सदी की सामाजिक व्यवस्था को यदि देखें तो राजा-महाराजा, जमींदार व धन्ना सेठों का किसी एक वेश्या को समाज में लेकर घूमने-फिरने, उसके साथ रहने की आजादी स्वीकृत थी। परिवार व्यवस्था के साथ-साथ यह सब भी चलता था।

बर्टेंड रसेल ने 'विवाह व नैतिकता' में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक विवाह संस्था में स्त्री के सम्मान को बहुत महत्व दिया जाता रहेगा तब तक वेश्यावृत्ति की संस्था भी उसके अनुपूरक चलती रहेगी।

मनोवैज्ञानिकों की एक दलील यह भी है कि पुरुष की यौनेच्छा पन्द्रह वर्ष की उम्र में जागृत हो जाती है। परंतु समाज विवाह से पूर्व उसे यौनेच्छा पूर्ति की अनुमति नहीं देता है इसलिए वे वेश्यागमन के दूसरे रास्तों की ओर मुड़ जाते हैं। हर उम्र के पुरुष का वेश्यागमन का कारण भिन्न होता है।

दूसरे, आजकल दूसरे शहरों में नौकरियों व व्यवसाय के सिलसिले में पुरुष महीनों घरों से बाहर रहते हैं। पर्यटक, सैनिक, नाविक, सेल्समेन, विदेशों में नौकरियां और इसमें अब दूसरे शहरों की नौकरियां भी जुड़ गई हैं ऐसे पुरुष अपनी यौन संतुष्टि के लिए व्यावसायिक यौन-कर्मियों के पास जाते हैं।

तीसरे वर्ग में, विधुर, तलाकशुदा व अविवाहित पुरुष जो किन्हीं कारणवश विवाह नहीं कर पाते हैं या गरीबी या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते विवाह की जिम्मेदारी नहीं ओढ़ पाते हैं वे भी यौन-कर्मियों के पास जाते हैं। वैसा करवाते हैं क्योंकि रुपए देकर उसे खरीदा होता है।

पुरुषों के ऐसे वर्गों को देखकर लगता है कि हर ग्राहक के रुपया देकर संभोग करने के कारण भिन्न-भिन्न होते हैं। जब व्यावसायिक यौन-कर्मी के पास जाने वाले ग्राहकों को दंडित करने की बात उठती है तो हर वर्ग के लिए दंड की व्यवस्था अलग-अलग होनी जरूरी है। एक किशोर जो जिज्ञासा वश वहां पहुंचा है उसे काउंसलिंग से समझाना अधिक बेहतर व कारगर होगा। उसे जेल या अर्थ

दंड उसके भविष्य को अंधकारमय कर सकता है।

यौन-कर्मी भी किसी एक पुरुष को 'मरद' के रूप में रखती है जो उनके रुपए पैसे का हिसाब-किताब ही नहीं रखता बल्कि साथ ही ग्राहक ढूंढ कर भी लाता है। ग्राहकों को जहां वे 'कंडोम' का प्रयोग करने के लिए कहती हैं वहीं यह 'मरद' 'वैसे' ही संबंध रखता है घरवाली के साथ 'बाहरवाली' रखने की लालसा पुरुषों को यहां खींच ही लाती है।

फिर आजकल समाज के तथाकथित समाज-सुधारकों के प्रयासों से शहर के भीतर इलाकों से या फिर इनकी बस्तियां खाली करवाई जाती रही हैं। जिस कारण कोठों व रेडलाइट एरिया लगभग समाप्त प्रायः होने लगे हैं और वहां जाना सम्मान जनक नहीं समझा जाता है। इसलिए होटल, रेस्तरां के रूम बुक होने लगे हैं। स्वयं जाने की बजाय रिसार्ट में उन्हें बुलाया जाता है। दूसरे शहरों में कामकाज के सिलसिले में जाने के समय भी 'एस्कार्ट-गर्ल' साथ भेजने की स्थितियां प्रचलन में आ रही हैं। कोठों पर नाच-गाना देखने का रिवाज पुराने जमाने की परंपरा अपने आधुनिक रूप में अब बार डांसर व स्ट्रिप क्लब के नाच देखने जाते हैं। एक राह एक विधि बंद करने के साथ ही नए रूप सामने आ रहे हैं। कारपोरेट जगत बड़ी मीटिंगों में एस्कार्ट देने का प्रचलन होटल के पैकेज का हिस्सा बन रहा है।

निःसंदेह कानून के तहत प्रतिबंध तभी सफल हो सकते हैं यदि व्यक्ति की मानसिकता उन्हें अपनाना चाहे, आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सभी जायज ठहराया जाता है फिर जब कानून ही वेश्यावृत्ति को सही ठहराए, परन्तु सार्वजनिक स्थान पर उसका प्रदर्शन गलत ठहरा रहा हो, ऐसे में उसके विभिन्न रूपों का चलन होना ही वास्तविकता है।

भूले-भटके किसी होटल में पकड़ी जाने वाली काल गर्ल से तो पुलिस सवाल करती है कि वह क्यों आई? क्या घर में संतुष्टि न थी पर जिस पुरुष के साथ वह पकड़ी जाती है उससे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। यदि पुरुषों से भी ऐसे सवाल पूछे जाएं तो पुरुष मानसिकता को समझ कर ही मांग पक्ष को कम करने के उपाय खोजे जा सकते हैं।

इसमें दो राय नहीं है कि पुरुषों की यौन संतुष्टि ने वेश्यालयों की व्यवस्था की है। पुरुष अपनी स्वार्थी अहम तुष्टि में फंसा कुछ भी करने को बाध्य होता है। अपनी शक्ति, धन वैभव, यौन स्वतंत्रता सभी की तुष्टि वह करना चाहता है।

बढ़ते शहरीकरण व औद्योगीकरण के कारण सेक्स उद्योग भी नए रूपों में सामने आया है। सेक्स पर्यटन के बारे में यदि विचार किया जाए तो महिला व बच्चों को वस्तु रूप बनाकर उन्हें खरीदने का सामर्थ्य पुरुषों ने हासिल कर लिया है।

अनुसंधानकर्ताओं ने ग्राहकों को पांच समूहों में बांटा है

पहले समूह में ट्रक ड्राइवर, रिक्शा वाला, दिहाड़ी मजदूर व अन्य अपराधी अपने परिवार व पत्नी के बिना महीनों तक काम की मजबूरी के कारण अलग रहते हैं।

दूसरे समूह में	रईस जादे व अधिकतर सम्पन्न लोग
तीसरे समूह में	छात्र व युवा
चौथे समूह में	शादी से असंतुष्ट
पांचवें समूह में	परिवर्तन की चाह के कारण व अत्यधिक यौनेच्छा

पहले वर्ग को जहां यौनेच्छा पूर्ति चाहिए, दूसरे समूह को अधिकार प्रदर्शन, तीसरे वर्ग को यौन-सुख व चौथे व पांचवें समूह के यौन संतुष्टि व अपनी अदम्य इच्छाओं की पूर्ति यौन-कर्मियों के पास ले जाती है।

पहले वर्ग के ग्राहकों की पसंद	आम यौन-कर्मी, नाचने-गाने वाली
दूसरे वर्ग की पसंद	काल गर्ल व रखैल जैसी लड़कियां
तीसरे वर्ग की पसंद	आम यौन-कर्मी व काल गर्ल
चौथे वर्ग की पसंद	आम यौन-कर्मी, नाचने-गाने वाली
पांचवे वर्ग की पसंद	वही-

भले ही पसंद अपनी-अपनी है परंतु क्या पुरुष यह कभी नहीं सोचेगा कि स्त्री कोई वस्तु नहीं है जिसे पसंद या नापसंद किया जाए। क्यों पुरुष स्त्री को भावनाशून्य समझता है। अपनी कुवासनाओं की शांति करता हुआ उसे क्यों कुलटा कह कर अपमानित करता है? अपमान का यह सिलसिला कब विराम लेगा?

अध्याय - 6

यौन-कर्म की समस्याएं व परेशानियां

समाज की यह विचित्र स्थितियां है कि कहलाने को तो पुरुष परिवारों के मुखिया हैं पर इन यौन-कर्मियों की जिन्दगी में झांकें तो इनके ऊपर इनके बूढ़े मां-बाप की जिम्मेदारी है पिता कभी गरीबी से मजबूर होकर, कभी अपने नशेखोरी की लत के कारण बेटियों को बेच डालते हैं। परिवार के कर्ज का बोझ उतारने के लिए गिरवी रखने के लिए रुपया, जेवर, जमीन-जायदाद नहीं बल्कि बेटियों का सौदा करते हैं और पति के छोड़ जाने के बाद बच्चों का लालन-पालन अकेले कर रही है। बच्चों को बेहतर जिंदगी देने, अच्छी सुख-सुविधाओं की चाहत इस धंधे को नहीं छोड़ने देती है।

भले ही सुख सुविधाएं मिल जाती हैं पर एक बैंक में खाता खोलने, बच्चे के स्कूल में प्रवेश दिलाने, कार खरीदने या मकान खरीदने, राशन कार्ड बनवाने सब में संघर्ष ही है। किसी एन जी ओ की मदद से ही यह काम संभव हो पाते हैं। किसी भी कार्य या व्यवसाय की व्यावहारिक दिक्कतें होती हैं पर इनके व्यवसाय की समस्याएं व परेशानियां औरों से हटकर होती हैं।

मादक पदार्थ मजबूरी का सबब-व्यावसायिक यौन-कर्म में कोई भी लड़की अपनी खुशी से नहीं आती है। गरीबी, अशिक्षा, प्यार में धोखा एक लम्बी फेहरिस्त है जो उन्हें यहां पहुंचा देती है। जो अपने-आपमें बहुत बड़ा सदमा होता है। मादक पदार्थों व यौन-कर्म का चोली-दामन का साथ है। नई लड़कियों जो बहुत ही कम उम्र की होती हैं, किसी भी कीमत पर धंधे पर लगना नहीं चाहती हैं। उन्हें मारने-पीटने, भूखा प्यासा रखने, तन पर कपड़ा न देना, लोगों के सामने बलात्कार करना जैसे उपायों से भी यदि बात नहीं बनती है तो उसे ड्रग्स का इंजेक्शन देते हैं और वह उसके नशे में ग्राहक की इच्छाओं के सामने घुटने टेक देती है।

कुछ यौन-कर्मियों का विचार था कि उनका काम शारीरिक व मानसिक रूप से

थका देने वाला काम है। इसलिए अधिकांश वेश्याएं किसी न किसी प्रकार का नशा करती ही हैं। पहले मैडम जबरदस्ती ड्रग्स देती हैं, कभी ग्राहक का साथ देने के लिए पीती हैं, तो फिर धीरे-धीरे आदत हो जाती है। एक बार जब ड्रग्स पर खर्च करना शुरू कर देती हैं तो अधिक ग्राहक लेना शुरू कर देती हैं ताकि अधिक कमा सकें। यही नहीं दिन में कई बार यौन संसर्ग की पीड़ा व उससे उबर न पाने के लिए भी नशे की सहायता लेना इनकी मजबूरी होती है। देह के ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है उसे सुन्न करके ही सहा जा सकता है।

हम स्वयं से सवाल करें कि ड्रग्स की दुनिया को न कैसे कहें? परिवारों ने पहले उपेक्षा की तो लोगों ने ड्रग्स का सहारा लिया, नुकसान व परिणाम को नहीं समझा। हर गली, चौराहे पर लटके सरकारी पोस्टर भला कैसे सफल होंगे। जागरूकता के लिए हाथ तो स्वयं रोकने हैं ताकि कहीं कोई इनमें अपना बच्चा उलझ न जाए।

यौन-रोग व यौन हिंसा- यौन-रोग और यौन-कर्म संभवतः एक-दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। यौन रोगों का असर उनके बच्चों पर भी दिखता है। बार-बार गर्भधारण से शरीर में ताकत भला कहां बचती है। गर्भपात भी हस्पतालों में जाकर नहीं, बल्कि दवाइयों के द्वारा किए जाने से तकलीफें और बढ़ती हैं। यौन रोगों के साथ-साथ अब एड्स व एचआईवी के खतरे सिर पर मंडरा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो अकेले मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में रहने वाली पचास प्रतिशत यौन कर्मी एड्स प्रभावित हैं।

इस जानलेवा बीमारी का उपचार सुरक्षा उपाय से ही संभव है पर कंडोम का प्रयोग करने के लिए ग्राहक तैयार नहीं होते और इनकी मजबूरी ग्राहक को लौटा न पाने की होती है। एन जी ओ इन्हें शिक्षित करने का प्रयास करती है पर यौन-कर्मी जानती हैं कि शिक्षा की उनसे ज्यादा जरूरत पुरुषों को होती है। किसी भी सरकारी हस्पताल के एड्स वार्ड में रोते पुरुषों के चेहरे एक ही कहानी बयान करते हैं कि वे अपनी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। एड्स के होते पत्नी से असुरक्षित संभोग से उसे भी एचआईवी पॉजिटिव नहीं बल्कि संतानों को भी संक्रमित करते हैं।

अपनी पत्नी को एड्स की बीमारी देकर मर जाने वाले पुरुष अनजाने में ही पत्नी को यौन-कर्मी बनने के लिए विवश कर जाते हैं। पति की मृत्यु के बाद विधवा का जीवन इस समाज में वैसे ही नारकीय होता है उस पर एड्स संक्रमित होने पर घर से बाहर निकाल दी जाती है। अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए यौन-कर्म करने के रास्ते वह अपना बिना इलाज कराए ही दूसरी बीमारियों को भी निमंत्रण देती है।

समाज में संभ्रांत पुरुषों ने यह प्रचारित कर दिया है कि एचआईवी/एड्स

फैलने की जिम्मेदार वेश्याएं हैं। ऐसा इसलिए फैला दिया गया है क्योंकि पहला केस कमाठीपुरा में पाया गया था। यहां कि स्त्रियां कहीं नहीं जातीं। बाहर से पुरुषों ने आकर ही यह वायरस फैलाया और जिंदा लाश इन्हें बना डाला गया है। फिर इलाज के लिए न तो इनके पास रुपए हैं और साथ ही इस तकलीफ के बावजूद ग्राहकों को लेने की मजबूरी है। भारतीय समाज में पुरुष ही विवाहेतर संबंध रखने का दम-खम रखता है, स्त्रियां नहीं। एड्स पीड़ित व्यक्ति अपनी बीमारी छुपा कर विवाह भी कर लेता है और यौन-कर्मी के पास जाकर बिना कंडोम के संभोग की जिद भी पालता है क्योंकि उसने उस घंटे के लिए उसे खरीद रखा है। पुरुष को बीमारी के लिए जिम्मेदार न ठहराकर इन्हें कसूरवार बनाकर जबरन इनकी एड्स की जांच की जाती है। हस्पतालों में डॉक्टरों का व्यवहार भी प्रताड़ना भरा होता है। ग्राहकों को लेकर तरह-तरह के सवाल वे करते हैं जिनकी इलाज में भूमिका नहीं होती मात्र शर्मसार करने के पर्याय होते हैं

छोटी उम्र की लड़कियों को जिस उम्र में सेक्स करने को मजबूर किया जाता है, उस उम्र में वे शारीरिक-विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानती हैं और ये भी नहीं जानतीं कि असुरक्षित यौन संसर्ग से अनचाहे गर्भ व गर्भपात ही नहीं कई तरह के यौन रोग व एचआईवी के खतरे बढ़ सकते हैं। कच्ची उम्र, कच्चा शरीर और अनचाही प्रेगनेंसी कई बार ऐसे में शिशु जन्म उसकी मुसीबतों को गहरा ही करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान उसे एक दिन में कई कई 'ग्राहक' से निजात नहीं मिलती। गर्भावस्था में डॉक्टर गर्भवती को दिन भर आराम व अच्छी खुराक खाने की सलाह देती है पर इनका अभागा जीवन ऐसे आराम से दूर ही होता है। दर्द व पीड़ा के अलावा और अधिक जटिलताएं उभर आनी स्वाभाविक होती हैं। नौवें महीने तक किसी औरत को जबरन सेक्स करने के लिए मजबूर करना उसके मानवाधिकार का हनन होता है पर मालकिन उसे गर्भावस्था के दौरान धंधा करने की छूट नहीं देती और उधर कुछ ऐसे दरिंदे पुरुष भी आते हैं जो गर्भवती के साथ ही संसर्ग करना चाहते हैं। नवजात शिशुओं की मांओं का दूध उनके बच्चे नहीं ऐसे पुरुष पीकर किस यौन-सुख की कल्पना करते हैं कोई पूछने का साहस नहीं कर सकता। 'मालकिन' उसके दुख-दर्द को भला क्या समझेगी।

जब अपना पक्ष रखने का विकल्प नहीं होता इसलिए असुरक्षित यौन व्यवहार करने से ग्राहकों को कोई नहीं रोक सकता। यू.टी.आई., एस.टी.आई., एस.टी.डी. और एच.आई.वी./एड्स की तलवार हर समय उनके सिर पर लटकती रहती है।

जब एक बार यह पता चल भी जाए कि वे एच.आई.वी. प्रभावित हैं पर उसे फिर भी पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जब तक कि वह बिल्कुल ही

निःसहाय न हो जाए। ऐसा इसलिए होता है कि उसे एचआईवी है कि जानकारी ग्राहकों को नहीं दी जाती है अन्यथा उनके व्यापार को झटका लगे, दूसरे पूरे वेश्यागृह में आने से लोग कतराएंगे। यही नहीं एन.जी.ओ., चिकित्सा अधिकारी, विधिक अधिकारी तक वहां पहुंचकर अपने-अपने तरीके से उस स्थिति को प्रसारित कर वहां ग्राहकों को नहीं आने देंगे इसका कारण यौन-कर्मी को जब तक शोषण कर सकते हैं, वे करते चले जाते हैं।

एक बीमार मछली सारे तालाब को गंदा करती है—कहावत यहां खरी उतरती है। उस बीमार यौन-कर्मी के पास आने वाले 'ग्राहक' एचआईवी का शिकार होकर अपनी पत्नियों और पैदा होने वाली संतानों को एचआईवी संक्रमित कर डालते हैं। यौन-कर्मियों के खुद के बच्चे भी एचआईवी संक्रमित हो सकते हैं। देश में एच.आई.वी./एड्स का बढ़ता संक्रमण जो चेतावनी सिग्नल दे रहा है उससे सतर्क होना ही नहीं चाहते हैं।

एचआईवी का इलाज युवा लड़कियों से यदि संसर्ग कर संभव होता है इस भ्रांति को जब तक पुरुष अपने दिलों से नहीं निकालेंगे तब तक मासूम बच्चियां इस शोषण का शिकार होती रहेंगी।

वयस्क भले ही कंडोम प्रयोग के लिए पुरुषों को कह पाती हैं पर छोटी लड़कियों की बात कौन सुनना चाहता है। फिर वे इन बातों से अनजान भी तो होती हैं।

ग्राहक पोर्नोग्राफी फिल्में देख कर वैसी सर्विस देने पर जोर देते हैं।

घटिया दारू पीना और पीने के लिए विवश करना एक आम-सी घटना है।

सुधार कार्य में लगे लोगों का व्यवहार—समाज ने तो इन्हें हाशिए पर ही रखा है पर इनके सुधार कार्य में लगे लोगों का व्यवहार भी समस्या का कारण है। हस्पतालों में डॉक्टर इन्हें स्वयं नहीं देखते। कम्पाउंडर व्यंग्य व शर्मसार करने वाले सवाल पूछते हैं। अपर्याप्त स्टाफ व उसमें भी सहानुभूति का अभाव होता है। फ्री सेक्स की मांग रखने में वे कोई संकोच नहीं करते।

किसी दूसरे व्यवसाय में लगी महिलाओं के लिए तो सरकार के कार्य स्थल पर यौन शोषण के मार्ग-निर्देश जारी कर दिए हैं पर जो व्यवसाय ही यौन शोषण का हो तो सरकार ही वहां मौन हो जाती है।

जीबी रोड के गलियारों में बैठी एक 57 वर्ष की उम्र की वेश्या अपनी आप बीती सुनाती हुई कहती है कि घर-परिवार में केवल शोषण मिला। अपना सब कुछ देकर भी हाथ खाली थे। मुझे लगता था कि मैं इस्तेमाल की जा रही हूं। शोषित हो रही हूं। पति शराब पीकर आकर हर रात..... फिर पीटता भी था। छोड़ दिया। अब मैं दुनिया के हर पुरुष को मिलती हूं। घर-परिवार का सब काम करती हूं। किसी

आम औरत की तरह, पर एक पुरुष की मर्जी नहीं सहती अपनी मर्जी करती हूं।

काल गर्ल को भी घर-परिवार की समस्याएं होती हैं। कभी बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिले के लिए, कभी बीमार पति के इलाज के लिए उसे एक साथ काफी रकम चाहिए। बीस हजार रुपए के मासिक वेतन पर कोई रखना नहीं चाहता पर चार रात में इतना रुपया और ढेर सारे तोहफे देने वाले पुरुष जब मिल जाते हैं तो सिर्फ नौकरी कहां तक लाभप्रद है।

बीमारियां लग जाने का खतरा इन्हें भी उतना ही रहता है। काल गर्ल अपनी मर्जी से इस धंधे में हैं, वह रेडलाइट एरिया की वेश्या से अधिक कमाती है। ग्राहक को मना करने की स्थिति में होती है। यह सब भी सच है पर यह भी उतना बड़ा सच है कि वे भी दलालों के चंगुल में फंसी होती हैं। जब पति ही दलाली करते हों तो उनका दर्द क्या हो सकता है। विदेशों से यहां नौकरी व फिल्मों में काम दिलाने के लिए लाकर होटलों में धंधा करवाते हैं यह त्रासदी भी काल गर्ल झेलती हैं।

मानव अधिकारों के तीन पहलुओं-जीने के अधिकार, प्यार व दुलार, शरीर व यौन सुख से उसे वंचित कर ऐसी परिस्थितियों में रहने को मजबूर कर दी जाती है। जहां वे अपने से ही घृणा करने लगती हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना इनकी सबसे बड़ी चुनौती है। किसी सरकारी हस्पताल में पहले तो डॉक्टर देखने को तैयार नहीं होते। जो देखते हैं वे ऐसे सवाल पूछते हैं कि वहां जाने की इच्छा नहीं होती। हर दिन कितने ग्राहक आते हैं? क्या-क्या करते हैं? डॉक्टर, वार्ड ब्वाय, एक्स रे टेकनिशियन या सोशल वर्कर सभी को सेक्स करने की इच्छा होती है उसके बिना इलाज नहीं होगा। बिना शारीरिक जांच के भला कैसे इलाज कर सकते हैं। क्या वे ऐसे सवाल दूसरी महिलाओं को पूछ सकते हैं। एच.आई.वी./एड्स यही फैलाती है। हमारी जांच लेडी डॉक्टर या नर्स नहीं करती, न ही करना चाहते हैं यह गुस्सा सभी का है। जबरन एच आई वी की जांच भी इन्हें झेलनी पड़ती है। हिंसा व लांछन का यह नया रूप है।

जब तक समाज में स्त्री को अच्छी या बुरी, नैतिक या अनैतिक के पैमानों पर तोला जाता रहेगा, तब तक लांछना उनके साथ परछाईं-सी चिपकी रहेगी।

आवास की कमी—एक 10-10 का छोटा सा कमरा जिसमें दर्जन भर लड़कियों का एक साथ रहना, कमरे के दीवारों पर देवी-देवताओं के चित्र और एक बक्से में जरूरत भर का सामान, बस इतना ही स्थान मिलता है।

रात भर ग्राहकों के मनोरंजन के अलावा सोने के लिए इन के पास अपनी अलग से जगह की कोई व्यवस्था नहीं होती। एक ही कमरे में सात-आठ औरतें और वे भी अधूरी नींद से मालकिन द्वारा कई बार उठा दी जाती हैं, कभी ग्राहक के नाम

पर, तो कभी पुलिस के डर से किसी और जगह पर छुप जाने के लिए।

एक साथ इतनी औरतें रहेंगी, तो छोटे-बड़े झगड़े होने भी स्वाभाविक हैं। ऐसे में साफ-सफाई का अभाव भी होता ही है। उस गंदगी व सीलन भरे माहौल में उन्हें दिन-रात रहना होता है और यदि साथ में बच्चे भी हों तो उनका स्वास्थ्य भी कमजोर ही होता है। उनके कमजोर शरीर को विभिन्न बीमारियां लगती रहती हैं। फिर इलाज के बिना ही उन्हें काम चलाना पड़ता है क्योंकि दवा-दारु का खर्च मालकिन उनके हिसाब में लिख लेती है।

किसी कोठे पर एक यौन-कर्मी को ग्राहकों का इंतजार दिन भर करना होता है, भले ही बुखार या किसी तकलीफ से तड़प रही हो। गर्भपात भी केवल दाइयों से ही करवाया जाता है और करवाने के बाद दो-तीन दिन का आराम भी इनके लिए हराम ही होता है। यौनजनित रोगों का इलाज भी घरेलू नुस्खों से करती हैं। वयस्क यौन-कर्मी भले ही डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा सकती हैं, पर छोटी लड़कियों को इसलिए नहीं भेजा जाता है क्योंकि नाबालिग के साथ सेक्स करना अपराध है और वे आपराधिक मामलों में फंस सकती हैं।

कई यौन-कर्मियों का कहना था कि हम भी अपने बच्चों का पेट पालना चाहते हैं, उन्हें भी बेहतर जिंदगी, अच्छे स्कूलों व अपने घर का सपना देना चाहते हैं पर क्या समाज हमें यह सब करने देगा।

हर वक्त का तनाव उन्हें नशाखोरी व मादक पदार्थों की भी लत लगा देता है या यूं कि उन्हें कर्ज की वसूली को समझना पड़ता है। शराब व ड्रग्स की लत उन्हें और कर्ज में भी डुबोती है और अक्सर बड़ी उम्र की वेश्याएं भीख मांगने को मजबूर हो जाती हैं।

अपराध बोध—एक अन्य समस्या इनकी अवैध संतानों की भी है। क्या मातृत्व सुख का अधिकार केवल ब्याहताओं को है। जिस अजनबी वातावरण में ये रहती हैं, उसमें यदि कोई अपना है तो वे इनके बच्चे ही होते हैं। समाज के मानकों के अनुसार वे अवैध संतानें हैं। वे कम से कम पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पैतृक संपत्ति के वारिस होने के साधन मात्र नहीं हैं।

वे कई बार अपराधबोध व शर्मसार भी होती हैं कि यह किस राह पर वे चल रही हैं। कई बार विरोध भी करना चाहती हैं पर अपने-आपको विवश व बेसहारा ही पाती हैं क्योंकि समाज के सारे दरवाजे बंद होते हैं। न सिर पर छत, न रोजी रोटी का कोई विकल्प, यहीं घुट-घुट कर जीते रहने को मजबूर करता है। ऐसे में रातों की नींद शारीरिक तौर पर तो मिलती नहीं है मानसिक तौर पर भी नींद में चैन नहीं मिलता। शारीरिक बीमारियों का तो शिकार होती ही हैं। मानसिक तौर पर भी बीमार पड़ी हैं।

उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है और न ही यह जानती हैं कि यहां से मुक्ति का कोई रास्ता हो सकता है।

बच्चों का दर्द- वेश्याओं के बच्चे उनके अवैध संबंधों के कारण ही पैदा हुए होते हैं। इन बच्चों की ढंग से परवरिश कर पाना इनके लिए कठिन होता है। कभी वे स्वयं उनको इस धंधे में उतारना चाहती हैं या कभी मालकिन उस पर निगाह रखती है। उन्हें समुचित शिक्षा या विकास के अवसर कम ही मिलते हैं।

कई बार उन्हें अपने बच्चों को दूसरी सेक्स वर्कर को देने पर भी मजबूर हो जाना पड़ता है। ऐसा कभी कर्ज न चुका पाने की मजबूरी में करना पड़ता है तो कभी स्वयं के पास उसकी परवरिश का समय और धन दोनों नहीं होते।

इनके बच्चों की स्थितियां काफी बदतर होती हैं। वे शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनकी मांओं के पास उनके लिए कोई वक्त नहीं होता, वे शाम को व्यस्त और सुबह उठ नहीं पाती हैं। कुछ एन जी ओ द्वारा क्रेश व स्कूल चलाए जाते हैं पर उन्हें रात में रखने की व्यवस्था नहीं होती है। रात के समय वे अपनी मांओं को शोषण का शिकार होते देखते हैं। जिसके विरुद्ध वे कुछ नहीं कर पाते हैं। स्कूलों में तब उन्हें अपनी मां के बारे में 'बुरी औरत' सुनने को मिलता है तो मां पर क्रोध आना स्वाभाविक होता है, बच्चों का गुस्सा झेलना भी उनकी नियति होती है। वे बच्चों को यह समझा ही नहीं पाती हैं कि जिस पिता को उनकी परवरिश करनी चाहिए थी वह इन्हें छोड़कर चला गया और समाज के शोषण का वे शिकार होकर उन्हें पालने की कोशिश कर रही हैं।

जीबी रोड पर रहने वाली सुनीता कहती है कि कभी खुली हवा में टहलने का मन करे तो भी पुलिस डंडों से मार कर ऊपर भगा देती है। खुले आकाश, खुली हवा पर क्या हमारा अधिकार नहीं? इस प्रश्न का जवाब क्या कोई दे सकता है।

खरीद कर लाई गई लड़कियों को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक दबाव बना कर सीधे धंधे में बिठाना यौन शोषण का हिस्सा है। उन्हें शारीरिक व मानसिक दोनों तरह की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। हर वक्त पुलिस गिरफ्तार कर लेगी इसका भय भी बना रहता है।

पुलिस छापों के दौरान सिर के बालों से खींच कर बाहर घसीटती है। उन्हें हो रहे दर्द का उन्हें अहसास नहीं होता है। मालिक उनमें से छोटी उम्र की लड़कियों को अंधेरे बंद कमरों में घंटों ठूंस देते हैं जब तक पुलिस का छापा मार पुलिस लौट नहीं जाती है। कभी पुलिस उन्हें पकड़ भी ले तो बाल नोंचे जाते हैं तो कभी ड्रेस के चीथड़े हो उठते हैं।

पुलिस ग्राहक को तो वहीं छोड़ जाती है और यौन-कर्मियों को घसीटती ले

जाती है और न उन्हें कपड़े-लत्ते उठाने का समय देती है और न ही कोठे के मैनेजर से रुपया-पैसा यानि बीते दिनों की सारी कमाई से भी हाथ धो बैठती हैं।

कई बार पुलिस उन्हें तो ले जाती है पर उनके नवजात शिशुओं को वहीं छोड़ आती है। यही पुलिस वाले जब छापा मारने आते हैं तो भद्दी गालियां देते हैं। कुछ दिन पहले तक जब 'फ्री सर्विस' लेते थे तो अच्छे से बात करते थे और इस समय ऐसी निगाहों से देखते हैं कि उन्हें खुद अपने होने पर शर्म होने लगती है। एक समस्या ये भी रहती है कि पुलिस कभी भी वेश्यागृह के मालिकों को नहीं, उन्हें ही तंग करती है। बरसों से कोठे पर रेड लाइट एरिया में काम दिन-रात चलता है और पुलिस के छापे भी पड़ते हैं। गिरफ्तारियां भी होती होगीं, जमानतें भी उन्हें मिल जाती हैं पर मालकिन भले ही गिरफ्तार हो जाए काम बदस्तूर जारी रहता है क्योंकि उसके वफादार मैनेजर काम संभाल लेते हैं।

वेश्यागृहों के मालिकों के पुलिस, स्थानीय राजनेताओं व अन्य उच्च अधिकारियों से सांठ गांठ इतनी पक्की होती है कि पुलिस छापे अव्वल तो पड़ते नहीं, पड़ते भी हैं तो परेशानी उसके बाद यौन-कर्मियों की ही बढ़ती है क्योंकि यदि खर्च किए गए हैं तो उनकी भरपाई पहले से ज्यादा ग्राहक झेलकर करनी पड़ती है।

छोटी उम्र की लड़की—अधिक शामत- शहर कोई भी हो, छोटी उम्र की लड़की की मांग अधिक होती है और वेश्यागृह के मालिक पहले उसे ऊंचे दामों पर खरीदते हैं और प्रत्येक ग्राहक से उसके लिए अधिक प्रीमियम मांगते हैं। मालिक ये भी सुनिश्चित करते हैं कि ये लड़कियां कहीं किसी एन जी ओ की निगाह में न आने पाएं इसलिए उन्हें हर वक्त अंधेरी बंद कोठरियों में रखा जाता है और केवल उन्हीं ग्राहकों को दिखाया जाता है जो अधिक रुपया खर्च करने को तैयार होते हैं। किसी एन जी ओ की नजर में छोटी लड़की का पड़ना यानि उनके लिए पुलिस कानून के चक्कर शुरू हो सकते हैं।

फिर पुलिस से छुड़ाने के लिए भारी रकम खर्च करने के बाद उस नन्हीं जान के कर्ज के खाते में जोड़ कर उसे कभी आजाद नहीं करेंगे।

वेश्यागृह के मालिकों ने लड़कियों की उम्र के हिसाब से उन्हें कई वर्गों में बांट रखा है पहले वर्ग में उन्हें रखा जाता है जो छोटी हैं और उन्हें प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 ग्राहकों को निपटाना पड़ता है। दूसरे वर्ग में सुडौल और स्वस्थ औरतें जिन्हें कम से कम दस ग्राहकों को झेलना पड़ता है। तीसरे वर्ग में साधारण या बड़ी उम्र की औरतें उन्हें भी 6-8 ग्राहक भेजे जाते हैं।

उनकी उम्र के मुताबिक मालकिन का लाभ तो बढ़ता है पर उनके हिस्से आने वाली राशि 50-100 से अधिक नहीं होती और महीने के अंत में तरह-तरह के खर्चे

व उनकी खरीद के समय खर्च राशि व उसके परिवार को दी गई राशि के कर्ज की किश्त चुकाने के बाद एक मामूली सी रकम की दावेदार ही वे बनती हैं।

कुछ वेश्यागृह के मालिक उनका शोषण इस प्रकार भी करते हैं कि उन्हें प्रतिदिन कम से कम 600-700 की राशि कमानी ही है यदि वह किसी रोज कम कमा पाई तो वे उसे उस दिन का कोई दाम देंगे ही नहीं। हाई वे पर करार के तहत काम करने वाली औरतों को अपनी बीमारी की वजह से यदि किसी दिन काम न कर पाए तो करार के दिन उतने ही बढ़ जाते हैं। दूसरी लड़कियों से अधिक बातचीत या घूमने जाने की अनुमति छोटी उम्र की लड़कियों के लिए नहीं होती।

ग्राहक यदि छोटी बच्चियों को बाहर ले जाते हैं तो बिना रुपए अदा किए भी छोड़ देते हैं और लौटने पर मालकिन की मार भी उन्हें सहनी पड़ती है कि सही ढंग से काम करना नहीं आता।

मालकिन भद्दी गालियों से ही नहीं कभी-कभी छड़ी का इस्तेमाल भी करती है। कोई लड़की यदि ग्राहक की मांग पूरी न करे, अपनी आवाज उठाने की कोशिश करे तो वह मार्केट खराब करने वाली हरकत होगी जिसके लिए मार-पीट स्वाभाविक है। छोटी-मोटी चोटों पर तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता बड़ी चोट लगने पर ही डॉक्टर के पास जाने की अनुमति होती है और बिल भरना भी अपनी जिम्मेदारी। डॉक्टर व कम्पाउंडर भी इलाज कम भद्दी भाषा अधिक इस्तेमाल करते हैं जो उन इलाकों में अपनी 'दुकान' चला रहे होते हैं। छोटी बच्चियों को तो इलाज के लिए भी बाहर नहीं भेजते, कहीं किसी को दिख जाएगी तो छापा पड़ जाए। पान वाले से ही दवाएं खरीद लेना और सेनिटरी नेपकिन के खर्चे भी उन रुपयों से करने पड़ते हैं जो 'टिप' में ग्राहक उन को देता है।

कंडोम की व्यवस्था अभी तो एन.जी.ओ. के द्वारा मुफ्त की जाती है। यदि कंडोम नहीं है या ग्राहक इस्तेमाल नहीं करना चाहता तो बीमारी के अंदेशों में ही जूझना पड़ता है।

पोशाकों पर काफी धन खर्च करना भी इनकी मजबूरी होती है। त्वचा से छोटे टाइट पोशाक या भड़कीली साड़ियां व ब्लाऊज खुद नहीं बल्कि मालकिन दर्जी बुला कर सिलवाती है और उनका खर्च उनकी कमाई से काट कर कर्ज के बोझ में डुबाती चली जाती है।

यही नहीं उन्हें मासिक बचत के नाम पर भी उनसे रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। बिना किसी लेखा-जोखा के उनसे रुपए लेते रहना कभी एक खर्च या कभी ज्वैलरी बनाने के नाम पर और हासिल कुछ न होना यह हर मालकिन का व्यवहार होता है। यदि पूरे वर्षभर की उनकी कमाई का सही लेखा-जोखा रखा जाए तो वे 3-4 लाख

तक कमा लेती हैं पर उन्हें सिवाय कर्ज के बोझ के कुछ नहीं हाथ लगता है इसी कारण वे भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती हैं।

अपने बारे में सोचने व कुछ करने का मानस बनाने की बयार अब चलने लगी है।

कम उम्र की यौन-कर्मियों के काम के घंटे 15 से 18 घंटे तक होते हैं। मुंबई जैसे शहर में रात में नाइट बार में डांस करना और उसके बाद रातभर व सुबह ग्राहकों का मनोरंजन करना। हजारों रुपए कमाने के बावजूद उनके हिस्से में सिवाय टी.बी., एस.टी.डी. और एड्स जैसी बीमारियां ही आती हैं। इन बीमारियों के बावजूद भी उन्हें आराम नहीं करने दिया जाता।

कई बार लगता है कि क्या पुरुषों की सेक्स की भूख इतनी अधिक है कि जिस औरत की देह वे इस्तेमाल कर रहे हैं उसके रिसते घावों, एग्जिमा, टी बी उन्हें दिखाई ही नहीं देती। वे क्यों भूल जाते हैं कि ये बीमारियां वे कभी घरों से ला रहे हैं तो कभी घर ले जाकर पूरे समाज में रिसते घावों वाले अश्वत्थामा की तरह कोढ़ फैला रहे हैं।

समस्या एक यह भी है कि यदि वे चाहती भी हैं कि समाज में लौट जाएं तो उसे स्वीकार कोई नहीं करता, पुनर्वास एक व्यक्ति के रूप में संभव नहीं हो सकता। उन्हें एक समूह के रूप में कोई गतिविधि, कोई व्यापार शुरू करने के लिए सरकारी संगठनों को प्रयास करने चाहिए। लोग उन्हें अपने घर में काम वाली बाई बनाना भी पसंद नहीं करते।

जी.बी. रोड में काम करने वाली महिला यौन-कर्मियों का कहना था कि समाज के पास हमारे लिए काम है भी कहां? किसी एक घर में दो-तीन हजार रुपए की नौकरी, क्योंकि हम पढ़ी-लिखी नहीं हैं। कहां है किराए के मकान, सस्ता राशन व स्कूलों की फीस, बूढ़े मां-बाप की दवाइयां खुद के खर्चे, क्या इतने में संभव है।

उन्हें छापे के समय मुंह से कपड़ा ठूंस कर बांध कर छुपा दिया जाता है ताकि आवाज भी न निकले।

यदि छापे के दौरान उन्हें वेश्यागृह से छुड़ाया जाता है तो उनका सारा सामान व थोड़ी बहुत जमा पूंजी जो उन्हें 'टिप्स' के तौर पर मिली होती है, पुलिस उसे उठाने नहीं देती वह सब वहीं छूट जाता है। पुलिस को अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करने की जल्दी होती है। उनका सामान मालकिन के कब्जे में चला जाता है।

सामान ही नहीं कभी-कभी दुधमुंहे बच्चे भी छूटते हैं पर शोर-शराबे में सुनवाई कब होती है बच्चों को वापिस लेने जाना यानि मालकिन की धमकियां खाना ही होता है।

ऋण का चक्र- पहले परिवार के लोग अपने सिर से कर्ज का बोझ उतारने के लिए अपनी लड़की को घरवाली या मालकिन को बेच देते हैं, पर ये बोझ उनके सिर से उतर कर लड़की के सिर चढ़ जाता है वह यह नहीं जानते। मालकिन उसे अपने पंजे से तब तक आजाद नहीं करना चाहती जब तक उसका कर्ज चुकता नहीं होता। यह कर्ज़-चक्र कभी चुकता नहीं होता क्योंकि बार-बार नए कर्ज उसमें जुड़ते चले जाते हैं। जितने रुपए में उसे खरीदा जाता है, सबसे पहले कर्ज तो वही होता है। जब कभी पुलिस का छापा पड़ता है तो उस समय होने वाला खर्च उनके खाते में चढ़ता है। यदि इटपा की धारा 8 के तहत लड़की दोषी पाई गई तो उसे लगने वाले जुर्माने की राशि भी कर्ज में शामिल हो जाती है। यदि उसकी जमानत कराने के लिए वकील करना पड़े तो उसकी फीस भी कर्ज की राशि बन जाती है।

यदि वह 18 साल से कम है तो पकड़े जाने पर डॉक्टर को उसे 18 साल का बताने के लिए रिश्वत की राशि भी कर्ज है, बीमार पड़े तो डॉक्टर की फीस, नई ड्रेस सिलाने का खर्च, ज्वैलरी खरीदने सब के खर्चे दिए गए कर्ज के शीर्ष में ही जमा होते हैं।

यदि वह यह सब कर्ज चुका नहीं पाती है तो अपने बच्चों को इसी धंधे में लगाना पड़ जाता है। गांवों का गरीब किसान जिस तरह महाजनों व जमींदारों के चंगुल से कभी नहीं छुटकारा पाता इसी तरह इनकी जिंदगी भी उनके कर्ज के बोझ के नीचे दबती चली जाती है।

यह विडम्बना है कि इटपा की धारा 6 (3) में यह व्यवस्था है कि 'कोई व्यक्ति किसी स्त्री या लड़की को किसी वेश्यागृह में या अन्य किसी परिसर में किसी पुरुष से संभोग करने के प्रयोजन से, उसके विधिमान्य पति के अतिरिक्त, विरुद्ध करने को उपधारित किया जाएगा, जब उसे वहां रुके रहने को उत्प्रेरित या विवश करने के आशय से

(क) उसे कोई आभूषण, वेश सज्जा, धन या उसकी होने वाली कोई अन्य संपत्ति प्रतिधारित करता है या

(ख) उसे कानूनी कार्यवाहियों की धमकी देता है, यदि वह अपने साथ कोई आभूषण, वेश सज्जा, धन या उस व्यक्ति के निर्देश द्वारा उसे दी गई या प्रदान की गई कोई अन्य संपत्ति अपने साथ लेकर भाग जाती हैं।

यह धारा वेश्यागृह के मालिक के विरुद्ध लागू होती है। ये इन व्यावसायिक यौन-कर्मियों का अधिकार है। पर क्या वे जानती हैं? उन्हें तो अपना सामान वहीं छोड़ कर आना पड़ता है, जब छापे पड़ते हैं।

अपने मानवाधिकारों से वंचित उपेक्षिताएं इटपा के तहत अपने अधिकारों की लड़ाई भला क्या जानें। जिसे जीने के अधिकार से वंचित किया जा रहा हो उसे

विशेषाधिकारों का ज्ञान कैसे हो। यदि पढ़ी-लिखी होती, अपना अच्छा-बुरा सोच पाती, उनमें आत्मविश्वास होता तो इस दलदल में, इस भंवर में फंस ही न पाती।

पारिवारिक समस्या- यौन-कर्मियों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता ही इस धंधे में बने रहने को मजबूर करती हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने, अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलाने और अच्छा खानपान उपलब्ध करवाने के लिए अक्सर वे मालकिन के कर्ज तले दबी रहती हैं। उन्हें अपने बच्चों को अपने साथ रखने या फिर किसी रिश्तेदार, होस्टल या फिर किसी एन जी ओ द्वारा चलाई जाने वाले होम में रखना पड़ता है।

बहुत छोटे बच्चों को अपने साथ ही रखने की मजबूरी होती है। पर काम के घंटों के दौरान दूध पीते बच्चे को रोता ही छोड़ना पड़ता है। जिस असुरक्षित माहौल में उनके बच्चे पलते हैं उससे उनके हर शोषण की संभावना बढ़ जाती है। यदि बच्चा लड़की हुई तो मालकिन व दलालों की कुदृष्टि से बचाना भी कई बार कठिन होता है।

उनके बच्चों के लिए मनोरंजन के कोई साधन उपलब्ध नहीं होते। एन.जी.ओ. द्वारा चलाई जाने वाली क्रेश भी पूरे समय उपलब्ध नहीं होती। यह भी जरूरी नहीं कि हर स्थान पर एन जी ओ उनके बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास कर रही हो। उनके बच्चे गलियों में खेलने-कूदने या फिर बुरी संगत का शिकार हो ही जाते हैं।

एक अभिभावक होने के नाते जो समस्याएं एक आम स्त्री को आती हैं उसकी तुलना में इनकी समस्याएं अधिक भी होती हैं। बच्चे की जिंदगी में पिता का अभाव होता है जो सुरक्षा, देखभाल व मार्गदर्शन करता है। उसकी अनुपस्थिति में मां को ही दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। आर्थिक तंगी व एक असुरक्षित वातावरण में जीने की त्रासदी का उन्हें सामना करना पड़ता है।

यही नहीं समाज भी इनके बच्चों को अच्छी निगाह से नहीं देखता, स्कूलों में 'तुम्हारी मां बुरी औरत है' का लांछन उन्हें झेलना पड़ता है जिसका असर मां-बच्चों के रिश्तों पर पड़ता है वे भी मां को अच्छा नहीं समझते। इस वजह से कई बार ये बच्चे तनाव व डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अकेलापन व सामाजिक तिरस्कार इन्हें अक्सर बुरी संगत में डाल देता है।

यही नहीं घर में भी उपेक्षित महसूस करते हैं क्योंकि मां के काम के घंटे कुछ इस तरह होते हैं कि रात भर जागने के बाद सुबह देर से उठने की मजबूरी में उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना, उन्हें स्कूल से लाना, उनका होमवर्क करवाना या साथ खेलना जैसी छोटी-छोटी खुशियां वे बच्चों को दे ही नहीं पाती हैं।

अधिक तकलीफ उन्हें उन अनुसंधानकर्ताओं से, उन मीडिया-कर्मियों से होती है जो अपने प्रचार-प्रसार और अपने चैनल की रेटिंग के लिए उनके ऊपर सनसनीखेज

खोज रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसके कारण अगले ही दिन से पुलिस की छापेमारी शुरू हो जाती है।

जी.बी. रोड की महिला यौन-कर्मियों का कहना था कि कुछ ऐसा करें कि हम इस मजबूरी भरे वातावरण से बाहर निकल पाएं और हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके।

वेश्याएं वेश्यागृहों के मालिकों, परिवार, पति, दुर्व्यापारियों और दलालों के बारे में क्या राय रखती हैं, उसे जानने के लिए कई अध्ययन किए जाते रहे हैं। संक्षेप में तालिका रूप में इस अध्याय के अंत में उसे प्रस्तुत किया गया है।

समाज के इन पुरुषों की बहन-बेटियों से यदि कोई बलात्कार करता है तो पूरा समाज हाहाकार कर उठता है। बलात्कारी को दंड मिले का शोर भी उठता है पर जो बलात्कार वे हर दिन-हर रात में एक नहीं कई बार झेलती है उस की ओर कोई आवाज नहीं उठाता बल्कि कैसे इसे वैध व्यवसाय करा दिया जाए की आवाजें उठाई जाती हैं।

वेश्याएं मानती हैं कि हर आने वाला पुरुष बुरा नहीं होता। परिवार की कलह, व्यापार में घाटा, अकेलापन, अवसाद में पत्नियां जब साथ छोड़ जाती हैं तो वे वेश्याओं के पास आते हैं। यदि वे 'बुरी' हैं तो वे क्यों आते हैं? शायद वो इतनी 'बुरी' भी नहीं। वे पुरुषों के घावों पर मरहम रखती हैं, उनकी तकलीफ घरवालियों से ज्यादा वे महसूस करती हैं पर वे सिर्फ लांछना की ही क्यों हकदार हैं?

वेश्याओं की विभिन्न लोगों व संगठनों के बारे में राय :

वेश्यागृह के मालिक -

1. मालकिन ने हमेशा सुरक्षा दी और धंधे में रहने के उपाय सिखाए।
2. जब भी मुसीबत में पड़ी उसने कानूनी सहायता दिलाई।
3. एक बार कोई लड़की फंस गई तो उसके पर कतर डालती है।
4. हमेशा कर्ज में दबाए रखती है।
5. बहुत खूंखार है।

परिवार -

1. वे मददगार हैं, वे हमारे बच्चों को प्यार करते हैं।
2. वे गरीबी के कारण हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए।
3. वे दुर्व्यवहार करते हैं।
4. वे उपेक्षा करते थे।
5. मेरी उनके बारे कोई राय नहीं है।

पति -

1. मेरा पति धोखेबाज था।
2. उसके दुर्व्यवहार के कारण मैं आज यहां हूं।

दुर्व्यापारी -

1. वे सबसे बड़े धोखेबाज हैं।
2. वेश्यागृह के मालिकों से उनकी सांठ-गांठ होती है।
3. ये लोग शादी-ब्याह-नौकरियों के नाम पर लड़कियों को झांसे में लेते हैं।

दलाल-

1. ये मददगार हैं, सुरक्षा भी देते हैं।
2. ये मित्रवत व्यवहार करते हैं।
3. पति या दोस्त बनाकर जब घर जाना हो तो साथ चलते हैं।
4. मौके का फायदा उठाते हैं।
5. वेश्याओं की कमाई पर पलते हैं।

दूसरी वेश्याएं -

1. कभी दोस्त, कभी दुश्मन, कभी ईर्ष्यालू, झगड़ालू।
2. दिलासा भी देती हैं।
3. परिवार ठुकरा देते हैं, ये मदद करती हैं।
4. कुछ मालकिन की जासूस होती हैं।

ग्राहक -

1. समय बिताने आते हैं।
2. कभी प्यार तो कभी दुत्कार देते हैं।
3. यौन शोषण का अधिकार 100-50 रुपये में खरीदते हैं।
4. हमारी भावनाओं की कद्र नहीं।

पुलिस -

1. अधिक भ्रष्ट होते हैं।
2. वे आर्थिक व यौन-शोषण करते हैं।
3. यदि हम हफ्ता नहीं देते तो पीटते हैं।
4. बच्चों को तंग करते हैं।
5. अक्सर धमकियां देते हैं।
6. कोई औरत धंधा छोड़ भी जाए तो उसे मजबूर कर दुबारा ले आते हैं।

न्यायिक तंत्र -

1. वे हमारी भावना ही नहीं समझते।

2. हमें मनुष्य नहीं समझते।
3. वे शोषण व अपमान को बढ़ाते हैं।
4. वे हमारी समस्या का मानवीय पहलू समझते ही नहीं।

सामाजिक कार्यकर्ता -

1. वे हमारी मदद करते हैं।
2. वे कम पैसा लेकर अकेले ही संघर्ष कर रहे होते हैं।

अनुसंधान करने वाले -

1. हमारी जिंदगी जानने के इच्छुक होते हैं, पर मदद नहीं कर पाते।
2. वे हमारा समय बर्बाद करते हैं, वे अपने प्रचार के लिए हमारी जिंदगी में झांकते हैं।
3. अब मीडिया जागरूकता के नाम पर हमारी जिंदगी में दखलअंदाजी करने आ जाता है।

अध्याय - 7

क्या यौन-कर्म को व्यवसाय माना जाए

पुरुष निर्दयी है माना, लेकिन है तो इन्हीं माताओं का बेटा, क्यों माता ने पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता की, स्त्री-जाति की पूजा करता?

गोदान, प्रेमचंद

मैंने कई दासों को मुक्त कराया। उनकी संख्या सैंकड़ों में थी। मैं औरों को भी मुक्त करा सकता था यदि वे समझ पाते कि वे दास हैं।

हैरियत, तुबमेन

एक सामाजिक बुराई के रूप में वेश्यावृत्ति समाज में सदियों से विद्यमान है। यह हर समाज में है। इसे स्त्री व पुरुष के यौन-सुख से जोड़ा जाता है। विवाह संस्था का विकास ही मनुष्य को यौन-सुख को प्राप्त करने के लिए एक सामाजिक मर्यादा के रूप में किया गया। विश्व में शादी के समानांतर वेश्यावृति का भी विकास हुआ। इन्हें एक ही सिक्के के दो रूप बताया गया। पुरुष जब परिवार में सुख नहीं पाता या किन्हीं कारणों से अविवाहित या अविवाहितों जैसा जीवन जीने को मजबूर होता है तो वे वेश्यागमन करता हैं। यूं देखा जाए तो स्त्री के लिए परिवार या बाजार दोनों जगह यह एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी एक स्थिति में मजबूरी बनी रहती है। पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्री व पुरुषों के लिए नैतिकता के दोहरे मानदंड बनाए हैं। पुरुष घर से बाहर कितनी भी स्त्रियों से शारीरिक संबंध रख सकता है। प्रतिदिन वेश्यागमन कर सकता है या रखैल भी रख सकता है, पर स्त्री के लिए ऐसी स्थिति खतरनाक है। घर की दहलीज के बाहर निकले कदम उसे वेश्यालय तक ही पहुंचाते हैं और वहां से वापसी संभव नहीं होती।

वेश्यावृत्ति एक सामाजिक समस्या है और गरीबी, विलासिता की चाह, भौतिक लाभ, आसान रास्ता, पारम्परिक प्रभाव, प्रेमी से धोखा, बाल शोषण, अभिभावकों की उपेक्षा, बहुत कम उम्र में यौन संबंध, पति की उपेक्षा, विवाहित जिंदगी से असंतोष, पति

द्वारा परित्याग और तलाक, बुरी संगत, खरीददारों व दलालों के चंगुल में, वेश्यागृहों के मालिकों द्वारा ब्लैक मेल समाज द्वारा वेश्या कह कर परित्याग जैसे कारणों के अलावा ग्राहकों की मांग भी इसका महत्वपूर्ण कारण है।

किसी देश में शिक्षा पर किया जाने वाला खर्च यह दर्शाता है कि लोग बच्चों की कितनी कद्र करते हैं और भविष्य की कैसी आयोजना बनाते हैं। यह समाज के विकास की गति को दर्शाता है।

लोगों की खुशी का मूल्यांकन देश में आत्महत्या की दर से भी आंका जाता है। यदि हम तलाक की दरों का आकलन करें तो विवाह संस्था में विश्वास की स्थिति को आंक सकते हैं।

आज वेश्यावृत्ति तीन स्तरों में चल रही है। सबसे ऊपरी सतह उन कालगर्ल की है, जिन्हें अपने वी आई पी संबंधों के कारण धन की कोई कमी नहीं। दूसरे स्तर पर नाइट क्लबों व मसाज पार्लरों में काम करने वाली लड़कियां हैं। तीसरे स्तर पर जिसे निम्न स्तर भी माना जाता है और इसी वर्ग को सबसे अधिक समस्याएं हैं। वे ही सबसे अधिक असुरक्षित हैं। समुचित पर्यवेक्षण के अभाव में शोषण का शिकार होती हैं। उन्हीं के लिए असुरक्षित यौन संबंध विभिन्न यौन रोगों का सबब बनते हैं। जिन घरों में वे रह रही होती हैं वे अस्वच्छ व गंदगी भरा माहौल विभिन्न बीमारियों को निमंत्रण देता है। इसी वर्ग के ग्राहक बहुत कम रुपए देकर यौन सुख चाहते हैं। बहुत कम कमाई में उसके हिस्से कर्ज व शोषण ही होता है। भरपेट खाना उसके नसीब में नहीं होता है। चिकित्सा सुविधाओं का अभाव व दलालों व ग्राहकों द्वारा शोषण उनकी नियति होते हैं। इसी वर्ग को सरकारी सुरक्षा चाहिए दूसरे दो वर्ग तो सभ्य समाज का हिस्सा हैं। उनमें सामान्य स्त्रियों में भेद कठिन है। वे कब इस व्यवसाय का हिस्सा हैं, कब नहीं, वे स्वयं भी संभवतः नहीं जानती होगीं। दो वर्ग की यौन-कर्मियों की पहचान ही मुश्किल है इसलिए यदि कुछ स्थितियों में सुधार करवाना यदि संभव है तो रेडलाइट एरियों में काम कर रही स्त्रियों के लिए ही संभव है। व्यावसायिक यौन-कर्म को एक व्यवसाय माना जाए अथवा नहीं। यदि इसे बंद कर दिया जाता है तो क्या स्थितियां उत्पन्न होगीं और यदि इसे विधिक सम्मत कर दिया जाता है तो क्या वर्तमान स्थितियों में सुधार संभव होगा अथवा नहीं। यह बहस एक लम्बे समय से चली आ रही हैं।

इस विषय पर बहस करने से पूर्व कुछ परिभाषाओं पर विचार कर लेना जरूरी है।

यौन कर्म क्या है?

वर्षों तक वेश्यावृत्ति के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है। पिछले दशक से यौन कर्म-सेक्स वर्क/वर्कर शब्द का प्रयोग कर इस उद्योग के श्रम पहलू को रेखांकित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। यही नहीं इससे पूर्व 'व्यावसायिक' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्क' ने इसे परिभाषित करते हुए किसी तीसरे पक्षकार के हस्तक्षेप से या उसके बिना, जहां ऐसी सेवाओं की उपलब्ध होने की जानकारी का विज्ञापन दिया जाए, जहां सेवाओं का मूल्य मांग व आपूर्ति के दबाव को लक्षित करता हो, को 'सेक्स वर्क' माना है। यह परिभाषा यह इंगित करती है कि सेक्स उद्योग में काम करने वाले लोग कामगार हैं और यह आय अर्जक गतिविधि अथवा रोजगार का एक रूप है। इस शब्द का प्रयोग इसे एक वैध कार्य के रूप में अन्य किसी कार्य की तरह स्वीकृति देने का परिचायक है। यह मांग की जा रही है कि उन्हें भी कामगारों को मिलने वाले अधिकार, उपयुक्त कार्यस्थल की स्थितियां, शोषण व भ्रष्टाचार मुक्त स्थितियां, दी जानी चाहिएं।

विधि सम्मत का आशय वेश्यावृत्ति कब, कहां और कैसे होगी के कायदे कानून बनाना है। निरपराधीकरण करने से वेश्यावृत्ति संबंधी गतिविधियों में कानूनी हस्तक्षेप नहीं होगा। विधिकरण जहां वेश्यावृत्ति के सरकारी नियमन व नियंत्रण की प्रक्रिया है तो निरपराधीकरण वेश्याओं के विरुद्ध कानूनों को हटाने की प्रक्रिया है। विधिकरण होने से यानि उन्हें लाइसेंस लेकर कर काम करना अपेक्षित होता है।

वैध करार करने की मांग को वर्ष 1998 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 'वर्ल्ड आफ वर्क' रिपोर्ट से अपने पक्ष का समर्थन मिला। रिपोर्ट में यौन व्यापार को मान्यता देने की मांग का समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सेक्स क्षेत्र के रूप में श्रम क्षेत्र कहा। रिपोर्ट में यह इंगित किया गया कि एशिया में आर्थिक मंदी के बावजूद और बेरोजगारी बढ़ने के परिणामस्वरूप सेक्स उद्योग में वृद्धि एक चिंतनीय स्थिति है और इस क्षेत्र का इस प्रकार बढ़ना उसके राष्ट्रीय आय व रोजगार बढ़ाने का कारण माना जा सकता है। उत्पादन व अन्य सेवा क्षेत्रों से नौकरियों से हटाए जाने के कारण वे महिलाएं जिन पर उनके परिवार निर्भर करते हैं मजबूरन इस क्षेत्र में काम की तलाश में पहुंची हैं। एशिया में इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिख रहा है। अन्य क्षेत्रों के ग्राहकों को लुभाने के लिए सेक्स पर्यटन विकसित हो रहा है। उक्त रिपोर्ट में एशिया में इसके तेजी से बढ़ने के साथ-साथ नैतिक मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभावों व एड्स महामारी, आपराधिक गतिविधियों, मानवाधिकारों के हनन व यौन-शोषण में भी बढ़ोत्तरी की जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट में आगे जानकारी दी गई कि भले ही आधिकारिक आंकड़ों, विकास

योजनाओं व सरकारी बजट में यह आर्थिक गतिविधि नहीं है परंतु कुछ महिलाओं के लिए मजबूरी में अपनाया गया रोजगार का साधन है तो कुछ के लिए आसानी से कमाई का एक साधन है। इन एशियाई देशों में कुल महिला आबादी के 15% महिलाएं वेश्यावृत्ति में लगी हुई हैं। यही नहीं इन देशों की महिलाएं दूसरे देशों में वेश्यावृत्ति कर रही हैं।

रिपोर्ट में यह तर्क भी दिया गया कि भले ही विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों में वेश्यावृत्ति की त्रासदी कहानियों का उल्लेख किया जाता है कि कैसे इन्हें इस धंधे में लगा दिया गया, पर लांछना व जोखिमों का जिक्र यदि न किया जाए तो अशिक्षित महिलाओं के लिए यही विकल्प दूसरों की तुलना में अधिक कमाई का साधन है। गरीबी, बेरोजगारी, विफल विवाह व परिवार की मजबूरियों के कारण इसी व्यवसाय को अपनाने में अधिक आय मिल पाती है। एशिया में इस व्यवसाय के इतने अधिक बढ़ जाने व लाखों महिलाओं की रोजी-रोटी का साधन होने के कारण व दूसरों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार का कारण होने के नाते इसे आर्थिक क्षेत्र माना जा सकता है। सरकारों को भी यह रेवेन्यू का साधन दिखता है इस कारण कई देशों में लाइसेंस देकर इसे वैध बनाया जा चुका है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि वे उसकी वैधता का मुद्दा उठाए। तथापि उन्होंने यह सिफारिशें की कि उन परिस्थितियों का आकलन किया जाए जिनके कारण महिलाएं वेश्यावृत्ति करती हैं और उससे जुड़ी हिंसा को दूर किया जाना चाहिए। इससे जुड़े स्वास्थ्य मुद्दों के प्रभावों का आकलन होना चाहिए क्योंकि बीमारियां ग्राहकों के माध्यम से पूरे समाज में फैलती हैं, साथ ही श्रम नीतियों को इन पर किसी प्रकार लागू किया जा सकता है। इसका जायजा लिया जाए। संगठन बाल वेश्यावृत्ति के उन्मूलन की आवश्यकता का प्रश्न तो उठाता है परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वयस्क वेश्यावृत्ति को वैध करार करने का समर्थन करता है।

इसे विधि सम्मत करने से न्याय प्रवर्तक अधिकारी अन्य दूसरे महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित कर सामाजिक सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। वेश्यावृत्ति में जबरन लाने वाली स्थितियों में कमी आएगी। सबसे बड़ा फायदा एच.आई.वी./एड्स की महामारी को फैलने से रोका जा सकेगा। यौन-कर्मियों की नियमित मेडिकल जांच व ग्राहकों की जांच से बीमारी के फैलाव को रोकना संभव होगा। यौन रोग, हेपाटाइटस व टीबी जैसे रोगों का फैलाव रुकेगा।

देखा जाए तो पुरुष मानसिकता ही इसे विधि सम्मत इसलिए बनाना चाहती है ताकि वेश्यागमन के साथ जुड़ी सामाजिक लांछना कम हो सके। बिना अपराध बोध के वे वेश्यालय जा सकें। यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से बलात्कार व अवैध

संबंध कम होंगे, यह सिर्फ कहने भर के लिए है। अवैध संबंध व बलात्कार करने वाले लोग वेश्यागमन करने लगेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होने वाली है। बलात्कार एक बीमार मानसिकता का परिचायक है और अवैध संबंध बनाने वाले लोग किसी एक ऐसी स्त्री से संबंध बनाएंगे जो यौन-कर्मी है, यह स्थिति संभव नहीं है।

क्या व्यावसायिक यौन-कर्म को व्यवसाय माना जाए-

वाशिंगटन में जब रेड लाइट एरिया प्रतिबंधित कर दिए गए तो वेश्याओं ने समाज को पत्र लिखे जिनके भाव यह थे कि हम यह जानना चाहती हैं कि इन्हें क्यों बंद कर दिया गया। हम अंडर-वर्ल्ड की नहीं हैं। बंद कर दिए जाने के बाद हमें क्या काम करना चाहिए, यदि यह समाज तय करेगा तो समाज बताए कि वह हमें क्या देने वाला है। हम उनसे घर नहीं मांगती हैं। क्या हमें समाज सम्मानजनक स्थान देगा। हमें कौन नौकरियां देगा? क्या समाज की महिलाएं अपने साथ हमें बर्दाश्त करेंगी? रात के अंधेरों में आने वाले पुरुष दिन के उजाले में आंख मिलाना पसंद नहीं करते? क्या अब खुले दिल से हमें समाज में स्वीकार कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि समाज ने पहले हमारे सुधार की बातें न उठाई हों! पर जैसे ही हमारा अतीत वे जान जाते हैं तो तेवर बदल जाते हैं। कई बार लड़कियां अपनी इच्छा से दुबारा धंधे में इसलिए लौट आती हैं कि बाहर की दुनिया अधिक शोषण कर रही होती है।

गरीब महिला के लिए, अशिक्षित के लिए वैकल्पिक आजीविका के साधन तो हैं ही नहीं और न ही कालगर्ल के पास। भले ही भूख व जिंदगी का संघर्ष वह नहीं करती हैं पर वैकल्पिक साधन उसके पास भी नहीं हैं। कभी बड़ी नौकरियों का लालच, तो कभी फिल्मों व मॉडलिंग की चकाचौंध भरी रोशनियां उसे दिखा कर, एक प्रकार की जीवन शैली को दिखा कर जब उसमें बने रहने की ख्वाहिशें पलने लगती हैं तो उन्हें यही रास्ता दिखता है या कहें कि समाज के ठेकेदार यही दिखाते हैं या उसी पर चलने को मजबूर करते हैं। पुरुष की व्यक्तिगत रूप से हजारों रुपए एक रात के लिए देने की हैसियत है पर दस हजार रुपए महीने के वेतन पर किसी को सम्मानजनक काम दिलाना क्यों पसंद नहीं करते। उस दस हजार रुपए की नौकरी में भी यौन शोषण करने के प्रयास किए जाते हैं।

इतिहास गवाह है कि प्रत्येक समाज, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, वहां वेश्यावृत्ति किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। बर्टेंड रसेल, डा विलियम सेंगर, हवलाक इलियस जैसे विश्व प्रसिद्ध लेखकों ने यह माना है कि वेश्यावृत्ति को दबाया नहीं जा सकता। बर्टेंड रसेल ने कहा था कि जब तक विवाह संस्था में स्त्री के स्त्रीत्व का महत्व बना हुआ है, तब तक उसकी पूरक व्यवस्था के

लिए वेश्यावृत्ति बनी रहेगी।

वेश्यावृत्ति को परिवार की बेटियों व स्त्रियों की हिफाजत के लिए अनिवार्य माना जाता रहा है। वेश्यावृत्ति की जरूरत इस बात से उभरती है कि कई पुरुष अविवाहित या पत्नियों से दूर रहते हैं और वे स्त्री के बिना संतुष्ट नहीं रह सकते और उनकी यौन संतुष्टि के लिए संभ्रांत परिवारों की कोई स्त्री उपलब्ध नहीं होती ऐसे में वेश्याओं के पास जाना उनकी नियति होती है।

यदि स्वतंत्र रहने की संभावनाएं हों तो कोई भी स्त्री यौन-कर्मी नहीं होना चाहेगी।

हमारे देश में वेश्यावृत्ति तो वैध है यहां यौनकर्मी को पीड़िता माना जाता है और ग्राहक, दलाल व वेश्यालय मालिक को दंड देने का विधान है।

पर कई अध्ययनों से स्थितियों की अलग तस्वीर सामने आई है कि यौन कर्मियों की गिरफ्तारियां व उन्हें जुर्माने अधिक हुए हैं। ग्राहकों को भूले-भटके ही दंडित किया जाता है।

यदि आई.टी.पी. अधिनियम में संशोधन हो जाता है तो ग्राहकों को जुर्माने व गिरफ्तारियां देनी होगीं, जिससे यौन कर्मियों के धंधे पर असर पड़ेगा। जो ग्राहक गिरफ्तारी न देना चाहेंगे या तो आएंगे नहीं और जो आएंगे वे अपनी शर्तों पर आएंगे और यौन-कर्मी को उनकी शर्तों पर समर्पण करना पड़ेगा।

अधिनियम की धारा 4 उन लोगों को दंडित करती है जो उनकी आय पर निर्भर करता है। प्रश्न उठता है कि क्या यौन-कर्मी को अपनी कमाई को अपनी इच्छा से खर्च करने का भी अधिकार नहीं है। जो वयस्क उसकी कमाई पर आश्रित हैं वे सभी अपराधी कैसे हो सकते हैं? क्या वृद्ध माता-पिता और बच्चे अपराधी होंगे? क्या कानून अपने मां-बाप व बच्चों को पोषण करने से रोक सकता है? बूढ़े मां-बाप को अपना पोषण करने के लिए किसी प्रकार की आय पर निर्भर होना होगा? यह कानून क्या तय करेगा? यौन-कर्मी घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इस व्यवसाय में पहुंचती है और वे कमाकर खर्च करने के लिए स्वतंत्र न हों यह क्या न्यायोचित होगा।

मानवाधिकार

- *काम करने व मजदूरी प्राप्त करने का मानवाधिकार*
- *स्वास्थ्य व जीवन के लिए समुचित जीवन स्तर का मानवाधिकार*
- *भूमि, ऋण व तकनीकी सहित उत्पादक संसाधनों पर पहुंच के लिए समान अधिकार का मानवाधिकार*

- *संगठन बनाने की स्वतंत्रता का मानवाधिकार*
- *जबरन श्रम से सुरक्षा का मानवाधिकार*
- *पर्याप्त, सुरक्षित कार्य स्थितियों का मानवाधिकार*
- *स्वच्छ व सुरक्षित पर्यावरण का मानवाधिकार*
- *कार्य घंटों, आराम व मनोरंजन का समुचित निर्धारण का मानवाधिकार*
- *शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित सूचना प्राप्ति का अधिकार*
- *काम के सभी पहलुओं, जिनमें किराए पर और पदोन्नति सहित में जाति, लिंग या अन्य किसी स्थिति पर आधारित भेदभाव से मुक्ति का मानवाधिकार*
- *समान कार्य के लिए समान वेतन का मानवाधिकार*
- *कार्य स्थल पर यौन शोषण से मुक्ति का मानवाधिकार*
- *महिला के प्रजनन और मौलिकता का समुचित ध्यान रखने का मानवाधिकार जिसमें प्रसूति के दौरान और बाद में नौकरी की सुरक्षा, लचीली कार्य स्थितियां और बाल देखभाल तक पहुंच शामिल है।*
- *जोखिम भरी कार्य स्थितियों से प्रसूति के दौरान सुरक्षा का मानवाधिकार*
- *बच्चों की परवरिश की संयुक्त जिम्मेदारी सहित परिवार में समान अधिकारों का मानवाधिकार*
- *बेरोजगारी सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा का मानवाधिकार*
- *बच्चों की आर्थिक शोषण व जोखिम पूर्ण कार्य स्थितियों से जो उसकी सुरक्षा व विकास के लिए खतरनाक हो, से सुरक्षा का मानवाधिकार*

क्या ये अधिकार अन्य कामगारों की तरह यौन कर्मियों को नहीं मिलने चाहिए?

पश्चिम के देशों की स्थितियों को ध्यान में रख भी लें तो इस व्यवसाय को तो हम विधि सम्मत बना सकते हैं। इसका औचित्य भी यह कहकर ठहरा सकते हैं कि वह परस्पर सहमति से किया जा रहा है। यौन कर्मियों को उनके मानवाधिकार मिलने चाहिएं, उन्हें उनके श्रमिकों के अधिकार मिलने चाहिएं। उनके नाम के साथ जुड़ा लांछन हट जाना चाहिए। एक लम्बी फेहरिस्त है। ये सभी दलीलें स्वीकार हैं परंतु क्या उन बच्चों के, उस अगली पीढ़ी के अधिकारों का यह हनन नहीं है जो किसी यौनकर्मी के गर्भ से पैदा हुए हैं या पैदा होंगे उन्हें अवैध, अनाथ का दर्जा दिया जाएगा। स्कूल में प्रवेश के लिए केवल मां का नाम लिख देने से काम तो चल सकता है पर क्या उन बच्चों को मां-बाप दोनों के प्यार का हक नहीं है। क्या एक परिवार नामक संस्था में जीने की उनकी इच्छा मायने नहीं रखती? एक साफ-सुथरे माहौल में,

बीमारियों से परे सुखद माहौल की उन्हें जरूरत नहीं। एक ऐसी जगह जहां हर वक्त शराबी, बीमार व कुत्सित भावनाओं को लेकर आने वाले पुरुष शाम ढले से अल सुबह तक आते हैं, उनकी माताएं, उनका पेट पालने के लिए मजबूरी में सब सहती हैं, से बाहर निकलने का रास्ता उनके लिए नहीं होना नहीं चाहिए। एक पीढ़ी इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है कि वह अगली पीढ़ी का दर्द समझे बिना सिर्फ अपना वर्तमान सुधारना चाहती हैं।

सिर्फ बच्चे ही क्यों वे माहौल व उससे अनजाने से जुड़े लोगों की परेशानियों को सोचना भी क्या आवश्यक नहीं है। जब हम यौन कार्य को विधि सम्मत बनाने की बात करते हैं तो क्या वेश्यागृहों से इतर चलने वाली स्ट्रीट वॉकर, काल गर्ल, स्ट्रिप क्लब, फ्रेंडशिप क्लब किस-किस को इसके अंतर्गत शामिल करेंगे या कर पाएंगे, काल गर्ल या वेश्यागृहों से बाहर रहने वाली वे महिलाएं व लड़कियां जिनके परिवार के लोग जानते तक नहीं हैं कि वे ऐसा कुछ कर रही हैं। उनके लिए यह रुपया कमाने का आसान व शार्टकट रास्ता है। क्या उन्हें लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा। संभवतः नहीं, तो क्या हम वेश्यागृहों में काम करने वाली बेबस मजबूर व शोषण का शिकार हो रही यौनकर्मियों को एक-दूसरे प्रकार के शोषण में ही तो नहीं डाल रहे?

विभिन्न देशों में वेश्यावृत्ति की स्थिति

- *तीसरे अपराध पर मृत्यु दंड-सूडान*
- *कर भुगतान योग्य व्यवसाय - नीदरलैंड, जर्मनी, स्विटजरलैंड, न्यूजीलैंड*
- *वेश्यावृत्ति का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को लाइसेंस लेना जरूरी पर वैयक्तिक यौन-कर्मी के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं - विक्टोरिया*
- *वैजाइनल वेश्यावृत्ति अवैध पर फेलाटिओ वेश्यावृत्ति वैध धन के एवज में फेलाटियो को वेश्यावृत्ति नहीं माना जाता - जापान*
- *स्ट्रीट वेश्यावृत्ति अवैध पर सरकार विनियमित वेश्यालयों में वैध - टर्की*
- *वेश्यावृत्ति अवैध - यू के, थायलैंड*
- *वेश्यावृत्ति वैध पर इससे तीसरे पक्षकार का लाभ (दलाली) अवैध - हांगकांग*

वर्ष 2004 में दक्षिण कोरिया सरकार ने पीड़िता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पास करना चाहा और और इससे जुड़े ग्राहकों, वेश्यागृहों के मालिकों, दलालों को जेल व जुर्माना लगाना चाहा। पीड़िता को आवास, हेल्थ सर्विस,

व्यावसायिक प्रशिक्षण व वैकल्पिक व्यवसाय शुरू करने के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए। वहां यौनकर्मी सड़कों पर उतर आई व कानून के विरुद्ध भूख हड़ताल करने लगी कि इस व्यवसाय में सभी 'पीड़ित' नहीं है। यह कानून केवल उन्हीं महिलाओं को सुरक्षा देता है जो उसे छोड़ना चाहती हैं पर जो बनी रहना चाहती हैं उन्हें दंडित करता है।

क्या इस व्यवसाय को बंद कर दिया जाए?

इस व्यवसाय में लगी महिलाओं का विचार है कि पुरुषों के उस अकेलेपन, किसी का संग पाने की चाहत का, अपनों से मिला बेगानापन सिर्फ हम ही महसूस कर सकती हैं। पुरुष हमारे पास सिर्फ यौन संतुष्टि के लिए नहीं आते। हम उन्हें सिर्फ यौन सुख नहीं देती हैं, बल्कि उससे जुड़े बहुत कुछ अन्य सुख भी देती हैं जिसके लिए हमें कोई सामाजिक पहचान न तो मिलती है और न हमें उसकी चाहना होती है। आखिर पुरुषों के लिए तो हम, भले ही 'बुरी औरतें' कहलाएं पर स्त्रियों की यह नियति है कि वे अपने अकेलेपन में ही जीने को मजबूर होती हैं। वे सवाल उठाती हैं कि जब पति दूसरी स्त्री से संबंध बनाता है या वेश्याओं के पास जाता है तो क्या पत्नी अकेलापन ही नहीं झेलती। हम भी उनके बहाने कुछ हंस लेती हैं या कुछ अच्छा खा-पी लेती हैं। झूठा ही सही शृंगार भी कर लेती हैं।

इन स्थितियों में पति किसी 'वेश्या' के पास चला जाता है और पत्नी किसी और के लिए 'वेश्या' बन जाती है। यही कारण है कि शहरों में काल गर्ल ब्याहताएं भी हैं जो घरों से काम करती हैं। पति भी जरूरी नहीं होता कि किसी रेड लाइट एरिया में गया हो वह भी किसी काल गर्ल के साथ किसी रिसार्ट में कोई जरूरी मीटिंग का बहाना बना कर गया हो सकता है।

इस धंधे को बंद करने का मुद्दा उठाया जाता है पर वे कहती हैं कि हमारी कहानी भी अन्य मजदूरों की कहानी ही है। आजीविका के लिए जब कोई विकल्प ही न हो तो जो उपलब्ध हो वही चुनना पड़ता है। 'सिर पर मैला ढोने' की प्रथा अभी भी मौजूद है। मैला उठाना, शौचालय साफ करना जैसे कई काम हैं जो बुरे हैं, गंदे हैं पर कभी उनको बंद करने की बात तो उठती नहीं।

इस व्यवसाय में कोई भी स्त्री अपनी इच्छा से नहीं आती है। यदि समय पर मौका मिले तो वह छोड़कर कुछ दूसरा भी काम करना चाहती है। वे तो जोर जबरदस्ती, कभी बहाने से यहां पहुंचाई जाती हैं। जब दूसरे व्यवसायों में भी शोषण होता है तो उन्हें बंद करने की वकालत तो नहीं की जाती। वहां स्थितियां सुधारने का प्रश्न उठाया जाता है। कोई स्त्री वेश्या क्यों बन जाती है? एक दिन में कई-कई ग्राहकों

को यौन सेवाएं देना, उन यौन सेवाओं में उनकी बीमार मानसिकता जिसमें वे तरह-तरह का दिल दहला देने वाला यौन शोषण व शराब पिलाने की जबरदस्ती तक करते हैं, अनचाहे गर्भ, गर्भपात, यौन रोग, रहने को ढंग का स्थान नहीं, चारों तरफ गंदगी भरा माहौल, पुलिस अत्याचार, अवैध संतानें, उनका गुस्सा सब झेलते हुए भी वहीं बने रहने की मजबूरी के सिवाय कुछ और नहीं है।

संभवतः किसी आदर्श समाज में किसी व्यक्ति की भौतिक, भावनात्मक, बौद्धिक व यौनेच्छाओं को समान व संतुष्टि से पूरा किया गया होगा पर हमने कभी ऐसी व्यवस्था सुनी नहीं हम इस समय कुछ असमानताओं, अन्याय, समस्याओं को सुलझा कर नए युग की शुरुआत कर सकते हैं।

अन्य कई व्यवसायों की तरह समाज में इसे भी तथाकथित मौन स्वीकृति संभवत इसकी सामाजिक मांग के कारण मिली हुई है पर उन्हें समाज में अनैतिक यौन कर्म, सामाजिक अस्थिरता और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली माना जाता है। परिवारों से निकल कर पुरुष उनके पास आते हैं पर बुरी ये कहलाती हैं।

वेश्यावृत्ति में लगी कई औरतें इसे छोड़ना चाहती हैं और इन्हें पुनर्वास करने के उपाय किए जाते हैं। कुछ की शादी हो जाती है कुछ को सिलाई-कढ़ाई सिखा दी जाती है। किन्हीं को गाय, बकरी खरीद कर दी जाती हैं। उन्हें जिन काम-धंधों में लगाया जाता है, वहां कमाई बहुत ही कम होती है। यौनकर्मियों के नेटवर्क आज चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं। हमारे साथ पुनर्वास की बात मत करो। हमें सिलाई मशीन देने की बात मत करो। बात करनी है तो कामगारों के अधिकारों की बात करो। पुनर्वास से यह इंगित होता है कि वर्तमान स्थितियां स्वीकार्य नहीं हैं और यौन कर्मियों के मामले में नैतिक व अन्य कारणों से यह समाज में स्वीकार्य नहीं है पर प्रश्न यह उठता है कि कोई व्यक्ति अपना घर या जीवनशैली क्या सिर्फ इसलिए छोड़ दे कि यह दूसरों को स्वीकार्य नहीं है। सरकारी नीतियां उनके बचाव व पुनर्वास काम इसलिए कर रही हैं कि यह एक अनैतिक कार्य है और उन्हें बचाया जाना चाहिए। चूंकि उन्हें कमतर दर्जे का समझा जाता है इसलिए उनके सम्मान या अधिकारों की बात ही नहीं की जाती है। बचाव के बाद उन्हें सुधार गृहों में भेज दिया जाता हैं वहां दूसरी तरह की हिंसा का वे शिकार होती हैं। अनिवार्य एच आई वी जांच और बिना उनसे विचार-विमर्श किए उनकी जिन्दगी के बारे में फैसले किए जाते हैं। उन्हें क्या सीखना है, क्या नहीं उनसे पूछा नहीं जाता।

विधि सम्मत नहीं पुनर्वास नीति जरूरी है ताकि
वयस्क व अवयस्क के बीच अंतर समझा जाए।
उनसे धंधे में बने रहने अथवा छोड़ने की इच्छा की जानकारी ली जाए।

अवयस्क लड़कियों को बाल यौन शोषण का शिकार माना जाए।
उन्हें 'पीड़िता' समझा जाए।
उनके विचार सुने जाएं।
उनके मानवाधिकारों का हनन न हो यह सुनिश्चित किया जाए।

यौनकर्मी इसी समाज में पैदा होती है और बढ़ी होती है। समाज ही उन्हें वहां से निकाल कर इस हाशिए पर पहुंचा देता है, फिर समाज ही यहां आता है फिर वे 'अच्छे' और यह 'बुरी' कैसे हो गई?

यौनकर्मी मानती हैं कि यह भी दिमाग व अन्य किसी शारीरिक श्रम की तरह ही अपने शरीर का प्रयोग है जिसके ऊपर समाज ने लांछन लगा रखा है। इसे अनैतिक मानने का अधिकार समाज को नहीं होना चाहिए। यदि धन लेकर इसे सेक्स का व्यापार या अश्लील रूप माना जाता है तो विज्ञापनों से लेकर विवाह में दहेज लेना भी क्या इसी के रूप नहीं हैं। संभवतः समाज इस सवाल का, इस दृष्टिकोण पर विचार नहीं करना चाहता है। सेक्सुलिटी स्त्री का अभिन्न अंग है। सिवाय प्रजनन महत्व के शेष सभी अनैतिक या चरित्रहीनता अथवा भ्रष्ट होता है। यह क्यों मान लिया जाता है?

बाल वेश्यावृत्ति बच्चों के साथ यौन हिंसा का रूप है जिसकी भर्त्सना यौन कर्म में लगी महिलाएं भी करती हैं। वयस्क वेश्यावृत्ति होती है इसमें 'चुनने' की स्थिति इसलिए बन जाती हैं कि कभी कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है तो कभी अन्य तरीकों में उतनी कमाई संभव नहीं होती है।

इसे अनैतिक व अवैध कहने वालों का विरोध करते हुए इनका मानना है कि क्योंकि हम समाज के तथाकथित कायदे कानूनों में नहीं बंधी हैं इसलिए यह धंधा अनैतिक है, मानना उचित नहीं है। हमें भी स्वतंत्रता, सुरक्षा, न्याय व मान-सम्मान, भेदभाव से मुक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए।

सन् 1854 में कोलकाता के विभिन्न इलाकों से वेश्याओं को खदेड़ दिया गया था। उनमें से काफी अपने मूल जिलों में चली गईं। मिदनापुर जाकर उन्होंने संवाद प्रभाकर के (सितम्बर 1854) सम्पादक को पत्र लिखा कि 'इंग्लिश मैन पत्रिका' में प्रकाशित लेख जिसमें स्कूलों के वेश्यालयों के निकट होने से बच्चों का नैतिक पतन होगा पर प्रतिक्रियास्वरूप शहर के स्कूलों के प्रिंसिपलों ने अपने इलाके से उन्हें बाहर निकलवा दिया था, पर अपनी प्रतिक्रियास्वरूप कहा कि उनका डर व्यर्थ है। निःसहाय व आशा रहित गरीब वेश्याओं को हटाना गलत है। समाज ही उन्हें बनाने का जिम्मेदार है। उन्हें बनाने के बाद उन्हें घरों से खदेड़ना कैसे उचित हो सकता है।

वेश्यावृत्ति दुनिया का सबसे प्राचीन व्यवसाय है। भारत, चीन, मिस्र की सबसे

प्राचीन मानी जाने वाले संस्कृतियों में भी इसे मान्यता प्राप्त थी। कथाओं में गणिकाओं का वर्णन है। वे इस पेशे के जरिए पांच सौ कार्षापण रोजाना कमाती थीं। विडम्बना है कि इन्हें नीच व निकृष्ट कहा जाता है जबकि इन्हीं के पास मनुष्य बड़े उत्साह से अपनी भूख लेकर जाता रहा है। वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता का सवाल अस्सी के दशक से बहस का मुद्दा बना हुआ है। इसको समय-समय पर बहाने लगाकर सरकार टालती रही हैं। लेकिन अब कानूनी मान्यता की बात तो दीगर है। सरकार वेश्यालय जाने वालों पर दंड लगाने पर विचार कर रही है। गौर तलब है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार सी रंगराजन की अध्यक्षता वाली कमेटी की एचआईवी पर जारी रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि एशिया में एड्स का वायरस पुरुषों द्वारा सेक्स हेतु पैसा देने की प्रवृत्ति के चलते बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। हालत यह है कि 5-7 करोड़ के करीब पुरुष वेश्याओं से शारीरिक संबंध बनाते हैं और 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं इस धंधे में हैं।

व्यवसाय बना दिया जाए तो - श्रम कानून क्या लाभ दिलाएंगे

क्या भर्ती-प्रक्रिया होगी? - भर्ती की क्या उम्र होगी?

वेतन मान निर्धारित होंगे? - सेवानिवृत्ति की क्या उम्र होगी?

क्या पदोन्नति होगी? -क्या लाभ/बोनस मिलेगा?

आकस्मिक अवकाश, स्वास्थ्य सुविधाएं - छुट्टी यात्रा रियायत क्या दी जाएगी?

समाज हमें घृणा, तिरस्कार व उपेक्षा से देखता है, जबकि हम समाज की जो सेवा करती हैं। यदि वह न करें, तो हर गली कूचे में अनारकली फैल जाएंगी।

हैदराबाद में वेश्याओं के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक वेश्या के विचार

कानून विशेषज्ञों व महिला आंदोलनों से जुड़े लोगों की यह राय है कि जब तक देह का भोग करने वालों पर शिंकजा नहीं कसा जाएगा, यह अमानवीय व्यापार जारी रहेगा। मौजूदा कानूनी ढांचा तो मजबूर औरतों पर ही अपना शिकंजा कसता है जबकि असली दोषी तो इस व्यापार की मांग करने वाले हैं अगर उन पर शिकंजा कसा जाए तो मांग कम होगी और इसमें जबरन धकेली जाने वाली या ग्लैमर के प्रभाव से इसमें लिप्त होने वाली महिलाओं की संख्या घटेगी। जिन देशों में पहले मिसाल के तौर पर स्वीडन में जब तक ग्राहक को सजा देने का प्रावधान नहीं था, तब तक यौन-व्यापार में ज्यादा लोग सक्रिय थे। मांग ज्यादा थी, मुनाफे के लालच में दलाल औरतों की गरीबी व जातीय मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें यौन व्यापार में धकेलते थे। कई बार नौकरी का झांसा देकर या आगे बढ़ाने के बहाने भी उन्हें बरगलाते थे। आर्थिक रूप से मजबूर लड़कियों को ग्लैमर की चकाचौंध में फंसा

कर उलझाना आसान था, पर अब ऐसा नहीं होता। देश में यौन व्यापार में लगी महिलाओं की पीड़ा समझने की जरूरत है। इस व्यापार में स्वेच्छा से वे नहीं आतीं। यह व्यापार उनके शरीर, उनकी आत्मा पर अत्याचार है। यह दासत्व का प्रतीक हैं। जब तक इसकी मांग रहेगी इसे खत्म नहीं किया जा सकता पर मांग खत्म करने के लिए ग्राहकों में डर पैदा करने की जरूरत है। यह डर ग्राहकों के खिलाफ कानून बनने से ही आएगा।

इसे कानूनी जामा पहनाया जाए या नहीं यह विवाद काफी समय से चल रहा है, पर इसे कानूनी जामा पहनने का विरोध करने वालों का मानना है कि भले ही यौन कर्मी को कानून सम्मत यह कार्य करने का अधिकार दे दिया जाए पर उनकी जिंदगी दासता की ही रहेगी, उन्हें पहले की तरह ही मार-पिटाई, यंत्रणा और बलात्कार का शिकार होना पड़ेगा। जिन देशों में यौन कर्म विधि सम्मत है वहां एक प्रकार से किसी पुरुष को धन देकर किसी स्त्री को बलात्कार करने का अधिकार ही मिला है। हालैंड, बैल्जियम, आस्ट्रेलिया और कई देश जहां उन्हें विधिक मान्यता है वहां की सरकारों को यह लगा था कि उनका काम आसान हो गया कि इसे विनियमित करो व टैक्स इकट्ठा करो ताकि पुलिस अन्य गंभीर मसलों पर ध्यान केंद्रित कर सकेगी पर उनकी धारणा गलत साबित हुई। आस्ट्रेलिया के सरकारी आंकड़ों के अनुसार वहां 20,000 यौन-कर्मी हैं और 80% यौन शोषण का शिकार होकर इसे छोड़ना चाहती हैं। इसी प्रकार न्यूजीलैंड, यू के, यू एस और अन्य देशों में हो रहा है। विदेशों में जहां से विधिक सम्मत बनाया भी गया है, वहां की स्थितियां कोई संतोष-जनक नहीं है।

इस लांछन के बारे में पूरा समाज जानता है पर कभी भी उसका आक्रोश बढ़ता नहीं। उनका दर्द कोई महसूस करता नहीं अबूझ पहेली क्यों बना है। हम क्यों नहीं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि यह गलत है? समाज में नैतिक मूल्यों की दरकार है। क्यों केवल कानून बनाए जाएं या न बनाए जाएं पर हम बहस करें, क्या एक व्यक्ति दूसरे का दास क्यों बने। हम परिणामों को कैसे बदला जाए सोचते हैं। कैसे कारणों को मिटाया जाए इस पर आंखें मूंदे रहते हैं।

जो व्यवस्था हम अपने लिए नहीं चाहते हैं उसे दूसरों के लिए क्यों उचित ठहराना चाहते हैं। *आज इसे विधि सम्मत कराना चाहते हैं कल हम बंधक मजदूरों या आत्महत्या का भी औचित्य ठहराएंगे। फिर गरीबी के कारण बच्चों को बेचने वाले भी क्यों गलत हो सकते हैं। शरीर बेचने की वस्तु नहीं होती तो क्यों कानूनन अनिवार्यता की जाए।*

इस विचारधारा के लोग अक्सर यह सवाल खड़ा करते हैं कि क्या विश्वभर में इसे वैधानिक तौर पर मान्यता दिलाने के बाद क्या वे अपनी लड़कियों व बहनों को

इसे अपनाने की राय दे सकते हैं। यहीं आपको जवाब मिल जाएगा। कहते हैं गंगा की सब पूजा करते हैं पर उसका रास्ता उनके घर से निकले कोई नहीं चाहता।

लोग आज इसे 'यौन कर्म' की संज्ञा देकर इसे 'काम' की श्रेणी में लाना चाहते हैं। यूं देखा जाए तो वेश्यावृत्ति में आने वाली लड़कियों व महिलाओं की जिंदगी में झांके तो वे अपने घरों से बाहर निकली थीं या निकाली गई थीं तब वे अपने आसपास की जिंदगी बदलना चाहती थीं। उन्हें काम की तलाश थी, अपने गरीब परिवार को दो जून का खाना खिलाना चाहती थीं, अपने लिए उसने शादी-प्यार व अपने खुशियों-भरे घर आंगन का सपना संजोकर अपने प्रेमी के साथ भागी थीं या पति के साथ शहर आई थी पर उसे इन स्थितियों को बदलने के एवज में क्या मिला। एक ऐसी बदनाम बस्ती जिसमें वर्ष के 365 दिन उसका यौन शोषण होने लगा। वह कहीं और जाने में असमर्थ थी। इसी कारण उसी जिंदगी को उसने अपना लिया। ऐसे स्थान को क्या 'कार्य स्थल' कहा जाएगा?

हर देश में अनैतिक देह व्यापार इस कारण पनप रहा है क्योंकि हर जगह नई लड़कियों की देह की बड़ी मांग है। जहां अनुभवी व्यक्ति की मांग कम, नए की मांग अधिक हो तो ऐसा कार्य भला 'कार्य' कैसे कहला सकता है।

अभी जब यह काम अनैतिक व अवैध है उसमें वहां रहने वाली लड़कियां यौन रोगों, एचआईवी/एड्स, कई गर्भपात, टीबी जैसे रोगों की चपेट में होने के बावजूद स्वास्थ्य जांच तो दूर, हर दिन अधिक से अधिक ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए मजबूर की जाती हैं। बिना कंडोम के ग्राहकों को झेलना पड़ता है, क्योंकि मालकिन को ग्राहक से आता रुपया दिखता है उसकी सेहत की चिंता नहीं होती है। यही नहीं स्थानीय गुंडे, पुलिस व बंधा बाबू के द्वारा बिना पैसा दिए संसर्ग करना दिनचर्या का हिस्सा है। क्या इन्हें यौन-कर्मी कह देने से या इनके संगठन बना देने से इनका इस प्रकार का शोषण रुक जाएगा, संभवतः नहीं, क्योंकि पुलिस फिर भी नाबालिग लड़कियों की तलाशी के नाम पर, असामाजिक तत्वों को ढूंढने के नाम पर वहां आती-जाती रहेगी अर्थात् हिंसा का स्वरूप बदल जाएगा पर शोषण जारी रहेगा।

इस धंधे में लगी प्रौढ़ महिलाओं के पुनर्वास के बारे में भी सोचना होगा। इतने बरस यौन शोषण का शिकार होकर वे बीमार व कमजोर होंगी। कई प्रकार के नशे की लत का शिकार होंगी, वृद्धावस्था के लिए कोई जमा पूंजी न होगी। क्या उनके लिए पेंशन योजनाओं के बारे में विचार किया गया है? हिंसा का पर्याय यह कार्य क्या वाकई 'कार्य' नामकरण का हकदार है इस बारे में सोचना जरूरी है।

अपने देश में इसे विधिक सम्मत कराने की कोशिशों से पूर्व विदेशों के अनुभवों से लाभ उठाया जा सकता है। जहां इसे वैध घोषित किया जा चुका है।

वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं का निरपराधीकरण तो होना चाहिए क्योंकि किसी भी महिला को अपने ही शोषण के लिए दंड नहीं दिया जा सकता, पर सरकार को दलालों खरीददारों, वेश्यागृहों या अन्य सेक्स उद्योगों का निरपराधीकरण नहीं करना चाहिए। यदि इसे विधिक सम्मत कर दिया गया तो क्या स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं इस बारे में ध्यान देना भी जरूरी है।

इसे विधिक सम्मत करने से देह व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वेश्यागृहों में नित नई लड़कियां व महिलाओं को लाने के लिए छोटे शहरों, गांवों यहां तक कि विदेशों से युवतियों को काम दिलाने के बहाने लाया जाता रहेगा।

इस प्रकार इसे नियंत्रण में तो रखना संभव न होकर बल्कि इसका विस्तार होगा। विदेशों में इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी होने के साथ-साथ टेबल टॉप डांसिंग, पीप शो, फोन सेक्स व पोर्नोग्राफी जैसी सेवाएं भी बढ़ने लगी हैं। वहां पर्यटन और कैसिनों में वेश्यावृत्ति स्वीकार्य स्थिति बन गई है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि विधिक जामा मिलने के बाद महिलाओं को वस्तु रूप समझने की स्थितियां अधिक स्पष्ट हो रही हैं। यही नहीं विधिक सम्मत स्थितियों ने अवैध वेश्यावृत्ति को भी बढ़ावा दिया है। कई महिलाएं अपने आपको रजिस्टर्ड करवाने, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने वाली स्थितियों में नहीं डालना चाहती, इस कारण वे स्ट्रीट वेश्यावृत्ति करती हैं ताकि किसी के नियंत्रण में उन्हें न रहना पड़े।

उनका यौन शोषण व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। पहले धंधे में लगाने के लिए, फिर कभी डराने के लिए, धमकाने के लिए, दंड देने के लिए शोषण व प्रताड़ना झेलना ही उनकी नियति है।

ग्राहकों को इसके विधिसम्मत/निरपराधीकरण से अपनी इच्छानुसार महिला को यौन संतुष्टि के लिए खरीदने की समाज सम्मति मिल जाने से उनमें अब कोई अपराध बोध नहीं है। उन्हें यह संदेश पहुंच रहा है कि पुरुषों के यौन सुख के लिए ही महिलाओं का प्रयोग करना गैर-कानूनी नहीं बल्कि मौज-मस्ती के लिए यौन कर्मी के पास निसंकोच जाया जा सकता है। यौन-कर्मी को ग्राहकों को रिझाने के लिए उन्हें गुदा मैथुन, बिना कंडोम के सेक्स व अन्य अनचाही मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, नहीं तो वे किसी दूसरी यौन-कर्मी के पास जा सकते हैं। यही नहीं गर्भवती महिलाओं से यौन सुख व उनके स्तनपान जैसी मांगे व अपंग व विकलांगों के लिए भी विशेष चकले सरकारें चला रही हैं।

स्वीडन जैसे देशों में ग्राहकों को जुर्माना लगाया जा रहा है वहां यह माना जा रहा है कि स्त्री-पुरुष समानता की दिशा में यह रुकावट है।

महिलाओं के प्रति भेदभाव की स्थिति इतनी प्रबल है कि उन्हें ही हर पन्द्रह दिन बाद यौन रोगों का महीने में एक बार एचआईवी/एड्स की जांच करवानी अनिवार्य है पर ग्राहकों के लिए ऐसी किसी जांच की अनिवार्यता नहीं है इसके लिए यह तर्क दिया जाता है कि इसके लिए कंडोम का प्रयोग अनिवार्य किया गया है पर स्वास्थ्य की जांच क्या उनके लिए भी जरूरी नहीं है। क्या एड्स मुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त करना उनके लिए अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। किसी रोग मुक्त पुरुष को ही वेश्यागमन की अनुमति हो ऐसी व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए?

जब अधिक पैसा देकर बिना कंडोम के मौका मिल सकता है तो वे क्यों इसका प्रयोग करने लगे। जब अधिक रुपए, प्रतियोगिता या दलाल का दबाव हो तो ये तर्क बेकार हो जाते हैं कि विधि सम्मत होने के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा।

भले वेश्यालयों में सुरक्षा गार्ड हैं पर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं है, इनके साथ ही जब इस धंधे में आना उनकी मजबूरी है। वे स्वेच्छा से आती नहीं हैं विभिन्न आर्थिक, सामाजिक कारणों से यही एकमात्र विकल्प दिखता है।

विश्व के पांच देशों में किए गए एक अध्ययन में यौन कर्म में लगी महिलाओं के साक्षात्कार किए गए। साक्षात्कार की गई सभी महिलाओं का कहना था कि इसे विधिक सम्मत नहीं बनाया जाना चाहिए। पहले से ही ग्राहकों और दलालों से शोषित हो रही महिलाओं के जोखिम और बढ़ जाएंगे।

किसी भी प्रकार से यह व्यवसाय नहीं हैं। यह प्रताड़ना है और पुरुषों की ओर से हिंसक व्यवहार है। वे नहीं चाहतीं कि कोई भी इस व्यवसाय में आकर रोजी-रोटी कमाए।

विश्वभर में इसे विधिक सम्मत बनाने का अभियान क्यों? यौनकर्मियों के तथाकथित संगठन उन्हें कंडोम क्यों उपलब्ध करवा रहे हैं क्योंकि वे वैकल्पिक रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध करवा पाते। उसे यहां से बाहर कैसे निकाला जाए इस दिशा में ठोस प्रयास क्यों नहीं किए जाते। उन्हें बाहर निकल कर पुनर्वास सुविधाओं के अभाव के कारण ही वे इसे ही विधि सम्मत बनाने पर जोर दे रहे हैं।

क्या सरकारें इतनी पंगु हो चुकी हैं कि उन्हें महिलाओं को सेक्स वस्तु बनाकर आर्थिक विकास करने की नौबतें आ चुकी हैं। वेश्याएं, यौन-कर्मी, दलाल, व्यापारी, ग्राहक, उपभोक्ता अर्थात् एक सेक्स उद्योग जिससे सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होगा क्या ऐसा करने से सरकारें महिलाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर देने की अपनी जिम्मेदारियों से पल्ले नहीं झाड़ रहीं। यह महिलाओं की विडम्बना ही है कि पुरुषों ने 'पहले स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है' जैसी बातें उनके दिमागों में गहरे बैठा दी और अब महिला संगठनों ही नहीं, धंधे में बैठी महिलाओं को ही इस धंधे को बंद न करने का पाठ पढ़ा दिया। सरकारें अपनी जिम्मेदारी से न भागे। सख्त कानून बना कर ग्राहकों को दंडित करें व महिलाओं के लिए रोजगार सृजन करें। यही उनका दायित्व है। इस धंधे से राजस्व कमाने की कोशिश न करें।

एक दलील यह भी दी जाती है कि वेश्यावृत्ति बंद कर दिए जाने की बात तो की जाती है पर क्या विकलांग ग्राहकों के बारे में सोचा जाता है जिन्हें यौन संसर्ग में नहीं किसी से बातचीत करने में रुचि होती हैं? ऐसे ग्राहक जिन्हें अपनी अपंगता के कारण कोई साथी नहीं मिल पाता, उन्हें एक साथी के रूप में यौन-कर्मी मिल सकती है पर क्या परिवार व्यवस्था इतनी कमजोर है कि परिवार के एक सदस्य के साथ बैठकर बातें करने के लिए उनके पास समय नहीं है। समाज अपनी ही कमजोरी को छुपाने के लिए इसका औचित्य ठहराना चाहता है।

वेश्यावृत्ति को वैध (लीगलाइज) करने का अर्थ है वेश्यावृत्ति उद्योग को वैध करना जो लोग यह समझते हैं कि वैध करने से वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं को निरपराधीकरण ही करना नहीं है बल्कि दलाली (पिंप), वेश्यागृहों और खरीददारों का भी निरपराधीकरण करना है।

नीदरलैंड में जब इसे वैध किया गया तभी रातों-रात दलाल, बिजनेसमैन बन गए। एक दिन पहले वे अपराधी थे। दूसरे दिन वैध उद्यमकर्ता वहां संगठित अपराध ने सेक्स उद्योग पर भी कब्जा कर लिया। इसी कारण एम्स्टर्डम में 30% विंडो चकला वहां के मेयर ने बंद करवा दिए क्योंकि दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स) के लिए वे चांदी और महिलाओं के लिए असुरक्षित हो गए।

एम्स्टर्डम और राटरडम ने अपने ट्रिपल जोन भी बंद कर दिए जहां महिलाएं असलियत में खरीदी व बेची जाती थीं। जर्मनी में वेश्यावृत्ति के वैधकरण से यौन शोषण इतना बढ़ा कि यह यूरोप के दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) का विशेष अड्डा बना।

आस्ट्रेलिया में स्टेट ऑफ विक्टोरिया में विधिक चकले की अपेक्षा अवैध चकला तीन गुना बढ़े। यहां तक कि आस्ट्रेलिया की एडल्ट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यह बात मानती है कि वैध सेक्स उद्योग अब नियंत्रण से परे हो गया है। वैध चकलों के मालिक साथ-साथ अवैध चकले भी चला रहे हैं। ग्राहक ऐसी यौन कर्मियों की तलाश करने लगे हैं जो अधिक उत्तेजिक (एग्नाटिक), सस्ती, जो कंडोम का प्रयोग न करने में आपत्ति न करें। आस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में सबसे ज्यादा बाल-वेश्याएं हैं।

महिलाओं को राज्य-मंजूरी चकलों में काम करने की स्वीकृति की बजाय कानून द्वारा मांग की समस्या को हल करना चाहिए। जो पुरुष महिलाओं को वेश्यावृत्ति में लगाते हैं वे अदृश्य हैं। वेश्यावृत्ति उद्योग को राज्य की मंजूरी देने का

अर्थ है कि दलालों व दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) को बेधड़क होकर व्यवसाय करने का अवसर दे दिया जाना, इससे बेहतर है कि मांग को खत्म किया जाए जैसा कि स्वीडन में हुआ जहां वेश्यावृत्ति के लिए, सेक्स के लिए औरतों को खरीदने वाले पुरुषों को जुर्माना किया जा रहा है। इससे खरीददार व दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) दोनों कम होंगे। उदाहरण के तौर पर नेवदा के चकलों में, चकला मालिक यह निर्णय करते हें कि क्या कोई लाइसेंस शुदा वेश्या अपने ड्यूटी ऑफ के घंटों में बाहर जा सकती है या नहीं उन्हें उसी परिसर में सप्ताहों तक रहना पड़ता है। भले ही काम के घंटे हो या नहीं। निरपराधीकरण होने से वे हिंसा का शोषण का शिकार कम होंगी। कई देशों में वेश्याओं के कानूनी सुधार सेक्स वर्करों के अधिकारों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसका कारण है कि अधिकांश विश्व में वयस्कों के लिए, पैसे के लिए सेक्स व्यवहार गैर कानूनी नहीं है पर इससे उनका यौन शोषण कम नहीं होता, क्योंकि कानून सेक्स उद्योग की सभी समस्याओं का समाधान नहीं करता।

वेम्प एन.जी.ओ. से जुड़ी महिलाएं कहती हैं कि 'हम लांछन झेलती हैं तो भी हमारी जिंदगी हमारे हाथों में हैं। हमें भी आदर-सम्मान का सपना देखने दें। हिंसा व लांछन ही वेश्याओं व सामान्य स्त्रियों को अलग करती हैं। कोई भी 'गिरी हुई औरत' की बात नहीं सुनना चाहता। वस्तुतः उन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि ये औरतें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हैं। समाज उनके बच्चों को अपनी पहचान नहीं बनाने देता। जब तक उनके प्रति भेदभाव रखना नहीं छोड़ेंगे तब तक यह समझना मुश्किल होगा कि वह भी एक औरत है जो अपने जीवन-यापन के लिए काम कर रही है।

व्यवसाय को बंद न करने की हिमायत करने वाले यह तर्क देते हैं कि वैजाइना भी शरीर के दूसरे अंगों की तरह है जिसकी सेवाएं रुपया लेकर दी जा सकती हैं। यदि दिमाग के साथ नैतिकता नहीं जुड़ी है तो इसके साथ क्यों जोड़ी जाती हैं। पर उनके तर्क से सहमत इसलिए नहीं हुआ जा सकता क्योंकि दोनों के काम भिन्न-भिन्न हैं। दोनों के लिए एक ही कानून व नीतियां नहीं लागू की जा सकतीं।

इसे कानूनन स्वीकार कर लिया जाए, का तर्क देने वालों का यह मानना है कि भले ही हम इसकी अवहेलना करें पर दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय कभी बंद नहीं होने वाला है। लोगों की यौन-भूख है जो कि वास्तविकता है और लोग इसके लिए भुगतान करेंगे ही। तो फिर क्यों न इसे उनके लिए सुरक्षित बनाया जाए, जो इससे जुड़े हैं। ब्राजील, साऊथ अफ्रीका और चीन में इस व्यवसाय को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है क्योंकि वहां महिलाएं आर्थिक दबावों या अवसरों के कारण इसे काम के स्वरूप में चुनती हैं। भारत में किसी भी कोने से किसी भी कोठे पर

पहुंचाई गई कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो वहां अपनी मर्जी से आई हो उसे वहां पहुंचाने वाला कोई देह व्यापारी, कोई अभिभावक, पति या प्रेमी ही होता है। भले ही कुछ बरसों तक वहां रहने के बाद वे वहां से जाना नहीं चाहती हैं क्योंकि कोई दूसरा रास्ता उपलब्ध नहीं होता है।

स्वीडन की वेश्यावृत्ति नीति -

जहां कुछ देशों में वेश्यावृत्ति को वैध करार कर उदारीकरण की नीति बनाई है, वहीं स्वीडन की नीति जो 1999 में शुरू की गई थी, में ग्राहकों को दंड देने का विधान है। स्वीडन के राजनेता जहां इसे देह व्यापार को रोकने में सक्षम मानते हैं, वहीं यौन-कर्मी की धारणा अलग है। उनके विचार से इससे उन्हें सुरक्षा की बजाय भावनात्मक तनाव अधिक मिल रहा है।

स्वीडन में इसे स्पष्ट तौर पर सामाजिक बुराई और पुरुषों की हिंसा का रूप माना जाता है। यौनकर्मी को पीड़िता मान यह समझा जाता है कि उसे राज्य का संरक्षण मिलना चाहिए। बेहतर और समान समाज बनाने के लिए वेश्यावृत्ति को हटाने में सरकार कटिबद्ध है।

स्वीडन में वेश्यावृत्ति के लिए मकान किराए पर देना दंडनीय है। सड़कों पर ग्राहकों से तोल-मोल करना, यौनकर्मियों के लिए परिवार में रहना व बनाना कठिन है, क्योंकि यह समझा जाता है कि वे अभिभावक बनने के योग्य नहीं है। उनसे उनके बच्चों की 'कस्टडी' छीनी जा सकती है। कानून के अंतर्गत जब ग्राहकों को दंडित किया जाता है तो उसका असर उनके धंधे पर पड़ता है। धंधे में मिलने वाली हिंसा की शिकायत वे पुलिस को नहीं कर पाती और कम ग्राहक यानि अधिक प्रतियोगिता जिस कारण अधिक रुपए मिलने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। सुरक्षित यौन संसर्ग की मांग पर भी इसका असर पड़ता है। बीमारियों का खतरा बढ़ता है।

सरकारी आंकड़ों व सर्वेक्षणों के आधार पर स्ट्रीट वेश्यावृत्ति प्रत्यक्षतः तो बंद हुई पर छदम रूप से बढ़ी है। यौनकर्मियों के लिए धंधा अब पहले से अधिक खतरनाक हो गया है। बिना कंडोम के ग्राहकों को लेना इनकी मजबूरी बन रही है, क्योंकि ग्राहक कम हैं, और जो हैं वे अच्छे ग्राहक नहीं हैं। उनमें यौन रोग बढ़ रहे हैं।

विभिन्न देशों के कानून इस बात के साक्ष्य हैं कि कहीं भी महिला यौनकर्मियों को हिंसा व शोषण से बचाने की प्रभावी कार्य नीतियां हैं।

हमारे देश में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान वेश्यावृत्ति के लिए लाइसेंस व्यवस्था थी। पहले अध्याय में हम संक्रमण रोग अधिनियम का जिक्र कर आए हैं। कानून व्यवस्था से शोषण कम होता हो ऐसी स्थितियां न अपने देश में थी और न ही

विश्व के अन्य भागों में। इसे विधि सम्मत किए जाने से उनकी स्थितियों में सुधार दृष्टिगोचर हुआ हो। ब्रिटिश शासनकाल में इसे कानूनी दायरे में रखा गया था पर उससे यौनकर्मियों का ही शोषण बढ़ा था।

स्वीडन में वेश्याओं के लिए निरपराधीकरण किया गया है पर दलाली और मांग पक्ष का नहीं। ग्राहकों की गिरफ्तारी से यौनकर्मियों की आय पर असर पड़ता है और दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) में अपेक्षाकृत कमी आई है।

कानूनी मान्यता देने का अर्थ है कि उन्हें यौन वस्तु के रूप में मान लेना। यह एक जोखिम भरा कैरियर है। क्या हम महिलाओं को बेहतर विकल्प उपलब्ध नहीं करवा सकते।

व्यवसाय में बने रहने के लिए पश्चिम में महिलाओं को स्तनों को उभारने के लिए इम्प्लांट करवाने पड़ते हैं जिस कारण कई बार इम्प्लांट टूटने के कारण संक्रमण व बीमारियां झेलनी पड़ती हैं। अक्सर सवाल यह उठता है कि इस व्यवसाय का नियंत्रण किसके हाथ में होगा, पुलिस या सामाजिक कार्यकर्ताओं के। यदि हम इसे कानूनन स्वीकार्य मान लेते हैं तो वैकल्पिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। ऐसा करने के बाद अनैतिक देह व्यापार (ट्रैफिकिंग) रुक जाएगा ऐसी स्थिति भी आने वाली नहीं है। स्थिति पहले से सुरक्षित हो जाएगी ऐसी संभावनाएं भी कम हैं। कानूनी मान्यता के बाद सरकारी और फिर इसके निजीकरण की संभावनाएं बनेंगी जिससे शोषण की राहें बुलंद होगीं।

जब कोई काम व्यावसायिक रूप ले लेता है तो उसमें लागत-लाभ विश्लेषण किए जाते हैं और यौनकर्मी को दी जाने वाली राशि को कम कर उससे अधिक लाभ व अधिक ग्राहक संतुष्टि लेने के प्रयास किए जाएंगे।

सवाल यह उठता है कि कानूनी जामा पहनाने के बाद क्या यूनियन बनाई जाएगी जो सुरक्षित यौन संसंर्ग/सुरक्षा उपायों, अपने साथियों की वित्तीय जरूरतों, उनके विरुद्ध हिंसक अपराधों को कम करने व पारदर्शिता लाने के उपाय किए जाएंगे? क्या उनके लिए कल्याणकारी उपाय किए जा सकते हैं?

क्या स्थितियां वैसी ही बरकरार रहेंगी या उनमें सुधार होगा?

क्या महिलाओं व लड़कियों को इस व्यवसाय में धकेलने के लिए बल प्रयोग को रोका जा सके? क्या वहां काम कर रही महिलाओं की पीड़ा कुछ कम हो पाएगी?

उन्हें यह समझना होगा कि क्या स्त्री का शरीर कोई वस्तु है, जिसे प्रयोग करने की स्वीकृति कानूनन दे दी जाए? एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का प्रयोग करने का अधिकार क्यों दिया जाए। पुरुष की यौनेच्छाओं की पैरवी इस कद्र क्यों की जाए कि महिलाओं और मासूम बच्चियों को उनके उपभोग के लिए प्रताड़ित

किए जाने को ही कानून सम्मत बना दिया जाए।

जब कई सरकारी विभाग व एन जी ओ ये शंका जताती है कि यदि ग्राहकों को दंडित किया जाएगा तो यह व्यवसाय अंडरग्राऊंड अर्थात् लुके-छिपे स्वरूप में फैलेगा पर बंद नहीं होगा। क्या ऐसा कहते हुए वर्तमान व्यवस्था को स्वीकृति नहीं दी जा रही? क्या हम इसे अनाधिकारिक तौर पर विधिक सम्मत यौनकर्म नहीं मान रहे हैं यह तो एक प्रकार से प्रतिबंध हटाए जाने की बात की जा रही है।

एक महिला द्वारा ईंट-भट्ठे के ठेके पर ईंटों के ढोने और यौन-कर्म में कोई भेद नहीं होता ऐसी दलीलें इस व्यवसाय को निरपराधीकरण घोषित करने के लिए दी जाती हैं पर ऐसी तुलना भ्रामक है। यौनकर्म श्रम नहीं, मानवाधिकारों की अवहेलना हैं। यह अक्सर बलात्कार ही होता है। भले ही किसी स्त्री की यौनेच्छा को निम्फोमेनिया का नाम दे दिया जाए। बेहद कामुक, अत्यधिक कामेच्छा वाली कह दिया जाए पर ऐसा कह देने से कुछ चंद घंटों में दस से पंद्रह पुरुषों की यौनेच्छा की संतुष्टि का उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह मूलतः कष्टकारक व पीड़ादायक व सदमा देने वाला कृत्य ही है। यदि वर्तमान यौनकर्मियों के सर्वेक्षण भी करवा लिए जाएं तो कोई भी स्त्री यहां स्वेच्छा से नहीं हैं। यही उजागर हुआ है और आगे भी होगा।

यदि कानून सम्मत होने के बाद वे दलालों, वेश्यागृहों के मालिकों व पुलिस के चंगुल से मुक्त हो जाएगी और अपनी कमाई पर केवल उनका अधिकार हो जाएगा तभी स्थितियों में सुधार होगा, तभी एड्स महामारी से निबटने के लिए इस लक्षित समूह तक पहुंचा जा सकता है। यदि तथाकथित रेड लाइट एरिया होंगे तभी यह संभव है। छदम तरीकों से यह व्यवसाय कहां-कहां चल रहा है इसकी जानकारी के अभाव में महामारी की रोकथाम संभव नहीं। यदि वे किसी स्थान विशेष पर रहेगी तभी उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने से एड्स के फैलाव को भी रोक पाना संभव होगा। उन्हें चिकित्सा सहायता व सुविधाएं, ग्राहक व उसकी पत्नी व संभावित संतानों का भी बचाव करेगी। जिन देशों में इसे विधि सम्मत बनाया गया है उन्हें इस तर्क में ताकत दिखती है। वस्तुतः यौनकर्मी इस महामारी की रोगवाहक नहीं बल्कि पीड़िता होती हैं पर कमजोर व्यक्ति को अक्सर सभी निशाना बनाते हैं। प्रगतिशील समाज इन्हें भी जीओ और जीने दो के भाव से जीने के लिए प्रेरित करता है।

कनाडा, लगभग पूरे यूरोप, मेक्सिको सहित अधिकांश दक्षिण अमेरिका इज़्राइल (विश्व के वेश्यागृहों की राजधानी, कहलाने वाला टेल अविवन शहर यहां है) आस्ट्रेलिया में जब इसे कानून सम्मत माना जा सकता है तो भारत को भी आगे बढ़ना चाहिए, कहकर इसकी वकालत की जाती है। क्या इसे कानून सम्मत बनाने

के बाद समाज के लिए कुछ विशेष सुरक्षा-उपाय व वेश्याओं को कुछ सुविधाएं दे पाएंगे। यह विचारणीय होगा कि यौनकर्म के कानून सम्मत होने के बाद एच.आई.वी. संक्रमित वेश्याओं को लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। उन्हें तथा उनके परिवार के लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। बेरोजगारी भत्ते की राशि ग्राहकों से टैक्स वसूली करके की जा सकती है जैसा कि आस्ट्रेलिया व ग्रीस में होता है। वेश्यागृह में जाने वाले सभी ग्राहकों को प्राधिकृत डॉक्टर से पहले इस आशय का प्रमाणपत्र लेना होगा कि उसे एच.आई.वी./एड्स नहीं है। इस प्रकार जनसंख्या के एक बड़े वर्ग की स्वतः ही एच.आई.वी. जांच होने लगेगी।

यही नहीं, उभयलिंगी व समलिंगी लोग जो एच आई वी/एड्स फैलाने में अपना योगदान देते हैं उन्हें भी लाइसेंस मिलने के बाद ही यौनकर्मी होने की अनुमति दी जा सकती है।

उन्हें एच आई वी/एड्स के उपचार में भी सरकारी सहायता दी जानी चाहिए। सरकार को अपने जागरूकता अभियानों में तेजी लानी चाहिए ताकि एड्स रोगियों से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाए।

यूं देखा जाए तो वेश्या को यौनकर्मी कह देने से उसकी स्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। कुछ लोग उन्हें यौनकर्मी नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता कहना पसंद करते हैं क्योंकि वे समाज की सेवा करती हैं पर पुलिस, दलाल, गुंडे उनकी कमाई को हथिया लेते हैं। उन्हें किस तरह उनके जंजाल से निकालना है यह प्रयास सरकार को करने हैं। वे समाज की गंदगी नहीं बल्कि यहां की गंदगी को स्वीकार कर समाज को दूषित होने से बचाती हैं।

इस व्यवसाय को विडम्बना ही कहेंगे कि नई भर्ती की आय सबसे अधिक होती है और उसी का शोषण भी उतना ही अधिक होता है। उम्र बढ़ने के साथ अनुभव बढ़ने के साथ मांग चली जाती हैं। सोना चांदी यहां एक आत्मा की बिक्री व उसकी हत्या करने में अपना असर दिखाते हैं।

वेश्यागृह की मालकिनें सभ्य समाज से सवाल उठाती हैं कि वे महिलाएं जो प्रेमवश नहीं, अच्छे घर, कपड़े, जेवरात के लालच वश विवाह करती हैं। दिन भर थका देने वाले काम से छुटकारा पाने के लिए किसी रईस जादे से विवाह करती हैं उन्हें लोग अच्छा नाम देते हैं पर उनमें और इन लड़कियों में क्या फर्क है?

जिस देश में विवाह में अपनी राय देने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है वहां वे यौनकर्मी बनने का फैसला स्वेच्छा से कैसे ले सकती हैं? उनके ऐसे सवालों पर समाज को विचार करना होगा।

यदि वास्तव में हम उन्हें समाज के लांछन से बचाना चाहते हैं तो उनके बच्चों

को समाज की मुख्य धारा में लाना ही पड़ेगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वेश्यावृत्ति के नियम व कायदे कानून वर्णित हैं। क्या उन्हें आज फिर से कार्यान्वित किया जा सकता है?

उस युग में वे सिर्फ मनोरंजन का काम नहीं देखती थीं। दूसरे राजा के लिए जासूसी का काम कर अपने सामाजिक दायित्व भी निभाती थीं। गणिका अध्यक्ष उसके यहां आने वाले का रिकॉर्ड रखता था। उससे कर वसूली होती थी पर आज गणिका अध्यक्ष की जगह चकला मालिकों ने ले ली है, जो सिर्फ उसका शोषण करते हैं। क्या अब ऐसा संभव है?

क्या कभी उन संभावनाओं पर भी विचार किया गया जब कानून सम्मत हो जाने के बाद आज जो महिलाएं अपने खाली समय में पापड़, चटनी, जैम बनाकर अतिरिक्त कमाई करती हैं वे इन पर निवेश करने के स्थान पर एक लाइसेंस लेकर पति के घर से जाने के बाद 'रूप का व्यवसाय' करने लगे। पड़ोस के तीन घरों में ऐसा व्यवसाय चलते देख चौथे घर में बैठी महिला को भी क्या लालच न उठेगा या उसका पति भी यह मांग नहीं करेगा कि वह भी लाइसेंस लेकर धंधा चालू करे। क्या लाइसेंस देकर पूरे समाज को दूषित करने का काम करने की दिशा में तो नहीं आगे बढ़ेंगे।

फिर लाइसेंस देने में गुंडा-राज क्या काम नहीं करेगा? बिना एच आई वी/एड्स जांच कराए, मासिक जांच करवाने के बदले झूठी मोहर लगवाने के लिए रिश्वत व्यापार क्या नहीं पनपेगा। पूरे भ्रष्ट वातावरण में हम क्यों केवल इसी व्यवसाय के लिए उस ईमानदारी की उम्मीद कर रहे हैं जो संभव न होगी।

अक्सर हम लोगों को उनके व्यवसाय के नाम से पुकारते हैं डाक्टर साहब! रिक्शा वाला, कामवाली बाई, दूधवाला पर वेश्या/यौनकर्मी को अभी भी हम एक गाली ही समझते हैं। किसी महिला को अपमानित करने के लिए पुकारा जाने वाला शब्द कोई है तो उसे 'वेश्या' कहना है। समाज इसे नैतिक नहीं समझता, वैधता का सवाल न उठाया जाए। वैधता का सवाल उठाने से पहले इसके सामाजिक पहलू पर जन सहमति अधिक जरूरी है।

प्रश्न यह उठता है कि क्या कानून किसी व्यवसाय की वैधता निर्धारित करता है किसी कानून में इसका विधान नहीं है। कई ऐसे व्यवसाय हैं जहां काम करने वालों को किसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। कॉमर्शियल ड्राइवर हो या पेंटर क्या इनके कामों को किसी कानून ने वैध करार किया है।

सभी इस बात से सहमत होंगे कि विदेशों में भले ही वेश्यावृत्ति वैध है, पर भारतीय मानसिकता अभी इसके लिए तैयार नहीं है और संभवतः निकट भविष्य में यह संभव भी नहीं दिखता। जिस विचारवान संस्कृति की हम दुहाई देते आ रहे हैं वह

हमें कभी भी इसे वैध करार करने की सहमति नहीं दे सकती है।

विभिन्न वेश्यागृहों में रहने वाली यौनकर्मियों का एक बहुत ही कम प्रतिशत आंकड़ा होता है जो अपने इच्छा से आई हो शेष जबरन, झूठे आश्वासनों, कभी शादी, कभी नौकरी के प्रलोभन में ही यहां पहुंचा दी जाती है।

वे वेश्याएं जो चिकित्सा जांच में पास न होगी? क्या उन्हें वेश्यावृत्ति करने से रोका जा सकेगा? क्या उन्हें नियंत्रित करने के लिए ड्रग्स, शराब व हिंसा का सहारा लिया जाएगा? क्या दलाल न रहेंगे? संभवतः नहीं, वे तो व्यापारी बन जाएंगे? यहां प्रतियोगी माहौल होगा। क्या खूबसूरत, क्या रूपा व क्या अरुपा, वांछित या अवांछित यौनकर्मियों को काम न मिलेगा?

फिर अधिक पैसा मांगने वाली यौनकर्मी तो पहले भी वेश्यालय में नहीं आती वे तो एस्कॉर्ट सर्विस में, मसाज पार्लर व कालगर्ल है। भला उन्हें विधि सम्मत वैधता के दायरे में कैसे लाया जा सकेगा।

अध्ययन रिपोर्ट-

स्वयंचेतना, एनजीओ के द्वारा अक्टूबर 2007 से मार्च 2008 के दौरान बचाव अभियानों के दौरान छुड़ाई गई 12 राज्यों की 500 महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया जिससे सबसे कम उम्र की लड़की यहां 12 वर्ष की थी, तो सबसे बड़ी 45 वर्ष की थी। सर्वेक्षण में केवल 180 ने ही स्वेच्छा से जवाब देने पसंद किए। प्रत्यावर्तित महिलाएं बेचैनी, अवसाद, नींद में खलल आदि के जो सदमा उपरांत तनाव डिसऑर्डर (पोस्ट ट्रामा स्ट्रेस डिसऑर्डर-पीटीएसडी) के लक्षण होते हैं, से ग्रस्त थीं।

इन लक्षणों के आधार पर सर्वेक्षण में यह सिफारिश की गई कि इसका अर्थ यह है कि प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया में और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उसमें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चकले से बाहर आने के बाद भी जिंदगी बेअसर हो उनकी काउंसलिंग व पुनर्वास की प्रक्रियाएं उन्हें आत्मविश्वास पूर्ण जीवन जीने में सहायक होनी चाहिए। गांवों में लौटकर, 'मुंबई से आई' का ठप्पा उन्हें घर-परिवार व समाज से अलग-थलग कर देता है। परिवार भी उन्हें उपेक्षित करता है कि वे उनके लिए बदनामी लेकर आई हैं। अध्ययन से यह भी उजागर हुआ कि उनमें आत्महत्या व स्वयं को नुकसान पहुंचाने की इच्छा प्रबल थी और पचास प्रतिशत मामलों में दुर्व्यापार की प्रक्रिया परिवार से शुरू हुई थी। बचाव उपरांत उन्हें घरों में भेजने के प्रयासों पर सरकारी तंत्र को पुनः विचार करना चाहिए क्योंकि वहां लौटकर उनकी जिंदगी अक्सर चकले के जीवन से अधिक भयावह हो जाती है।

भले ही इसे 'कार्य' की संज्ञा देने का प्रयास किया जाए पर यह स्पष्ट रूप से सेक्स गुलामी ही है। यह न तो किसी व्यवहार का विकृत रूप है न विकृत मानसिकता का परिणाम है। पुरुषों ने अपने लाभ के लिए इस संस्था को बनाया है और वे अपनी इस बीमार मानसिकता को स्त्रियों पर थोपने में कामयाब हो चुके हैं जो इसे 'काम' करने का अधिकार कहने की वकालत करती हैं।

कानून के रखवालों का वेश्यावृत्ति को तो प्रतिबंधित न करना पर इस पर आश्रित व्यक्तियों को दंडित करने का सिद्धांत बेमानी है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता कभी भी सेक्स गुलामी का पर्याय नहीं हो सकती है।

जिस प्रकार वेश्यावृत्ति को दुनिया का सबसे पुराना धंधा कहा जाता है, उतनी ही पुरानी विचारधारा है उन्हें समाज के हाशिए पर रखने की भी। हम उनके बारे में बात करते हुए अपनी विचारधारा उन पर थोपते हैं। हम बड़ी सावधानी से अपनी जिन्दगी से उनकी जिंदगी की, दूरी बनाकर बात करते हैं। यहां तक कि उनके जीवन के हर पहलू पर विचार करते हुए हम उनके अस्तित्व को नकारते हैं और चाहते हैं कि उनका अस्तित्व लुप्त हो जाए।

व्यवसाय को बनाए रखने के पक्षधरों का मानना है कि बचाव व छापे की कार्रवाइयों से कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। इससे उनका धंधा ही कुछ दिनों के लिए चौपट होता है। आश्रय गृहों की व्यवस्थाएं इतनी नकारा होती हैं कि वहां भी वे शोषण का शिकार होती हैं। इस कारण वे वेश्यागृहों के मालिकों का साथ देना पसंद करती हैं। वेश्यागृह के मालिक उन्हें छापा कार्रवाइयों से जुड़ी एन जी ओ की भयानक तस्वीरें दिखा कर अपने पक्ष में रखते हैं। दलाल, ग्राहक, पुलिस या गलियों से मिलने वाले शोषण से वेश्यागृह के मालिक उनका बचाव करते हैं। समाज जिस 'पुनर्वास' की बात करता है वह उन्हें पसंद नहीं। जिस तरह की जीवनशैली की उन्हें आदत हो जाती है उसके बाद सिलाई-कढ़ाई सीख कर कमाने की उनकी इच्छा नहीं रहती। इसमें शक नहीं जब किसी को लाखों रुपए की आमदनी हो, बड़े होटलों में खाना-पीना, गाड़ियों में घूमने को मिले वह भला सिलाई मशीन, कालीन या मोमबत्ती बनाने की कला क्यों सीखने लगेंगी।

महिलाओं के ये कानूनी अधिकार क्या यौनकर्म को वैध करार कर देने से मिल जाएंगे।

- ❑ करोड़ों मिलियन डॉलर धंधे की बागडोर किसके हाथ होगी?
- ❑ क्या सरकार इसके कर्मचारियों को बोनस देगी?
- ❑ क्या सरकार इनके श्रम अधिकारों की रक्षा करेगी?
- ❑ क्या ऐसे सवाल बेमानी नहीं लगते हैं। शोषण का पर्याय यह उद्योग कहलाने

का पात्र भी है। ईमानदारी से कहें तो शायद नहीं। किसी की मजबूरी, भले ही वह आर्थिक मजबूरी क्यों न हो, क्या किसी दूसरे का दास बनाने के लिए पर्याप्त होती है?

समाज एक महिला के पूरे जीवन को, एक निरंतर आत्म बलिदान की प्रक्रिया बना देता है, विशेषकर निम्न वर्गों में, समाज उसकी सभी सहज प्रवृत्तियों पर निरंतर प्रतिबंध लगाता है और उसकी इस शहादत के बदले उसे केवल सम्मानजनक संबोधन तो देता है परंतु वास्तविकता में तिरस्कृत ही करता चलता है।

यदि मनुष्यों के लिए कोई चीज अत्यधिक महत्वपूर्ण है तो वह है अपने मनपसंद कार्य को करने का आनंद। एक सुखद जीवन की यह आवश्यकता मानव जाति के एक बड़े हिस्से को बहुत अपूर्ण तरीके से दी जाती है या फिर बिल्कुल नहीं दी जाती और उसकी अनुपस्थिति में अनेक जीवन असफल होते हैं।

यौन-कर्मियों का जीवन व्यर्थता का पर्याय माना जाता है और एक व्यर्थ हुए जीवन की भावना से जन्में गहन दुख को प्रायः बहुत कम लोग ही जानते हैं। उन पर समाज के सुखों पर लगे प्रतिबंध क्या मानवीय सुख के मुख्य स्रोत को ही नहीं सुखा देते। मनुष्य के जीवन को मूल्यवान बनाने वाले गुणों के दरवाजे उनके लिए क्यों बंद कर दिए जाते हैं। वे ये सवाल समाज से पूछना चाहती हैं।

आदर्श स्थिति

विश्व में कहीं कोई वेश्या नहीं होगी यदि इसके लिए कहीं मांग न होगी। यदि सभी अविवाहित पुरुष शादी होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करें और विवाहित पुरुष अपने यौनेच्छाओं की पूर्ति वैवाहिक रिश्ते में ही पूरी करें। इस आदर्श स्थिति की अवहेलना प्रत्येक समाज में सदियों से की जाती रही है।

नौकरी या विवाह के नाम पर दूसरे शहरों या देशों में जाने वाली अधिकांश लड़कियां ये नहीं जानती हैं कि वे स्ट्रिप क्लबों, वेश्यालयों या स्ट्रीट वॉकर बना दी जाएंगी, जहां उन्हें माल के रूप में पुरुषों को परोस दिया जाएगा। महिलाएं गरीबी, हिंसा या नौकरी के अवसरों की तलाश में घरों से बाहर तो निकलती हैं पर एक बार दलालों और देह व्यापारियों के चंगुल में आने के बाद वे शारीरिक व यौन शोषण का शिकार होती चली जाती हैं। जब दूसरी राहें बंद हो जाती हैं तो वे इसी में अधिक धन कमाने की कोशिशें करती हैं। दिनभर अनचाहे यौन संसर्ग देह व मन दोनों को सदमा तो पहुंचाते हैं, इसे हर बार एक नया बलात्कार ही तो कहेंगे। अपने-आपको इस सदमें से ऊपर उठाने के लिए वे नशे का सहारा लें तो आश्चर्य नहीं होता है। शारीरिक व भावनात्मक रूप से वे टूटती चली जाती हैं। इस व्यवसाय का वैध करार कर दिया जाए या नहीं किया जाए महिलाओं की इस स्थिति में कहीं कोई परिवर्तन

नहीं हो सकता है बल्कि वैध करार देने के बाद इन महिलाओं की स्थिति से आज जो सहानुभूति उभरती है वह भी खत्म हो जाएगी।

भला किसी महिला को शोषण व हिंसा पहुंचाने की स्थितियों को कैसे विधिक माना जा सकता है। जो देश, जो राष्ट्र या समाज ऐसा मानता है या चाहता है वह निश्चित तौर से महिलाओं के मानवाधिकारों का हनन करता है।

अक्सर एक वर्ग 'अपनी इच्छा से' या जबरन वेश्यावृत्ति में अंतर कर इसका औचित्य ठहराना चाहता है परंतु यह एक अच्छी बहस का विषय तो हो सकता है पर वास्तविकता यही है कि इस व्यवसाय में इन दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं है। कोई स्त्री भले ही यह मान लिया जाए कि वह अपनी इच्छा से आई है, तो क्या पुरुषों को उसे अपनी यौन लिप्सा, अपनी कुंठाएं अपनी अप्राकृतिक यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका शोषण करने का अधिकार मिल जाता है।

इसे विधिक सम्मत या नियम कानून बना देने या फिर इसे काम का एक स्वरूप कहकर 'वेश्या' के स्थान पर 'यौनकर्मी' कह देने से स्थितियों में क्या अंतर आया है या आ सकता है। भले ही यौनकर्मी कह देने से छवि में कोई अंतर महसूस हो पर हिंसा व यौन शोषण में कोई कमी नहीं आ सकती है। वैध करार करने से धंधे से जुड़े लोग व्यापारी बन जाएंगे जिन्हें कानून के शिकंजे का डर नहीं रहेगा। क्या हमारे प्रयास शोषक को निडर बनाने के होने चाहिए?

लिंग असमानता का पर्याय है वेश्यावृत्ति और इसे वैध करार कर महिलाओं की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। यदि वह 'वस्तु रूप' है तो दूसरे दर्जे की नागरिक है। क्या वह देश जिसमें आधी आबादी दूसरे दर्जे की हो और गुलामी में जीवन बिताती हो तो क्या वहां प्रजातंत्र होगा?

जिस रोज हम यह समझ पाएंगे कि महिलाओं का शरीर व भावनाएं केवल उनकी हैं, उसका व्यापार या सौदा नहीं होना चाहिए। सेक्स उद्योग का लक्ष्य इसमें नित नई युवतियों को लाना है। यदि सरकार इसे वैध करार करती है, तो देह व्यापारी किसी भी कीमत पर नई लड़कियों को लाने के प्रयास करेंगे और इन प्रयासों में हर पीढ़ी की युवतियां इस हिंसा का शिकार होंगी। वेश्यावृत्ति हिंसा के अलावा कुछ और नहीं है यह नहीं भूलना चाहिए। वेश्यावृत्ति मार पिटाई, बलात्कार, यौन-रोगों, नशा व मादक पदार्थों, भावनात्मक हिंसा को बढ़ावा देती है। महिलाओं की स्थितियां इसमें रहकर कभी नहीं सुधर सकतीं।

वेश्यावृत्ति को वैध करार करने से हिंसा खत्म न होगी बल्कि यह हिंसा को वैध करार कर देगी।

विश्व आर्थिक मंदी का असर यौनकर्मियों पर भी

विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट वेश्यागृह 'बिग सिस्टर' भी आर्थिक मंदी का शिकार हो रहा है। उन्होंने अपने ग्राहकों को निशुल्क सेवाएं इस शर्त पर देनी शुरू कर दी है कि वे इनके 'सेक्स एक्ट' की वीडियो फिल्म तैयार कर अपनी वेब साइट पर लाइव दिखा सकते हैं। आर्थिक मंदी के कारण इस सदियों पुराने धंधे पर भी असर पड़ रहा है। लोगों के पास अब उतना रुपया नहीं रहा है यह माना जा रहा है।

बर्लिन के सबसे बड़े वेश्यागृह की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक व्यवसाय के महीने नवम्बर में इस बार रेवेन्यू में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। रेनो, नेवदा के प्रसिद्ध मस्तग रांच वेश्यागृह ने ग्राहकों की कमी के कारण 30%स्टाफ को निकाल दिया है।

बर्लिन की उक्त रिपोर्ट यह सोचने को विवश करती है कि वैध व्यवसाय से निकाले गए इन कर्मचारियों को क्या मुआवजा देकर निकाला गया। क्या व्यवसाय को वैध करने के बाद मुआवजा देने की स्थितियों से निबटने की भी व्यवस्था की जाएगी या केवल सरकार रेवेन्यू लेना पसंद करेगी?

वेश्यावृत्ति सभ्य समाज में सदियों से विद्यमान रही है। इसे समाज की आवश्यक बुराई की संज्ञा दी गई। समय-समय पर इसे समाप्त करने के प्रयास किए गए। भारत में मौर्यकाल में, फिर ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान इसके वैध स्वरूप का पता चलता है। विभिन्न राजा महाराजाओं के समय में इन्हें राजसी संरक्षण मिलता रहा है पर समय-समय पर इसके उन्मूलन की हवा बहुत तेजी से चलती रही है।

यौनकर्म को वैध करार करने के निर्णय के पीछे ग्राहकों के स्वास्थ्य के खतरे की चिंता मुख्य रूप से काम करती है। उनका मानना है कि वेश्यावृत्ति कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसके उन्मूलन के लिए पहले प्रयास न किए गए हो ऐसा नहीं है। समाज हमेशा इसमें विफल रहा है।

इसे वैध करार करने की दलीलें देने वाले लोग यह नहीं समझना चाहते हैं कि कानून के अनुसार वेश्यावृत्ति अपराध नहीं हैं। अपनी इच्छा से यौन सेवाएं देने वाली स्त्री को कानून दंडित नहीं करता है पर कानून वेश्यावृत्ति के संगठित रूप को दंडित करता है। उसे वेश्यावृत्ति कराने वाले व उसकी कमाई पर जीवन-निर्वाह करने वाले अपराधी हैं। इसलिए कानून इस व्यवसाय को वैध करार नहीं करना चाहता है क्योंकि ये अपराधी तब व्यापारी बन जाएंगे।

एक रिपोर्ट के अनुसार आजीविका के एक साधन के रूप में यह यौनकर्मियों की कमाई के अलावा दूसरे लोगों की कमाई के साधन के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों के लिए अवैध रूप से घूस व हफ्ता वसूली के रूप में और होटलों,

बार, रेस्तरां और पार्लर आदि की लाइसेंस फीस व करों के रूप में वैध कमाई का साधन है, इसलिए इसे एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है।

भले ही व्यावसायिक यौनकर्म से लाखों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है। यह मल्टी-मिलियन उद्योग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो रहा है। पर यह नहीं भूलना चाहिए कि

❑ अनैतिक व्यापार व व्यावसायिक यौन शोषण दासता के आधुनिक रूप हैं और दासता को कभी भी वैध नहीं माना जा सकता।

❑ भले ही स्त्रियां को यह खुशफहमी दी जा रही है कि यह उनकी आर्थिक स्वतंत्रता का पर्याय है परंतु यह पुरुषों की अपनी यौनेच्छाओं की पूर्ति के लिए बनाई गई व्यवस्था है जिसमें वे यौन-सुख तो चाहते हैं परंतु किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं चाहते हैं। काल गर्ल व मसाज पार्लर के चंद रूपों को छोड़ दिया जाये तो अधिकांशत गरीब, बेसहारा, परित्यक्ता, निरक्षर, समाज के दांव पेचों से अनजान जिनके भोलेपन का फायदा उठा पाना आसान होता है वही इस व्यवसाय में होती है। समाज कभी भी इस व्यवसाय में प्रवेश कर चुकी महिलाओं को मुख्य धारा में स्वीकार नहीं करता है। यह मूलतः पुरुषों का ही व्यवसाय है जिसमें वस्तु रूप में ही स्त्रियां प्रयोग में लाई जाती हैं।

देह व्यापार लिंग-भेद का पर्याय है।

जिस समय इस व्यवसाय को वैध बनाया जाएगा तब यह एक ऐसे उद्योग के रूप में सामने आएगा जिसमें बड़े-बड़े उद्योगपति घराने निवेश करेंगे और मीडिया में अपनी पकड़ के कारण विज्ञापनों के माध्यम से पूरे समाज को दूषित करने के प्रयास करेंगे। वे युवाओं को लुभाने के प्रयास करेंगे। समाज में नैतिक-अनैतिक के विवाद प्रायः समाप्त हो जाएंगे।

आपूर्ति-पक्ष को विवश करने के भी प्रयास किए जाएंगे। अकृत्रिम ढंग से आर्थिक, राजनीतिक व प्राकृतिक आपदाएं रचकर गरीबों को मजबूर किया जाएगा ताकि वे भुखमरी व गरीबी से तंग आकर अपनी बच्चियों को बेचने को मजबूर होंगे। जिस प्रकार मॉडलिंग की दुनिया में लड़कियों को छरहरा बने रहने व कृत्रिम उभारों के लिए दवाएं दी जाती हैं, तब आम वेश्याओं को भी पुरुषों को लुभाने के लिए वही सारे व्यवसायी दांव-पेंच करने होंगे।

जिन देशों में वेश्यावृत्ति वैध है वहां महिलाओं के प्रति अपराधों में कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़े ही हैं। फिर वैधता को कैसे उचित ठहराया जा सकता है।

वैधता से शोषक किसी भी कीमत पर किसी भी महिला के शरीर को खरीदने

के प्रयास करेंगे इससे समाज में अनाचार ही फैलेगा। वेश्याएं हैं इसलिए समाज में बलात्कार कम होंगे जैसी वकालत काम नहीं करेगी बल्कि वैध वेश्यावृत्ति है तो किसी को भी इसके लिए विवश व लालच दिया जा सकता है। क्या ये शोषक खूबसूरत लड़कियों को वैशाली की नगरवधू बनने को विवश न करने लगेंगे। छल-बल से दबाव न बनाने लगेंगे।

यह समाज की विडम्बना ही है कि महिलाओं को शिक्षित कर, रोजगार पर लगा कर उसे आर्थिक दृष्टि से सशक्त करने के प्रयासों को कमजोर करने के लिए सेक्स उद्योग को वैधता देने का मुद्दा उठाया जाता है। यौनकर्म में महिलाएं सिर्फ देह रूप में विद्यमान होती हैं अपनी भावनाओं को कुचलने के लिए नशे व दारू को साथी बनाती है। रूपया देकर खरीदी वेश्या से वे यौन सुख नहीं, यौन हिंसा करते हैं। एक ओर महिलाओं के जीवन से सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने के लिए कानूनों में संशोधन किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस हिंसा को वैध करने की वकालत कर क्या हम अपने को ही धोखा नहीं दे रहे हैं?

वैधता से इस व्यवसाय को सम्मान नहीं दिलाया जा सकता। जो यौनकर्मी ये कहती हैं कि हमारे साथ पुनर्वास की बातें मत करो। भिखारियों को पुनर्वास करो और उनकी ऐसी आवाजों को बुलंद करने वालों से यह सवाल है कि कुछ तो वजह है कि समाज इस धंधे को स्वीकार नहीं करता। किसी और धंधे को बंद कर देने की आवाज नहीं उठती है। क्या इस धंधे में प्रवेश अथवा निकलने के रास्ते आसान हैं। यदि किसी व्यवसाय या नौकरी की शर्तें इस पर भी लागू होती हो तो फिर वैधता अथवा अवैधता का प्रश्न ही कहां उठता है। वे भी चाहती हैं कि जो भाग्य उनका था वो उनके बच्चों का न हो। वे नहीं चाहतीं कि उनकी बेटियां इस धंधे में आएं बल्कि उन्हें पढ़ाना व उनका विवाह कर देना चाहती हैं। यदि धंधा अच्छा है तो बच्चे क्यों न आएं? वकील का बेटा वकील और नेता का बेटा नेता, यही रीति यहां क्यों नहीं चाहतीं, क्योंकि कारण स्पष्ट है। जिस रट्टू तोते का पाठ पढ़ रही है वह सिर्फ जुबान पर है। दिल से तो बच्चों की बेहतर जिंदगी ही चाहती हैं। वे जानती हैं कि उनकी बच्चियां इस संघर्ष को नहीं झेल पाएंगी या उन्हें इस नारकीय त्रासदी में जीना न पड़े।

अध्याय एक में लाइसेंस शुदा वेश्या के कर्त्तव्यों व नियमित डाक्टरी जांच के बारे में जान चुके हैं? क्या जनसंख्या के इतने विस्तार के बाद क्या नियमित जांच संभव होगी?

क्या महिलाएं इसमें आना चाहती हैं या जबरन लाई जाती हैं? नैतिकता व यौनिकता और यौनकर्म का क्या संबंध है, यौनकर्मियों के प्रति हिंसा का महिलाओं

के प्रति हिंसा क्यों नहीं माना जाता है। इन प्रश्नों के जवाब ढूंढ़ने होंगे।

जब तक वेश्यावृत्ति वेश्यागृहों तक सीमित थीं तब यह माना जाता था कि यहां कोई लड़की अपनी खुशी से नहीं आती हैं बल्कि कभी धोखे से तो कभी अभावग्रस्त होकर मजबूरी में यहां पहुंचती है। दिन-रात कई ग्राहकों से संबंध बनाने के बावजूद भी कर्ज के बोझ में दबी रहती हैं पर जब से मसाज पार्लर, एस्कार्ट सर्विस व कालगर्ल के रूप उभरे और वेश्यागृहों में भी हफ्ते में दो-तीन दिनों के हिसाब से दूसरी नौकरियों में लगीं, कॉलेज गर्ल, गृहिणियां सभी घरों से उठकर आने लगीं व कौन लड़की या महिला काल गर्ल है का भेद करना मुश्किल होने लगा है तो यौनकर्म के कारणों में गरीबी अभाव, मजबूरी की स्थितियों से इतर कारण भी शामिल होने लगे हैं। महंगी सुख-सुविधाओं की चाहत ने रुपया कमाने का यह आसान रास्ता उन्हें दिखा दिया है। ऐसी स्थितियों में इस धंधे को बंद कैसे किया जा सकता है।

गोवा में बयाना रेडलाइट एरिया हटा देने से वहां वेश्यावृत्ति बंद नहीं हुई, बल्कि पूरे शहर में फैल गई। वैसे भी हर शहर में अब कोई विशेष क्षेत्र नहीं है जहां वेश्यावृत्ति होती हो। कई रेस्तरां, होटल, बार व घरों में यह धंधा चल रहा है। उस सबको कोई कैसे बंद कर सकता है। कोई सरकारी तंत्र या एन.जी.ओ. इतना प्रभावी नहीं हो सकता कि वे सब ओर निगरानी कर सकें । बड़े शहरों में कार्यालयों में काम करने वाली कई लड़कियां व महिलाएं मिल कर शहर के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में कमरे भाड़े पर लेती हैं, जहां वे धंधा करती हैं। कार्यालय के कामकाज के बीच में कभी दो घंटे की छुट्टी, कभी देर से आना या जल्दी जाने के बहानों से वे बारी-बारी से उस कमरे में जाती हैं। एक-दूसरे के मोबाइल पर सूचनाएं आदान-प्रदान करती हैं। एक-दूसरे को नए ग्राहकों से मिलाती हैं। बच्चों के स्कूल की पी.टी.ए. मीट या डॉक्टर को दिखाने के नाम पर दफ्तरों से निकलती हैं। परिवार को दफ्तर में अधिक काम का बहाना बनाती हैं। घरों से इस तरह व्यवसाय करने वाली महिलाओं का व्यवसाय कैसे बंद कराएंगे?

'जब कभी मैं किसी को दासता का पक्ष समर्थन करते देखता हूं तो मेरे मन में स्वयं उस व्यक्ति पर उसकी परीक्षा किए जाने की प्रबल प्रेरणा होती है।'

अब्राहम लिंकन (17 मार्च, 1865 का भाषण)

क्या इसे व्यवसाय का रूप समझने की दलीलें देने वाले समर्थकों पर अब्राहम लिंकन का वक्तव्य दोहराया जाए?

अध्याय - 8

अध्ययन रिपोर्ट

शहरों में रेड लाइट एरियों की उपस्थिति समाज की मौन स्वीकृति का परिचय देती है। वेश्याओं को समाज में बने रहने के कारण ही छोटी उम्र की लड़कियों का यौन शोषण का कारण बना है।

एक अर्से से समाज के हाशिए पर रह रही यौनकर्मियों के जीवन के भीतर झांकने, उनकी दुख-तकलीफों का जायजा लेने के लिए सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों द्वारा अध्ययन किए जाते रहे हैं। इन्हीं अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न सुधारात्मक प्रयास किए गए व किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वावधान में समय-समय पर अध्ययन किए गए हैं। सभी अध्ययन रिपोर्टों को इस पुस्तक में स्थान देना संभव नहीं है तथापि कुछ प्रमुख रिपोर्टों को समाहित किया जा रहा है। टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंस ने वर्ष 1991 में 'वेश्याओं और देवदासियों के बच्चों के पुनर्वास' पर अध्ययन किया। उसके अनुसार भारत के 817 रेडलाइट क्षेत्रों में लगभग 20 लाख वेश्याएं हैं और पांच मिलियन बच्चों को अपने पिता की पहचान अज्ञात है। मुंबई में ही 17,000 वेश्याएं हैं और उनके 45,000 बच्चे हैं, अवैध संतान के दंश भोगने के अलावा वे इन क्षेत्रों में पलते हैं जहां दलाल व वेश्यालय के मालिक, हफ्तावसूली के लिए पुलिस व असामाजिक तत्व होते हैं। बहुत छोटी खोली व गंदी बस्ती, तन पर कपड़े नहीं स्कूलों की कोई सुविधा नहीं, यही इनकी जिंदगी है।

कर्वे इन्स्टीच्युट ऑफ सोशल सर्विस पुणे के द्वारा 'देवदासियों व वेश्याओं के बच्चों के पुनर्वास' पर भी अध्ययन हुआ जो महाराष्ट्र के पांच नगरों पर केंद्रित था। इसी प्रकार का एक अध्ययन 'राजस्थान में वेश्याओं के बच्चे और उन पर निर्भर बच्चों पर 1996 में किया गया।

1995 में प्रेरणा एनजीओ ने मुंबई में वेश्यावृत्ति में लड़कियों पर अध्ययन किया।

अध्ययन रिपोर्ट - ट्रैफिकिंग इन वूमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रायोजित व यूनीफेम में सहयोग प्राप्त इन्स्टीच्यूट आफ सोशल साइसेंस द्वारा किया गया अध्ययन।

इस अध्ययन रिपोर्ट में ट्रैफिकिंग की प्रवृत्ति, मांग और कारक तत्वों का विस्तार से विश्लेषण किया गया। रिपोर्ट में लगभग 4000 लोगों, जिनमें यौनकर्म का शिकार महिलाओं व बच्चों, दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स), ग्राहकों, एन जी ओ, पुलिस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया कर्मी, शिक्षाविद् शामिल हैं—से बातचीत की गई।

भारत में यह पहली अध्ययन रिपोर्ट है, जिसमें शोषकों के साक्षात्कार कर समस्या की गहराई तक जाने के प्रयास किए गए। अध्ययन में 13 राज्यों को शामिल किया गया। अध्ययन से उभरकर कई चौंकाने वाले तथ्य व कई मिथक व भ्रांतियों का खंडन हुआ है।

अध्ययन में अवैध देह व्यापार के कारणों, समस्याओं, विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों, कानून की जानकारी आदि पर विस्तार से चर्चा की गई है। रिपोर्ट में निम्नलिखित पहलुओं पर कुछ प्रमुख सुझाव व सिफारिशें दी गईं।

मानवाधिकारों का महत्व - अवैध देह व्यापार व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन है। कोई भी नीति या कार्यक्रम बनाते समय पीड़िता के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सलाहकार समितियों की अधिसूचना - आई.टी.पी.ए. के धारा 13 (बी) के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों को एन.जी.ओ. की सलाहकार समितियां गठित करनी अपेक्षित हैं पर अभी-भी सभी राज्यों में इनका गठन नहीं हुआ है। भले ही ऐसी समितियों का गठन अनिवार्य नहीं है पर अध्ययन से यह उभरकर आया है कि यदि एन.जी.ओ. व सिविल सोसाइटी और सरकार मिलकर इस समस्या के समाधान में जुटते हैं तो स्थितियों में सुधार आता है।

राज्य सरकारें आई.टी.पी.ए. के तहत नियम बनाए।

एन जी ओ सरकार सहभागिता - सहकारी योजनाएं एन.जी.ओ. के माध्यम से ही आधार-स्तर पर पहुंच सकती है। अंतर्राज्यीय स्तर पर पीड़ितों को उनके राज्यों में भेजने की प्रक्रिया एन.जीओ. के माध्यम से अधिक प्रभावकारी ढंग से संभव हो सकती है।

कारपोरेट जिम्मेदार - कारपोरेट जगत यदि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में आगे आते हैं तो एन.जी.ओ. के माध्यम से स्थितियों में सुधार आ सकता है।

विकास का अधिकार मानवाधिकार है - अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि पीड़ित व्यक्ति, समाज के कमजोर तबकों, समुदायों व एन जी ओ को सरकार की उन योजनाओं की जानकारी ही नहीं है जिनसे उन्हें लाभ मिल सकता है। यदि उन्हें विकास के अधिकार की जानकारी हो जाती है तो उन्हें दुर्व्यापारियों के झांसे में आने की नौबत नही आएगी। ऐसी योजनाओं की जानकारी उनके मानवाधिकार के रूप में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

सीमापार से सहयोग - दुर्व्यापारियों व शोषकों के लिए देशों की सीमाएं मायने नहीं रखती हैं। परंतु हर राष्ट्र की अपनी क्षेत्राधिकार सीमाएं हैं। सार्क देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अवैध देह व्यापार रोकने के लिए कार्य दल गठित किए हैं। पड़ोसी देशों के साथ सहमति ज्ञापन व दोनों देशों में काम कर रही एन जी ओ के उचित समन्वय से स्थितियां सुधर सकती हैं। विभिन्न देशों में दुर्व्यापार रोकने के उपायों को दूसरे देशों में भी उन मॉडलों को अपनाया जा सकता है। ट्रैफिर्कस व गुमशुदा व्यक्तियों का डेटा बेस एक दूसरे देशों में आदान-प्रदान करने, कानूनी कार्रवाई के दौरान पीड़ित साक्ष्य को उचित सुरक्षा प्रदान करने जैसे उपायों को कार्यान्वित किया जा सकता है।

वेब पोर्टल - राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा गुमशुदा व्यक्तियों, अनैतिक देह व्यापारियों (दुर्व्यापारियों) के बारे में सतर्क रहने संबंधी आंकड़े/जानकारी देने वाले वेब पोर्टल की शुरुआत की जा सकती है।

स्रोत/पारागमन/ व लक्ष्य/क्षेत्रों की जानकारी - अध्ययन में दुर्व्यापार रोकने के उपायों के रूप में ट्रैफिकिंग के स्रोत-गंतव्य व लक्ष्य क्षेत्रों को सामने लाने का प्रयास किया गया। कुछ राज्यों के कुछ जिले मांग के स्रोत, कुछ गंतव्य व कुछ लक्ष्य क्षेत्रों के रूप में स्पष्ट हुए हैं। उन्हें पहचान कर पंचायती राज संस्थाओं, एन.जी.ओ. के माध्यम से जागरूकता लाई जा सकती है। इसके साथ ही महिलाओं व बच्चों का आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण करने से समस्या की रोकथाम की जा सकती है। विभिन्न सरकारी नीतियां व कार्यक्रमों में महिलाओं व बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। इस दिशा में पंचायतीराज संस्थाएं और स्वयं सहायता समूह प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं।

जन जागृति अभियान - महिला व बच्चों के मानवाधिकारों को प्रचारित करना आज के समय की अनिवार्य मांग है। अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ है कि परिवार, समुदाय, धार्मिक संस्थाओं, राजनीतिक पार्टियों और यहां तक कि एन जी ओ स्तर पर महिला अधिकारों के प्रति 'मौन' दिखता है। अतः जागरूकता ही बचाव है। महिलाओं के साथ-साथ किशोरियों विशेषकर स्कूल व कॉलेज की लड़कियों को उनके अधिकारों व यौन शिक्षा की जानकारी जरूरी है।

परिवार की भूमिका - अध्ययन रिपोर्ट में परिवार की भूमिका को रेखांकित किया है। गरीबी के कारण आजीविका के साधनों की कमी, पारंपरिक व्यवस्था अथवा व्यावसायिक लाभों के कारण परिवार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवैध देह व्यापार के प्रलोभनों का शिकार हो जाता है।

समाज की भूमिका - रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हो पाया है कि यदि समाज अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है तो समस्या की रोकथाम संभव है। यह समस्या केवल कानून से हल होने वाली नहीं है। आजीविका के साधनों की कमी, लिंग भेद, अवसरों का न मिल पाना जैसी स्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है और यदि गरीबी, निरक्षरता को दूर किया जाए व अधिकारों के प्रति जागरूक बनाए जाने के साथ सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर दिए जाते हैं तो स्थितियों में बदलाव आ सकता है। इन पहलुओं पर विचार किया जाना जरूरी है। समाज के मौनधारण की स्थिति को समाज की सहबद्धता में बदलना होगा।

सेक्स पर्यटन, धार्मिक वेश्यावृत्ति, सीमापार से अवैध देह व्यापार आदि रोकने के लिए मीडिया को जन-जागृति लाने की अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

छुड़ाई गई महिलाओं के पुनर्वास व छुड़ाए जाने की प्रक्रिया में एन.जी.ओ., पुलिस अधिकारियों व विधिक प्रतिनिधियों की भूमिका, छुड़ाई गई लड़कियों को उपलब्ध कराई जाने वाली चिकित्सा सहायता, भावनात्मक सहयोग, सुधार गृहों में उपलब्ध सुविधाएं, उनकी कमी व पुनर्वास सुविधाओं में ध्यान में रखी जाने वाली बातों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया है।

न्यायपालिका द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग और 'इन-कैमरा' मुकदमा चलाने की जो शुरुआत दिल्ली हाई कोर्ट में हुई वे अन्य राज्यों की कोर्टों में भी यदि अपनाई जाती है तो एक स्थान से छुड़ाई गई व दूसरे शहरों में पुनर्वासित की गई लड़कियों के मुकदमे में काफी मदद गार होगा।

मुकदमे की पैरवी के दौरान पीड़ित व्यक्ति के लिए दुभाषिये की व्यवस्था एन.जी.ओ. के माध्यम से की जाए और राज्य सरकारें जिला प्रशासनिक स्तर पर दुभाषियों की सूची उपलब्ध रखें।

बंगलादेश से लाई लड़कियों पर मुकदमे विदेशी अधिनियम के तहत सुनवाई किया जाना उचित नहीं है क्योंकि वे अवैध रूप से इमीग्रेशन का मामला नहीं बनता है। अध्ययन रिपोर्ट में निम्नलिखित पर भी बल दिया गया।

- जिला स्तर पर ग्राम स्तर पर अनुप्रवर्तन समितियों के गठन की आवश्यकता पर बल दिया।
- किशोर न्याय (जे.जे.) अधिनियम के तहत विशेष पुलिस अधिकारी व

आई.टी.पी.ए. के तहत विशेष पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किए जाने व उनके समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ ही आई.टी.पी.ए. के तहत विशेष अदालतों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई।

- महिला व बाल विकास विभाग को आई.टी.पी.ए. के कार्यान्वयन के अनुप्रवर्तन से जोड़ा जाना चाहिए।
- आई.टी.पी.ए. के तहत विभिन्न शब्दों जैसे दुर्व्यापार, वेश्यागृह, बच्चों को पुनर्परिभाषित करने व कुछ धाराओं में परिवर्तन के सुझाव दिए गए। उदाहरण के तौर पर ग्राहकों को जुर्माना करने पर अब दबाव बनाने की जरूरत है क्योंकि यह महसूस किया गया कि बिना ग्राहक को दंडित किए मांग पक्ष को कम करना संभव नहीं है।
- बाल-पीड़िता की स्थिति में दंड जहां सात वर्ष है वहीं दूसरों के लिए तीन माह व कोई अर्थ दंड नहीं है। ग्राहकों पर अनिवार्य अर्थ दंड लगाना जरूरी है और वह राशि पीड़िता को दी जानी चाहिए। इसके साथ ही कम उम्र के लड़के भी ग्राहक हैं। ऐसे व्यक्तियों को दंडित करने के स्थान पर परामर्श की अधिक आवश्यकता की सिफारिश की गई।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार में आ रही प्रक्रियाओं को ध्यान में रख कर पीड़िता की सहायता कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिएं, उन्हें अस्थाई आवासीय परमिट दिया जा सकता है।
- पीड़िता की पहचान, प्रचार व फोटोग्राफ आदि पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सभी मामले बलात्कार के मामलों की सुनवाई की तरह बंद कमरे में होने चाहिए ताकि पीड़िता के अधिकारों की रक्षा हो सके।
- पुनर्वासित पीड़िता को बाद में दुबारा मुकदमें की सुनवाई के लिए न बुलाया जाए इसके लिए उसके बयान 'वीडियो कान्फ्रेंसिंग' के माध्यम से रिकार्ड करना अनिवार्य कर दिया जाए।
- बलात्कार की पीड़िता की भांति इन्हें भी विधिक प्रतिनिधि की सुविधाएं मुकदमे की सुनवाई की शुरुआत से ही दी जाए।
- जिस प्रकार पुलिस के लिए व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद जांच के लिए एक अवधि निर्धारित है उसी प्रकार केस की सुनवाई के लिए भी निश्चित अवधि तय की जानी चाहिए।
- पुनर्वास प्रक्रिया में एन.जी.ओ. और सामाजिक कायकर्ताओं को सांविधिक

रूप से जोड़ने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

- आई.टी.पी.ए. के तहत रोकथाम के लिए व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें सरकारी व गैर सरकारी एजेंसियों की भूमिका व रोकथाम प्रक्रिया को समझाया जाना चाहिए। रोकथाम स्रोत-अपराधी दृष्टिकोण है जिसे मानवाधिकार पहलू के रूप में व्यक्त होना चाहिए ताकि रोकथाम संभव हो सके।
- अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि बच्चों को भीख मांगने के लिए उनके अंग भंग कर दिए जाते हैं। मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़कियां उनकी आसानी से शिकार हो जाती हैं। कानून में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि अपराधी को सख्त सजा दी जाए।
- सरकार को पर्यटन, होटल व इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय व साइबर सेक्स रोकने के लिए समुचित मार्गनिर्देश जारी करने चाहिए। महिला व बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए समुदाय को जोड़ने पर बल दिया जाना चाहिए।

निसंदेह इस अध्ययन रिपोर्ट में भारत में महिला व बच्चों के अवैध देह व्यापार पर एक गहन चिंतन किया गया है। रिपोर्ट के दूसरे भाग जिसमें विभिन्न राज्यों के यौन कर्मियों, वेश्यागृह के मालिकों व दुर्व्यापारियों के साक्षात्कार उपलब्ध हैं, से अवैध देह व्यापार का विस्तृत परिदृश्य पारदर्शी ढंग से समाज के सामने आया है। शोषक पीड़िता को सिर्फ 'वस्तु' रूप में ही समझता है और उसके प्रति कहीं कोई सहानुभूति नहीं है।

यह अध्ययन रिपोर्ट न्यायपालिका व इससे जुड़े लोगों के लिए दिशा बोध तो प्रस्तुत करती ही है, आम जन समुदाय यदि वाकई जन जागृति लाने की भावना रखता है तो उस तक भी यह रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए तभी समाज के लिए, समाज के द्वारा इस बुराई के उन्मूलन की दिशा में सार्थक प्रयास हो सकते हैं।

यौनकर्म में महिला व बच्चों पर समाजजन्य हिंसा

वर्ष 1995-96 में प्रकाशित

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कराया गया अध्ययन

इस रिपोर्ट में वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं के लिए आजकल प्रयुक्त होने वाले शब्दों के प्रयोग की जानकारी, वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं की हालत, विशेष परिस्थितियां जिनके कारण व यौन कर्म में लगाई जाती है, उनकी समस्याएं, उनके रोग, बच्चों की देखभाल और स्कूली शिक्षा, उन्हें नागरिक अधिकार और सुख-

सुविधाएं, उनके पुनर्वास, उनके बारे में समाज की राय व इन सब मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया व आयोग की सिफारिशें दी गई हैं।

व्यावसायिक यौनकर्मी (व्यावसायिक सेक्स वर्कर) इस शब्द को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सर्वत्र स्वीकार किया गया है।

इसे एच.आई.वी./एड्स महामारी के पश्चात् इस उद्देश्य से रचा गया ताकि इस समूह की निंदा न हो और निरोधक दखलअंदाजी में सुविधा हो सके।

इस शब्द की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि यदि यौनकर्मी व्यावसायिक है क्योंकि वे रतिक्रिया के द्वारा पैसा कमाते हैं तो सभी पेशेवरों के पहले यह उपसर्ग लगना चाहिए।

वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाएं -

यह शब्द भारतीय वास्तविकताओं और परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं। आयोग का मानना है कि उक्त शब्द के द्वारा हम अपनी कार्रवाई का लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हमारे द्वारा उठाए जाने वाले कदम वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं के विरोध में नहीं, अपितु वेश्यावृत्ति करवाने वालों के उन संगठनों के विरोध में होने चाहिए जिनमें पूंजीपति दलाल, अपहरणकर्ता, मैनेजर तथा स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति सम्मिलित हैं।

इसके अलावा यौनकर्मी (सेक्स वर्कर) शब्द का प्रयोग यौन कार्य में लगी महिलाएं, वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाएं और यौनकर्मी शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं।

कुछ शब्दों पर पुनर्विचार करने के लिए भी सुझाव दिया गया है।

1. देह व्यापार (ट्रैफिकिंग) इस शब्द से ऐसा आभास होता है जैसे महिला कोई वस्तु हो और बलात्कार जैसे शब्द प्रयोग होने चाहिए। रिपोर्ट में यौन रूप में,महिलाएं झेलती हैं पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब महिलाओं के अधिकारों व स्थिति का जिक्र होता है तो इनका उल्लेख तक नहीं किया जाता।

यौनकर्मियों को भले ही इनकी आर्थिक स्थितियां अच्छी नहीं है पर इनके माध्यम से धन कमाने वालों की स्थितियां लाभप्रद है। विभिन्न न्यायायिक अदालतों के द्वारा इन महिलाओं से सालाना जुर्माने के रूप में तीन करोड़ रुपए, कानूनी पेशे से जुड़े लोग 9 करोड़ रुपए, गैर-सरकारी तौर पर हफ्ते के रूप में वसूली रकम सालाना 15 करोड़ रुपए, चिकित्सा से जुड़े व्यवसायी 20 करोड़ रुपए और औषधि निर्माणकारी उद्योग 80 करोड़ रुपए, विभिन्न प्रकार के इनके कर्जों पर 15 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में यानि लगभग 200 करोड़ रुपए कमा लिए जाते हैं। इनमें वह

राशि शामिल नहीं है जो इनका अवैध व्यापारी कमाता है क्योंकि वह दृश्य से अदृश्य ही रहता है।

यौन-कार्य/वेश्यावृत्ति में वृद्ध महिलाओं की स्थितियां काफी बदतर हैं। आयोग इन्हें विभिन्न योजनाओं में शामिल कर प्राथमिकता दिए जाने की सिफारिश करता है।

आयोग की सिफारिशें उनके लिए स्वास्थ्य सतर्कता सेवाएं, मानवीय एवं नागरिक अधिकार सुरक्षा, मीडिया प्रतिक्रिया, कानून व कानून प्रवर्तन, निवारण (रोकथाम) वैकल्पिक आय, जीवन शैली या पुनर्वास के लिए योजनाएं, कोठे की महिलाओं में सामूहिकीकरण और स्वतः सहायता की भावना, अपहरण, बंदीकरण, सेक्स की कुप्रथा और अप्रौढ़ व प्रौढ़ महिलाओं के बलात्कार पर नियंत्रण आदि पर केंद्रित थी।

आयोग ने आई.टी.पी.ए. की विभिन्न धाराओं में संशोधन, बलात्कार संबंधी नियमों में संशोधन, स्वास्थ्य संबंधी कानून में सुधार व महिला अदालतों में इने मामलों की सुनवाई की सिफारिशें भी कीं।

कानूनी प्रवर्तन में भी विभिन्न सुधारों की सिफारिश की जिसमें किसी भी महिला पर झूठे आरोप न लगाने, उनके संबंधियों को तंग व गिरफ्तार न करने, उनके अवयस्क व किशोर बच्चों को तंग न करने, कैद में महिला के साथ उसके छोटे बच्चों को भी साथ रखने की अनुमति, महिलाओं को वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने का अवसर, मुफ्त कानूनी सहायता आदि सिफारिशें शामिल हैं।

न्यायपालिका को महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने, उनके समूहों का पंजीकरण करने में लचीलापन, विभिन्न सरकारी योजनाओं के अनुदान इनके सामूहिक संगठनों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं।

रिपोर्ट में वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं के प्रति मुख्य धारा के लोगों की उनके प्रति सम्मानपूर्वक दृष्टिकोण का भी उल्लेख करते हुए श्री रामकृष्ण परमहंस जिन्हें उनमें भी मां का ही स्वरूप दिखा, ईसा मसीहा का मैरी मैण्डलीन पर पत्थर मारने वाली भीड़ को यह कहना कि 'पहला पत्थर वह व्यक्ति मारे जिसने कभी पाप न किया हो', महात्मा बुद्ध की शिष्या आम्रपाली व चाणक्य के अर्थशास्त्र में इनके अधिकार सुनिश्चित और सुरक्षित रखने के उदाहरणों को उद्धृत किया है।

आंध्र प्रदेश की व्यावसायिक यौनकर्मी

वर्ष 1997 राष्ट्रीय महिला आयोग ने आंध्र प्रदेश की व्यावसायिक यौनकर्मियों की स्थिति पर यह अध्ययन किया। यौनकर्म में प्रवेश के कारणों में परिवार से बेघर,

आसान रास्ता, परिवार से प्राप्त दुर्व्यवहार, अनाथ, गरीबी, पति द्वारा परित्यक्ता, असुरक्षा और देवदासी परंपरा के कारणों को प्रमुखतः रखा जा सकता है।

देवदासी, मातंगी, जोगिन, कलवंथुलु, बोगम वल्लु, बासवी आदि इनके स्थानीय नाम हैं। आर्थिक कारणों से परिवारों द्वारा मंदिरों को भेंट चढ़ाने की स्थितियां हर क्षेत्र में विद्यमान हैं।

रिपोर्ट में यह सिफारिशें की गईं कि शिक्षा का स्तर बढ़ाना आवश्यक है।

धर्म के नाम पर फैले इस अंधविश्वास को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र में स्कूल खोले जाएं। मीडिया भी जागरूकता में अपनी सशक्त भूमिका निभाए।

-कौशल कार्यक्रम, रोजगार सृजन, आर्थिक स्थितियों में सुधार के उपाय किए जाएं।

- चिकित्सा सहायता केंद्रों की स्थापना हो जहां जागरूकता के साथ-साथ कंडोम वितरण हो।

- यौन रोगों व एच.आई.वी./ एड्स की निरंतर जानकारी दी जाए।

- स्वास्थ्य शिक्षा कैम्प व चिकित्सा शिविर नियमित रूप से लगाए जाएं।

- महिलाओं के प्रति हिंसा पर शीघ्र ध्यान दिया जाए।

उदाहरण के तौर पर सबीता एन.जी.ओ. ने कलवंतुलु उपनाम को बदल कर सूर्या करवा दिया है। यह संगठन उनके विवाह कराने के प्रयास भी करती है।

- यौन व्यवसाय में लगी महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आजीविका के विकल्प उपलब्ध करवाए जाएं।

- उन्हें किसी विशिष्ट क्षेत्रों में अंतरित कर दिया जाए ताकि नियमित चिकित्सा सुविधाएं पा सकें।

- लड़कियों व महिलाओं को देह-व्यापार में लगाने वालों को दंडित किया जाए।

- महिलाओं की शिक्षा व आर्थिक स्वतंत्रता से ही समाज में परिवर्तन आएगा।

- पुलिस व एन.जी.ओ. मिलकर कार्य करें क्योंकि अपराधियों द्वारा नियंत्रित यह एक संगठित व्यवसाय बन चुका है इसलिए सामाजिक जन चेतना, कानूनी जानकारी व आर्थिक सहयोग का तालमेल जरूरी है।

तटीय सेक्स पर्यटन व महिलाओं पर अध्ययन

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मार्च 2002 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 1991 में फ्रेडी पीट्स के द्वारा बच्चों के यौन शोषण का पहला मामला प्रकाश में

आया था। बच्चों को यौन गतिविधियों में लगाने, ड्रग्स व पोर्नोग्राफी सामग्री के लिए उस पर कानूनी कार्रवाई की गई थी।

उक्त रिपोर्ट में तमिलनाडु में महाबलिपुरम, आंध्रप्रदेश में हैदराबाद, पश्चिम बंगाल में दीघा, उड़ीसा में पुरी और गोवा में पर्यटन उद्योग के साथ बढ़ते सेक्स पर्यटन के कारणों को प्रकाश में लाया गया।

सेक्स पर्यटन में बच्चों जिनमें लड़के-लड़कियां दोनों शामिल हैं का शोषण किया जाता है। गरीब परिवारों, अधिकतर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले, जिन पर ऋण का बोझ है, अनाथ, अशिक्षित परिवार, जिनमें परिवार के सदस्यों की संख्या काफी अधिक होती है, सुविधाओं का अभाव होता है, शिक्षा के अभाव के कारण जोखिम के खतरों को जान नहीं पाते, घरों से शहरों में भाग कर आए बच्चे होते हैं।

इन बच्चों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में अवैध देह व्यापार का शिकार बच्चे हैं, जिनका व्यावसायिक व यौन-शोषण किया जा रहा है। दूसरे वर्ग में वे बच्चे हैं जिनका व्यावसायिक व यौन शोषण किया जा रहा है, तीसरे वर्ग में वे बच्चे हैं जो ऐसी जगहों में काम कर रहे हैं जहां यौन शोषण किया जाता है।

इन पर्यटन स्थानों पर आनेवाले ग्राहकों को वे 'भगवान' मानते हैं जो उन पर निर्भर करते हैं और उन्हें रुपए देने के बदले सब सुविधाएं जिसमें यौन संसर्ग भी शामिल है, देना चाहते हैं।

इन स्थानों पर फैल रही वेश्यावृत्ति से यह भी स्पष्ट होने लगा है कि मात्र गरीबी ही नहीं बल्कि भौतिक सुख-सुविधाओं, मनोरंजन व आरामदेह स्थितियों की तलाश के लिए नैतिक मूल्यों की अहमियत घट गई है।

पर्यटक दिनभर उन्हें अपने साथ खिलाते-पिलाते, उपहार देते हैं। दूसरो शहरों में घुमाते भी हैं। यौन संसर्ग के साथ शोषण के कई हथकंडे अपनाते हैं।

पर्यटकों से मिलने वाले फायदे की सूची में टीवी, स्कूटर, फ्रिज घर की रिपेयर तक के खर्च शामिल हैं। इन सुखों के बदले यदि बच्चे यौन-रोगों से प्रभावित हो रहे हैं इसका उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा।

महिला आयोग की राय में सेक्स पर्यटन एक संगठित अपराध नेटवर्क का हिस्सा है जो विदेशी पर्यटकों को बच्चे उपलब्ध करवा रहे हैं।

इन पर्यटन स्थानों पर, लड़के-लड़कियां व समलिंगी सेक्स गतिविधियां सभी जारी हैं। बहुत से प्राकृतिक सौंदर्यों से भरपूर हमारे देश के पर्यटन केंद्र सेक्स पर्यटन स्थल (सेक्स टूरिस्ट स्पॉट) बन रहे हैं।

बीयर बार, मसाज पार्लर, ब्यूटी पार्लर, रोजगार भर्ती एजेंसियां अब पर्यटन केंद्रों का हिस्सा बन रहे हैं।

व्यावसायिक यौनकर्म के सामाजिक, आर्थिक कारण ही सेक्स पर्यटन के कारण हैं। ग्राहकों के प्रकार में यहां विदेशी पर्यटक शामिल हो गए हैं शेष ग्राहकों के प्रकार वही हैं। पुरुष घर से बाहर काम के सिलसिले में निकले या पर्यटन या फिर तीर्थयात्रा के सिलसिले में यौनकर्मी हर जगह उसे उपलब्ध है।

रिपोर्ट की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिशें भी की गई जो न केवल सेक्स पर्यटन करने बल्कि किसी भी प्रकार के यौन शोषण को रोकने के लिए जरूरी है।

फ्रेडी पीट्स से 235 फोटोग्राफ बरामद किए गए। फोटो के अलावा ड्रग्स, सिरिंज, कई पासपोर्ट व पासबुक भी बरामद की गईं। 17 सालों से ये पोर्नोग्राफी फोटो खींचे जा रहे थे। गोवा के टूटे परिवारों के वंचित बच्चे पीट्स के कब्जे में थे।

द वेल्वेट ब्लाऊज

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित—राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा संचालित इस अध्ययन रिपोर्ट में बाल वेश्यावृत्ति की स्थिति का आकलन किया गया है। रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ है कि लड़कियां अपनी इच्छा से इस व्यवसाय में प्रवेश नहीं करती हैं, बल्कि स्थितियां उसे मजबूर करती हैं। हर दिन लगभग 200 लड़कियां देश के किसी न किसी कोने में इस व्यवसाय में लगा दी जाती हैं। हर वर्ष इसमें 75,000 नई लड़कियां प्रवेश कर जाती हैं। उनमें से 80% दबाव में प्रवेश करती हैं। वेश्यावृत्ति के कारणों में गरीबी, खेती के कम उत्पादन, कौशलों का अभाव, छोटे भू जोत या जमीन का न होना, रोजगार के वैकल्पिक साधनों का अभाव, सूखा व बाढ़ की स्थितियां, दक्षिण भारत में जोगिनी, देवदासी और बासवी रीति, बेड़िया, राजनट, कंजर, कोल्टा, बान्छरा, महार, मतंग और सांसी जातियों का पारिवारिक धंधा, औद्योगीकरण के कारण बढ़ने वाली विस्थापितों की संख्या व पर्यटन में वृद्धि, एड्स महामारी के कारण फैला यह मिथ कि कुंवारी लड़की से संभोग से यौन रोग ठीक होते हैं और एड्स नहीं होती है आदि ने बाल-वेश्याओं की मांग को बढ़ाया है। देश के हर राज्य में कहीं जाति के नाम पर (राजस्थान, मध्य प्रदेश, उ.प्र., बिहार) कहीं धर्म के नाम पर (कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, उड़ीसा, तमिलनाडु), कहीं पर्यटन के नाम पर (गोवा), कहीं बदलते सामाजिक नैतिक मूल्यों (पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, दिल्ली), कहीं पड़ोसी देशों से आने वाली (पश्चिम बंगाल) लड़कियों के कारण हर राज्य की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं।

वेश्यागृहों से छुड़ाई गई लड़कियों की उम्र रातों-रात बढ़ा कर उन्हें वयस्क बनाकर फिर छुड़ा लिया जाता है। उन्हें वापिस छोड़ने के लिए पुलिस के रेट तय है, जो पचास हजार से लाखों रुपए तक पहुंचते हैं। फिर हर सप्ताह हफ्ता वसूली तो है रिपोर्ट में यह जानकारी भी दी गई है कि वेश्यावृत्ति के माध्यम से हर वर्ष 75,000 लाख तक जुर्माने के रूप में उगाहे, वकीलों को भुगतान किए गए रु. 3 करोड़ और हर सप्ताह हफ्ता वसूली के रूप में सलाना रु. 6 करोड़ की उगाही का विश्लेषण भी किया गया है।

रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार थीं।

- मेडिकल रिपोर्ट की औपचारिकता पूरी किए बिना शीघ्र एफ.आई.आर. दर्ज की जाए।
- केवल मेडिकल जांच को ही एकमात्र मानदंड न बनाया जाए।
- मनोवैज्ञानिकों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में बच्चे से पूछताछ की जाए।
- कानून प्रवर्तन व्यवस्था में महिला अधिकारियों को शामिल किया जाए।
- पब्लिक प्रास्क्यिूटर हमेशा उस क्षेत्र में काम कर रही व प्रतिबद्ध एन.जी.ओ. का सहयोग ले।

जिम्मेदार पुलिस - व्यवस्था

- पुलिस की जिम्मेदारी तय हो। सभी जांच तीस दिन के भीतर पूरी होकर केस फाइल हो, ऐसा न होने पर एन.जी.ओ. को अधिकार हो कि वे सीधे कोर्ट से संपर्क कर पाए।
- पुलिस को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल कर काम करना चाहिए, ताकि देह व्यापार के लक्ष्य गन्तव्य व स्रोत रूटों की पहचान हो सके।
- पुलिस व एन.जी.ओ.के बीच सुदृढ़ डाटा आधार विकसित किया जाए ताकि गिरोहों के नेटवर्क को तोड़ा जा सके।
- सरकार को पुलिस, दलाल व वेश्यागृहों के मालिकों की सांठ-गांठ कम करने व भ्रष्टाचार रोकने के प्रभावी उपाय करने चाहिए।
- नारकोटिक नियंत्रण ब्यूरो की तरह आई.टी.पी.ए. अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी बनाई जाए।

स्वास्थ्य व्यवस्था

- बिना सहमति के वेश्यावृत्ति या देह व्यापार में किसी व्यक्ति की एड्स के लिए जांच नहीं की जाए।
- यौन कर्मियों को निशुल्क, प्राथमिक और प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की वैधानिक व्यवस्था हो।
- उन्हें स्वास्थ्य बीमा कार्ड दिए जाएं।
- एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम के लिए जागरूकता व निःशुल्क कंडोम वितरित किए जाएं।
- संबंधित एन.जी.ओ. के द्वारा उनके बच्चों तथा उन पर निर्भर बच्चों को भी एच.आई.वी./ एड्स का इलाज उपलब्ध करवाया जाए।
- एड्स व यौन-रोगों के बचाव के लिए स्वास्थ्य पॉलिसी तैयार की जाए।
- स्वास्थ्य, शिक्षा व कानूनी जागरुकता नियमित रूप से दी जाए, स्कूलों में यौन शिक्षा बच्चों, महिलाओं व लड़कियों के मानवाधिकार, बच्चों के साथ यौन संबंधों के अपराध आदि की जानकारी के अलावा, सरकार को विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से विकासात्मक गतिविधियों के लिए मदद लेने के लिए यह वचन लेना चाहिए कि वे अपने बच्चों को वेश्यावृत्ति अथवा बंधक श्रमिक नहीं बनाएंगे। बच्चों को औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा दी जाए।

अध्ययन रिपोर्ट

'वेश्यावृत्ति - भारत के मेट्रोपोलिन नगरों में

- केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कराया गया अध्ययन

- वर्ष 1993 रिपोर्ट प्रकाशन वर्ष 1996

यह अध्ययन छः नगरों बंगलौर, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद और मद्रास में किया गया जिसका उद्देश्य निम्नलिखित था।

1. वेश्यावृत्ति बहुल क्षेत्रों की पहचान करना।
2. वेश्यावृत्ति की प्रकृति, पैटर्न और प्रवृत्ति की पहचान करना।
3. वेश्याओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि और जीवनशैली की जांच करना।
4. उन कारणों व स्थितियों की जांच करना, जिनके कारण कोई स्त्री वेश्यावृत्ति में आती है और यहीं बनी रहती है।
5. वेश्याओं के जीवन व उनके सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को जानना।

6. वेश्याओं के जीवन पर उनके परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना।
7. उनके व्यवसाय, उसमें बने रहने और वेश्यावृत्ति को स्वीकार करने की स्थितियों को समझना।
8. उनकी समस्याओं को समझना और उनके बच्चों की भविष्य योजनाओं को समझना।
9. उनके पुनर्वास के संबंध में उनकी समस्याओं व जरूरतों को समझना।

इस अध्ययन की जिम्मेदारी एन.जी.ओ. ग्राम नियोजन केंद्र गाजियाबाद (दिल्ली के लिए) इन्स्टीच्युट आफ सोशल अफेयर्स, मद्रास (मद्रास हेतु), प्रेरणा मुंबई (मुंबई हेतु) सोसायटी फार अवेयरनेस थ्रू लर्निंग एंड ट्रेनिंग, हैदराबाद (हैदराबाद हेतु) डेवलपमेंट डायलाग कलकत्ता (कलकत्ता हेतु), विमोचना, अथिनी (बंगलौर हेतु) को दी गई थी।

अध्ययन में कुल तीन हजार वेश्याओं, जिसमें प्रत्येक नगर में 100 स्ट्रीट वॉकर और 400 वेश्याओं को शामिल किया गया। रिपोर्ट से उभर कर आए प्रमुख कारक इस प्रकार हैं।

1. पिछले चार दशकों के दौरान जहां विस्थापन, पर्यटन व औद्योगीकरण के कारण दिल्ली की जनसंख्या में चार गुना वृद्धि हुई वहां वेश्याओं की संख्या 16-17 गुना बढ़ी।
2. शहरी विकास के साथ-साथ इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि समस्या की भयावहता दर्शाती है जिसे नियंत्रित करना जरूरी है।

वेश्याओं के प्रकार जो उभरकर सामने आए

स्ट्रीट वॉकर, धार्मिक वेश्याएं-केज वेश्यागृह की वेश्याएं- नाचने-गाने वाली लड़कियां - बार में काम करने वाली - थियेटर व सिनेमा गर्ल- मसाज पार्लर/ हेल्थ सेंटर परिचायिका- स्वतंत्र रूप से काम करने वाली - कॉल गर्ल (10)

स्ट्रीट वाकर - स्वतंत्र या दलालों के माध्यम से काम करती हैं। सामान्यतः वेश्यागृहों, होटलों, सिनेमाहालों से जुड़ी होती हैं। पुलिस व ग्राहक दोनों से इन्हें खतरा होता है। रुपए 5 से 500 तक की आय इनकी हो सकती है।

धार्मिक वेश्याएं- जोगिनी या देवदासी पुजारी या परिवार मुखिया के आदेश से ग्राहकों का मनोरंजन करती हैं। पुरुष देवता है, उससे रुपए मांगने का अधिकार नहीं। कभी एक पुरुष के साथ तो कभी कइयों से इनका शोषण होता रहता है।

केज वेश्यागृह वेश्याएं- इस प्रकार की वेश्याएं केवल मुंबई में होती हैं। अधिकांशत अवयस्क लड़कियों को इस वर्ग में रखा जा सकता है जिनकी कमाई पर

केवल वेश्यागृह के मालिक का हक होता है।

वेश्यागृह वेश्याएं- इनकी कमाई में वेश्यागृह के मालिक, दलाल आदि भागीदार होते हैं। वेश्यागृह का मालिक इनकी कमाई का हिसाब-किताब रखते हैं और महीने के बाद इन्हें हर रोज के ग्राहकों के हिसाब से अपने खर्चे व स्थान का किराया-भाड़ा काटकर इनका हिस्सा देते हैं।

नाचने व गाने वाली लड़कियां- नाचने-गाने के बाद इन्हें यौन संसर्ग करने पड़ते हैं। केवल वेश्यावृत्ति पर निर्भर नहीं होतीं और न ही नियमित रूप से वेश्यावृत्ति करती हैं।

बारगर्ल- बार में पहले अश्लील नाच-गाना व उसके बाद ग्राहकों को खुश करना इनके काम का हिस्सा होता है।

थियेटर व सिनेमा गर्ल- ये पुरुषों के साथ सिनेमा व थियेटर व होटलों में जाती हैं। जरूरी नहीं होता है कि यौन संसर्ग करें।

मसाज पार्लर व हेल्थ सेंटर परिचायिका- ये लुके-छिपे ढंग से काम करने वाली वेश्याओं का रूप है। मसाज व चेकअप व व्यायाम आदि करवाने के बाद यौन संसर्ग करती हैं। अमीर तबका इनका ग्राहक होता है।

स्वतंत्र रूप से काम करने वाली- ये अपनी पूरक आय के लिए वेश्यावृत्ति करती हैं सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करतीं।

काल गर्ल - वेश्यावृत्ति में सबसे अधिक कमाने वाला वर्ग यही है, जो ऊंची सोसायटी व अमीर पुरुषों के साथ घूमता-फिरता है। बड़े होटलों में स्वतंत्र रूप से या दलालों के माध्यम से ये काम करती हैं।

वेश्यावृत्ति बहुल इलाके	**दूसरे क्षेत्र**
1. बंगलौर शहर - कोई रेड लाइट एरिया नहीं	होटल मेजस्टिक क्षेत्र, शिवाजी नगर, चिकपेट व बाली पेट, पीनया, ब्रिग्रेड रोड, कैमे एरिया, न्यू बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन
2. मुंबई- कमाठीपुरा, फाकलैंड रोड, प्ले हाऊस भांडुप,	लेम्गिटन रोड, कोलाबा, बोरीवली, वडाला घाटकोपर, मालाड, गोरेगांव, किंग सर्कल, गिरगांव, कुर्ला, ताड़देव, गोवंडी, वरली, कल्याण, शिवडी, फारेस रोड
3. कलकत्ता-सोनागी,	होटल, पार्क, शहर भर में खुले इलाके खिदीरपुर, टालीगंज बाऊ बाजार, रामबाग,
4. दिल्ली - जी बी रोड	शहर के विभिन्न हिस्से
5. हैदराबाद	शहर के विभिन्न हिस्से
6. मद्रास	लॉज, किराए के मकान, ग्राहक घर, ओपन ग्राऊंड

रेड लाइट एरिया की मुख्य विशेषताएं

-यह शहर के ऐसे हिस्से में होते हैं, जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।

- ये क्षेत्र विभिन्न व्यावसायिक केंद्रों से घिरा रहता है, जहां दिनभर हजारों लोगों का आना-जाना होता है।

- व्यापार, नौकरी के सिलसिले में शहर में दूसरे स्थानों से आने-जाने वाले लोग अधिक होते हैं।

- विस्थापित पुरुष जो बिना परिवारों के रह रहे होते हैं, की संख्या अधिक होती है।

इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वेश्यागृहों के माध्यम से वेश्यावृत्ति चलती है।

वेश्याओं की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र

आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु अधिक संख्या में आपूर्ति करने वाले राज्य माने जाते हैं और अपेक्षाकृत सामान्य आपूर्ति वाले क्षेत्रों में बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान आते हैं।

वेश्यावृत्ति में अधिक संख्या में योगदान देने वाले कारक

-स्थापित अनैतिक देह व्यापार नेटवर्क - पहले से वेश्यावृत्ति में लगी औरतें

-रेल व्यवस्था व अन्य सुख-सुविधाओं से जुड़े क्षेत्र, औद्योगीकरण व शहरीकरण के कारण विस्थापितों की अधिक संख्या। रिपोर्ट से यह बात उभर कर सामने आई है कि अब शहरों में कोई विशेष रेड लाइट एरिया नहीं है बल्कि हर क्षेत्र में वेश्यावृत्ति जारी है।

सामाजिक कारण

- अभिभावकों का दुर्व्यवहार - देवदासी परंपरा - पति द्वारा छोड़ दिया जाना।
- पारिवारिक परंपरा - वैधव्य और विधवा पुनर्विवाह न होना - सामाजिक या व्यक्तिगत कारण महिलाओं की समाज में कमजोर स्थिति।

शादी न हो सकना

परिवार में यौन शोषण

- बुरी संगत - अभिभावकों व पति की रजामंदी - धोखा (Deception)

- सेक्स शिक्षा का अभाव व मीडिया का प्रभाव
- मनोरंजन सुविधाओं का अभाव - प्रेम में धोखा - अपहरण - स्वेच्छा से
- आर्थिक तंगी - अन्य

आर्थिक कारण

आर्थिक तंगहाली

मनोवैज्ञानिक कारण

- शारीरिक सुख व सुख - सुविधाओं की इच्छा - धन की लालसा - परिवार समाज से मिला तिरस्कार
- प्रेम में धोखा अन्य (विधिक व प्रशासनिक कारण) - अपहरण - शहरीकरण के कारण बढ़ता विस्थापन - उपेक्षा
- निरक्षरता - सुविधाओं का अभाव

आर्थिक कारणों में जहां गरीबी, वहीं सामाजिक कारणों में पति व प्रेमी से मिला धोखा व परित्याग इसके प्रमुख कारण हैं। चूंकि कोई एक कारण नहीं होता है वेश्यावृत्ति का, इस कारण इस समस्या का हल कई दृष्टिकोणों को सामने रख कर किया जाना जरूरी है।

वेश्यावृत्ति में बने रहने के कारण-

कोई दूसरा विकल्प उपलब्ध न होना/गरीबी/बेरोजगारी/निरक्षरता/महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण/लांछना/परंपरा व पारिवारिक व्यवसाय/अधिक सेक्स की आदत हो जाना/दंड का अभाव/संगठित तंत्र/समुचित प्रशासन का अभाव/कानून का सख्ती से पालन न होना। पुनर्वास सुविधाओं का अभाव, नाचने-गाने की प्रथाओं की अनुमति, छोड़ना नहीं चाहती, स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वेश्यावृत्ति में बने रहने का कोई एक कारण नहीं बल्कि कई कारणों के समूह हैं जो उन्हें इस धंधे से बाहर नहीं निकलने देते। उन्हें इस व्यवसाय से बाहर निकालने के लिए निम्न पांच जिम्मेदार कारकों पर विचार करना होगा।

- गरीबी - पारिवारिक समस्या - लांछना - अन्य विकल्पों का अभाव
- महिलाओं के प्रति समाज का व्यवहार

सरकारी पुनर्वास प्रयासों को बढ़ाने व इससे समाप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही इससे निपटा जा सकता है।

रिपोर्ट में यौनकर्मियों की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण भी किया गया। किस राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, उम्र, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा स्तर, पारिवारिक पृष्ठभूमि परिवार के सदस्यों की साक्षरता दर व शैक्षणिक स्तर, उनके प्रशिक्षण, व्यवसाय आय आदि का आकलन भी किया गया है।

रिपोर्ट में किस शहर की औरतें सामान्यतः कितने वर्षों से इस व्यवसाय में हैं का आकलन भी दिया गया। उदाहरण के तौर पर दिल्ली व मुंबई की यौनकर्मी का सामान्य कार्यकाल अपेक्षाकृत लम्बा होता है यह उनका पहले यौनकर्मी और बाद में वेश्यागृह की मालकिन बन जाने के कारण होता है।

इनके खर्चों में परिवार की जिम्मेदारियां भी है और कर्ज का बोझ भी है। कर्ज का बोझ जिस दिन से धंधे में आती है तभी से शुरू होता है। जिस दाम पर उन्हें खरीदा जाता है वह उस पर कर्ज चढ़ा दिया जाता है। कर्ज पर ब्याज की दर भी 25 से 30 प्रतिशत तक होती है। उसकी स्थिति बंधक मजदूर से बेहतर नहीं होती है।

ऐसा नहीं है कि उन्हें बचत करने की आदत नहीं होती। वे भी अपने सुरक्षित भविष्य, मकान खरीदने, बच्चों की परवरिश व शिक्षा, अपने आश्रितों व चिकित्सा खर्चों के लिए बचत करती हैं। वे भी दूसरी महिलाओं की तरह अपने सुरक्षित भविष्य और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ही चिंतित रहती हैं।

रहने की सुख-सुविधाएं व चिकित्सा सेवाओं का अभाव ही होता है।

अध्ययन में यह स्पष्ट हुआ कि यौनकर्मी अपने व्यवसाय के कारण अक्सर अपने बारे में जो विचार व धारणा रखती हैं उनमें ये वाक्य प्रयोग करती ही हैं। 'हम लोग बहुत खराब औरत है।' 'वेश्या का काम सबसे खराब काम, किसी को भी ऐसा न करना पड़े।' उनकी यह धारणा समाज की ओर से उनके प्रति बनाई गई धारणा के कारण ही है।

केवल 5 से 8% औरतें ही इस व्यवसाय से इसलिए खुश हैं कि कुछ हद तक उनकी आर्थिक समस्याएं कम हुई हैं।

अधिकांश, अकेलेपन, डिप्रेशन, तनाव, अपराध-बोध, बेचैनी व चिंता, अपमान, तिस्कार, आत्मविश्वास हीनता, पुलिस का डर आदि भावों से ग्रस्त रहती हैं।

वे अध्ययन-कर्ता से प्रश्न करती हैं कि 'दीदी जब आप यहां सीढ़ियां चढ़ कर आई तो आप ने हमारे बारे में क्या सोचा। क्या हम बुरी औरतें हैं?'

वे महसूस करती हैं कि कोठे पर उन्हें किसी तरह का आत्महीनता का भाव महसूस नहीं होता। वे सबसे आंख मिलाकर बात कर लेती हैं पर नीचे सड़क पर चलते हुए निगाहें झुक जाती हैं।

अधिकांशतः उन्हें अपने परिवारों व बच्चों से दूर रहना पड़ता है। बूढ़े मां-बाप को सिर्फ आर्थिक सहायता भेज पाना और बच्चों को होस्टल आदि भेजना इनकी मजबूरी होती है

उनके इस धंधे में बने रहने व इसे छोड़ देने के कारण निम्नानुसार है

जो छोड़ देना चाहती है	**जो धंधे में बनी रहना चाहती है**
1. बीमारियों का भय	1. विकल्प का अभाव
2. सामाजिक लांछना	2. समाज में स्वीकार्यता नहीं
3. बच्चों के भविष्य की चिंता	3. पारिवारिक धंधा
4. अपर्याप्त आय	4. गरीबी
5. हिंसा का डर	5. अस्वस्थता
6. धंधे को पसंद न करना	6. धंधे की आदत हो गई
7. परिवार में लौटना चाहती है	7. वेश्यावृत्ति पसंद
8. उम्र बढ़ने के कारण	
9. परिवार के द्वारा अपनाए जाने के कारण	
10. नई जिंदगी शुरू करना चाहती है	

धंधे को छोड़ने के कारणों में बच्चे के सुरक्षित भविष्य का कारण सर्वोपरि है। दूसरी ओर धंधे में बने रहने के कारणों में वैकल्पिक व्यवसाय व समाज में स्वीकार्यता का न होना प्रमुख है। वे अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अधिक चिंतित रहती हैं।

वैकल्पिक व्यवस्था

रोजगार/स्वरोजगार शिक्षा, वित्तीय सहायता, कौशल उन्नयन के माध्यम से प्राप्त हो, विवाह, परिवार में स्वीकृति, घर व्यवस्था, कानूनी सहायता व समाज के दृष्टिकोण में बदलाव के द्वारा वे इस धंधे से बाहर निकल सकती हैं।

वे सभी जानती हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। भविष्य में उन्हें अधिक आर्थिक तंगी सहनी पड़ेगी।

रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

रिपोर्ट से उभरकर आए सुझावों को उन्होंने चार वर्गों में वर्गीकृत किया

1. वेश्यावृत्ति को नियंत्रित करना 2. वेश्याओं का पुनर्वास 3. उनके बच्चों का पुनर्वास व विकास 4. जो वेश्यावृत्ति से बाहर नहीं निकल पातीं उनके जीवन-स्तर में सुधार। इन सुझावों के आधार पर की गई सिफारिशें

- वेश्यावृत्ति नियंत्रण
- कानून लागू करने वाली मशीनरी को इस सामाजिक, आर्थिक समस्या के मानवीय पहलू पर विचार करते हुए पीड़ित महिला के साथ मानवीय

व्यवहार व दृष्टिकोण रखना चाहिए।
- वेश्यावृत्ति में लड़कियों व महिलाओं को धकेला न जाए इसके लिए जरूरी है।
- सख्त निगरानी सुनिश्चित हो।
- विद्यमान कानूनी प्रावधानों का प्रभावी इस्तेमाल हो।
- कुछ चुने हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्राधिकृत किया जाना चाहिए जो इन रेडलाइट एरियों से लड़कियां, जो बाहर आना चाहती है उन्हें बाहर निकलवा सके।
- 'मांग' को नियंत्रित किया जाना चाहिए इसके लिए शहरों में तेजी से फैलती झुग्गी झोपड़ी बस्तियों को फैलने से रोका जाना चाहिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापन रोकना चाहिए।
- जिला स्तर पर सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों के प्रतिनिधियों वाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए।

2. वेश्याओं का पुनर्वास

- पुनर्वास कार्यक्रमों में उनका सामाजिक व आर्थिक पुनर्वास शामिल होना चाहिए उसमें उनकी औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा व उन्हें सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जाए।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता, विपणन प्रबंधन आदि की जानकारी देनी चाहिए ताकि वे आय अर्जन कर सकें।
- उन्हें काउंसलिंग व मार्गदर्शन
- चिकित्सा सुविधाएं - कानूनी सहायता व आवास सुविधाएं दी जानी चाहिएं।

भले ही वेश्यावृत्ति का उन्मूलन संभव नहीं पर इसे कम करना संभव है। इसी तरह पुनर्वास भी सभी को नहीं चाहिए। प्रयास यह हो कि उन्हें हर संभव सहायता व मार्गदर्शन दिया जाए। इसके लिए सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों को एक-साथ मिलकर कार्य करना होगा व सामाजिक- धार्मिक व राजनेताओं व नीति निर्माताओं को इन प्रयासों में सहयोग देना होगा।

समय-समय पर किए जा रहे अध्ययनों की सिफारिशों के आधार पर नीति निर्माताओं के द्वारा विभिन्न कार्यनीतियां पहले भी तैयार की गई है और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

ज्यूडिशयल हैंडबुक ऑन कॉम्बेटिंग ट्रैफिकिंग—
ऑफ वूमेन एंड चिल्ड्रन फार कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लायटेशन

अनैतिक देह-व्यापार की रोकथाम में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग व यूनीसेफ के सहयोग से न्यायपालिका से जुड़े लोगों को इस विषय के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मैनुअल तैयार किया है। इसका उद्देश्य उन्हें इस समस्या से सामाजिक पहलुओं के प्रति संवेदी बनाना है। महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकार के हनन, समाज द्वारा उन्हें दी गई लांछना, जांचकर्ता एजेंसियों द्वारा उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार की जानकारी देने का उद्देश्य यह है कि वे ये सुनिश्चित करे कि देह व्यापारियों को कानून की गिरफ्त में लाया जाए और ऐसे जघन्य अपराध के बाद वे कानून की गिरफ्त से छूटने न पाए।

वर्ष 2006 में प्रकाशित इस मैनुअल में वर्ष 2001 से 2004 की स्थितियों का आकलन कर न्यायपालिका के ध्यान में यह तथ्य उजागर करना इनका उद्देश्य था कि देह व्यापार की शिकार महिला व बच्चे पीड़ित होते हैं। इसलिए उनके मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। न्यायपालिका तंत्र के अधिकारियों को अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने की दृष्टि से इस मैनुअल का महत्व है।

भारत में विशाल जीत बनाम भारत सरकार (1990) और गौरव जैन बनाम भारत सरकार (1997) के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए ऐतिहासिक फैसलों के बाद व्यावसायिक यौन शोषण के लिए अनैतिक देह व्यापार के मुद्दे पर जन-जागृति हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को इस समस्या के निदान के लिए ठोस राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए कहा। 1998 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नीति तैयार की जिसमें रोकथाम, कानून प्रवर्तन, जागरूकता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बाल सुरक्षा आवास, आश्रय और नागर सुविधाएं, आर्थिक सशक्तिकरण, विधिक सुधार और बचाव और पुनर्वास सभी मुद्दों को शामिल किया गया है।

अनैतिक देह व्यापार के कारकों को दो मुख्य भागों मे विभक्त किया गया जिसमें एक आपूर्तिकारक और दूसरे मांग कारक है: आपूर्ति कारकों में गरीबी, सांस्कृति परंपरा बाल विवाह, विधवा, परित्यक्ता, एकल, दूसरी पत्नी के साथ जुड़ी सामाजिक लांछना से समाज द्वारा परित्याग, पारिवारिक अशिक्षा, पुरुष बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा, टूटते परिवार, धार्मिक परंपरा, पड़ोसी देशों से नौकरी के झांसे, शहरी रोजगार अवसर तलाशी के कारणों से महिलायें वेश्यावृत्ति में प्रवेश करती है।

इस मैनुअल का उद्देश्य मजिस्ट्रेट व जजों को देह व्यापार से जुड़े सामान्य मुद्दों, महिलाओं व बच्चों के अनुभवों, उन्हें स्वविवेकाधार पर निर्णय लेने, उनमें सकारात्मक परिवर्तन लाने, इन मामलों के तीव्र निपटान और देह व्यापारियों को सख्त सजा सुनाए जाने के लिए जागरूक करना है।

इसके साथ ही देह व्यापारी (ट्रैफिकर) से व्यवहार करते समय भी किन बातों को ध्यान में रखा जाए के बारे में भी जांच सूची तैयार की गई, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि पुलिस ने दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर)/ वेश्यालय के मालिक/ दलाल व अन्यों के विरुद्ध रिपोर्ट समुचित ढंग से तैयार करें, यदि चार्ज शीट केवल पीड़िता के नाम तैयार की गई हो तो दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर) के नाम शामिल किए जाएं, आरोप- पत्र दाखिल करने से पूर्व यह तहकीकात की जाए कि क्या जबरन उसे वेश्यावृत्ति में तो नहीं धकेला गया था, मजिस्ट्रेट अपने विवेकाधिकार पर पीड़िता को माफ भी कर सकता है, वह यह भी सुनिश्चित करे कि दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर) को जमानत न मिलने पाए, फैसले की कार्रवाई में विलंब न हो, आदि जैसी जानकारियां मुख्य रूप से शामिल की गई हैं।

इस मैनुअल में न्यायपालिका से जुड़े लोगों की देह व्यापारियों व व्यावसायिक यौनशोषण का शिकार लोगों के बारे में उनकी आम धारणा जानने के लिए उनसे एक प्रश्नावली भी भरवाई गई। उनके द्वारा भरी गई जानकारी के आधार पर उसका विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि अधिनियम के तहत दी गई परिभाषाओं के अनुसार स्थितियों की जानकारी अधिकांश को नहीं थी। वे केसों की भारीसंख्या के कारण इस अधिनियम के तहत प्राप्त मामलों को समुचित ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनकी यह सिफारिश थी कि इसके लिए विशेष अदालतें गठित होनी चाहिएं।

मैनुअल में प्रत्येक राज्य के आश्रम गृहों की सूची (कुल 227), एच आई वी परीक्षण पर दिशा-निर्देश, विभिन्न राज्यों में काम कर रहे कुछ प्रमुख एन जी ओ की सूची व कुछ ऐतिहासिक फैसलों की जानकारियां भी शामिल हैं।

1987 में कलकत्ता में हुए एक सर्वे में यह बताया गया कि वहां के रेडलाइट एरिया में रहने वाली 59% महिलाएं परित्यक्ता थीं। अधिकांश पारिवारिक निर्धनता के कारण यहां पहुंचीं और चौंकानेवाला तथ्य यह भी था कि परिवार के पुरुष उनसे धंधा करवाते हैं।

इंडियन स्टेटिस्टिकल इन्स्टीच्युट, कलकत्ता की रिपोर्ट से भी यही तथ्य उभरकर आए कि अधिकांश निम्न वर्ग, अनपढ़ महिलाओं को घरेलू नौकरानी से वेश्या बनना अधिक सरल लगा। विवाहिता, अवैध संबंध, विधवा या पति या

परिवार द्वारा प्रताड़ित होने के कारण जब कोई और काम नहीं मिला तो यही एक मात्र विकल्प के रूप में अपना लिया।

- देवदासियों पर किए गए अध्ययन यह दर्शाते हैं कि कम उम्र में परिवार द्वारा देवदासी बना दिया जाता है। सरकारी प्रतिबंध के बावजूद अभी भी हजारों लड़कियां देवदासी बनती हैं और वहां से महाराष्ट्र के शहरों में पहुंचकर यौन-कर्मी बन जाती हैं।

अध्ययनों से यह भी उभरकर आया है कि यौन व्यापार में लगने से पूर्व कुछ पुरुषों से यौन संसर्ग कर चुकी होती हैं और पहला यौन संपर्क 15 से 27 वर्ष की उम्र के बीच हो चुका होता है। अधिकांशतः पारिवारिक तनावों व उपेक्षित परिवारों से संबंध रखती हैं। परिवार से मिली उपेक्षा उन्हें बाहर सुख की तलाश करने को मजबूर करती है और अक्सर अवैध संबंधों के बनते यौन व्यापार की ओर मुड़ जाती हैं। वर्ष 2009 में फेडरेशन ऑफ आब्सेट्रिक्स एंड गायनाकालोजिस्ट सोसायटी आफ इंडिया (फोगसी) ने 10 मेट्रो व नगरों की विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाली 15 से 25 वर्ष की उम्र की 3500 लड़कियों पर अपने किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत अध्ययन किया। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि 25 प्रतिशत लड़कियां विवाह पूर्व यौन रूप से सक्रिय थीं। अध्ययन से 2400 अविवाहित लड़कियां थीं। उनकी जानकारी का स्रोत मीडिया था। 16 प्रतिशत को ही गर्भ निरोधक साधनों की जानकारी थी। 17 प्रतिशत ने जिज्ञासावश यौन संबंध शुरू किए।

अध्याय - 9

यौन-कर्म को रोकने में कानून-व्यवस्था

हमारे संविधान में महिलाओं की समानता के अधिकार की व्यवस्था की गई है। समय-समय पर विभिन्न अधिनियम भी बनाए गए हैं व भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। इस अध्याय में आई पी सी की विभिन्न धाराओं और अधिनियमों की जानकारी दी जा रही है।

चाणक्य के अर्थशास्त्र में गणिकाओं के संरक्षण को लेकर व्यवस्था की गई थी। वात्स्यायन के कामशास्त्र में भी उनके व्यवसाय में बने रहने के विधि-विधानों की व्यवस्था की गई थी। ब्रिटिश शासनकाल में इसे नियंत्रित करने के लिए संक्रमण अधिनियम 1886 बनाया गया था। इसके बाद 1923 से 1953 के दौरन विभिन्न राज्यों में अधिनियम बनाए गए।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों ने मिलकर इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए 1950 में न्यूयार्क में व्यक्तियों और वेश्यावृत्ति के शोषण को रोकने के लिए कन्वेंशन हस्ताक्षरित किया गया। इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के बाद सप्रेशन ऑफ इम्मोरल ट्रैफिक इन वूमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956 (एस.आई.टी.ए.) पारित किया गया। जिसमें यह स्वीकार किया गया कि वेश्यावृत्ति की रोकथाम दंड से संभव नहीं है, परंतु सार्वजनिक स्थानों पर इसे रोकना संभव है क्योंकि परस्पर सहमति को कानून से नहीं रोका जा सका। यही नहीं उनका पुनर्वास किए बिना इसका विरोध संभव नहीं है। साथ ही यह रेखांकित किया गया कि वेश्यावृत्ति अनैतिक है पर अवैध नहीं।

यही नहीं, देवदासी परंपरा की समाप्ति के लिए अधिनियम बनाए गए।

आंध्र प्रदेश देवदासी (समर्पण का निषेध) अधिनियम 1988 की मुख्य-मुख्य बातें विभिन्न धाराओं के अनुसार निम्नवत हैं

1 देवदासी के रूप में समर्पण अवैध होगा,

2 देवदासियों का विवाह कराया जाए,
3 प्रचार के लिए सजा दी जाए,
4 समाहर्ता को शक्ति दी जाएगी,
5 समाहर्ता तथा अन्य अधिकारियों के कर्तव्य निर्धारित किए गए,
6 कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधियों का विचारण,
7 इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे,
8 नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई।

महिलाओं व बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम में लागू भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं निम्नलिखित हैं :

भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की विभिन्न धाराएं

धारा 292- *अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि* (1) अपराध (2) के प्रयोजनार्थ किसी पुस्तक पुस्तिका कागज लेखा, रेखा चित्र, रंग चित्र, आकृति या अन्य वस्तु को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है या उसका या (जहां उसमें दो या अधिक सुभिन्न मदें समाविष्ट हैं वहां) उसकी किसी मद का प्रभाव समग्र रूप से विचार करने पर ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी या भ्रष्ट बनाए जिनके द्वारा उसमें अंतर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय का पढ़ा जाना, देखा जाना या सुना जाना सभी सुसंगत परिथितियों को ध्यान में रखते हुए संभाव्य है। इसके साथ ही धारा 293 व 294 में—

(2) जो कोई किसी अश्लील पुस्तक-पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंग चित्र, रूपण या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को चाहे वह कुछ भी हो, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, लोक प्रदर्शित करेगा या अश्लील कार्य व गाने आदि भी अपराध में आते हैं।

प्रथम दोष सिद्धि होने पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा।

धारा 354 - *स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग* - जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा का भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 366 - *विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना अपहृत करना या उत्प्रेरित करना।* जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए या युक्त संभोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। (और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से भी वह विवश या विलुब्ध की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए इस संहिता में यथा परिभाषित, आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह पूर्वोक्त प्रकार से दंडित किया जाएगा।)

धारा 366 क - *अप्राप्तवय लड़की का उपापन* - जो कोई 18 वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा यह संभाव्य जानते हुए ऐसी लड़की को किसी किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा या जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 366 - ख- *विदेश से लड़की का आयात करना* - जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मू कश्मीर राज्य से आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद्द्वारा विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह संभाव्य जानते हुए करेगा। वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 367 - *व्यक्ति को घोर उपहति, दासत्व आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण* - जो कोई किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण इसलिए करेगा कि उसे घोर उपहति या दासत्व का या किसी व्यक्ति की प्रकृति विरुद्ध कामवासना का विषय बनाया जाए या बनाए जाने के खतरे में वह जैसे पड़ सकता है वैसे उसे चययनित किया जाए या संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त बातों का विषय बनाया या उपयुक्त रूप से चयनित किया जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

धारा 372 - *वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना* - जो कोई 18 वर्ष के कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति, किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण - 1 - जबकि 18 वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को या किसी अन्य व्यक्ति को, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबंध करता हो बेची जाए, भाड़े पर दी जाए या अन्यथा व्ययनित की जाए, तब इस प्रकार ऐसी नारी को व्ययनित करने वाले व्यक्ति के बारे में, जब तक तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्ययनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

स्पष्टीकरण - 2 - अयुक्त संभोग से इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों में मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह से संयुक्त नहीं है या ऐसे किसी संभोग या बंधन से संयुक्त नहीं है जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि उस समुदाय जिसके वे हैं या यदि वे दो भिन्न समुदायों के हैं तो ऐसे दोनों समुदायों की स्वीकार्य विधि या रीति द्वारा उनके बीच में विवाह सदृश संबंध अभिज्ञात किया जाता है।

धारा 373 *वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को खरीदना* - जो कोई 18 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए या किसी विधि विरुद्ध दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह संभाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा खरीदेगा, भाड़े पर लेगा अन्यथा उसका कब्जा प्राप्त करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष की हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण - 1-18 वर्ष से कम आयु की नारी को खरीदने वाले, भाड़े पर लेने वाली या अन्यथा उसका कब्जा अभिप्राप्त करने वाली किसी वेश्या के या वेश्यागृह चलाने या उसका प्रबंध करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में जब तक किसी तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसी नारी का

कब्जा उसने इस आशय से अभिप्राप्त किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाएगी।

स्पष्टीकरण-2 अयुक्त संभोग का वही अर्थ है जो धारा 372 में है।

धारा 375 *बलात्संग*- जो पुरुष स्वस्मिन पश्चात अपवादित दशा के सिवाय किसी स्त्री के साथ निम्नलिखित छल भांति की परिस्थितियों में से किसी परिस्थिति में मैथुन करता है वह पुरुष बलात्संग करता है, कहा जाता है

पहला - उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध

दूसरा - उस स्त्री की सम्मति के बिना

तीसरा - उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त हो।

4 - उस स्त्री की सम्मति से जब वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसीलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

5 - उस स्त्री की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृतचित्त या नत्तता या किसी संज्ञाशून्यकारी या अस्वस्थकर पदार्थ उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से दिए जाने के कारण उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति व परिणाम को समझने में असमर्थ हो।

6 - उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति से जबकि वह 16 साल से कम है।

स्पष्टीकरण - 1 - बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन गठित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है।

अपवाद - पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है।

धारा 376 - बलात्संग के लिए दंड (1) जो कोई उपधारा (2) द्वारा उपबंधित के सिवाय बलात्संग करेगा वह दोनों से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन या 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, सिवाय तब के जब कि वह स्त्री जिसके साथ बलात्संग किया हो उसकी पत्नी है और 12 वर्ष से कम उम्र की नहीं है और ऐसे मामले में वह दोनों में किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 496 - *विधिपूर्ण विवाह के बिना कष्टपूर्ण विवाह कर्म पूरा कर लेना* - जो कोई बेइमानी से या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म यह जानते हुए पूरा करेगा कि तदद्वारा वह विधिपूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा।

धारा 498 - विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरुष के पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से, जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखरेख करता है, इस आशय से ले जाएगा या फुसलाकर ले जाएगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त संभोग करे या इस आशय से ऐसी किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

धारा 509 - शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है - जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादार करने के आशय से कोई शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, उस आशय से कि ऐसी स्त्री द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए या ऐसी अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए अथवा ऐसी स्त्री का एकान्तता का अतिक्रमण करेगा वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

अनैतिक व्यापार के निवारण के लिए मई 1950 के नवें दिन न्यूयार्क में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसरण में उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद द्वारा यह निम्न प्रकार अधिनियमित हो-

धारा 1. सक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ- (1) यह अधिनियम अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 कहा जा सकेगा।

(2) यह धारा तत्काल प्रवृत हो जायेगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध ऐसी तारीख को प्रवृत होंगे जैसा कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

नोट-नाम में परिवर्तन- दिनांक 26-1-1987 से पूर्व इस एक्ट का नाम 'स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1956 था, जिसको सन् 1986 में एक्ट नं. 44 1986 के द्वारा संशोधित करके अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 नाम रखा गया है। यह संशोधित एक्ट दिनांक 26.01.1987 को लागू किया गया है।

धारा 4. *वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर जीविका निर्वाह के लिए दण्ड* (1) अट्ठारह वर्ष की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति जो जान बूझकर किसी अन्य व्यक्ति की वेश्यावृत्ति से उपार्जित धन पर पूर्ण या अंशत जीवन निर्वाह करता है तो वह उसी अवधि के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपयों तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा और जहां ऐसा उपार्जन बालक या अवयस्क से संबंधित हो, वह सात वर्ष से कम और दस वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा।

धारा 5 *वेश्यावृत्ति कराने के लिए व्यक्ति को लेना, उत्प्रेरित या प्राप्त करना*—सिद्धदोष होने पर तीन वर्ष से कम और सात वर्ष से अधिक होने वाली अवधि के कारावास और जुर्माने के भी जो दो हजार रूपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा यदि इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है तो सात वर्ष की अवधि के कारावास के दण्ड का विस्तार चौदह वर्षों की अवधि के कारावास तक विस्तृत होगाः

धारा 6. *किसी व्यक्ति का परिसर में निरोध, जहां वेश्यावृत्ति की जा रही हो-* (1) कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को उसकी संपति से या उसकी संपति के बिना निरूद्ध करता है-

(क) किसी वेश्यागृह में; या

(ख) किसी परिसर में या उस पर, इस आशय से ऐसा वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो कि उसका पति या पत्नी नहीं मैथुन कर सके;

(सिद्धदोष होने पर, किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी या जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा;

परंतु न्यायालय अपने निर्णय में वर्णित समीचीन और विशेष कारणों से सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।)

धारा 7. सार्वजनिक स्थान में या उसके आस-पास वेश्यावृत्ति - (1) कोई व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति करता है और वह व्यक्ति जिसके साथ वेश्यावृत्ति की गई किसी परिसर में-

(क) जो कि उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित क्षेत्र या क्षेत्रों के भीतर है, या

(ख) जो कि सार्वजनिक धार्मिक पूजा, शिक्षण संस्था, होस्टल, चिकित्सालय, प्रसूति गृह या किसी प्रकार के ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थानों से जैसे कि इस निमित्त पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट द्वारा विहित रीति में अधिसूचित किए जाएं, से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर हो, तो वह, तीन माह की अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा।

प्रथम दोषसिद्धि पर तीन मास तक की अवधि के कारावास से या दो सौ रुपए तक के जुर्माने या दोनों से और प्रत्येक पश्चातवर्ती दोषसिद्धि की दशा में छः मास की अवधि के कारावास से और दो सौ रूपयों तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और जहां लोकस्थान पर परिसर होटल हो, तो तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन ऐसे होटल का कारोबार करने का लाइसेंस भी तीन मास से कम न होने वाली किंतु एक वर्ष तक की हो सकने वाली अवधि तक के लिए निलंबित किया जा सकता है।

धारा 8. वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए फुसलाना या याचना करना- जो कोई किसी सार्वजनिक स्थान में या उसकी दृष्टि में तथा ऐसी रीति जिससे लोक स्थान से देखा और सुना जा सके, चाहे किसी भवन या मकान से या कहीं और से-

तो वह प्रथम दोषसिद्धि पर छः मास तक की अवधि के कारावास से या पांच सौ रूपए तक जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में एक वर्ष की अवधि के कारावास और पांच सौ रूपए तक के जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

परंतु जहां इस धारा के अधीन कोई अपराध किसी पुरुष द्वारा किया गया हो तो वह सात दिन से कम न होने वाली किंतु तीन मास तक की हो सकने वाली अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा।

धारा किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में फुसलाना- कोई व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए फुसलाने (बहकाने) का दुष्प्रेरण या सहायता करता है या कराता है, दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से दण्डनीय होगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास की अवधि तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 10. सदाचरण की परिवीक्षा पर या सम्यक् भर्त्सना पर छोड़ देना - (अधिनियम क्र. 44 सन 1986 की धारा 12 द्वारा दिनांक 26 जनवरी 1987 से विलुप्त)

धारा 10- क. सुधार संस्था में निरोध - (1) जहां-

(क) धारा 7 या 8 के अधीन अपराध की दोषी पाई गई नारी अपराधी;

(ख) अपराधी का चरित्र, स्वास्थ्य की दशा और मानसिक स्थिति तथा मामले की अन्य परिस्थितियां ऐसी हों कि यह समीचीन है कि उसे ऐसे अनुदेशों, अनुशासन

और ऐसे उपबंधों के अध्यधीन निरूद्ध किया जाए, जैसा कि उसके सुधार के लिए साधक हों;

न्यायालय को कारावास के दण्ड के बदले सुधार संस्था में ऐसी अवधि के लिए, जो दो वर्ष से कम न हो व पांच वर्ष से अधिक न हो, निरोध का आदेश पारित करना विधिमान्य होगा —

धारा 16. *किसी व्यक्ति को छुड़ाया जाना-* (1) जहां एक मजिस्ट्रेट को पुलिस से या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से या अन्यथा प्राप्त सूचना पर यह विश्वास करने के कारण हों कि कोई व्यक्ति वेश्यागृह में रह रहा है या वेश्यावृत्ति कर रहा है या वेश्यावृत्ति करने के लिए लाया (बनाया) जा रहा है तो वह उप निरीक्षक की पंक्ति से कम न होने वाले पुलिस अधिकारी को ऐसे वेश्यागृह में प्रवेश करने और वहां ऐसे व्यक्ति को हटाने और उसके समक्ष पेश करने का निर्देश दे सकेगा।

धारा 17. *उन व्यक्तियों की अन्तःस्थायी अभिरक्षा (intermediate custody) जिन्हें धारा 15 के अधीन हटाया और धारा 16 के अधीन छुड़ाया गया है-*(1) विशेष पुलिस अधिकारी धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन किसी व्यक्ति को हटाता है या पुलिस अधिकारी धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति हो छुड़ाता है, किसी कारण से धारा 15 की उपधरा (5) द्वारा यथा-अपेक्षित समुचित मजिस्ट्रेट के समक्ष या धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने में असमर्थ हो तो, वह उसे तत्काल निकटतम किसी वर्ग के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगा, जो उसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जब तक कि वह समुचित मजिस्ट्रेट या, यथास्थिति, आदेश जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसे वह उचित समझे :

(5) उपधारा (2) के अधीन कृत्यों का पालन करने वाला मजिस्ट्रेट अपनी सहायता के लिए पांच सम्मानित व्यक्तियों के पैनल को सम्मन कर सकेगा, जिसमें जहां साध्य हो, तीन स्त्रियां होंगी और इस प्रयोजन के लिए स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक व्यापार के दमन के क्षेत्र में अनुभवी सामाजिक कल्याण कार्यकर्त्ताओं की एक सूची रख सकेगा।

(6) उपधारा (4) के अधीन किए गए आदेश के विरुद्ध अपील सत्र-न्यायालय को हो सकेगी, जिसका निर्णय ऐसी अपील पर अंतिम होगा।

धारा '17-क-धारा 16 के अधीन छुड़ाए गए व्यक्तियों को माता-पिता या संरक्षक के पास रखे जाने के पूर्व पालन की जाने की शर्तें-धारा 17 की उपधारा (2) में किसी बात के होने पर भी, धारा 17 के अधीन जांच कर रहा मजिस्ट्रेट, धारा 16

के अधीन छुड़ाए गए किसी व्यक्ति को माता-पिता, संरक्षक या पति को सौंपने के लिए आदेश पारित करने से पूर्व, माता-पिता या संरक्षक या पति को ऐसे व्यक्ति को रखने की क्षमता और असलियत के बारे में स्वयं का समाधान करने को मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन द्वारा अन्वेषण कराएगा।

धारा 18 वेश्यागृहों का बंद किया जाना और अपराधियों की परिसर से बेदखली

- मजिस्ट्रेट पुलिस से या अन्यथा सूचना प्राप्त होने पर कि धारा 7 की उपधारा (1) में निर्देशित किसी लोक स्थान से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर कोई मकान, कक्ष, स्थान या उनका कोई भाग किसी व्यक्ति द्वारा वेश्यागृह चलाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है या वेश्याओं द्वारा उनका व्यापार करने के लिए ऐसे मकान, स्थान या भाग के स्वामी, पट्टदाता या भूस्वामी के अभिकर्ता या किरायेदार, पट्टेदार या अधिभोगी या ऐसे मकान, कक्ष स्थान या भाग के भारसाधक व्यक्ति को सात दिन में हेतुक दर्शित करने का नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उसे अनुचित प्रयोग के लिए कुर्क कर ली जाए और यदि संबंधित व्यक्ति को सुनने के बाद मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाए कि वह मकान, कक्ष, स्थान या भाग वेश्यागृह के रूप में वेश्यावृत्ति करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट आदेश पारित कर सकेगा-

परंतु जहां धारा 3 या 7 के अधीन की गई द्वि दोषसिद्ध अपील में इस आधार पर रद्द कर दी जाती है कि ऐसा मकान, कक्ष, स्थान या भाग वेश्यागृह के रूप में नहीं चल रहा है या प्रयोग किया गया है उपधारा (1) के अधीन विचारण न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश रद्द हो जाएगा।

(4) तत्समय प्रचलित किसी अन्य कानून में कोई बात शामिल होने पर भी जब उपधारा (1) के अधीन मजिस्ट्रेट आदेश पारित करता है या उपधारा (2) के अधीन न्यायालय आदेश पारित करता है कोई पट्टा या करार जिसके अधीन कमरा, कक्ष स्थान या भाग कब्जे में हों, उस समय शून्य और अप्रभावी होगा।

(5) जब कोई स्वामी, पट्टादाता या भू-स्वामी या इनका कोई एजेंट उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल रहता है वह पांच सौ रूपए तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा या जहां उपधारा (2) के खण्ड (ख) या धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन अपराध करने का दोषी समझा जाएगा और जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार दंडित किया जाएगा।

धारा 20. *वेश्याओं को किसी स्थान से हटाया जाना* - (1) मजिस्ट्रेट को यह सूचना प्राप्त होने पर कि कोई व्यक्ति जो वेश्या है, उसकी स्थानीय सीमाओं में किसी स्थान पर निवास कर रहा है या बार-बार आता जाता है,

तो वह प्राप्त सूचना का सार लिख कर और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए एक नोटिस जारी करेगा कि क्यों न उसे उस स्थान से हटाने और पुनः प्रवेश न करने की अपेक्षा की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक नोटिस के साथ उपरोक्त सूचना के अभिलेख की एक प्रति उस व्यक्ति पर तामील की जाएगी जिसके विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है।

(3) मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट नोटिस की तामील के बाद प्राप्त की गई सूचना के सत्य होने के बारे में जांच की कार्यवाही करेगा और उस व्यक्ति को साक्ष्य देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात ऐसी अन्य साक्ष्य भी लेगा, जो वह उचित समझे, और यदि ऐसी जांच के बाद उसे यह प्रतीत हो कि ऐसा व्यक्ति वेश्या है और सामान्य जनता के हित में यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति से स्वयं को उस स्थान से हटाने की अपेक्षा और उसके पुनः प्रवेश को निषिद्ध किया जाना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को लिखित में सूचित किए गए आदेश द्वारा उससे निर्धारित रीति में, उससे ऐसी तारीख के पश्चात (जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए), जो आदेश की तारीख से सात दिन से कम न होगी स्वयं को ऐसे स्थान को, चाहे उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा में हो या नहीं, ऐसे मार्ग से और स्थान में पुनः प्रवेश से भी, ऐसे स्थान पर अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना, प्रतिबंधित करेगा।

तो उसे दो सौ रुपए तक जुर्माने से और निरंतर अपराध करने की दशा में ऐसे जुर्माने से जो प्रथम अपराध के पश्चात निरंतर अपराध करने के दौरान पच्चीस रुपए प्रतिदिन का हो सके, दण्डनीय होगा।

धारा 21. संरक्षण गृह और सुधार संस्थाएं- राज्य सरकार स्व-विवेक से उतने संरक्षण गृह और सुधार संस्थाएं इस एक्ट के अधीन स्थापित कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे और ऐसे संरक्षण गृह या सुधार संस्थाएं ऐसी रीति से अनुरक्षित की जाएंगी, जो विहित (निर्धारित) की जाएं।

परंतु ऐसी किसी शर्तों की अपेक्षा कर सकेगी कि संरक्षण गृह या सुधार के प्रबंध में जहां साध्य हो, महिलाएं न्यस्त (नियुक्त) होंगी।

परंतु यह भी कि स्त्री और अनैतिक व्यापार दमन (संशोधन) 1978 के लागू होने पर किसी भी सुधार संस्था की देख-रेख करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी को ऐसे प्रारंभ से छः माह की अवधि के लिए आवेदन करने की अनुमति होगी।

महिलाओं का अशिष्ट-रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन, लेखन, रंग चित्र या आकृतियों में महिलाओं के अशिष्ट रूपण को प्रतिसिद्ध करने की तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम :

भारतीय गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्न रूप में अधिनियमित है-

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) यह अधिनियम महिलाओं का अशिष्ट-रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार, जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर, संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को लागू होगा, जैसा केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत कर सके।

टिप्पणी - इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 23 दिसंबर, 1986 को प्राप्त हुई थी और अधिनियम दिनांक 23-12-1986 को राजपत्र (असाधारण भाग-दो, खण्ड 1 में पृष्ठ 1-5 पर प्रकाशित हुआ था।)

इस अधिनियम को केंद्रीय सरकार की अधिसूचना क्र. जी.एस.आर. 821 (ई) दिनांक 25 सितंबर, 1987 द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर अर्थात 2 अक्टूबर, 1987 से लागू किया गया है।

धारा 2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) 'विज्ञापन' के अंतर्गत कोई नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य कोई दस्तावेज तथा उसमें किसी प्रकार की ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृश्यरूपण सम्मिलित होगा;

(ख) 'वितरण' के अंतर्गत होगा, नमूने के तौर पर वितरण, चाहे मुक्त या अन्यथा;

(ग) 'महिलाओं के अशिष्ट रूपण से अभिप्रेत है स्त्री की उसके रूप या शरीर या उसके किसी भाग का किसी रीति में वर्णन जो उसके अशिष्ट होने का या अल्पीकृत करने का या महिलाओं के चरित्र को अलंकृत करने के प्रभाव के रूप में हो या जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार की या लोक प्रदूषण या नैतिकता को क्षति की संभावना है;

(घ) 'लेबल' से अभिप्रेत है किसी पैकेज पर चिपकाई गई या दिखाई देने वाली कोई लिखित चिह्नित सील लगी हुई, छपी हुई या रेखाचित्रीय कोई सामग्री;

(च) 'पैकेज' के अंतर्गत होगा कोई बाक्स, कार्टन, टीन या अन्य आवेष्टक;

धारा 3. महिलाओं का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों की मनाही - कोई व्यक्ति किसी विज्ञापन का प्रकाशन नहीं करेगा या प्रकाशन नहीं कराएगा अथवा प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा और न ही उसमें भाग नहीं लेगा जिसमें किसी रूप में महिलाओं का अशिष्ट रूपण अन्तर्विष्ट हो।

धारा 4. महिलाओं का अशिष्ट-रूपण करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं (पेम्फलेट्स) आदि के प्रकाशन या डाक से भेजने की मनाही - कोई व्यक्ति कोई पुस्तक, पुस्तिका, पेपर, स्लाईड, फिल्म, लेखन, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोग्राफ, रूपण या चित्र जिसमें महिलाओं का किसी रूप में अशिष्ट रूपण किया गया हो, उत्पादित नहीं करेगा या उत्पादित नहीं कराएगा, विक्रय नहीं करेगा, किराए पर नहीं देगा, वितरण नहीं करेगा या डाक द्वारा नहीं भेजेगा।

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000

Juvenile Justice (Care & Protection Of Children) Act, 2000

विधि विवादित किशोरों की देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को उनके विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनकी समुचित देखरेख, संरक्षण और उपचार करने के लिए और बालकों के सर्वोत्तम हित में उनसे संबंधित मामलों के न्याय-निर्णयन और निपटाने में एक शिशु-मैत्री दृष्टिकोण अपनाकर और उनके अंतिम पुनर्वास के लिए समेकन और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का संशोधन करने के लिए अधिनियम

अतः संविधान ने विभिन्न उपबंधों में जिसमें अनुच्छेद 15 का खण्ड (3), अनुच्छेद 39 का खण्ड (ड़) और (च), अनुच्छेद 45 और 47 सम्मिलित है, राज्य पर यह सुनिश्चित करने का एक प्रारंभिक उत्तरदायित्व यह है कि बालकों की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और यह भी कि उनके मूल मानवाधिकारों का पूरी तरह संरक्षण हो:

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में प्रस्तावित संशोधन

धारा	वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन
2 क-क अठारह	बालक से अभिप्रेत जिसने सोलह वर्ष की वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है	बालक से वह व्यक्ति अभिप्रेत है कि जिसने अठारह वर्ष आयु पूर्ण नहीं की है
2 ग-क		इसे हटा दिया जाना है

2 ग-ख	—	वही
2 ट	वर्तमान अ के के) बाद 2 ट में शामिल किया जाए।	व्यक्तियों की तस्करी का अर्थ धमकी देकर या अन्य प्रकार के दबाव से, अपहरण से, जालसाजी से, धोखे से, सत्ता या कमजोर हैसियत के दुरुपयोग से या किसी दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की अनुमति पाने के लिए पैसे अथवा लाभ के लेन-देन से शोषण के लिए व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, शरण या प्राप्ति है। शोषण के दायरे में कम से कम वेश्यावृत्ति के लिए शोषण या अन्य प्रकार का यौन-शोषण, जबरन मजदूरी या सेवा के लिए शोषण, गुलामी या उससे मिलती-जुलती प्रथाएं, दासता या अंग निकालने के लिए शोषण शामिल होगा।
	ख)	इस अनुच्छेद के उपपैरा (क) में वर्णित शोषण के लिए व्यक्तियों की तस्करी के शिकार व्यक्ति की सहमति ऐसी परिस्थिति में अप्रासंगिक हो जाएगी जब उपपैरा (क) में वर्णित किसी तरीके का उपयोग किया गया हो;
	ग)	शोषण के उद्देश्य के लिए बच्चे की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, शरण या प्राप्ति को व्यक्तियों की तस्करी माना जाएगा भले ही इसके लिए इस अनुच्छेद के उपपैरा (क) में वर्णित किसी साधन का उपयोग न किया गया हो।
	घ)	बच्चे का अर्थ 18 वर्ष की आयु से कम का व्यक्ति होगा।

धारा -8 के हटा दिया जाना प्रस्तावित है।

धारा 10 क- धारा 7 के अधीन अपराध की दोषी पाई गई महिला अपराधी

10 ख - अपराधी का चरित्र, स्वास्थ्य की दशा और मानसिक स्थिति तथा मामले की अन्य परिस्थितियां ऐसी हों कि यह समीचीन है कि उसे ऐसे अनुशासन और ऐसे उपबंधों के अध्याधीन निरुद्ध किया जाए, जैसा कि उसके सुधार के लिए साधक हो।

न्यायालय को कारावास के दंड के बदले सुधार संस्था में ऐसी अवधि के लिए जो दो वर्ष से कम न हो व सात वर्ष से अधिक न हो, निरोध का आदेश पारित करना विधिमान्य होगा।

13-बी- विशेष पुलिस अधिकारी उपनिरीक्षक/ पुलिस निरीक्षक से कम का नहीं होगा।

राज्य सरकार विशेष पुलिस अधिकारी अथवा अधिकारियों से, क्षेत्र के मुख्य सामाजिक कल्याण कर्ताओं से युक्त पांच सदस्यों से अनधिक के अशासकीय निकाय को (जहां साध्य संभव) हो नारी समाज कल्याण कार्यकर्ताओं को सम्मिलित करते हुए) उसे इस अधिनियम के कार्यों से संबंधित सामान्य महत्व के प्रश्नों पर सलाह देने के लिए साथ नियुक्त कर सकेगी।

प्रस्तावित नए प्रावधान

(1) दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) और संगठित वेश्यावृत्ति / देह व्यापार के एजेंटों की संपत्ति और आस्तियों को जब्त करने के लिए प्रावधान

(1) संशोधित अधिनियम के शुरू होने के बाद से, किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जो उसके द्वारा अथवा उसके लिए किसी और व्यक्ति के माध्यम से है।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के प्रावधानों के उल्लंघन से कोई अवैध संपत्ति अर्जित करता है तो इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा ऐसी संपत्ति जब्त की जा सकेगी।

(11) स्वैच्छिक संगठनों के जो सदस्य दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) को रोकने, बचाव कार्यों में सहायता व पीड़ितों को सुरक्षात्मक गतिविधियां प्रदान करने में लगे होते हैं उनके लिए सुरक्षा तंत्र, प्रतिरोधात्मक सुविधाएं व सुरक्षा कवच देने के लिए विधि व न्याय मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर शामिल किया जाए।

● अधिनियम में जहां कहीं उसका/उसकी जैसे शब्द प्रयोग में आए हैं उन्हें लिंग-आधारित अभिव्यक्ति के स्थान पर 'व्यक्ति' शब्द का प्रयोग कर दोनों के लिए प्रयोग किया जाना है।

यह विश्वास है कि प्रस्तावित संशोधनों के पारित होने के बाद स्थितियों में बदलाव आएगा।

अध्याय - 10

निदान और पुनर्वास

स्त्री जाति का अपमान न करो, स्त्री जाति से कभी घृणा न करो, परंतु उसे भोग्य वस्तु समझकर उसका अमर्यादित संग न करो।

कल्याण कुंज, शिव

मैं महिलाओं के अधिकारों के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहता। मेरी राय में उसे न तो किसी विधिक असमर्थता और न ही पुरुषों द्वारा पीड़ित किया जाना चाहिए। मैं बेटे व बेटियों की समानता चाहूंगा। एक बेटी का हक बेटे के बराबर होना चाहिए।

-महात्मा गांधी

समाज में गृहस्थ-जीवन के समानांतर वेश्या जीवन हर युग में हर समाज में चलता आ रहा है। स्थितियां ऋग्वेद कालीन हों या महाभारत युग की या फिर मुगलकालीन और अब आधुनिक युग की, समस्या बनी हुई है। ऐसा तो संभव नहीं है कि इस सामाजिक कुरीति का निदान करने के लिए हर युग में प्रयास न किए हों। आज यह समस्या बहुमुखी हो चुकी है। इस कारण लगता है कि इसकी रोकथाम असंभव है।

तथापि असंभव शब्द में ही संभव छिपा है उक्ति से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न सरकारी व गैर-सरकारी एजेंसियों ने यह अनुभव किया है कि रोकथाम के कार्य में आनेवाली रुकावटों के कारण स्थितियां असंभव दिखती हैं, पर क्या रुकावटें दूर नहीं की जा सकतीं। जरूरत है तो सही समय पर सही ताल-मेल की जिससे रोकथाम संभव है।

सरकारी-निजी सहभागिता व समाज की सतर्कता से स्थितियों में सुधार आ सकता है। अनैतिक देह व्यापार में स्रोत, गन्तव्य व लक्ष्य तीन आयाम जुड़े हैं। सरकारी नीतियां कार्यक्रम व कार्यनीतियां इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिएं कि

लक्ष्य समूहों का बचाव संभव हो सके।

रोकथाम के प्रयासों में सर्वप्रथम अनैतिक देह व्यापार में लगे दोषी व्यक्तियों को दंडित करना व पीड़ित पक्ष का बचाव सर्वोपरि है। हमारी न्याय प्रक्रिया इतनी जटिल व लम्बी है और निर्दोष व्यक्ति दंडित न हो जाए, की नीति के चलते अक्सर दोषी व्यक्ति कानून के घेरे में नहीं आता है। दोषी व्यक्ति को शीघ्र दंडित करना, उसकी अकूत संपति को जब्त करना, भोले-भाले व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा कर उनके शारीरिक व मानसिक शोषण की क्षतिपूर्ति उन्हीं से करवाना जैसे उपायों के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति के घावों पर कुछ मरहम लग सकती है।

अनैतिक देह व्यापार का धंधा फलने-फूलने न पाए इसके लिए आवश्यक है कि उन कारणों पर विचार किया जाए, उन स्थितियों में बदलाव लाया जाए जिनका फायदा ये उठाते हैं। व्यावसायिक यौनकर्म के कारणों में गरीबी, निरक्षरता व आजीविका के संसाधनों की कमी प्रमुखता से उभरकर आते हैं।

अन्य कारण जैसे पारिवारिक कलह, हिंसा व प्रेम में धोखा खाने के बाद उभरी स्थितियों पर भी यदि ध्यान दिया जाए तो उनके मूल में भी आर्थिक कारण अपनी भूमिका रखते हैं। अधिकांश कलह व हिंसा धन-दौलत की कमी और प्रेम के झूठे सब्जबागों में ऐशो-आराम से भरपूर जीवन के सपने दिखाए जाते हैं। जो अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन की चाहना से ही उभर कर आते हैं। किसी समाज का समुचित विकास तभी संभव हो सकता है कि उसकी कार्यनीतियां गरीबी व निरक्षरता उन्मूलन हो। ऐसे समाज जिसमें असुरक्षित जीवन के भय से आसानी से उनका शोषण संभव हो सकता है, वहां महिलाओं व बच्चों को ध्यान में रखकर ही योजनाएं बनाई जानी चाहिए।

हमारी विकास योजनाओं का ध्येय महिला व बाल विकास पर केंद्रित होने से स्थितियों में बदलाव संभव है। प्राकृतिक आपदाओं व दंगे व आतंकवादी हमलों की स्थितियों में सबसे अधिक कुप्रभाव इन्हीं दोनों पर पड़ता है। पुरुष अक्सर बेहतर सुख-सुविधाओं की तलाश में इन्हें खरीदने व बेचने की कुत्सित लालसा पाले रहते हैं। प्राकृतिक आपदाएं हो या मानव सृजित आपदा स्थितियां, पुरुष इन्हें घरों से बेघर करने या अपने हाल पर छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे विकास कार्यक्रम जितनी जल्दी इन तक सुरक्षा व मदद का हाथ बढ़ाए तभी स्थितियां बिगड़ने से बच सकती हैं परंतु विकास के सरकारी हाथ बढ़ने से पहले ही शोषक वर्ग उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है।

यही नहीं पूरे समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था व लिंग भेद की स्थितियां विद्यमान है। भ्रूण हत्या व कन्या हत्या हर समुदाय में हो रही है। उन्हें नौकरियों,

स्वास्थ्य शिक्षा किसी भी क्षेत्र में समान रूप से आगे बढ़ने के अधिकार नहीं है। संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं है। उन्हें आज भी शादी कर निबटा देने की स्थितियां हैं। वैवाहिक घर में भले ही उसका जीवन दूभर हो पर मां-बाप के घर के दरवाजे बंद रखे जाते हैं। बाल विवाह, विधवा को नारकीय त्रासदियां देने की रस्में, परित्यक्त को सामाजिक अस्वीकृति, कामकाजी होने के बावजूद आर्थिक अभावों में जीने को मजबूर करना कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनके कारण महिलाओं को अनैतिक देह व्यापार की ओर ले जाने वाले तत्व अधिक सक्रिय होने लगते हैं। यदि सही मायनों में हमें रोकथाम करनी है तो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा।

रोकथाम के लिए मानसिकता में बदलाव लाना आवश्यक है। जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज को सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी भी सामूहिक है। क्यों महिलाएं व लड़कियां ऐसे लोगों के झांसे में आ जाती हैं जो उन्हें नौकरी व प्रेम का लालच देते हैं। शायद इसलिए कि समाज के दूसरे लोग अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से ऊपर नहीं उठ पाते। यह जानते हुए भी शहर का कोई बिगड़ा रईस दूसरों की बहू बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना रहा है, विदेशों व बड़े शहरों में नौकरी देने के लिए उनकी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा रहा है, जैसी घटनाएं किसी को विचलित नहीं करती हैं। विभिन्न एन.जी.ओ. के अनुभव यह दर्शाते हैं कि जहां समाज में जन-जागृति आई है वहां ऐसी घटनाओं में कमी आई है। स्थानीय जनता यदि नैतिक पुलिस बन कर अपने समाज की बहू-बेटियों को गलत लोगों के चंगुल से बचाने का प्रयास करते हैं तभी समाज सुरक्षित हो पाएगा।

समाज की जागरूकता का एक हिस्सा यह भी है कि यदि वह जानता है कि अवयस्क लड़कियां व मजबूर लड़कियों को लाकर उन्हें कोठों व रेड लाइट एरिया में भेजा जा रहा है तो उन्हें छुड़वाने के भी प्रयास करें, अक्सर यह देखा गया है कि एक बार रेड लाइट एरिया से छुड़ायी गई लड़कियां कुछ अर्से बाद किसी दूसरी जगह से फिर पकड़ी जाती हैं अर्थात उन्हें छुड़ाए जाने के बाद किए जाने वाले बचाव उपायों में कहीं कोई कमी रह जाती है। उन्हें उनके परिवारों से मिलाने या पुनर्वास के उपाय नहीं किए गए। अक्सर आश्रय गृहों की पर्याप्त संख्या की कमी महसूस की जाती है। सरकारी व एन.जी.ओ. के प्रयासों से स्वाधार योजना के तहत अधिक से अधिक आश्रय गृह की संख्या में वृद्धि की जानी जरूरी है। सिर्फ आश्रय गृह बनाने ही नहीं बल्कि उनमें पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं की भी आवश्यकता है।

बचाव के बाद उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सदमे से उबरने के लिए काउंसलिंग व आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण जैसे उपायों को भी बढ़ाने की जरूरत है।

उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से आत्म निर्भर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी तंत्र की नहीं है, बल्कि निजी व सार्वजनिक-क्षेत्र के उपक्रमों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। विभिन्न राज्यों में एन.जी.ओ के प्रयासों में कारपोरेट जगत अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं।

पीड़िता के बचाव कार्यों के समय अक्सर उनके बच्चे उपेक्षित रह जाते हैं। उनको बचाना बचाव-कार्य का अभिन्न अंग होना चाहिए। उन्हें भी रेडलाइट एरियों से निकाल कर सुरक्षित गृहों में पहुंचाना चाहिए। उनके लिए वहीं औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

बचाव-कार्य में लगे प्राधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लेना जरूरी है। कई बार बिना परिवार के सत्यापन के लड़कियों को घर भिजवा दिया जाता है या तथाकथित मां-बाप बनकर आए वेश्यागृह के मालिकों को ही सौंप दिया जाता है। यदि पारिवारिक कारणों से ही कोई लड़की वेश्यावृत्ति करने को मजबूर की गई हो तो उसे वहां भेजना उसे दुबारा शोषण के चक्र में उलझाना भर होगा। यह आवश्यक है कि पीड़िता की समुचित काउंसलिंग के बाद ही उसे आश्रय गृह से जाने दिया जाए। यदि वह अपने परिवार में नहीं लौटना चाहती हो तो उसे वहीं रहकर आजीविका के वैकल्पिक साधन उपलब्ध करवाए जाएं।

रोकथाम के उपायों में सबसे कारगर उपाय यदि कोई हो सकता है तो वह मांग में कमी लाने का है। यह धंधा मांग से ही सृजित हो रहा है। कुंवारी नाबालिग लड़की से संभोग करने से एच.आई.वी./एड्स नहीं होता, यौन-रोग ठीक होते हैं जैसे मिथों के कारण बाल वेश्यावृत्ति में वृद्धि होती रही है। अब वह समय आ चुका है कि वेश्याओं को दंडित करने के स्थान पर ग्राहकों, दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स), वेश्यागृह के मालिकों, दलालों व धंधे से जुड़े उन सभी लोगों पर कानून का शिंकजा कसा जाए। जब तक उन्हें जुर्माना, उनकी संपति जब्त करना, जेल भेजना जैसे उपाय नहीं किए जाएंगे तब तक दूसरे उपाय प्रभावी नहीं हो पाएंगे।

इसके साथ ही मीडिया को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बलात्कार व यौन-शोषण या बाल अपराधी की पहचान को अनजान बनाए रखना भी जरूरी है। अक्सर समाचार पत्रों व मीडिया कवरेज के समय अपराधी मुंह ढके और चेहरा छुपाए दिखते हैं और उनके शोषण का शिकार युवती को बार-बार कैमरा के सामने लाया जाता है। घिनौना अपराध करने वाले व्यक्ति का चेहरा उजागर किया जाना चाहिए ताकि मासूम सूरत के पीछे छिपी असली तस्वीर लोग देख-कर संभल सकें। मीडिया के प्रतिनिधियों को विभिन्न संवेदनशील अपराधों के मामले में गंभीरता से पेश आना भी जरूरी है। सबसे पहले, सबसे आगे बढ़ने की दौड़ में वे अनजाने में अपनी

सीमा रेखा लांघते हैं जिससे उन्हें बचना चाहिए।

अनैतिक देह-व्यापार की रोकथाम में महती भूमिका सरकारी अधिकारियों विशेष रूप से पहले पुलिस और फिर न्यायपालिका की होती है। सामान्य तौर पर यौन-कर्मियों व दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स), चकला मालिकों के अनुभवों के आधार पर कहा जा सकता है कि पुलिस की छवि में बेहद सुधार की गुंजाइश है। अपराधी क्यों हर बार बचकर निकल जाता है? कभी-भी कोई भी ग्राहक या वेश्यागृह का मालिक क्यों नहीं पकड़ा जाता है? वेश्यागृह के मालिक की जमानत क्यों उसी समय हो जाती है। छुड़ाई गई लड़कियों के बयान ये बताते हैं कि अक्सर पुलिस के छापों से पहले ही वे किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर छुपाई जाती हैं यानि वेश्यागृह के मालिक को पहले से ही इसकी जानकारी थी कि पुलिस का छापा पड़ेगा।

क्यों कम उम्र की वेश्याओं के साथ अक्सर बड़ी उम्र की वेश्या को पकड़ कर जेल में रखा जाता है ताकि वे उन्हें डराती धमकाती रह सकें। यही नहीं जो पुलिस अधिकारी छापों के दौरान महिला व लड़कियों को छुड़ाते हैं तो थाने ले जाते समय उन्हें अमानवीय तरीकों से कभी सिर के बाल खींचते, तो कभी घसीटते हुए लेकर जाते हैं। उनकी चार्जशीट तैयार होने में कभी बहुत समय लग जाता है, कभी अधूरी बनती है जिसका फायदा अपराधी ले जाते हैं। अपराधियों को कानून की किस धारा के तहत गिरफ्तार करना है। इन सब बातों की उन्हें जानकारी नहीं होती, ये कुछ ऐसे मुद्दे व सवाल हैं जो यह सोचने को विवश करते हैं कि कानून के रखवालों को कानून की पूरी जानकारी होनी व आम नागरिकों के मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील तो होना ही होगा अपितु साथ ही अपनी ड्यूटी के प्रति सतर्क न रहने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए तभी दोषियों को पकड़कर उन्हें दंडित करने की व्यवस्था में सुधार आ पाएगा।

सिर्फ दंडित ही नहीं प्रोत्साहित करने की रणनीति को भी प्रभावी बनाना होगा। पुलिस-बल में भी ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाते हैं जहां वे अपनी जान की परवाह किए बिना अपराधियों की धर पकड़ करते हैं। अनैतिक देह व्यापार को रोकने में सशक्त भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को सम्मानित करने, पदक देने व समाज के सामने लाने का कार्य भी जरूरी है। ऐसे प्रोत्साहन दूसरों के लिए भी प्रेरणा का काम करते हैं।

रोकथाम के उपायों की अगली कड़ी में यदि कुछ रुकावट दिखती है तो वह रोकथाम के उपायों में बाधा बनने वाली निधियां होती हैं। यूं तो सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एन.जी.ओ. को पर्याप्त अनुदान दिए जाते हैं। कुछ योजनाओं के संचालन के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाए जाते हैं पर विभिन्न गतिविधियों को

सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की बाधा आती है। अनैतिक देह-व्यापार एक ऐसा संगीन मसला है जो राष्ट्रीय शर्म का विषय है। अतः कारपोरेट जगत व निजी क्षेत्र को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भले ही आश्रय गृहों की व्यवस्था में वे योगदान न दें परंतु उनके प्रशिक्षण व रोजगार में मदद करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। कुछ छुटपुट प्रयास कई राज्यों में हो रहे हैं परंतु मिशन के रूप में प्रयास किए जाने आज के समय की मांग हैं।

गुमशुदा व्यक्ति व अनैतिक देह व्यापार में चोली दामन का साथ है। इसे बहुत देर से महसूस किया जा रहा है। कोई बच्चा घर से भाग गया है, कहकर परिवार व समाज व पुलिस अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती। बच्चा भागा है या लड़की भाग गई है भले ही सामाजिक रूप से परिवार के लिए शर्म की बात हो पर क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि उसे अगुवा कर लिया गया हो या उसका अपहरण किया गया हो। 'निठारी कांड' की सच्चाइयां बहुत बाद में खुलती है। यदि गुमशुदा व्यक्तियों को ढूंढने के प्रयास किए जाने में गंभीरता बरती जाए तो उन्हें अनैतिक व्यापार में खरीदने-बेचने की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ही नहीं, कई अन्य एनजीओ भी आज गुमशुदा व्यक्ति का रिकार्ड आन-लाइन रख रही है। हमें वेब दुनिया का लाभ उठा कर रोकथाम के प्रयासों को आगे बढ़ाना चाहिए।

कुछ राज्यों में हेल्पलाइन प्रभावी ढंग से काम कर रही है। ये हेल्पलाइन राष्ट्रीय स्तर पर मिशन के तौर पर हर गांव हर गली तक उपलब्ध होगी तभी मासूम बचपन को कोई आसानी से नहीं बहका सकेगा।

विभिन्न देशों में इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों से प्रेरणा लेकर उन्हें भारतीय संदर्भों के अनुसार ढालने के प्रयास भी किए जा सकते हैं।

रोकथाम के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है कि आर्थिक स्वावलम्बन के रास्ते हर स्थान पर उपलब्ध हो। शिक्षा में नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता को पुनः रेखांकित किया जाए।

क्या पुनर्वास संभव है

इनके कल्याण के बारे में सोचने वाले लोग पुनर्वास या व्यवसाय को ही समाप्त कर देने के विषय में सोचते हैं परंतु यौनकर्मियों का मानना है कि दोनों ही बातें वास्तविकता में संभव इसलिए नहीं है क्योंकि

- समाज उन्हें इनकी पहचान को कभी नकारने नहीं देता।
- जिस देश में बेरोजगारी अपने सुरसा-मुख स्वरूप में हो वहां लाखों महिलाओं को बेरोजगार कर उनसे जुड़े परिवारों को नए सिरे से रोजगार की तलाश में डालना कहां तक उचित है।
- ऐसे नहीं है कि दूसरे व्यवसायों में शोषण नहीं है पर जब उन व्यवसायों को बंद करने की बात नहीं उठती तो इसी व्यवस्था में सुधार के प्रयास किए जाने अधिक बेहतर होंगे।
- कुछ संगठन आकर उनका बचाव कर उन्हें तथाकथित सुरक्षा केंद्रों में डालते हैं, कुछ पुनर्वास के नाम पर बहुत कम आय वाली गतिविधियां शुरू करने की हिदायत देती है और पुलिस अनैतिक देह व्यापार के नाम पर नियमित छापे मारकर अपने आंकड़े पूरा करना चाहती है।

विश्व का सबसे पहला पुनर्वास होम 1226 में फ्रांस में आर्क बिराफ विलियम ने बनवाया था जिसे 'मेसन डेस फिल्म डियू' कहा जाता था। सन 1340 तक पूरे यूरोप देशों में ऐसे होम्स की स्थापना की गई जहां किसी भी उम्र की वेश्या जो अपना व्यवसाय छाड़ना चाहती थी, आकर रह सकती थीं। इन होम में रहते हुई कइयों ने विवाह कर लिए।

यौन-कर्मियों का पुनर्वास एक बड़ी चुनौती है। विभिन्न देशों के अनुभव बताते हैं कि केवल उनक आर्थिक पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साथ ही उनका मनोवैज्ञानिक व सामाजिक पुनर्वास भी जरूरी है तभी वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएगी।

सरकार व एन.जी.ओ. उन्हें पुनर्वास करने के प्रयास करती है। इस दिशा में मीडिया की भूमिका का बहुत महत्व है। आम जनता को शिक्षित करने की दिशा में उनकी अहम भूमिका है क्योंकि पुनर्वास के उपाय इसलिए फेल हो जाते हैं कि उन्हें अपराधी मानकर समाज उन्हें स्वीकृति नहीं देता। समाज को यह स्मरण कराना होगा कि वे वेश्या के रूप में पैदा नहीं हुई उन्हें समाज ने ऐसा बनाया है।

चाइल्ड लाइन-टोल फ्री नंबर 1098 - 24 घंटे

स्ट्रीट चिल्ड्रन, बाल श्रमिक, शोषित, वेश्यागृहों में फंसे मादक पदार्थों का सेवन करने वाले, मानसिक रूप से अपंग, एच.आई.वी. एड्स प्रभावित, आपदा ग्रस्त स्थितियों का शिकार बच्चे व किसी भी प्रकार से परेशान बच्चे इस हेल्पलाइन का प्रयोग कर सकते हैं।

दिल्ली सरकार ने शुरू की है टोल फ्री- युवा फोन सर्विस- 1-800-11-6888 इस टोल फ्री नंबर पर 24 घंटे काउंसलर उपलब्ध रहते हैं। यह मुख्यतः छात्रों के लिए हेल्पलाइन नम्बर है।

अनैतिक व्यापार रोकने के लिए मांग व आपूर्ति के मूलभूत कारणों को दूर करने से ही समस्या का समाधान संभव है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उन कारणों जिसमें असमानता, गरीबी व भेदभाव शामिल है, को दूर करने के उपाय करने होंगे जिनके कारण कोई व्यक्ति निसहाय व निराश्रिय्त होकर इस चक्रव्यूह में न फंसने पाए। अनैतिक व्यापार को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि निम्नलिखित पहलुओं पर विचार कर उन कारणों को दूर करने के प्रयास किए जाएं।

विभिन्न उपायों को बिंदुवार रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

- ❑ देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी, विकास और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के दायरे में लाया जाए। स्वाधार, स्वयं सिद्ध, एवं शक्ति स्वावलम्बन, बालिका समृद्धि योजना, स्टेप, किशोर शक्ति योजना और बाल विकास की विभिन्न योजनाओं के लाभ गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मिले। इससे उन्हें विभिन्न आर्थिक अवसरों के विकल्प मिलेंगे और वे बेहतर अवसरों की तलाश में अपने घरों से दूर जाने की संभावनाओं से बच पाएगी। अच्छी नौकरी दिलाने का लालच उन्हें कोई नहीं दे पाएगा।
- ❑ शिक्षा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। बच्चे स्कूलों में जाएं और वहां जाकर अवश्य पढ़ें। स्कूलों में उपस्थिति में सुधार हो, बालिका शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए। स्कूलों में सेक्स शिक्षा व महिला संबंधी विषयों पर संवेदीकरण स्कूली शिक्षा का हिस्सा होने से लड़कियों को कच्ची उम्र में प्यार, यौन संबंधों आदि के प्रति जागरूक कराने से उन्हें ऐसे व्यक्तियों से बचाया जा सकेगा जो उन्हें प्रेम के झूठे प्रदर्शन से उकसाकर देह व्यापार के रास्ते पर ले जाते हैं।
- ❑ बालिकाओं व किशोरियों को आर्थिक अधिकारों पर साक्षर करने के लिए जन-संचार माध्यमों की विशेष भूमिका हो सकती है। वर्तमान समय में ग्रामीण व छोटे शहरों में ज्ञान व सूचनाओं तक जन-साधारण की पहुंच न होने के कारण उनके भोलेपन का फायदा उठाया जाना साधारण-सी स्थितियां हैं।
- ❑ समाज में अनैतिक व्यापार से जुड़े खतरों के प्रति जागरूक करने के लिए सरकारी प्रयासों व स्वैच्छिक संगठनों व पंचायत से लेकर मोहल्ला कमेटियों सभी को अपने क्षेत्र विशेष की जिम्मेदारियां लेकर इसे एक अभियान के रूप में चलाया जाना आज के समय की मांग है।

- ❑ अनैतिक व्यापार को समाप्त करने के लिए जन-अभियान चलाने के साथ-साथ न्यायपालिका को मजबूत बनाने की दिशा में अधिक प्रयास किए जाने भी जरूरी हैं।

विदेश मंत्रालय ने विदेशों में नौकरियां दिलाने के लिए भर्ती करने वाले एजेन्टों की आवेदन फीस और प्रतिभूति जमा राशि में वृद्धि करने के लिए (इमीग्रेशन) प्राव्रजन संशोधन नियमों में संशोधन कर सरकारी नियंत्रण को प्रभावी करने के प्रयास किए हैं। एजेन्ट के आवेदन पत्र के साथ कम्पनी की पिछले तीन वर्षों के बैलेंस शीट और आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया गया है। ऐसे संशोधनों से विदेशों में नौकरियों के नाम पर ठगी में कमी आने की संभावना होगी।

- ❑ न्यायपालिका, पुलिस, सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं को मिलकर जन-जागृति के प्रयास करते हुए प्रहरी की भूमिकाएं निभाने के लिए परस्पर समन्वय बनाना जरूरी है।

भले ही लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लम्बे समय के लिए जाकर रहने के लिए अपना नया राशन-कार्ड आदि बनवाए जाने जैसी अनिवार्यताएं पूरा करना उन्हें झंझट लगती हैं परंतु ऐसी कुछ अनिवार्यताएं हैं, जिनमें जन्म व शादी का पंजीकरण कराने से ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाना संभव होता है जो अवयस्क लड़कियों से विवाह करते हैं या एक से अधिक बार शादियां करते हैं। ऐसे लोगों पर कानून की नकेल कसना आवश्यक है।

- ❑ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में राष्ट्रीय डाटा बेस/वेब पोर्टल बनाए जाने की नितांत आवश्यकता है। बच्चों व महिलाओं के खोए जाने के आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध होने चाहिएं। एंटी ट्रैफिकिंग नेटवर्क, देह व्यापार के शिकार व्यक्तियों से व्यवहार किए जाने वाले 'करने योग्य' व 'न करने योग्य' बातों की सूचनाएं सर्वत्र प्रसारित हों। सीमा पार से देह व्यापार के मामलों को उन राष्ट्रों के डाटा बेस से समन्वय करना भी आवश्यक है।
- ❑ देवदासी, जोगिन, भाविन आदि जैसी धार्मिक वेश्यावृत्ति को रोकना भी जरूरी है। इन प्रयासों पर अधिनियम द्वारा प्रतिबंध लागू किए जाने के बावजूद हर वर्ष हजारों लड़कियां आज भी देवदासी बन जाती हैं। साक्षरता का प्रचार बेहद जरूरी है तभी अंध-विश्वास दूर हो पाएंगे। प्रचार माध्यमों को इन प्रथाओं का विरोध कर लोगों को जागरूक करना चाहिए।
- ❑ चाइल्ड हेल्पलाइन व महिला हेल्पलाइनों की जानकारी प्रचारित-प्रसारित की जानी चाहिए। प्रत्येक बस स्टेंड, रेलवे-स्टेशन, एयरपोर्ट व विभिन्न

चौराहों पर इन नंबरों की जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। पुलिस स्टेशनों में एन जी ओ के कार्यकर्ता महिलाओं व बच्चों के सहयोग व सहायता के लिए होने चाहिए।

- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में गुमशुदा व्यक्तियों का डाटा बेस तैयार होने के साथ-साथ विभिन्न वेश्यागृहों से छुड़ाई गई लड़कियों की जानकारी के आंकड़े भी उपलब्ध होने चाहिए ताकि दुबारा से उनको कहीं अन्यत्र बेचे जाने की स्थितियों की जानकारी भी उपलब्ध हो सके।
- भारत में, यौन-कर्म में अधिकांशतः बेबस व लाचार व अवयस्क लड़कियों को धकेला जाता है। इन्हें वेश्यालयों से मुक्त तो कराया जाता है परंतु इनका पुनर्वास व प्रत्यावर्तन करने, इन्हें परिवारों में पहुंचाने जैसे कार्यों में संवेदनशील होना जरूरी है। पीड़िता व अपराधी के अंतर को समझने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डरों जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकर्ता, न्यायपालिका, पुलिस अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी व फोरेंसिक विशेषज्ञों की क्षमता निर्माण की जानी अपेक्षित है ताकि विभिन्न स्तरों पर लोगों के जागरूक होने से इस व्यवसाय में लड़कियों को लाने की दर में कमी आ सके।
- इनके अलावा मीडिया को जागरूक करना भी जरूरी है। जन-संचार माध्यमों में पीड़िता की रिपोर्ट देते समय उन्हें क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उन्हें ज्ञात होना चाहिए।
- निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। देश के प्रत्येक गांव में प्राथमिक व हाई स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि घर से स्कूल की अधिक दूरी के कारण लड़कियों को स्कूल न भेजने का बहाना मां-बाप न कर सकें। लड़कियों में 100% साक्षरता के लक्ष्य को पूरा किया जाना चाहिए।
- शिक्षा से ही यौन शिक्षा की जानकारी व प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी आ सकती है। विवाह पूर्व यौन संबंधों से वैवाहिक रिश्तों के टूटने की स्थितियां, प्रेमियों का ब्लेकमेल कर वेश्यागृहों में बेचने जैसी घटनाएं इन्हीं के कारण होती है। यौन-रोगों की जानकारी व इनसे बचाव के उपायों की जानकारी होनी जरूरी है।
- शिक्षा में व्यावसायिक प्रशिक्षण की उपयोगिता को रेखांकित किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति बहुत अधिक मेहनती व शिक्षित नहीं हो सकता।

- लोगों को न केवल शिक्षित करना बेहद जरूरी है बल्कि उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं जो गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम हैं, के बारे में जानकारी दी जानी भी जरूरी है।
- प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों में पर्याप्त व समुचित सहायता का शीघ्र प्रबंध किया जाना चाहिए।
- विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में अनुभवी गैर- सरकारी संगठनों को जोड़ना चाहिए।
- मीडिया को देह-व्यापारियों की कार्यशैली के बारे में समाज को सचेत करना चाहिए। विभिन्न हेल्प लाइन की जानकारी सिनेमा हालों में दिखाई जानी चाहिए। स्कूलों व कॉलेजों के पाठ्यक्रम में भी उन्हें जागरूक करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
- इमीग्रेशन काउंटर, होटल के कमरों, लोक कला केंद्रों/तमाशा थियेटरों, रेस्तरां, बार पर्यटन स्थलों, रेलवे स्टेशनों पर 'अनैतिक व्यापार रोकथाम' के संदेश लगाए जाने चाहिएं।
- न केवल हेल्पलाइनों की जानकारी बल्कि अनैतिक व्यापार रोकथाम के स्लोगन व संदेशों का प्रसारण भी रेडियो व टीवी के माध्यम से किया जाना चाहिए। एफ.एम. चैनलों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए।
- अनैतिक व्यापार की रोकथाम के लिए एन.जी.ओ., मानवाधिकार आयोग व अन्य सरकारी निकायों को मिलकर प्रयास करने चाहिए।
- ग्राम स्तरों पर बाल सुरक्षा समिति/नागरिक समितियां बनाई जाए ताकि गांवों से बाहर जा रहे बच्चों व गांवों में चक्कर काट रहे अजनबियों पर कड़ी नजर रखी जा सके।
- मेघालय मॉडल को पूरे देश में कार्यान्वित किया सकता है।
- सिर्फ मेघालय मॉडल ही नहीं देश के विभिन्न भागों में विभिन्न एनजीओ द्वारा व्यवहार में लाई जा रही है अनुकरणीय प्रक्रिया व व्यवहारों को दूसरे भागों में आदर्श मॉडल के रूप में अपनाया जा सकता है।
- पूरे देश में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण कराए जाने की अनिवार्यता को प्रचारित-प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हो सके। इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो डाटा से भी जोड़ा जा सकता है।
- वेश्यावृत्ति आज केवल वेश्यागृहों तक सीमित नही रह गई है। सेक्स पर्यटन, डांस बार, एस्कार्ट, फ्रेंडशिप करने जैसे उसके विभिन्न रूप विकसित हो चुके हैं इसलिए जागरुकता अभियान और प्रशिक्षण/संवेदीकरण

कार्यक्रमों को चलाना समय की नजाकत की पहचान करना है। इन मसाज पार्लरों व एस्कार्ट सेवाओं व फ्रेंडशिप क्लबों की आड़ में क्या चलता है इसके विरुद्ध जन मुहिम चलाने से ही स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राओं को जागरूक किया जा सकता है।

- अनैतिक देह व्यापारियों के विशेष चेहरे-मोहरे व नैन-नक्श नहीं होते। वे दोस्तों प्रेमियों, अंतरंग सहेलियों, पड़ोसियों व किसी होटल रेस्तरां में नौकरी दिलाने वाले हितैषी किसी भी रूप में सामने आ सकते हैं।
- कानून लागू करने के संबंध में यह आवश्यक है कि-

- अनैतिक व्यापार पर एक राष्ट्रीय नीति हो।
- क्षतिपूर्ति फंड की स्थापना हो।
- कोर्ट की कार्रवाई बंद कमरे में हो।
- क्षतिपूर्ति का अधिकार हो।
- बाल श्रमिकों सहित अनैतिक व्यापार के पीड़ितों का पुनर्वास हो।
- बच्चे की उम्र की एक परिभाषा हो। वह उम्र 18 वर्ष हो।
- अनैतिक देह व्यापार की एक परिभाषा निर्धारित हो।

- देह व्यापार के उन्मूलन के लिए यह जरूरी है कि इस मुद्दे पर जागरुकता, संवेदीकरण, शिक्षण व प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। इसके उन्मूलन से जुड़े लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है।

पुलिस की भूमिका

अक्सर यह देखने में आता है कि पुलिस के रुख पर यौन-कर्मी उन्हें ही कठघरे में खड़ा करते हैं। पुलिस की 'हफ्ता वसूली' 'मुफ्त में सेक्स', बिना वजह तंग करना, छापा कार्रवाई में बदसलूकी से पेश आना, वेश्यागृह के मालिकों से मिलीभगत होना, पहले पकड़ा फिर जमानत लेकर छोड़ देना जैसे अनेक आरोप हैं जो पुलिस पर लगाए जाते हैं।

पुलिस एक पुरुषत्व की मनोवृत्ति के चलते एक दकियानूसी सोच में महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों को निपटाती है। यौन हिंसा/उत्पीड़न के बारे में पुलिस की कुछ दकियानूसी धारणाएं हैं, जिनमें बलात्कार के लिए पीड़िता का उत्तेजक पहनावा और व्यवहार, अंधेरा हो जाने के बाद उसका बाहर निकलना, यौन हिंसा को आमंत्रण देते हैं, महिलाओं का स्थान घर है यदि वह बाहर निकलती हैं तो मार्ग में आने वाली स्थिति को उन्हें सहना चाहिए, पुरुष कामेच्छा एक अनियंत्रणीय आवेग है। महिलाओं को उकसाना नहीं चाहिए आदि।

पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों में अपना आम कर्तव्य निभाने में महिला संवेदी तरीके से व्यवहार तथा कार्यवाही करने की दिशा में प्रेरित करने के लिए उनके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाने की आवश्यकता को महसूस कर राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'पुलिस अधिकारियों के लिए महिलाओं के प्रति संवेदीकरण का पाठ्यक्रम' तैयार किया है।

निसंदेह इस समय पुलिस बल के अधिकांश अधिकारियों में लिंग संबंधी मुद्दों में समुचित जागरुकता की कमी है। जहां जागरुकता है वहां भी पुरुष मानसिकता के कारण उनकी धारणाएं दकियानूसी हैं। उनकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए काफी प्रयास किए भी जा रहे हैं। लिंग प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, की सहायता से दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टरों/सब इंस्पेक्टरों को महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, महाराष्ट्र में भी इंस्पेक्टरों/ सब इंस्पेक्टरों के लिए महिला संवेदनशीलता प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान भी पुलिस सहित विभिन्न संगठनों के अधिकारियों के लिए महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता पर पाठ्यक्रम आयोजित करते रहते हैं।

पुलिस की छवि को मीडिया में गलत ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। किसी भी महकमे में ईमानदार व बेईमान दोनों प्रकार के अधिकारी होते हैं। मीडिया ने केवल उन्हीं अधिकारियों को प्रचारित किया है जो बेईमान किस्म के होते हैं। ऐसे अधिकारियों जिनके प्रयासों से विभिन्न वेश्यागृहों से लड़कियां छुड़ाई जाती हैं, उनके पुनर्वास व प्रत्यावर्तन के प्रयास निरंतर किए जाते हैं उन्हें सम्मानित करने व उनकी कार्यप्रणाली को अन्य क्षेत्रों में भी अपनाने के लिए प्रयास किए जा सकें। इसके लिए यह जरूरी है कि मीडिया उनकी जानकारी भी प्रसारित करे।

पुलिस बल में अधिक महिलाओं की नियुक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि पीड़ित महिलाएं पुलिस महिला अधिकारियों के समक्ष अपनी बात कहने में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करती हैं। पुलिस में कम से कम दस प्रतिशत महिलाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही है ऐसा होने से प्रत्येक थाने में एक महिला कक्ष स्थापित किया जा सकेगा जो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के मामलों को देखेगा। महिला कक्षों की स्थापना से निसहाय लड़कियां परदेस में निसंकोच थानों में जाकर सहायता मांग सकेगी और वेश्यागृहों से लड़कियां छुड़ाने के अभियानों में तेजी आ सकेगी।

यह माना जाता है कि अक्सर पुलिस महिलाओं की शिकायतों पर उपेक्षा भाव रखती है। पारिवारिक विवादों की प्रकृति के मामलों को दर्ज करने में अरुचि, मामलों को कानून की ऐसी धारा के अंतर्गत दर्ज करना जिनमें सजा कम मिलती है, केस

दायर करने में देरी करना, महिलाओं को तंग किए जाने के मामलों के प्रति उपेक्षा इसलिए करती है कि उसकी धारणा है कि महिलाओं के भड़काऊ परिधानों के कारण ऐसा होता है। बलात्कार का शिकारी महिला को ही अनैतिक चरित्र की महिला करार दिया जाता है। दहेज-उत्पीड़न के मामलों को झगड़ालू महिला की करनी बता कर रफा-दफा करने का प्रयास करना, घरेलू हिंसा के मामलों को 'पति ने ही तो मारा है' कहकर उपेक्षा करना, महिला के द्वारा बार-बार याचिका देने पर उसे पागल करार देना, जैसी असंवेदनशील प्रतिक्रिया देती है। पुलिस को अपनी इस छवि को सुधारना नितांत आवश्यक है।

पुलिस सेवा में प्रवेश के समय से ही उन्हें महिलाओं के प्रति संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो सके। जब पीड़ितों/अपराधियों या भेदियों/ साक्षियों के रूप में महिलाएं उनके सामने हो तो उनके साथ व्यवहार के बारे में उन्हें आचार-संहिता के संबंध में शिक्षित करना, कुशल तथा संवेदनशील जांच-पड़ताल करके आश्वस्त करना ताकि अत्याचार की शिकार को हादसे से पहुंची वेदना को कम किया जा सके। पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।

- महिला ड्यूटी अधिकारियों की रात के समय भी विशेष-रूप से रेलवे स्टेशनों और बाजार स्थलों पर महिलाओं की शिकायतें दर्ज करने और महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों पर ध्यान देने के लिए तैनाती की जानी चाहिए।
- अलग से महिला थानों की बजाय हर पुलिस स्टेशन में महिला अधिकारियों की तैनाती हो।
- महिलाओं की शिकायतों की नियमित रूप से वरिष्ठ तंत्र को रिपोर्ट भेजी जाए और पुलिस स्टेशन द्वारा उसके न निपटाने के कारण उच्चतर अधिकारियों को सूचित किए जाए।

राज्य-स्तर पर एक शिखर संस्था का गठन किया जाए जिसमें पुलिस न्यायपालिका, प्रशासन, बंदीगृह, अभियोग-पत्र, महिला कार्यकर्ता, वकीलों नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं, विधायकों, शिक्षा-विदों और समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। इस संस्था को महिला संवेदी नीति पर एक औपचारिक नीति और आचार संहिता बनानी चाहिए। ऐसी नीति के क्रियान्वयन की नियमित अंतरालों पर निगरानी करनी चाहिए।

कानून लागू करने की प्रक्रिया में पहली सक्रिय भूमिका पुलिस की होती है। अपराधियों व पीड़ितों तक पहले पहुंचने वाले सरकारी अधिकारी व कर्मचारी पुलिस

के ही होते हैं। अपनी इतनी अहम भूमिका के कारण पुलिस स्टाफ की छवि समाज के रक्षक की होती है पर इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि पुलिस की छवि वह नहीं है जिसकी उससे अपेक्षा है।

विभिन्न वेश्यागृहों में काम करने वाली औरतें, उनके मालिकों, दलालों व एन जी ओ के अनुभव यही दर्शाते हैं कि पुलिस सुरक्षा पीड़िता को नहीं अपितु अपराधी को मिलती है। अक्सर समुचित साक्ष्यों के अभाव में अपराधी छूट जाते हैं व केस कमजोर पड़ जाते हैं।

पुलिस अनैतिक देह व्यापार के मामलों को कितना महत्व देती है यह एक विचारणीय प्रश्न है। पुलिस के पास प्रतिदिन सभी आपराधिक मामले ही आते हैं। अवयस्क देह व्यापार व बलात्कार के मामलों के प्रति उसकी गंभीरता के प्रति पुलिस संवेदी हो इसके लिए पुलिस स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण जिसमें उन्हें ऐसे मामलों से निबटने के लिए किन-किन धाराओं व किन अधिनियमों के तहत केस दायर करना है आदि की जानकारी के साथ-साथ अपराधी व पीड़िता के भेद करते हुए उनके साथ मानवीय दृष्टिकोण से व्यवहार करने जैसे विषयों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है।

विदेशी दुर्व्यापार का शिकार (ट्रैफिकिड) व्यक्तियों को मुकदमे की सुनवाई के दौरान भारत में रहने देने के लिए अमेरिका की तरह टी-वीजा देने की व्यवस्था पर विचार किया जा सकता। अमेरिका की तरह उन्हें इस दौरान पूरी सुरक्षा, काउंसलिंग व रोजगार व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है।

हमारी न्याय-प्रणाली बच्चों व महिलाओं के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा उनके बयान रिकॉर्ड करने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है।

प्रजावाला एन.जी.ओ. की एक रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ऐसी व्यवस्था करने के लिए निदेश दिए हैं।

गुमशुदा व्यक्ति-

अक्सर घर से जब कोई लड़की गायब हो जाती है तो मां-बाप चुप्पी साध जाते हैं। कहीं घर से भाग गई और पकड़ी गई का ठप्पा न लग जाए, पर यदि पुलिस में खबर भी लिखवाते हैं तो दो-चार बार रेडियो, टीवी पर या अखबारों में विज्ञापन भर छपता है। पुलिस इससे अधिक कुछ नहीं करती। परंतु यदि पुलिस हरकत में आए और मां-बाप भी हर गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट लिखवाएं तो जो बच्चे गुम न हुए हों, बल्कि दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स) द्वारा अगवा कर लिए गए हों, उनको बलात्कार,

कहीं बेचे जाने से पहले ढूंढ़ा जा सकता है।

जरूरी है कि पुलिस विभिन्न एन जी ओ के सहयोग से गुमशुदा व्यक्तियों को खोजने में तत्परता बरतें, हो सकता है कि अभी वे पास ही के किसी छोटे रेस्तरां या होटल में छिपे हों। जिस प्रकार गोवा चिल्ड्रन एक्ट के तहत किसी वयस्क के साथ अवयस्क बच्चे की होटल में जाने (एंट्री) को संदिग्ध दृष्टि से देखा जाता है, वैसे ही हर जागरूक नागरिक, जो किसी रेस्तरां, किसी होटल या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर बैठा है, ऐसे किसी संदिग्ध व्यक्ति से उस मासूम बच्चों को छुड़वाने के प्रयास करें।

पुलिस थानों में महिला सेल-

सभी राज्यों में इसकी व्यवस्था नहीं है। कानून के अनुसार विशेष महिला कक्षों के न होने व महिला पुलिस अधिकारियों की अनुपस्थिति में किसी महिला को थाने में नहीं रखा जा सकता। इस कारण पुलिस अधिकारी कुछ ज्यादा ही समझदारी दिखाते हुए तुरंत मैडम/ मालकिन को छोड़ देते हैं।

विभिन्न सरकारी एजेंसियां जैसे खादी व ग्रामोद्योग, महिला आर्थिक विकास मंडलों की आश्रम-गृहों में रहने वाली लड़कियों को आवासीय, व्यावसायिक व उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना चाहिए। यही नहीं कृषि विश्वविद्यालयों को बागवानी, डेरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन व रेशम उत्पादन जैसे कार्यों में उन्हें प्रशिक्षण देने की योजनाएं चलानी चाहिए। विभिन्न सरकारी व निजी व गैर सरकारी संस्थाओं के ऐसे प्रयासों से पुनर्वास की दिशा में सशक्त कदम उठाये जा सकते हैं। सिर्फ उन्हें प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण उपरांत उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने व उनके द्वारा तैयार माल की बिक्री की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।

समाज से ऐसे कुत्सित व घिनौने चेहरे वाले लोगों को हटाना जरूरी है। आज नैतिक शिक्षा का पाठ फिर से पढ़ाया जाना चाहिए।

यौन-कर्मियों को समाज की मुख्य-धारा में लाने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें अपनी पूर्व जिंदगी भूलकर नए सिरे से रोजगार दिला कर आत्मविश्वास व आत्मसम्मान से जीना सिखाया जाए। समाज भी पूर्वाग्रह से मुक्त हो। सरकार, गैर-सरकारी संगठन व लोगों को उनके पुनर्वास के कदमों को गति देने की दिशा में उन्हें रोजगार, शिक्षा, वित्तीय सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने में सहयोग तो करना ही होगा उनके साथ युवकों को विवाह के लिए भी आगे आना होगा।

सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाली आबादी के लिए चलाई जा रही है। बेटी के जन्म से लेकर उसकी स्कूली शिक्षा, उसके लिए

व्यावसायिक प्रशिक्षण व स्वरोजगार की सुविधाएं सहित कितने ही प्रयास सभी मंत्रालयों की ओर से किए जा रहे हैं।

आज सामाजिक बदलाव लाए जाने की बहुत जरूरत है। सदियों से पुरुष कोठों पर जा रहा है। परिवार के समानांतर वेश्याओं के घर चल रहे हैं। वह उसकी रक्षिता, पोषिता व समाज में भी साथ घूमती-फिरती रही है। इन वेश्याओं के परिवारों में लौटने की चाह उनकी बेबसी के चित्रण करते हुए उनके माध्यम से साहित्य की पोथियों के पन्ने रंगते पुरुष आज तक थके नहीं हैं पर उसे सामाजिक अनिवार्यता का नाम क्यों दिया जाता है। ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं हो सकती है। जिसके द्वारा समाज के एक वर्ग का शोषण किया जा सकता है।

समाज की सच्चाई तो यह है कि यौन-कर्म में लगी औरतें अपने परिवारों का लालन-पालन करने की मजबूरी में यहां तक पहुंची हैं। जिन परिवारों की वे बेटियां थीं, वहां गरीबी थी, लाचारी थी, जिसके कारण परिवार के 'मुखिया' ने उसे बेच डाला जो 'पति' बना उसने भी उसका सौदा किया। फिर भी वे उन परिवारों की कमाई का साधन बनीं।

मोटेतौर पर इस व्यवसाय में दो तरह की महिलाएं हैं। एक जिन्हें मजबूरी/ जबरन लाया गया और दूसरी पारंपरिक व्यवसाय के तौर पर इसमें धकेल दी गई। जो इस धंधे से बाहर निकलना चाहती हैं उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए और दूसरों की स्थिति में सुधार के उपाय किये जाने चाहिएं। व्यवस्थाएं इस प्रकार की जानी चाहिएं कि अगली पीढ़ी इस में शामिल न हो तभी इसे बंद करने के प्रयास सफल हो पाएंगे।

'मांग' पक्ष को कम करना-

जब तक मांग है तब तक धंधे को पनपने से रोका नहीं जा सकता। यह मांग किस प्रकार कम हो उसके लिए कई दिशाओं में प्रयास होने चाहिएं।

झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों को फैलने से रोकना-

हर बड़े शहर में नौकरी की तलाश में हर दिन ट्रेन, रेल व बसों के रास्ते हजारों लोग पहुंच जाते हैं। बड़े शहरों की खासियत कही जाती है कि वहां हर किसी को छोटा-बड़ा धंधा करने को मिल ही जाता है। इस लालच में रहने के लिए फुटपाथ पर भी सोने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पुरुष की शारीरिक भूख को समाज ने बड़ी अहमियत दी है, इस कारण रेडलाइट एरिया समाज के हाशिये पर समानांतर चलते हैं।

विधिक व्यवस्था

अनैतिक देहव्यापार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों की चिंता का कारण है। किसी भी राष्ट्र की यह विधिक जिम्मेदारी है कि अनैतिक देहव्यापार को रोकने के लिए कानून बनाए व उनका सख्ती से अनुपालन भी करवाए।

समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए कई कानून व विभिन्न राष्ट्रों के बीच करार किए जाते हैं। 'इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द सप्रेशन ऑफ द वाइट स्लेव ट्रैफिक 1904, इंटरनेशनल कन्वेंशन फार द सप्रेशन आफ द ट्रैफिक इन वूमेन एंड चिल्ड्रन 1921, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द ट्रैफिक इन वूमेन आफ फुल एज 1933, यूनीवर्स डेकलेरशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, यू एन कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ द ट्रैफिक इन पर्सन्स एंड आफ द एक्सप्लायटेशन ऑफ द प्रॉस्टीच्युशन ऑफ अदर्स 1949 (इसमें वर्ष 1904, 1910 व 1921 के कन्वेंशन सम्मिलित किए गए), कंवेंशन ऑफ द एलीमीनेशन ऑल फॉम्स आफ डिसक्रीमीनेशन अगेन्स्ट वूमेन 1979, कन्वेंशन आन द राइट्स आफ द चाइल्ड 1989, यू एन प्रोटोकोल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, एसपेश्यली वूमेन एंड चिल्ड्रन आन द सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोस्टीच्यचुशन एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी 2001, रिकमेंडिड प्रिंसीपल्स एंड गाइडलाइन्स आन ह्यूमन राइट्स एंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग 2002, सार्क कन्वेंशन आन प्रिवेंटिंग एंड कम्बेटिंग द ट्रैफिकिंग इन वूमेन एंड चिल्ड्रन फॉर प्रॉस्टीच्युशन 2002' इस दिशा में कुछ प्रमुख मील के पत्थर हैं।

भारत की स्थिति

भारत के संविधान की धारा 23 (1) मानवों के अनैतिक व्यापार और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करती है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 293, 294, 317, 339, 340, 341, 342, 354, 359, 361, 362, 363, 365, 366, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 496, 498, 506, 509 और 511 के तहत इनके लिए दंड की व्यवस्था है।

धारा 366ए के तहत अवयस्क लड़की (18 वर्ष से कम उम्र) के देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बेचने और 22 वर्ष से कम उम्र की लड़की को बेचना धारा 366बी के तहत दंडनीय है। धारा 374 किसी की इच्छा के विरुद्ध उससे काम लेना दंडनीय अपराध है।

संविधान की धारा 35 के तहत महिलाओं व लड़कियों के अनैतिक व्यापार

को रोकने के लिए अधिनियम 1956 (एस.आई.टी.ए.) बनाया गया। यह 9 मई 1950 की यू एन ट्रैफिकिंग कन्वेन्शन पर भारत के हस्ताक्षर के बाद बनाया गया। 1978 में इसे संशोधित किया गया। 1986 में इसमें काफी संशोधन करने के बाद इसका नाम अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956 कर दिया गया है। (अधिनियम की विस्तृत जानकारी अध्याय में दी गई है) महिलाओं के अशिष्ट रुपण (प्रतिरोध) अधिनियम 1986 के द्वारा किसी रूप से उनके अशिष्ट चित्रण को प्रतिबंधित किया गया है (अधिनियम की विस्तृत जानकारी अध्याय में दी गई है)

बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 में बाल विवाह, बाल, संपर्क पक्षकार अवयस्क आदि को परिभाषित किया गया है।

स्वतंत्रता पूर्व मैसूर पहला राज्य था जिसने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया था। 1924 में भारतीय दंड संहिता की धारा 372 व 373 में संशोधन कर मंदिरों में लड़कियों को सर्मपित करने की व्यवस्था को अवैध ठहराया गया था।

विधिक प्रक्रिया-

- ❑ **लम्बी प्रक्रिया -** जब तक मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता वेश्यागृह से छुड़ाई लड़कियों को रिमांड होम में रखा जाता है जबकि दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) या कोठा मालकिन को 90 दिनों के भीतर जमानत मिल ही जाती है।

चार्जशीट दाखिल करने में देरी- पुलिस के समय से कार्रवाई न करने के कारण दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) जमानत लेकर छूट जाते हैं।

विस्तार से जांच न होना - ऐसा अक्सर हो जाता है कि छुड़ाई गई लड़की को मैडम या मालकिन ही जमानत पर ले जाते हैं, क्योंकि वही अभिभावक बनकर आ जाते हैं। पुलिस के पास छानबीन का समय कम होता है और यह भी देखा गया है कि वे उनके असली अभिभावक भी नहीं होते, उन्होंने उन्हें गोद ले रखा होता है। पुलिस यह *भांप ही नहीं पाती है कि गोद लेने का उद्देश्य क्या था? पुलिस को इतना जागरूक तो होना चाहिए कि जिस देश में लड़कियों को भ्रूण स्थिति में ही मार डाला जाता है वहां कोई लड़कियां गोद क्यों ले रहा है और गोद लेने वाले का धंधा क्या है?*

आई.टी.पी.ए. की धारा 5 का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है?

- पुलिस छापों के दौरान कभी-भी दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स) की गिरफ्तारी नहीं होती है।

- अपहरण के मामलों में भी चार्जशीट समुचित ढंग से तैयार नहीं की जाती है। अपहरण के मामलों में धारा 372, 373 अथवा इटपा की धारा 5 का सम्यक उपयोग किया जा सकता है।
- न्यायपालिका व न्याय लागू करने वाली एजेंसियों में उचित तालमेल के अभाव में ही दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) बच निकलते हैं। यौनकर्मी के बच्चे वेश्यागृह में ही छूट जाते हैं। जिन्हें वहां से छुड़ाने के लिए पीड़िता को दुबारा कोठा मालकिन के पास पहुंचा दिया जाता है।
- आई.टी.पी.ए. की धारा 13 के अंतर्गत सभी राज्यों में विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही केंद्र सरकार को पर्याप्त संख्या में ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियां की जानी चाहिएं।
- धारा 13 (3) के तहत गैर-अधिकारी सलाहकार निकायों का गठन किया जाना चाहिए परंतु यह नदारद है। न्यायिक अधिकारी द्वारा शोषण पीड़ितों को भी अपराधी मानकर व्यवहार किया जाता है। यह विचार नहीं किया जाता है कि उन्हें अपराधियों के चंगुल से निकालकर पुनर्वास कराना अधिक जरूरी है।

❑ न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी भी यह मानते हैं कि कार्य की अधिकता के कारण आई.टी.पी.ए. के तहत दर्ज मामलों पर वे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना उन्हें देना चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि विशेष कोर्ट गठित की जाए। ताकि पीडित को न्याय मिलने में देरी न हो।

❑ महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या अधिक होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट के समक्ष जब लड़कियों को ले जाया जाए तो सादा कपड़ों में महिला पुलिस को उसके साथ होनी चाहिए।

❑ कोर्ट को कुछ बातों का संज्ञान लेकर निर्णय देने चाहिए। उदाहरण के तौर पर फ्रेंडशिप क्लब व मसाज पार्लरों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध क्यों न लगाया जाए। वे दोस्ती में संतुष्टि का जिक्र करते हैं। दोस्ती करते हुए कमाए। एक ही रोज में मसाज पार्लर में दस हजार कमाए? इनका क्या अर्थ है? क्या यह वेश्यालय का आधुनिक रूप नहीं है? समाज की जागरूकता के लिए कोर्ट को सक्रिय प्रहरी बनना होगा।

कानून लागू करने में आने वाली कठिनाइयां

आयु सत्यापन- न्यायपालिका के लिए छुड़ाई गई लड़कियों की आयु उनकी न्यायप्रक्रिया के लिए अहमियत रखती है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत 18 वर्ष

से कम उम्र के व्यक्ति को जेल में नहीं अपितु पुनर्वास/आश्रय गृह में भेजा जाता है। 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किया संभोग बलात्कार की श्रेणी में आता है और उसे एक स्थान से या दूसरे देश में ले जाना भी दंडनीय अपराध है। उन्हें वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से खरीदना या बेचना भी दंडनीय है।

अवयस्क लड़कियां फिर से वेश्यागृह के मालिकों के जाल में न फंस जाए इसलिए चिकित्सा जांच के समय एन.जी.ओ., पुलिस अधिकारियों और महिला डॉक्टर की उपस्थिति होनी चाहिए। इस कार्य में किसी एन.जी.ओ. की उपस्थिति को सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न फैसलों में अनिवार्य कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के अनुसार जी बी रोड पर पुलिस छापों के दौरान स्टॉप एन.जी.ओ., मुंबई पुलिस के छापों में 'प्रेरणा-एन.जी.ओ. और इसी तरह आंध्र पदेश पुलिस के छापों में प्रजावाल एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अन्य फैसले में यह स्पष्ट किया है कि यदि डॉक्टर अवयस्क लड़की की उम्र के लिए यदि 17 से 19 की कोष्ठक रखती है तो ऐसे में उम्र 17 समझी जानए न कि 18 या 19। परंतु उसे 19 दर्शा कर वेश्यागृहों के मालिकों के हाथ मजबूत करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।

ट्रैफिकर्स व अन्य शोषकों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की मांग

यह मांग काफी समय से की जा रही है। आई.टी.पी.ए. में यदि संशोधन, प्रभावी हो जाते हैं तो कोठे पर जाने वाले ग्राहकों को भी जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। विभिन्न संशोधनों के माध्यम से पीड़िता, शोषिता को दंड से बचाने व असली गुनहगार को कानून के घेरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अभियोग - पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पैरवीकार वकीलों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। विभिन्न मामलों में समुचित साक्ष्य न जुटा पाने के कारण दोषी व्यक्ति का छूट जाना स्वाभाविक होता है। उन्हें कानून की समुचित धाराओं व सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के विभिन्न फैसलों की जानकारी होनी चाहिए।

एन.जी.ओ. सरकार सहभागिता - आजकल हर क्षेत्र में सरकारी सार्वजनिक सहभागिता (पी.पी.पी.) की चर्चा की जाती है और अनैतिक देहव्यापार में धकेल दी गई लड़कियों को बेचने के लिए न केवल एन.जी.ओ. बल्कि आम नागरिकों को सतर्क प्रहरियों के रूप में सरकार के काम में हाथ बंटाने की अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।

आश्रय गृहों की संख्या में कमी - अक्सर आश्रय गृहों की कमी खलती है। यह जरूरी है कि सरकार की स्वाधार योजना का लाभ उठाते हुए राज्यों में अधिक से

अधिक आश्रय गृह खोले जाने चाहिए।

पुनर्वास प्रक्रिया का अपर्याप्त होना- एक बार वेश्यागृह से छुड़ाई गई लड़कियां दुबारा उस दलदल में न पहुंच पाए इसके लिए यह आवश्यक है कि आश्रय गृहों में उनके पुनर्वास के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों।

- मानवाधिकार आयोग की भूमिका
- यह जरूरी है कि पुलिस अधिकारियों की जागरूकता होनी चाहिए।

(14 साल के उम्र की लड़कियों को जेलों से जमानत नहीं मिल पाती। उनके विरुद्ध केस नहीं बन पाते पर असली अपराधी जमानत लेकर चले जाते हैं।)

- ट्रैफिक्ड व्यक्तियों के लिए विशेष केयर होम स्थापित हों।
- ऐसे एन.जी.ओ. जो पीड़िता के पुनर्समेकन का काम करें उन्हें तुरंत वित्तीय सहायता दी जाए।
- ट्रॉमा काउंसलिंग सेंटर बनाए जाएं।
- अधिकारियों को जवाबदेह बनाए जाएं-

मानसिकता में बदलाव- समाज के स्तर पर

किसी भी व्यवस्था पर चोट करने से पहले सिक्के के दोनों पहलुओं की समीक्षा की जानी जरूरी है। वेश्यावृत्ति के कारणों की लम्बी फेहरिस्त यह बताती है कि अधिकांशतः वे अनिच्छा से, मजबूरी में यहां पहुंचती हैं तो प्रश्न उठता है कि किसी एक की मजबूरी दूसरे के मनोरंजन का कारण क्यों बने? दो वक्त खाने की कीमत के लिए देह का सौदा करने की त्रासदी क्यों झेली जाए तथाकथित संभ्रांत पुरुषों की संतानें वेश्याओं की कोख से जन्म लेती हैं। यदि पिता 'कुलीन' है तो उसकी संतान हराम की औलाद या नाजायज क्यों है। उसे क्यों वेश्या की संतान का अभिशाप झेलते हुए किसी पुरुष की हवस का शिकार होना पड़े।

यौन-शिक्षा

यौन-शिक्षा यौन शोषण रोकने के लिए जरूरी है। वेश्यावृत्ति मात्र सामाजिक समस्या भर नहीं है ये स्वास्थ्य की समस्या भी बन चुकी है।

स्कूलों में यौन शिक्षा स्कूल के स्तर पर ही जरूरी है। व्यक्ति की अदम्य यौनेच्छा उसे जिज्ञासावश गलत रास्तों पर ले जाती है। अधकचरी जानकारी से उनका भविष्य चौपट हो रहा है। कोठों पर जिज्ञासावश पहुंचने वाले किशोरों का प्रतिशत भी कुछ कम नहीं होता है। जब ग्राहकों को दंडित करने का प्रश्न उठाया जाता है तो अधेड़ व युवाओं को एक ही लाठी से नहीं रोका जा सकता है। दोनों के

लिए अलग दंड व्यवस्था पर नीति-निर्माताओं को विचार करना होगा।

मां-बाप का बच्चों का 'अच्छे बुरे स्पर्श' की जानकारी बहुत छोटी-सी उम्र में देनी जरूरी है ताकि वे घर-परिवार में ही यौन शोषण का शिकार न होने पाएं। वेश्यावृत्ति के कारणों से यह स्पष्ट संकेत उभरते हैं कि बचपन में यौन हिंसा का शिकार बनने वाले बच्चे ही अक्सर दलालों की बातों व व्यवहार से बहक जाते हैं। घर परिवार के कौन सदस्य घर के अनजान भोले बचपन को प्यार से नहीं बल्कि यौनेच्छा संतुष्टि से पुचकार रहा है इसके प्रति सतर्क निगाहें जरूरी हैं।

इसी उम्र में यौन-जनित रोगों व एड्स के खतरों की जानकारी दी जानी चाहिए। स्कूल व मां-बाप से सही समय पर जानकारी न मिलने के कारण वे गलत रास्तों से जानकारियां लेने की कोशिश करते हैं।

- सभी महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन मिले ताकि बुढ़ापे की चिंता में वे किसी दूसरी औरत को बेचने का विचार न करें।
- यौन-कर्मियों को इस व्यवसाय को छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए व एन जी ओ के माध्यम से उन्हें गांवों व कस्बों में लड़कियों को प्रेरित करने के सामाजिक जन चेतना अभियान के साथ जोड़ा जाए।

जन-चेतना अभियान सभी मंत्रालयों के कार्यक्रमों का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया जा सकता है।

ग्यारहवीं योजना के तहत यह लक्ष्य है कि कन्या भ्रूण हत्या, शारीरिक शोषण, अनैतिक व्यापार, लिंग भेद और घरेलू हिंसा पर जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

मीडिया की जिम्मेदारी

- यौन-कर्म से संबंधित वैधानिक मुद्दों की जानकारी पत्रकारों को होनी चाहिए।
- छापे व बचाव की कार्रवाई की पूरी जानकारी के अलावा बाद में यह समाचार भी दिए जाने चाहिएं कि क्या उनके पुनर्वास के उपाय सफल रहे अथवा नहीं।

प्रयास यह किए जाने चाहिए कि यौन-कर्मियों के विचार व आवाज को जनता के सामने लाया जाए।

व्यावसायिक यौन-शोषण के लिए दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) पीड़ित बच्चों के बचाव पूर्व बचाव व बचाव उपरांत कार्रवाई के लिए प्रोटोकोल

राज्य सरकारों के लिए मार्गनिर्देश

1. एंटी ट्रैफिकिंग पॉलिसी तैयार करें, जिसमें पीड़ित के हित का ध्यान रखा जाए।
2. राज्य और जिला स्तर पर एंटी ट्रैफिकिंग कक्ष बनाए जाएं जो इन बच्चों के बचाव और पुनर्वास कार्यों से जुड़े हुए हों।
3. दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स), वेश्यागृह के मालिकों, सूचना देने वालों, छदम ग्राहकों , दर्ज किए गए मामलों, प्रत्येक केस की स्थिति, राज्य/जिला में उनका स्रोत और गन्तव्य क्षेत्र और अन्य संबंद्ध सूचनाओं का एक डाटाबेस तैयार करें।
4. समुदाय-स्तर पर कम्युनिटी सतर्कता समूह बनाएं। ये समूह बचाव और पुनर्वास कार्यों में मदद कर सकते हैं।
5. बचाव अभियान के लिए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस कार्मिकों को ड्यूटी पर लगाएं।
6. होटलों, पर्यटन-स्थलों, रेस्तरां, समुद्र-तटों, एयरपोर्ट, बस-स्टैंडों, रेलवे-स्टेशनों और अन्य स्थलों पर बड़े-बड़े साइनबोर्ड लगाएं जिसमें लोगों को दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) व बच्चों के व्यावसायिक यौन-शोषण होने की जानकारी दी गई हो, यदि इन स्थानों पर कोई बच्चा संदेहास्पद स्थितियों में दिखता है तो पुलिस/ चाइल्ड-लाइन/ एन.जी.ओ. को तुरंत सूचित करें।
7. दूसरे राज्यों के बच्चों को उनके राज्य में पहुंचाया जाए। यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वे पीड़ित व्यक्ति को पहुंचाने, एस्कार्ट, खाना व अन्य खर्चे राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाएं, राज्य सरकार इसके लिए अलग से बजट की व्यवस्था करें।
8. प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चाइल्ड हेल्पलाइन और महिला हेल्पलाइन की जानकारी नियमित अंतरालों पर दी जाए।
9. कुछ उपयुक्त लोगों और संस्थाओं की जानकारी मीडिया को प्रसारित की जाए जहां छुड़ाए गए बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता हो। यह सूची पुलिस मुख्यालय, पुलिस स्टेशन और जिला स्तरों, कोर्टों व एन.जी.ओ. के बीच परिचालित की जानी चाहिए।
10. ऐसे उपयुक्त संस्थाओं की भी घोषणा की जाए जहां मानसिक रूप से विकलांग व बीमार महिला व बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता हो और उन्हें समुचित चिकित्सा सहायता दी जाए।
11. दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) के बाल पीड़ित बच्चों के संबंद्ध में सभी मामलों की सुनवाई बंद कमरे में करने के निदेश सभी कोर्टों को दिए जाएं।
12. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में प्रशिक्षित बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त किए जाएं।
13. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिलाओं के लिए अलग व स्वच्छ शौचालय हो।

बचाव-दल के सदस्यों के लिए

- दुर्व्यापार (ट्रैफिकिड) बाल पीड़ितों के बचाव के लिए

1. ऐसे खबरियों का एक नेटवर्क बनाएं जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और जो महिलाएं वेश्यागृहों से बाहर निकलना चाहती हैं, की जानकारी दे सकें। विशिष्ट सूचना-पत्रों, ईमेल, फोटोग्राफ, व्यक्तित्व की जानकारी, पहचान चिह्न व निशान, पते, बाल पीड़ित के परिचित व्यक्तियों और रिश्तेदारों की उपस्थिति, कम्प्यूटर ग्रॉफिक्स को याददाश्त के आधार पर तैयार किए गए हों (जैसे बोलने का लहजा, उंगलियों को रगड़ने, आंखे झपकाने या अन्य भाग की किसी विशिष्ट मूवमेंट) यह वांछनीय होगा कि खबरियों को समुचित पारितोषिक दिया जाए।
2. छद्म-ग्राहक के द्वारा पीड़ित की प्राप्त सूचना के आधार पर पहचान कर ली जाए। छदम-ग्राहक बच्चे को बातचीत के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वे बचाव कार्य में मदद कर सकें।
3. पुलिस और समुदाय के बचाव कार्य में एन.जी.ओ. या सामाजिक कार्यकर्ता को साथ जोड़ा जाए।
4. बिना समय गंवाए बचाव कार्य की कार्यनीति तैयार की जाए। कार्यनीति में निम्नलिखित को शामिल किया जाए।

1. सभी उपलब्ध सूचनाओं को संकलित किया जाए। उदाहरणार्थ वेश्यागृह का नक्शा व छिपने के ठिकाने, उस स्थान की विशिष्ट जानकारी, पास के दुकान वाले, जमादार, अंशकालिक नौकरानियों, दूधवाला जैसे खबरियों से सूचनाएं ली जाएं या ऐसे कोई व्यक्ति जो भीतर की जानकारी दे सके। कन्ट्रेक्टर व बिल्डर से भी जानकारी ली जा सकती है, जिन्हें भवन के भीतरी भाग की जानकारी हो।
2. आई.टी.पी.ए. 1956 की धारा 13 के अनुसार निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी,

सहायक पुलिस कमिश्नर और/ अथवा जिला पुलिस आयुक्त, महिला पुलिस कार्मिक, एन.जी.ओ. प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता बचाव-दल के सदस्य हों।

3. इस बचाव अभियान की गोपनीयता बनायी रखे जाए। सभी सदस्य दो घंटे पूर्व किसी स्थान पर एकत्र हों।
4. बचाव अभियान शुरू होने से पूर्व सूचनाओं की गोपनीयता रखने के लिए बचाव दल के सदस्यों के मोबाइल फोन और अन्य सम्प्रेषण के माध्यम टीम लीडर को अपने पास रख लेने चाहिए।
5. इस समय उन्हें बचाव अभियान की कार्यनीति समझाई जाए। दल के प्रत्येक सदस्य को उसकी विशिष्ट ड्यूटी समझा दी जाए और उनकी शंकाओं का समाधान किया जाए।
6. विभिन्न टीम बचाए जाने वाले बच्चों की संख्या पर निर्भर करेगी।
7. छदम-ग्राहक की पहचान इस दौरान या बाद में सामने नहीं लानी चाहिए।
8. बचाव अभियान की जानकारी किसी को किसी भी स्थिति में नहीं दी जानी चाहिए। यदि मीडिया को पता भी लग गया हो तो उसे कवरेज की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
9. सरकारी या अन्य आश्रय गृहों में रिक्तियों की जानकारी लेने के बाद छुड़ाए गए बच्चों/महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाए। इस प्रक्रिया में भी गोपनीयता बरती जाए।
10. बचाव अभियान से पहले सभी पुलिस औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।
11. बचाव अभियान के दौरान टीम के सदस्य लड़कियों व महिलाओं या उनके सामान को छुएंगे नहीं। केवल महिला कार्मिक ही ये कार्य करेंगी।
12. बचाव अभियान के दौरान लड़कियों से गाली-गलौज की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

1) समुदाय स्तर पर बचाव अभियान

2) समुदाय के लोग ऐसे संदेहास्पद व्यक्तियों की जानकारी एन.जी.ओ. को देंगे। एन.जी.ओ. न होने पर निकटवर्ती पुलिस स्टेशन को सूचित करेंगे।

3) समुदाय के लोगों को पुनर्वास के कार्यों से जोड़ा जाए।

बचाव-कार्य की कार्य नीति

1. वेश्यागृह पर योजनाबद्ध तरीके से बचाव कार्य किया जाए।
2. पूर्व निर्धारित तरीके से टीम के सदस्यों के स्थान निर्धारित किए जाए।
3. शीघ्र उस स्थान पर पहुंचे जहां बच्चे छिपाए गए हों।
4. उसे वहां से शीघ्र निकाले। उसे अपना सामान उठाने दें। यदि वह बच्चा है या उसके साथ बच्चा है तो दोनों को अलग ना करें।
5. बच्चे को अपराधी नहीं मानें, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति रखे।
6. बिना उम्र का लिहाज किए सभी मानसिक रूप से विकलांग व बीमार बच्चे व महिलाओं को वहां से निकाल लाएं।
7. यह ध्यान रखें कि आपकी कोई भी शारीरिक क्रिया, उनसे अनावश्यक शारीरिक संपर्क बनाने, गलत प्रक्रिया, बल प्रयोग, शारीरिक क्षति, अभद्र भाषा या अपशब्द किसी को न कहें।
8. वेश्यागृह के मालिकों से खर्चे/आय/भुगतान/वित्तीय लेन-देन और ऐसे ही अन्य विलेख जब्त कर लें क्योंकि वे कोर्ट में साक्ष्य बनेंगे।
9. पीड़ितों की पहचान छुपाई जाए। उसका नाम, पता, फोटोग्राफ या अन्य कोई जानकारी समाचार पत्र, मैगजीन, न्यूज शीट या विज्युल मीडिया में न दी जाए। यह किशोर न्याय (सुरक्षा व रोकथाम) अधिनियम 2000 की धारा 21 के तहत अनिवार्य है।
10. छदम-ग्राहक की पहचान व स्थान गोपनीय रखा जाए।
11. बचाव-दल अपने बचाव दल के नेता के प्रति जवाबदेह है और पीड़िता के अधिकारों के उल्लंघन का प्रयास नहीं किया जाए।

बचाव उपरांत परिचालन कार्यनीति

1. पीड़क के सामने से व उसकी आवाज से पीड़ित को दूर ले जाया जाए। बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाते समय वेश्यागृह के मालिक को दूसरे वाहन में ले जाया जाए। यदि यह संभव न हो तो दोनों को एक-दूसरे से दूर रखा जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वह बच्चे को धमका या डरा न सके।
2. बच्चे को किसी भी स्थिति में लॉकअप में न रखा जाए। उसे तुरंत सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। पीड़ित व्यक्ति अपराधी नहीं है इसलिए उससे अपराधी के साथ किया जाने वाला व्यवहार न किया जाए। वेश्यागृह के मालिक/ दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) से दूर रखा जाए।

3. *बचाव-कार्य को एक डायरी में लिखा जाए। ये दो विश्वस्त साक्ष्यों की उपस्थिति में किया जाए और इस पर उनके हस्ताक्षर करवा लिए जाएं।*
4. *पीड़ित अथवा एन.जी.ओ. द्वारा पुलिस स्टेशन में तुरंत एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए इसके अपराध के स्थान, अपराध के प्रकार, पीड़ित व अपराधी, दुर्व्यापार (ट्रैफिक्ड) होने के समय से पूरी स्थिति की जानकारी का विवरण दर्ज हो। एफ.आई.आर. विस्तृत होनी चाहिए। बच्चे को एफ.आई.आर. की प्रति दी जानी चाहिए। जिसे एन.जी.ओ./ सुरक्षा गृह बाल, गृह जहां बच्चा रहेगा की सुरक्षा में रखा जाए।*
5. *दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) और वेश्यागृह के मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 आई.टी.पी.ए., किशोर न्याय (बाल सुरक्षा व रोकथाम) अधिनियम 2000 की सभी संगत धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाए।*
6. *बच्चे को सरकार/या एन.जी.ओ. की ओर से सुरक्षा/ बाल गृह के अधिकारियों को सौंपा जाए। बच्चे को उसके वहां सुरक्षित स्थान में रखने के कारण बताए जाएं कि उसे सुरक्षा व बेहतरी के लिए रखा जा रहा है।*
7. *यह सुनिश्चित किया जाए कि*

- *केवल सादा वस्त्रों में पुलिस अधिकारी बच्चे को सुरक्षा/ बाल गृह में छोड़ने के लिए जाएं।*
- *सुरक्षा/ बाल गृह के कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करें कि बच्चा दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) दलाल, वेश्यागृह के मालिकों अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में न आए जिसका उस पर बुरा प्रभाव पड़े।*
- *चिकित्सा जांच जिसमें उम्र सत्यापन परीक्षा होती है वह समुचित व वैज्ञानिक तरीके से हो। आई.टी.पी.ए. की धारा 15बी (5ए) और किशोर न्याय (बाल सुरक्षा व रोकथाम) अधिनियम 2000 की धारा 49 के तहत आयु सत्यापन अनिवार्य है।*
- *बच्चे को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि बाल कल्याण समिति उपलब्ध न हो तो उसे संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।*
- *बच्चे को तुरंत मानक परामर्श, स्वास्थ्य सेवा व कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाए। पीड़ित की ओर से एन.जी.ओ., सामाजिक कार्यकर्ता या*

आश्रय गृह के कार्मिक बच्चे की ओर से वकालतनामा हस्ताक्षरित करें (अथवा वकील प्रतिनिधि के लिए सहमति हेतु)
- *जब वह बच्चा सुरक्षित स्थान से कहीं और ले जाया जाए तो सामाजिक कार्यकर्ता उसके साथ रहें।*
- *जब भी बच्चा कोर्ट में बयान दे काउंसलर उस समय उपस्थित रहे।*
- *संबंधित मजिस्ट्रेट या सक्षम प्राधिकारी का सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, हर पन्द्रह दिन में विधिक कार्रवाई के लिए आश्रय गृह का दौरा करें।*
- *बच्चे को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट की जाए। केस के सुनवाई के बाद उसे कोर्ट के आदेश, यदि कोई हो तो, की जानकारी देते हुए उसे अद्यतन जानकारी देते रहें।*
- *बच्चे के सदमे व यंत्रणा को देखते हुए दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) के मामले त्वरित न्याय (स्पीडी ट्रायल) के तहत सुनवाई की सिफारिश की जाती है।*

पुनर्वास की कार्यनीति (सुरक्षा/ बाल गृह के कार्यकर्ताओं के लिए)

- *यह सुनिश्चित करें कि बाल गृह में बच्चे का स्वागत हो। उसे दूसरे बच्चों से मिलाया जाए और पूरा गृह दिखाया जाए। उसे उसका कमरा व लॉकर दिखाया जाए जहां वह अपना सामान रख सकें। यह उचित होगा कि उसे कुछ दिन एकांत दिया जाए और यदि संभव हो तो उसी के तरह छुड़ाए गए या अन्य बच्चों से अलग ही रखा जाए।*
- *उसे एक 'वेलकम किट' दी जाए जिसमें कपड़े, तौलिया, अंडरगारमेंट, चप्पल/स्लीपर और अन्य प्रसाधन वस्तुएं (साबुन, तेल, टुथब्रश, टुथपेस्ट, पाउडर, रबर बैंड शैम्पू सेनीटरी नेपकीन आदि) हों।*
- *जब वह कुछ दिन आराम से रह जाए तो उसे सुरक्षा/बाल गृह के कायदे कानूनों की जानकारी दे दी जाए और उसे वहां क्यों रखा है इसका उद्देश्य भी बता दिया जाए। इससे वह इस नए वातावरण में आराम देह व सुरक्षित महसूस करेगा। उसे यहां उसके ड्यूटी व जिम्मेदारी भी समझा दी जाए।*
- *एक रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर के द्वारा बच्चे को किसी प्रकार की बीमारी, एलर्जी, त्वचा संबंधी समस्या, मनोवैज्ञानिक या अन्य समस्याओं के लिए जांच की जानी चाहिए। रूटीन ब्लड, यूरिन, लंग्स, एक्स रे और स्टूल टेस्ट किए जाने चाहिए। यदि वह किसी बीमारी से ग्रस्त है*

तो उसे डाक्टर द्वारा परामर्श की गई दवाएं दी जाएं व बाद में नियमित जांच की जाएं।

- *बच्चे से उसके पढ़ने की रुचि के बारे में जानकर उसे नियमित स्कूल या अनौपचारिक शिक्षा या ट्यूशन दिलाई जाए ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। किसी भी स्थिति में उसे आधारभूत शिक्षा दी ही जाए ताकि यहां से बाहर जाने पर वह स्वतंत्र हो सके।*
- *बच्चे को व्यावसायिक (वोकेशनल) प्रशिक्षण दिया जाए जिसमें विपणन (मार्केटिंग) कार्यनीति भी शामिल हो ताकि प्रशिक्षण प्राप्त जानकारी से बिक्री योग्य, व्यवहार्य और निरंतर जारी रहने वाला कौशल प्राप्त हो सके। (यह भी जांच कर लें कि उसको दी जाने वाली वोकेशनल ट्रेनिंग व उसकी बिक्री कार्यनीति बच्चे के अधिकारों या बालश्रम नियमों के विरुद्ध न हो।)*
- *बच्चे को उसके प्रत्यावर्तन/ परिवार से मिलाने के लिए तैयार करें। किसी भी छुड़ाए गए बच्चे को उसके परिवार के पास भेजने से पहले सम्मान स्वीकृति, परिवार की सहायता और उसके दुबारा दुर्व्यापार का शिकार और शोषण की स्थिति न बनने पाए, सुनिश्चित किया जाए।*

सहभागिता-दृष्टिकोण

विश्वभर में महिला यौन-कर्मियों के पुनर्वास व उनकी स्थितियों में सुधार के उपायों में सहभागिता दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। सरकार व समाज दोनों को देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में परस्पर सहयोग देना है। इस दृष्टिकोण से आधारभूत स्तर पर शक्तियां प्रदान करने से समस्याओं का त्वरित समाधान संभव है। पंचायती राज संस्थानों की मजबूती का यही आधार है। पंचायतों को स्थानीय समस्याओं की अधिक जानकारी होती है और वे ही स्थानीय लोगों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से दूर करने में समक्ष होते हैं।

पश्चिम बंगाल में जबाला एक्शन रिसर्च आर्गेनाइजेशन ने इस दिशा में पहल की। जबाला ने कोलकाता के रेडलाइट एरियाओं ने महिला यौन-कर्मियों के बच्चों के पुनर्वास व शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए यह पाया कि अनैतिक रूप से लड़कियां व महिलाओं को बड़ी तादाद में ग्रामीण इलाकों से लाई जाती हैं।

जबाला द्वारा शुरू किए गए ये जागरूकता कार्यक्रम सिर्फ एक जिले में नहीं बल्कि पूरे भारत में लागू होने चाहिए, तभी अनैतिक देह-व्यापार (ट्रैफिकिंग) रोकने का संदेश पूरे समाज में प्रसारित होगा।

दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) की कार्यप्रणाली के अध्ययन ये बताते हैं कि ट्रैफिकर्स की पहली कड़ी लड़की या महिला के पड़ोसी, रिश्तेदार और गली मोहल्ले के गुंडे होते हैं जो बाजारों, मार्केट स्थान, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेंडों व अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर अपने शिकार की तलाश करते हैं।

पड़ोसियों व रिश्तेदारों पर अत्यधिक विश्वास या फिर रेलवे स्टेशनों पर शराफत का मुखौटा पहने ऐसे शैतानों के प्रति समाज को जागरूक करना बेहद जरूरी है। सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों के द्वारा ऐसे स्थानों पर सतर्कता कक्ष बनाने जाने चाहिएं।

नैतिक जिम्मेदारी-

दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) को अपने लाभ का ही मात्र ध्यान होता है वे अपने सगे-संबंधियों को बेचने में नहीं हिचकिचाते! अपनी बेटियां अपनी बहन-भांजी-भतीजी का सौदा करने में नहीं झिझकते। नवविवाहिता पत्नी को सिर्फ इसलिए शादी करके लाते हैं ताकि उसे बेच सकें। ऐसा रुपया कमाने का लालच व अपनों को बहकाना अधिक आसान होता है, के कारण वे ऐसा कर पाते हैं ऐसे लोगों के कारण नजदीकी रिश्तों पर से भी व्यक्ति का विश्वास उठता है।

कई सालों तक बेटी का यौन-शोषण करने वाले पिताओं के समाचार जब पढ़ने को मिलते हैं तो रिश्तों पर खून के आंसू बहाने को मजबूर होना पड़ता है। इस समस्या के इस सामाजिक पहलू पर भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है। रोकथाम के उपायों में यदि पहली प्राथमिकता इसे दी जाए तो संभवतः स्थितियां काफी बदल सकती हैं।

विभिन्न अध्ययनों के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि 30% तक दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) इन संबंधियों का होता है व 50% दुर्व्यापार (ट्रैफिकर्स) अपने को इस का दोषी मानते हैं। परिवारों में परस्पर प्रेम व विश्वास एवं नजदीकी रिश्ते, पड़ोसियों व परिचितों का भरोसा कभी टूटने न पाए इसके लिए व्यक्ति की मानसिकता में बदलाव जरूरी है।

उपलब्ध साक्ष्य यह इंगित करते हैं कि देह-व्यापार में लगाए जाने वाली महिलाओं में एक तिहाई/बच्चे अवयस्क होती हैं। उनमें से 60% पिछड़ी जातियों की महिलाएं होती हैं उनमें से अधिकांश गरीबी व निरक्षरता के कारण यहाँ पहुंचाई जाती हैं।

निःसंदेह व्यावसायिक यौन-कर्मियों के मुद्दे पर कार्यान्वयन की समस्या विभिन्न रोकथाम के उपायों, न्याय व्यवस्था, बचाव व पुनर्वास के उपायों के बावजूद यह

समस्या जस की तस बनी हुई है बल्कि विभिन्न रूपों से सामने आ रही है। इसके प्रमुख कारणों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है।

- कानून प्रवर्तन मशीनरी व प्रशासनिक कार्यवाहियों में गंभीरता का अभाव।
- समाज की ओर से उनके निकटवर्ती स्थानों पर चल रही गतिविधियों को अनदेखा करना, उसकी पुलिस रिपोर्ट न करना।
- सामाजिक कार्यकर्ताओं, एन.जी.ओ. और सरकारी अधिकारी जो गंभीरता पूर्वक इस काम में जुड़े हैं। उन्हें असामाजिक तत्वों से जोखिम व धमकियां जिस कारण अन्य एन.जी.ओ. भी वहां काम करने से कतराते हैं।
- कई बार पीड़िता गरीबी और दूसरे कार्यों के बोझ के कारण यौन-कर्म में अपेक्षाकृत आरामदायक स्थिति के कारण इसे छोड़ना नहीं चाहती है। वैकल्पिक आय के साधन एक आरामदायक जिंदगी बसर करने के लिए पर्याप्त होने चाहिएं।
- सामाजिक लांछना के कारण परिवार उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता है और कई बार पारिवारिक स्थितियों के कारण ही घर परिवार छोड़ा होता है। ऐसे में किसी एन जी ओ या सरकारी आश्रय गृह में रहकर जिंदगी गुजारनी कठिन होती है।
- बाल-पीड़िता की उम्र की गणना करने में कठिनाई होती है। वेश्यागृह के मालिकों का दबाव इतना अधिक होता है कि वे उन्हें इस कद्र भयभीत करते हैं कि वे अपने आपको वयस्क बताती हैं। यदि उम्र की जांच करनी भी पड़ती है तो उस रिपोर्ट को बदलवाने का प्रयास या छुपाने का प्रयास किया जाता है।
- यद्यपि सभी राज्यों में रिसेप्शन केंद्र, अल्पाश्रय गृह व नारी-निकेतनों की काफी संख्या है परंतु वह फिर भी पर्याप्त नहीं है। उनकी स्थितियां भी कई स्थानों पर शोचनीय है। भारत सरकार योजना के तहत एन जी ओ को अनुदान दी जाती है। परंतु समस्या इतनी अधिक है कि उन्हें रखने का स्थान कम पड़ता है। एन जी ओ द्वारा उन्हें उनके शहरों में पहुंचाने की प्रक्रिया भी काफी जटिल होती है। कई बार पते सही नहीं होते, कभी परिवार में भेजना उन्हें दुबारा उसी दलदल में धकेलने जैसा होता है।

- रोजगार के लिए दूसरे शहरों से आई लड़कियों, घर से भागी या भगाई गई लड़कियों या गुमशुदा लड़कियों के देह व्यापार में धकेले जाने का अंदेशा हो सकता

है। रेलवे-स्टेशनों व बस-स्टेशनों पर मार्ग-निर्देशन व सूचना केंद्र स्थापित होने चाहिए जहां सरकारी आश्रय गृहों आदि के पते उन्हें दिए जा सकते हैं।

- रेलवे-स्टेशनों व अंतर्देशीय बस स्टैंडों के निकट ही अल्पाश्रयगृह बनाए जाने चाहिए, ताकि देर-सबेर किसी शहर पर एक दो दिन ठहरने के लिए सुरक्षित ठिकाने उन्हें सस्ते दामों पर मिल सकें।

-समाज को जागरूक कराना बेहद जरूरी है। महिलाओं व बच्चों को समुचित सुरक्षा देना, उनका सम्मान करना, उनका यौन शोषण रोकना पूरे समाज का दायित्व है। रेडियो, टीवी, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से जागरूकता लाई जानी चाहिए।

- ❑ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र सहभागिता के कार्यक्रमों में इनके लिए आय अर्जन गतिविधियां व प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ कॉरपोरेट घरानों के द्वारा इस काम में सहयोग दिया जा रहा है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों के निकट बड़े औद्योगिक कार्यक्रम शुरू किए जाएं ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण भी किया जाए। महिलाएं यदि घरों के निकट क्षेत्रों में अच्छे रोजगार पा जाती हैं तो उनके शोषण की संभावनाएं कम हो जाती हैं।
- ❑ अनैतिक व्यापार निवारण (अधिनियम) में प्रस्तावित संशोधनों को यथाशीघ्र लागू कर उन्हें तुरंत प्रभावी बनाया जाना चाहिए। सरकार को भी यह महसूस करना चाहिए कि हर परिवर्तन का विरोध होता ही है। सभी पक्षों की संतुष्टि के प्रयास बेमानी हैं।
- ❑ सभी राज्य सरकारों को वर्तमान विधिक प्रावधानों के तहत कानून का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करवाना चाहिए। कानूनी कार्रवाई में विलंब नहीं होना चाहिए। इन मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- ❑ अधिनियम की धारा 13 (3) के तहत अधिसूचित सामाजिक कार्यकर्ताओं और एन जी ओ के परामर्श बोर्डों का भी पुनर्गठन कर उसमें अनुभवी, सक्रिय व प्रतिबद्ध, व कर्मठ सदस्यों को रखा जाना चाहिए।
- ❑ पुलिस को नियमित अंतरालों पर रेडलाइट व होटलों आदि में छापामारी की कार्रवाइयां करते रहना चाहिए ताकि अवयस्क लड़कियों का शोषण न हो और कालान्तर में यह बंद हो सके। गत वर्ष मुंबई हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि बचाव कार्रवाई के बाद उनके पुनर्वास की स्थिति की जानकारी कोर्ट को नियमित अंतराल पर दी जानी चाहिए। यदि सभी राज्यों में इस प्रकार की मानीटरिंग होगी, तभी बचाव उपरांत की

जाने वाली कार्रवाइयों की समीक्षा व उनमें सुधार हो पाएगा। यह महसूस किया जाता रहा है और विभिन्न अध्ययन रिपोर्ट यह दर्शाती हैं कि बचाव उपरांत के परामर्श व पुनर्वास उपाय उतने प्रभावी नहीं होते हैं जिससे उनकी जिंदगी में परिवर्तन आ पाए।

- छापे की कार्रवाई में सिर्फ यौन-कर्मियों को ही न छुड़ाया जाए बल्कि दलालों, वेश्यागृहों के मालिकों आदि को पकड़कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो।
- सलाहकार बोर्डों के सदस्यों, एन.जी.ओ. और सरकारी अधिकारी जो रेड लाइट क्षेत्रों में काम कर रहे हों उन्हें समुचित सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस की ओर से पहचान पत्र दिए जाएं।

बचाव व पुनर्वास के उपाय

- जागरूकता व परामर्श सेवाओं को बढ़ाना बेहद जरूरी है।
- बाल-विकास व सुरक्षा गृहों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परामर्श व व्यावसायिक प्रशिक्षण के मार्गदर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारी व एन.जी.ओ. द्वारा संचालित गृहों को सरकारी मदद में कमी नहीं होनी चाहिए।
- यह प्रयास किए जाने चाहिएं कि इन आश्रय गृहों में योग्य व कर्मठ स्टाफ हो। उनके भावनात्मक विकास के लिए, सदमे से उभरने के लिए मनोवैज्ञानिकों/ मनोचिकित्सकों की नियुक्ति हो।
- विभिन्न राज्यों के महिला व बाल विकास विभाग व एनजीओ के बीच समन्वय हो ताकि एक राज्य में पकड़ी गई लड़कियों को दूसरे राज्य के आश्रय गृहों में भेजने में कठिनाई न हो। पूरे राष्ट्र में एक सुदृढ़ नेटवर्क की व्यवस्था हो। गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश में एन.जी.ओ. सार्थक भूमिका निभाए। एनजीओ, समुचित आश्रय, परिवहन व्यवस्था, चिकित्सक व मानसिक उपचार, परिवार से मिलाने के प्रयासों में परस्पर सहयोग करें।
- एन.जी.ओ. रेड लाइट एरिया में बच्चों के लिए रात्रि में भी क्रेश सुविधाएं उपलब्ध कराए ताकि अव्यस्क बच्चे उस वातावरण से अलग परवरिश पा सकें।

स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं

हम चाहते हैं कि व्यावसायिक यौन-शोषण का उन्मूलन हो जाए पर यह

सदियों से यहां विद्यमान है और किसी न किसी रूप में यहां रहने वाला है। सुधारात्मक उपायों की जरूरत इसलिए महसूस होती है ताकि इस व्यवसाय में लगी महिलाओं की पीड़ा व कष्ट कुछ कम हो सके।

- यह जरूरी है कि इन्हें हेल्थ कार्ड जारी कर निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं। एच.आई.वी. पोजीटिव महिलाओं के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की जाए।
- केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के परिवार परामर्श केंद्रों में यौन-कर्मियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
- सरकार को एड्स पीड़ित महिलाओं के लिए अलग से आश्रय गृह स्थापित करने चाहिए।
- यौन-कर्मियों को अपने बच्चों को एनजीओ द्वारा संचालित आश्रय गृहों में छोड़ने का मानस बनाने के लिए तैयार करना चाहिए ताकि बच्चे उस माहौल से दूर रह सकें और किशोर लड़कियों को देह व्यापार में धकेलने के बादल सिर पर न मंडराते रहें।
- बच्चों को निशुल्क पुस्तकें, यूनिफार्म, छात्रवृत्ति देने की योजनाएं बड़े पैमाने पर कार्यान्वित की जानी चाहिए।
- बोर्डिंग स्कूलों में इनके बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ सीटें आरक्षित होनी चाहिए।
- महिला व बाल विकास विभाग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, श्रम मंत्रालय शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण कायक्रमों का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले यह प्रयास करने चाहिए।
- उन्हें मतदान पहचान-पत्र व राशन कार्ड दिए जाने चाहिए।
- विभिन्न आवास योजनाओं के तहत उन्हें मकान आबंटित किए जाने चाहिए।
- रेडलाइट क्षेत्रों के निकट विशेष अल्पाश्रय होम बनाए जाएं, जिनमें गर्भवती यौन-कर्मी आकर रह सके व समुचित चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर सके।
- रेलवे स्टेशनों व बस स्टैंडो के पास विशेष अल्पाश्रय होम बनाए जाने चाहिए ताकि दूसरे शहरों से नौकरी की तलाश में आई लड़कियां रह सकें और वे इन स्थानों पर घूमने वाले दलालों की गिरफ्त में न आ सकें।

- किशोर आश्रय गृहों, स्वाधार गृहों की स्थितियों में सुधार हो और नए गृह बनाए जाएं ताकि अधिक से अधिक छुड़ाई गई लड़कियों को रहने के लिए समुचित स्थान मिल सके।

आर्थिक सशक्तिकरण

- ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार स्वयं सहायता समूहों के गठन की प्रक्रिया एक अभियान के रूप में चल रही है। रेडलाइट एरिया व एन.जी.ओ. व सरकारी आश्रय गृहों में रहने वाली पीड़ित महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
- महिला विकास निगमों, एन.जी.ओ. व अन्य एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे रेडलाइट एरिया में पारंपरिक व गैर-पारंपरिक व्यावसायिक गतिविधियों के प्रशिक्षण व उन्हें वैकल्पिक व्यवसाय शुरू करने व उसके विपणन आदि में सहयोग करें।
- बचाव-गृहों में रहने वाली महिलाओं के पुनर्वास के लिए सरकारी सहायता प्राप्त परियोजनाओं, एनजीओ कार्यक्रमों व निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनके कार्य-क्षेत्रों में कुछ प्रतिशत आरक्षण इनके लिए किया जाना चाहिए।
- समाज को इतना जागरूक किया जाए कि वे स्वयं आगे बढ़कर कहीं किसी महिला या लड़की को यौन-शोषण का शिकार होते देखे तो मदद के लिए आगे आए।

केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने कानून लागू करने और हवालात में रखने के तंत्र के संवेदनशीलता के स्तरों को बेहतर बनाने के साथ-साथ महिला अधिकारी/ महिलाओं के प्रति हिंसा से जुड़े मामलों के प्रति जागरूकता फैलाने के भी प्रयास किए हैं। अब राज्य विभिन्न स्तरों पर पुलिस कार्मिकों के लिए, महिलाओं के प्रति संवेदीकरण अभिमुखी कार्यक्रम (प्रवेश के समय और पुनश्चर्या प्रशिक्षण दोनों) की शुरुआत कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा पर नवंबर 1992 में हुई राष्ट्रीय बैठक के बाद राष्ट्रीय पुलिस अकदामी, राज्य पुलिस अकादमियों, प्रशिक्षण विद्यालयों में अनेक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

- महिलाओं के साथ छेड़छाड के मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य में विशेष पुलिस कक्ष और महिला पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। पुलिस बल में विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के प्रवेश में वृद्धि की जा रही है। उनके पुलिस संगठन की नागरिक और पुलिस बल के बीच

सेतु निर्माण में मदद करने के लिए स्वैच्छिक परामर्शदाता के रूप में काम कर रहे हैं। ये संगठन महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराध के मामलों के पंजीकरण और जांच को सुलभ बनाने का काम कर रहे हैं।
- विभिन्न रणनीतियों, जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण सह अभिमुखी कार्यक्रमों, प्रचार सामग्री के वितरण, संवेदीकरण कार्यशालाओं तथा फिल्म नाटक, गीत पोस्टर और विषय आधारित विचार-विमर्शों के जरिए मल्टी मीडिया अभियानों द्वारा विधि संबंधी संगठनों ने विधि महिला व बाल विकास विभाग ने महिलाओं को उपलब्ध अधिकारों की मुख्य-मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए संबंधी शिक्षा पर प्रचार सामग्री को बड़े पैमाने पर तैयार और वितरित किया है। 'हमारे कानून' शीर्षक से 10 बुकलेटों का एक सेट प्रकाशित किया है।

विभिन्न आवास सुविधाएं

1. महिलाओं व कन्याओं के लिए अल्प अवधि आवास गृह (1969 से) चलाए जा रहे हैं। ये गृह उन महिलाओं व लड़कियों को अल्प अवधि आश्रय व पुनर्वास उपलब्ध कराते हैं जो सामाजिक और नैतिक दृष्टि से खतरे में हैं।
2. किशोर आवास- किशोर न्याय अधिनियम के तहत स्थापित अवलोकन गृहों, किशोर गृहों और विशेष गृहों की स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 16 वर्ष से कम उम्र के अपराधी और उपेक्षित लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को जेल या पुलिस हिरासत में न रखकर, उन्हें सुरक्षा, देखभाल और पुनर्वास प्रदान किया जाएगा। इन गृहों में अंशकालिक आधार पर डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं।
3. **संरक्षा और सुधारात्मक संस्थान** : संरक्षा और सुधारात्मक गृहों की स्थापना अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जाती है। ये गृह व्यावसायिक दृष्टि से यौन शोषण पीड़ितों को वेश्यालय को चलाने वाले और दलालों द्वारा इस काम में जबरदस्ती डाले जाने से बचाव और हिरासत के दौरान देखभाल प्रदान करते हैं। इसके अलावा ये गृह सहवासियों की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शादी की भी व्यवस्था करते हैं ताकि वे आबाद हो सकें। अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के बाद उन्हें कारावास की जगह इन सुधारात्मक संस्थानों में 1-3 वर्ष

तक रखा जाता है।

4. **स्वैच्छिक कार्य ब्यूरो और परिवार परामर्श केंद्र** : ये केंद्र पारिवारिक तालमेल की कमी और अत्याचार की शिकार महिलाओं और बच्चों को निवारणात्मक और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। परिवार परामर्श केंद्रों के कार्यक्रमों के अंतर्गत, महिलाओं के प्रति हिंसा की समस्या के बारे में सामाजिक चेतना व समझौते के दृष्टिकोण के जरिए सार्थक पारिवारिक रिश्ते बनाए रखने का काम किया जाता है। पुलिस स्टेशनों में स्थापित परिवार परामर्श केंद्र, मुसीबतजदा महिलाओं के दिलों-दिमाग से कानून का डर निकालने में मदद करते हैं।

कानूनी साक्षरता

निःसंदेह हमारे कानूनों में महिलाओं के अधिकारों व उनके हितों के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं परंतु आवश्यकता इस बात की है कि क्रियान्वयन तंत्र हर स्तर पर संवेदनशील हो और वह महिलाओं की आवश्यकताओं को समझे। महिलाओं की जागरूकता और महिलाओं के समानता के अधिकारों की जानकारी न केवल महिलाओं को अपितु पूरे समाज को होनी चाहिए। महिलाओं को न्यायिक अधिकारियों, वकीलों या पुलिस के रूप में न्यायिक तथा विधि प्रवर्तन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भाग लेना चाहिए। महिलाओं को न्याय देने के बारे में संवैधानिक विज़न को कई रणनीतियों के आधार पर ही पूरा किया जा सकता है।

कुछ नियम व प्रक्रियाओं में बदलाव भी जरूरी है।

हमारे कतिपय कानून और उनके तहत बनाए गए नियम तथा प्रक्रियाएं व औपचारिकताएं स्त्री-पुरुष के बीच असमानताएं करती हैं। स्कूलों के प्रवेश फार्म, बैंक खाते खोलने में पति या पिता का नाम देना आवश्यक होता है। स्कूलों में जिस प्रकार माता-पिता दोनों का नाम का उल्लेख होता है। महिलाओं को अपने नाम से राशन कार्ड बनवाने, बैंक खाता खोलने, पिता या पति का नाम दिए बिना ऋण लेने का अधिकार मिलने से उनके सशक्तिकरण की दिशा की राह बुलंद होगी।

- योग्य सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, डॉक्टरों और पारिवारिक परामर्शदाताओं के साथ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रत्येक जिले में महिला मार्ग-दर्शन केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। जहां तक संभव हो निशुल्क कानूनी सहायता सेवा आरंभ की जानी चाहिए।

❑ समाज को कानून की जानकारी ही नहीं, मानसिकता में बदलाव लाने

की भी जरूरत है। बेटे-बेटियों को संपत्ति पर बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और वसीयत के द्वारा 25% से अधिक संपत्ति वसीयत में देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। विभिन्न अधिनियमों में ऐसे संशोधनों की आवश्यकता है। साथ ही कोई भी संपत्ति केवल पुरुष के नाम रजिस्ट्री नहीं की जानी चाहिए। विधवा की लिखित सहमति के बिना किसी रिहायशी मकान का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए। हमारे देश में विधवाओं की दयनीय स्थिति ने ही उन्हें वेश्यालयों या गंगा-किनारे आश्रमों में रहकर शोषित होने को विवश किया है क्योंकि उन्हें घर से बेदखल करने की पुरुष मानसिकता ने उसे संपत्ति से वंचित किया है।

❑ यदि विकास का एक मुख्य लक्ष्य शोषित और सब से गरीब को मजबूत बनाना है तो असंगठित लोगों तक पहुंचने का प्रयास करना होगा क्योंकि सबसे गरीब लोगों में संगठन को बनाने की कम से कम क्षमता होती है।

सारांशतः विभिन्न समाज से यौन-कर्म उन्मूलन के लिए उपाय निम्नलिखित हैं:

- केंद्र व राज्य सरकारों को कमजोर वर्गों के लिए अधिक रोजगार व आय अर्जक योजनाएं चलानी चाहिएं साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण व शिक्षा अभियान तेज करना चाहिए। जिन क्षेत्रों से ट्रैफिकिंग की संभावना हो उनकी पहचान कर वहां यह प्रयास बढ़ाए जाने चाहिए।
- सभी राज्यों में विशिष्ट अनुप्रवर्तन तंत्र के लिए टास्क फोर्स/कोर कमेटी होनी चाहिए और एन.जी.ओ. सहभागिता उसमें अनिवार्यत शामिल होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय कार्ययोजना की जानकारी सभी सरकारी कार्मिकों को होनी चाहिए व उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिएं।
- सार्क कन्वेंशन की कार्ययोजना पर कार्यान्वयन होना चाहिए।
- दूसरे देशों से अनैतिक रूप से लाई गई महिलाओं व बच्चों को वापिस भेजने के लिए दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते होने चाहिए।
- राष्ट्र और राज्यस्तर दोनों पर खोए व्यक्तियों व अनैतिक रूप से गुम व्यक्तियों का डाटा बैंक तैयार किया जाना चाहिए।
- देश के हर जिले में किशोर बोर्ड व कमेटियां बनाई जानी चाहिएं।
- देश में इस व्यवसाय को समाप्त करने के लिए समय-समय पर अध्ययन किए जाने चाहिएं।
- भले ही धार्मिक व सांस्कृतिक परंपरा उन्हें वेश्यावृत्ति की ओर उन्मुख

करती रही है उन्हें बंद किया गया है पर अभी-भी इसके पूरी तरह बंद न होने की स्थितियों के कारणों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो कानूनों में संशोधन कर उनका सख्ती से अनुपालन होना चाहिए।

- सभी पंचायतों के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि गांवों से बाहर जाने वाले व्यक्तियों का पूरा लेखा जोखा रखा जाए। जिसमें बाहर जाने के कारणों जैसे शादी, ऊंची-शिक्षा, रोजगार आदि का उल्लेख हो। यदि कुछ गलत घटित होता है तो पंचायत को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। गांव के जागरूक लोगों के फोरम द्वारा महिलाओं व बच्चों के बाहर आने-जाने पर निगरानी रखी जा सकती है।
- पंचायतों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गुमशुदा लड़कियों की जानकारी देने में सहयोग करें ताकि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो सके।
- देश के सभी जिलों में कामकाजी महिलाओं के होस्टल व शेल्टर होम स्थापित किए जाने चाहिए।
- सभी सरकारी होम में समुचित आश्रय, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सलाह, कौशल उन्नयन की सुविधाएं होनी चाहिएं।
- काउंसलिंग व वोकेशनल प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए।
- सभी सरकारी व एन.जी.ओ. संचालिय आश्रय गृहों में एच आई वी पॉजेटिव के आशंकित रोगियों के जांच पूर्व व जांच पश्चात काउंसलिंग (डब्ल्यू एच ओ व नाको मार्गनिर्देश के तहत) होनी चाहिए।
- प्रत्येक विवाह का पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होने के साथ-साथ उसकी बाद में स्थिति की जांच की जिम्मेदारी भी किसी विभाग को दी जानी चाहिए।
- विभिन्न जाति-सम्प्रदायों के विवाह कानूनों में सुधार कर शादी की उम्र में एकरूपता लानी चाहिए।
- उम्रदराज वेश्याओं को रोजगार के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध करवाने जाने चाहिएं क्योंकि नियमित आय न होने के कारण से वे इस धंधे में मालकिन या दलाल का काम करने लगती हैं।
- इटपा कानून में अपेक्षित सुधार शीघ्र किए जाने चाहिए।
- अवयस्कों की खरीद फरोख्त, झूठी शादियां व जबरन विवाह (धारा 372, 373 व 366-ए) के लिए सख्त दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर इस कार्य में परिवार के लोग ही शामिल होते हैं इसलिए उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए।
- दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाई जानी चाहिए।
- बांगलादेश के नागरिकों को 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा किया जाता है पर बच्चों को इसके स्थान पर बाल कल्याण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तभी उनके अनैतिक देह व्यापार को रोका जा सकता है।
- न्यायपालिका के अधिकारियों को दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) पर सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों की जानकारी होनी चाहिए।
- प्रत्येक कोर्ट में पब्लिक प्रास्क्यूटर को दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स), मैडम व दलालों के केसों पर कार्रवाई के संबंध में जागरूक किया जाना चाहिए।
- दुर्व्यापार रोकथाम (ट्रैफिकिंग) कक्ष शीघ्र बनाए जाने चाहिएं।

पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई

- पुलिस इटपा का कम प्रयोग करती है। इसका प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए।
- 90 दिन के भीतर चार्जशीट प्रस्तुत न कर सकने वाले अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
- वेश्यागृह से महिलाओं को छुड़ाने के लिए बचाव समितियों में पुलिस, एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ता, न्यायपालिका के सदस्य अवश्य होने चाहिएं।
- सभी राज्यों में इटपा के तहत विशेष पुलिस अधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाने चाहिए और उन्हें अधिनियम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। महिला व बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में और कुछ एन.जी.ओ. द्वारा उनके लिए संवेदी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रशिक्षण मैनुअल भी प्रकाशित किया जा चुका है।

सीमा-सुरक्षा-बल

सीमा-सुरक्षा-बल को अधिक सतर्क होना चाहिए ताकि क्रास बॉर्डर माइग्रेशन व दुर्व्यापार (ट्रफिकिंग) न होने पाए। एन.जी.ओ. के साथ इनके निरंतर संपर्क होने चाहिए।

बीमा सुविधा

गरीब लोगों के लिए बीमा व जोखिम सुरक्षा शब्द लगभग अपरिचित है। जीवन उनके लिए हर दिन संघर्ष है और हर दिन में अनिश्चितता है। भविष्य की योजना बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बीमा की जानकारी उनके लिए उपयोगी है। बीमा सुविधाओं की सबसे अधिक उन्हें ही जरूरत है।

उनके लिए स्वास्थ्य बीमा भी जरूरी है। उनके लिए भी माइक्रो पेंशन योजना अनिवार्य की जा सकती है। भारत के असंगठित क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

जिन्दगी में संतोष धन की अहमियत को समझना भी जरूरी है। बड़े-बड़े विज्ञापनों द्वारा प्रसारित होने वाली चीजों के मोह से ऊपर उठना भी जरूरी है। कुछ प्रयास सरकारों को तो कुछ निजी तंत्र को शुरू करने चाहिए। हमारे पास जीने के लिए एक ही जीवन है और इसका पहला उद्देश्य यह है कि सभ्यता की सेवा में इस जीवन पर पहले से लाद दी गई असमर्थताओं से उस जीवन को बचाने का उपाय खोजना। स्त्रियों को दासत्व से मुक्ति दिलाना हमारा पहला कर्त्तव्य होना चाहिए।

जब हम पुनर्वास की बात करते हैं तो वेश्यावृत्ति से जुड़े दलालों, वेश्यागृहों की मालिक-मालकिनों को भी रोजगार के वैकल्पिक साधन उपलब्ध करवाने होंगे तभी सही मायनों में इस धंधे को बंद कर पाएंगे अन्यथा लोग अपनी रोजी-रोटी की जुगाड़ के लिए कम उम्र की लड़कियों को पकड़ कर लाने व जल्दी से बेचने के प्रयास करेंगे ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। निसंदेह जो व्यावसायिक प्रशिक्षण यौन कर्मियों को दिए जाएंगे या दिए जा रहे हैं उन्हीं में इन्हें भी शामिल करना होगा ताकि वे भी सम्मान जनक व्यवसाय शुरू कर सकें।

भाग - 2

व्यावसायिक यौन-कर्मियों के जीवन में सुधार और पुनर्वास से पूर्व ही यदि महिलाओं को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी हो, सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से वे लाभान्वित हो पाए तो कोई उन्हें मजबूरी से इस दलदल की ओर नहीं ले जा पाएगा।

अध्याय के इस भाग में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय महिला नीति, व्यावसायिक यौन-कार्य उन्मूलन में विभिन्न विभागों की भूमिका, विभिन्न योजनाओं, राज्य सरकारों के प्रयासों, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, ऐतिहासिक निर्णय व उज्ज्वला व स्वाधार योजना की विस्तृत जानकारी दी जा रही है।

किसी एक अध्ययन में विभिन्न राज्यों को रेडलाइट एरिया में जाने वाले पुरुषों को क्या सजा दी जानी चाहिए, इस सवाल के जवाब में अधिकांश खामोश रहे और जिन्होंने सुझाव दिए उन्होंने उन्हें कठोर कारावास और जुर्माने दिए जाने के अलावा उनकी पहचान को प्रचारित करने, बलात्कारी, अपहरणकर्ता और बच्चों का यौन-शोषण करने वालों को आजीवन कारावास दिए जाने की बात की। निसंदेह शेष की खामोशी यह दर्शाती है कि पुरुषों को सजा देने में उन्हें संकोच है यानि वे नहीं चाहते कि धंधा बंद हो।

ग्यारहवीं योजना : महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नीति 2001

सरकार ने 20 मार्च 2001 को राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्पन्नता नीति अंगीकृत की। इस नीति का मुख्य उद्देश्य, विकास एवं सशक्तिकरण करना, उनके प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करना तथा सार्वजनिक जीवन एवं कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।

महिला व बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना 2005 में पहले से इंगित नीतियों के अनुसार महिलाओं व बच्चों को सशक्त करने की दृष्टि से प्रयासों को गति दी जानी सुनिश्चित की गई है।

ग्यारहवीं योजना में इसे स्पष्ट किया गया है कि महिला व बच्चे विभिन्न जाति, वर्ग समुदाय व आर्थिक समूहों से जुड़े होते हैं और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में रहने के कारण सजातीय नहीं है। इस कारण कुछ समूह अपेक्षाकृत अधिक असुरक्षित होते हैं। अपने इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनकी समस्याएं भिन्न होती हैं। इस कारण उनके लिए कुछ सामान्य, कुछ विशेष व उनकी आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों को संचालित करने के प्रयास ग्यारहवीं योजना में किए गए हैं।

ग्यारहवीं योजना में पहली बार महिलाओं को न केवल बराबर नागरिक बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक व समृद्धि की संवाहक के रूप में पहचाना गया है।

लिंग समानता में (i) उन्हें मूलभूत पात्रता प्रदान करने (ii) वैश्वीकरण की आवश्यकतानुसार उसका महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव के मद्देनजर अधिक सशक्तिकरण को महत्व देने (iii) महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के शोषणों से मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करने (शारीरिक-आर्थिक-सामाजिक व मनोवैज्ञानिक) (iv) संसद व राज्य विधानसभा स्तर पर विशेष रूप से, उच्चतर नीति-निर्धारण स्तर पर उनकी सहभागिता व पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना (v) वर्तमान संस्थागत नीतियों को सुदृढ़ करना व नई प्रभावी नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शुरुआत करना।

ग्यारहवीं योजना में बाल-विकास दृष्टिकोण के लिए यह सुनिश्चित किया गया है कि बच्चे काम, बीमारी या निराशा के कारण अपना बचपन न खोने पाएं।

सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा किए जाने के सिद्धांत पर यह आधारित है।

ग्यारहवीं योजना में 6 अनुप्रवर्तनशील लक्ष्य निर्धारित किए गए।

- ❑ 2001 में 6 आयु-वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात को वर्ष 2001 के 927 से बढ़ाकर 2011-12 तक 935 और 2016-17 तक 950 किया जाना है।
- ❑ यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में महिला व बच्चों का प्रतिशत 33% तक हो।
- ❑ प्रति 100 जीवित बच्चे में भ्रूण मृत्युदर के अनुपात को 57 से 28, मातृ मृत्यु दर को 3.01 से 1 तक घटाया जाए।
- ❑ 0-3 आयु-समूह के बच्चों में कुपोषण की वर्तमान दर को आधा किया जाए।
- ❑ ग्यारहवीं योजना के अंत तक एनीमिया में 50% की कमी की जाए।
- ❑ लड़के-लड़की दोनों की प्राथमिक व सेकेण्डरी कक्षाओं के बीच में स्कूल छोड़ने की दर को 10% तक कम किया जाए।

दृष्टिकोण

- प्रत्येक महिला व बच्चे के पूरे संभावना के विकास के अधिकार को मान्यता
- विभिन्न महिला व बच्चे की विभिन्न जरूरतों को समझना
- माँ-बाप किस मंत्रालय के माध्यम से महिलाओं व बच्चों के विशिष्ट विकास को तरजीह दें।
- विकास आयोजना में सिविल सोसायटी सहभागिता को स्वीकारते हुए गैर- सरकारी संगठनों की क्षमता व ज्ञान को महिलाओं के विकास की प्रक्रिया में शामिल किया गया।

महिलाओं के प्रति लिंग भेद के परिणामस्वरूप उनके स्वास्थ्य व पोषण पर भी बुरा असर पड़ता है। महिलाएं एनीमिया, कुपोषण, एच आई वी, एड्स की अधिक शिकार होती हैं।

- ❑ शादी की उम्र 1961 में 15.5 वर्ष से बढ़कर 1997 में 19.5 वर्ष हुई, परंतु अभी भी 18 वर्ष की उम्र तक 44.5 प्रतिशत लड़कियां ब्याह दी जाती हैं।
- ❑ गरीबी के कारण उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलतीं, शौचालयों का अभाव व पेय जल की अपर्याप्त आपूर्ति अभी भी जारी है। ग्रामीण-क्षेत्र में आज भी केवल 25.9% को शौचालय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- ❑ कुकिंग के ईंधन की अपर्याप्त आपूर्ति का असर महिला व बच्चों पर बोझ, स्वास्थ्य व पोषण पर पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 85% कुकिंग ईंधन जंगलों से आता है। महिलाएं व बच्चों का अधिकांश समय उन्हें एकत्र करने में लगता है। धुएं की वजह से श्वास रोग, कैंसर व आँख की बीमारियाँ बढ़ती हैं।

- ❑ नाको के आकलन के अनुसार भारत में प्रति तीन एचआईवी प्रभावित में एक महिला है। नेशनल काउंसिल व एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च सर्वे के अनुसार 70% महिलाओं में से 21% एच.आई.वी. पॉजिटिव हैं। जिन्हें परिवार से अलग, संपत्ति से बेदखल किया गया है। उनके पास इलाज के लिए रुपया नहीं है कि वे अपने बच्चों को रोग से मुक्त रख सकें।

एच.आई.वी. पॉजिटिव 60% महिला विधवाएँ हैं और 30 वर्ष से कम उम्र की हैं वे अपने परिवारों के साथ हैं उनमें से 91% को पति के परिवार से कोई सहायता नहीं।

- शिक्षा के स्तर में 3% वृद्धि पिछले दशक में दर्ज हुई है।

एन.एस.एस.ओ. के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिला कामकाजी स्त्रियां 28% (2004) जबकि श्रीलंका में 30% बांग्लादेश में 37%, दक्षिण अफ्रीका 35% है।

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2000-01 में 28.7% जो बढ़कर 2004-05 में 32.7% हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला में श्रमिकों में वृद्धि स्वयं रोजगार श्रेणी में अधिक हुई।

- शिक्षा के स्तर में वृद्धि व आर्थिक विकास के बावजूद महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ी है जिसमें भ्रूण हत्या, बलात्कार, अपहरण, अनैतिक व्यापार, दहेज मृत्यु, घरेलू हिंसा व डायन प्रथा बढ़ी है।

भारत में गुमशुदा लड़कियों की संख्या 10 मिलियन है। यह संख्या बढ़ रही है।

ग्यारहवीं योजना की चुनौतियां

- *आर्थिक सशक्तिकरण*
- *इंजीनियरिंग सामाजिक सशक्तिकरण*
- *राजनीतिक सशक्तिकरण*
- *महिला-संबंधी कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन*
- *महिलाओं को मुख्य-धारा में लाने के लिए संस्थागत प्रयास।*

महिलाओं को सशक्त करने की दृष्टि से उन्हें संपति के अधिकार दिए जाने की नितांत आवश्यकता है।

- वैश्वीकरण के कारण हथकरघा जैसे कार्यों में कमी आने से जो कि महिला केंद्रित कार्यक्रम थे अब अव्यवहार्य हो गए हैं। महिलाएं कम मजदूरी की पात्र मानी जाती हैं।

स्कूल, जमीन, ऋण सुविधाओं, वैकल्पिक रोजगार, प्रशिक्षण और तकनीकी में समान अवसरों के अभाव में महिलाओं को कम आय आर्थिक गतिविधियों में लगाना पड़ता है।

ग्यारहवीं योजना में उन्हें आवश्यक कौशल व्यावसायिक प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। उन्हें सामाजिक सुरक्षा दिलाने के प्रयास के द्वारा वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जाएगा।

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत उनके कौशल का उपयोग कर उन्हें रोज़गार दिया जाएगा।

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1941 और समान वेतन अधिनियम 1976 सभी राज्यों में लागू हो।

- अंतर्राष्ट्रीय साक्ष्य यह रेखांकित करते हैं कि भू-स्वामिनी महिला के परिवार की भोजन सुरक्षा, बच्चों की जीविका, शिक्षा व हेल्थ व बच्चों के घरेलू हिंसा का शिकार न होने जैसी स्थितियाँ बनती हैं। महिलाएं जिनके नाम जमीन व घर हैं वे घरेलू हिंसा का शिकार कम होती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से भयंकर बीमारियों का कुपोषण से बचाव करती हैं। ग्यारहवीं योजना महिलाओं को इस दृष्टि से सशक्त करना चाहती है।
- ग्यारहवीं योजना में पी.डी.एस. सिस्टम को सुदृढ़ करने व बी.पी.एल जनगणना मानदंडों को संशोधित किया जाना है ताकि विधवाएं एकल स्त्री व तकलीफ में विपत्तियों से ग्रस्त स्त्रियां असुरक्षित न होने पाएं।
- किसानों की आत्महत्याओं से परिवार की स्त्रियों पर भार व ऋण का बोझ बढ़ता है। ग्यारहवीं योजना में कृषि, ग्रामीण विकास, खादी व ग्रामीण उद्योग, महिला व बाल विकास विभाग के द्वारा सूक्ष्मऋण सुविधाओं, क्षमता-निर्माण का एक विस्तृत पैकेज ऐसे प्रभावित परिवारों के लिए दिया जाएगा।
- स्वयं सहायता समूह

स्वयं सहायता समूह के प्रयासों, नीति व योजनाओं को सुदृढ़ करने के साथ ग्यारहवीं योजना में महिलाओं की जागरूकता तोल-मोल करने की (बार्गेनिंग) शक्ति, साक्षरता, स्वास्थ्य, व्यावसायिक व उद्यम कौशल बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशिक्षण क्षमता निर्माण, मार्केटिंग के बैकवर्ड-फारवर्ड लिंकेज, निवेश बढ़ाने के द्वारा आजीविका के अवसर बढ़ाए जाएंगे।

सामाजिक (सोशल) सशक्तिकरण

ग्यारहवीं योजना में विशेष रूप से गरीब और यौन-कर्मियों और इतर लिंगी जैसे बहिष्कृत व लांछनायुक्त स्त्रियों की विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच कम होती है।

- पारिवारिक कलह के कारण भावनात्मक व शारीरिक शोषण को कम करने के, सामुदायिक हिंसा व प्राकृतिक आपदाओं के कारण महिलाओं को होनेवाली कठिनाइयों को ध्यान में रख राहत व पुनर्वास योजनाएं बनाई जाएंगी।
- ग्यारहवीं योजना में महिला व बाल-विकास मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थलों पर यौनशोषण रोकने का बिल लागू हो। इटपा की

समीक्षा की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वेश्यावृति की पीड़िता को अपराधी न बनाया जाए। इसके साथ ही योजना में जबरन माइग्रेशन व ट्रैफिकिंग रोकने के लिए अन्तर राज्य नेटवर्क को सुदृढ़ किया जाएगा। समुदाय-स्तर पर सतर्कता बढ़ाने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे ताकि ट्रैफिकिंग (दुर्व्यापार) कम हो। पुलिस, न्यायपालिका व अन्य सरकारी कार्मिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किए जाएंगे।

- पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- स्वयं सहायता समूह योजना के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाएगा।
- प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम की सहायता (एस.टी.ई.पी.) योजना के द्वारा महिलाओं को कौशल-प्रशिक्षण देने की योजना को और अधिक विस्तारित किया जाएगा।
- यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल फंड जो कृषि विकास के लिए है, के द्वारा महिला सशक्तिकरण व आजीविका प्रोजेक्ट उ.प्र. व बिहार के चार जिलों में चलाया जाएगा।
- योजना के दौरान शिक्षा का संक्षिप्त कोर्स वयस्क लड़कियों व महिलाओं के लिए चलाया जाएगा जिसमें उन्हें कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा,

मंत्रालय महिलाओं की स्थिति, अधिकार व समस्याओं पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम के लिए मीडिया का सहारा लेगा। इसके द्वारा वह यह चाहेगा कि मीडिया में महिलाओं की संतुलित छवि सामने आए।

दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वूमेन्स फोरम बनाम भारत व अन्य रिट याचिका (सी.आर. स्टन 362/94 में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग को यह आदेश दिया है कि बलात्कार पीड़ित महिलाओं के आंसू पोंछने के लिए योजना बनाई जाए। भारतीय संविधान की धारा 38 (1) में निहित निदेशों के तहत 'क्रिमिनल इंजरी कम्पंसेशन बोर्ड' बनाया जाना आवश्यक है।

बलात्कार-पीड़िता की राहत व पुनर्वास योजना, 2004 राष्ट्रीय महिला आयोग ने तैयार की है जिसमें (1) बलात्कार-पीड़िता को क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रत्येक जिले में 'आपराधिक क्षति मुआवजा बोर्ड' (क्रिमिनल इंजरीज़ रिलीफ व रिहेब्लीटेशन बोर्ड) बनाए जाने (2) पीड़िता के लिए आश्रय सुरक्षा, विधिक और चिकित्सा सहायता और पुनर्वास उपायों के लिए जिला अनुप्रवर्तन कमेटियों का गठन

किया जाता है। वर्ष 2007-08 में इसके लिए रु. 1 करोड़ आबंटित किए गए थे।

निसंदेह महिलाओं के सशक्तिकरण की इस राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य महिलाओं का समुचित विकास व सशक्तिकरण करना है और उनके विरुद्ध बरते जाने वाले सभी भेदभावों का उन्मूलन करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि सभी सार्वजनिक जीवन और गतिविधियों में उनकी सक्रिय सहभागिता हो।

इस नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय 'कार्य योजना' (पी.ओ.ए.) तैयार कर रहा है। केबिनेट सचिवालय की अभ्युक्तियों के परिप्रेक्ष्य में इसे दुबारा तैयार करने के लिए एक कोर समूह गठित किया गया है। इसमें वर्ष 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ही कार्य-योजना बनाई जा रही है। कार्य-योजना में कार्यान्वयन के लिए संसाधनों की प्रतिबद्धता एवं उत्तरदायित्वों को भी अभिनिर्धारित किया जाएगा तथा अनुप्रवर्तन के संस्थागृह तंत्रों एवं संरचनाओं में भी सुधार किया जाएगा।

- स्वाधार योजना जारी रहेगी

बच्चे सबसे अधिक परिवार में सुरक्षित होते हैं इसलिए परिवार की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है ताकि वे सुरक्षा व उनका ख्याल रख सकें।

संस्थागत सहायता भी बच्चों को मिलती रहे। यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।

'टेक होम राशन'- योजना यदि प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हो तो बच्चों की स्कूल में उपस्थिति और योजना की समस्या का हल भी निकल सकता है।

स्कूल शिक्षा व परिवार को भोजन की उपलब्ध कराने की योजना से कुपोषण की समस्या भी कुछ हद तक दूर होगी।

समेकिल बाल सुरक्षा कार्यक्रम

- 24 घंटे की हेल्पलाइन सभी जिलों/नगरों में शुरू की जाए।
- शहरों में ड्राप-इन शेल्टर होम स्थापित हो।
- गोद लेने की प्रक्रिया को परिष्कृत करना ताकि जो मां-बाप बच्चे की परवरिश नहीं कर पाते उन तक पहुंचाया जाए।
- प्रत्येक जिले में पी.एच.वी, हस्पतालों, स्वाधार यूनिटों शार्ट स्टे होम और जिला चाइल्ड प्रोटेक्ट यूनिटों में 'क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेंटर' बनाए जाएं। यहाँ कठिन हालातों में माँ-बाप बच्चे को छोड़ सकते हैं व दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) का शिकार बच्चों को वहाँ रखा जा सकता है।
- चाइल्ड लाइन 1098 ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तारित की जाएगी।

- बाल-अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिसूचित किया जा चुका है जिसका लक्ष्य भारत में बच्चों के अधिकारों पर जानकारी व कार्यान्वयन करना होगा। योजना के तहत सभी जिलों में भी इसका गठन सुनिश्चित किया जाएगा।

बालिका के समुचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए पंचायत, ग्राम सभाओं, समुदाय आधारित संगठनों, स्थानीय निकायों के द्वारा बालिका विकास की निगरानी की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट इसकी समीक्षा करेंगे।

लिंग चयन सामाजिक कुरीति नहीं, अपराध माना जाएं इस दिशा में सरकार को जागरूकता व नियम बनाने होंगे।

लड़की पैदा होने पर उसका जन्म पंजीकरण-टीकाकरण-स्कूल में दाखिल करवाना व पढ़ाना-18 वर्ष के बाद शादी करने की शर्तों के साथ नगद प्रदान करने वाली योजना 'धनलक्ष्मी' कुछ पिछड़े जिलों में प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही है। इस योजना में बीमा कवर शामिल किया जा रहा है। यह योजना उस समुदाय में लड़की के प्रति व्यवहार का आकलन के लिए अध्ययन करेगी।

ऐसी योजनाएँ पूरे भारत में चलाई जाएं ताकि लड़की को बेचने व उससे धंधा कराये जानी जैसे कुरीतियां स्वतः कम हो जाएंगी।

बाल विवाह को रोकने के लिए सिविल सोसायटी ग्रुप, पंचायत एस.एच.जी., पंडित (मौलवी/पादरी) सभी को शादी देर से करने के लिए उपदेश देने होंगे व सभी शादियों का पंजीकरण हो। यह सुनिश्चित किया जाना व्यक्तिगत व संस्थागत दोनों की जिम्मेदारी तय की जाए।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष 44000 बच्चे गुम हो जाते हैं जिनका वेश्यावृत्ति, शादी या अवैध गोद लेने, बाल श्रम, भिखारी, सशस्त्र समूहों में भर्ती करने व मनोरंजन (सर्कस व खेलों) के लिए अनैतिक व्यापार किया जाता है। नए मार्केटों व पर्यटन में वृद्धि के कारण बच्चों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा है। यह जरूरी है कि इन्हें आधारभूत सुविधाएं व अधिकार मिलें।

भारत के 5-7 मिलियन एच.आई.वी./एड्स प्रभावित लोगों में से 15% 220000 बच्चे 15 वर्ष से कम उम्र के हैं। ये बच्चें हर तरह के अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। इन बच्चों के प्रति भेदभाव न हो यह ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य है।

एक सर्वे के अनुसार एन.जी.ओ. के पास उपचार के लिए आनेवाले 63.6% बच्चे 15 वर्ष से कम उम्र में ही मादक पदार्थों का सेवन कर चुके होते हैं।

ग्यारहवीं योजना में सरकार—महिलाओं व बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के

लिए प्रयत्नशील है और हर मंत्रालय के विकास कार्यक्रमों में इन्हें शामिल किया गया है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001 के द्वारा महिलाओं के समग्र विकास के लिए विभिन्न उपायों के द्वारा मुख्यधारा में उन्हें शामिल करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

इस नीति का उद्देश्य उनके आर्थिक विकास के लिए आर्थिक व सामाजिक नीतियों के द्वारा उन्हें पूरे अवसर उपलब्ध करवाना, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागर सभी क्षेत्रों में उन्हें पुरुषों के समान अधिकार देना। देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में उन्हें समान अवसर व निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, स्वास्थ्य सुविधाएं, सभी स्तरों पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा, कैरियर और वोकेशनल मार्गदर्शन, रोजगार, समान वेतन, व्यावसायिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि की बराबर उपलब्धता, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभावों को दूर करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करवाकर समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाने जैसे लक्ष्यों को हासिल करना है।

वास्तव में विभिन्न अनैतिक व्यापार व बलात्कार का शिकार महिलाओं को विशेष पुनर्वास पैकेज की आवश्यकता होती है। किशोर लड़कियों के लिए शोषण की संभावनाएं अधिक होती हैं। कठिन परिस्थितियों में निम्नलिखित वर्ग में महिलाओं को रखा जा सकता है।

- हिंसा द्वारा प्रभावित
- घरेलू/बलात्कार/अनैतिक व्यापार/वेश्या के रूप में लांछित/एसिड अटैक
- विस्थापन, आपदा और प्रव्रजन से प्रभावित महिलाएं
- आर्थिक कारण (रिफ्यूजी) शरणार्थी एस.ई.जेड., बांधों के निर्माण आदि के कारण विस्थापित प्राकृतिक आपदा
- महिला व श्रम
- घरेलू श्रम/बंधक श्रम/निराश्रित महिलाएं
- कृषि में महिला

भूमिहीन महिलाएं/मझोले किसान/कृषि मजदूर

- महिला और स्वास्थ्य एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित जानलेवा बीमारियां अपंगता-ग्रस्त महिला, प्रौढ़ महिला, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली महिला, महिला कैदी, धार्मिक अल्पमत महिलाएं, पिछड़ी जाति की महिलाएं, एकल महिला, किशोरी, अविवाहित, विधवा, आर्थिक विस्थापन के कारण

पतियों से अलग रहने वाली महिला, तलाकशुदा महिलाओं के साथ-साथ

महिलाएं व वैश्वीकरण- वैश्वीकरण व उदारीकरण का असर महिलाओं पर पड़ा है। विभिन्न उद्योग धंधों के शहरों के निकट होने के कारण उन्हें काम की तलाश से घरों से दूर जाना पड़ता है। सुरक्षित आवास व अन्य सुविधाओं की वहाँ व्यवस्था होनी जरूरी है।

किशोरियों का कल्याण- किशोर लड़कियों को सबसे अधिक शोषण का भय होता है। भोजन, स्कूली शिक्षा पूरी न कर पाना, छोटे भाई बहनों की देखभाल, घर के कामकाज में हाथ बंटाना, मजदूरी करना, यौन-शोषण के लिए अवैध व्यापार, बाल विवाह, कच्ची उम्र में प्रसव आदि जैसी समस्याओं का शिकार होती है। जब इस उम्र में उन्हें सामाजिक, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सशक्त करने के लिए उसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

विभाग की फ्लेगशिप योजना के अन्तर्गत स्टेप योजना जो ग्रामीण महिलाओं को उनके पारम्परिक क्षेत्रों, डेरी विकास, पशु-पालन, रेशम उत्पादन हथकरघा व सामाजिक वानिकी के लिए उनके कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण व रोजगार की व्यवस्था करती है। मंत्रालय की कामकाजी महिला होस्टल व क्रेश सुविधा की योजना भी है। स्वाधार व आश्रमगृहों की व्यवस्था की जा रही है।

ग्रामीण-क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के उपाय

कृषि में महिलाओं को भूमि के अधिकार दिए जाएं ताकि महिलाओं का कल्याण हो सके। महिलाएं अपनी आमदनी अपने बच्चों पर व घर की जरूरतों पर खर्च करती हैं जबकि पुरुष अपनी शराब, तम्बाकू व अन्य व्यसनों पर खर्च करते हैं।

- संपति के अधिकार से महिलाएं सशक्त होंगी।
- संपत्तिहीन महिलाओं का परित्याग परिवार कर देता है।
- महिलाओं को पौधों की विभिन्न प्रजातियों की अधिक जानकारी होती है। उनके इस कौशल का प्रयोग पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण व उनके बहु- विधि प्रयोगों के लिए किया जा सकता है।

स्वर्ण-जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

ग्रामीण गरीबों में स्वरोजगार की योजना का उद्‌देश्य गरीब परिवारों को बैंक ऋण व सरकारी सब्सिडी के द्वारा आय अर्जक आस्तियों के सृजन के द्वार गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है। इस योजना के तहत 40% स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हैं जिसमें 63% स्वरोजगारी महिलाएं हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्प संख्यकों, विधवाओं, एकल महिलाओं व महिला मुखिया परिवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं के लिए आबंटित बजट उन्हीं के लिए प्रयोग में लाया जाए।

- उन्हें केवल वित्तीय सहायता ही नहीं बल्कि कौशल उन्नयन, विपणन जानकारी आदि भी उसके साथ ही चाहिए।
- प्रयास यह होने चाहिए कि ग्रामीण-क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का निर्माण हो ताकि आजीविका के नियमित संसाधन निर्मित हो सकें। उन्हें रोजगार की तलाश के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

इस योजना में मजदूरी का भुगतान नगद व वस्तु दोनों रूपों में होता है।

इस योजना में 40% महिलाओं की सहभागिता होनी चाहिए।

इंदिरा आवास योजना- 1991 की जनगणना के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि 17.67 मिलियन इकाइयों की ग्रामीण आवासन में कमी है। भारत सरकार में 1998 में यह घोषणा की थी कि वर्ष 2010 तक की समाप्ति तक सबको मकान मिल जाएंगे पर अभी भी लक्ष्य पूरा होने की संभावना कम ही दिखती है।

अनुसूचित जाति व जनजाति के गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के आवास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्‌देश्य है। मकान परिवार की पत्नी या संयुक्त नाम से आबंटित किए जाते हैं।

स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना- 40 लाभार्थी महिला हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। महिलाएं अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्पसंख्यक समूह की होनी चाहिए। विधवाओं व एकल महिला को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम- 7 सितम्बर 2004 को अधिसूचित अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में अकुशल मजदूरी के लिए 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जा रही है। अधिनियम के तहत ग्रामीण-क्षेत्रों में आधारभूत आस्तियों का निर्माण भी किया जा रहा है। पहले चरण में देश के 200 जिलों में शुरू की गई योजना अब सारे जिलों में चलाई जा रही है।

योजना के तहत आवेदन करने वाले को जॉब कार्ड दिया जाता है। वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी है।

15 दिन तक काम न मिलने पर बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है। न्यूनतम मजदूरी 100/- है।

- योजना के अंतर्गत किसी भी ग्रामीण परिवार के कम-से-कम एक सदस्य को

100 दिन का अकुशल श्रम का रोजगार मिलने की गारंटी है। प्रतिदिन 100/- का भुगतान यानि वर्ष में कम से कम रु. 10,000 की आय की गारंटी है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाय) के द्वारा गांवों में रोशनी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गांवों में बिजली आने से परती भूमि पर पंपसेटों की मदद से खेती संभव हो रही है। नए रोजगारों की संभावनाएं बढ़ रही है। वहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं यह सब गांवों में बिजली आने से संभव हो रहा है।

31 जुलाई 2009 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष के लिए रु. 33,000 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।

1,41,741 (63,196 गांव जहां बिजली नहीं थी को शामिल कर) गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है। 74 लाख घरों में रोशनी पहुंचाई गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत

- बी पी एल परिवारों को प्रतिमाह रु. 3 कि.ग्रा. की दर से 25 कि.ग्रा. चावल अथवा गेहूं मिलेंगे।
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना।

जिन गांवों में 50ऽ जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। ऐसे 1,000 गांवों का समेकित विकास।

- भारत निर्माण योजना।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन- आधार भूत स्वास्थ्य सुविधाएं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य वर्ष 2014-15 तक गरीबी उन्मूलन।

भारत निर्माण व फ्लेगशिप कार्यक्रम- भारत निर्माण योजना के तहत एक करोड़ हेक्टेयर भूमि की सुनिश्चित सिंचाई व्यवस्था, एक हजार की आबादी वाले हर गांव को सड़कों के माध्यम से जोड़ना, 74000 गांवों में पेय जल, 25 करोड़ बिजली के कनेक्शन, 66822 गांवों में टेलीफोन सुविधाएं देने के लिए रु. 1,74,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

फ्लेगशिप कार्यक्रम- ग्यारहवीं पांच वर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य बेहतर आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाना है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य आधारभूत जन-सुविधाओं को उपलब्ध करवाना है। इन आवश्यक सुविधाओं का अभाव जनसंख्या के एक बड़े वर्ग को अभावग्रस्त कर देता है।

समेकित बाल विकास सेवाएं- योजना का अंतिम उद्देश्य मातृ/शिशु मृत्यु दर

को कम करना, कुपोषण को दूर रखना, स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दिलाना, बच्चे के समुचित विकास के लिए मां व परिवार की क्षमताओं को बढ़ाना है। आंगनबाड़ी कार्यक्रमों के द्वारा पूरे भारत में इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में लड़कियों की संख्या प्राइमरी कक्षाओं में वर्ष 2001 में प्राइमरी स्कूलों में 4.03 करोड़ से वर्ष 2004 में 6.11 करोड़ होने से इनका प्रतिशत 21.74% और मिडिल कक्षाओं में 1.87 करोड़ से 2.27 करोड़ (21-31%) हो गया।

स्वावलम्बन कार्यक्रम- स्वावलम्बन कार्यक्रम पहले महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से 1982-83 में शुरू किया गया था जो नार्वेन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन ओ आर ए डी) की आर्थिक सहायता से चलाया जा रहा था। 1996-97 तक उनसे यह सहायता मिलती रही। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार या रोजगार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण व कौशल उपलब्ध करवाया जाए। इस योजना के लक्ष्य समूह अनुसूचित जाति/जनजाति जैसे समाज के कमजोर वर्ग की महिलाएं व गरीब महिलाएं हैं।

कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माण की योजना के तहत एन.जी.ओ. सहकारिता निकायों को कामकाजी महिला होस्टल और डे-केयर सेंटर खोलने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

बलात्कार पीड़िता को क्षतिपूर्ति- दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वूमेन फोरम बनाम भारत सरकार की रिट याचिका (सी.आर.एल.) से 362/93 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय महिला आयोग को यह निर्देश दिए कि बलात्कार का शिकार महिला के आंसू पोंछने के लिए योजना बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि संविधान की धारा 38(1) में दिए गए निर्देशों के अनुरूप 'आपराधिक क्षति, क्षतिपूर्ति बोर्ड' का गठन किया जाना जरूरी है क्योंकि बलात्कार पीड़िता को मानसिक अवसाद के साथ-साथ वित्तीय हानियां भी होती हैं और कई बार नौकरी पर बना रहना भी संभव नहीं होता। कोर्ट का यह निर्देश था कि अपराधी का दोष सिद्ध होने पर उसे क्षतिपूर्ति कोर्ट द्वारा दी जाए और दोष सिद्धि होने से पूर्व ही 'आपराधिक क्षति, क्षतिपूर्ति बोर्ड' क्षतिपूर्ति दे। बोर्ड पीड़िता की पीड़ा, चोट व सदमे व उसकी आर्थिक हानियां जो प्रजनन व बच्चे के जन्म पर होने वाले खर्चों, यदि बलात्कार के परिणामस्वरूप हो तो, को ध्यान में रखकर क्षतिपूर्ति निर्धारित करें।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'बलात्कार पीड़िता को सहायता व पुनर्वास' योजना तैयार की है जिसे ग्यारहवीं योजना में शुरू किया जाना है।

लिंग समानता के लक्ष्यों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता और न ही

महिलाओं के प्रति अपराधों को बंद किया जा सकता है, जब तक स्त्री व पुरुषों के दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आता है। भले ही कई कानून व नीतियां व कार्यक्रम बना दिये जायें जब तक समाज की सोच, अवधारणा व दृष्टिकोण में बदलाव नहीं आता है। स्थितियां नहीं बदल सकतीं।

प्रशिक्षण व रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता-स्टेप- पारम्परिक क्षेत्रों में गरीब व संपत्तिहीन महिलाओं के कौशल व ज्ञान के लिए यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत उन्हें प्रशिक्षित कर समूहों के रूप में संगठित कर सहकारिता के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, क्रेश सुविधा, मार्केट लिंकेज आदि की सुविधाएं भी दी जाती हैं। 10 पारम्परिक कौशलों के लिए कौशल विकास कराया जाता है। यह 1987 से शुरू की गई है। ग्यारहवीं योजना के तहत रु. 240 करोड़ की राशि का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निरंतर प्रयासों का ही यह परिणाम है कि देह- व्यापार की अन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर विचार-विमर्श करने के लिए कई महत्वपूर्ण अध्ययन व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के मंचों से उठी आवाज पर अमल करते हुए एक केन्द्रीय निकाय का गठन किया गया।

आयोग अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर देह व्यापार व महिलाओं के प्रति हिंसा रोकने के प्रयासों में संघर्षरत है।

आयोग यूनीसेफ, यूनीफेम, यू.एन. सेंटर फार ह्यूमन राइट्स, आई.एल.ओ., यूनेस्को यू.एन.डी.पी., डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एन.ए. आई.डी.एस., वर्ल्ड टूरिज्म आर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों के साथ तालमेल से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है।

आयोग ने यूनीफेम, सोशल साइंस इन्स्टीच्यूट के सहयोग से वर्ष 2002 में महिला व बच्चों की दुर्व्यापार की समस्या पर अध्ययन किया जिसका मुख्य फोकस इसके कारणों, प्रवृत्ति विभिन्न आयामों को रेखांकित करना था। इसमें दुर्व्यापार लक्ष्य, गन्तव्य व स्रोत क्षेत्रों ट्रैफिकिंग के रास्ते, कानून, एन.जी.ओ. आदि सभी पर विस्तार से विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन-रिपोर्ट की सिफारिशें सभी राज्यों को कार्यान्वयन के लिए भेजी गई और उन्हें 'की गई कार्रवाई' की रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा गया।

यूनीसेफ के सहयोग से आयोग और प्रसार भारती ने मिलकर यौन-शोषित बच्चों की समस्याओं व मीडिया की भूमिका पर कार्यशालाएं चलाई व उनके लिए गाइड-बुक तैयार की।

- ❑ सीमापार से देह व्यापार को रोकने के लिए आयोग ने उत्तर प्रदेश,

बिहार व पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशकों को इस मामले में सतर्क रहने का अनुरोध किया है। भारत, नेपाल बार्डर पर काम कर रहे मानव सेवा संस्थान-सेवा एन.जी.ओ. को मदद देने के लिए तीनों राज्यों की पुलिस को अनुरोध किया है।

वर्ष 2003 में सेक्स पर्यटन व ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए यूनीफेम के सहयोग से आयोग ने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य होटल व पर्यटन उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों को सेक्स पर्यटन व देह-व्यापार से जुड़े विभिन्न मुद्दों के प्रति जागरूक करना था।

वर्ष 2004 में ट्रैफिकिंग से जुड़ी विभिन्न नीतियां व कानूनों के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय कार्यशाला, प्रयास एन.जी.ओ. व टाटा इन्स्टीच्युट ऑफ सोशल साइन्स के साथ मिलकर आयोजित की गई ताकि बचाव व बचाव उपरान्त की रणनीतियों को प्रभावी बनाया जा सके।

आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देह-व्यापार का शिकार महिला को दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स) के विरुद्ध प्रशासनिक व विधिक कार्यवाही करने के अधिकार हैं। उसे कानूनी कार्रवाई के दौरान पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। यही नहीं छुड़ाई गई महिलाओं को उनके परिवारों/समुदाय से मिलाने की दिशा में भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करवाई जाती है।

अनैतिक व्यापार निवारण में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रयास

मंत्रालय ने वर्ष 1998 में महिला व बच्चों के अनैतिक व्यापार और व्यावसायिक यौन-शोषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की थी जिसका उद्देश्य व्यावसायिक यौन-शोषण का शिकार महिलाओं व बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। मंत्रालय ने यह राष्ट्रीय कार्ययोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को मार्ग-निर्देश जारी किए।

मंत्रालय ने केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया है। यह समिति सचिव, महिला व बाल विकास विभाग की अध्यक्षता में कार्य करती है जिसके सदस्य के साथ-साथ राज्यों व विभिन्न क.पु. संगठित है पुलिस महानिदेशक समिति में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में शामिल रहते हैं। समिति की बैठक तिमाही आधार पर होती है जिसमें स्थितियों का आकलन व विश्लेषण किया जाता है व भावी नीति पर विचार किया जाता है।

- ❑ मंत्रालय द्वारा व्यावसायिक यौन-शोषण के लिए अनैतिक व्यापार के

पीड़ित बच्चों के बचाव पूर्व, बचाव व बचाव उपरान्त उपायों की मार्ग निर्देशिका भी तैयार की गई है।

- महिला व बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और यून एन.ओ.डी.सी. के सहयोग से पुलिस एंड प्रास्टीक्यूटर्स के लिए प्रशिक्षण मैनुअल और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार, गोवा में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (ए.एच.टी.यू.) स्थापित किए हैं।
- मंत्रालय ने यूनीसेफ के साथ बाल व्यावसायिक यौन-शोषण पर अध्ययन रिपोर्ट जारी की। इससे पहले तक इस विषय पर कभी समेकित रूप से विचार न हुआ था।

महिला व बाल विकास मंत्रालय के आग्रह पर गृह मंत्रालय में नोडल कक्ष स्थापित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य सरकारों व अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना और उन्हें जानकारी भेजने के साथ-साथ विभिन्न आंकड़े, व्यवहार में लाई जा रही नवोन्मेषी पहल आदि के बारे में सूचनाएं आदान-प्रदान करना है।

- मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को 30% महिला पुलिस बल की भर्ती की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया है और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला सहायता डेस्क गठित करने के सुझाव भी दिए हैं।

- मंत्रालय सभी राज्यों को राज्य सलाहकार-समिति की बैठकें नियमित रूप से करने व उज्ज्वला योजना के सभी घटकों द्वारा रोकथाम, बचाव, पुनर्वास, परिवार में लौटना व अपने देश वापिस भिजवाने जैसे मुद्दों पर हुई प्रगति का अनुप्रवर्तन करने का अनुरोध करता है।
- मंत्रालय सभी मुख्य सचिवों से भी निरंतर अनुरोध करता है कि वे निचले स्तर के अधिकारियों व कार्यकर्ताओं को यौन-शोषण से संबंधी मुद्दों के प्रति संवेदनशील व जागरूक बनाए ताकि बच्चों का यौन-शोषण न होने पाए और दोषी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता व बच्चों से संबंधित कानूनों के तहत दंडित किया जा सके।
- राष्ट्रीय जन सहकारी व बाल विकास संस्थान के सहयोग से मंत्रालय एन.जी.ओ. के लिए कार्यशालाएं आयोजित करता आ रहा है। इसने काउंसलरों के लिए विशेष मोड्यूल भी तैयार किए हैं।
- मंत्रालय अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने, दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स) को कानून के शिकंजे में लाने आदि जैसे संशोधनों के माध्यम से उसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधन बिल 2006 लोकसभा में प्रस्तुत कर चुका है।

- पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो द्वारा दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) के मामलों पर पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण दिलाया गया है।
- आपातकालीन स्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नम्बरों की जानकारी सब जगह दी जा रही है। मंत्रालय के तत्वावधान में अंतरिम गृह, स्वाधार गृह आदि चलाए जा रहे हैं, इन शेल्टर होम्स में विभिन्न वेश्यागृहों या अन्य स्थानों से छुड़ाई गई लड़कियां/महिलाएं, यौन-शोषण का शिकार होने के बाद परिवार के द्वारा ठुकराई गई या फिर जो विभिन्न कारणों से अपने परिवारों में नहीं लौटाना चाहती हैं, रह सकती है। उन्हें काउंसलिंग व व्यावसायिक प्रशिक्षण स्व निर्भर होने के लिए साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं।

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट- यू.एन.ओ.डी.सी. के सहयोग से भारत के पांच राज्यों में मानव अवैध व्यापार की समस्या से निपटने के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट चलाया जा रहा प्रोजेक्ट है इस यूनिट में एक गाड़ी, कम्प्यूटर सिस्टम, मोबाइल फोन, एन.जी.ओ. आदि को मानदेय देने जैसी गतिविधियों के लिए अनुदान और ट्रैफिकिंग के शिकार व्यक्तियों को छुड़ाए जाने के बाद गतिविधियों के लिए निधियां उपलब्ध करवाया जाना शामिल है। यह एन.ओ.डी.सी. व गृह मंत्रालय के द्वारा चलाये जाना वाला कार्यक्रम है जिसमें पुलिस का प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के लिए 2.5 मिलियन डॉलर (11 करोड़ रुपये) की यू.एस. सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह विश्व में सबसे बड़ा अकेला प्रोजेक्ट था जो एंटी ट्रैफिकिंग के लिए दिया गया। इस कार्यक्रम में मानव अवैध व्यापार को मानवीय पहलू से देखा जाता है, जिसमें बचाव के बाद उनके काउंसलिंग व सदमे से उबारा जाता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस अधिकारियों व प्रास्यिक्यूटरों को सशक्त करना, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर मानक परिचालन प्रक्रियाएं/प्रोटोकोल विकसित करना, कानून लागू करने की स्थितियों में सुधार लाना है।

- उज्ज्वला योजना के माध्यम से अनैतिक व्यापार रोकने के लिए पांच घटकों, निवारण बचाव, पुनर्वास, परिवारों में वापिसी व देश वापसी के समेकित प्रयासों को विभिन्न राज्य सरकारों व एन.जी.ओ. के माध्यम से किया जा रहा है। बचाव गतिविधियों में शिक्षा, रैली, जागरूकता अभियान, पोस्टर, बुकलेट, वालपेपर, हैंडबिल, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली एवं अन्य पारम्परिक कलाओं तथा रेडियो व स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से समाज में जन चेतना लाने के उपाय शामिल किए गए हैं और वेश्यागृहों से छुड़ाने के बाद भावनात्मक सदमे से उबरने के लिए

काउंसलिंग, शेल्टर होम, चिकित्सा सुविधाएं, कानूनी सहायता, पीड़ित/ साक्षी को सुरक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण व उनके राज्य एवं दूसरे देशों में उनके घर भेजने के उपाय भी योजना में शामिल हैं।

- विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि आर्थिक निर्धनता इसका एक प्रमुख कारण है इसलिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में व्यावसायिक यौन-शोषण का शिकार महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। स्वर्णजयन्ती रोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, सूक्ष्म उद्यम लगाने के लिए प्रशिक्षण व सूक्ष्म ऋण के माध्यम से स्वरोजगार कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रम हैं।

एन.जी.ओ. के माध्यम से राष्ट्रीय महिला कोष कम दरों पर सूक्ष्म ऋण उपलब्ध करवा रहा है।

- केन्द्रीय जांच ब्यूरो के वरिष्ठ रैंक के अधिकारियों को 'ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी' के रूप में नियुक्त किया जा रहा है जिन्हें पूरे भारत में कार्य करने के अधिकार व शक्तियां प्रदान की गई हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग को संविधान तथा अन्य विधियों में महिलाओं के लिए प्रदत्त संरक्षणों से संबंधित सभी विषयों की समीक्षा तथा अन्वेषण करने एवं महिलाओं के अधिकारों की वंचना तथा उनके संरक्षण व विकास के लिए बनाए गए कानूनों को लागू करवाने का अधिकार प्रदान किया गया है।

सभी प्रकार की विपत्तिग्रस्त महिलाओं तक पहुंचने में आयोग को समर्थ बनाने के लिए, उसे जेलों तथा महिलाओं की अभिरक्षा के अन्य ऐसे ही स्थानों का निरीक्षण करने एवं बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों से संबंधित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराने के अधिकार भी प्रदान किए हैं। आयोग की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना-प्रक्रिया में भाग लेने तथा परामर्श देने का अधिकार भी है।

आयोग का अपना एक शिकायत कक्ष, यंत्रणा कक्ष और कानूनी एकक भी है। इन शिकायत कक्षों में घरेलू परेशानियों में फंसी असहाय महिलाओं की बात हमदर्दी से सुनी जाती है। उन्हें सहायता दी जाती है। आयोग की एक हेल्प लाइन कंट्रोल रूम की है।

आयोग की कार्यकर्ता देश के दूर-दराज के भागों में कानूनी जागरूकता शिविर, सार्वजनिक सुनवाइयां, पारिवारिक महिला लोक अदालतों आदि का आयोजन करते हैं।

आयोग ने महिलाओं से संबंधित कानूनों की सतत और विधिवत समीक्षा करके उन्हें अधिक महिला-उन्मुख बनाने के उद्देश्य से उनमें कठोर संशोधनों और बदलावों के सुझाव दिए हैं। वर्ष 2007 के दौरान आयोग अप्रैल से 31 दिसम्बर 2007 तक 12386 शिकायतें प्राप्त हुईं। महिलाएं अपनी शिकायतें www.new.nic. पर भी पंजीकृत करा सकती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने कई अध्ययन रिपोर्ट, सेमीनार, कार्यशालाएं समय-समय पर आयोजित कर वेश्यावृत्ति समूह की महिलाओं को समाज के सामने लाने के प्रयास किए हैं ताकि वेश्यावृत्ति से जुड़ी उन सामाजिक सच्चाइयों को जाना जा सके जिनके कारण ये महिलाएं बदनाम होती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य समाज की इस वर्ग की उपेक्षित महिलाओं के लिए बेहद स्पष्ट हैं। आयोग इन महिलाओं की आवाज सुनने व सरकार, प्रशासन और सम्पूर्ण समाज का ध्यान आकृष्ट करने के प्रयास कर रहा है।

आयोग वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के देह व्यापार की रोकथाम व नियंत्रण, वेश्यावृत्ति में लिप्त उन महिलाओं के लिए मानवीय व आश्रयपूर्ण उपचार सुनिश्चित करने, जो अपराधी नहीं हैं लेकिन अपराधी वर्ग के शिकंजे में जीवन व्यतीत कर रही हैं, इन महिलाओं व इनके बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने, उन पर अत्याचार कम करने, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए सहायता, उनके आश्रय व आवास, राशन कार्ड इत्यादि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था, उनकी देखभाल व पुनर्वास, मांग में कमी लाना, बच्चों के अपहरण, बलात्कार और यौन-शोषण को समाप्त करना, बच्चों के अपहरण, बलात्कार और यौन-शोषण के विरुद्ध कानूनी प्रकोष्ठ जैसी व्यवस्थाओं आदि की दिशा में प्रयासरत है।

गृह मंत्रालय के प्रयास- विश्वभर में विशेषकर महिला व बच्चों को देह व्यापार रोकने के लिए यू.एन. कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसेशनल आर्गेनाइज़ क्राइम (यू.एन.टी.ओ.सी.) पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं चूंकि देहव्यापार के क्षेत्र में भारत लक्ष्य व गंन्तव्य देश है इस कारण इसके रोकथाम में भारत की ओर से गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 2006 से देहव्यापार की रोकथाम में मंत्रालय में नोडल कक्ष गठित किया गया है जिसके दायित्व विभिन्न राज्य सरकारों व अन्य सम्बद्ध एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना व सूचनाएं आदान-प्रदान करना है।

नोडल कक्ष ने देहव्यापार की रोकथाम में व्यवहार में लाई जाने वाली सर्वोत्तम तरीकों को तैयार करने की जिम्मेदारी ली है।

पूरे देश में स्थिति की समीक्षा करने के लिए इसकी तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं।

- यूनाइटेड नेशन के 'एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोग्राम' पर यू.एन.ओ.डी.सी. के प्रोजेक्ट में मंत्रालय प्रमुख सहभागी हैं। पांच राज्यों में चलाए गए इस प्रोजेक्ट से कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हासिल हुए हैं।

मंत्रालय समय-समय पर नोडल अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित करता आ रहा है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना समाज के उपेक्षित, कमजोर व पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से 1953 में की गई थी। बोर्ड विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं का कार्यान्वयन करता है।

बोर्ड, देश में सरकार व गैर-सरकारी संगठनों के मध्य कड़ी के रूप में समाज कल्याण का कार्य कर रहा है।

बोर्ड की कुछ प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं-

ग्रामीण व गरीब महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम-यह कार्यक्रम ग्रामीण व गरीब महिलाओं को उन्हें अपने अधिकारों, स्थिति और समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए एक मंच पर लाकर अपने अनुभवों, विचारों व विकास की प्रक्रिया को समझने का अवसर देता है। यह कार्यक्रम उन्हें संगठित होकर समाज कल्याण के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए अवसर देता है।

महिलाओं के शिक्षा कार्यक्रम-जो महिलाएं विभिन्न कारणों से शिक्षा से वंचित रह गई हों, यह योजना विशेषरूप से युवा विधवाओं, परित्यक्ताओं व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए चलाई जा रही है। इसके दो कार्यक्रम हैं। एक दो वर्षीय कार्यक्रम जिसमें प्राइमरी/मिडिल/मैट्रिक की परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है, दूसरे मैट्रिक फेल के लिए एक वर्षीय कार्यक्रम चलाया जाता है। 15 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों/महिलाओं की कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण- 1975 से महिलाओं को उन व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिनके द्वारा वे रोजगार प्राप्त कर सकें। वर्ष 1997-98 से नोराड (NORAD) के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण व

रोजगार योजना के तहत फंड दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन्हें रोजगार व स्वरोजगार के अवसर निरंतर आधार पर उपलब्ध करवाना है। इसी प्रकार के कार्यक्रम राज्यों के महिला विकास निगमों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं।

वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान स्वीकृत राशि/जारी व लाभार्थी विवरण निम्नानुसार

वर्ष	आयोजित राशि	जारी राशि	जारी राशि	लाभार्थी संख्या	राशि लाख में
2007-08	5436	528.49	307.67	132150	
2008-09	5282	528.20	315.36	132050	

सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रम

बोर्ड के सामाजिक, आर्थिक कार्यक्रमों के द्वारा निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता और विकलांग महिलाओं को पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ ही महिला उद्यमियों को जिलास्तर पर राज्य बोर्डों के द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों व मेलों में अपने उत्पाद बेचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अन्तर्गत बोर्ड की दो प्रकार की योजनाएं हैं।

कृषि आधारित यूनिट- बोर्ड स्वैच्छिक संगठनों को डेरी, मुर्गीपालन, सुअर पालन, बकरी पालन आदि जैसे कृषि आधारित यूनिट, गरीब व जरूरतमंद महिलाओं द्वारा लगाने के लिए दिए जाते हैं।

उत्पादन यूनिट- एन.जी.ओ. को उत्पादन यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उनके प्रस्तावों की जिला उद्योग केन्द्रों, खादी व ग्रामोद्योग आदि द्वारा जांच की जाती है।

इसके साथ ही क्रेश, कामकाजी महिला होस्टल, फैमिली काउंसलिंग सेंटर शार्ट-स्टे होम कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

शार्ट-स्टे होम में वेश्यावृत्ति से छुड़ाई गई, परिवारों से परित्यक्त, जिनके पास रहने का कोई स्थान नहीं है, यौन-शोषण का शिकार होकर परिवार व समाज में रह नहीं पा रही हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त, भावनात्मक व शारीरिक शोषण का शिकार महिलाएं वहां रह सकती हैं। यहां उन्हें परामर्श सेवाएं कौशल विकास प्रशिक्षण चिकित्सा व मनोचिकित्सीय उपचार, व्यावसायिक और पुनर्वास सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान शार्ट स्टे होम को स्वीकृत जारी व लाभार्थियों का ब्यौरा निम्नानुसार है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेश योजना के तहत क्रेश व डे-केयर सेवा गरीब परिवारों की कामकाजी व घरेलू दोनों महिलाओं के लिए उपलब्ध है। 0-6 वर्ष की उम्र के बच्चों को रखने के लिए एन.जी.ओ. को सहायता दी जाती है ताकि बच्चों को

रखने उनके पौष्टिक भोजन व स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था हो सके।

अब तक केवल 873 होस्टल ही बनाए जा चुके हैं। कामकाजी महिला की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इनकी संख्या बड़े शहरों में ही नहीं छोटे, शहरों व गावों में भी बढ़ाई जानी चाहिए।

क्रेश सुविधा भी कामकाजी महिलाओं को मदद करने के लिए खोला गया है।

नवोन्मेषी योजनाएं- बोर्ड ने यह पाया कि वर्तमान योजनाओं में सभी प्रकार की समस्याओं को शामिल नहीं किया जा रहा है। इसके लिए नवोन्मुखी कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें वेश्याओं के बच्चों, कबाड़ उठाने वाले बच्चों, कुष्ठ रोगियों के बच्चों जिन्हें विशेष सुरक्षा की जरूरत होती है, के लिए चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा मदिरा व्यसन के प्रति जागरूकता अभियान, ऐसी लड़कियां जो भविष्य में अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहती हैं और उस कारण अवसाद ग्रस्त होती हैं उनके लिए भी इसके तहत कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

डे केयर सेंटर खोलने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय महिला कोष- राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में गरीब महिलाओं को आय अर्जक उत्पादन, कौशल विकास, आवास सुविधाएं देने के लिए सूक्ष्म वित्त प्रदान करने के लिए की गई थी ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। राष्ट्रीय महिला कोष एन.जी.ओ., स्वैच्छिक एजेंसियों, राज्य महिला विकास निगमों, सहकारी समितियों, राज्य सरकार एजेंसियों, शहरी महिला सहकारी बैंकों आदि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध करवाता है।

महिला विशिष्ट व्यय-सरकारी विभागों के विशेष उपाय- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन, युवा व खेल मंत्रालय, श्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, आदिवासी कार्य, पेय जल, लघु पैमाना उद्योग, कृषि व ग्रामीण उद्योग, विज्ञान व तकनीकी गैर पारम्परिक ऊर्जा संसाधन, कपड़ा व कृषि मंत्रालय में महिलाओं के लिए बजट की व्यवस्था की जा रही है।

योजना आयोग यह सुनिश्चित करे कि केन्द्रीय व राज्य योजनाओं में महिला मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है।

विधि मंत्रालय विवाहों के अनिवार्य पंजीकरण, सभी कानून महिलाओं के प्रति संवेदी हो। विदेश मंत्रालय एजेंसियों व हाइकमीशनों में परित्यक्ता/पत्नियों/दुर्व्यापार (ट्रैफिक्डि) महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, उन्हें तुरन्त आश्रय व चिकित्सा विधिक सहायता व उन्हें देश लौटने में मदद करें।

ओवरसीज इंडियन अफेयर्स मंत्रालय अनिवासी भारतीयों की (एन.आर.आई.)

शादियों की परित्यक्ता पत्नियों, नियोक्ता द्वारा (विशेषकर) विदेशों में महिला घरेलू नौकरानियों के कल्याण की स्थिति का आवधिक आकलन करे, इमीग्रेशन को सख्त करे।

महिलाओं के लिए तकनीकी कैसे लाभकारी हो सकती है उसके लिए बिना सीटों की बस डिजाइन की जाए जिसमें सब्जियां व बकरियां आदि ले जाई जा सकें। बीज, चारा आदि ले जाने के लिए विशेष कपड़े डिजाइन किए जाएं, कम लागत के डिस्पोजेबल सेनिटरी नेपकीन, विशेष प्रकार के सुरक्षित जूते जो साल्ट ब्राउन स्थितियों में पहने जा सकें, विकसित किए जाएं।

खाद्य मंत्रालय- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुग्राह्य व सुप्राप्य बनाए अनाज बैंकों की स्थापना करें। डाक व तार विभाग डाकघरों में लघु बचत को प्रोत्साहित करें, पोस्टल जीवन व फसल बीमा, स्व सहायता समूहों को पीसीओ स्थापित करने में प्रोत्साहित करें। गृह मंत्रालय महिला थाने, प्रत्येक थाने में महिला व बाल डेस्क, पुलिस को महिला मुद्दों पर संवेदीकरण व प्रशिक्षण, अधिक संख्या में महिला पुलिस अधिकारियों की भर्ती करें। पर्यटन विभाग विदेशी महिला पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था करे, पिडोफिलिया व बाल यौन-पर्यटन रोकने के लिए समुद्री किनारों पर पुलिस व्यवस्था करे, महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों पर समुचित रोशनी, परिवहन व सुरक्षा की व्यवस्था करे, तीर्थ नगरों में व्यावसायिक यौन-शोषण रोकने के लिए विशेष जांच व्यवस्था करे, महिलाओं के लिए सुरक्षित बोर्डिंग व लाजिंग व्यवस्था हो, पर्यटन हाइवे व नगरों में स्वच्छ व सुलभ शौचालय सुविधाएं हों।

शहरी विकास मंत्रालय

- जवाहर लाल शहरी नवीकरण मिशन के द्वारा सुरक्षित घर, क्रेश, हेल्थ केअर सेंटर, प्रसूति केन्द्र, स्वच्छ रोड, महिलाओं के लिए (हाइजिनक) सार्वजनिक शौचालय, सुरक्षा के लिए प्रोटेक्शन गृह, समुचित लाइट व परिवहन सेवाएं जो महिलाओं के लिए अनुकूल हों। रक्षा मंत्रालय कन्या भ्रूण हत्याओं पर प्रशिक्षण, महिला कल्याण संगठनों को इस मुद्दे पर जागरूक, सशस्त्र सेनाओं में भेदभाव खत्म करने, कैंटीनों का ठेका विधवाओं के स्व सहायता समूहों के दिए जाएं, जैसे प्रयास करें।

कृषि मंत्रालय

कृषि उपकरण महिलाओं के लिए अनुकूल, ऋण सुविधाएं
बेहतर बीज, उर्वरक, मार्केट लिंकेज उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करे।

पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा

- लिंग अनुपात, गर्भनिरोधक अधिनियम, (पी.एन.डी.टी. एक्ट), बाल विवाह, दहेज प्रतिबंध, घरेलू हिंसा की जानकारी गांवों में प्रचारित करे।
- चयनित महिला प्रतिनिधि गर्भवती महिलाओं को जागरूक करें।
- स्वयं सहायता समूह व किशोर समूह बनाए ताकि इनके माध्यम से सामाजिक कुरीतियां दूर हो सकें।

सूचना तकनीकी

- मूलभूत स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, प्रजनन, शिक्षा व सामाजिक मुद्दे जैसे महिला अधिकारों की सूचना पर सीडी बनाकर प्रचारित करें।
- ई गवर्नेस कियास्क महिलाओं को आबंटित किए जाए व सभी को कम्प्यूटर साक्षर बनाए।

ग्रामीण मंत्रालय

- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए लचीले कार्य मानदंड विकसित करें।

स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना में दहेज, भ्रूण हत्या के मुद्दों पर ग्रामीणों को जागरूक बनाया जाए।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (प्र.म.ग्रा. स्व योजना) में महिलाओं को सुविधाएं जैसे क्रेश आदि की व्यवस्था की जाए।

नव व नवीकृत ऊर्जा संसाधन मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना है कि वे

- संशोधित चूल्हा विकसित करे।
- 1 से 10 कक्षा की लड़कियां स्कूल न छोड़ने पाए इसलिए उन्हें सोलर लालटेन दिए जाएं।
- महिलाओं को नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के मरम्मत के लिए प्रशिक्षित किया जाए, आदि सोलर शॉप केवल महिलाओं द्वारा चलाई जाए।

कार्मिक प्रशासन मंत्रालय- कार्मिक प्रशासन मंत्रालय ने 8 जुलाई 2009 को सभी केन्द्रीय सरकार के विभागों और संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) और कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी.) को यह मार्ग निर्देश जारी किए हैं कि विभिन्न पदों की नियुक्ति से संबंधित कमेटी/बोर्डों में महिला सदस्यों को रखना सुनिश्चित करें।

इसके पीछे केन्द्रीय सरकार का यह मन्तव्य है कि नौकरियों में महिलाओं के

वर्तमान 7.52% से प्रतिशत को बढ़ाकर 15.20ऽ कर दिया जाए।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

हमारे कानूनों में महिलाओं के लिए कुछ विशिष्ट कानून भी हैं, जिनके तहत देशभर में राष्ट्रीय अपराध रिर्कार्ड ब्यूरो आंकड़े एकत्र करता है। ब्यूरो द्वारा वर्ष 2007 के आंकड़े जारी किए गए हैं।

तालिका 1

क्र. सं.	अपराध शीर्ष	2003	2004	2005	2006	2007	2006 से 2007 का प्र.श. अंतर
1.	बलात्कार (धारा 376 आई.पी.सी.)	15847	18233	18359	19348	20737	7.2
2.	अपहरण व व्यपहरण (धारा 363 से 373 आई.पी.सी.)	13296	15578	15750	17414	20416	17.2
3.	दहेज-मृत्यु (धारा 302/304 बी.आई.पी.सी.)	6208	7026	6787	7618	8093	6.2
4.	यंत्रणा (धारा 498/304 बी आई.पी.सी.)	50703	58121	58319	63128	75930	20.3
5.	छेड़खानी (धारा 354 आई.पी.सी.)	32939	34567	34175	36617	38734	5.8
6.	यौन-उत्पीड़न (धारा 509 आई.पी.सी.)	12325	10001	9984	9966	10950	9.9
7.	लड़कियों का आयात (धारा 306 बी.आई.पी.सी.)	46	89	149	67	61	-9.0
8.	सती निवारण अधिनियम 1987	0	0	1	0	0	0
9.	अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986	5510	5748	5908	4541	3568	-21.4
10.	दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961	2684	3592	3204	4504	5623	24.8
11.	महिलाओं का अशोभन रुपण	1043	1378	2917	1562	1200	-23.2
	कुल	140601	154333	155553	164765	185312	12.5

उपर्युक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2003 में 7.6% को तुलना में वर्ष 2007 में 8.8% के रूप में अपराधों में वृद्धि दर्ज हुई है। भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामलों में भी वृद्धि हुई है। बलात्कार के मामलों में 7.2% अपहरण व व्यपहरण के मामलों में 17.2%, दहेज-मृत्यु में 6.2% पति व रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामलों में 20.3% यौन-शोषण के मामलों में 9.9% लड़कियों की खरीद के मामलों में 1% की गिरावट छेड़खानी (Molestation) के मामलों में 5.8% वृद्धि हुई, अनैतिक देह-व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में 21.4% की गिरावट, सती रोकथाम अधिनियम के तहत कोई मामला दर्ज नहीं हुआ।

महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन (प्रतिबंध) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में 23.2% की गिरावट तो दहेज प्रतिबंध अधिनियम के मामलों में 24.8% की वृद्धि दर्ज हुई।

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिन शहरों की जनसंख्या 10 लाख से

अधिक है ऐसे 35 नगरों में महिलाओं के विरुद्ध दर्ज अपराधों में 13.0% की वृद्धि दर्ज हुई। इन नगरों में दिल्ली में सबसे अधिक 17.5%, हैदराबाद में 7.8% अपराध दर्ज हुआ। राष्ट्रीय औसत की तुलना में विजयवाड़ा और विशाखापट्नम में क्रमश: 96.2% और 56.7% अपराध दर्ज हुए। विभिन्न अपराधों के तहत दिल्ली में ही सबसे अधिक मामले दर्ज हुए।

बंगलोर, चेन्नै, मुम्बई और जयपुर में विशेष व स्थानीय कानूनों के तहत अधिक मामले दर्ज हुए। अनैतिक देह-व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम के तहत 26.4% मामले दर्ज किए गए। चेन्नै और मुम्बई में इसी अधिनियम के तहते क्रमश: 15.5% (1305 में से 202) और 14.2% (कुल 1305 में 185) मामले दर्ज हुई। 1997 में 57.1% (8,325) की तुलना में पिछले पांच वर्ष 2002-06 का औसत 37.0% (5,691) है। 2006 में 21.4% की गिरावट देखी जा सकती है।

इसके अलावा बच्चों के प्रति अपराध के रिकॉर्ड यदि देखें तो वर्ष 2007 में वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद के मामले में 14.3% और अवयस्क लड़कियों की खरीद के लिए मामले में 9.5% की वृद्धि दर्ज हुई।

बच्चों के विरुद्ध अपराधों के वर्ष 2006 और 2007 की तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है।

तालिका 2

क्र. सं.	अपराध शीर्ष	2005	2006	2007	2006 से 2007 का प्र.श. अंतर
1.	हत्या	1219	1324	1377	4.0
2.	शिशु हत्या	108	126	134	6.3
3.	बलात्कार	4026	4721	5045	6.9
4.	अपहरण व व्यपहरण	3518	5102	6377	25.0
5.	भ्रूण हत्या	86	125	96	-23.2
6.	आत्महत्या	43	45	26	-42.2
7.	परित्याग व उपशमन	933	909	923	1.5
8.	अवयस्क लड़कियों की खरीद	145	231	253	9.5
9.	वेश्यावृति के लिए लड़कियां खरीद	28	35	40	14.3
10.	वेश्यावृति के लिए लड़कियां बेचना	50	123	69	-43.9
11.	बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम	122	99	96	-3.0
12.	अन्य अपराध	4697	6127	5974	-2.5
	कुल	14975	18967	20410	7.6

वर्ष 2003-2007 के दौरान मानव दुर्व्यापार के तहत विभिन्न अपराधों की अपराध-शीर्ष बार मामले निम्नानुसार हैं। राज्यवार स्थितियों के विवरण की तालिकाएं अनुबंध में दी गई हैं।

तालिका 3

क्र. सं.	अपराध शीर्ष	2003	2004	2005	2006	2007	2006 से 2007 का प्र.श. अंतर
1.	अवयस्क लड़कियों की खरीद (धारा 366 ए)	171	205	145	231	253	9.5
2.	लड़कियों का आयात (धारा 366 बी)	46	89	149	67	61	-9.0
3.	लड़कियों की वेश्यावृति के लिए बिक्री (धारा 372)	36	19	50	123	69	-43.9
4.	लड़कियों की वेश्यावृति के लिए खरीद	24	21	28	35	40	14.3
5.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956	5510	5748	5908	4541	3568	-21.4
6.	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929	63	93	122	99	96	-3.0
	कुल	5850	6175	6402	5096	4087	-19.6

गुमशुदा व्यक्ति और अनैतिक देहव्यापार के बीच रिश्ते को समझना आवश्यक है। जिन बच्चों को घर से भागा मान लिया जाता है व परिवार इज्जत, मान मर्यादा के नाम पर पुलिस में उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती है वे वास्तव में घरों से भागे नहीं होते हैं बल्कि वे किसी व्यक्ति या गिरोह के हत्थे चढ़ चुके होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ-साथ इंटरनेट पर उपलब्ध कुछ वेबसाइट जो गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश में लगी हैं। सभी वेबसाइट की जानकारी यहां समेट पाना कठिन है। फिर भी सन्दर्भ के तौर पर लोग इन वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं।

- www.indianmissing.com नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रेन (NCMC) इस साइट में नि:शुल्क सर्विस दी जाती है। गुमशुदा व्यक्ति के फोटो व प्रोफाइल दिए जाते हैं। यह 502, चेतक सेंटर, 122, आर.एन.टी. मार्ग इंदौर की एन.जी.ओ. है।
- www.missingindiankids.com NCMC की यह साइट अभिभावकों, विधिक एजेंसियों के लिए गुमशुदा व्यक्तियों की तलाश किस प्रकार की जाए के वैकल्पिक उपायों के लिए है। गुमशुदा व्यक्ति की खोज कैसे हो, क्या किया जाए क्या न किया जाए, उनके लिए न्यूज लेटर आदि भी है।
- www.kidsmissing.com (Indians Missing children) यह भी गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए साइट है।

- www.childlineindia.org. चिल्ड्रेन इंडिया फाउंडेशन के इस प्रोजेक्ट में खोए, शोषित और दुखी बच्चों की मदद के लिए है। मुम्बई में इसका मुख्यालय है और 14 शहरों में शाखाएं हैं। 1098 इनकी हेल्पलाइन नम्बर है। शहर में खोए किसी बच्चे, या जिसे शेल्टर या मेडिकल सहायता, अपने शहर लौटाना है या किसी प्रकार के शोषण या भावनात्मक सहायता चाहिए। कोई भी बच्चा इनसे मदद ले सकता है।

- www.missingchildsearch.net यह यंग एट रिस्क (YAR) की सूचना सेवा है जो गुमशुदा बच्चों की तलाश में मदद करती है।

- www.nemec.org यू एस की नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लायटिड चिल्ड्रन (NCMEC) एक प्राइवेट। अलाभप्रद संगठन है जो अपहत संकट-ग्रस्त और यौन-शोषित बच्चों के परिवारों को निशुल्क सहायता देती है। इसमें गुमशुदा व शोषित बच्चों पर सूचनाएं भी हैं।

मिसिंग इंडियन किड्स, किड्स मिसिंग एलर्ट अपनी साइट पर जनता से अनुरोध करता है कि मिसिंग बच्चों की फोटो का प्रिंट निकाल कर आप अपने स्कूल/कॉलेज या ऑफिस या किसी सार्वजनिक स्थान पर लगवा दें। आपका खर्च तो मात्र दो रुपए आएगा और सिर्फ पांच मिनट लगेंगे पर यदि आपके इस प्रयास से वह बच्चा मिल जाएगा तो इसकी कीमत अनमोल हो जाएगी।

किसी गुमशुदा बच्चे को ढूंढने में सबका सहयोग चाहिए। अकेली सरकार या कोई संगठन कुछ नहीं कर सकता। हम सब गुमशुदा व्यक्ति के अभिभावकों के साथ है इसका उन्हें अहसास करा सकते हैं।

गुमशुदा बच्चों को ढूंढने में आप किस तरह मदद कर सकते हैं। किसी अकेले बच्चे को परेशान हैरान देखें तो तुरंत उसकी मदद करें।

www.missingindiankids.com/kidsmissingalert.htm

इनकी साइट पर गुमशुदा बच्चा रिपोर्टिंग फार्म, पाया बच्चा फार्म डाउनलोड किए जा सकते हैं।

बच्चा खो जाने पर तुरन्त क्या किया जाए और यह संगठन कैसे मदद करता है, की जानकारी देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने वेब पेज पर कैसे खोए व्यक्ति को ढूंढने में मदद कर सकता है आदि की जानकारी भी इनकी साइट पर दी गई है।

kids.missing पत्रिका भी वेबसाइट पर है।

भारत में खोए बच्चों के कोई सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है पर यह अनुमान है कि प्रतिवर्ष 10 लाख बच्चे घरों से भाग जाते हैं अर्थात प्रति 30 सेकंड में एक बच्चा घर से भाग जाता है।

वर्ष 2000 से नेशनल सेंटर फार मिसिंग चिल्ड्रन संगठन काम कर रहा है यह निशुल्क सेवा दे रही है।

बच्चे घरों से क्यों भाग जाते हैं यह अमेरिका के सरकारी आंकड़ों को यदि आधार बनाया जाए तो यह पाते हैं कि हर दिन लगभग दो हजार बच्चे घरों से भाग जाते हैं। कुछ परिवारों से अपहत होते हैं।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको)

विश्व में एच.आई.वी./एड्स संक्रमण समाज के लिए एक अभूतपूर्व चेतावनी है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत के लगभग सभी महानगरों में इस संक्रमण का तेजी से बढ़ता ग्राफ चिंता का विषय है। चूंकि यौन समागम एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से एच.आई.वी. संक्रमण अधिकता से फैलता है और यौन कर्मियों के कारण इनके संक्रमण को पूरे समाज में फैलने का अंदेशा मानकर उनके माध्यम से इसे रोकने की कोशिशें नाको के विशेष अभियान के एक अंग के रूप में की जा रही है।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया और पहला प्रोजेक्ट 1992 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दूसरा चरण 1999-2004 (331 मिलियन डालर) तक चला। कार्यक्रम का उद्देश्य असुरक्षित समूहों (व्यावसायिक यौनकर्मी, स्ट्रीट चिल्ड्रन, विस्थापित मजदूर आदि) तक और आम नागरिकों व एच.आई.वी./एड्स के प्रभावित लोगों को सुरक्षा व सहायता देना, स्वैच्छिक जांच व काउंसलिंग, एस.टी.डी. रोकथाम के उपाय करना है।

नाको के राज्य स्तरीय कार्यक्रम एन जी ओ की मदद से चलते हैं।

उच्च जोखिम पूर्ण व्यवहार समूहों में अंत शिरा ड्रग्स का सेवन करने वाले जो आपस में सुई बदलते हैं, व्यावसायिक यौनकर्मी, यौन जनित रोगों के रोगी और समलैंगिक पुरुष शामिल हैं।

नाको अपने राज्य स्तरीय एड्स नियंत्रण एजेंसियों के माध्यम से इन लक्ष्य समूहों तक पहुंच रहा है।

नाको के वर्ष 2001 में संचालित एक अध्ययन के अनुसार मात्र 29ऽ पुरुष और 19% महिलाएं एच.आई.वी./एड्स के विषय में सही जानकारी रखते हैं। यौन संबंधों के कारण एच.आई.वी. संक्रमण के फैलाने का अनुपात राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 85% है। एड्स के 35% ज्ञात मामले 15.29 आयु वर्ग से हैं जबकि 45% 30-49 आयु-वर्ग से संबंधित हैं।

स्वैच्छिक परामर्श एवं गोपनीय जांच केन्द्रों की जानकारी प्रत्येक हस्पताल व

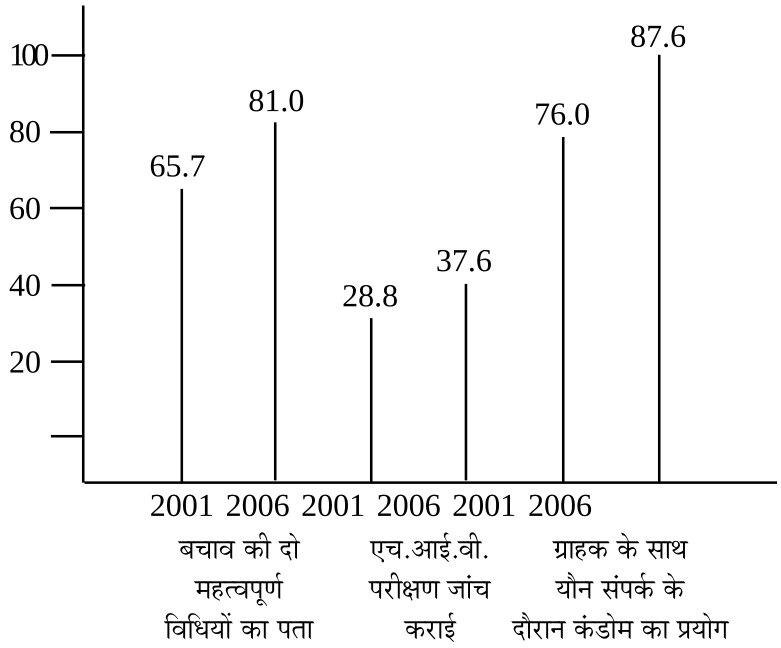

सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टरों के माध्यम से एवं रेडियो-टीवी विज्ञापनों के द्वारा निरंतर प्रसारित की जानी चाहिए ताकि लोग निसंकोच जांच व समय पर इलाज करवा सकें।

नाको के प्रभावकारी प्रयासों के राज्य नियंत्रण सोसाइटियों, अनुदानकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर किए गए ठोस जागरूकता प्रयासों से व्यवहार बदलाव में मदद मिली है। नाको के महिला यौन कर्मियों के बीच में जागरूकता और कंडोम का प्रयोग की (वर्ष 2001 से 2006 वी एस एस) (व्यवहार निगरानी सर्वेक्षण) की स्थिति का ग्राफ निम्नानुसार है।

इंटरवेंशन कार्यक्रमों पर बल दिया जा रहा है। अपने साझेदारों के साथ नाको इन समूहों के लिए एच.आई.वी. की रोकथाम करने और प्रशिक्षण, परामर्श एवं उपचार सेवाएं प्रदान करने का कार्य कर रहा है।

- *फरवरी 2009 में जारी नाको को प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एन.जी.ओ. के माध्यम से 1,469 टार्गेटिड इंटरवेंशन प्रोजेक्ट के द्वारा 9 लाख व्यावसायिक यौन-कर्मियों, पुरुषों द्वारा पुरुषों के साथ यौन संसर्ग (एम.एस.एम.) अंतः शिराओं में नशीली दवा लेने वालों और 20 लाख ट्रक ड्राइवरों और प्रवासी व्यक्तियों तक*

जानकारी व सलाह पहुंचाई गई।

- पूरे भारत में 18,500 कंडोम वेंडिंग मशीनें लगाई जा चुकी हैं। 2004 में जहां कंडोम का प्रयोग 1.25 बिलियन था वह बढ़कर वर्ष 2008 में 1.80 बिलियन हो चुका है।

- 2004 में 8 ए.आर.टी. केन्द्र थे जो अब 197 हो चुके हैं, जो 2 लाख लोगों का निशुल्क उपचार कर रहे हैं।

नाको समाज को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में एच.आई.वी. फैलने से रोकने का आह्वान करती है।

- जोखिमपूर्ण व्यवहार से बचें।

- संयम बरतें, वफादार रहें और कंडोम प्रयोग करें व एच.आई.वी. पाजिटिव के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार रखने एवं परस्पर यौन रोगों के बचाव के उपायों पर एक-दूसरे का मार्गदर्शन देने का सुझाव भी देता है।

नाको के राज्य-स्तरीय एड्स नियंत्रण सोसायटी विभिन्न एन.जी.ओ. के माध्यम से हर क्षेत्र के महिला यौन-कर्मी, समलैंगिक यौन-कर्मियों तक पहुंच कर उन्हें निःशुल्क कंडोम वितरण, उनके स्वास्थ्य की जांच आदि जैसी गतिविधियां कर रही हैं। यौनकर्मियों में से ही पियर एजुकेटर बनाकर उनके माध्यम से सभी का विश्वास जीत रहे हैं। प्रत्येक यौन-कर्मी का 'हेल्थ कार्ड' बनाकर उसका निकटवर्ती हस्पतालों से इलाज करवाया जा रहा है। पीयर एजुकेटर प्रति सप्ताह अथवा प्रतिमाह कितनी यौन-कर्मियों को जागरूक कर पाईं, कितने कंडोम वितरित किए गए आदि का भी रिकॉर्ड रखा जाता है।

इन एन.जी.ओ. के माध्यम से इन्हें समूहों के रूप में संगठित करने व अपने भविष्य व बच्चों के भविष्य के प्रति जागरूक कर वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की तलाश के लिए मानस बनाने के प्रयास भी जारी हैं।

रेड रिबन एक्सप्रेस- आर.आर.ई.

एच.आई.वी. और एड्स पर विश्व में सबसे बड़े जन लामबंदी अभियान, रेड रिबन एक्सप्रेस का आयोजन भारत में भी किया गया। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की दिशा में किया गया शायद आज तक का सबसे बड़ा प्रयास है। रेड रिबन एक्सप्रेस की एक वर्ष की लम्बी यात्रा की शुरुआत 1 दिसम्बर 2007 को नई दिल्ली स्टेशन से की गई। विशेष रूप से बनाई गई इस सात बोगियों वाली रेलगाड़ी ने 24 राज्यों के 180 स्टेशनों पर रुकते हुए 27,000 किलोमीटर की दूरी तय कर देश के 62 लाख लोगों तक पहुंच कर जागरूकता अभियान को सफल बनाया। इस दौरान 1,16,183

लाख लोगों को परामर्श दिया गया जिसमें 22% महिलाएं थीं। 68,244 लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

औपचारिक रूप से एक वर्ष की यात्रा दिसम्बर 2008 में पूरी हुई परन्तु एच आई वी एड्स के विरुद्ध इसके संघर्ष की यात्रा ने अब और तेजी पकड़ ली है। समाज के हर वर्ग तक पहुंचने के प्रयास तभी संभव हो सकते हैं कि यदि युवा वर्ग एच.आई.वी. संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाए।

विभिन्न सरकारी प्रयासों के माध्यम से एच.आई.वी./एड्स को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जब हम यौन-कर्म की मांग को कम करने का मुद्दा उठाते हैं तो उससे ट्रक ड्राइवरों के काम के घंटों के संबंध में ठोस प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं।

पुलिस के रवैये की भी अक्सर आलोचना होती है। विभिन्न अध्ययन रिपोर्टों में की गई यदि सिफारिशों पर अमल किया जाए तो यह प्रस्तावित है।

- पुलिस को अधिक जिम्मेदार बनाया जाए। वे यदि तीस दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत न करें तो एन.जी.ओ. को कोर्ट में जाने का अधिकार हो।
- पुलिस का राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल हो ताकि देहव्यापारियों के स्रोत- गन्तव्य व लक्ष्य रुटों की उन्हें जानकारी रहे।
- वे एन.जी.ओ. के साथ तालमेल से काम करें।
- गृह मंत्रालय को पुलिस, दलाल व वेश्यागृह के मालिकों के बीच सांठ-गांठ को तोड़ने व भ्रष्टाचार को कम करने के प्रभावी प्रयास करने चाहिए।
- नेराकोटिक नियंत्रण ब्यूरो की तरह आई.टी.पी.ए. के तहत भी ब्यूरो एजेंसी बनाई जाए।
- पुलिस पर भ्रष्टाचार व हफ्तावसूली के प्रत्यक्ष वार किये जाते हैं। वेश्या व वेश्यागृह के मालिक, दलाल, देह व्यापारी सभी पुलिस के बारे में खुलेआम यह आरोप लगाते हैं। पुलिस की छवि सुधारने के लिए मंत्रालय को सार्थक प्रयास करने चाहिए।

एच.आई.वी./एड्स की चिंता- धारा 377

गृह मंत्रालय जहां धारा 377 को बनाए रखने की यह दलील देता है कि सार्वजनिक, नैतिक व स्वास्थ्य व पर्यावरण की दृष्टि से यह जरूरी है। दूसरी ओर नाको और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय का यह मानना है कि इस धारा के लागू रहने से समलिंगी लोगों की यौन गतिविधियों का पता इसलिए नहीं चलता है कि

उन्हें कानून प्रवर्तक एजेंसियों से उत्पीड़न का भय होता है। इस कारण वे सुरक्षित सेक्स नहीं कर पाते हैं। एच.आई.वी. की रोकथाम में इससे बाधा पड़ती है, क्योंकि यह एक ऐसा समूह है जिससे अधिक खतरों की संभावना है।

अनुमान है कि भारत में करीब 25 लाख एम.एस.एम. हैं। इनमें से करीब एक लाख को एच.आई.वी. संक्रमण का अधिक जोखिम है और इनमें से करीब प्रतिशत 15% एच.आई.वी. की गिरफ्त में हैं।

मंत्रालय एम.एस.एम. को चिंता का विषय मानता है। इस समूह के भीतर महामारी को रोकना है। इसके लिए टारगेटेड इंटरवेंशन (टी.आई.) यानि लक्षित हस्तक्षेपों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

इस वक्त 14 राज्यों में एमएसएम के लिए 14 समुदाय-आधारित संगठन हैं। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में इनकी संख्या सबसे अधिक है।

एच.आई.वी. रोकथाम कार्यक्रमों के लिए यह जरूरी है कि एम.एस.एम. यौनकर्मियों और ट्रांसजेंडर यौन-कर्मियों को यौन-कर्मी समुदाय का हिस्सा माना जाये।

एम.एस.एम. आबादी- एम.एस.एम. और ट्रांसजेंडर (टी.जी.) यानी हिजड़े अति-जोखिम वाले समूह हैं, जिसमें एच.आई.वी. से असुरक्षा का बहुत अधिक खतरा है। हालांकि यह ध्यान देने की बात है कि हर एम.एस.एम. एक जैसा असुरक्षित नहीं है और न सभी के एक से अधिक के साथ यौन संबंध हैं। एम.एस.एम. उप-समूहों के वे लोग गुदा-मैथुन में संलग्न हैं, एच.आई.वी. संक्रमण की दृष्टि से अधिक असुरक्षित है।

टी.जी. समूहों के सदस्यों के बहु-साझेदारी वाले और गुदा मैथुन दोनों तरह के संबंध होते हैं। इससे उनमें असुरक्षा बढ़ती है।

- ***'कोठी':*** *यह शब्द उन पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो खुद को महिला के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं (शायद यह कई बार परिस्थितिवश होता हो), ये दूसरे पुरुषों के साथ संबंधों के समय महिला की भूमिका निभाते हैं। मुख्य रूप से- हालांकि यह जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो- पुरुषों के साथ गुदा/मुख मैथुन करते हैं।*
- ***'पंथी':*** *इस शब्द का इस्तेमाल कोठी और हिजड़ा उन पुरुषों के लिए करते हैं जो उनके साथ संबंधों में पुरुष की तरह सहभागी हो सकते हैं। इसके समतुल्य शब्द हैं- गाडियो (गुजरात), पारिख (पश्चिम बंगाल) और गिरिया (दिल्ली)।*
- ***'डबल डेकर':*** *कोठी और हिजड़ा में डबल डेकर वे पुरुष कहलाते*

हैं जो संभोग (गुदा या मुख) के वक्त महिला और पुरुष दोनों जैसी गतिविधियों का निर्वाह कर सकते हैं। इसके समतुल्य शब्द हैं डबल, डुप्ली कोठी (पश्चिम बंगाल) और दो पराठा (महाराष्ट्र)।

- ***'हिजड़ा':*** *हिजड़ा एक खास तरह के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक समूह का नाम है, जो 'तृतीय लिंग' के रूप में जाने जाते हैं। ये मुख्य-रूप से महिलाओं का परिधान धारण करते हैं और सात घरानों में विभक्त हैं।*

बाल वेश्यावृति व उसकी रोकथाम

विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार 70 प्रतिशत महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है और उसमें से 20 प्रतिशत बाल वेश्याएं होती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार

नगर की जनसंख्या		यौन कर्मियों की संख्या
मुम्बई	10 मिलियन	1,00,000
कोलकाता	9 मिलियन	1,00,000
दिल्ली	7 मिलियन	40,000
आगरा	3 मिलियन	40,000

इन आंकड़ों में स्ट्रीट बॉकर, कॉल गर्ल व मसाज पार्लर व एस्कार्ट गर्ल के रूप में काम करती लड़कियां शामिल नहीं हैं।

इंडियन हेल्प आर्गेनाइज़ेशन ने मुम्बई के रेडलाइट एरिया के सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि

- एक लाख यौनकर्मियों में से 20% बच्चियां हैं।
- 25 प्रतिशत बाल वेश्याओं को अपहरण कर बेचा गया।
- 6 प्रतिशत का बलात्कार कर बेचा गया।
- 8 प्रतिशत बच्चियां घरों में यौन शोषण का शिकार बनी व उनके पिताओं ने उन्हें बेचा।
- 9 से 20 वर्ष की उम्र के बीच की लगभग दो लाख अवयस्क लड़कियां हर वर्ष नेपाल से भारत लाई जाती हैं और मुम्बई में बीस हजार नेपाली लड़कियां यहां के चकलों में हैं और दिल्ली के जी.बी. रोड में कुछ कोठे सिर्फ नेपाली लड़कियों के ही हैं।
- 13 से 18 वर्ष की उम्र की किशोरियों की संख्या 15% से 18% के बीच है।
- 15% को उनके पतियों ने बेचा था।

- 15% उनमें से देवदासियां थीं।

बाल वेश्यावृत्ति के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :-

'देवदासी प्रथा'- दक्षिण भारत में अभिभावकों द्वारा छोटी बच्चियों को देवी येल्लम्मा को समर्पित करने की प्रथा है। वर्ष में दो अवसरों पर बड़े स्तर पर भव्य समारोह आयोजित कर देवदासियां बनाई जाती हैं भले ही इसके उन्मूलन पर कानून बनाया जा चुका है। एक बार देवदासी बनने के बाद वे शादी नहीं कर सकती हैं।

इस बहाने बड़े शहरों में छोटी उम्र की बच्चियों को देह-व्यापार के लिए खरीददारों को हर वर्ष चार से पांच हजार लड़कियां आसानी से मिल जाती हैं। देवदासी बनने के प्रक्रिया में ही उस लड़की की सबसे अधिक बोली लगा दी जाती है।

- मुम्बई और हैदराबाद जैसे शहरों में जहां अरब देशों से व्यापारियों का आवागमन काफी होता है उन्हें गरीब मां-बाप हजार दो हजार में अपनी बेटियों को बेच डालते हैं।
- वर पक्ष की जानकारी लिये बिना चट मंगनी पट ब्याह कर लड़कियों को निपटाने की हड़बड़ाहट गलत हाथों में लड़कियां सौंप देने से भी कभी तलाक तो कभी छोड़ देने के कारण भी रेड लाइट एरियों में कम उम्र की लड़कियां पहुंचने को मजबूर हो जाती हैं।
- यही नहीं बलात्कार का शिकार नन्हीं लड़कियों को चुप रहकर सब कुछ सहने के लिए विवश किया जाता है।
- बाल-विवाह आज भी कई राज्यों में निरंतर होते आ रहे हैं। बहुत छोटी उम्र की लड़कियों को गरीबी के कारण अपने से दुगुनी तिगुनी उम्र के विधुर से ब्याह दिया जाता है। जिसके कारण कभी वे बाल-विधवा होकर या कभी पति द्वारा छोड़े जाने की स्थिति में परिवारों में वापिस लौट नहीं पाती हैं और ऐसी ही लड़कियों की तलाश में वेश्यालयों के ये दलाल करते रहते हैं। कई बार पति ही इन दलालों को पत्नी को बेच डालते हैं।
- फ़िल्मी दुनिया का प्रभाव आज दूर दराज के गांवों तक फैल चुका है। बड़े शहरों की चकाचौंध, सपनों की नगरी में काम दिलाने का लालच देकर पहले से धंधे में लगी लड़कियां गांवों व कस्बों में जाकर परिचित लड़कियों को यहां लाकर बेच डालती हैं।

परिवार व्यवस्था की बड़ी विचित्र स्थिति है, कहलाने को तो पुरुष परिवार का मुखिया कहलाता है जिसकी जिम्मेदारी घर-परिवार का लालन-पालन करना होता है

पर देखा गया है कि परिवारों को ऋण के जंजाल से छुटकारा दिलाने के लिए लड़कियां वेश्याएं बन जाती हैं। बंगाल, नेपाल व पहाड़ी इलाकों की लड़कियों को बड़े शहरों में भेजा ही इसलिए जाता है कि वे परिवार के कर्ज को कम करने के लिए कमा सकें। यू.एन. ने बाल यौन-शोषण को इस प्रकार परिभाषित किया है।

बाल यौन-शोषण में उसके यौनांग को छूने और सहलाना, लिंगच्छेदन के साथ अथवा बिना उसके वैजाइना या गुदा में जबरन पेनीट्रेशन के साथ संभोग, लिंग अथवा किसी वस्तु के साथ (बलात्कार और उत्तेजित करना) स्खलन को ध्यान में लिए बिना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसमें बच्चों को वयस्क सेक्सुअल गतिविधियों में अथवा पोर्नोग्राफी फ़िल्मों और फोटोग्राफ, बच्चे के शरीर के संबंध में कामुक टिप्पणियां, बच्चे को पोज़ बनाने, उसके वस्त्र उतारना या सेक्सुअल कृत्य करना और उस पर फिल्म या व्यक्तिगत रूप में अथवा उसके बाथरूम अथवा बेडरूम में छिपकर फ़िल्म बनाना शामिल है।

बच्चों के व्यावसायिक यौन-शोषण के विरुद्ध पहली विश्व कान्फ्रेंस में व्यावसायिक यौन-शोषण को इस प्रकार परिभाषित किया गया।

किसी वयस्क द्वारा यौन-शोषण और बच्चे अथवा किसी तीसरे पक्षकार अथवा व्यक्ति को नगद या वस्तु के रूप में भुगतान बच्चे को एक सेक्सुअल वस्तु और एक व्यावसायिक वस्तु के रूप में समझा जाए। बच्चों का व्यावसायिक यौन-शोषण बच्चों का अवपीड़न और उनके विरुद्ध हिंसा और जबरन श्रम व गुलामी का एक रूप है।

यूनिसेफ की परिभाषा बच्चों की यौन-हिंसा को यौनशोषण से जोड़ती है।

बालहिंसा यौनशोषण बन जाती है जब किसी बच्चे को इसके लिए व्यावसायिक शोषण किया जाए। बाल अधिकारों पर यू.एन. कनवेंशन के अनुसार बच्चे की परिभाषा में 'अठारह वर्ष की उम्र के नीचे व्यक्ति को शामिल किया गया है जिसमें शिशु, शैशव व किशोर शामिल हैं। यूं तो दक्षिण एशिया के सभी देशों में सी आर सी के अनुसार बचपन को परिभाषित किया है पर अक्सर उसे वय संधि से जोड़कर व्यक्त किया जाता है। कई देशों में लड़कियों के मासिक धर्म आरंभ होते ही उनके लिए वर की तलाश शुरू कर दी जाती है इसी कारण भारत में भी अलग-अलग सन्दर्भों में उनकी आयु की परिभाषा अलग-अलग की गई है।

सी.आर.सी. के अनुसार सभी बच्चों को यौन-शोषण से बचाव का अधिकार है।

बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (1990) और इसके बच्चों की बिक्री पर ऑप्शनल प्रोटोकॉल, बाल वेश्यावृत्ति और बाल पोर्नोग्राफी (2000), महिलाओं के विरोध सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन (एलीमिनेशन ऑफ आल फॉर्म्स आफ

डिसक्रिमेनिएशन अगेन्स्ट वूमेन- ए.डी.ए. डब्ल्यू) 1981, यू.एन. कन्वेशन अगेन्स्ट, ट्रांसेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम विद ए स्पेशल प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन, एसपेशियली वूमेन एंड चिल्ड्रन 2000, द आई.एल.ओ. कन्वेंशन 182 (1991) जैसे विभिन्न उपायों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल शोषण और हिंसा की मौजूदगी को चिन्हित किया है और बाल वेश्यावृत्ति और बाल पोर्नोग्राफी को बालश्रम का सबसे निकृष्ट रूप माना गया है।

भले ही इन परिभाषाओं को लेकर कोई विवाद हो परन्तु यह स्पष्ट है कि बाल यौन-हिंसा परिवार के भीतर और बाहर दोनों जगह शारीरिक सम्पर्क अथवा गैर सम्पर्क (दृश्यरति के रूप में) दोनों रूप में होता है।

दक्षिण एशिया के देशों की याकोहामा में आयोजित दूसरी विश्व कांग्रेस (2001) बच्चों का व्यावसायिक यौन-शोषण में सभी सामाजिक व आर्थिक स्थितियों में उनके यौन-शोषण को गंभीरता से लिया गया।

बाल यौन-शोषण के कारण कई और भिन्न-भिन्न होते हैं जो उस विशेष देश या समाज की स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं परन्तु एक बात सबमें शामिल होती है कि परिवार के भीतर से यौन-हिंसा का शिकार होते हैं वे बाहरी समाज में भी यौन-शोषण का शिकार होते हैं। यूनाइटिड किंग्डम से साऊथ अमेरिका सभी जगह वयस्क वेश्याओं पर किए गए अध्ययन यह बताते हैं कि वे बचपन में अपने परिवार में यौन-हिंसा का शिकार हो चुकी हैं। बांग्ला देश में किए गए एक अध्ययन से यह पता चला कि अपने अभिभावकों या परिवार के सदस्यों से कई बार यौन-हिंसा का शिकार होकर कुछ अपना परिवार छोड़ कर घरों से बाहर निकल आईं और वहां दलालों, दुर्व्यापारियों, ड्रग बेचने वाले व अन्य इसी तरह के लोगों के हत्थे चढ़ गईं।

यौन-शोषण का सबसे बड़ा कारण-

लिंग भेदभाव व स्त्री को दोयम दर्जे का समझा जाना बच्चों के यौन-शोषण को रोकने के लिए सभी प्रकार की लिंग आधारित हिंसा को रोकना जरूरी है।

लिंग असमानता पूरे दक्षिण एशिया में विद्यमान है। लड़कियों व स्त्रियों को जीने के, बड़े होने, विकास, सुरक्षा के अधिकारों से समझौता करना पड़ता है। उन्हें शिक्षा के समान अधिकार से वंचित रखा जाता है। विश्व में दक्षिण एशिया ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां विश्व में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात कम होता है। एक आकलन के अनुसार 79 मिलियन स्त्रियां भेदभाव, उपेक्षा व हिंसा के माध्यम से गायब हो चुकी हैं, मिसिंग हैं। इस क्षेत्र में पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा आम बात है। भ्रूण हत्या, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक, दहेज-मृत्यु के

आंकड़ों महिलाओं के प्रति हिंसा की कहानी कहते हैं। यौन-हिंसा का सीधा संबंध यौन-जनित रोगों व एच.आई.वी./एड्स से है। लिंग आधारित हिंसा से शरणार्थी (रिफ्यूजी) स्थितियां बनती हैं। विश्व-भर में 26 मिलियन शरणार्थी (रिफ्यूजी) आश्रय लेने वाले व आंतरिक विस्थापितों में 50% स्त्री व लड़कियां हैं। महिला व लड़कियों से भेदभाव पुरुषों की स्त्रियों की सेक्सुएलिटी के नियंत्रण को भी प्रदर्शित करता है और इसी कारण उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है।

बहुत गहरे जड़ें जमाई, यह असमानता व समाज में होने वाले सांस्कृतिक शोषणों ने महिलाओं के शोषण को बढ़ावा दिया है। बचपन में यौन-शोषण का शिकार होने वाले कई बार बड़े होकर यौन-शोषक भी बनते हैं।

बच्चों के अधिकार पर यून एन कन्वेंशन के संगत अनुच्छेद जो सभी दक्षिण एशियाई देशों द्वारा अपनाए गए हैं। अनुच्छेद 34 के अनुसार राष्ट्र बच्चों को यौन शोषण और यौन हिंसा के सभी रूपों से बचाने का वचन देते हैं। राष्ट्र विशेष रूप से राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपायों के द्वारा इसे रोकने के सभी समुचित कदम उठाएंगेः

क) बच्चे की किसी प्रकार की अवैध यौन गतिविधि में शामिल अथवा जबरन अवपीड़न की।

ख) बच्चों का वेश्यावृत्ति अथवा अन्य अवैध यौन व्यवहारों का शोषण प्रयोग।

ग) पोर्नोग्राफिक, परफार्मेन्स और सामग्री में बच्चों का शोषक प्रयोग।

अनुच्छेद 35ः राष्ट्र बच्चों की अपहरण बिक्री अथवा दुर्व्यापार के किसी भी उद्देश्य या किसी भी रूप में उसे होने से रोकने के लिए राष्ट्रीय द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सभी प्रकार के समुचित उपाय करेगा।

अनुच्छेद 36ः राष्ट्र बच्चों के कल्याण में किसी भी प्रकार के बाधक सभी प्रकार के शोषण के रूप में उसकी सुरक्षा करेगा।

दक्षिण एशियाई देशों में वेश्यावृत्ति में बड़ी उम्र की वेश्याओं की तुलना में लगी लड़कियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। एक आकलन के मुताबिक भारत के मेट्रोपालिटन शहरों में बाल वेश्याओं की संख्या का आंकड़ा पांच लाख से अधिक है। नेपाल में बाल वेश्यावृत्ति बड़े शहरों व हाईवे के किनारों पर बढ़ रही है। पाकिस्तान में वेश्यावृत्ति में लगे लड़कों की संख्या बढ़ रही है हालांकि आंकड़े कभी भी एकत्र करना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। एक अध्ययन के अनुसार बच्चों को पहले ड्रग्स का आदी बनाया जाता है। उन्हें सिनेमाहालों में घटिया (एक्सरेटिड) फ़िल्में दिखाई जाती हैं, फिर उनका शोषण किया जाता है।

श्रीलंका, भारत और नेपाल में सेक्स पर्यटन के लिए बच्चों का यौन-शोषण किया जाता है इसमें पीडोफाइल्स भी शामिल है, की मांग बढ़ी है इसमें विदेशी पर्यटकों में इसकी मांग अधिक है। अधिकांश बाल यौन-शोषण नॉन पीडोफाइल्स होते हैं और उन्हें व्यावसायिक यौन-शोषण के लिए ही खरीदते हैं। श्रीलंका के समुद्री तटों पर लड़कों का यौन शोषण एक समस्या है। वे 8 से 15 वर्ष की उम्र के होते हैं। ये बच्चे स्कूल छोड़ चुके होते हैं और आसान रास्ते से पैसा बनाना चाहते हैं। मालद्वीप चूंकि पर्यटन केन्द्र है, वहां भी इसकी संभावनाएं हैं।

नेपाल में 'बाडी' और 'देऊकी' सांस्कृतिक वेश्यावृत्ति विद्यमान है, जहां पुरुष औरतों से धंधा करवाते हैं, वहीं भारत में भी यही स्थितियां हैं।

पीडोफाइल्स की कार्यप्रणाली-

पीडोफाइल्स एक मनोसेक्सुअल डिस्आर्डर होता है जिसमें वयस्क व्यक्ति को उत्तेजना छोटे बच्चों के साथ ही आ पाती है। वह वयस्क के साथ यौन संबंधों में संतुष्टि नहीं पाता है और वह आत्मविश्वास की कमी (कम सेल्फ एस्टीम), बच्चों के साथ सेक्सुअल गतिविधि को कम हानिकर समझता है बनिस्बत किसी वयस्क के साथ। यह स्थिति सामान्यतः पुरुषों में ही होती है, औरतों में अपेक्षाकृत कम होती है।

इसे एक पेथालॉजिकल स्थिति माना जाता है, जिसके उपचार की जरूरत होती है, पर ऐसा कह देने से उन्हें मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं मिल जाती और उन्हें कानून की गिरफ्त में लेना ही समाज के लिए हितकारी होगा।

पीडोफाइल्स के लिए बच्चों की आपूर्ति दुर्व्यापार से की जाती है। ऐसे लोगों की मांग, रुचियां व गतिविधियां भी अलग-अलग तरह की होती हैं इसी कारण दुर्व्यापारियों के काम करने का ढंग भी अलग होता है। पीडोफाइल्स एक अपराध है और इससे निपटने के लिए कानून का सहारा ही जरूरी है। चूंकि ये लोग मासूम चेहरा व ऐसे कामों में लगे होते हैं कि इनकी पहचान कठिन होती है, परन्तु समय-समय पर जब इनके चेहरों से नकाब हटे हैं तो इनकी तस्वीर सामने आई है उनसे इनके व्यक्तित्व के आचरण की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है।

एक मामले में गोवा का फ्रेडी अल्बर्ट पीट्स का मामला भी लोगों के जेहन में पुराना नहीं पड़ा होगा कि वह आस्ट्रेलिया, स्वीडन, न्यूज़ीलैंड, थाइलैंड, फ्रांस व जर्मनी से पीडोफाइल्स को बुलाता था। पीट्स भी निराश्रित बच्चों के लिए 'गुरुकुल आरफैमिली' के नाम से अनाथालय चलाता था। उसके अनाथालय में विदेशी आकर बच्चों को बाहर घुमाने के लिए अनाथालय के लड़कों को ले जाकर उनके साथ

सेक्स करते थे। उनका घंटों तक यौन-शोषण किया जाता था। यह तथ्य भी प्रकाश में आये कि उन्हें 'बेचा' व 'किराए' पर दूसरे लोगों को दे दिया जाता था। उन्हें डरा-धमका कर नहीं बल्कि प्यार व अच्छे कपड़ों और खाने के सामान का लालच देकर ऐसे कामों के लिए प्रयोग किया जाता था उन्हें समझाया जाता था कि यह सहज गतिविधि है। सी बी आई की जांच से यह भी पता चला कि उनके यौनांग में इंजेक्शन देकर उसका स्तंभन किया जाता था। इतनी पीड़ा व दर्द के बावजूद मासूम बच्चे उस दर्द को महसूस नहीं करते थे।

पीट्स को अपने कारनामों पर कोई शर्मिन्दगी नहीं थी। कई मामलों में उस पर कार्रवाई चल रही है।

फ़िल्म मेकिंग- पीडोफाइल्स की एक कार्यप्रणाली फ़िल्में व वृत्तचित्र बनाने की भी होती है। वे प्रोड्यूसर बनने का नाटक करते हैं और उसमें झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में रहने वाले मासूम बच्चों को फ़िल्मों में काम करने का लालच देते हैं और उनके साथ नग्नावस्था में अपनी तस्वीरें खींचते हैं।

बच्चों को बहकाने-फुसलाने का काम वे इस तरीके से करते हैं कि बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ किया जा रहा व्यवहार अनुचित है। यही नहीं उसके आसपास के लोग भी उनके व्यवहार के प्रति संदिग्ध नहीं होते हैं।

बच्चों की इस 'चुप्पी' का ही उन्हें फायदा मिलता है और वे बच्चों का शोषण करना जारी रखते हैं। उसकी कार्यप्रणाली ऐसी होती है कि बच्चे उसका कहा मानते हैं और उसके साथ सहयोग करते हैं। बच्चे को यह समझाया जाता है कि यह शिक्षा या खेल का हिस्सा है। कभी-कभी इसे किसी दूसरे को न बताने के लिए धमकाया भी जाता है। बच्चों की खामोशी का लाभ ये लोग उठाते हैं। बच्चे जिन्हें सेक्स या सेक्स गतिविधियों का ज्ञान होता ही नहीं है।

विदेशी पर्यटकों के साथ घूमनेवाले इन बच्चों के लिए एक सुंदर सी फ्राक, चॉकलेट या आइस्क्रीम ही उन्हें उनका यौन-शोषण करने देती है। गरीबी के कारण जिन्होंने कभी भर पेट खाना न खाया हो उन्हें अच्छे कपड़े व बढ़िया खाना किसी भी कीमत पर मिले इसके लिए वे इंकार नहीं करते।

4-6 नवम्बर 2001 को दक्षिण एशिया के दूसरे विश्व कांग्रेस में सूचित भारत की स्थिति

- *संविधान की धारा 23 के तहत मानवों की ट्रैफिकिंग से बचाव की व्यवस्था है।*
- *आई.टी.पी.ए. द्वारा दंड संहिता ट्रैफिकिंग का प्रतिबंध किया गया है और उसके लिए दंड की व्यवस्था है।*

- *किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समितियां बनाने की व्यवस्था है जहां बच्चे चिल्ड्रन होम में रखे जाते हैं।*

पहली विश्व कांग्रेस के बाद से बाल वेश्यावृत्ति रोकने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास-उपलब्धियां

- राष्ट्रीय कार्ययोजना-1998 तैयार की गई थी। इसकी प्रमुख विशेषताओं में रोकथाम, ट्रैफिकिंग को दूर करने, जागरूकता लाने और समाज की जागरूक करने, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल कल्याण, आवास व नागरीय सुविधाएं, विधिक सुधार और कानून लागू करना, बचाव व पुनर्वास की व्यवस्था की गई।

रोकथाम दो स्तरों पर किया जा रहा है

- प्रमुख स्टेक होल्डरों और समाज के बीच जागरूकता लाने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएं, प्रशिक्षण मैनुअल और मीडिया अभियान किए गए।
- महिलाओं को प्रशिक्षण, आय अर्जक और सूक्ष्म वित्त योजनाओं, समर्थन सेवाओं और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से उनका सशक्तिकरण।
- इटपा में संशोधन से कानून 'शिकार' के प्रति संवेदनशील व दुर्व्यापारी को दंड दिया जा सके।
- उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारियों व विशेष ट्रैफिकिंग अधिकारियों का नेटवर्क तैयार किया गया।
- प्रशासन, पुलिस, कल्याण विभाग और स्थानीय एन.जी.ओ. के बीच मेट्रो केन्द्रों में सहमति ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किए जा रहे हैं।
- अनैतिक देहव्यापार को खत्म करने के मार्ग निर्देश राज्यों को जारी किए गए।
- अनैतिक देहव्यापार के विरुद्ध प्रभावी कार्यनीतियां तैयार करने के लिए सूचनाएं एकत्र करने के लिए विलेखीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

मताधिकार आयु	18 वर्ष
बच्चों के लिए सरकारी कार्यक्रम	14 वर्ष की उम्र के लिए
आपराधिक जिम्मेदारी की आयु	12 वर्ष
बाल श्रमिक (प्रतिबंध विनियमन अधिनियम) 1986	14 वर्ष
किशोर न्याय (संशोधन अधिनियम)	18 वर्ष
अव्यस्क (संशोधन अधिनियम 1983)	18 वर्ष

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम	लड़कियां- 18 वर्ष लड़के- 21 वर्ष
सेक्स सहमति की	यदि अविवाहित लड़की है तो 16 वर्ष और यदि विवाहिता है तो 15 वर्ष लड़कों के लिए कोई आयु परिभाषित नहीं।

इंटरनेट बाल पोर्नोग्राफी

- कम्प्यूटर व इन्स्टेंट कैमरों ने पोर्नोग्राफी को कुटीर उद्योग बना डाला है।
- चैटरूम और वेब ग्रुप व वेब पेज इनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
- बाल पोर्नोग्राफी अपने आप में अपराध है और यह बच्चों के प्रति भी अपराध का एक रूप है।

बाल पोर्नोग्राफी को परिभाषित इस प्रकार किया गया है- किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से कोई प्रतिनिधित्व, जिसमें कोई बालक वास्तविक अथवा स्टीमुलेटेड शोषक सेक्सुअल गतिविधि या उसके यौनांगों का किसी रूप में प्राथमिक सेक्सुअल उद्देश्यों के लिए किया जाता हो।

विश्व कांग्रेस फोरम में सिफारिश की गई कि

- बाल पोर्नोग्राफी की एक समान व सार्वजनिक परिभाषा की जाए।
- बाल पोर्नोग्राफी को राष्ट्रीय-स्तर पर अपराध घोषित किया जाए जिसमें उसको रखना (पोजेशन), उत्पादन और/अथवा विवरण शामिल हो।
- पुलिस, कम्युनिटी, प्रकाशक, मीडिया के लिए रखना (पोजेशन), उत्पादन, वितरण के लिए, में निगरानी यूनिट बनाए जाएं जो बाल पोर्नोग्राफी पर सभी मीडिया पर अनुप्रवर्तन प्रक्रिया स्थापित करें।
- सरकार, अभिभावक, बच्चों व समाज के लिए साधारण-तौर पर जागरूकता कार्यक्रम हो जिसमें बताया जाए कि बच्चों पर इसका क्या सामाजिक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और पोर्नोग्राफी देखने से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
- अन्तर्राष्ट्रीय बाल पोर्नोग्राफी के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया जाए।
- बाल पोर्नोग्राफी को सेक्स एजूकेशन पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए

साथ ही व्यावसायिक यौन-शोषण व यौन-हिंसा को भी।

- किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य में किशोर-होम बनाए जाते हैं।
- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से स्पांसरशिप प्राप्त कर एन जी ओ द्वारा केयर सेन्टर चलाए जा रहे हैं।
- कर्नाटक सरकार की देवदासी पुनर्वास व प्रशिक्षण योजना 7 जिलों में चलाई जा रही है। देवदासियों के 18-25 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल चलाए जा रहे हैं।
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष किशोर होम चलाए जा रहे हैं जिसमें एच.आई.वी. ग्रसित बाल वेश्याओं के लिए विशेष काउंसलिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और हेल्थ यूनिट है।
- बेडिया समुदाय के बच्चों को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ज्वाला योजना- पुनर्वास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- प्रेरणा- वेश्यालयों के बच्चों के लिए नाइटकेयर सेन्टर, बड़े बच्चों के लिए शिक्षा, प्लेसमेंट कार्यक्रम और अन्य सलाहकार सेवाएं दे रही हैं।
- सेंट केथरीन होम मुम्बई- शेल्टर, केयर व शारीरिक व्याधियों के लिए उपचार, एच.आई.वी./एड्स की जानकारी, काउंसलिंग, आध्यात्मिक सहयोग ध्यान व व्यायाम के माध्यम से कर रही हैं।
- ज्वाइंट वूमेन प्रोग्राम- क्रेश, शिक्षा व हेल्थ केअर सर्विस देती है- जी.बी. रोड की वेश्याओं के लिए
- चाइल्डलाइन (दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, बंगलोर) बचाव, शेल्टर, मेडिकल केयर मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, ट्यूशन व वोकेशनल प्रशिक्षण जॉब प्लेसमेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
- भारतीय पतिता उद्धार सभा- वेश्याओं के बच्चों की शिक्षा व उनके बच्चों की सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाती है।
- प्रयास, नई दिल्ली- गैर औपचारिक शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग देती है।

संलाप- बचाई गई लड़कियों के लिए शेल्टर होम, दूसरे देशों में प्रत्यावर्तन, चाइल्ड केयर कार्यक्रम चला रही है।

एन.जी.ओ. द्वारा जनहित याचिकाओं के द्वारा बाल शोषण को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। रेडलाइट एरियों में छोटे बच्चों के लिए नाइट शेल्टर, बड़े बच्चों के लिए शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम और जॉब प्लेसमेंट सर्विस के द्वारा दूसरी पीढ़ी को इसे धंधे में प्रवेश से रोका जा रहा है।

सरकार व राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रयासों से मीडिया को संवेदी

किया जा रहा है। राजस्थान में जहां परिवार की लड़कियों को वेश्याएं ही बनाया जाता है उन इलाकों में गैर औपचारिक शिक्षा व पानी व सेनीटेशन जैसी सुविधाएं सुधारी जा रही है। उन्हें वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं।

यह जरूरी है कि हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए।

समेकित बाल संरक्षण योजना

इस योजना का उद्देश्य सिर्फ एक मंत्रालय के द्वारा नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों की यह जिम्मेदारी है कि बच्चों को समाज में सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाकर उन्हें विकास के अवसर प्रदान किए जाएं। यह सरकारी विभागों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय समूहों, शिक्षा विदों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से परिवारों व बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण निर्माण करने की दिशा में कदम है।

किन बच्चों को सुरक्षा चाहिए?

जो कोई बच्चा जिसका कोई घर-परिवार नहीं है या परिवार के द्वारा छोड़ दिया गया है या वह ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रह रहा है जो उसे मारने या नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। कोई बच्चा जो शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार है या असाध्य बीमारी का शिकार, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है उसके अभिभावक इस योग्य नहीं हैं कि उसकी परवरिश कर सकें, मां बाप नहीं हैं और कोई दूसरा व्यक्ति उसकी देखभाल का इच्छुक नहीं है, परिवार ने छोड़ दिया है गुमशुदा है या घर से भाग आया है और जिसके शोषण की संभावनाएं हैं, मादक पदार्थों या दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) का शिकार हो सकता है, या प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं का शिकार है, कोई अपराध कर पुलिस की हिरासत में है या किसी गिरोह के चंगुल से छुड़ाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रवासी परिवार का है, अत्यधिक गरीब परिवार, निम्न जाति परिवार, एच.आई.वी./एड्स, अनाथ, मादक पदार्थों का शिकार, भिखारी, यौनशोषित, कैदी का बच्चा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला आदि सभी इस योजना में शामिल हो सकते हैं। समेकित बाल संरक्षण योजना में कई मौजूदा बाल संरक्षण कार्यक्रमों न्याय, किशोर न्याय कार्यक्रम, बेसहारा बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम तथा देश में दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने के लिए शिशु गृहों की सहायता योजना को एक साथ लाकर निम्न उपाय किए हैं।

उद्देश्य

योजना का उद्देश्य उन्हें सुरक्षित स्थल पर रख असुरक्षित परिवारों की क्षमता निर्माण व उन बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना है।

इसके लिए योजना के तहत काफी प्रयास किए जाते हैं। जिसमें से प्रमुख देश भर में चाइल्ड लाइन स्थापित करना, स्थानीय निकायों, पुलिस व नयायिक सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं। योजना के चार प्रमुख घटकों में मुख्य पैरामीटर हैं।

1. रोकथाम

- सुरक्षा व विकासात्मक कार्यक्रमों के द्वारा शोषण व असुरक्षा रोकना।
- जन्म-मृत्यु व विवाह की शत-प्रतिशत रजिस्ट्रेशन के लक्ष्य को 2010 तक प्राप्त करना।
- जोखिम वाले परिवारों के लिए सहायक सेवाएं स्थापित करना।
- उन पारम्परिक रीति-रिवाजों व प्रथाओं का उन्मूलन करना जो बच्चों को दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) व यौन-शोषण की ओर अग्रसर करती हैं।
- लड़कियों को समान रूप से बढ़ने के लिए हर क्षेत्र में असमानता, परम्पराओं को दूर करना, उसे कानूनी, चिकित्सा, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक सहायता व विकास के समुचित अवसर प्रदान करना।
- बच्चों के कानूनी अधिकार विशेष रूप से, बाल विवाह निषेध अधिनियम, पी.एन.डी.टी., आई.टी.पी.ए., किशोर न्याय (सुरक्षा और रोकथाम) अधिनियम, बाल श्रम आदि के तहत उसे सुरक्षित रखना।
- सीमापार की दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) रोकना।
- 2012 तक सभी बाल श्रमिकों के लिए मुख्यधारा की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। उन्हें पौष्टिक आहार, कपड़े व सभी प्रकार से शोषण से बचाना।
- बालविवाह की रोक।
- पोलियो अभियान के द्वारा विकलांगता की रोकथाम।
- आई.सी.डी.एस., प्राथमिक हेल्थ केन्द्रों, मातृ व बाल कार्यक्रम, हस्पतालों के बीच प्रभावी संयोजन के द्वारा जोखिम वाले बच्चों को जल्दी पहचान कर उनका इलाज करवाना।
- पास के स्कूलों में ही दाखिला, विकलांग व मानसिक रोगी बच्चों के लिए स्कूलों में विशेष व्यवस्था, इनको सभी योजनाओं में शामिल करना।

- मां से शिशु को एच.आई.वी./एड्स अंतरण की रोकथाम।
- किशोर बच्चों को परामर्श, जागरूकता व सहायता सेवाएं देना ताकि वे असुरक्षित न रहें व किसी चंगुल में न फंसें।

सुरक्षा

- शहरी व अर्धशहरी क्षेत्रों में उनकी सुरक्षा के विशेष उपाय।
- भिखारी, श्रमिक, फुटपाथी बच्चे, यौन शोषण का शिकार, न्यायिक हिरासत में, किसी आपदा का शिकार बच्चे, यौन कर्मियों और कैदियों के बच्चे।
- एच.आई.वी./एड्स प्रभावित बच्चों की सहायता।
- उन्हें निःशुल्क एच आई वी/एड्स की दवाएं।
- एच.आई.वी./एड्स प्रभावित बच्चे जिन्हें परिवार ने त्याग दिया हो।
- चाइल्ड लाइन सेवाओं को विस्तारित करना।
- एन.जी.ओ. को निराश्रित, अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- किशोर न्याय अधिनियम का कार्यान्वयन।
- बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना।

जागरुकता और क्षमता निर्माण

- जन जागरूकता, संवेदीकरण के प्रयास।
- मनोवैज्ञानिक सदमे में बच्चों को व्यावसायिक परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

अनुसंधान व दस्तावेजीकरण

सभी वर्गों के बच्चों का आंकड़ा-विवरण तैयार करना।

उपलब्ध व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करना।

1.1 चाइल्ड लाइन सेवाएं- इस समय देश के 23 नगरों में 1098 की सेवा चल रही है। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन 1999 में स्थापित की गई। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन व इसके 4 क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से काम कर रही है। चाइल्ड लाइन के बुनियादी उद्देश्यों में परेशानी में फंसे बच्चों की आपात जरूरतों को पूरा करना तथा जिन सेवाओं की उन्हें जरूरत हो, उन सेवाओं के लिए ऐसे बच्चों को रेफर करना बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करना व समुदाय को कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का अवसर प्रदान करना है।

1.2. विशेष किशोर पुलिस यूनिट (ए.जे.पी.यू.)- किशोर न्याय अधिनियम

2000 के अनुसार प्रत्येक जिले और नगरों में विशेष किशोर पुलिस यूनिटों की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों के साथ पुलिस का समन्वय बना रहे। प्रत्येक जिले या नगर के पुलिस अधिकारी जिन्हें किशोर/बाल कल्याण अधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है। वे एस.जे.पी.यू. के सदस्य हैं। कई राज्यों में ऐसे यूनिट स्थापित हो चुके हैं। इन यूनिटों की सहायता के लिए दो समाज सेवकों को भी साथ लगाने की योजना हैं। यह अधिनियम के तहत साविधिक अपेक्षा है।

1.3. बाल कल्याण समितियां- बाल कल्याण (बाल सुरक्षा व रोकथाम) संशोधन अधिनियम 2006 में प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति बनाई जानी अनिवार्य की गई है। यह समिति बच्चों की सुरक्षा, रोकथाम, विकास और पुनर्वास कार्यों के लिए अंतिम प्राधिकारी है।

कुछ राज्यों में यह कमेटी बन चुकी है और शेष में बननी है।

प्रत्येक जिले में ऐसी कमेटियों के बनने से ही योजना प्रभावी रूप से कार्यान्वित हो सकेगी।

1.4. किशोर न्याय बोर्ड (जे.जी.बी.)- किशोर न्याय (बाल सुरक्षा व रोकथाम) संशोधन अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड बनाने अनिवार्य किए गए हैं। कुछ राज्यों में यह बोर्ड स्थापित हो चुके हैं व कुछ में अभी बनाए जाने हैं।

संस्थागत सुरक्षा में सुधार

2.1. आश्रय गृह- अधिनियम के तहत राज्यों को कुछ योग्य व ख्यात स्वैच्छिक संगठनों की पहचान कर उन्हें आश्रय गृह स्थापित करने में मदद देने की व्यवस्था की गई है। ये आश्रय गृह 'ड्राप-इन-सेंटर' व 'शेल्टर होम' के रूप में स्थापित किए जाने हैं।

2.2 चिल्ड्रन होम- अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में 'चिल्ड्रन होम' स्थापित करने की व्यवस्था की गई है।

2.3 आब्जर्वेशन होम- अधिनियम के तहत विभिन्न राज्य सरकारों को स्वयं अथवा एन जी ओ के माध्यम से प्रत्येक जिले में या कुछ जिलों के समूह में उन बच्चों, जिनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं, के लिए 'आब्जर्वेशन होम' की व्यवस्था का प्रावधान है।

2.4 स्पेशल होम- राज्य सरकारों की उन बच्चों, जिनके मामले कोर्ट में चल रहे हैं, के अधिवास व उनके पुनर्वास के लिए 'स्पेशल होम' स्थापित करने का

अधिकार है। प्रत्येक जिले अथवा जिलों के समूह में ऐसे स्पेशल होम स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

2.5 एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित व संक्रमित बच्चों के लिए विशेष शेल्टर व केअर होम- एच.आई.वी./एड्स के कारण कई बच्चों को अपने मां-बाप खोने पड़ रहे हैं तो कुछ को परिवारों ने त्याग दिया होता है। ये बच्चे कई प्रकार के शोषण का शिकार होते हैं।

इस योजना के तहत इन बच्चों को शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था की जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उन्हें वहां सौहार्दपूर्ण माहौल मिल सके।

शिशु-गृह व शिशु-पालना योजना केन्द्र- भारत सरकार की योजना के अनुसार 0-6 वर्ष की उम्र के अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए शिशु-गृह योजना है। इन्हीं गृहों में शिशु-पालना रिसेप्शन केन्द्र भी चलाए जाते हैं। यह गृह प्रत्येक जिले में बनाए जाते हैं।

जरूरतमंद बच्चों के लिए ड्राप-इन-शेल्टर- शहरों में अप्रवासी व विस्थापित जनसंख्या के बढ़ने के कारण झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों की संख्या बढ़ रही है। जिस कारण शहरी, गरीबी व भुखमरी बढ़ रही है। जिससे बड़ी संख्या में बेघर बच्चों, फुटपाथ पर रहने वाले, भिखारी बच्चों की संख्या में इजाफा हो रहा है।

ऐसे बच्चों को संरक्षण देने के लिए 'ड्राप-इन-शेल्टर' शहरी क्षेत्रों में बनाए गए हैं। ऐसे केन्द्रों में वे खेल सकते हैं और रचनात्मक गतिविधियों जैसे संगीत ड्रामा, योग व ध्यान, कम्प्यूटर, इंडोर व आउटडोर खेल आदि से अपने समय का सार्थक प्रयोग कर सकें। इन गतिविधियों में उनका समुचित विकास संभव है। इन केन्द्रों में वे अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं।

आफ्टर केअर संगठन- अधिनियम के तहत राज्य सरकारों की 'आफ्टर केअर संगठन' स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को यह काम सौंपने का अधिकार है। यह संगठन 'विशेष होमों' के बाद इन बच्चों को अपने यहां रखते हैं ताकि वे मुख्यधारा में लौट सकें। इसमें दोनों प्रकार के बच्चे रहते हैं जिन्हें सुरक्षा चाहिए व जिन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। इन्हें यहां नियमित शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

परामर्श व परिवार सहायता- बच्चों व उनके परिवारों को हादसे के सदमे से उबरने के लिए समुचित भावनात्मक सहायता की जरूरत होती है। इसके लिए ये परामर्श सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। जिला-स्तर पर ऐसे यूनिट स्थापित किए गए हैं।

राज्य को तीन प्रकार की जिम्मेदारी निभानी होती है। 1) उन्हें समुचित शिक्षा

व व्यावसायिक प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करना। 2) परामर्श सेवाओं की सुविधाएं उपलब्ध करवाना व 3) प्रशिक्षित कार्मिकों को भर्ती करना।

इसके अलावा प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण के एवं इससे जुड़े लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन, प्रशिक्षण मोड्यूल तैयार करना, अनुभव व सर्वोत्तम कार्य व्यवहारों का आदान-प्रदान करना, विश्वविद्यालयों व शैक्षणिक संस्थाओं से सम्पर्क, जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए जीवन कौशल शिक्षा आदि शामिल है।

इन सारी योजनाओं के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय सहयोग जन-बाल-विकास संस्था (एन.आई.पी.सी.डी.), निम्हंस, राष्ट्रीय अकादमी, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशासनिक संस्थाएं, चाइल्ड लाइन, समाज कल्याण विभाग करेंगे।

इसके अलावा संस्थागत सुधार-गृहों व गैर-संस्थागत सुधार गृहों व किसी प्रकार के सुरक्षा नेटवर्क में न रहने वाले बच्चों के आंकड़ों का संकलन किया जाएगा। साथ ही खोए हुए बच्चों की तलाश के लिए राष्ट्रीय वेबसाइट विकसित की जा रही है ताकि उन्हें अपने राज्यों में वापिस भेजा जा सके व उनका पुनर्वास किया जा सके। इस वेबसाइट को सभी राज्यों, जिला बाल सुरक्षा यूनिटों, सभी पुलिस स्टेशनों और चाइल्ड लाइन से जोड़ा जाएगा।

बेसहारा बच्चों के समेकित कार्यक्रम के तहत योजना के शुरू होने से अब तक 3,45,000 बच्चों को मदद दी जा चुकी है। 21 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 83 संगठनों के माध्यम से यह कार्य चल रहा है कि 2008-2009 के लिए 12.40 करोड़ के बजट की व्यवस्था की गई थी, जिसके समक्ष 61 संगठनों को 114653 लाख की अनुदान राशि दी गई।

किशोर न्याय कार्यक्रम के तहत वर्ष 2008-09 के लिए 22.00 करोड़ के बजट के समय विभिन्न राज्यों को रु. 2113.90 लाख की अनुदान सहायता जारी की गई।

देश के 83 नगरों में चाइल्ड सर्विस प्रदान की जा रही है।

चाइल्ड-लाइन फाउंडेशन, मुंबई को वर्ष 2008-09 के दौरान रु. 6.06 करोड़ की अनुदान राशि मंजूर की गई। चाइल्ड-लाइन फाउंडेशन ने 25 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में चाइल्ड लाइन प्रोजेक्ट के लिए 139 संगठनों की सहायता प्रदान की है।

1998 से शुरू की गई चाइल्ड-लाइन को सितंबर 2008 तक 1,47,08,103 कॉल प्राप्त हुई हैं। इस कॉल में अधिकांश आश्रय, चिकित्सा सहायता, हिंसा से बचाव, भावनात्मक सहयोग, रेफरल सेवाओं, गुमशुदा बच्चे

के बारे में जानकारी मांगी जाती रही है। भारत ने बाल-अधिकार कन्वेंशन तथा बच्चों की बिक्री व बाल वेश्यावृत्ति एवं बाल अश्लील साहित्य तथा सशस्त्र संघर्ष में सहभागी बच्चों सहित दो वैकल्पिक नवाचारों पर हस्ताक्षर किए हैं। कन्वेंशन पर हस्ताक्षरकर्ता सदस्य देश के लिए यह बाध्यकारी है कि वह देश अपने यहां कन्वेंशन के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें

किशोर न्याय-गृहों में नजरबन्दी

1. किशोरों की देखरेख के बारे में संयुक्त राष्ट्र के न्यूनतम मानकों (बीजिंग नियम) का सख्ती से अनुपालन किया जाना चाहिए।
2. सभी राज्यों को, किशोर न्याय अधिनियम 2006-2007 के तहत कानून बनाने चाहिएं और कानून के तहत अपेक्षित आवश्यक संस्थानों को स्थापित करना चाहिए। प्रावधानों को कार्यान्वित करने में किसी प्रकार की कठिनाई को कानून में संशोधन करके या उपयुक्त रणनीति अपना कर दूर किया जाना चाहिए।
3. न्याय/निर्णय और परिभाषा में किशोर न्याय प्रणाली को दंड न्याय प्रणाली से भिन्न होना चाहिए।
4. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2006 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को अपने दृष्टिकोण के प्रति आवश्यकता आधारित विश्लेषण करने की जरूरत है।
5. किशोर न्याय, राज्य सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि वित्तीय, प्रशासनिक और ढांचागत आवश्यकताओं को बच्चे के बेहतर हित में पूरा किया जा सके।
6. प्राधिकारियों को, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के बीच स्पष्ट अन्तर करना चाहिए। दोनों की विशेष कल्याणी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए।
7. न्याय निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच को अधिनियम के तहत यथानिर्धारित 4 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाए।
8. किशोर न्याय प्रणाली के तहत अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित कार्मिकों को पर्याप्त संख्या में भर्ती किया जाना चाहिए। यदि इसका दुरुपयोग किया

जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इस प्रकार की कार्रवाई लम्बित होने तक उनका तत्काल स्थानान्तरण किया जाना चाहिए।

9. बच्चों को पुनर्वास और उनकी बहाली, अन्ततः उद्देश्य होना चाहिए। संस्थागत देखभाल में, उपयुक्त शिक्षा सुविधाओं और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे को वापिस भेजने के बाद उन्हें जीविकोपार्जन के स्थाई संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें।
10. सभी बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधा दी जानी चाहिए। एच.आई.वी., स्केवी, मानसिक अशक्तता जैसी बीमारियों से ग्रस्त बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए।
11. किशोर न्याय/निगरानी गृहों में, सफाई और पोषक आहार के मूल मानकों का अनुपालन किया जाना चाहिए।
12. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिनियम के तहत स्थापित निरीक्षण समितियां इन गृहों का नियमित निरीक्षण करें।

नजरबंदियों के मानसिक-स्वास्थ्यसंबंधी मुद्दे

13. पूरे विश्व में, औसतन 32 प्रतिशत कैदियों को मानसिक मदद की आवश्यकता है यदि इसमें गड़बड़ी की सम्भावना को शामिल कर दिया है तो यह संख्या 60 प्रतिशत से ऊपर चली जाती है। अतः मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान लक्षित किए जाने की आवश्यकता है। कैदियों में मानसिक बीमारी की जल्द पहचान करने और तदुपरान्त कदम उठाने की आवश्यकता है।
14. मानसिक रूप से पीड़ित कैदियों की समस्या का डाकयूमेन्टेशन बहुत कम किया जाता है, जिनमें रेफल/छुट्टी के दौरान मार्गरक्षण, हिरासत में अपर्याप्त देखभाल, हिरासत से छुट्टी के बाद मानसिक उपचार न करना, शामिल है। मनोचिकित्सक द्वारा आवधिक रूप से दौरा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

विभिन्न राज्यसरकार प्रयास- भारत सरकार ने सभी राज्यों व संघ शासित देशों प्रदेशों को आई.टी.पी.ए. की धारा 13 के तहत विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश दिए हैं व लगभग सभी राज्यों में ऐसे अधिकारियों की नियुक्तियां की गई है।

आई.टी.पी.ए. की धारा 13(3) (बी) के अनुसार विशेष पुलिस अधिकारी के

साथ राज्य सरकार, एक गैर-सरकारी सलाहकार निकाय गठित कर सकती है जिसमें उस क्षेत्र के पांच अग्रणी सामाजिक कल्याण कर्ताओं को संबद्ध कर सकती है। लगभग सभी राज्यों में ऐसे निकाय गठित किए जा चुके हैं।

विभिन्न राज्यों में सलाहकार निकाय गठित हो चुके हैं। गोवा सरकार ने सबसे आगे बढ़कर गोवा चिल्ड्रन एक्ट 2003 बना कर बाल देहव्यापार को रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। यह अधिनियम 2003 से लागू किया गया।

अल्पावास गृह में रहने वाली महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, काउंसलिंग, वोकेशनल प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कलकत्ता व पूर्वी बागंदा में दो गृह एच.आई.वी. प्रभावित व्यावसायिक यौन-कर्मियों के लिए चलाए जा रहे हैं। दरबार महिला समन्वय समिति, संलाप व्यावसायिक यौन कर्मियों के पुनर्वास कार्यक्रमों के साथ-साथ उन्हें एच.आई.वी./एड्स से बचाव के लिए जागरूक करने जैसे कार्यक्रम चला रही है।

विभिन्न राज्य सरकारों के महिला सशक्तिकरण प्रयासों को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल के प्रयास- पश्चिम बंगाल सरकार के समाज कल्याण विभाग मानव अनैतिक व्यापार की रोकथाम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। सरकार द्वारा गठित नेटवर्क में स्वास्थ्य, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, स्वयं सहायता समूह, स्वरोजगार, पंचायत और ग्रामीण विभाग शामिल हैं। पुलिस, सी.आई.डी., एन.जी.ओ. और राज्य महिला आयोग इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

देश में शुरू किया गया यह पहला नेटवर्क था जिसके द्वारा शहरी व ग्रामीण दोनों इलाकों में जागरूकता लाने के प्रयास शुरू किए ताकि लोग दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स) के शिकार न बनने पाएं। नेटवर्क पीड़ितों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता व समुचित पुनर्वास सुनिश्चित कर रहा है।

पश्चिम बंगाल में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के अलावा जिला स्तरीय सलाहकार समितियां भी गठित की गई हैं।

रेडलाइट एरियों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

कर्नाटक सरकार के प्रयास- कर्नाटक सरकार व महिला व बाल कल्याण विभाग मुख्य धारा के कार्यक्रमों जैसे कृषि, शिक्षा, सहकारिता विभाग में महिला मुद्दों पर विचार करता है। महिला विकास निगमों के माध्यम से एन.जी.ओ. के द्वारा चलाए जा रहे स्वयं सहायता समूहों के द्वारा बेलगाम में देवदासी पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए हैं। देवदासी संगठनों का पुनर्वास किया जा रहा है।

कर्नाटक के देवदासी पुनर्वास योजना के पैकेज में उन्हें व्यावसायिक, प्रशिक्षण

के साथ-साथ सामाजिक व नैतिक शिक्षा भी दी जा रही है।

कर्नाटक महिला अभिवृद्धि योजना

महिलाओं के लिए विशेष योजना बनाने वाला कर्नाटक पहला राज्य था।

इस योजना में विभिन्न सरकारी विभागों की योजनाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई संसाधन चिन्हित किए गए हैं। यह योजना विकास की मुख्यधारा में महिलाओं के लिए समानता व समेकित स्थिति सुनिश्चित करती है। 1994-96 से यह व्यवस्था लागू है। यह सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसमें पहली बार महिला मुद्दों के लिए विशेष सकारात्मक प्रयास किए हैं।

कर्नाटक अभिवृद्धि योजना के तहत कृषि, पशुपालन, सहकारिता, रोजगार व प्रशिक्षण शिक्षा, मत्स्य, वानिकी, हथकरघा, आवास, बागवान, उद्योग आदि ग्रामीण विकास व पंचायती राज, युवा, समाज कल्याण सभी विभाग शामिल हैं।

- महिला व बाल विकास विभाग में विशेष कक्ष स्थापित किया गया है। जो बाल विवाह, दहेज, देवदासी, मादक पदार्थ सेवन, नशाखोरी जैसी कुरीतियों को दूर करने के लिए काम करता है। इन कुरीतियों के प्रति जन जागरूकता लाई जा रही है।

कर्नाटक देवदासी (समर्पण का प्रतिबंध) अधिनियम 1982 और नियम 1987, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1981 यथासंशोधित 1984, 1986, 2004, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929, कर्नाटक विवाह अधिनियम 1976, महिलाओं का अभद्र रुपण अधिनियम 1986 का कार्यान्वयन विशेष कक्ष द्वारा किया जाता है। विशेष कक्ष मदिरा व मादक पदार्थों की रोकथाम की योजना व स्वाधार योजना का कार्यान्वयन भी देखता है।

गुजरात सरकार

गुजरात सरकार द्वारा नारी-गौरवनीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं महिलाओं के अधिकारों के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहता। मेरी राय में उसे न तो किसी विधिक असमर्थता और न ही पुरुषों द्वारा पीड़ित किया जाना चाहिए। मैं बेटे व बेटियों की समानता चाहूँगा। एक बेटी का हक बेटे के बराबर होना चाहिए।

गुजरात सरकार की इस नीति का लक्ष्य इसी विचार पर केन्द्रित है। सरकार की 2006 में बनाई गई नीति को वर्ष 2010 तक पूरा किया जाना है।

राज्य स्तरीय सलाहकार समितियां बनाई गई हैं।

डायरेक्टर सोशल डिफेंस के माध्यम से इनके पुनर्वास के कार्य किए जा रहे हैं।

उड़ीसा सरकार के प्रयास

उड़ीसा सरकार दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) का शिकार महिलाओं के प्रशिक्षण, पुनर्वास, सुधार गृहों में रहने व उन्हें जागरूक करने की दिशा में विभिन्न एन.जी.ओ. के माध्यम से काम कर रही है।

मिशन शक्ति, स्वयं सहायता समूह, महिला आर्थिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

मिशन शक्ति में महिला स्वयं सहायता समूहों को आय अर्जक गतिविधियों के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता, मार्केट लिंकेज व ऋण आदि उपलब्ध करवाया जा रहा है। गरीब परिवारों के स्वयं सहायता समूहों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनके कौशल उन्नयन के लिए भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

देश के विभिन्न वेश्यागृहों की स्थिति

दिल्ली

- *दिल्ली में 20,000 से अधिक महिला व लड़कियां यहां के वेश्यालयों में रहती हैं।*
- *अधिकांशतः जब तक उन पर कर्ज होता है, वे वहां रहती हैं उसके बाद अपनी व्यवस्था कर लेती हैं।*

मुम्बई

कमाठीपुरा मुम्बई का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है जहां देश के हर हिस्से से लड़कियां पहुंचाई जाती हैं। यह भारत का पेडोफिलिक सेंटर भी है क्योंकि यहां विदेशी पर्यटक अधिक पहुंचता है।

- *प्रतिदिन 6 ग्राहक के हिसाब से औसतन यहां की 100,000 महिलाएं हर वर्ष 400 मिलियन डॉलर का रेवन्यू कमाती हैं।*
- *जहां आपराधिक गतिविधियां दिखती हैं।*

कोलकाता

- *नेपाल बांगलादेश बार्डर के कारण दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) का केन्द्र है।*
- *सोनागाछी, रामबाग, बाउ बाजार, खिदीरपुर, कालीघाट सहित 29 रेडलाइट एरिया।*

बिहार सरकार के प्रयास

व्यावसायिक यौनकर्मियों के बच्चों के विकास के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में उन्हें शामिल किया गया है। इनके बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, रेडलाइट एरिया में आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित करने, मतदान में उनके नाम शामिल करने जैसी योजनाएं शुरू की हैं।

अतिथि- शक्तिवर्धिनी, जनजागरण मंच आदि उनके पुनर्वास कार्य में लगी हैं।

बिहार सरकार ने हिजड़ों के पुनर्वास के लिए उन्हें महिलाओं व बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल के लिए जागरूक करने का काम सौंपा है। यह उनके पुनर्वास की पहली योजना है। उन्हें साक्षरता व व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि उन्हें सम्मानजनक नियमित काम मिल सके। यह योजना एक ओर महिलाओं की जागरूक करने व दूसरी ओर हिजड़ों को रोजगार देने का कार्य करेगी।

उन्हें ड्राइवर, रसोइया व गार्ड के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन्हें हैंडीक्राफ्ट पेंटिंग या कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

रोकथाम के लिए गतिविधियां

- सभी स्टेक होल्डरों के साथ बैठकें, प्रोजेक्ट कार्यान्वयन स्टाफ, एन.जी.ओ. के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- अनैतिक व्यापार रोकने के लिए सीमापार के दोनों ओर के अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित कर रणनीति तैयार की गई है।
- प्रमुख स्टेक होल्डरों के लिए कानूनी जानकारी के लिए कार्यशालाएं चलाई जा रही है।
- ब्लाक स्तर से जिला स्तर तक के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- दोनों देशों के अधिकारियों व एन.जी.ओ. की बैठकें की जा रही हैं।
  - क्षेत्र के स्रोत क्षेत्रों के विस्तृत मानचित्र तैयार किए जा रहे हैं।
  - सभी संगठनों, एन.जी.ओ., क्षमता, कार्यक्षेत्र, विशेषज्ञ अनुभव आदि की विस्तृत जानकारी तैयार की जा रही है।
- सीमापार से देहव्यापार रोकने के लिए नीति-स्तर पर सुधार लाने के लिए बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- मीडिया में जागरूकता के माध्यम से सरकार को उपयुक्त कार्रवाई के लिए बाध्य किया जाता है।
- एन.जी.ओ. व अन्य समूहों के साथ मिलकर आधार-स्तर पर कानूनी

प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

- विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समुचित तालमेल विकसित कर उनके बीच परस्पर विचार-विमर्श कर योजना को कार्यान्वित करने जैसे कार्य रोकथाम के लिए किए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास

- सरकार की प्रमुख योजनाएं
- महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना
- किशोरी शक्ति योजना
- बालिका श्री योजना
- पोषण कार्यक्रम
- बीमा योजना
- प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिला एवं बाल विकास के अन्तर्गत किशोरी शक्ति योजना प्रदेश के 840 विकास खंडों में संचालित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य किशोरियों को प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना, पोषण संबंधी रक्ताल्पता को कम करना, उनके शरीर एवं स्वयं के बारे में जागरूक करना तथा बालिकाओं को रोजगार में अवसर प्रदान कर उनमें आत्मसम्मान जागृत करना है। योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खंड में 60 बालिकाओं को 30-30 समूहों में तीन दिवसीय स्वास्थ्य एवं पोषण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 60 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक किशोरी के प्रशिक्षण के लिए रु. 1833 मानदेय देने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रदेश की 840 परियोजनाओं में 50400 किशोरियों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है।

महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना

महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म होने पर एकमुश्त धनराशि 18 वर्ष के लिए सावधि जमा की जाएगी। बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की स्थिति में बालिका को उक्त जमा राशि की परिपक्व राशि का भुगतान जो लगभग एक लाख रुपए होगा दिया जाएगा। यह योजना उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले

परिवार में जन्मी पहली बालिका को लाभ मिलेगा।

गोवा सरकार

गोवा में सेक्स पर्यटन व पैडोफीलिया को रोकने के लिए फ्रेडी पिट्स के केस के बाद काफी जागरूकता आई और ऐसी भी कोई समस्या है इस बारे में सरकारी तंत्र जागरूक हुआ। सरकारी मशीनरी, कानून को लागू करने वाले व कई एनजीओ इस दिशा में आगे आए।

गोवा में भी वेश्यावृत्ति का इतिहास प्राचीन है। मंदिरों में कलावंत अथवा नाचने वाली लड़कियां नियुक्त की जाती थीं। गोवा में पर्यटन के बढ़ने के साथ वेश्यावृत्ति बढ़ी। साठ के दशक के अंत में गोवा, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का विश्व प्रसिद्ध केन्द्र बना। 'हिप्पी' कल्चर गोवा की ही देन है। बायलांची साड, बायलांची मंच व जागृत गोयनकारांची फौज जैसे संगठनों ने इस पर्यटन उद्योग से स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले कु-प्रभावों के लिए आवाज़ उठाई।

गोवा में वेश्यावृत्ति रेडलाइट एरिया, पर्यटन संबंधी व बच्चों को पर्यटन के लिए यौन-शोषण व धार्मिक देवदासी परम्परा के रूप में वेश्यावृत्ति पनप रही है। एन.जी.ओ. अर्ज ने वर्ष 2001 'सेव द चिल्ड्रन' द्वारा आयोजित सेमीनार में गोवा के बयाना व वास्को रेडलाइट एरिया में यौन-व्यापार पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि इन रेडलाइट एरियों में रहने वाली 6000 यौन कर्मी आंध्र प्रदेश कर्नाटक और उत्तरप्रदेश से आई थीं। 'अर्ज' ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया कि यहां आने वाली अधिकांश लड़कियां अनैतिक तरीके से लाई गई हैं।

गोवा में महिला व बालिकाओं के लिए कई संगठन काम कर रहे हैं।

महिलाओं के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई गई हैं।

क्रेश सुविधाएं, आश्रय व अल्पाश्रय होम भी स्थापित किए गए हैं

प्रत्येक ताल्लुका में अल्पाश्रय होम खोले गए हैं।

- वर्ष 1996-97 से राज्य में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता व अलग रह रही 18 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को पचास वर्ष की उम्र होने तक अथवा जब उनका बड़ा बच्चा 21 वर्ष का हो जाता है, तक रु. 500/- प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाती है, जिनके बच्चे न हों उन्हें उम्रभर सहायता दी जाती है।

तमिलनाडु सरकार के प्रयास

- मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समन्वय

समिति का गठन किया गया है।

- भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्यस्तरीय कार्य योजना तैयार की जाती है
- जिला स्तरीय सलाहकार समितियां गठित की गई हैं, जो अनैतिक देह व्यापार (ट्रैफिकिंग) की रोकथाम करती है
- ग्राम स्तरीय वाचडाग कमेटी लगभग सभी गांवों में बनाई गई हैं और इन कमेटी के लिए मार्गदर्शन तैयार किए गए हैं
- पूरे राज्य में पुलिस विभाग ने एंटी-वाइस स्कायड स्थापित की है।

मध्यप्रदेश सरकार

महिलाओं व बच्चों को कानूनी सलाह व सहायता की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

वेश्यावृत्ति उन्मूलन हेतु जाबली योजना

स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं व उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1992-93 से 'जाबली योजना' लागू की गई है। इस योजना के पांच मुख्य घटक हैं जिससे बच्चों के लिए आश्रम-शाला, महिलाओं के लिए आर्थिक कार्यक्रम, युवा लड़कियों के लिए संरक्षण होम बनाना, स्वास्थ्य जांच व उपचार तथा सूचना शिक्षा व प्रचार के द्वारा जनजागृति लाना सम्मिलित है। यह योजना काफी सफल है।

बालिका समृद्धि योजना :- इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, स्कूलों में प्रवेश की दर में वृद्धि करना, अप्रत्यक्ष रूप से बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करने व बालिका हत्या को हतोत्साहित करना है।

- ***किशोरी शक्ति योजनाः-*** *राजस्थान के 274 विकास खंडों में संचालित है। योजना के माध्यम से 11-18 वर्ष की कभी स्कूल नहीं जाने वाली या मजदूरी पर जाने वाली लड़कियों का सर्वांगीण विकास हेतु चयन किया जाता है। बालिकाओं को लाभान्वित करने हेतु प्रशिक्षण एक्पोज़र विजिट, मेले, पुनश्चर्या प्रशिक्षण में उनको साक्षरता, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शारीरिक बदलाव, पारिवारिक हिंसा, छेड़छाड़, खेलकूद, कौशल क्षमता की पहचान आदि जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। प्रति वर्ष प्रति ब्लाक में 600 बालिकाओं को लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है।*

महिला नीति (2008-12)

महिला नीति के प्रमुख घटकों में

महिलाओं के घटते लिंग अनुपात को संतुलित करने एवं बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम, महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध को नियंत्रित करने की पहल, महिलाओं को शिक्षा के द्वारा सशक्तिकरण एवं जीवन में गुणवत्ता को बढ़ाने, उनके लिए गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं, उनकी क्षमताओं का विकास करने के अलावा उनके लिए रोजगार एवं आय बढ़ाने के अवसर, किशोरी बालिका के विकास के लिए विशेष प्रयास, प्रत्येक स्तर पर निर्णय प्रक्रिया एवं व्यवस्था में भागीदारी, जेंडर पर आधारित बजट व्यवस्था, श्रमिक महिलाओं के लिए हित संरक्षण, कार्यस्थल पर यौन-प्रताड़ना की रोकथाम के उपाय करना शामिल है। साथ ही महिलाओं की वन जल, स्वच्छता एवं पर्यावरण में सक्रिय भागीदारी, कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं ग्रामोद्योग में सहभागिता, कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने वाली महिलाओं के लिए सुविधाएं एवं संसाधन, सूचना संचार तकनीकी में भागीदारी, नीतिगत प्रावधानों की मानीटरिंग, मूल्यांकन एवं प्रतिवेदन तैयार करना भी इसके प्रमुख घटक हैं।

महिला-नीति में यह सुनिश्चित किया गया है कि

- ❑ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से जन्म पंजीयन हो एवं उसकी निरंतर मानीटरिंग हो।
- ❑ शैक्षणिक संस्थानों व सामाजिक संगठनों के माध्यम से महिलाओं के पक्ष में संवेदनशील सकारात्मक वातावरण के निर्माण एवं पुरुष मानसिकता में बदलाव हेतु राज्य जिला एवं ब्लाक स्तर पर संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं कार्यक्रमों के जरिए व अन्य प्रचार प्रसार तथा सामाजिक एवं व्यक्तिगत जागरूकता को बढ़ाया जाए।
- ❑ मंगलदिवस योजना

इस योजना में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु गोदभराई, अन्नप्राशन, जन्म दिवस समारोह एवं किशोरी बालिका दिवस आयोजित कर 'मंगल दिवस' मनाने के लिए म.प्र. शासन, महिला एवं क्रमांक/एफ-3.1/07.50.2/भोपाल दिनांक 13.2.2007 के द्वारा विशेष योजना बनाई गई है।

राज्य मंत्री परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश में स्वीकृत बाल-विकास परियोजनाओं के तहत संचालित, आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किए जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

संशोधित कौशल उन्नयन योजना- आय उपार्जन से जुड़े स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल वृद्धि कर अधिक लाभ पहुंचाना। विशेषरूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले समूह के सदस्य, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित उपेक्षित श्रेणी की एवं अनैतिक व्यापार में लिप्त समूह की सदस्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के समूह की सदस्यों को प्राथमिकताएं दी जाती हैं।

ग्राम्या योजना- इस योजना का उद्देश्य लघु व्यवसायी ग्रामीण महिलाओं को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना है। प्राथमिकता विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा अविवाहित एवं निराश्रित महिलाओं को दी जाती हैं।

केरल सरकार के प्रयास

केरल में कदम्ब श्री कार्यक्रम राज्य सरकार और नाबार्ड, कल्याण बोर्ड, वित्तीय संस्थाओं और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर 1999 से चलाया जा रहा, यह एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है।

इसमें शामिल गतिविधियों में कचरा संग्रहण, पॉवर लांड्री, बायो फर्टीलाइजर यूनिट, टिश्यू कल्चर लैब, डायरेक्ट मार्केटिंग, डाटा एंट्री, हार्डवेयर यूनिट, छोटे मेन्युफेक्चरिंग यूनिट, कैंटीन/केटरिंग यूनिट, फूड प्राडक्ट यूनिट आदि इनके समूहों के माध्यम से चलाए जाते हैं। पट्टे पर भूमि देकर समूह जोतों पर कृषि करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

- आय अजर्क सदस्य व इनके क्षमता निर्माण व कार्य निष्पादन सुधार कार्यक्रम (परफार्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम- पी.आई.पी.) के द्वारा इन महिलाओं को सशक्त कर नई जिम्मेदारी दी जा रही है। कदम्ब श्री कार्यक्रम की विशेषता यह है कि ये कासरगोड, व्यनाड, मलपुरम, त्रिचुर, पालेश्वर जिलों के आदिवासी समूहों तक पहुंच रहा है।

महिला कल्याण- महिलाओं के प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता- (स्टेप) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत महिलाओं की उत्पादकता में वृद्धि करके और उन्हें आय व उत्पादन कार्यकलाप शुरू करने के योग्य बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर और स्वायत्त बनाया जाना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत पारम्परिक क्षेत्रों जैसे कृषि, पशुपालन डेरी मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम कीट पालन, सामाजिक-वानिकी तथा परती भूमि विकास आदि के लिए निर्धन एवं सम्पति-विहीन महिलाओं के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मिजोरम सरकार के प्रयास

महाराष्ट्र सरकार के प्रयास

- घरेलू हिंसा के मामलों को निपटाने के लिए महिला दक्षता समितियां अथवा सामाजिक महिला सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं।
- केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की योजनाओं के तहत परिवार परामर्श केन्द्र चलाए जा रहे हैं जो विवाह, परिवार व संपति के मामलों पर महिलाओं को कानूनी सहायता देते हैं।
- बोर्ड के द्वारा एन.जी.ओ. को क्रेश, हस्पताल, होस्टल, कम्प्यूटर ट्रेनिंग आदि के लिए सहायता देने के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, आय अर्जक, जल प्रबंधन और भूमि अधिकारों आदि जैसी गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- अल्पाश्रय होम में आश्रय के साथ-साथ परामर्श व मार्गदर्शन भी दिया जाता है।

आयोग ने इस अधिसूचना को संशोधित करवाया है कि यह शर्त तब लागू होगी जब मकान या ज़मीन पति की हो और यदि यह पत्नी के नाम है तो वह केवल उसके नाम होनी चाहिए।

❑ महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने 1994 में महिलाओं पर नीति तैयार की थी जिसकी प्रत्येक तीन वर्षों में समीक्षा की जाती है।

- श्री प्रकाश आवडे की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर राज्य में देवदासियों की तकलीफों को कम करने के लिए उनके पुनर्वास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
- स्वरोजगार के लिए अनुदान सहायता दी जा रही है।
- बहुउद्देशीय महिला सेन्टर स्थापित किए गए हैं।

डांस बार

21 जुलाई 2005 को मुम्बई पुलिस ने डांस-बार बंद कर दिए थे। पिछले चार वर्षों में उन्होंने 9,117 लड़कियां व 3,427 बार मालिकों को गिरफ्तार कर रु. 1.32 करोड़ का जुर्माना इकट्ठा किया है।

डांस-बार बंद कर दिए जाने से मध्यवर्गीय परिवारों का काफी पैसा सिर्फ इसलिए बच रहा है कि अब उन परिवारों के पुरुष वहां जाकर रुपया लुटाने नहीं जा पाते हैं। पुलिस अपने प्रतिबंध को उचित ठहराने के लिए परिवारों से मिली ऐसी शिकायतों को आधार भी बनाती है।

राज्य में 1250 डांस-बार में पूरे देश से आई हुई 75,000 बार-गर्ल थीं। पिछले चार वर्षों में इनके बंद हो जाने से कुछ डांस-बार, आर्केस्ट्रा बार में बदल गई हैं जहां वे रात्रि 9.30 बजे तक काम कर सकती है। विश्वस्त सूत्र ये बताते हैं कि कुछ तो वे अपने शहरों में लौट गई हैं और कुछ यौन-कर्म में लिप्त हो गई हैं। अब वे होटलों में वेटर के रूप में काम कर रही हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के अनुसार वे अब रात्रि 9.30 बजे के बाद भी काम कर सकती हैं, पर स्थितियों में बदलाव नहीं आया है।

पंजाब सरकार

पंजाब सरकार का सामाजिक सुरक्षा व महिला विभाग के द्वारा अल्पाश्रय होम, स्टेप योजना, नोराड, स्वाधार, विधवाओं व निराश्रितों के लिए गांधी वनिता आश्रम, वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं को वित्तीय सहायता, गरीबीरेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के मुखिया की मृत्यु के बाद उसके परिवार सदस्यों को रु. 10,000/- की सहायता, बाल-गृह, आब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, आफ्टर केयर होम, पोषाहार योजना, किशोरी शक्ति योजना, कन्या जागृति ज्योति योजना (दो कन्या के जन्म पर वित्तीय सहायता), बालिका समृद्धि योजना किशोरी लड़की के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (35 किग्रा से कम वजन की 11-18 वर्ष की लड़कियों के लिए), स्वयंसिद्धा, महिला जागृति योजना, जनश्री बीमा योजना, रियायती यात्रा सुविधा (60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए), राष्ट्रीय क्रेश योजना, लिंग जागरूकता कार्यक्रम, उदीषा प्रशिक्षण कार्यक्रम (आंगनवाड़ी कार्यकताओं के लिए), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बीमा योजना चलाई जा रही है।

हरियाणा सरकार प्रयास

हरियाणा महिला विकास निगम, राष्ट्रीय महिला कोष की नोडल एजेंसी है। ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ स्टेप व नोराड (नार्वे एजेन्सी फार इंटरनेशनल डेवलपमेंट) के तहत भारत सरकार से सहायता प्राप्त कर ब्युटी कल्चर, टेलरिंग कम्प्यूटर, मोटर बाइंडिंग जैसे प्रशिक्षण दे रही है।

ग्रामीण-क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के अलावा महिला मंडल के अधीन गांव की महिलाएं संगठित हो रही हैं। ग्राम सेविका, मुख्य सेविका व महिला पर्यवेक्षक के तहत महिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राज्य में 6714 के लगभग महिला मंडल बनाए गए हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार के प्रयास

विभिन्न एन.जी.ओ. की सिफारिशों के आधार पर आंध्र प्रदेश सरकार ने जनवरी 2003 में राज्य-नीति घोषित कर उसमें निम्नलिखित मुद्दों को शामिल किया।

- रोकथाम
- दुर्व्यापार-निरोध स्कवाड
- बचाव
- आर्थिक सशक्तिकरण
- स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं
- शिक्षा व शिशु सुरक्षा
- आवास व नागरिक सुविधाएं
- विधिक सुधार

नीति में रोकथाम, बचाव और पुनर्वास सभी पहलुओं को शामिल किया गया। यह किसी राज्य सरकार द्वारा अनैतिक देहव्यापार रोकने के लिए सामाजिक संस्थाओं से मिलकर किया गया पहला प्रयास था। सरकारी स्तर पर वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ताकि एन.जी.ओ. के माध्यम से लाभार्थियों तक पहुंचा जाए। नीति में इस शोषण का शिकार बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

यौन-शोषण का शिकार बच्चे यौन-रोगों से संक्रमित होने के साथ-साथ भावनात्मक दृष्टि से भी कमजोर पड़ जाते हैं उन्हें परिवारों से मिलाना, परिवारों द्वारा उनको स्वीकार करना काफी कठिन प्रक्रिया होती है क्योंकि समाज के भय से परिवार उन्हें अपनाना नहीं चाहते हैं। यदि वे एच.आई.वी./एड्स से संक्रमित हो गए हों तो स्वीकृति की संभावनाएं शून्य हो जाती हैं इसलिए बचाव के बाद उन्हें आश्रय-गृहों में रखे जाने के प्रावधान किए गए हैं।

राज्य नीति के कार्यान्वयन के लिए जिला-स्तरीय समितियां बनाकर सभी संबंधित मंत्रालयों (स्वास्थ्य, शिक्षा, नीति व विधि) के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। कोई भी नीति तभी सफल होती है यदि उसका कार्यान्वयन भली-भांति किया जाए। आंध्र प्रदेश की ओर से एक अच्छी शुरुआत की गई।

महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल

महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन संबंधी संयुक्त राष्ट्र (कन्वेंशन) अभिसमय (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू.) शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखरेख, मताधिकार, राष्ट्रीयता और विवाह सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकारों की गारंटी देता है। महिलाओं के प्रति हर प्रकार के

भेदभावों के उन्मूलन संबंधी समिति अभिसमय पर हस्ताक्षर करने वाले समस्त देशों द्वारा महिलाओं की स्थिति के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदनों की समीक्षा करेगी। दक्षेस के सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

विश्व मानवाधिकार सम्मेलन, वियना, 1993

वियना घोषणा-पत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच मानवाधिकारों में किए गए भेदभावों का खंडन किया गया और पहली बार यह घोषणा की गयी कि न केवल न्यायालय, जेल ओर सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में बल्कि घर की एकांतता में भी महिलाओं के मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन, (आई.सी.पी.डी.) काहिरा 1994

इसकी कार्ययोजना में इस बात की पुष्टि की गई कि महिलाओं के अधिकार सभी मानवाधिकारों का अभिन्न अंग है। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि जब महिलाओं की हैसियत में सुधार करने के लिए साथ-साथ कदम उठाए गए, तब जनसंख्या और विकास कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावी हुए हैं। यह ऐसा पहला अन्तर्राष्ट्रीय मंच था जिसमें यह स्वीकार किया गया कि यौन-स्वास्थ्य का आनंद लेना प्रत्युपादन अधिकारों का अभिन्न अंग है।

संयुक्त राष्ट्र चौथा विश्व महिला सम्मेलन बीजिंग 1994

इस सम्मेलन में यह स्वीकार किया गया कि 'अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रणालियों के बावजूद सभी सरकारें महिलाओं के मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए उत्तरदाई हैं। इस दस्तावेज में सुस्पष्ट रूप से यह भी बताया गया कि महिलाओं के मानवाधिकारों की उपलब्धि के मार्ग में हिंसा बाधक है।

महिलाओं के प्रति हिंसा के उन्मूलन संबंधी घोषणापत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह चिंता व्यक्त की गई कि महिलाओं के कुछ समूह, जैसे अल्पसंख्यक समूह की महिलाएं, देशज, शरणार्थी, प्रवासी, ग्रामीण या दूरदराज के समाजों में रहने वाली, निराश्रित, संस्थाओं में रखी गई, निशक्त, वृद्ध, सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में महिलाएं विशेष रूप से हिंसा का शिकार बनती हैं। महिलाओं के प्रति हर प्रकार की हिंसा का उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारों का सुस्पष्ट होना व राज्यों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों के संबंध में प्रतिबद्धता जरूरी है।

महिलाओं के प्रति हिंसा में उनकी खरीद बिक्री व बलात वेश्यावृत्ति कराना शामिल है।

सम्पूर्ण जीवनचक्र के दौरान महिलाओं के प्रति हिंसा

प्रसव पूर्व- लिंग चयनात्मक गर्भपात, गर्भावस्था के दौरान मारना-पीटना, जबरदस्ती गर्भधारण, भ्रूण हत्या।

शैशव- भावनात्मक व शारीरिक शोषण, बालिकाओं को कम पोषक भोजन।

बचपन- बाल विवाह, जननांग विकृत करना, यौन-शोषण, बाल वेश्यावृत्ति।

किशोरावस्था- डेटिंग हिंसा, वेश्यावृत्ति, काम के स्थान पर यौन-शोषण, उत्पीड़न खरीद फरोख्त।

प्रजनक- पति/प्रेमी द्वारा शोषण, वैवाहिक बलात्कार, दहेज शोषण हत्या, मनोवैज्ञानिक शोषण, कार्यस्थल पर शोषण, बलात्कार।

वृद्धावस्था- विधवा शोषण, अधेड़ स्त्री शोषण।

अभिसमय (कन्वेंशन) में महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाली सभी प्रथाओं, चाहे वे संस्कृति में कितनी गहराई से सन्निहित है, का उन्मूलन किया जाना चाहिए न केवल कानून बल्कि संस्कृति का भी रूपांतरण करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया गया।

विश्व में दुर्व्यापार रोकने के लिए किए जा रहे सर्वोत्तम प्रयास प्रत्येक देश दुर्व्यापार की समस्या से निपटने के प्रयास कर रहा है। यदि विभिन्न देश किसी एक देश में किए जा रहे प्रयासों को अपने देश में कार्यान्वित कर सके तो संभवतः बेहतर परिणाम हासिल हो सकते हैं।

रोकथाम

जागरूकता अभियान- 'स्मार्ट बनें सुरक्षित रहें' ऐसे ब्रोशरों का वितरण पूरे समाज में होना चाहिए। किस प्रकार कहीं किसी अजनबी शहर में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट पर उतरकर ऐसे ब्रोशर लोगों के हाथ में दिए जाने चाहिएं कि कैसे पुलिस या एन.जी.ओ. आपकी मदद कर सकते हैं।

महिलाओं व बच्चों को गरीबी व आर्थिक अवसरों की कमी से वे इन दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स) का शिकार हो जाते हैं। वे विदेशों में अच्छी नौकरियों के लालच में आ जाते हैं। ऐसी नौकरियों के झांसे में आकर वे अपने मूल दस्तावेज इनको सौंप देते हैं जिन्हें यह अपने पास रख लेते हैं या नष्ट कर देते हैं उन्हें व परिवार की धमकियों से डरकर वे उनके कर्जे के बोझ तले ऐसा दब जाते हैं कि बाहर निकलना कठिन होता है।

जहां औरतें व बच्चों को सेक्स के लिए शोषित किया जाता है और यह दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) यौन-शोषण तक ही सीमित नहीं होती। इससे जबरन शादियां, बंधक मजदूर,

दुकानों, खेतों खलिहानों, घरेलू कामों में लगा दिया जाना भी शामिल है।

समय रहते संभलने में समझदारी- फैमिली हेल्थ इन्टरनेशनल्स 1999 के अनुसार एशिया में पहले से ही इस दिशा में काफी कार्य हो रहे हैं। थायलैंड में ट्रैफिक्ड सेवाओं की मांग को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। वहां ग्राहक छोटी उम्र के सेक्स-वर्कर की मांग करते हैं। वहां नेशनल कमीशन ऑफ वूमेन अफेयर के सख्त कदमों से थायलैंड पहला देश है जिसमें ग्राहकों पर जुर्माना लगाया जाता है, यदि व्यावहारिक यौन-कर्म कम उम्र के बच्चे के साथ किया जा रहा हो। भले ही कानून का कम प्रयोग हो रहा है पर भविष्य में अधिक प्रभावी होगा, पोस्टर अभियान के द्वारा लोगों की मानसिकता को बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक बच्चे के हाथ में पोस्टर है 'मेरे पिता वेश्या के पास नहीं जाते हैं।' यह पंक्ति हर पिता के कदम वेश्यालय में जाने से रोक सकते हैं। हर पिता अपने बच्चे के लिए आदर्श बनना चाहता है और बच्चों के सामने वह झूठा नहीं होना चाहिए।

अमेरिका में एक दलाल की आप बीती पर एक वीडियो बनाया गया है जिसमें एक पिम्प दलाल ने अपने बयान में बताया कि वे किस प्रकार माल-क्लबों में लड़कियों की भर्ती कर उन्हें अपना शरीर बेचने को विवश करते हैं। उनका गाय-बकरियों की तरह व्यापार किया जाता है उनसे उनके रुपए नहीं छीने जाते पर मीठी-चुपड़ी बातों व डिजाइनर हैंड बेगों से उन्हें ललचाया जा सकता है।

तीन वर्ष की जेल मिलने पर अपनी गलतियों का अहसास करते हुए उसका कहना था कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी मां बहन बेटी इस धंधे में आएं। मैंने अपनी ही नहीं दूसरों की ज़िन्दगी भी तबाह की है।

ऐसे संवेदनशील व हकीकतों के वीडियो का प्रसारण अपने देश में भी कर समाज को जागरूक किया जा सकता है।

मसाज पार्लर सप्ताह में सातों दिन चलने वाला धंधा है। ग्राहक अपनी गाड़ियां पार्लरों के बाहर नहीं कहीं दूर ही खड़ी करते हैं। लड़कियों को अक्सर रातभर जगकर भी काम करना होता है।

समाज को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी तभी इस समस्या का सामाजिक हल संभव होगा।

04 अप्रैल 2007 को प्रकाशित नेशनल एशियन पेसेफिक अमेरिका वूमेन फोरम (MAPAWD) के एंटी ट्रैफिकिंग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अपने आलेख में लिखा था।

'हम दूसरे देशों जैसे थाइलैंड व भारत की एंटी ट्रैफिकिंग नीतियों को अमलकर, अपने देश की नीतियों को बदल सकते हैं।'

उन्होंने कहा कि महिलाओं की ट्रैफिकिंग को महिलाओं के मानवाधिकारों के हनन के रूप में देखा जाना चाहिए और उसके मानवाधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

सुरक्षा

फिलीपीन्स में डिपार्टमेन्ट आफ जस्टिस ने महिलाओं के शोषण व हिंसा पर और बाल शोषण रोकथाम पर टास्क फोर्स गठित की है। इसमें हिंसा शोषण और भेदभाव के मामलों पर विचार किया जाता है उन्हें इस सदमे की स्थिति से उबरने के लिए व्यक्तिगत व ग्रुप थेरेपी के द्वारा डर, शर्म, अपराध डेनियल, आत्मदोष जैसी भावनाओं से ऊपर उठाया जाता है।

इन कार्यक्रमों में उन्हें काम, शिक्षा व वोकेशनल प्रशिक्षण आदि की जानकारी भी दी जाती है ताकि उनका आर्थिक अवलंबन सुदृढ़ हो सके। कई एन.जी.ओ. उन्हें अनुदान व तकनीकी सहायता देते हैं ताकि वे अपना कोई धंधा शुरू कर सकें।

यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका में 'ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट 2000' में आय संबंधित कानूनों में विद्यमान आपराधिक जुर्मानों को बढ़ाया गया है। ट्रैफिकिंग पीड़ितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ एक विकल्प यह भी उपलब्ध कराया गया है कि जो पीड़ित (विक्टिम) अपने दुर्व्यापारी (ट्रैफिकर्स) के अभियोग में सहायता करते हैं उन्हें टी-वीज़ा दिया जाता है जिस कारण वे उस दौरान यू.एस.ए. में रह सकें। इस दौरान उनकी निजता (प्राइवेसी) व पहचान को सुरक्षित रखा जाता है उन्हें समुचित आवास, काउंसलिंग चिकित्सा और अन्य सहायता, रोजगार प्रशिक्षण और ट्रांसिशन व रिइंटीग्रेशन के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

कोई व्यक्ति दुर्व्यापार का शिकार हुआ है उससे स्क्रीनिंग प्रश्नावली में स्वास्थ्य कार्यकर्ता उसकी मदद करने के लिए उससे निम्न प्रश्न पूछ सकता है। उससे सीधे प्रश्न नहीं बल्कि उसके अनुभव जानने का प्रयास कर सुनिश्चित करें कि वह हादसे का शिकार हुआ है। यदि वह किसी दूसरे देश का व्यक्ति है तो उसकी भाषा, उसकी संस्कृति को ध्यान में रखकर बातचीत करें और बातचीत अकेले में करें। उससे पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्नों में उससे यह जानकारी ली जाए कि यदि आप चाहते हैं तो क्या यह नौकरी या स्थिति को छोड़ सकते हैं

- क्या अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं
- यदि आपने जाने की कोशिश की तो आपको धमकाया गया।
- किसी तरह कोई शारीरिक क्षति पहुंचाई गई।
- आपके काम या रहने की स्थितियां कैसी हैं।

- आप कहां सोते और खाते हैं।
- क्या बिस्तर या जमीन पर सोते हैं।
- क्या आपको खाने, सोने या मेडिकल केअर से वंचित किया गया
- क्या खाने, सोने या बाथरूम जाने की अनुमति लेनी पड़ती है।
- क्या आपके दरवाजे व खिड़कियों पर ताले हैं कि कहीं आप भाग न जाएं।
- क्या किसी ने आपके परिवार को धमकाया है।
- क्या किसी ने आपकी पहचान व पासपोर्ट ले लिया है।
- क्या कोई काम आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है।

यदि ऐसा महसूस करते हैं तो एंटी ट्रैफिकिंग सेल को फोन करें। किसी दूसरे देश या स्थान से आए व्यक्तियों से ऐसी जानकारी कोई भी जागरूक नागरिक लेकर कानून, प्रवर्तन अधिकारियों को दे सकता है। संभवत जागरूक नागरिक की इस पहल, किसी शोषण का शिकार व्यक्ति की मददगार हो सके।

सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं- पीड़ित व्यक्ति को कई शारीरिक व मनोवैज्ञानिक समस्याएं हो सकती हैं उसे शारीरिक व अस्वस्थ वातावरण, अपर्याप्त भोजन, निजी साफ-सफाई का अभाव, शरीर पर चोट, मानसिक यंत्रणा मिल सकती हैं। उनकी स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल है।

- स्वास्थ्य समस्याओं यौन संक्रमित रोग, एच आई वी एड्स, पेल्विक दर्द, रेक्टल ट्रामा और यूरिनरी समस्याएं यौन उद्योग में लगे व्यक्तियों की हो सकती हैं।
- बलात्कार या वेश्यावृत्ति के कारण गर्भधारण या गर्भपात।
- यौन संक्रमित रोगों व असुरक्षित गर्भपातों के कारण आने वाला बांझपन।
- दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स) के तथाकथित 'डॉक्टरों' से इलाज के कारण होने वाले संक्रमण।

बाल यौन-शोषण रोकने में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के प्रयास- टोगो में शिक्षा ऋण कार्यक्रम महिलाओं को आय उपार्जक गतिविधियों के लिए ऋण देता है जिससे बच्चों को पैसा कमाने के लिए भेजने की आवश्यकता कम हो जाती है और इस बात के अवसर बढ़ जाते हैं कि बच्चे स्कूल पढ़ने जाएंगे। ऋण उन बच्चों के परिवारों को दिए जाते हैं जिनकी तस्करी हुई थी या जो परिवार जोखिम में माने जाते हैं। उनके बच्चे टोगो अथवा किसी अन्य देश में घरेलू नौकर का काम करने की बजाय कोई-धंधा सीखते हैं।

मैक्सिको में एक सरकारी कार्यक्रम आपर्च्युनिडपड्स गरीब बच्चों की स्कूल

उपस्थिति और स्वास्थ्य क्लीनिक उपस्थिति सुधारने में बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत माताओं को सीधे नकद रकम दी जाती है जिससे वे अपने बच्चों के स्कूल की फीस और सामग्री के दाम चुका सकें, भोजन खरीद सकें और उन्हें पर्याप्त पोषण दे सकें तथा समूचे परिवार को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने का खर्च उठा सकें।

अनैतिक देहव्यापार किसी भी देश के फौजदारी कानून में उस स्थिति के लिए कड़े दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, जब अनैतिक देहव्यापार का शिकार व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का हो। इसके लिए उपयुक्त न्यूनतम अनिवार्य सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग सेक्स के लिए बच्चों का शोषण करते हैं और उसके लिए पैसे देते हैं उन्हें सजा देना जरूरी है चाहे उन्हें बच्चों की उम्र मालूम हो या नहीं।

स्वीडन में यौन-सेवाओं की खरीद निषेध अधिनियम 1998-408 के अंतर्गत मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति को बिल्कुल न बर्दाश्त करने की नीति स्थापित की गई है। इसमें यौन सेवाओं की खरीद पर पाबंदी है। इसके अंतर्गत विक्रेता की बजाय खरीदार को सजा दी जाती है। इस कानून के अंतर्गत वेश्यावृत्ति के शिकार लोगों को कोई आपराधिक या कानूनी दंड नहीं दिया जाता है। कानून में कहा गया है, 'जो व्यक्ति एक बारगी सेक्स के लिए पैसे देता है उसे सेक्स सेवाओं की खरीद का दोषी माना जाएगा और उसे जुर्माना देना होगा या कम से कम छह महीने की कैद की सजा होगी।' स्वीडन की दंड संहिता के अध्याय 23 के अंतर्गत ऐसी कोशिश के लिए भी दंड दिया जाता है।

चीन में अपराध संहिता के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत व्यवस्था है कि यदि होटल, मनोरंजन उद्योग या टैक्सी सेवा का कोई कर्मचारी वेश्यावृत्ति के लिए कोई व्यवस्था करता है तो उसे दंड दिया जाएगा।

बेल्जियम में अपराध प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 382 के अंतर्गत नाबालिगों से वेश्यावृत्ति कराने और शोषण के लिए दंड के प्रावधान में अपराधी को शराबखाना, रोजगार, एजेंसी तम्बाकू की दुकान, नाच-गाने के आयोजन वाले कैफे, बॉलरूम, मसाज पार्लर या मैनीक्योर सलून चलाने से प्रतिबंधित करना शामिल है। इसके अलावा अदालत उन प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश भी दे सकती है जहां इस तरह के अपराध किए जाते हैं और अपराधियों को ऐसी संस्थाओं में पढ़ाने से रोक सकती है जहां नाबालिग पढ़ते हों।

मैडागास्कर में वेश्यावृत्ति के लिए मानव की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध है। दंड संहिता के अनुच्छेद 334 (उप पैरा (1)-(4) के अन्तर्गत 2 से 5 वर्ष तक की अतिरिक्त सजा दी जाएगी, अगर इसके शिकार व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है।

अगर जोर-जबरदस्ती, अधिकार का दुरुपयोग या धोखाधड़ी की गई या अगर अपराधी, पीड़ित व्यक्ति का पति/पत्नी, माता-पिता, अभिभावक या शिक्षक है अथवा उस पर वेश्यावृत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने, जनस्वास्थ्य की रक्षा करने या लोक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है।

जाम्बिया में सरकार ने बाल-सेक्स पर्यटन की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए पर्यटन अपराध अधिनियम 2003 के नाम से नया कानून बनाया है। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों का यौन-शोषण एक अपराध है और इस अपराध का दोषी पाए जाने पर कड़े दंड की व्यवस्था है। इसके अलावा जाम्बिया पर्यटन प्राधिकरण के तत्वावधान में मार्च 2003 में पर्यटन में बच्चों के यौन शोषण के बारे में एक बहु-एजेंसी राष्ट्रीय कार्यदल की स्थापना की गई थी। इस कार्यदल में सरकारी विभाग, यूनिसेफ, गैर-सरकारी संगठन, टूर संचालक और होटल तथा रेस्तरां मालिक शामिल हैं। यह कार्यदल ट्रैवल एजेंटों, टूर संचालकों और होटल/रेस्तरां तथा बार मालिकों के लिए पर्यटन आचार-संहिता तैयार कर रहा है।

कनाडा ने अपनी अपराध-संहिता (बाल वेश्यावृत्ति, बाल सेक्स पर्यटन, बाल अश्लीलता, बाल अश्लीलता और इंटरनेट, आपराधिक उत्पीड़न और महिलाओं के जनानांग भंग करना) में विधेयक सी 27 और विधेयक सी 15ए को शामिल करने के लिए संशोधन किया है जो सीमाओं से बाहर लागू हो सकने वाले कानून बनाते हैं जिनसे विदेशों में रहते हुए बच्चों का यौन शोषण करने वाले कनाडा के नागरिकों पर कनाडा में मुकदमा चलाया जा सकता है।

फिलिपींस में वेश्यावृत्ति के लिए चर्चित समुदायों में लड़कों और पुरुषों पर केंद्रित एक शिक्षण परियोजना चल रही है। यह परियोजना पुरुषों को वेश्यावृत्ति में लड़कियों और महिलाओं के खरीददार के रूप में उनकी भूमिका की पहचान कराती है, साथ ही पुरुषों और लड़कों को वेश्यावृत्ति और तस्करी के बारे में जागरूक भी करती है।

बच्चों को यात्रा और पर्यटन उद्योग (द कोड) में यौन-शोषण से संरक्षण देने की आचार-संहिता एक ऐसी परियोजना है जो पर्यटन क्षेत्र को बाल अधिकारों से जुड़े गैर-सरकारी संगठन एंड चाइल्ड प्रास्टिट्यूशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड द ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन फार सेक्सुअल परपजेज, वर्ल्ड टूरिज्म आर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ से जोड़ती है। इसका लक्ष्य पर्यटन स्थलों पर बच्चों का यौन-शोषण रोकना है।

टूर संचालक ओर उनके संरक्षक संगठन, ट्रैवल, एजेंट, होटल और एअरलाइंस आदि जो इस आचार संहिता का अनुमोदन करते हैं वे निम्नलिखित उपाय अपनाने का संकल्प लेते हैं:

1. बच्चों के व्यावसायिक यौन-शोषण के विरुद्ध सम्मिलित नैतिक नीति बनाना
2. यात्रियों के मूल देश और पर्यटन स्थल में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना
3. सप्लायर्स के साथ अनुबंध में उन धाराओं को शामिल करना जिनमें बाल यौन-शोषण को समान रूप से नकारा जाए
4. यात्रियों को कैटलॉग, पर्चों, उड़ान के दौरान फिल्मों, टिकट रसीदों और वेबसाइट्स आदि के माध्यम से सूचना प्रदान करना
5. पर्यटन स्थलों पर स्थानीय सम्पर्क योग्य व्यक्तियों को सूचना प्रदान करना
6. वार्षिक रिपोर्ट देना।

ऑस्ट्रेलिया ने चाइल्ड वाइज टूरिज्म कार्यक्रम के लिए धन दिया है जिसमें पर्यटन उद्योग, सरकारी एजेंसियां और स्थानीय समुदाय आधारित संगठन मिलकर बाल सेक्स पर्यटन के बारे में शिक्षण और जागरूकता बढ़ाते हैं। यह कार्यक्रम होटलों, यात्रा गाइड़ों, ट्रैवल एजेंसियों और एअरलाइंस सहित पर्यटन उद्योग को प्रथाओं के बारे में जानने और बाल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए खुद कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित करता है।

फ्रांस में शिक्षा मंत्रालय और यात्रा उद्योग के प्रतिनिधियों ने पर्यटन स्कूल के पाठ्यक्रम के लिए बाल यौन-पर्यटनसंबंधी दिशा-निर्देश विकसित किए हैं। इसके साथ ही सरकारी नियंत्रण वाली एअर फ्रांस एअरलाइंस उड़ान के दौरान खिलौनों की बिक्री से हुई आमदनी का एक हिस्सा बाल सेक्स पर्यटन जागरूकता कार्यक्रमों पर खर्च करती है। एअरफ्रांस उड़ान के दौरान दिखाने के लिए वीडियो फिल्में भी बनाती है जिससे बाल सेक्स पर्यटन के बारे में जागरूकता बढ़ सके। यह वीडियो फिल्में पर्यटन स्थलों तक उड़ान के दौरान दिखाई जाती हैं।

गेबॉन में एक अभिनव परियोजना के अंतर्गत स्थानीय टैक्सियों को विंडशील्ड स्टिकर्स बांटे जाते हैं ताकि टैक्सी चालकों और उनके ग्राहकों में बाल तस्करी तथा शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ सके।

थाईलैंड में आपराधिक प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 1999 बच्चों को गुप्त माहौल में वीडियो टेप पर गवाही देने की अनुमति देता है ताकि बच्चों का बार-बार उत्पीड़न न हो।

इस्राइल में यौन-शोषण के शिकार बच्चे अदालत से बाहर एक विशेष युवा वकील के सामने गवाही दे सकते हैं।

बेनिन में ग्राम समितियों के गठन की शुरुआत देश के दक्षिणी हिस्से से हुई जहां बच्चों

की तस्करी सबसे अधिक होती है। वहां अब 900 से अधिक ग्राम समितियां हैं। यह समितियां अपने गांवों में बच्चों के यौन या अन्य प्रकार के दुरुपयोग के संदिग्ध मामलों, बच्चों को चोरी-छिपे ले जाए जाने और तस्करी के शिकार हुए बच्चों की सूचना देकर बच्चों की आवाजाही पर सामाजिक निगरानी रखती हैं। इसके अतिरिक्त यह समितियां इस बात की भी निगरानी करती हैं कि तस्करी के शिकार बच्चे जब गांवों में लौट आते हैं तो उनका फिर से सामाजिक मेलजोल कैसे होता है। जब कोई बच्चा गांव छोड़कर जाता है तो समिति बहुत तेजी से लापता बच्चे की तलाश करती है और नजदीक की जेंडरमेरी यूनिट या किशोर-संरक्षण दस्ते को सतर्क कर देती है। अनेक मामलों में इस त्वरित कार्रवाई ने बहुत से बच्चों को पड़ोस के देशों में भेजने की कोशिश नाकाम कर दी। ग्राम समितियां मौके पर निगरानी कर सकती हैं, जिससे स्थानीय बच्चे की तत्काल निगरानी, चेतावनी देने और कामों का बंटवारा करने को बढ़ावा मिलता है। इस तरह इस काम में शामिल हर व्यक्ति की निश्चित भूमिका सौंपी जा सकती है। समिति गांवों में जन्म और मृत्यु के सही रजिस्टर भी रखती है जिससे जनसंख्या की नवीनतम सूचना उपलब्ध रहती है इस तरह बच्चों की वर्तमान अवस्थिति व आवाजाही को बेहतर समझा जा सकता है।

अंगोला सरकार ने जन्म पंजीकरण को निशुल्क कर दिया और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और विकेंद्रित करने के लिए विशेष कानून बना दिया सरकार ने कुछ गिरिजाघरों को बच्चों का पंजीकरण करने का कानूनी अधिकार दे दिया।

ई. सेक्स पर्यटन निषेधक प्रावधान

गाम्बिया के सेक्स पर्यटन अधिनियम (2003) पर आधारित व्यवस्था

1. अगर कोई पर्यटक या अन्य व्यक्ति बच्चे को-

क. किसी व्यक्ति के साथ यौन-संसर्ग के लिए,

ख. वेश्यावृत्ति के लिए, चाहे प्राप्त किया गया बच्चा पहले से वेश्याकर्म करता हो या नहीं;

ग. वेश्यालय में रहने या वेश्यालय में आने-जाने के लिए चाहे प्राप्त किया गया बच्चा पहले से वेश्यालय में रहता हो या नहीं;

तो वह अपराधी माना जाएगा और उसे 10 वर्ष तक की जेल की सजा दी जा सकती है।

2. अगर कोई पर्यटक या बच्चे के साथ विश्वास या अधिकार की स्थिति वाला कोई व्यक्ति या बच्चे के साथ निर्भरता के रिश्तेवाला व्यक्ति यौनकर्म के लिए-

क. बच्चे को शरीर के किसी अंग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी वस्तु से स्पर्श करता है; या

ख. बच्चे को किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी वस्तु से स्पर्श करने के लिए आमंत्रित करता है या परामर्श देता है जिसमें आमंत्रित या परामर्श देने वाले व्यक्ति का शरीर शामिल है;

तो वह अपराधी माना जाएगा और उसे कम से कम पांच वर्ष की जेल की सजा दी सकती है।

वेश्यावृत्ति से सम्बद्ध हवाई के विधेयक (2004) पर आधारित व्यवस्था

1. कोई ट्रैवल एजेंसी या चार्टर टूर आपरेटर ऐसी यात्रा सेवाओं की बिक्री, विज्ञापन या यात्रा की व्यवस्था की पेशकश नहीं करेगा

क. जो व्यावसायिक यौन-कर्म में लिप्त होने के लिए हों;

ख. या जिनमें पर्यटकों को लुभाने के लिए यौन-कर्म के उपयोग और पेशकश वाले पर्यटन पैकेज या गतिविधियां शामिल हों;

ग. या जो सेक्ससंबंधी या सेक्स-सेवाओं की उपलब्धता में सहायता करे या ऐसी सेवाएं प्रदान करे या प्रदान करने का संकेत दे।

आस्ट्रेलिया के अपराध (बाल सेक्स पर्यटन) संशोधन अधिनियम (1994; संख्या 105, डिविजन 2: विदेशों में बच्चों के साथ यौन अपराध पर आधारित व्यवस्था।)

1. कोई भी व्यक्ति 16 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को आस्ट्रेलिया से बाहर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ यौन-कर्म में लिप्त होने के लिए लालच नहीं देगा। इस देश के किसी भी नागरिक के लिए 16 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के साथ आस्ट्रेलिया से बाहर यौनकर्म में लिप्त होना गैरकानूनी है। उपरोक्त अपराध में लिप्त होने के दोषी पाए गए नागरिकों, निवासियों, कंपनियों या निगमों को 17 वर्ष तक की कैद की सजा दी जा सकती है।

जापान में अभियोजन तहकीकात कानून 12 मई 2000 के अन्तर्गत पीड़ित बच्चों के संरक्षण की व्यवस्था है। पूछताछ के दौरान बच्चे के साथ कोई व्यक्ति रहता है, उसे बचाव पक्ष या अल्प प्रेक्षकों से छिपाकर रखा जाता है और उससे वीडियो लिंक के जरिए पूछताछ की जाती है।

फिलिपीन्स में व्यक्तियों की तस्करी निषेध अधिनियम 2003 के अन्तर्गत जब्त की गई परिसंपत्तियों के लिए एक न्यास कोष की स्थापना का प्रावधान है।

साइप्रस में व्यक्तियों की तस्करी और बच्चों का यौन-शोषण रोकने से सम्बद्ध कानून 2000 के अनुच्छेद 8 के अन्तर्गत शोषित व्यक्ति को शोषक के खिलाफ

विशेष और सामान्य क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार है। सामान्य क्षतिपूर्ति का आकलन करते समय अदालत शोषण के दायरे, शोषण से शोषक को हुए लाभ, पीड़ित व्यक्ति के लिए भविष्य की संभावनाओं और उन पर इस अपराध के कारण पड़े विपरीत प्रभाव की व्यापकता पर ध्यान दे सकती है। अदालत उपयुक्त दंडात्मक परिस्थितियों में दंडात्मक क्षतिपूर्ति का आदेश भी दे सकती है।

भारत सरकार विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा अपनाई जा रही 'सर्वोत्तम प्रक्रियाओं' को भारतीय सन्दर्भ में कुछ संशोधनों के साथ अपना सकती है। उदाहरण के तौर पर बलात्कार पीड़िता के लिए बनाए गए कोष की तरह अवैध देह व्यापार के शिकार लोगों के लिए भी कोष बनाया जा सकता है जैसा कि प्रेरणा एन जी ओ के द्वारा प्रस्ताव भी दिया गया है। बच्चों की गवाही को वीडियो कान्फ्रेसिंग के द्वारा किए जाने को हमारा यहां पहले ही अपनाया जा रहा है। इसी तरह उपर्युक्त अन्य प्रयासों को भी अपनाकर बच्चों के लिए सुखद व सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ा जा सकेगा।

भारत सरकार ने वर्ष 2000 में यू एन कनवेंशन अगेन्स्ट ट्रांसनेशनल आर्गेनाइज्ड क्राइम (यू.एन.टी.ओ.सी.) पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें विशेष रूप में महिलाओं व बच्चों के अनैतिक व्यापार को रोकना, उन्मूलन और दंडित करना शामिल है। महिला व बाल विकास विभाग ने एक केन्द्रीय सलाहकार समिति गठित की है जो अनैतिक व्यापार व बच्चों के व्यावसायिक यौन-शोषण को रोकने के लिए विधिक व कानूनी प्रक्रियाओं का प्रवर्तन कर सके।

बाल-वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए गठित केन्द्रीय सलाहकार समिति नियमित बैठकें कर बचावपूर्व बचाव व बचाव उपरान्त परिचालनों पर कार्य विधि विकसित कर चुकी है। पुलिस अधिकारियों के संवेदीकरण के लिए मैनुअल तैयार किया गया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में यह व्यवस्था है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि महिलाओं के सम्मान को आहत करने के लिए किसी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार न करें। दूसरे आई पी सी की धारा 294 के तहत किया 'अश्लील' कृत्य अथवा व्यवहार के लिए दंड देने का प्रावधान है। महिलाओं का अशोभन चित्रण (प्रतिबंध) अधिनियम 1986 के तहत किसी भी प्रकार से किसी प्रकाशन, लेखन, चित्र अथवा विज्ञापन के माध्यम से महिला का अशोभन चित्रण पर प्रतिबंध है।

उज्ज्वला

अनैतिक व्यापार निवारण तथा व्यावसायिक यौन शोषण के प्रयोजनार्थ अनैतिक व्यापार के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनर्समेकन की व्यापक योजना

पृष्ठभूमि :

1. व्यावसायिक यौन-शोषण के उद्देश्य से महिलाओं एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार ऐसा संगठित अपराध है, जो मौलिक मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। भारत देश के भीतर और सीमा-पार, दोनों प्रकार के अनैतिक व्यापार का स्रोत, गंतव्य और पारगमन केन्द्र बन गया है। महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार की समस्या अपनी असंख्य जटिलताओं और स्वरूपों के कारण अन्य समस्याओं की अपेक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण है। गरीबी, महिलाओं की निम्न सामाजिक स्थिति, सुरक्षात्मक वातावरण का अभाव इत्यादि अनैतिक व्यापार के कारणों में शामिल हैं।
2. विशेषकर इस समस्या से प्रभावित क्षेत्र और जनसमुदाय में अनैतिक व्यापार की रोकथाम के लिए निवारक उपाय करने वाले तथा अनैतिक व्यापार पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनर्समेकन में सहायता करने वाले बहु-क्षेत्रक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
3. उपर्युक्त मुद्दों तथा कमियों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने 'अनैतिक व्यापार के निवारण तथा अनैतिक व्यापार पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनर्समेकन की व्यापक योजना- उज्ज्वला' शीर्षक से केन्द्रीय योजना तैयार की है। यह नई योजना मुख्यतः एक ओर अनैतिक व्यापार का निवारण करने तथा दूसरी ओर पीड़ितों का बचाव एवं पुनर्वास करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

योजना के उद्देश्यः

- व्यावसायिक यौन-शोषण के उद्देश्य से किए जाने वाले महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार का निवारण सामाजिक एकजुटता एवं स्थानीय समुदायों की भागीदारी, जागरूकता कार्यक्रमों, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के जरिए सार्वजनिक विचार-विमर्श के अवसरों तथा ऐसे अन्य अभिनव कार्यकलापों के माध्यम से करना।

लक्षित वर्ग/लाभार्थी

- ऐसी महिलाएं और बच्चे, जो व्यावसायिक यौन-शोषण के प्रयोजनार्थ अनैतिक व्यापार से पीड़ित हो सकते हैं।
- ऐसी महिलाएं और बच्चे, जो व्यावसायिक यौन-शोषण के प्रयोजनार्थ अनैतिक व्यापार से पीड़ित हैं।

पुनर्समेकन :

अंतरिम गृहों की स्थापना : अंतरिम गृह समुदाय के बीच स्थित ऐसा गृह होता है, जहां पुनर्समेकन के लिए तैयार पीड़ित महिलाएं/बालिकाएं रहती हैं तथा जहां से वे अपने कामकाज के लिए बाहर जाती हैं। इन गृहों का कार्य ऐसी महिलाओं/बालिकाओं को संरक्षण एवं पुनर्वास गृह से निकालकर समुदाय में आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए तैयार करना है। अंतरिम गृह ऐसी पीड़ितों के लिए स्थापित किया जाता है, जो लाभदायक रोजगार में लगी हों तथा न्यूनतम पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए आंशिक रूप से आत्मनिर्भर जीवन जी सकती हों। यह समाज में पीड़ितों के चरणबद्ध पुनर्समेकन का कार्यक्रम है।

परिवारों में वापसी- गंतव्य क्षेत्र से पीड़ित के गृहनगर/गांव तक पीड़ित एवं उसके मार्गरक्षी की यात्रा और उस यात्रा के दौरान उसके भोजन तथा तत्संबंधी अन्य मदों पर किया जाने वाला खर्च इस योजना में शामिल किया जाएगा।

देश-वापसी (सीमा-पार से लाई गई पीड़ित)

देश-वापसी प्रक्रिया में सहायता- पीड़ितों के लिए देश-वापसी आदेश प्राप्त करने की विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति पर किए जाने वाले खर्चों का प्रावधान इस योजना में किया जाएगा।

पीड़ितों की स्वदेश-वापसी- सीमा-पार की पीड़ितों की यात्रा तथा गंतव्य क्षेत्र से उनके देश या देश की सीमा तक मार्गरक्षी सहायता, पीड़ित की यात्रा की यात्रा के दौरान उसके भोजन तथा तत्संबंधी अन्य मदों पर किए जाने वाले खर्च का प्रावधान भी इस योजना में किया जाएगा।

पारगमन केंद्रों की स्थापना- सीमा चौकियों पर पारगमन शिविरों की स्थापना, भोजन तथा तत्संबंधी अन्य खर्चों के लिए निधियों का प्रावधान किया जाएगा।

देवदासी सुधार-उपाय

यौनकर्मियों के जीवन में सुधार लाने के प्रयासों में देवदासी परम्परा के उन्मूलन की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

इस समस्या के सामाजिक पहलुओं पर ध्यान कुछ सामाजिक व स्वैच्छिक संगठनों की ओर से दिया जा रहा है। इन प्रयासों में उनको चिकित्सा-मार्गदर्शन, उन्हें संगठित करने, उन्हें वैवाहिक-जीवन अपनाने और अंधविश्वासों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके आर्थिक पुनर्वास की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि अधिकांशतः देवदासियां गरीब परिवारों से होती हैं और केवल अंधविश्वास के कारण वे देवदासी बनी हैं ऐसा नहीं है। देवदासी बनने पर उनके परिवार का भरण-पोषण होता है इस कारण वे इससे जुड़ी रहती हैं। इसलिए मात्र अंधविश्वासों से मुक्ति इसका उपाय नहीं है, जब तक उन्हें आय के वैकल्पिक संसाधन नहीं उपलब्ध करवाए जाते।

विभिन्न राज्य सरकारों ने वेश्यावृत्ति के इस धार्मिक रूप को समाप्त करने के लिए कानून पारित किए हैं उनमें से प्रमुख हैं

1. द बाम्बे देवदासी अधिनियम, 1934
2. देवदासी (समर्पण की रोकथाम) मद्रास अधिनियम 1982
3. कर्नाटक देवदासी (समर्पण पर प्रतिबंध) अधिनियम 1982
4. आंध्र प्रदेश देवदासी (समर्पण पर प्रतिबंध) अधिनियम 1986

इन अधिनियमों के पारित होने के, उदार पुनर्वास सहायता, देवदासी न बनाए जाने के लिए अभियान चलाने, शिक्षा आदि जैसे उपायों के बावजूद देश के कई भागों विशेष रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक के सूखाग्रस्त व अत्यधिक गरीबी वाले इलाकों में यह आज भी विद्यमान है। पहले इस परम्परा के साथ भक्ति का पुट विद्यमान रहता था परन्तु अब इसे यौन कर्म के साथ ही जोड़कर देखा जाता है।

विभिन्न राज्य सरकारों ने आर्थिक व सामाजिक पुनर्वास के उपाय किए हैं।

स्वाधार योजना- इस योजना के तहत परिवार में उपेक्षित निराश्रित महिलाओं, जेल से अवमुक्त महिलाओं, वेश्यावृत्ति से पीड़ित एवं नैतिक खतरों से ग्रस्त महिलाओं तथा बालिकाओं को अस्थाई आवास तथा पुनर्वास उपलब्ध कराना है। उपलब्ध कराई गई सेवाओं में चिकित्सा, परामर्श, विधिक सहायता देने के साथ प्रशिक्षण एवं पुनर्वासन की सुविधाएं आदि शामिल है। भारत सरकार के सहयोग से वर्तमान समय में मथुरा जनपद के वृंदावन में निराश्रित महिलाओं हेतु स्वाधार केन्द्र आश्रय सदन संचालित है।

अल्पावास गृह- इस योजना के तहत पारिवारिक समस्याओं, मानसिक

तनाव, सामाजिक बहिष्कार, शोषण एवं अन्य नैतिक खतरों से ग्रस्त महिलाओं तथा लड़कियों की सुरक्षा के लिए उन्हें अस्थाई आवास तथा पुनर्वासन उपलब्ध कराया जा रहा है। इन गृहों में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में चिकित्सा सुविधा, मनोवैज्ञानिक उपचार, केस वर्क सेवाएं, व्यावसायिक उपचार, शैक्षणिक तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण मनोरंजन सुविधाएं शामिल हैं। महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए शिक्षात्मक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं इस योजना के तहत कानूनी साक्षरता शिविर पर कानूनी कार्रवाई प्रशिक्षण, प्रचार सामग्री, संगोष्ठियां तथा कार्यशालाएं आयोजित करने तथा महिलाओं के साथ हिंसा पर अध्ययनों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न अभिकरणों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के साथ सामाजिक अपराधों की रोकथाम के लिए जनसाधारण को कानूनों एवं उनके प्रवर्तन की जानकारी देता है।

स्ट्रीट चिल्ड्रन- सड़कों पर घूमने वाले निराश्रित बच्चों को ऐसी परिस्थिति से निकाल कर राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य है।

बाल गृह (शिशु)- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत 0 से 10 वर्ष तक की उम्र के निराश्रित, परित्यक्त अथवा कतिपय कारणों से जैविक माता-पिता द्वारा जानबूझकर परित्याग किए हुए बच्चों की देखभाल एवं उनके पारिवारिक संरक्षण/दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनर्वास्थित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के 5 जनपदों आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा एवं रामपुर में आवासीय गृह स्थापित किए गए हैं।

स्वाधार-कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए मंत्रालय द्वारा वर्ष 2001-02 में यह योजना शुरू की गई थी।

यद्यपि, सामाजिक संस्था के रूप में भारतीय परिवार अपने सदस्यों को मानसिक व भौतिक समर्थन देने के लिए सुप्रसिद्ध है, तथापि यह विशेषकर कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की जरूरतों को पूरा कर पाने में कई बार विफल रहता है। इन महिलाओं में विधवाएं, निराश्रित व परित्यक्त, पूर्व महिला कैदी, खरीद-फरोख्त की शिकार और वेश्यालयों से छुड़ाई गई महिलाओं सहित यौन-शोषण व अपराधों से पीड़ित महिलाएं, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बेघर हो गई प्रवासी या शरणार्थी महिलाएं, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाएं, आतंकवादी हिंसा आदि की शिकार हुई महिलाएं शामिल हैं। अक्सर आसन्न या विस्तारित परिवार का समर्थन न मिलने के कई कारण हैं, जैसे पारिवारिक आर्थिक अस्थिरता, संयुक्त परिवार प्रणाली की समाप्ति, वंचित महिलाओं के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह तथा ऐसी महिलाओं के प्रति व्याप्त दृष्टिकोण। कभी-

कभी समाज स्वयं ऐसी महिलाओं को उप-मानवीय को जीवन बिताने के लिए बाध्य करता है। बहुधा तंगहाल में संवेदनशील महिलाएं अपनी स्वयं की जीवन रक्षा और कभी-कभी अपने आश्रित बच्चों की उत्तरजीविता व भरण-पोषण हेतु भिखारिनें या वेश्याएं बन जाती हैं।

वृद्धावस्था गृह, अल्पावास गृह, नारी निकेतन आदि के माध्यम से किए जा रहे बहुत ही सीमित राजकीय प्रयासों के तहत ऐसी महिलाओं की रंचमात्र समस्याओं का ही निराकरण हो पाता है। इसीलिए, विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत विविध स्थितियों में तंगहाल में जीवनयापन कर रही विभिन्न प्रकार की महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'स्वाधार' नामक स्कीम एक अधिक लचीले एवं अभिनव दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई है। स्वाधार स्कीम का उद्देश्य एक गृह आधारित समग्र एवं समेकित दृष्टिकोण से कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के प्रत्येक समूह की विशिष्ट असुरक्षाओं से मुकाबला करना है।

ऐतिहासिक निर्णय(न्यायालयों की पहल)- विशाल जीत बनाम भारत सरकार व अन्य (1993, 3 एस.सी.सी. 318) यह जनहित याचिका लड़कियों, देवदासियों व जोगिनों को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने के संबंध में थी जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि उसका पुनर्वास किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विभिन्न अधिनियमों के तहत पुनर्वास की व्यवस्था होने के बावजूद स्थितियां अच्छी नहीं है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों को अपनी नीतियों का आकलन कर सुधार के उपायों को कार्यान्वित करना चाहिए। कोर्ट ने दलाल दलाली, ब्रोकरी और वेश्यागृह के मालिकों के विरुद्ध तुरंत व कठोर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया और अन्य बातों के साथ-साथ पुनर्वास गृहों के लिए अलग से मंडल स्तरीय सलाहकार समितियां बनाने के लिए भी कहा।

कोर्ट का यह कहना था कि यह बेहद दुखद स्थिति है कि गरीबी के कारण गरीब परिवारों के बच्चे व लड़कियों को जबरदस्ती देहव्यापार में लगा दिया जाता है। यह घोर अनैतिक व मानवता के विरुद्ध है। इस बुराई को हर स्तर से खत्म करने के प्रयास करने चाहिए। कोर्ट ने विभिन्न अध्ययन करने व प्रभावी प्रयास शुरू करने के लिए कहा।

इसके साथ ही गौरव जैन बनाम भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अमल करते हुए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने अवैध देहव्यापार (ट्रैफिकिंग) को कम करने के लिए कई प्रयास किए। जिनमें से प्रमुख हैं

- व्यावसायिक यौनशोषण का शिकार महिलाओं के बच्चों की समस्या से निबटने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समितियां गठित की गईं। कमेटी की

विभिन्न सिफारिशें सम्बद्ध मंत्रालयों के पास कार्यान्वयन के लिए भेजी गईं।

- वेश्याओं, बाल-वेश्याओं व उनके बच्चों की समस्याओं पर विचार करने के लिए विभाग की ओर से अध्ययन करने के लिए कमेटी गठित की गई।

इस कमेटी ने राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.पी.ए.) की सिफारिश की जिसे 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अनुमोदित किया।

अगस्त 2007 में प्रजावाला, एन.जी.ओ. द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश एस.बी. सिन्हा और एच.एस. बेदी की पीठ ने यह फैसला सुनाया कि जो बच्चे अवैध रूप से भारत लाकर यौनकर्म में धकेल दिए जाते हैं, पकड़े जाने पर उन्हें अपराधी नहीं बल्कि पीड़िता माना जाना चाहिए।

एन.जी.ओ. की दलील थी कि ऐसे बच्चों के विरुद्ध विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे अवैध विदेशी की बजाए अनैतिक देहव्यापार का शिकार होकर पीड़ित हैं।

पीठ ने महिला व बाल विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय को इस दिशा में आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा ताकि मानव तस्करी के अलावा यौन कर्मियों व उनके बच्चों की स्थितियों में सुधार हो सके।

मुम्बई हाई कोर्ट के प्रयास- विभिन्न समाचार-पत्रों में नाबालिग लड़कियों को व्यावसायिक यौनकर्म में लगाये जाने के संबंध में छपी खबरों को ध्यान में रखकर मुम्बई हाई कोर्ट ने स्व प्रेरित होकर महिला व लड़कियों के अधिकारों के संबंध में निर्णय दिए। स्व प्रेरित याचिका संख्या 112 में जनवरी 1996 में चीफ जस्टिस एम बी शाह और जस्टिस ए.वी. सांवत ने कई निर्णय दिए।

कोर्ट के यह निर्देश इस बात के गवाह हैं कि न्यायपालिका महिला व बच्चों के मानवाधिकारों को लेकर चिंतित है। कोर्ट ने उनके आवास, मेडिकल उपचार, पुनर्वास, प्रत्यावर्तन और बाद में भी उनकी स्थिति की निगरानी जैसे विषयों पर निर्देश जारी किए।

- कोर्ट को यह आपत्ति थी कि अवयस्क लड़कियों को न्यायिक प्राधिकारियों ने 'यौनकर्मी' माना।
- कोर्ट के निर्देशों पर अमल करते हुए पुलिस ने कई स्थानों पर छापे मारकर लड़कियों को छुड़ाया। उनमें से जिन्हें एच.आई.वी., टी.बी. जैसी बीमारियां थीं उनके इलाज की व्यवस्था की गई।
- कई सरकारी विभागों व एन.जी.ओ. को उनकी काउंसलिंग करने के लिए निर्देश दिए। एन.जी.ओ. को समुचित कानूनी अधिकार दिए गए कि वे कानून लागू करवाने वाले व न्याय पालिका के साथ काम कर सके।
- हाई कोर्ट ने उसके पुनर्वास प्रयासों की निगरानी रखनी शुरू की ताकि छुड़ाई गई लड़कियों को उनके शहरों व दूसरे देशों में सुरक्षित पहुंचाया जाए।
- छुड़ाए जाने के समय लड़कियों के मानवाधिकारों का हनन न हो इसके लिए भी कोर्ट निगरानी रखता है।
- कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि छापे के दौरान लड़कियों के सब सामान व रुपए पैसे को भी छुड़ाया जाए और उन्हें दे दिया जाए।
- कोर्ट ने पुलिस व एन.जी.ओ. को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि उनके बच्चों के मानवाधिकारों का भी हनन न हो।
- हाई कोर्ट के निर्देशों के प्रभाव से सरकारी एजेंसियों व एन.जी.ओ. ने मिलकर कई संयुक्त कार्यक्रम चलाए हैं जैसे इंडो नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग, ताकि नेपाल से लड़कियां न लाई जा सकें।
- हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को छुड़ाई गई प्रत्येक लड़की को प्रतिमाह रु. 1000/- दिए जाने का निदेश दिया।
- चूंकि ये लड़कियां कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होती हैं, इसलिए उनका समुचित मेडिकल उपचार व काउंसलिंग की जाए।
- बचाव-कार्यों पर अधिक ध्यान देने के लिए कोर्ट ने सरकार को कहा।
- सरकार ने छुड़ाई गई लड़कियों के लिए आवास की समुचित व्यवस्था करने के लिए नीति बनाने के लिए कहा।

दिल्ली हाई कोर्ट में रिट याचिका एन 532/92 हानेस्ट आर्गेनाइजेशन दिल्ली के अध्यक्ष श्याम सुंदर लाल गुप्ता के द्वारा सचिव, गृह मंत्रालय, सचिव कल्याण मंत्रालय उपराज्य पाल, दिल्ली, मुख्य सचिव, दिल्ली, और एस.एच.ओ., कमला मार्केट पुलिस स्टेशन के विरुद्ध दायर की गई। वादी ने अपनी याचिका में आई.टी.पी.ए. के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में समुचित निर्देश होने का अनुरोध किया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मई 2001 को उपायुक्त पुलिस, समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधियों, दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग को सम्मन दिए और प्राधिकारियों को दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए कहा जिसमें रोकथाम के उपाय और दिल्ली के वेश्यागृहों से छुड़ाई गई इन लड़कियों के पुनर्वास के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए की जानकारी मांगी। कोर्ट ने स्थानीय पुलिस की अवयस्क लड़कियों को वेश्यागृहों से मुक्त कराने/जो महिलाएं

उनसे भयभीत हैं और अपनी इच्छा से इस 'व्यवसाय' को छोड़ना चाहती हैं, के लिए सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश दिए।

17 जुलाई 2001 को हाई कोर्ट ने यह पाया कि पुलिस और स्टॉप एन.जी.ओ. ने 32 लड़कियों को 30 दिन के भीतर जी बी रोड से बचाया। पुलिस ने महिला अधिकारी और स्टॉप की डायरेक्टर की प्रशंसा की। कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि दिल्ली राज्य महिला आयोग, समाज कल्याण विभाग दिल्ली, स्टॉप एन.जी.ओ. और दिल्ली पुलिस के अधिकारी मिल कर काम करें और जी बी रोड पर निरंतर छापे मारें ताकि नई और अवयस्क लड़कियां यहां न लाई जा सकें। स्टॉप एन जी ओ के अधिकारियों को पुलिस इन छापों के समय अपने साथ रखें। तब से हाईकोर्ट छापों, बचाव ऑपरेशनों, उनके प्रत्यावर्तन और पुनर्वास के उपायों का अनुप्रवर्तन कर रही है।

आई पी सी की विभिन्न धाराओं के तहत वेश्यागृह मालिकों के विरुद्ध केस चलाए गए एक मामले के तहत वेश्यागृह मालिक को सात साल के कारावास की सजा भी हुई।

हाई कोर्ट के प्रयासों के बाद से स्थितियों में बदलाव आया।

कानून का शिकंजा असली अपराधियों को कसने लगा- पहले व्यावसायिक यौनकर्मियों को गिरफ्तार किया जाता था। अब वेश्यागृह के मालिकों, दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स) और दलालों को आई.टी.पी.ए. के साथ-साथ अपहरण, अगवा, बलात्कार, गलत ढंग से बंदी बनाए रखने, आपराधिक वृति आदि के लिए आई.पी.सी. की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाने लगा है।

पुलिस और एन.जी.ओ. की सहभागिता- हाई कोर्ट के आदेशानुसार सभी छापे/बचाव पुनर्वास में पुलिस व स्टॉप एन.जी.ओ. एक साथ काम करने लगे हैं। ऐसी स्थिति अन्य राज्यों में भी लागू है।

विभिन्न सरकारी एजेंसियों में समन्वय- पुलिस, स्वास्थ्य व कल्याण विभाग एक साथ मिलकर काम करने लगे हैं।

दिल्ली सरकार और अन्य राज्य सरकारों के बीच समन्वय- चूंकि लड़कियां अन्य राज्यों से भी संबंधित होती हैं इसलिए हाई कोर्ट ने अन्य राज्यों के अधिकारियों को भी बुलाकर एकसाथ मिलकर इस मामले में कार्रवाई में एक-दूसरे को सहयोग करने के लिए कहा।

शोषकों के विरुद्ध कार्रवाई- विधिक मशीनरी ने शोषकों को गिरफ्तार कर जेल भेजने और उन्हें जमानत न दिए जाने के संबंध में सक्रियता दिखानी शुरू की।

उम्र सत्यापन की जानकारी- हाई कोर्ट ने मेडिकल प्राधिकारियों को तुरन्त

मेडिकल जांच व आवश्यक टेस्टों के बाद आयु सत्यापन करने के लिए कहा ताकि अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके।

स्पेशल कोर्टों का गठन- हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक जज, दिल्ली को निर्देश दिया कि दो विशेष कोर्ट गठित करें ताकि लम्बे समय से लम्बित केसों के निपटाने की दिशा में कार्रवाई हो सके। बाद में और अधिक कोर्ट गठित करने के लिए भी कहा।

पुनर्वास अनुप्रवर्तन- कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के जिला मजिस्ट्रेटों के माध्यम से बचाई गई लड़कियों के पुनर्वास कार्य के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए भी कहा।

समुचित प्रत्यावर्तन सुनिश्चित करना-हाई कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि स्टॉप एन.जी.ओ. इन लड़कियों को इनके परिवारों से मिलाने का कार्य संबंधित राज्यों के अधिकारियों के साथ मिलकर करे ताकि बचाई गई लड़कियां उन्हें सौंप दी जाएं।

सुरक्षा प्रदान करना- पुलिस एजेंसियों को स्टॉप एन.जी.ओ. को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश दिए ताकि छुड़ाई गई लड़कियों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके।

छुड़ाई गई लड़कियों के विवाह- स्टाप एन.जी.ओ. इन लड़कियों की शादी करवाकर इन्हें पारिवारिक जीवन जीने में मदद करती है। स्टाप की डायरेक्टर स्वयं उन लड़कों व उनके परिवारों का साक्षात्कार लेती हैं और स्टाप के आश्रय होम में बाकायदा उनका विवाह किया जाता है और जरूरत के सभी सामान उन्हें दिए जाते हैं। विवाह के बाद भी वे पति और अपने बच्चों के साथ वहां आती रहती हैं। वह स्थान उनके मायके जैसा है।

पीड़िता की सुरक्षा- हाई कोर्ट ने चाहा कि गिरफ्तार की गई लड़कियों को अपने विचार स्वयं कोर्ट में रखने की अनुमति दी जाए ताकि वे किस तरह अपनी ज़िन्दगी में प्रयास करना चाहती हैं, व्यक्त कर सकें।

रोकथाम पर जोर- हाईकोर्ट ने समाज को और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अनैतिक देह व्यापार (ट्रैफिकिंग) रोकने के लिए उपाय करने के लिए कहा कि वे विशिष्ट कार्यक्रम व नीतियां बनाए ताकि जिन्हें शिकार बनाया जा रहा है उन्हें बचाया जा सके।

अधिकारियों और अन्य लोगों को जागरूक करना-विभिन्न राज्यों में विभिन्न अधिकारियों को जागरूक करने की जरूरत का अनुप्रवर्तन करने के लिए कहा और चाहा कि संबंधित क्षेत्र स्टाफ को जवाबदेह बनाया जाए ताकि सरकारी अधिकारी जिम्मेदारी से काम कर सकें।

अच्छे कार्यों की प्रशंसा-हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों, जिला कलेक्टर और विभिन्न अन्य कार्यकर्ताओं के अच्छे कार्य की प्रशंसा की और कोर्ट आदेश में उसे रिकार्ड किया इससे उनका मनोबल बढ़ा और स्टॉप एन.जी.ओ. के प्रयासों की भी कोर्ट ने सराहना की।

इसी प्रकार मुम्बई कोर्ट ने प्रेरणा एन.जी.ओ. की सराहना की।

बचाव अभियानों के लिए आकस्मिक निधियां-महिला व बाल विकास विभाग ने एक नई योजना शुरू कर पुलिस कमिश्नरों को फंड आबंटित किए जो बचाव अभियानों के दौरान किए जाने वाले खर्चों के लिए होंगे।

हाई कोर्ट ने विभिन्न सरकारी विभागों ही नहीं विभिन्न एन.जी.ओ. और सरकारी एजेंसियों को साथ मिलकर कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया उनके कार्यों का अनुप्रवर्तन भी करना जारी रखा।

गौरव जैन बनाम भारत सरकार (1997-8 एन.सी.सी. 114) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वेश्याओं, बाल-वेश्याओं और वेश्याओं के बच्चों के बचाव व उनके पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करने के लिए गहन अध्ययन किए जाएं। कोर्ट ने यह चाहा कि यौनकर्मियों के बच्चे ऐसे अवांछित वातावरण में न रहें इसलिए उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के अनुसार दिल्ली के वेश्यागृहों से छुड़ाई गई लड़कियां हैदराबाद लौट चुकी थीं व जिनके बयान ट्रायल कोर्ट ने रिकार्ड नहीं किए थे, के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रिकॉर्ड करने की सुविधा का उपयोग किया गया। कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को इसके सम्यक इंतजाम करने के लिए सूचित किया।

यह निर्णय पीड़िता के मानवाधिकारों की रक्षा करता है और आने वाले समय में विदेशों में भेजी जा चुकी लड़कियों के मामले में भी निर्णय लेने संभव होंगे। जो सभी राज्यों में लागू होने चाहिए।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में बाल-शोषण मामलों पर कार्रवाई पर विशेष मार्गदर्शन जारी किए हैं।

कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं कि प्रासिक्यूशन को स्क्रीन इस प्रकार लगानी चाहिए ताकि बालक सामान्य कोर्ट को न देखकर सिर्फ ज्यूडिशियल अधिकारी को देख पाए। डिफेंस के भी सभी प्रश्न ज्यूडिशियल अधिकारी को संबोधित किए जाएं जो उस बच्चे से उनके जवाब मांगेगा।

यह निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट के हैं पर यह प्रक्रिया बच्चों के मामले में सभी कोर्ट अमल कर सकती हैं।

पीडोफीलिया के एक केस में निर्णय सुनाते हुए जज ने कहा कि एक पीड़िता के लिए उस घटना को सुनना ही शर्मसार था। उसने बोलने से मना कर दिया पर उसके शरीर की भाषा उसकी स्थिति को बयान करने के लिए काफी थी। ऐसे मामलों की सुनवाई 'इन कैमरा' होनी चाहिए। कोर्ट ने अपने निर्णय में रेखांकित किया कि बालपीड़िता के मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है।

प्रजावाला एन.जी.ओ. के आवेदन में भी अतिरिक्त सेशन जज ने यह निर्देश दिए थे कि कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है इसलिए सुनवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट इस आधार पर उसके अधिकार को नहीं नकार सकती।

यू.एस. सरकार की तरह उन्हें टी-वीजा दिया जा सकता है, ताकि मुकदमे की सुनवाई के समय वे भारत में रहें और उन्हें समुचित सुरक्षा, चिकित्सा सहायता व प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जा सकते हैं।

समलैंगिकता पर दिल्ली काई कोर्ट का अहम फैसला- 2 जुलाई, 2009 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा है कि दो बालिग लोगों के बीच आपसी सहमति से समलैंगिक रिश्ता कोई जुर्म नहीं है। उनके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 377 के तहत कानूनी कार्रवाई मूलभूत अधिकार का उल्लंघन होगा।

इस फैसले से पहले आई.पी.सी. की धारा-377 के तहत समलैंगिक रिश्ते बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान था। दोषी पाए जाने पर उम्र कैद तक हो सकती थी। चीफ जस्टिस ए.पी. शाह और जस्टिस एस. मुरलीधर की बेंच ने अपने 105 पेज के जजमेंट में यह भी साफ किया कि अगर दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति के बिना या नाबालिग के साथ समलैंगिक संबंध बनाए जाते हों तो वह धारा-377 के दायरे में होगा। कोर्ट ने कहा कि जब तक संसद इस बाबत कानून में बदलाव नहीं करती, तब तक यह जजमेंट प्रभावी रहेगा।

कोर्ट ने इस मामले को नैतिकता के नजरिए से देखने से इंकार कर दिया। उसने समलैंगिकता को सेक्सुअलिटी के एक अलग पहलू की तरह माना और कहा कि किसी से इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक ऐसा भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 15 के खिलाफ है।

एच.आई.वी. एड्स के लिए काम करने वाले दिल्ली स्थित एन जी ओ नाज फाउंडेशन ने 2001 में हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इस धारा में संशोधन की मांग की थी। पिटिशनर का कहना था कि धारा-377 मूल अधिकारों के खिलाफ है। इस कानून के चलते समलैंगिक अपना सच छुपाते हैं, जिससे एड्स की रोकथाम में मुश्किल होती है, जबकि इन लोगों में एड्स का खतरा काफी ज्यादा है। इसके जवाब

में सरकार का रुख विरोधीभासी रहा। गृह मंत्रालय ने यह कहते हुए धारा-377 का समर्थन किया कि भारतीय समाज समलैंगिकता के खिलाफ है। इसके उलट स्वास्थ्य मंत्रालय ने एड्स रोकथाम के लिए इस प्रावधान को हटाने का पक्ष लिया।

समलिंगी लोगों के अनुसार यह फैसला न्याय के इतिहास में मील का पत्थर है। पर अब भी उन्हें सामाजिक न्याय प्राप्त होने के लिए समाज को कई पूर्वाग्रहों से मुक्त होना पड़ेगा।

दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा समलैंगिकता को वैध ठहराए जाने के बाद भारत इसे वैध मानने वाला दुनिया का 12वां देश बन गया है। हालांकि समलैंगिक रिश्तों पर छिड़ी बहस दुनिया के लिए नई नहीं है पर अभी भी 80 देश इसे अपराध की श्रेणी में रखते हैं।

मौजूदा कानून का इतिहास- 1290 में इंग्लैंड के फ्लेटा में अप्राकृतिक संबंध बनाने का मामला सामने आया और उसके बाद पहली बार कानून बनाकर उसे अपराध की श्रेणी में रखा गया। बाद में ब्रिटेन और इंग्लैंड में 1533 में बगरी (अप्राकृतिक संबंध) एक्ट बनाया गया और इसके तहत फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। बाद में 1533 में बगरी (अप्राकृतिक संबंध) एक्ट बनाया गया और इसके तहत फांसी की सजा का प्रावधान किया गया। बाद में 1563 में क्वीन एलिजाबेथ-1 ने इसे फिर से लागू कराया। 1817 में बगरी एक्ट से ओरल सेक्स को हटा दिया गया और 1861 में डेथ पेनल्टी का प्रावधान भी हटा दिया गया। 1867 में ही लॉर्ड मेकाले ने इंडियन पीनल कोड ड्राफ्ट किया और उसी के तहत धारा-377 का प्रावधान किया।

धारा-377-दो लोग, चाहे वे नाबालिग हों या बालिग आपस में अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं और इसके लिए दोषी करार दिए जाते हैं तो उन्हें 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है और यह गैर-जमानती अपराध है।

2001 यौनकर्मियों (सेक्स वर्करों) के लिए काम करने वाले एक एन जी ओ 'नाज फाउंडेशन' की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई और धारा-377 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया। अर्जी में कहा गया कि अगर दो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से एकांत में अगर अप्राकृतिक संबंध बनाए जाते हैं तो धारा-377 के प्रावधान से बाहर किया जाना चाहिए।

मूल अधिकारों में दखल-अर्जी में कहा गया कि धारा-377 कहीं न कहीं संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकार में दखल दे रही है। इसे उन केसों में लागू होना चाहिए जिसमें अप्राकृतिक संबंधों के लिए दो वयस्कों की आपसी सहमति न हो या फिर किसी नाबालिग के साथ ऐसा किया गया हो।

एन.जी.ओ.-नाज की ओर से यह भी दलील दी गई कि इस धारा के चलते लोगों में जागरूकता का अभाव है और चोरी-छिपे समलैंगिक संबंधों के कारण एड्स और एच.आई.वी. फैलने का भी खतरा है। अगर धारा-377 के दायरे से आपसी सहमति से संबंध बनाने वाले वयस्कों को बाहर किया जाएगा तो एड्स और एच.आई.वी. के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सकेगा।

यह कोई बीमारी नहीं-अर्जी में यह भी कहा गया कि मनौवैज्ञानिकों का यह कहना था कि समलैंगिकता बीमारी नहीं है। कुल मिलाकर अर्जी के जरिए दलील दी गई कि अगर दो वयस्क आपसी सहमति के आधार पर अप्राकृतिक संबंध बनाते हैं तो उसे अपराध न माना जाए और धारा-377 के प्रावधान से अलग किया जाए। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार से इस बाबत जवाब दाखिल करने को कहा था।

मंत्रालयों की राय-गृह मंत्रालय ने जहां इस मुद्दे पर याचिका का विरोध किया, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने याचिकाकर्ता की दलील से सहमति जताई। गृह मंत्रालय ने कहा कि अगर धारा-377 को खत्म किया गया तो इस प्रवृत्ति के लोगों को खुली छूट मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना था कि अगर धारा-377 को इसी स्वरूप में लागू रखा गया तो इससे एड्स और एच.आई.वी. रोकथाम में बाधा पहुंचेगी।

समलैंगिकों के कहां क्या अधिकार हैं?

शादी का अधिकार- नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, कनाडा, साउथ अफ्रीका, नार्वे, स्वीडन।

बच्चा गोद लेने का अधिकार-फ्लोरिडा को छोड़कर अमेरिका के सभी राज्य, इस्राइल।

नागरिक अधिकार-डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, आइसलैंड, इस्राइल, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन।

अपराध की श्रेणी से बाहर-चीन, पोलैंड, हांगकांग, भारत।

यहां यह विचारणीय है कि यदि समलैंगिक रिश्ते कोई जुर्म न होंगे तो वेश्यावृत्ति को भी वैध किया जा सकता है क्योंकि यह भी दो वयस्क व्यक्तियों की परस्पर सहमति से एकान्त में बनने वाले यौनसंबंध हैं।

भारत में सिर्फ महिलाएं ही व्यावसायिक यौन कर्म नहीं कर रहीं, बल्कि पुरुष भी इसमें शामिल हैं। इस निर्णय से पूर्व पुरुष यौनकर्मियों के समलिंगी ग्राहकों के विरुद्ध धारा 377 लागू होती थी भले ही आई.टी.पी.ए. के तहत अपराध नहीं बनता

था पर अब वह सुरक्षित है क्योंकि यदि पुरुष यौनकर्मी की उम्र 18 वर्ष से अधिक और यौनकर्म परस्पर सहमति से है तो वह दंडनीय नहीं है। अन्यथा उम्र कैद की सजा हो सकती थी।

यदि दो पुरुषों का व्यावसायिक यौनकर्म दंडनीय नहीं है तो महिला यौन कर्मियों को दंडित की जाने वाली व्यवस्था को चुनौती दी जानी स्वाभाविक है।

अध्याय-11

अन्तर्राष्ट्रीय यौनकर्मी 'अधिकारिता दिवस'

विश्व में वेश्यावृत्ति का इतिहास चार हजार वर्ष पुराना है।

वर्ष 2009 में दरबार महिला समन्वय कमेटी कोलकाता ने विश्व को 3 मार्च जहां अन्तर्राष्ट्रीय यौनकर्मी अधिकारिता दिवस के रूप में मनाए जाने की प्रेरणा दी। तो वर्ष 2004 में 7 अगस्त को यौनकर्मी सशक्तिकरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। 30 नवम्बर को महिला व बच्चों के शोषण के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दिवस भी इसी कड़ी का एक दिन है। जिसे विश्वभर के यौनकर्मी मनाते हैं।

भारत में 3 मार्च 2009 को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी अधिकारिता दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई।

आज विश्व के कई भागों में कई संगठन यौनकर्मियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के अधिकारों को दिलाने के प्रयत्नों में लगे हुए हैं।

3 मार्च 2009 को भारत के लगभग 25,000 यौनकर्मी कोलकाता में एक त्योहार मनाने के लिए एकत्र हुए थे। जिन्हें प्रशासन ने एकत्र होने की अनुमति पर रोक लगा दी थी। काफी विरोध करने के बाद उन्हें एकत्र होने दिया गया था जिस कारण इस संघर्ष के दिन को उन्होंने 'अधिकारिता दिवस' का नाम दे दिया व प्रतिवर्ष एकत्र होने का निर्णय लिया। दरबार महिला समन्वय कमेटी, कोलकाता यौनकर्मियों का एक संगठन है जिसमें आज लगभग 50,000 यौनकर्मी व उनके परिवारों के लोग जुड़े हुए हैं। आज विश्व भर में 3 मार्च अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी अधिकारिता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।

दरबार महिला समन्वय कमेटी ने यह महसूस किया कि कोई एक ऐसा दिन होना चाहिए जो विश्व भर के यौनकर्मियों के दिन के रूप में मनाया जाए। विश्व भर के सभी स्त्री, पुरुष व नपुंसक यौनकर्मियों को एकत्र करने की दृष्टि से इस दिन की उन्होंने घोषणा की।

दरबार महिला समन्वय कमेटी 1992 में सोनागाछी प्रोजेक्ट जो एस.टी.डी./एच.आई.वी. की रोकथाम के लिए शुरू किया गया था, के माध्यम से भारत के यौनकर्मियों के निकट सम्पर्क में आई। तब से कमेटी भारत के दूसरे हिस्सों के यौनकर्मियों के साथ-साथ दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के यौनकर्मियों के सम्पर्क में है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है।

इनका पहला कार्निवल जो मार्च 3 से 6 मार्च 2001 तक आयोजित किया गया था, में पूरे देश से 25 हजार यौनकर्मियों के अलावा 30 हजार ऐसे लोग व संगठन भी एकत्र हुए जो यौनकर्मियों के अधिकारों व यौनकर्म के अधिकार के प्रति सचेत व कटिबद्ध थे। इसमें 15 देशों की 29 यौनकर्मी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

इसमें सेक्स व सेक्सुलिटी, राज्य व पितृसत्तात्मक व्यवस्था, अल्पसंख्यकों के अधिकार ताकि यौन-व्यापार को गैर-आपराधिक माना जा सके, यौनकर्मियों के अधिकार, एच.आई.वी./एड्स की रोकथाम, एंटी ट्रैफिकिंग जैसे विषयों पर चर्चा की गई। तब से हर वर्ष एक सप्ताह के विशेष आयोजन कमेटी के तत्त्वावधान में किए जा रहे हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए 25 नवम्बर का दिन घोषित किया गया है। दिसम्बर 1999 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में यह निर्णय लिया गया था।

25 नवम्बर 1960 में तीन मीराबन बहनें, जो जेमिनेशियन रिपब्लिक की थीं, की उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए हिंसापूर्वक तरीके से हत्या कर दी गई थी। इन बहनों को 'अविस्मरणीय बटर फ्लाइंग' के रूप में पहचाना जाता था। इनकी याद में यह लेटिन अमेरिका में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की पहचान के रूप में इस दिन को मनाया जाता था। लेटिन अमेरिका में 1980 से ही यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की स्थिति दर्शाने वाले दिन के रूप में मनाया जा रहा था, जिसे 1999 से विश्व में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के दिन के रूप में मनाया जाना शुरू किया गया। यूनीफेम यह महसूस करती है कि विश्वभर में प्रत्येक तीन में से एक महिला हिंसा का शिकार हो रही है। सामान्यतः यह हिंसा परिवार-स्तर से शुरू होती है और समाज इसमें पूरक भूमिका निभाता है।

13 अक्टूबर 2008 को निकोसिया, में- यौन शोषण के लिए महिलाओं की ट्रैफिकिंग पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

13 अक्टूबर यूरोप में एंटी ट्रैफिकिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम विश्वभर में आयोजित कर इस विषय पर जागरूकता

लाई जा रही है। वर्ष 2008 में मेडिटेरियन इंस्टीच्यूट ऑफ जेंडर स्टडीज़ ने यूरोपियन पार्लियामेंट ऑफिस के सहयोग से यौन शोषण के लिए महिलाओं के अनैतिक देहव्यापार (ट्रैफिकिंग) पर कान्फ्रेंस आयोजित की गई।

इस कान्फ्रेंस में सूसना पावली, निदेशक मेडिटेरियन इंस्टीच्यूट ऑफ जेंडर स्टडीज़ के अनुसार यूरोप व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यौन-शोषण के लिए महिलाओं का अनैतिक देहव्यापार (ट्रैफिकिंग) हो रहा है। ऐसा लिंग भेद व पारम्परिक शक्ति जो पुरुषों के पास निहित है, के कारण यह होता है यह समझना जरूरी है।

दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) महिलाओं के प्रति हिंसा का रूप है और विश्वभर में आपराधिक गतिविधियों में तेजी से बढ़ रहा है।

यूनीसेफ के अनुसार विश्व भर में हर वर्ष 8,00,000 लोगों का अनैतिक देहव्यापार होता है और उसमें 80% महिला व लड़कियां होती हैं। इसे रोकने के लिए प्रत्येक देश को वार्षिक कार्य योजना बनानी जरूरी है और विश्वभर में वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं को निरपराधी मानना और ग्राहकों को दंडित करने से इसे रोकने में मदद मिलेगी।

अध्याय-12

गैर सरकारी संगठन-एन.जी.ओ.

अधिकांश यौनकर्मी यह समझ ही नहीं पातीं कि उनका यौन शोषण हो रहा है। वे तो बस इस धंधे को विधिसम्मत किया जाए—चिल्लाने वालों की कतार में भीड़ का हिस्सा भर हैं।

अनैतिक देहव्यापार के रोकथाम में सरकारी प्रयास तभी सफल हो सकते हैं, यदि सरकार को आधार स्तर पर काम करने के लिए कटिबद्ध गैर-सरकारी संगठनों का साथ मिले। अनैतिक देहव्यापार की समस्या की रोकथाम, निवारण, पुनर्वास, परिवार में वापिसी व देश वापिस भिजवाना इन पांच घटकों के माध्यम से ही समाधान संभव है। देश में विभिन्न गैर सरकारी संगठन इन पांचों अथवा किन्हीं विशेष उद्देश्य के साथ अपनी भूमिका निभा रही हैं।

सुदूर दक्षिण से लेकर असम, मेघालय, कोलकत्ता, मुम्बई, दिल्ली, मुम्बई, जयपुर, गोवा जैसे बड़े शहरों के अलावा, सांगली, मैसूर, श्रावस्ती, मंगलौर, बेलगाम जैसे शहरों में भी ये एन.जी.ओ. सक्रिय हैं।

गोवा में जहां अर्ज, एन.जी.ओ. महिलाओं के बचाव, पुनर्वास काउंसलिंग व उनकी एडवोकेसी कर रहा है तो हैदराबाद व मुम्बई के प्रजावाला व प्रेरणा ने कई ऐतिहासिक निर्णयों को दिलाने में पैरवी की है। दिल्ली में कार्य कर रही 'स्टाप', ज्वाइंट वूमेन प्रोग्राम जैसी एन.जी.ओ. के प्रयासों को दिल्ली हाई कोर्ट अपने निर्णयों में सराहना की है और हर बचाव कार्य में एन.जी.ओ. को जोड़ने के आदेश दिए हैं।

रोकथाम गतिविधियों में संस्कार-आंध्र प्रदेश (निज़ामाबाद) में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत एन जी ओ जोगिन कम्युनिटी के साथ काम कर रही है। उन्हें भूमि, जोगिनों को दाह संस्कार आदि पर नाचने के लिए रोकना, समाज को जागरूक करना, जागरूकता साक्षरता, बाल विकास कार्यक्रम, पुनर्वास, जोगिनों को स्वावलम्बी बनाया है। **स्त्री-** अनंतपुर (आंध्र प्रदेश का अकाल प्रभावित क्षेत्र) में स्वयं सहायता

समूहों/आवास, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए निःशुल्क शिक्षा, आजीविका आदि का काम कर रही है।

कर्नाटक में वर्किंग वूमेन फोरम इंडिया, ज्वांइट वूमेन प्रोग्राम के द्वारा देवदासियों के पुनर्वास, शिक्षा, आजीविका जागृति के प्रयास किए जा रहे हैं। स्त्री आधार केन्द्र, पुणे- जागृति व काउंसलिंग कर रही है। प्रेरणा- ट्रैफिकिंग रोकने के लिए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता लाने के प्रयास कर रही है। संलाप कोलकाता- जन जागृति, पुनर्वास, काउंसलिंग ड्राप इन सेंटर चला रही है। सोनागाछी-प्रोजेक्ट- एवं नियामक बोर्ड, बाल ट्रैफिकिंग आदि पर कार्य कर रहे हैं। स्त्री-एन जी ओ ने आंध्र प्रदेश में 120 किमी लम्बे रास्ते की निगरानी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा पुलिस की भांति की जा रही है। समाज यदि अपने सदस्यों को जागरूक करने का प्रयास करता है तो ट्रैफिक वहां नहीं ठहर सकते। यह संदेश पहुंचाया जा रहा है।

ज्वाइंट वूमेन प्रोग्राम- देश के कई हिस्सों में क्रेश/बालवाडी कार्यक्रम चला रही है।

कर्नाटक में वूमेन डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा महिलाओं के स्वयं सहायता समूह-सूक्ष्म वित्त और सिविल सोसायटी सहभागिता देवदासियों के लिए योजना चला रही है। अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति विकास निगम भी इसी प्रकार की योजनाएं चला रहा है।

बच्चों के यौनशोषण को रोकने में कई शहरों में हेल्पलाइन के माध्यम से एन.जी.ओ. संघर्षरत है। पटना में बाल सखा दिल्ली में बटर फ्लाइज़, गुमशुदा बच्चों की तलाश में चाइल्ड लाइन फाउंडेशन, मुम्बई, पीडोफीलिया की समस्या पर विशेष ध्यान देने के लिए 'चिल्ड्रेन्स राइट्स इन गोवा' दिल्ली की हक सेन्टर फार चाइल्ड राइट्स व वाराणासी की 'गुडिया' नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले व काम करने वाले स्ट्रीट बच्चों को आश्रय, काउंसलिंग व शिक्षा देने के कार्य में लगी 'सलाम बालक ट्रस्ट' काम कर रहा है।

देवदासी प्रथा से महिलाओं को मुक्त कराने के लिए विमोचना, विमोचना देवदासी पुनर्वास संस्था, देवदासियों का पुनर्वास उन्हें आय अर्जक गतिविधियों के लिए कौशल प्रशिक्षण व इस प्रथा से दूर रहने के लिए जागरूकता दिलाने के प्रयासों में लगी हुई हैं।

यही नहीं, एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कई एन.जी.ओ. विशेष रूप से व्यावसायिक यौनकर्मियों के साथ काम कर रहे हैं।

नेटवर्क अगेंस्ट कॅर्मिशयल सेक्सुअल एक्सप्लायटेशन (NACSET) ने व्यावसायिक यौनकर्मियों के बच्चों के लिए अहमद नगर, लातूर, पुणे और सोलापुर

में आवासीय संस्था की व्यवस्था की है।

अनंतपुर में स्त्री-एन.जी.ओ. का पुनर्वास होम चलता है। त्रिवेन्द्रम में 'अभया' उन्हें आवास व कौशल उन्नयन कर रही है।

सागर मध्य प्रदेश में आश्रमालयास बेडिया समुदाय के बच्चों का पुनर्वास कर रही है। निजामाबाद में 'संस्कार', आनगेले में 'हेल्प', तिरुपति में 'राइज' (सभी आंध्र प्रदेश) एन.जी.ओ. पुनर्वास का कार्यक्रम चला रहे हैं।

चेन्नै में साऊथ इंडिया एड्स एक्शन प्रोग्राम, दिल्ली में 'सहारा', सार्थक जैसे एन.जी.ओ./एच.आई.वी. पाजिटिव लोगों को काउंसलिंग व थेरेपी और स्कूलों व झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम चलाती है।

महिला यौनकर्मियों के अधिकारों के लिए प्रयासशील एन.जी.ओ. के नामों की सूची में दरबार महिला समन्वय कमेटी सोनागाछी, कोलकाता, सांगली में 'संग्राम' वे वेश्या अन्याय मुक्ति मंच, केरल में 'दर्शन', मेघालय में बैथनाथ, असम में नारी अधिकार रक्षा समन्वय समिति, जयपुर में नारी चेतना समिति, दिल्ली में 'सवेरा' शामिल है।

यही नहीं, कई एन.जी.ओ. के द्वारा विशेष अध्ययन कर विभिन्न रिपोर्ट भी प्रकाशित की है। इनमें प्रमुख है संलाप का 'सिचुएशनल एनालेसिस ऑफ ट्रैफिकिंग एंड प्रास्टीच्युशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज', सार्थक द्वारा 'द साऊंड ऑफ सायलेंस- ए मेनुअल फॉर फारमिंग थेरोपेटिक रिलेशनशिप', प्रेरणा का 'व्यावसायिक यौनशोषण व ट्रैफिकिंग पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' 'छः जिलों में (अहमदनगर, लातूर, नासिक, सांगली, सोलापुर, थाने) में वेश्यावृत्ति की स्थिति पर रिपोर्ट, माइक्रो-स्टडी ऑन गर्ल चिल्ड्रन इन प्रोस्टीच्युशन इन कमाठीपुरा, 'एन इफेक्टिव गाइड इन पोस्ट रेस्क्यू ऑपरेशंस, प्रयास द्वारा 'इश्यूज़ एंड कन्सर्न ऑफ ट्रैफिकिंग इन वूमेन एंड चिल्ड्रन, स्टाप द्वारा प्रकाशित 'ए हैंडबुक ऑफ गाइडलाइन्स फार द मीडिया आन द इश्यूज़ ऑफ ट्रैफिकिंग, एनालायजिंग द डायमेंशन- ट्रैफिकिंग एंड एच.आई.वी./एड्स इन साऊथ एशिया ओडानाडी का पुलिस के साथ मिलकर तैयार जेंडर वायलेंस अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रन ट्रेनिंग माड्यूल' कुछ प्रमुख प्रकाशन हैं। पूरे भारत में काम कर रही सभी गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों का लेखा-जोखा देना यहां संभव नहीं है।

विभिन्न एन.जी.ओ. व्यावसायिक यौनकर्म के रोकथाम व पुनर्वास गतिविधियों से जुड़ी हुई है। कुछ प्रमुख एन जी ओ के बारे में चर्चा करने से पूर्व उनकी गतिविधियों को प्रमुख रूप से निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

1. आर्थिक गतिविधियां- उनके लिए आय अर्जक गतिविधियों को समूह

आधार पर चलाया जाता है। उनके बचत व सहकारी समूह बनाकर उनके पुनर्वास के लिए वित्तीय सहयोग दिया जाता है।

- विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वे स्वयं कौशल हासिल कर कुछ आजीविका कमा सके।

2. सामाजिक व शिक्षा संबंधी- वेश्यागृह से छुड़ाई गई लड़कियों को आर्थिक स्वावलम्बन के साथ-साथ इच्छुक लड़कियों के विवाह के द्वारा भी उनका पुनर्वास किया जाता है।

- आश्रय गृहों में उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था की जाती है।

3. स्वास्थ्य- व्यावसायिक यौनकर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच, उन्हें निशुल्क कंडोम वितरण, विभिन्न यौन-रोगों व एड्स आदि के इलाज के लिए चिकित्सा सहायता।

- साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए जागरूकता कार्यक्रम इनके द्वारा चलाए जाते हैं।

4. उनके बच्चों की देखभाल- उनके बच्चों के लिए औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा व व्यावसायिक प्रशिक्षण।

- बालवाड़ी व क्रेश, शेल्टर होम की स्थापना।
- नियमित स्कूलों व होस्टल में दाखिला।
- उनकी स्वास्थ्य जांच।

5. एडवोकेसी- उनके अधिकारों के लिए संघर्ष।

- पुलिस के सहयोग से उन्हें वेश्यागृहों से छुड़ाना।
- शोषण के बारे में जागरूकता लाना।

6. बचाव संबंधी कार्य- वेश्यालयों में अवस्यक/बाहर निकलने की इच्छुक लड़कियों की पहचान।

- पुलिस की मदद से छापे।
- उन्हें सुधार गृहों में रखवाना।
- उन्हें धंधा छोड़ने के लिए प्रेरित करना।
- उन्हें परामर्श देना

पुनर्वास- उन्हें शिक्षित करना व रोजगार परक प्रशिक्षण देना।

- वैकल्पिक रोजगार के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सुविधाएं दिलाना।
- उन्हें उनके गृह राज्य/देश पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- विवाह करवाना।

- रोजगार चुनने में परामर्श देना।

रोकथाम-विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से।

- उन्हें उनकी लड़कियों के विवाह करने व उन्हें रोजगार दिलाने में मदद करना।

गैर-सरकारी संगठन

गुड़िया स्वयं सेवी संस्थान, वाराणसी- वाराणसी के रेड लाइट एरिया शिवदास पुरी में वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं व बच्चों के सुधार के लिए 'गुड़िया' स्वयं सेवी संस्थान, वाराणसी में 1993-94 में शुरू की गई।

इस संगठन का उद्देश्य वेश्याओं और उनके बच्चों को उनके मानवाधिकारों और नागर अधिकारों की जानकारी व वैकल्पिक आजीविका के माध्यम सुझाना है। संगठन ने वाराणसी में शिवदासपुर कालोनी में उनके बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किया है। आशा सेन्ट्रल न्यू जर्सी से $10.325 का अनुदान अनुमोदित किया गया है।

संगठन उनके बच्चों को शिक्षित कर सामान्य स्कूलों में भर्ती, उन्हें ट्यूशन या पूरक शिक्षा दे रहा है।

गुड़िया संगठन यौनकर्मियों की स्थिति का चित्रण नृत्य संगीत के माध्यम से कर लोगों को जागरूक बनाता है। जिस प्रकार रात में लोग गुड़िया से खेलते हैं और सुबह फेंक देते हैं, ऐसी ही स्थिति इनकी होती है। इनके व्यवसाय के साथ लगे लांछन को हटाने की कोशिश की जा रही है। गुड़िया के ऊपर एक वृतचित्र भी तैयार किया गया है।

इनकी नृत्य संगीत की प्रतिभा को विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में आयोजित कर निखारा जा रहा है।

दूसरी पीढ़ी को रात के दूषित वातावरण जहां यौन, शराब व मादक पदार्थ व अपराध चलता है, से दूर रखने के लिए नाइट शेल्टर होम बनाया गया है ताकि ये बच्चे दलालों व वेश्यागृह के मालिकों की प्रताड़ना से बच सकें। इनके लिए तीन मंजिला शेल्टर होम उसी इलाके में बनवाया जा रहा है।

अपने आप वूमेन वर्ल्ड वाइड- यह संगठन 1998 में खेतवाड़ी कमाठीपुरा में शुरू की गई। वर्ष 2002 से ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है।

अहिंसा व अन्त्योदय गांधीवादी विचारधारा के माध्यम से यह संस्था काम कर रही है। देहव्यापार व वेश्यावृत्ति महिलाओं के प्रति हिंसा है। इस हिंसा को रोकना हमारा दायित्व है। गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान ही अन्त्योदय का उद्देश्य है। यह संस्था भारत के रेडलाइट जिलों में महिलाओं को शिक्षा, कौशल व विधिक सुरक्षा प्रदान कर रही है।

- 'रेड लाइट डिस्पैच' नाम से बंगाली, हिन्दी व अंग्रेजी में वेश्यावृत्ति में लगी महिलाओं के विचारों को जन-सामान्य तक पहुंचा रही है।
- 'कन्फ्रंटिंग द डिमांड फॉर सेक्स ट्रैफिकिंग- ए हैंड बुक फार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसिस' पुस्तक प्रकाशित की है और पुलिस को प्रशिक्षित कर रही है।
- बिहार व महाराष्ट्र में 2000 पुलिस अधिकारियों को देहव्यापार से निपटने का प्रशिक्षण दे चुकी है।
- हाउस आफ लार्ड्स, यू.के. से इन्हें 'एब्लाशनिस्ट' एवार्ड मिल चुका है।

इन्होंने 'सेलिंग ऑफ इंनोसेंस' वृत्तचित्र भी बनाया है। इसके 6 एंटी ह्यूमन यूनिट बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं। इन यूनिटों को अपने आप के स्टाफ के अलावा स्थानीय समुदाय की लड़कियां व महिलाएं चला रही हैं।

भिवंडी में हनुमान टेकरी, इंदिरा नगर, कमाठीपुरा, बिहार में भारत, नेपाल सीमा पर फोरबस गंज के पास रामपुर रेडलाइट एरिया, कोलकाता में खिदिरपुर, दिल्ली में प्रेम नगर बस्ती, नजफगढ, कोलकत्ता में तोपसिया, बिरेश गुहा रोड, झोपड़पट्टी में इनका कार्य चल रहा है।

यूनिट में भर्ती करने के लिए प्रति परिवार से रु. 10/- की फीस ली जाती है सदस्यों को तीन समूहों में बांटा गया है। किशोरी मंडल समूह में 12 से 18 वर्ष की उम्र की लड़कियों को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण जिसमें कम्प्यूटर, अंग्रेजी बोलना, कारपेंटरी, सिलाई, एम्ब्रायडरी और ज्वैलरी मेकिंग प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें मुख्यधारा की शैक्षणिक संस्थाओं से जोड़ा जाता है।

दूसरे समूह महिला मंडल में 18 वर्ष की उम्र से अधिक महिलाओं को साक्षरता, बैंकिंग राशनकार्ड व आय अर्जक गतिविधियों में लगाना है।

इनके तीसरे समूह बाल सभा में 3-11 वर्ष के बच्चों को नेत्तृत्व के गुण व आत्मविश्वास अर्जित कराने के प्रयास किए जाते हैं।

इनकी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की गतिविधियों में

- हेल्थ-कैम्प, हेल्थ चेकअप, दिन में एक बार का खाना, मुख्यधारा के स्कूलों में भर्ती, अनौपचारिक शिक्षा, महिलाओं के लिए साक्षरता कक्षाएं व नाइट क्रेश चलाई जाती है।
- तोपसिया किशोरी मंडल के सदस्यों का कानूनी कक्ष 'लीगल सेल' भी शुरू किया गया है।

- क्रेश के अलावा, नृत्य संगीत, पेंटिंग की कक्षाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आय अर्जक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

यूनिटों का स्टाफ स्थानीय प्राधिकारियों (पुलिस सहित) के लिए भी संवेदी कार्यक्रम व उसी क्षेत्र में काम कर रहे अन्य एन जी ओ के साथ काम कर रहा है।

एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट से लाभान्वित सदस्य

	शामिल संख्या महिला	लड़की	बच्चा	लाभान्वित महिला व बच्चे
भिवंडी	187	18	55	500
कमाठीपुरा	65	45	130	2500
फोबर्स	56	50	95	400
खिदीरपुर	60	20	100	200
तोपसिया	50	73	32	400
सुभाष कैम्प	25	45	100	800
कुल	443	251	512	4800

फोबर्सगंज के उत्तारी, रामपुर गांव में नट समुदाय की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। 95,000 बच्चों को स्कूलों में भर्ती करवा चुकी है।

इनकी भविष्य की योजनाएं निम्नलिखित हैं।

- उन्हें स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने व अपने बैंक खातों व व्यवसाय करने में सशक्त करना।
- देह व्यापार में धकेले जा सकने वाले वर्ग तक पहुंचाना।
- उनके बच्चों को स्कूल में भेजना।

प्रत्येक महिला स्वतंत्र व हर बच्चा स्कूल में यह इनका नारा है

इन्हें यूनीफेम, जेनेवा ग्लोबल, ओक फाऊंडेशन, यू.एन.ओ.डी.सी., यूनीसेफ जैसी संस्थाओं से अनुदान मिल रहा है।

सार्थक प्रयास जलपाई गुड़ी में महिला यौनकर्मियों का संगठन- उत्तरी बंगाल के जलपाई गुड़ी की महिला यौन कर्मियों ने एकजुट होकर अपने को एक समुदाय आधारित संस्था के रूप में पंजीकृत किया है। 'हृदय' नाम की इस संस्था ने अपनी सहयोगियों की क्षमता निर्माण का काम हाथ में लिया है। इनकी संस्था हिन्दुस्तान लैटेक्स फैमिली प्लानिंग ट्रस्ट (एच.एल.एफ.पी.पी.टी.) के साथ मिलकर कंडोम के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रही है।

इंडियन मेडिसन डेवलपमेंट ट्रस्ट- इंडियन मेडिसन डेवलपमेंट ट्रस्ट दिल्ली की जीबी रोड, रेड लाइट एरिया में दिल्ली एड्स कंट्रोल सोसायटी के प्रोजेक्ट के तहत काम कर रही है। 12 कोठों में रहने वाली लगभग 1500 व्यावसायिक यौनकर्मियों तथा नाको के सहयोग से इस क्षेत्र में एच.आई.वी./एड्स और अन्य यौनरोगों के प्रति जागरूकता लाने एस.टी.डी./आर.टी.आई. से बचाव व रोकथाम, बीमारी को रोकने के लिए जानकारी उपलब्ध करवाने, कंडोम के उपयोग, बीमारी से जुड़ी मिथ व भ्रांतियों और एच.आई.वी. पाजिटिव व्यक्तियों का इलाज व सहयोग करने की दिशा में यह काम कर रही है।

इसी क्षेत्र में कार्यरत अन्य एन जी ओ के साथ मिलकर इनके स्वयं सहायता समूह बनाने के प्रयास जारी हैं। एन.जी.ओ. के सहयोग से ये अपने बच्चों की स्कूल में भर्ती, उन्हें हॉस्टल आदि में प्रवेश कराने के प्रयास भी कर रही है।

बड़ी उम्र की वेश्याएं कुछ कौशल सीखकर वैकल्पिक आय के प्रयासों की ओर रुख कर रही हैं। एन.जी.ओ. के प्रयासों से उनमें यह सोच विकसित हो रही है कि उन्हें अपने भविष्य के लिए वैकल्पिक आजीविका साधन ढूंढ़ने चाहिए।

इंडियन मेडिसन डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े
(टार्गेट इंटरवेंशन प्रोजेक्ट, जीबी रोड- सभी हॉट स्पाट सूचना)

क्र.	हॉट स्पाट का नाम	हॉट स्पाट के प्रकार म.-यौन वेश्या गृह	टोटल नं.	बारंबारता		उम्र		प्रतिदिन ग्रा. की संख्या
1.	34 पहली मंजिल लेफ्ट साइड	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	40	डी	25	10	5	250
2.	64 पहली मंजिल राइट साइड	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	35	डी	25	5	5	263
3.	64 दूसरी मंजिल लेफ्ट साइड	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	85	डी	60	15	10	620
4.	64 दूसरी मंजिल राइट साइड	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	75	डी	55	10	5	539
5.	64 तीसरी मंजिल लेफ्ट साइड	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	55	डी	35	10	10	398
6.	64 तीसरी मंजिल राइट साइड	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	25	डी	15	5	5	178
7.	64 चौथी मंजिल लेफ्ट साइड	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	70	डी	45	15	10	513
8.	64 चौथी मंजिल राइट साइड	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	50	डी	25	15	10	343
9.	64 पांचवीं मंजिल	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	35	डी	25	08	2	269
10.	49 पहली मंजिल लेफ्ट साइड	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	15	डी	2	8	5	85
11.	49 पहली मंजिल राइट साइड	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	25	डी	6	12	7	127
12.	49 दूसरी मंजिल लेफ्ट साइड	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	8	डी	2	4	2	49
13.	49 दूसरी मंजिल राइट साइड	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	12	डी	3	4	5	60
14.	42 पहली मंजिल	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	15	डी	8	5	2	106
15.	42 दूसरी मंजिल	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	40	डी	35	10	5	378
16.	42 तीसरी मंजिल	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	20	डी	10	5	5	135

17. 43 पहली मंजिल	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	70	डी	30	15	25	445
18. 43 दूसरी मंजिल	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	40	डी	20	12	8	250
19. 5274 पहली मंजिल	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	65	डी	30	20	15	435
20. 5274 दूसरी मंजिल	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	45	डी	20	15	10	300
21. 5220 पहली मंजिल लेफ्ट साइड-1	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	18	डी	10	6	2	57
22. 5220 पहली मंजिल लेफ्ट साइड-2	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	15	डी	10	4	1	53
23. 5220 पहली मंजिल राइट साइड-1	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	25	डी	15	7	3	97
24. 5220 पहली मंजिल राइट साइड-2	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	20	डी	10	5	5	67
25. 5220 दूसरी मंजिल	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	22	डी	15	4	3	88
26. 5217 पहली मंजिल	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	35	डी	20	10	5	131
27. 5217 दूसरी मंजिल	एफएसडब्ल्यू (बी.बी.) '	45	डी	30	10	5	142
कुल		1015		591	249	175	6378

एफएसडब्ल्यू- म. यौनकर्मी- म- यौक (बी.बी.) वेश्यागृह में रहनेवाली

ओडानाडी- एन.जी.ओ.- मक्कल सहाय वाणी, बंगलोर- मक्कल सहाय वाणी (एम.एस.वी.) बंगलौर और अन्य राज्यों की 65 संगठनों के साथ काम कर रही है। उनका मुख्य उद्देश्य बच्चों को अपनी रक्षा स्वयं करना सिखाना है। इस एन.जी.ओ. ने पुलिस के साथ मिलकर 'जेंडर, वायलेंस अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रन ट्रेनिंग माडयुल' तैयार किया है। यह महिलाओं व बच्चों के व्यावसायिक यौनशोषण रोकने के अलावा उनके साथ होने वाली घरेलू हिंसा व बाल हिंसा को दूर करने का कार्य भी कर रही है।

वनिता सहाय वाणी- बंगलौर सिटी पुलिस ने 1999 में शुरू की। इसका टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर है 1091

वी.एस.वी. परिहार एन.जी.ओ. के साथ काम कर रही है।

दरबार महिला समन्वय कमेटी कोलकत्ता- 1992 के कोलकत्ता के रेडलाइट एरिया में एच.आई.वी. की रोकथाम के प्रयास सोनागाछी में शुरू किए गए। 1994 में सोनागाछी के यौनकर्मियों का एक संगठन बनाया गया जिसे दरबार महिला समन्वय कमेटी के नाम से जाना जाता है। आज पश्चिम बंगाल में यह 65,000 यौनकर्मियों का एक संगठन है जिसमें स्त्री-पुरुष व उभय लिंगी शामिल हैं। यह संगठन विभिन्न गतिविधियां कर रहा है, यह 49 एच आई वी रोकथाम के कार्यक्रम, यौनकर्मियों व उनके बच्चों के लिए 38 गैर औपचारिक स्कूल चला रहा हो।

सोनागाछी में देह व्यापार गतिविधियों को रोकने के प्रयासों के परिणामस्वरूप

अवयस्क लड़कियों को लाने के प्रतिशत में गिरावट आई है बोर्ड द्वारा प्रकाशित नमस्कार जनवरी-दिसम्बर 2008 पृष्ठ 14 पर दी गई जानकारी के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का प्रतिशत निम्नानुसार है।

वर्ष	1992	1994	1998	2001	2004	2007
%	25.29	21.47	3.56	3.12	2.07	1.38

इसी प्रकार, वर्ष 2001 में 29, 2002 में 33, 2003 में 108, 2004 में 35 और 2005 में 126 (नवम्बर तक) लड़कियां छुड़ाई गईं व उन्हें उनके परिवार या स्कूलों में भेजा गया। यद्यपि संख्या कम है, परंतु उनमें जागरूकता लाने के प्रयास के परिणाम धीरे-धीरे स्पष्ट हो रहे हैं। यौन-कर्मी अवयस्क लड़कियों व अनिच्छुक लड़कियों को यहां नहीं लाया जाए इसके लिए सतर्क हैं और इस काम में 'बोर्ड' की मदद करती है जो कि एक सुखद शुरुआत है।

श्रमजीवी महिला संघ- यौनकर्मियों का सबसे पुराना व क्रियाशील स्वयं सहायता समूह 'श्रमजीवी महिला संघ' है जिसकी शुरुआत स्थानीय हिंसा को रोकने के लिए की गई थी।

साथी संगठन- यौन कर्मियों के बाबू या 'बंधा बाबू' जो यौन कर्म के बदले भुगतान नहीं करते हैं उनके समुदाय के सदस्य ही होते हैं। दरबार ने इन लोगों को भी साथी संगठन के रूप में संगठित कर यौनकर्मियों व उनके बच्चों के साथ होने वाली हिंसा रोकने में अपने संघर्ष में इन्हें साथी बनाया।

'दुर्जय दरबार' के रूप में इनका संगठन रजिस्टर्ड भी हो चुका है।

'दरबार' ने कार्यकर्ताओं ने शुरूआत में ही यह समझ लिया था कि सुरक्षित यौन कर्म के लिए उन्हें अपने धंधे की डोर अपने हाथों में लेनी होगी।

'आल इंडिया इन्स्टीच्यूट आफ हाइजिन एंड पब्लिक हेल्थ' के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के तत्वावधान में 1992 में समुदाय आधारित अनुसंधान किया था जो कि भारत में यौनकर्मियों पर किया गया पहला प्रमुख अध्ययन था, यौनकर्मियों का विश्वास जीतने के कारण ही यह अध्ययन पूरा हो पाया था। यह अध्ययन अपने-आप में अनूठा भी था, क्योंकि यौनकर्मियों के लिए यहां क्लिनिक की व्यवस्था भी की गई। अध्ययन पूरा होने के बाद यहां एस.टी.डी./एच.आई.वी. इंटरवेंशन कार्यक्रम शुरू किया गया। यह सोनागाछी प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है। इस प्रोजेक्ट में यौन कर्मी 'पियर एजूकेटर' के रूप में जोड़ी गई। इस प्रोजेक्ट को 'बेस्ट प्रेक्टिस मॉडल' के रूप में प्रसिद्धि मिली।

प्रयास-टाटा इंस्टीच्यूट आफ सोशल साइंस- 1990 में स्थापित 'प्रयास' संस्था वेश्यावृत्ति से छुड़ाई गई महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में कार्य कर रही है।

उनके परिवारों, विशेष रूप से बच्चों को अपराध के कुप्रभाव से बचाने के उपायों में जुटी है।

'संलाप' एन.जी.ओ., कोलकाता- संलाप की स्थापना 1987 में कोलकत्ता में हुई। इस संगठन का उद्देश्य महिला व लड़कियों के मानवाधिकारों की रक्षा करना है। व्यावसायिक यौन-हिंसा व उन्हें वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से उनके देहव्यापार को रोकने की दिशा में यह प्रयासरत है।

'संग्राम'- एन.जी.ओ., सांगली- 'सम्पदा' ग्रामीण महिला संस्था (संग्राम) ने 1992 में दक्षिण महाराष्ट्र व उत्तर कर्नाटक के यौनकर्मियों के साथ काम करना शुरू किया। सांगली जिले में एच.आई.वी./एड्स के रोगियों की संख्या काफी अधिक है। आज यह महाराष्ट्र के छः जिलों में और कर्नाटक के उत्तरी हिस्से में काम कर रही है। इसके 120 पियर एजूकेटर हर महीने 5,500 यौनकर्मियों को 3,50,000 कंडोम वितरण का काम कर रहे हैं। इन यौन कर्मियों में देवदासियां, स्ट्रीट वॉकर और गृहिणियां व फ्लाइंग सेक्स वर्कर, शामिल हैं।

'वेम्प' वेश्या अन्य मुक्ति परिषद, सांगली- 1992 में संग्राम द्वारा यौनकर्मियों को जागरूक करने का कार्यक्रम को 1996 से वेश्यावृत्ति व यौनकर्म में लगी महिलाओं द्वारा स्वयं चलाया जा रहा है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, शोलापुर, बागलकोट व बेलगाम इन छः जिलों में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वेम्प की स्थापना के बाद संग्राम को बंद नहीं किया गया बल्कि उनके मार्ग दर्शन के लिए उसे जारी रखा गया, क्योंकि उन्हें प्रशासनिक संबंधी कार्यों, प्रस्ताव भेजने, खातों के हिसाब-किताब के लिए मदद चाहिए थी इसलिए उनकी संकट की स्थितियों में मददगार के रूप में संग्राम जारी रखा गया।

संलाप इन रेडलाइट एरियों की नियमित व निरंतर तौर पर उनकी आर्थिक सामाजिक स्थितियों के लिए सर्वेक्षण करती है।

इसकी पुनर्वास गतिविधियों में छुड़ाए गए बच्चों के लिए सामाजिक पुनर्वास कार्यक्रम, उन्हें काउंसलिंग, रोजगार-परक प्रशिक्षण, प्रत्यावर्तन के लिए कानूनी सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद पुनर्वासित लड़कियों के लिए वर्किंग गर्ल्स होस्टल भी बनाया गया है। रोजगार-परक व आय अर्जक कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

वर्ष 2006 से संग्राम विस्थापित मजदूरों व उनके परिवारों को भी जागरूक करने का काम कर रही हैं। संग्राम के मोबाइल क्लिनिकों से आसपास के समुदायों के लोग भी जानकारी व इलाज करवा रहे हैं।

संग्राम व वेम्प उनके अधिकारों, प्रशिक्षण, जन शिक्षा का काम कर रही हैं।

इनका उद्देश्य है कि 'इन महिलाओं को कभी सुना नहीं गया है अब इन्हें सुना जाना चाहिए। वह इन महिलाओं को संगठित कर इनकी समस्याओं को राज्य, पुलिस, न्यायपालिका व स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ उठा रही है।

वेम्प ने उन्हें मिलकर काम करना, अपने हक की लड़ाई लड़ना, अपने में आत्मविश्वास रखना सिखाया है। उनके बच्चे भी अब निःसंकोच यह कहने का साहस रखते हैं कि मेरी मां यौनकर्मी है। पहले उन्हें स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलता था। अब वे स्वयं भी पढ़ते हैं और अपने समुदायों के दूसरे बच्चों को भी पढ़ाते हैं। बर्शी, कराड, रबकपी और सांगली में 'संग्राम' पूरक शैक्षणिक कक्षाएं चला रहा है।

इम्पल्स एन.जी.ओ.- मेघालय- पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय में इम्पल्स एन जी ओ कार्यरत है। देश के किसी भी राज्य के रेडलाइट एरियों में छापे की कार्रवाई के दौरान यदि पूर्वोत्तर राज्य की कोई लड़की पकड़ी जाती है तो वे इम्पल्स एन.जी.ओ. को उस लड़की के घर परिवार को ढूंढने का अनुरोध करते हैं।

'इम्पल्स' बाल कल्याण कमेटी और अन्य राज्य के एन जी ओ को इस सारी स्थिति की जानकारी वर्ष में दो बार भेजता है।

इम्पल्स गुमशुदा बच्चों की एफ आई आर लिखाने में मदद करती है जिस एन.जी.ओ. नेटवर्क के साथ इम्पल्स जुड़ी है, उन्हें समाज में सशक्त प्रहरी बन कर समुदाय में पुलिस की भांति उनकी रक्षा करने का प्रयास कर रही है। गुमशुदा बच्चों का समुचित रिकॉर्ड रखा जाता है। ताकि बच्चे को जितनी जल्दी हो सके ढूंढा जा सके। यह 'इम्पल्स मॉडल' के रूप में विख्यात है यदि इम्पल्स मॉडल सभी राज्यों के एन जी ओ अपना ले तो पुलिस का काम काफी सरल हो सकेगा व ऐसे सशक्त प्रहरियों के चलते बच्चों की गुमशुदा होने की स्थितियां भी नहीं बनेगीं।

सोशल लीगल एड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता- राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार (समाज कल्याण विभाग व अन्य) के विरुद्ध जनहित याचिका कोलकत्ता हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जो एस.एम.एम. होम में बलात्कार व ट्रैफिकिड लड़कियों को लम्बे समय तक (डिटेंशन) रहने के संबंध में थी। हाई कोर्ट ने 29 जुलाई 1999 के अपने फैसले में समाज कल्याण विभाग को आदेश दिया कि वे किसी ऐसे समाज कल्याण संगठन से सम्पर्क करे जो होम में विधिक (लीगल) कक्ष चला कर विधिक सेवाएं प्रदान करें। सोशल लीगल एड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने इनको इलाज के लिए भेजने, पीड़ितों को प्रत्यावर्तन, बलात्कार पीड़ितों की कोर्ट से रिहाई आदेश, व्यक्तिगत व परिवार काउंसलिंग के मामलों की जिम्मेदारी ली।

भारत में पहली बार सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर किसी एन.जी.ओ. को

सरकार द्वारा चलाए जा रहे होम के केस हैंडिल करने की जिम्मेदारी दी। भारत में आपराधिक न्याय के इतिहास में यह लैंडमार्क निर्णय है जिसने वैकल्पिक प्रास्क्यूशन सिस्टम को काम करने का मौका दिया जो पहले पब्लिक प्रास्क्यूटर करते थे। एस.एल.ए.आर.टी.सी. ही आज सारे केसों पर कार्रवाई-प्रक्रिया करती है। इनके प्रयास से उन्हें शीघ्र न्याय मिल रहा है। उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग आदि मिल रही है।

तमिलनाडु महिला विकास प्रोजेक्ट-तमिलनाडु- 1988 में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आई.एफ.ए.डी.), भारत सरकार व तमिलनाडु महिला विकास निगम ने इस कार्यक्रम को तमिलनाडु में शुरू किया इस त्रिपक्षीय व्यवस्था में सरकार, बैंक/एन.जी.ओ. (70 एन.जी.ओ.) शामिल हुए। इसमें गरीब महिलाओं की पहचान व उन्हें संगठित किया गया, बैंको ने ऋण दिया यह प्रोजेक्ट स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से चलाया गया।

स्त्री (ग्रामीण सशक्तिकरण व शिक्षा सहायता समिति), आंध्र प्रदेश- आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला और कुड्डपा में यह एन जी ओ काम कर रहे हैं। अनंतपुर जिले में यह हाईवे व स्थानीय यौनकर्मियों के साथ काम कर रही है। यह दूसरे शहरों से छुड़ाकर लाई लड़कियों के पुनर्वास का काम स्वयं सहायता समूह बना कर रही है।

संगिनी महिला सेवा कोऑपरेटिव सोसायटी, मुम्बई महिला यौनकर्मियों के सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास कर रही है। यू.एस. की पापुलेशन सर्विसेस इंटरनेशनल (पी.एस.आई.) के सहयोग से उन्हें वर्ष 2006 से माइक्रो बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रही है ताकि वे अन्य संसाधनों से ऋण लेकर महाजनी चंगुल में न फंस सकें।

'अर्ज' (अन्याय रहित ज़िन्दगी)- अर्ज, गोवा के रेडलाइट एरिया में व्यावसायिक यौनकर्मियों और उनके बच्चों को शिक्षित करने का कार्य 1997 से कर रही है। 1998 में वेश्यावृत्ति के लिए मानव अवैध देहव्यापार (ट्रैफिकिंग) के मुद्दे को लेकर काम शुरू किया। वेश्यावृत्ति की शिकार व अपराधी दोनों के साथ काम कर रही है। उनके बच्चों के लिए रेड लाइट एरिया में रहने वाले लोगों के बच्चों, कुछ जनजातियों के लोगों, निराश्रित और असहाय लड़कियां, एच.आई.वी. पॉजिटिव लोगों की पत्नियां/विधवाओं के लिए काम कर रही हैं।

अर्ज लड़कियों के सशक्तिकरण, उनके कौशल, उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे टेलरिंग आदि दिलाने के प्रयास कर रही है।

शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण- जागरूकता के माध्यम से सशक्तिकरण और उन्हें दीर्घकालीन कौशलों के माध्यम से सशक्तिकरण की राह दिखाई जाती हैं

ताकि वे संकटों से उबर पाएं। बयाना बीच रेड लाइट एरिया में व्यावसायिक यौनकर्म के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बयाना से भी लड़कियां लाई जाती हैं। प्रोजेक्ट का उद्देश्य इस चक्र को रोकना था। उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अर्ज ने निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाया।

अर्ज पिछले 12 वर्षों से गोवा में काम कर रही है। 2006 में बनाए एक ग्रुप के माध्यम से अर्ज राज्य में निम्न प्रयास कर रही हैं।

- यौनकर्म में लगी किशोरियों व महिलाओं का पुनर्वास
- यौनकर्म में लगी औरतें की दूसरी पीढ़ी को इसमें प्रवेश करने से रोकना।
- जिन राज्यों से यहां लड़कियां लाई जा रही हैं उनसे सम्पर्क कर उन्हें वापिस भेजने की व्यवस्था करना।

इसके लिए अपेक्षित है कि कम्युनिटी व सरकार का सहयोग मिले, राज्य जवाबदेह हो, पीड़ित, देहव्यापारियों (ट्रैफिकर्स) और पिम्प व दलालों को शामिल कर उनके पुनर्वास के प्रयास करना, सहभागी दृष्टिकोण, आर्थिक आजीविका के विकल्प उपलब्ध करवाना, अर्ज के प्रयास है कि सभी प्रवेश पारागमन व निकास (एंट्री, ट्रांजिट व एग्जिट स्थलों) पर इसे रोका जाए। अर्ज की निरंतर निगरानी से लड़कियों की खरीद-फरोख्त कम हो रही है। रेलवे स्टेशनों, रोड चेक प्वाइंट ओर जिन क्षेत्रों में शोषण हो सकता है जैसे बयाना-बीच, स्लम आदि क्षेत्रों में पुलिस की मदद से चौकसी बरती जाती है। अर्ज टैक्सी ड्राइवरों व होटल स्टाफ को भी जागरूक कर रही है।

सरकारी होम को भी काउंसलिंग, मनोरंजक गतिविधियां व अन्य आधारभूत सुविधाओं में भी मदद कर रही है।

लांड्री यूनिट में 'स्विफ्ट वाश' में इस समय 65 कर्मचारी हैं (50 स्त्री व 15 पुरुष) इस कम्पनी में उनके दलालों व सहयोगियों को भी शामिल किया है। अर्ज ने पूर्व यौनकर्मियों के लांड्री यूनिट की स्थापना की है। कम्पनी लांड्री यूनिट में ही उनके बच्चों के लिए क्रेश की सुविधा दे रही है। गोवा शिपयार्ड, एक प्राइवेट कम्पनी, शेल्टर होम में उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद अपने यहां रोजगार दे रही है।

'अर्ज' रोकथाम, सुरक्षा, प्रत्यावर्तन व पुनर्वास, पश्चात देखभाल (आफ्टर केयर) व उनकी कानूनी कार्रवाई सभी पहलुओं पर काम कर रही है।

बचाव- बयाना बीच से अवयस्क लड़कियों को छुड़ाने के उपाय किए जाते हैं। अर्ज़ को मिली सूचनाओं के असर पर पुलिस के साथ मिलकर छापे मारे जाते हैं। लड़कियों को छुड़ाकर उनकी संपत्ति भी साथ के साथ निकाल ली जाती है।

पुनर्वास-अर्ज पीड़िताओं को उनके घरों या फिर गोवा में ही पुनर्वास करने

का प्रयास करती है। राज्य का सुरक्षा गृह (प्रोटेक्टिव होम) अब सक्रिय है। दूसरे राज्यों के अन्य एन.जी.ओ. के साथ उचित तालमेल स्थापित कर उनका पुनर्वास किया जा रहा है।

कानूनी कार्रवाई-अर्ज के प्रयासों से रेडलाइट एरिया में एक साथ 25 व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। अर्ज द्वारा दायर की गई एफ.आई.आर. के कारण इसके प्रतिनिधि शिकायत कर्ता के रूप में कोर्ट में उपस्थित होते हैं और लोग भी बच्चों की अनैतिक देहव्यापार (ट्रैफिकिंग) के मामलों में गवाह के रूप में उपस्थित होने लगे हैं।

रोकथाम-अर्ज के प्रयासों से समाज में जागरूकता लाने व सख्त कानूनी कार्रवाई के कारण बयाना बीच कम्युनिटी में व्यावसायिक यौनकर्म के लिए देवदासी बनाये जाने की परम्परा बिल्कुल खत्म हो गई है। दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स) पर निगरानी व शहर के प्रवेश रास्तों पर ही पीड़िताओं को बचाने के प्रयास व सरकारी तंत्र के सहयोग से इस व्यापार की व्यवस्था चरमराने लगी है।

एन.जी.ओ.-सरकार सहभागिता का यह उदाहरण अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है।

गोवा में देवदासी प्रथा की आड़ में वेश्यागृह मालिकों का व्यवसाय बेधड़क इसलिए चलता रहा है क्योंकि यहां देवदासी प्रथा के विरुद्ध कोई कानून नहीं है और कोई रोजगार के समुचित साधन नहीं है और न ही कहीं कोई सक्रिय एन.जी.ओ. है जो स्थिति की गंभीरता का आकलन कर इससे बचाव के उपाय कर सके। परन्तु जब से अर्ज जैसे एन.जी.ओ. आगे आए उसके बाद स्थितियां बदलने लगी हैं।

इसी के बाद 'गोवा चिल्ड्रन एक्ट 2002' अस्तित्व में आया।

'स्टॉप' एन.जी.ओ.- यह एन.जी.ओ. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल यौन शोषण के उन्मूलन में लगी संस्थाओं के साथ समन्वय और सहयोग कर रही है। बच्चों व महिलाओं के यौन शोषण व अनैतिक व्यापार के विरुद्ध अगेन्स्ट ट्रैफिकिंग एंड सेक्सुअल एक्सप्लायटेशन आफ चिल्ड्रन की (ए.टी.एस.इ.सी.) दिल्ली शाखा को शुरू किया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है और इस क्षेत्र में दिल्ली में काम कर रही एन.जी.ओ. का प्रतिनिधित्व कर रहा है।

हाई कोर्ट के निर्देशानुसार दिल्ली पुलिस के द्वारा वेश्यागृहों में छापे के दौरान स्टाप- एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि अवश्य साथ होने चाहिए। वेश्यागृहों से छुड़ाई गई लड़कियों के बचाव, पुनर्वास व उनके प्रत्यावर्तन जैसे पहलुओं पर काम करते उन्होंने अपनी कार्यशैली में निम्न पहलुओं को शामिल किया।

बचाव- 'स्टाप' वेश्यागृहों में सभी अवयस्क और अनैतिक देहव्यापार का शिकार व्यक्तियों, जिन्हें व्यावसायिक यौन-शोषण के लिए लाया जाता है उन्हें छुड़ाने का काम कर रही है। अनैतिक देहव्यापार में आपूर्तिकर्ता (एजेन्ट) दलाल (पिंप) और वेश्यागृह का मालिक शामिल होते हैं। बच्चों को छुड़ाने के बाद यह प्रयास किया जाता है कि यौनशोषण का शिकार इन बच्चों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण रखा जाए क्योंकि कानूनी कार्रवाई के दौरान उसका सदमा बढ़ने न पाए।

पुनर्समेकन (री-इन्टेग्रेशन)- बचाई गई लड़कियों के आत्मविश्वास को लौटाने के लिए उनको समाज में शामिल किया जाना बेहद जरूरी है। यदि लड़की परिवार में लौटना चाहती है और यदि परिवार उसे स्वीकार करने को तैयार होता है तो उसे उनके पास भेजा जाता है उसे दुबारा इस धंधे में न ले आया जाये इसके लिए बहुत सतर्कता बरती जाती है, पूरी तसल्ली करने के बाद ही अभिभावकों को सौंपा जाता है। घर का वातावरण यदि सुरक्षित व उपयुक्त महसूस हो तभी यह कदम उठाया जाता है।

बचावात्मक उपाय

समुदाय तक पहुंचने के उपाय- किसी भी कार्यक्रम की सफलता इसमें निहित होती है कि इसके लिए समुदाय को राजी कर लिया जाए। 2001-02 में स्टाप ने यमुनापार की झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों को चुना, क्योंकि इस क्षेत्र में बच्चों के अनैतिक देहव्यापार का शिकार होने की काफी संभावनाएं होती हैं। 1,50,000 लोगों तक पहुंचने के लिए कम्युनिटी आउटरीच सेंटर बनाया गया। इस समय स्टाप के तीन आउटरीच सेंटर हैं जो उन क्षेत्रों की शिक्षा, स्वास्थ्य व वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश लोग बांग्लादेश, नेपाल व देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले गरीब वर्ग के लोग होते हैं।

चुनौतियां- यौनशोषण की शिकार लड़कियों को पुनर्समेकन/प्रत्यावर्तन के दौरान उनकी स्वतंत्रता काफी बाधित होती है। लम्बी अवधि तक आश्रय-होमों में रहना उसके लिए किसी जेल में रहने से कम नहीं होता, हालांकि स्थितियां पहले से काफी सुधरी है पर सीमित संसाधनों के रहते अधिक बेहतरी की उम्मीद नहीं।

'प्रजावाला', एन.जी.ओ., हैदराबाद

प्रजावाला एन.जी.ओ. ने 21 अगस्त 2008 को 16 किमी लम्बी रैली आयोजित की, जिसका संदेश था कि 'ट्रैफिकिंग रुक सकती है, यदि पुरुष सेक्स खरीदना छोड़ दे'।

प्रजावाला की डायरेक्टर का कहना था कि किसी अन्य व्यापार की तरह यह भी मांग और आपूर्ति का व्यापार है। यदि पुरुष वेश्यागृहों में जाना छोड़ दे तो महिलाओं और बच्चों के अनैतिक व्यापार में गिरावट आएगी।

एंटी ट्रैफिकिंग रिसोर्स कक्ष

इस कक्ष की स्थापना की गई ताकि समस्या के समाधान में समाज को साथ लिया जाए। इस कक्ष के माध्यम से किशोरी लड़कियों, स्त्री-पुरुषों के बीच जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है कि वे अपने को गुमराह होने से बचा सकें।

दूसरी पीढ़ी का बचाव- वेश्याओं के बच्चे सामाजिक लांछना का शिकार हो जाते हैं। मांओं के साथ इन्हें भी हाशिये पर धकेल दिया जाता है। कई बार न चाहते हुए भी ये बच्चे यौन शोषण का शिकार हो जाते हैं। लड़कियां यौनकर्मी व लड़के दलाल बन जाते हैं इसलिए इस पीढ़ी का बचाव जरूरी है। ये अपने बचपन में एक गलत वातावरण में पलते बढ़ते हैं और इसके घाव गहरे होते हैं। इन्हें मुख्यधारा में लाना जरूरी है। इसके लिए ट्रांसिशन सेन्टर व ड्राप इन सेंटर की अवधारणा पर काम किया गया। इन केन्द्रों में मनोवैज्ञानिक व सामाजिक पहलुओं व स्कूली शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। उनमें उन कौशलों का विकास भी किया जा रहा है जिससे वे मुख्यधारा में हालातों का सामना कर पाएं।

क्राइसेस काउंसलर- जब लड़कियां घरों से भाग कर बड़े शहरों में आती हैं तो उन्हें दुर्व्यापारियों के गिरोह के लोग नौकरी के लालच में बस स्टापों व रेलवे स्टेशनों पर पकड़ लेते हैं। हैदराबाद का इमलीबन बसस्टेंड एक ऐसा ही स्थान है। वहां के पुलिस स्टेशन पर काउंसलिंग शुरू की गई है। इस टीम में प्रशिक्षित काउंसलर, दो बैकफुट काउंसलर और स्थानीय पुलिस अधिकारी होते हैं। हैदराबाद व सिकंदराबाद दोनों में ऐसे सेन्टर हैं।

टीम का कार्य- टीम बस स्टेशन व रेलवे स्टेशनों के प्रवेश व निकास द्वारों (एंट्री व एक्सिट पॉर्ट) पर सतर्क रहती है और घरों से भागी, निराश्रित लड़कियां जो किसी बहकावे में आ सकती है। को बचाया जाता है।

- वेश्यावृत्ति में लगी बूढ़ी औरतों को पुनर्वास के विकल्प दिए जाते हैं ताकि वे अपनी रोजी-रोटी के जुगाड़ के लिए खरीद-फरोख्त न करने लगे।

सूचना मिलने पर उनका बचाव किया जाता है।

पुनर्वास- यौन-हिंसा का शिकार औरतें मनोवैज्ञानिक तनावों और कई प्रकार के यौन रोगों का शिकार होती हैं उन्हें कई बार परिवारों से मिलाना कठिन होता है क्योंकि परिवार वापिस स्वीकारना नहीं चाहते। उन्हें समाज से नकारात्मक सहयोग मिलता है या

परिवार ही उन्हें इस दलदल में धकेल चुका होता है। यदि वे एच.आई.वी./एड्स ग्रस्त हैं तो परिवार उन्हें स्वीकारता ही नहीं है। उनके मानसिक स्वास्थ्य ठीक होने व आर्थिक सशक्तिकरण के बाद उन्हें समाज में भेजना संभव होता है।

सामाजिक पुनर्समेकन (सोशल इन्टेग्रेशन)- अन्तिम लक्ष्य यही है कि वे समाज या परिवार के साथ फिर से मिल सके। प्रजावाला उन्हें सहयोग कर रहा है। उनके विवाह करवा तो कुछ को परिवारों के साथ मिला दिया गया है और कुछ अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं।

अफजल गंज पुलिस स्टेशन, हैदराबाद की पहल

अफजल गंज पुलिस स्टेशन हैदराबाद के पुराने शहर में अफजलगंज बस अड्डे के सामने है और इसके एक ओर चारमीनार और इमलीबन अंतर्राज्यीय बस स्टेशन है। इन्हीं जगहों से शहर में दूसरे शहरों से आना जाना होता है। यहीं से लड़कियों को वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए उठाना आसान होता है।

इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज के एन.जी.ओ. प्रजावाला के साथ मिलकर क्राइसिस सेंटर खोला जो मुख्य रूप से रात के समय काम करता है। पुलिस अतिरिक्त चौकसी करते हुए इन स्थानों पर अकेली घबराई हुई-सी दिखने वाली लड़कियों की मदद करती है। एन.जी.ओ. का एक काउंसलर रात में पुलिस स्टेशन में बैठता है और वे न केवल ऐसी लड़कियों की मदद करते हैं। बल्कि उन्हें उनके परिवारों के पास पहुंचाने अथवा उन्हें आश्रय देने के अलावा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है। यह भी निर्णय लिया गया कि आई.टी.पी.ए. की धारा 8 के तहत गिरफ्तार की गई लड़कियों को भी काउंसलिंग दी जाएगी ताकि वे नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कर सके। प्रजावाला उनके वैकल्पिक आजीविका के साधनों की व्यवस्था में जुटी हुई संस्था है।

जून 2003 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया। पहले तीन महीनों में 58 लड़कियों की काउंसलिंग की गई। प्रजावाला और पुलिस स्टेशन के इस प्रयास को प्रदेश के अन्य हिस्सों जहां से ट्रैफिकिंग की संभावना है शुरू करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

बंगलौर की अमलगयेटिड बीम कॉफी द्वारा चलाये जा रहे 'कैफे-कॉफी डे' डे कॉफी पार्लरों में भी ऐसी लड़कियों के पुनर्वास की दिशा में प्रयास किए हैं। आई.ओ.एम. ने संलाप कोलकाता और प्रयास, दिल्ली के साथ इस कॉर्पोरेट हाउस को जोड़ा है। इसी तरह का एक प्रयास फूड प्रोडक्ट के लिए संलाप के साथ किया गया है।

ज्वाइंट वूमेन प्रोग्राम एन.जी.ओ., नई दिल्ली- वर्ष 1988 से ज्वाइंट वूमेन प्रोग्राम एन.जी.ओ. के कार्यकर्ता जी बी रोड की औरतों से मिल रहे हैं और धीरे-धीरे उनका विश्वास जीत कर उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना व समझा और महसूस किया कि वहां की औरतें अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं। उन्हें पुलिस भी तंग करती है और ग्राहकों की हिंसा का उन्हें शिकार होना, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं।

डे-केयर सेंटर- किसी एन.जी.ओ. द्वारा पहले पहल उनके बच्चों के लिए डे केयर सेंटर शुरू इनके द्वारा ही किया गया। उनका उद्देश्य दूसरी पीढ़ी को यौन कर्मी बनने से रोकना और उन्हें बचाना है। इन बच्चों को बचपन की छोटी-छोटी खुशियां व शिक्षा के प्रयास ये कर रहे हैं और उन्हें विभिन्न स्कूलों व प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश दिला रहे हैं।

स्वास्थ्य योजनाएं-हफ्ते में तीन बार मां व बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। बच्चों के प्रति टीकाकरण की, माताओं को साफ-सुथरा रहने व स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। उन्हें एच.आई.वी./एड्स के प्रति भी जागरूक किया जाता है।

इन औरतों में आत्मविश्वास जगाने और उनमें नेतृत्व की क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें संगठित कर 'मशाल' समूह बनाया है जिसके कार्यकर्ता दिन में किसी भी समय इकट्ठी होकर अपनी समस्याओं की चर्चा व उनके निदान का प्रयास करती है। जे डब्ल्यू पी उन्हें कानूनी सहायता, पुलिस की हिंसा के मामलों में हस्तक्षेप और उन्हें सरकारी हस्पतालों में इलाज में मदद करती है। इनके प्रयासों से वे एस.टी.डी. और एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरूक हो गई है और कंडोम के महत्व को समझने लगी है। जबरन एच.आई.वी. टेस्ट के प्रति उनके अधिकारों के प्रति भी उन्हें जागरूक किया गया है।

'प्रेरणा', एन.जी.ओ., मुम्बई- वर्ष 2000 में 'प्रेरणा' को यूएन कांग्रेस में आमंत्रित किया गया। प्रेरणा को व्यावसायिक यौनशोषण व अनैतिक देहव्यापार के शिकार पीड़ितों के साथ काम करने की 'सर्वोत्तम व्यवहार' के लिए चुना गया।

- प्रेरणा ने विश्व का पहला प्रॉजेक्ट व्यावसायिक यौन-शोषण में दूसरी पीढ़ी को जाने से रोकने का शुरू किया।
- प्रेरणा ने ही संभवतः विश्व की पहली रात्रि क्रेश 1987 में शुरू की गई जो रेडलाइट एरियों में काम कर रही औरतों के बच्चों को रात्रि में सुरक्षा व वहां के माहौल से दूर ले जाने की शुरुआत थी। यह विश्व में किसी भी रेडलाइट एरिया में चलाई जा रही पहली क्रेश है।

'आस्था गट' (समूह)- एन.जी.ओ.- मुम्बई की पन्द्रह एन जी ओ ने

मिलकर अपना एक समूह बनाया है जिसका नाम 'आस्था गट' है। आस्था की प्रभारी अपनी बाइक पर सवार होकर मुसीबत में फंसी यौनकर्मियो की मदद के लिए निकल पड़ती है। यह पन्द्रह संगठन परस्पर अपने अनुभवों को बांटते हुए एक-दूसरे की मदद के द्वारा उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं।

प्रभाव-इससे निश्चित रूप से उन बच्चों की ज़िन्दगी पर असर आएगा।

नाइटकेयर सेंटर व शैक्षणिक सहायता कार्यक्रम और बच्चों को किसी संस्था में रख कर परवरिश करने से निःसंदेह उनका दुर्व्यापार रुकता है। कोई बच्चा दलाल नहीं बनता, वे अपनी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर नौकरियां पूरी कर अपनी मांओं को भी वहां से बाहर निकाल ले जाते हैं।

कई स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ई.सी.जी.टी. मॉडल को अपनाया जा रहा है। भारत सरकार ने दुर्व्यापारी की संपति के जब्त करने के सुझाव को विधिक सुधार के लिए विधि आयोग के पास भिजवा दिया है।

अध्याय-13

बदलती तस्वीरें

वेश्याएं समाज का हिस्सा रही हैं। इतिहास के पन्नों पर आम्रपाली के साध्वी बनने, बसंतसेना के 'उपपत्नी' बनने और कई तवायफ़ों के गीत, गज़ल, ठुमरी की मल्लिका बनने की कहानियां दर्ज हैं। कुछ यौनकर्मी इस व्यवसाय में बनी रहना चाहती हैं तो कुछ चाह कर भी निकल नहीं पाईं और कुछ ब्याहकर घर परिवार वाली बनती रही है। यूं तो पूर्व के अध्यायों में इनकी आप बीती का जिक्र किया जा चुका है इस अध्याय में जी.बी. रोड दिल्ली, सांगली व सोनागाछी की कुछ यौनकर्मियों से की गई बातचीत व समाचार-पत्रों के पन्नों पर छपी व एन.जी.ओ. के प्रतिनिधियों से सुनी बदलती तस्वीरें प्रस्तुत की जा रही हैं।

अपने आप 'वूमेन वर्ल्ड वाइड' के तोपसिया महिला मंडल से जुड़ी महिलाएं यह कहती हैं कि हम यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि और लड़कियां इस देह व्यापार में न आएं, लोगों को अपने अधिकार व उनके लिए संघर्ष करना और सामाजिक विषयों जैसे बाल विवाह जैसे सामाजिक विषयों पर जागृति लाने के लिए हम प्रयास करती हैं।

संगठन से जुड़ने से पहले उनमें आत्मविश्वास नहीं था, न ही साहस था।

संगठन से जुड़ी एक महिला बताती है कि मेरी लड़की वेश्यालय में पैदा हुई। मैं 10-12 साल की थी तो मेरा अपहरण किया गया था और यहां लाया गया। मुझे मारा जाता, मेरा बलात्कार किया जाता। मुझे धमकी दी जाती कि यदि मैं भाग गई तो मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा। वहां और लड़कियां भी थीं जिन्हें बेड से बांधकर बुरी तरह मारा जाता। मैंने दो लड़कियों को भागने में मदद की, फिर मैंने सुना कि मालिक मुझे भी मारना चाहता है मैंने हिम्मत की और वहां से छत से कूद कर भाग आई।

मैं पुलिस के पास गई कि मेरे बच्चे को छुड़ा दो। पर उन्होंने मुझे वहां लौट

जाने के लिए कहा। फिर 'अपने आप' ने मुझे पुलिस में शिकायत दर्ज करने के लिए कहा। मैं अपनी लड़की को वहां से छुड़ा पाई। मेरी 12 साल की लड़की को भी उन्होंने यौनकर्मी बना डाला था। उसे इतनी यंत्रणा दी गई थी वह आज लंगड़ा कर चलती है। मैंने और मेरी बेटी दोनों को ही बारह वर्ष की उम्र में इस यंत्रणा को भोगा है। मुझे नफरत है उन लोगों से जो इस धंधे में ले जाते हैं। ग्राहकों से भी नफरत है। पुलिस, सरकार व समाज इसे बंद क्यों नहीं करती? हर औरत खुशी से ज़िन्दगी जीना चाहती है। यदि आप औरत हैं तो क्यों इस प्रकार यंत्रणा सहनी पड़ती है? जो हमें दुख पहुंचाते है उन्हें दंड क्यों नहीं दिया जाता?

मुझे लगता है कि उन सभी लोगों को दंडित किया जाना चाहिए जो लड़कियों की ज़िन्दगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो लोग इस धंधे से लाभ कमाते हैं उन्हें दंडित अवश्य किया जाए। यदि पुलिस ग्राहकों को गिरफ्तार करने लगे तो दूसरे ग्राहक आना बंद होंगे। इससे महिलाएं दूसरी आजीविका ढूंढने में बाध्य होगी। कोई भी लड़की अपनी इच्छा से यहां नहीं आती है। इसलिए उन्हें बेरहमी से मारा जाता है। उन्हें मेकअप लगाकर खुश रहने का नाटक करना पड़ता है।

जरा सोचें कि वह कैसे महसूस करती होगी जब कोई व्यक्ति खरीद कर उसे मारे, प्रताड़ित करे, वह सोचना छोड़ देती है। अपने-आप से सवाल करें कि यदि आपके साथ ऐसा हो तो क्या करेंगी। जो लोग यहां आकर बलात्कार कर लौट जाते हैं उन्हें कोई कुछ नहीं कहता! हमारे दर्द को महसूस करने की कोशिश करो।

मैं अभी तक इस धंधे में हूँ, पर खुश नहीं हूं। मुझे अभी तक मारा जाता है। मैं जब सड़क पर निकलती हूं तो लोग कहते हैं कि 'वेश्या जा रही है'। मुझे बुरा लगता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति इज्जत से जीना चाहता है। वहां दिनभर खड़ा रहकर क्या रात को सोया जा सकता है?

अध्याय-14

साहित्य और फिल्में

भारतीय कथा साहित्य में स्त्री के वेश्या रूप को लेकर काफी लिखा गया है। कभी उसके बहाने किसी गृहिणी की विपद गाथा तो कभी उसके नारकीय जीवन की त्रासदी का बयां करती अपार कृतियां हर युग में इस समस्या को रेखांकित करती आ रही हैं। वैशाली की नगर वधू हो या अमृत लाल नागर की ये कोठेवालियां, या फिर मुंशी प्रेमचंद का सेवासदन सभी में इस समस्या का गंभीरतापूर्वक चिंतन कर समाज को प्रबुद्ध करने के प्रयास किए गए हैं। इन उपन्यासों में वेश्यावृत्ति के कारणों के साथ-साथ उस समय की सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप उनके समाधान देने के प्रयास भी किए गए हैं। मुंशी प्रेमचंद के 'सेवासदन' की नायिका सुमन दहेज की समस्या के कारण इस धंधे में आने के लिए विवश की जाती है। दहेज के अभाव में अनमेल विवाह, पति का शंकालु स्वभाव, धर्म-परायण लोगों का वेश्या को सम्मान देना आदि कई कारण मिलकर भले घर की स्त्रियों को पथभ्रष्ट करने की भूमिका तैयार करते हैं। अकेली स्त्री समाज से लड़ नहीं पाती है बल्कि समाज उसे तोड़ने की कोशिशें करता है। इन रचनाओं के माध्यम से उभरकर सामने आता है। पूरा समाज मिलकर स्त्री को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है।

फिल्में

उमराव जान : 1981 में मुजफ्फर अली ने और 2006 में जे.पी. दत्ता ने इसी कहानी पर फिल्म बनाई।

उत्सव : निर्देशक-गिरीश कर्नाड, प्रोड्यूसर शशि कपूर, कलाकार–रेखा, अमजद खान, शशि कपूर। 1984 में यह फिल्म बनी।

तवयाफ़ : बी.आर. चोपड़ा के निर्देशन में 1985 में बनी इस फिल्म में ऋषि कपूर, रति अग्निहोत्री व पूनम ढिल्लों मुख्य कलाकार थे।

शराबी : 1984 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अभिताभ बच्चन, जयाप्रदा व प्राण ने मुख्य भूमिका निभाई।

पाक़ीज़ा : कमाल अमरोही द्वारा निर्देशित इस फिल्म में मीना कुमारी, राजकुमार व अशोक कुमार इसके प्रमुख कलाकार थे। 1972 में बनी यह फिल्म आज भी गुलाम मुहम्मद के मधुर संगीत व वेश्या के जीवन पर बनी बेजोड़ फिल्म है।

फिल्म पाक़ीज़ा भी वेश्या के पुनर्वास की कहानी है। कोठे से निकालकर, पत्नी बनाकर ही उसका पुनर्वास संभव है।

देवदास : शरतचंद्र के इस उपन्यास पर लगभग हर भाषा में फिल्में बनी हैं।

अमर प्रेम : निर्देशक शक्ति सामंत। 1971 में विभूति भूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास पर बनी थी यह फिल्म। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ डायलॉग, पटकथा व साऊंड का फिल्मफेयर एवॉर्ड मिला था।

चांदनी बार : (2001) मधुर भंडारकर की यह फिल्म भी इसी विषय पर बनी नई फिल्म थी।

अध्याय-15

उपसंहार

कहते हैं जिस समाज में वेश्याएं और भिखारी हों उसे सभ्य समाज नहीं कहा जा सकता। जिस समाज में शिक्षा व स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्च कम हो उसे विकसित देश नहीं कहा जा सकता है। शिक्षा ही वेश्यावृत्ति व भीख मांगने की लाचारी को खत्म करती है। यदि एक अनैतिकता का औचित्य ठहराया जाना है तो कई अनैतिकताओं को वैध कराने के दरवाजे खुल जाते हैं। कोई स्त्री वेश्या नहीं बनना चाहती उसे वेश्या बनाया जाता है। 'औरत ने मर्द को जन्म दिया बदले में उसने औरत को बाज़ार दिया' यही हकीकत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। इसी वास्तविकता को बदलने के लिए चहुं-दिशाओं से प्रयास होने चाहिए।

आई.ए.एफ. की 28वीं अंतर्राष्ट्रीय कान्फ्रेंस में सुश्री मेरी रोनी जायेंट (फ्रांस), सेक्रेटरी जरनल ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में कहा था कि वेश्याओं के बिना समाज संभव तभी हो सकता है यदि हम वैसा चाहें, यदि हम राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रयास करना चाहें। यदि हम मानव अधिकारों को सही मायनों में समाज में रोपित करने के हरसंभव प्रयास करेंगे तो वेश्यावृत्ति समाज से हट जाएगी। यह मांग पर आधारित व्यवसाय है और मांग के हटते ही स्थितियां बदल जाएगीं। पुरुष को अपनी अदम्य यौनेच्छाओं पर नियंत्रण करने की पहल करनी होगी वरना न जाने कितनी मासूम, भोली भाली, निरीह लड़कियां इस बलि-वेदी पर चढ़ती रहेंगी।

महिलाओं के प्रति हर प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय (कन्वेंशन) में यह स्वीकार किया गया है कि महिलाओं को नुकसान पहुंचाने वाली सभी प्रथाओं, चाहे वे संस्कृति में कितनी गहराई से सन्निहित है, का उन्मूलन किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक सांस्कृतिक मान्यताओं अथवा धार्मिक आस्थाओं से पनपी हुई हानिकर और प्रायः जीवन के लिए अशुभ पारंपरिक प्रथाओं के प्रभावों को निरंतर सहते रहने की नियति को झेलने की मजबूरी से तभी बचा जा सकता है, जब

स्त्री-पुरुष समानता हासिल करने के लिए सभी सरकारें न केवल कानून बल्कि संस्कृति का भी रूपांतरण करने की दिशा में काम करें। जागरूक सामाजिक संगठन सामाजिक समानता, आर्थिक आवश्यकता या सांस्कृतिक उत्तरजीविता की ओट में महिलाओं को निरंतर नुकसान पहुंचाने वाली पारंपरिक प्रथाओं और रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए दिशा-निर्देश देकर परिवर्तन करने का आग्रह करता है। *परम्पराओं की बलि-वेदी पर लड़कियां व महिलाएं ही क्यों चढ़ाई गईं? यह प्रश्न पुरुषों को स्वयं से करना होगा? यदि ऐसी कोई व्यवस्था, कोई परम्परा जिसके लिए वे न्योछावर नहीं होना चाहते तो उन्हें यह कोई हक नहीं बनता कि वे महिलाओं से उसकी अपेक्षा रखें। जो व्यवहार उन्हें अपने लिए अनुचित लगता है तो वे कैसे उसे महिलाओं पर थोप सकते हैं। विद्रोह की यह आवाज़ शिक्षा से ही उठाई जा सकती है।*

यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटस की '2005 ट्रैफिकिंग इन पर्सन्सस रिपोर्ट' के अनुसार गरीब देशों से अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार होने वाली मानव दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) में 80% महिला व 50% बच्चे होते हैं। हर वर्ष 8 से 9 लाख व्यक्ति विश्वभर में खरीदे, बेचे व दूसरे देशों में पहुंचा दिए जाते हैं। यह पंक्तियां जार्ज डब्ल्यू बुश ने सितम्बर 2003 में यूनाइटेड नेशन्स की जनरल असैम्बली में गुलाम व्यापार के वैश्विक संकट का जिक्र करते हुए कही थी।

ड्रग्स व अवैध हथियारों के व्यापार के बाद मानव तस्करी तीसरे नम्बर पर है। यू.एस. डिपार्टमेंट के अनुसार मनुष्य की गुलामी का यह व्यापार हर वर्ष 9.5 बिलियन का रेवेन्यू जुटाता है। यह जानकारी '2004 ट्रैफिकिंग इन पर्सन्सस रिपोर्ट' में सूचित की गई है।

इंटरनेशनल लेबल ऑफिस ने 2005 में 'ए ग्लोबल एलायंस अगेन्स्ट फोर्स्ड लेबर' में कहा है कि अनुमानित आंकड़ा 32 बिलियन वार्षिक का हो सकता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने सभी राष्ट्रों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए और व्यक्तियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करने के लिए कहा है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तियों के दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) रोकने की दिशा में प्रयास किये जाते रहे हैं। इसके लिए समय-समय पर कई अंतर्राष्ट्रीय करार किए गये हैं जिनमें प्रमुख है-

- इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर द सप्रेशन ऑफ व्हाइट स्लेव ट्रैफिक 1904
- इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ व्हाइट स्लेव ट्रैफिक 1910
- इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ ट्रैफिक इन वूमेन एंड चिल्ड्रन 1921

- इंटरनेशनल द सप्रेशन ऑफ ट्रैफिक इन वूमेन इन फुल एन 1933

- कन्वेंशन आन द सप्रेशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लायटेशन ऑफ द प्रास्टीच्युशन 1949

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 0-14 वर्ष की उम्र के बच्चों की संख्या 347.54 मिलियन (33.44%) है।

बालिका शिशु-हत्या, भ्रूण-हत्या, पुत्र की चाह, दहेज, भोजन विकार आदि समाप्त करने की दिशा में राज्य सरकारों को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। संस्कृतियों की हानिकर पारंपरिक प्रथाओं की सामाजिक स्वीकृति व उनके कायम रहने की स्थितियों को चुनौती दी जानी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से, धर्म और संस्कृति असाधारण रूप से आस्थाओं को प्रभावित कर समाज में नई समझ व नये मूल्यों को समय के साथ अपनाती रही है। आज भी उसकी नितांत आवश्यकता है।

सरकार को महिलाओं के कानूनी अधिकारों को समस्त समाज तक पहुंचाना होगा। महिलाओं की जागरूकता और महिलाओं के समानता के अधिकारों की जानकारी न केवल महिलाओं को अपितु पूरे समाज को होनी चाहिए। महिलाओं को न्यायिक अधिकारियों, वकीलों या पुलिस के रूप में न्यायिक तथा विधि प्रवर्तन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भाग लेना चाहिए।

स.घ.उ.का	**सामाजिक सेवाएं**	**ग्रामीण कल्याण**
आठवीं योजना 1992-97	0.67	0.32
नौंवी योजना (1997-02)	0.83	0.27
दसवीं योजना (2002-07)	1.002	0.51
ग्यारहवीं योजना (2007-08)	1.34	0.42

स्रोत : सी.ए.जी. निष्पादन आडिट, केन्द्र खाते 2008

भारत इस एक प्रतिशत खर्च से विश्व के समाज कल्याण खर्चों के न्यूनतम स्तर वाला देश बनता है। भारत में सामाजिक सुरक्षा की दिशा में यदि गंभीर प्रयास किए जाएं तो स्थितियों में काफी बदलाव आ सकता है।

अफ्रीका का एक उदाहरण हमारे सामने है जहां कम आय वाले लोगों को बिना शर्त कुछ राशि खर्च करने के लिए दी जाती है, तो वे उसे परिवार व समुदायों पर करते हैं। सरकारी तंत्र को उन्हें कुछ हिदायतें नहीं देनी पड़ती।

बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक मॉडल जिसे भारत सहित दुनियाभर में अपनाया जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सार्थक प्रयास है। जब हम समस्याओं के कारणों को हल करते हैं तो समस्याएं खुद-ब-खुद दूर होती चलती हैं। गरीबी, बेरोजगारी व असमानता जब दूर होगी तो न परिवारों की बेटियों को बेचने की मजबूरियां होंगी, शिक्षा होगी तभी यह समझ आ जाएगा कि झूठे आश्वासनों के बल से ग़म के अंधेरे बढ़ते हैं कभी दूर नहीं होते। महानगरी चकाचौंध महानगर की बदनाम बस्तियों की ओर ले जाते हैं। समानता, स्वतंत्रता के झूठे दावे देह बेचकर आजीविका कमाने की पैरवी नहीं करते।

यूरोप के कई देशों में सामाजिक सुरक्षा उनकी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। वहां यदि किसी कारण से नौकरी चली जाती है तो अपने वेतन के 30 से 70 प्रतिशत के बीच बेरोजगारी भत्ता मिल सकता है। शिशु जन्म, बीमारी या दुर्घटना किसी भी स्थिति में क्षतिपूर्ति मिलती है। समाज कल्याण में चिकित्सा सुविधाएं, वृद्धावस्था पेंशन और अपंगता पेंशन सभी शामिल हैं। इन कल्याण उपायों से नागरिक खुशहाल, स्वस्थ व अधिक सक्षम तरीकों से काम करते हैं। कुछ देशों में बेरोजगारी लाभ भी दिए जाते हैं। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपीन्स में भी सामाजिक सुरक्षा मौजूद है। चीन की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है। कुछ वर्ष पहले किसानों के लिए चिकित्सा सहकारी योजना भी शुरू की गई। जो लोग काम नहीं कर सकते हैं उन्हें भी न्यूनतम आजीविका-भत्ता दिया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के द्वारा भारत सहित विश्व के 12 विकासशील देशों में किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत यदि पेंशन, आधारभूत चिकित्सा सुविधाओं, बाल कल्याण और बेरोजगारी सहायता पर अपने स.घ.उ. का 3.9% प्रतिशत अधिक खर्च करे तो देश की स्थिति काफी सुधर सकती है। संसाधनों की कमी एक बहाना भर है। अर्थशास्त्रियों के मतानुसार विश्व के गरीब से गरीब देशों में भी **'पालने से कब्र तक'** समाज कल्याण की व्यवस्था संभव है तो हम क्यों नहीं कर सकते?

यही नहीं गृह मंत्रालय के तहत पैरामिलिट्री फोर्सेज का एच.आई.वी. पर प्रशिक्षण, तकनीकी मंत्रालय द्वारा एड्स अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, रेलकर्मियों के बीच एच.आई.वी. से सुरक्षासंबंधी संदेश, रेल मंत्रालय द्वारा रियायती टिकटों की व्यवस्था समस्या को मुख्यधारा से जोड़ने की प्रक्रिया है।

निजी क्षेत्र में 1985 में लार्सन एंड टुब्रो ने अपने कर्मचारियों के लिए एच आई वी/एड्स जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया था जो कारपोरेट जगत का पहला प्रयास था। 1996 में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी.आई.आई.) ने इंडिया बिजनेस ट्रस्ट फॉर एच.आई.वी./एड्स कार्यक्रम की शुरुआत की थी।

2006 में निजी सार्वजनिक सहभागिता के तहत पांच ए.आर.टी. केन्द्रों की स्थापना में बल्लारपुर इंडस्ट्रीज, ए.सी.सी., रिलायंस और बजाज आटो कम्पनियां आगे आई।

2008 में यू.एस.एड. ने पी.एस.आई. के माध्यम से एच.आई.वी./एड्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय जहां विभिन्न विज्ञापनों का प्रसारण करता है, पंचायती राज मंत्रालय, पंचायत युवा शक्ति अभियान व ग्राम सभाओं का आयोजन करता है। मानव संसाधन मंत्रालय स्कूलों में जीवन कौशल कार्यक्रम कर, गृह मंत्रालय कंडोम वेंडिंग मशीनों को लगा, पुलिस कर्मियों में कंडोम वितरण, खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय विश्वविद्यालयों में रेड रिबन क्लब स्थापित कर, रक्षा मंत्रालय आई.सी.टी.सी./पी.पी.टी.सी.टी. और आधुनिक ब्लड बैंकों को स्थापित कर, ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वयं सहायता समूहों के द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था कर इसमें अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

इसी प्रकार जेंडर बजटिंग की जिम्मेदारी भी हर मंत्रालय निभाता है।

मीडिया, धर्म गुरुओं, राजनीतिक दलों की युवा और छात्र शाखाओं तथा शैक्षिक संस्थानों के प्रमुखों जैसे जनमत निर्माताओं की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वे बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें रचनात्मक कार्य के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। वे महत्वपूर्ण मंचों पर समाज को जागरूक कर सकते हैं। इससे जुड़ी चुप्पी तोड़ने में मदद कर सकते हैं।

धर्मगुरू उन विश्वासों, धारणाओं और परंपरागत मानदंडों को पुनः परिभाषित करने में अहम् भूमिका अदा कर सकते हैं। स्त्री को सम्मान दिलाने में धर्मगुरुओं को आगे बढ़ना चाहिए।

मीडिया के पास वह ताकत है जो किसी दूसरे में नहीं। दुर्व्यापारियों (ट्रैफिकर्स) का चेहरा बेनकाब करने, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को कटघरे में खड़ा करना व ईमानदार अधिकारियों को और आगे प्रयास करने में मीडिया को अपनी क्षमता दिखानी चाहिए।

वेश्यारहित समाज तभी बन सकता है, जब हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जिसमें सभी बच्चों को उनकी सामाजिक स्थितियों की परवाह किए बिना प्यार दुलार मिले। यह प्यार-दुलार उन्हें परिवार से जोड़े रखता है। छोटे-छोटे सुखों की

तलाश में किसी दलाल के निकट नहीं पहुंचाता।

समाज को बहुत गंभीरता से यह चिंतन करना चाहिए कि कोई स्त्री यौन कर्म करने के लिए क्यों मजबूर हो जाती है फिर एक बार इस व्यवसाय को चुनने के बाद क्यों इसका औचित्य ठहराने लगती है। यदि वह उससे बाहर निकलना भी चाहती है तो समाज उसके सामने क्या रुकावटें खड़ी करता है।

हम स्कूलों कॉलेजों में ड्रग्स, शराब व धूम्रपान की जानकारी तो देते हैं पर वेश्यावृत्ति की नहीं, जबकि ये सारी लतें इस ओर धकेल ले जाती हैं। शुरू में 'सिर्फ एक बार' का तजुर्बा फिर नियमित ग्राहक, फिर वेश्या या ग्राहक या एजेन्ट ही न बना डाले। वेश्यावृति आज वैश्विक समस्या है और उसके खिलाफ संघर्ष भी विश्व-स्तर पर ही होना है। जागरूकता हर ओर से लानी है।

यदि किसी बुराई को खत्म करना चाहते हैं, तो इसकी जड़ को खत्म करें। वेश्यावृत्ति की एक जड़ भौतिकवादी है। अधिक से अधिक मनोरंजन, नाच-गाना हर किसी को पसन्द है और यदि धन-दौलत है तो अय्याशी उसके साथ जुड़ जाती है जो नैतिकता को बहुत दूर धकेल देती है। अपने अहम की तुष्टि के लिए वह अक्सर अनचाही अनैतिक रास्तों को भी अपनाता है। यह शक्ति प्रदर्शन, धन, यौन स्वतंत्रता व मनोरंजन सभी पर लागू होता है। इसी स्वतंत्रता के नाम पर लड़के/पुरुष महिलाओं को वस्तु रूप समझने लगे हैं।

अतः आवश्यक यह है कि फिर से पारिवारिक मूल्यों को मजबूत बनाया जाए। पहले स्वयं और फिर अपनी संतानों को यह समझाना जरूरी है कि मानवीय मूल्यों के बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। उन्हें भौतिक सुख-सुविधाओं की एक सीमा तय करनी होगी। बहुत कुछ पाने की चाहना और जल्दी-जल्दी सब कुछ पाने की चाहना समाज से मूल्यों को तितर-बितर कर रही है। व्यक्तियों को एक-दूसरे का सम्मान, विश्वास करना फिर से सीखना होगा। बच्चों को उम्र से पहले बड़ा न करें और उनकी कीमत पर सुख-सुविधाएं बंटोरने की कोशिशें भी न करें।

विश्व का सबसे पुराना व्यवसाय या पुरानी बुराई कह देने पर ये समाज को आज तक बहकाया जाता रहा है और एक बहाने से यह कहा जा रहा है कि इसे बदलने की कोशिश न की जाए।